सत्यमेव जयते

# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

# आर्थिक सर्वेक्षण
# 2014–15

बिहार सरकार

# बिहार सरकार
## वित्त विभाग

# आर्थिक सर्वेक्षण
## 2014-15

# विषय सूची


| अध्याय | : | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| | | शब्दावली एवं शब्द संक्षेप संग्रह | i-xiii |
| | | तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट | xiv-xxvi |
| | | कार्यकारी सारांश | xxvii-xl |
| **अध्याय 1** | : | **बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | **1-24** |
| | | 1.1 राज्य घरेलू उत्पाद | 2-7 |
| | | 1.2 क्षेत्रीय विषमता | 7-9 |
| | | 1.3 थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | 9-10 |
| | | **परिशिष्ट** | **11-24** |
| **अध्याय 2** | : | **कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र** | **25-71** |
| | | 2.1 वर्षापात | 26-27 |
| | | 2.2 भूमि उपयोग | 27-29 |
| | | 2.3 उत्पादन और उत्पादकता | 29-40 |
| | | 2.4 सिंचाई | 40 |
| | | 2.5 कृषि लागत सामग्रियां | 40-46 |
| | | 2.6 कृषि रोड मैप | 47 |
| | | 2.7 कृषि ऋण | 48-50 |
| | | 2.8 पशुपालन | 50-53 |
| | | **परिशिष्ट** | 54-71 |
| **अध्याय 3** | : | **उद्यमिता क्षेत्र** | **72-120** |
| | | 3.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2011-12) | 73-79 |
| | | 3.2 बड़े उद्योग | 80 |
| | | 3.3 अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | 80-82 |
| | | 3.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) | 82 |
| | | 3.5 कृषि आधारित उद्योग | 83-95 |
| | | 3.6 गैर-कृषि आधारित उद्योग | 95-101 |
| | | 3.7 सहयोगदाता संस्थाएं | 102-104 |
| | | 3.8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी | 104-106 |
| | | 3.9 औद्योगिक क्षेत्र में निवेश | 106-107 |
| | | 3.10 पर्यटन | 108-109 |
| | | 3.11 चुनौतियां और संभावनाएं | 109-110 |
| | | **परिशिष्ट** | **111-120** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अध्याय 4 :** | **अधिसंरचना और संचार** | | **121–176** |
| | 4.1 | सड़क | 121–131 |
| | 4.2 | पुल क्षेत्र | 131–134 |
| | 4.3 | पथ परिवहन | 135–139 |
| | 4.4 | रेलमार्ग | 140 |
| | 4.5 | वायु मार्ग | 140 |
| | 4.6 | दूरसंचार | 141–145 |
| | 4.7 | डाक नेटवर्क | 145–149 |
| | 4.8 | शहरी अधिसंरचना | 149–153 |
| | 4.9 | सिंचाई | 153–160 |
| | 4.10 | विद्युत क्षेत्र | 160–171 |
| | **परिशिष्ट** | | **172–176** |
| **अध्याय 5 :** | **सामाजिक क्षेत्र** | | **177–283** |
| | 5.1 | जनसांख्यिकी | 178–180 |
| | 5.2 | स्वास्थ्य | 180–194 |
| | 5.3 | पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 194–197 |
| | 5.4 | शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | 197–210 |
| | 5.5 | सीमांत तबकों के लिए सुरक्षा | 210–217 |
| | 5.6 | नारी सशक्तीकरण | 217–221 |
| | 5.7 | ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण संबंधी अन्य कार्यक्रम | 221–229 |
| | 5.8 | श्रम संसाधन एवं कल्याण | 229–232 |
| | 5.9 | वृद्धों और विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा | 233–234 |
| | 5.10 | पंचायती राज संस्थाएं | 234–236 |
| | 5.11 | राजस्व एवं भूमि सुधार | 237–240 |
| | 5.12 | आपदा प्रबंधन | 240–241 |
| | 5.13 | पर्यावरण | 241–242 |
| | **परिशिष्ट** | | **243–283** |
| **अध्याय 6 :** | **बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र** | | **284–323** |
| | 6.1 | बैंकिंग अधिसंरचना | 285–291 |
| | 6.2 | जमा और ऋण | 291–303 |
| | 6.3 | प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा | 303–310 |
| | 6.4 | वित्तीय संस्थाएं | 310–312 |

| | | |
|---|---|---|
| | 6.5 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) | 312-315 |
| | 6.6 बिहार में सूक्ष्मवित्त | 315-318 |
| | 6.7 बिहार में निगमोचित वातावरण | 319 |
| | 6.8 वित्तीय समावेश | 319-320 |
| | **परिशिष्ट** | **321-323** |
| **अध्याय 7 :** | **राजकीय वित्तव्यवस्था** | **324-409** |
| | 7.1 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन | 326-335 |
| | 7.2 राजकोषीय प्रदर्शन | 335-345 |
| | 7.3 घाटा प्रबंधन | 345-351 |
| | 7.4 ऋण प्रबंधन | 351-354 |
| | 7.5 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात | 354-355 |
| | 7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय | 356-359 |
| | 7.7 संसाधन प्रबंधन | 360-371 |
| | 7.8 कर विषयक विभागों का प्रदर्शन | 371-377 |
| | 7.9 व्यय प्रबंधन | 378-382 |
| | 7.10 राजस्व व्यय | 382-383 |
| | 7.11 वेतन और पेंशन पर व्यय | 383-384 |
| | 7.12 व्यय की गुणवत्ता | 385 |
| | 7.13 क्षेत्रगत व्यय | 386-388 |
| | 7.14 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय | 389 |
| | 7.15 राज्य के बजटों की तुलना : 2013-14 और 2014-15 | 390-392 |
| | 7.16 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि | 392-396 |
| | 7.17 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम | 396-402 |
| | **परिशिष्ट** | **403-409** |

# शब्द संक्षेप संग्रह

| | |
|---|---|
| अजा | अनुसूचित जाति |
| अजजा | अनुसूचित जनजाति |
| अपिजा | अति पिछड़ी जाति |
| अनु. | अनुपस्थित |
| पु.अ. | पुनरीक्षित अनुमान |
| ब.अ. | बजट अनुमान |
| एसीपी | वार्षिक ऋण योजना |
| एडीबी | एशियाई विकास बैंक |
| एडीवी | विज्ञापन कर |
| एजी (ए एंड ई) | महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच) |
| एजीआर | वार्षिक वृद्धि दर |
| एआइबीपी | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम |
| एआइसीटीई | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद |
| एकेआइसी | अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा |
| एएनएम | सहायक नर्स एवं धाई |
| एपीडीआरपी | त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम |
| एपीएफएएमजीएस | आंध्र प्रदेश कृषक प्रबंधित भूजल व्यवस्था |
| एपीएचसी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| एपीएल | गरीबी रेखा से ऊपर |
| एपीएमबी | कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड |
| एआरईपी | त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम |
| एआरआइ | तीव्र श्वासमार्ग संक्रमण |
| एएसएचए (आशा) | प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता |
| एएसआइ | वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण |
| एटीएमए (आत्मा) | कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण |
| एडब्ल्यूसी | आंगनवाड़ी केंद्र |
| एडब्ल्यूडब्ल्यू | आंगनवाड़ी सेविका |
| आयुष | आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी |

| | |
|---|---|
| बीएडीपी | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम |
| बीएपीएमसी | बिहार कृषि उत्पाद विपणन निगम |
| बीसी | पिछड़ी जाति |
| बीसीआर | वर्तमान राजस्व शेष |
| बीडीआरएम | बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन |
| बीई | बजट अनुमान |
| बेल्ट्रॉन | बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम |
| बीईपीसी | बिहार शिक्षा परियोजना परिषद |
| बीईआरसी | बिहार विद्युत नियामक आयोग |
| बीआइएडीए (बिआडा) | बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार |
| बीआइसी | ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन |
| बीआइसीआइसीओ (बिसिको) | बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम |
| बीआइएफआर | औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड |
| बीआइजीडब्ल्यूआइएस (बिगविस) | बिहार भूजल सिंचाई योजना |
| बीआइपीएआरडी (बिपार्ड) | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान |
| बीएमए | बिहार नगरपालिका अधिनियम |
| बीएमईसी | बंगलुरु–मुंबई आर्थिक गलियारा |
| बीएमपी | बिहार मिलिटरी पुलिस |
| बीओटी | निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण |
| बीपीएल | गरीबी रेखा से नीचे |
| बीपीएसएम | बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन |
| बीआरएईएन–डीसी (ब्रेन–डीसी) | बिहार राजस्व एवं समेकित डाटा केंद्र |
| बीआरबीएन | बिहार राज्य बीज निगम |
| बीआरईडीए (ब्रेडा) | बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण |
| बीआरजीएफ | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि |
| बीआरजेपी | बिहार राज्य जल पर्षद |
| बीआरएलपीएस | बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति |
| बीआरआरडीए | बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण |
| बीएसएआइडीसीएल | बिहार राज्य कृषि आधारित उद्योग विकास निगम लिमिटेड |
| बीएससीआइसीओ (बिसिको) | बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम |
| बीएसडीसीएल | बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन निगम लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| बीएसडीएम | बिहार कौशल विकास मिशन |
| बीएसईबी | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड |
| बीएसएफसी | बिहार राज्य वित्त निगम |
| बीएसएचपी | बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम |
| बीएसएचपीसी | बिहार राज्य जलविद्युत निगम |
| बीएसआइडीसी | बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम |
| बीएसपीजीएल | बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड |
| बीएसपीटीसी | बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी |
| बीएसएलआइडीसी | बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम |
| बीएसआरटीडीसी | बिहार राज्य पथ परिवहन विकास निगम |
| बीएसआरडीसीएल | बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड |
| बीएसएनएल | भारत संचार निगम लिमिटेड |
| बीएसएससी | बिहार राज्य चीनी निगम |
| बीएसटीडीसी | बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम |
| बीएसयूपी | शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा |
| बीएसडब्ल्यूएएन (बी–स्वान) | बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क |
| बीएसडब्ल्यूसी | बिहार राज्य भंडारण निगम |
| बीटीपीएस | बरौनी तापविद्युत केंद्र |
| बीयूडीसीएल | बिहार नगर विकास निगम लिमिटेड |
| बीयूआइडीसीओ (ब्यूडको) | बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम लिमिटेड |
| बीडब्ल्यूए | ब्रॉडबैंड वायरलेस ऍक्सेस |
| सीएडी (कैड) | चालू खाते का घाटा |
| सीएडीए | कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण |
| सीएडीडब्ल्यूएम | कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन |
| सीएजीआर | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
| सीबीआइसी | चेन्नई–बंगलुरु–औद्योगिक गलियारा |
| सीबीआर | अशोधित जन्म दर |
| सीबीएस | कोर बैंकिंग सेवाएं |
| सीसीए | कृष्य कमांड क्षेत्र |
| सीसीबी | केंद्रीय सहकारी बैंक |
| सीडी | ऋण–जमा |

| | |
|---|---|
| सीडीएमए | कोड डिविजन मल्टीपल ऍक्सेस |
| सीडीपी | उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम |
| सीडीपीओ | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
| सीडीआर | अशोधित मृत्यु दर |
| सीईए | केंद्रीय विद्युत प्राधिकार |
| सीईआरटी (सर्ट) | कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल |
| सीईटीपी | साझा निस्राव शोधन योजना |
| सीएफसी | सामान्य सुविधा केंद्र |
| सीएचसी | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र |
| सीआइआइ | भारतीय उद्योग महासंघ |
| सीआइएसएस | पूंजी निवेश उपदान (सब्सिडी) योजना |
| सीएलआरआइ | केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान |
| सीओएआई | भारतीय सेल्युलर संचालक संघ |
| सीओएमएफईडी (कॉम्फेड) | सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड |
| सीपीआइ | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
| सीपीडब्ल्यूडी | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| सीआरएफ | आपदा राहत कोष |
| सीएससी | सामान्य सेवा केंद्र |
| सीएसएमसी | केंद्रीय प्रस्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति |
| सीएसओ | केंद्रीय सांख्यिकी संगठन |
| सीएसएस | केंद्र प्रायोजित योजना |
| सीएसटी | केंद्रीय बिक्री कर |
| डीसीआरएफ | ऋण समेकन एवं राहत सुविधा |
| डीसीएस | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति |
| डीडीजी | विकेंद्रित वितरण एवं उत्पादन |
| डीडीआसी | जिला नि:शक्त पुनर्वास केंद्र |
| डीईडीएस | दुग्ध उत्पादन उद्यमिता विकास योजना |
| डीएफआइडी | अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग |
| डीआइसी | जिला उद्योग केंद्र |
| डीएलसीसी | जिला स्तरीय समन्वय समिति |
| डीएलएचएस | जिला स्तरीय पारिवारिक सर्वेक्षण |

| | |
|---|---|
| डीएमसी | आपदा प्रबंधन समिति |
| डीएमआइसी | दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा |
| डीएमडब्ल्यूआर | लघु जल संसाधन विभाग |
| डीपीएपी | सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम |
| डीपीआर | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| डीआरडीए | जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार |
| डीएसपीटी | डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल |
| डीडब्ल्यूआर | जल संसाधन विभाग |
| ईबीबी | शैक्षिक रूप से पिछड़ा प्रखंड |
| ईबीसी | अति पिछड़ी जाति |
| ईसीईसी | पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा |
| ईसीआर | पूर्वी–मध्य अंचल |
| ईडी | विद्युत शुल्क/ उत्पाद शुल्क |
| ईडीएफसी | पूर्वी मालवाहन समर्पित गलियारा |
| ईडीपी | उद्यमिता विकास कार्यक्रम |
| ईजीएस | शिक्षा गारंटी योजना |
| ईएचएम | इलक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण |
| ईएनटी | प्रवेश कर (चुंगी) |
| ईओसी | आपात कार्यसंचालन केंद्र |
| ईपीएस | विद्युत शक्ति सर्वेक्षण |
| ईएसआइएस | कर्मचारी राज्य बीमा योजना |
| ईटी | मनोरंजन कर |
| ईटीपी | संपूर्ण प्रतिरोपण |
| ईडब्ल्यूएच | उजरती मजदूर युक्त प्रतिष्ठान |
| एफएमसीजी | शीघ्र प्रचलित उपभोक्ता वस्तुएं |
| एफएमएस | सुविधा प्रबंधन सेवा |
| एफआरबीएमए | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम |
| एफटीटीपी | कृषक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कोष |
| जीएएसएबी | सरकारी लेखाकरण मानक बोर्ड |
| जीडीडीपी | सकल जिला घरेलू उत्पाद |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |

| | |
|---|---|
| जीडीएस | ग्रामीण डाक सेवक |
| जीईआर | सकल नामांकन अनुपात |
| जीएफसीएफ | सकल स्थिर पूंजी निर्माण |
| जीएफडी | सकल राजकोषीय घाटा |
| जीआइएस | भौगोलिक सूचना प्रणाली |
| जीओबी | बिहार सरकार |
| जीओआइ | भारत सरकार |
| जीपी | ग्राम पंचायत |
| जीपीआरएस | जेनरल पैकेट रेडियो सर्विस |
| जीएसडीपी | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| जीएसएम | वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली |
| जीवीए | सकल मूल्यवर्धन |
| जीवीओ | सकल उत्पाद मूल्य |
| एचडीआइ | मानव विकास सूचकांक |
| एचडीपीई | उच्च घनत्व पॉलिईथिलीन |
| एचएलटी | होटल विलासिता कर |
| एचएमएस | अस्पताल प्रबंधन प्रणाली |
| एचपीसीएल | हिंदुस्तान पेट्रॉलियम निगम लिमिटेड |
| एचआरआइएस | मानव संसाधन सूचना प्रणाली |
| एचएससी | स्वास्थ्य उप-केंद्र |
| एचवाइवी | अधिक उपजशील प्रभेद |
| आइएवाइ | इंदिरा आवास योजना |
| आइसीडी | निवेश सह ऋण-जमा अनुपात |
| आइसीडीएस | समेकित बाल विकास योजना |
| आइसीआइसीआइ | भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम |
| आइसीटी | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी |
| आइडीबीआइ | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक |
| आइडीसी | अधिसंरचना विकास निगम |
| आइडीडीपी | सघन दुग्ध विकास कार्यक्रम |
| आइडीएफसी | अधिसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड |
| आइएफसीआइ | भारतीय अधिसंरचना विकास निगम |

| | |
|---|---|
| आइजीएएस | भारत सरकार लेखाकरण मानक |
| आइजीआइएमएस | इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान |
| आइजीएमसीवाइ | इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना |
| आइजीएनओएपीएस | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| आइजीएनडब्ल्यूपीएस | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
| आइजीएनडीपीएस | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना |
| आइजीएस | भारतीय ग्रामीण सेवा |
| आइएचएचएल | व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय |
| आइएचएसडीपी | समन्वित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास योजना |
| आइआइपी | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक |
| आइआइटी | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान |
| आइएल एंड एफएस | अधिसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा |
| आइएमएफएल | भारत निर्मित विदेशी शराब |
| आइएमआर | शिशु मृत्यु दर |
| आइओसी | भारतीय तेल निगम |
| आइपीसी | भारतीय दंड संहिता |
| आइआरडीपी | समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम |
| आइएसओपीओएम (आइसोपॉम) | समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का योजना |
| आइटीईएस | सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा |
| आइटीआइ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान |
| आइडब्ल्यूएआइ | भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण |
| आइडब्ल्यूडीएमएस | समेकित कार्यप्रवाह एवं अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर |
| आइडब्ल्यूडीपी | समेकित जलछाजन (वाटरशेड) विकास परियोजना |
| आइडब्ल्यूएमपी | समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम |
| जेबीएसवाइ | जननी एवं बाल सुरक्षा योजना |
| जेसीआइ | भारतीय जूट निगम |
| जेआइसीए | जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण |
| जेएनएनयूआरएम | जवाहर लाल नेहरू नगर नवीकरणीय मिशन |
| केबीयूएनएल | कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड |
| केसीसी | किसान क्रेडिट कार्ड |
| केजीबीवी | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय |

| | |
|---|---|
| केएचपीएस | कोशी जलविद्युत केंद्र |
| केवीआइसी | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग |
| केवीके | कृषि विज्ञान केंद्र |
| केवीपी | किसान विकास पत्र |
| एलएएन (लैन) | स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क |
| एलईबी | जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा |
| एलओआइ | आशय पत्र |
| एलपीजी | तरल पेट्रॉलियम गैस |
| एमएएनएजीई (मैनेज) | राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान |
| एमएवाइ (मे) | महिला अधिकारिता योजना |
| एमसीएफएस | सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना |
| एमडीएमएस | मध्याह्न भोजन योजना |
| एमडीआर | मुख्य जिला पथ |
| एमएफसी | बहुकार्यी संकुल (कंप्लेक्स) |
| एमएनआरईजीएस (मनरेगा) | महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| एमआइपीबी | विनिर्माण उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड |
| एमआइएस | मासिक आय योजना/ सूचना प्रबंधन प्रणाली |
| एमएमजीएसवाइ | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना |
| एमएमआर | मातृ मृत्यु दर |
| एमएमएसएनवाइ | मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना |
| एमएमएसवाइ | मुख्यमंत्री सड़क योजना |
| एमएनओपी | डाक नेटवर्क चरमीकरण परियोजना |
| एमएनएसवाइ | मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना |
| एमओयू | सहमति पत्र |
| एमपीएलएडीएस (एमपी–लैड्स) | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम |
| एमएसडीपी | बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम |
| एमएसएमई | अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| एमटीपीएस | मुजफ्फरपुर तापविद्युत केंद्र |
| एमएसटीपी | मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम |
| एमएसवाइ | महिला समृद्धि योजना |
| एमवीएम | मानव विकास मिशन |

| | |
|---|---|
| एमडब्ल्यूसीडी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| एनएबीएआरडी (नाबार्ड) | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| एनएएफएससीओबी (नफ्सकॉब) | राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ |
| एनबीसीसी | राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम |
| एनडीएमए | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार |
| एनडीआरएफ | राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल |
| एनएफबीएस | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना |
| एनएफडीबी | राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड |
| एनजीओ | गैर-सरकारी संगठन |
| एनजीआरबीए | राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार |
| एनएचएआइ | राष्ट्रीय भारतीय उच्चपथ प्राधिकरण |
| एनएचडीपी | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना |
| एनएचआइएस | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना |
| एनएचएम | राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
| एनएचओ | राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन |
| एनएचपीसी | राष्ट्रीय जलविद्युत निगम |
| एनआइएमजेड (निम्ज) | राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण जोन |
| एनआइसी | राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र |
| एनआईईएसबीयूडी (निस्बुद) | राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान |
| एनएमसीपी | राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धिता कार्यक्रम |
| एनएमपी | राष्ट्रीय विनिर्माण नीति |
| एनपीए | अनिष्पादित परिसंपत्ति |
| एनपीसीआइएल | भारतीय आणविक शक्ति निगम |
| एनपीईजीईएल | राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम |
| एनपीके | नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाशियम |
| एनआरएचएम | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन |
| एनआरएलएम | राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन |
| एनआरडीडब्ल्यूपी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम |
| एनएसडीपी | निवल राज्य घरेलू उत्पाद |
| एनएसएपी | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम |
| एनएसएफडीसी | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम |

| | |
|---|---|
| एनएसआइसी | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम |
| एनएसकेएफडीसी | राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम |
| एनएसएसएफ | राष्ट्रीय लघु बचत कोष |
| एनएसएसओ | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन |
| एनटीपी | राष्ट्रीय दूरसंचार नीति |
| एनटीपीसी | राष्ट्रीय तापविद्युत निगम |
| एनयूएलएम | राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन |
| एनडब्ल्यूडीए | राष्ट्रीय जल विकास प्रधिकरण |
| ओएई | स्वश्रम प्रतिष्ठान |
| ओएफपीपीसी | क्षेत्रस्थ प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र |
| ओएनजीसी | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम |
| ओपीडी | वाह्य रोगी विभाग |
| ओटीएस | एकमुश्त निष्पादन |
| पीएसीएस (पैक्स) | प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति |
| पीसीडीई | प्रति व्यक्ति विकास व्यय |
| पीसीआरडीबी | प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| पीडीपीपी | सार्वजनिक संपत्ति क्षति अभिरक्षा |
| पीडीएस | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| पीजीसीआइएल | भारतीय पावरग्रिड निगम लिमिटेड |
| पीएचसी | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| पीएचईडी | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| पीआइएम | सहभागी सिंचाई प्रबंधन |
| पीएलआइ | डाक जीवन बीमा |
| पीएलएफ | प्लांट लोड फैक्टर |
| पीएमए | परियोजना प्रबंधन अभिकरण |
| पीएमईजीपी | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम |
| पीएमजीएसवाइ | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना |
| पीएमआरवाइ | प्रधानमंत्री रोजगार योजना |
| पीओपी | उपस्थिति बिंदु (पाइंट ऑफ प्रेजेंस) |
| पीपीए | विद्युत क्रय समझौता |
| पीपीएफ | लोक भविष्य निधि |

| | |
|---|---|
| पीपीपी | सार्वजनिक–निजी साझेदारी |
| पीक्यूएलआइ | भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक |
| पीआरई | योजनागत राजस्व व्यय |
| पीआरआइ | पंचायती राज संस्था |
| पीएस | पंचायत समिति |
| पीएसयू | सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम |
| पीटी | पेशा कर |
| पीटीआर | विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात |
| पीयूआरए (प्यूरा) | ग्रामीण क्षेत्रगत नगरवत सुविधा प्रावधान |
| क्यूई | त्वरित अनुमान |
| आरएबीसी | ग्रामीण कृषि व्यापार केंद्र |
| आर–एपीडीआरपी | पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम |
| आरएवाइ (राय) | राजीव आवास योजना |
| आरबीआइ | भारतीय रिजर्व बैंक |
| आरसीसी | प्रबलित (रेनफोर्स्ड) सीमेंट कंक्रीट |
| आरईओडीबी | स्थावर संपदा, निवास अधिकार, वैधानिक एवं व्यवसाय सेवाएं |
| आरएफपी | प्रस्ताव हेतु अनुरोध |
| आरजीएसईएजी | राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना |
| आरजीजीवीवाइ | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना |
| आरजीयूएमवाइ | राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना |
| आरआइडीएफ | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष |
| आरआइपीई (राइप) | राष्ट्रीय अधिसंरचना प्रोत्साहन कोष |
| आरकेवीवाइ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
| आरएमएसए | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान |
| आरपीएलआइ | ग्रामीण डाक जीवन बीमा |
| आरआरबी | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| आरएसएम/ पीसी | ग्रामीण स्वच्छता बाजार/ उत्पादन केंद्र |
| आरएसवीवाइ | राष्ट्रीय सम विकास योजना |
| आरटीआइ ऍक्ट | सूचना अधिकार अधिनियम |
| आरयूडीएसईटीआइ (रूडसेटी) | ग्रामीण विकास एवं स्वप्रशिक्षण संस्थान |

| | |
|---|---|
| एसएपी (सैप) | विशेष सहायक पुलिस |
| एससी | अनुसूचित जाति |
| एससीए | सेवा केंद्र अभिकरण |
| एससीएआरडीबी | राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| एससीबी | अनुसूचित व्यावसायिक बैंक |
| एससीजीएस | विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूति |
| एसडीसी | राज्य आंकड़ा केंद्र |
| एसडीएमए | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार |
| एसडीआरएफ | राज्य आपदा अनुक्रिया बल |
| एसईसी-एलएएन (सैक-लैन) | सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क |
| एसएफसी | राज्य खाद्य निगम |
| एसएफसी | राज्य वित्त आयोग |
| एसजीआरवाइ | संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना |
| एसजीएसवाइ | स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना |
| एसएचडीपी | राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम |
| एसएचजी | स्वयं सहायता समूह |
| एसआइडीबीआइ (सिडबी) | भारतीय लघु उद्योग बैंक |
| एसआइपीबी | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड |
| एसएलबीसी | राज्य स्तरीय बैंकर समिति |
| एसएमई | लघु एवं मध्यम उद्योग |
| एसओपी | मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया |
| एसपीयूआर (स्पर) | नगरीय सुधार सहायता योजना |
| एसपीवी | विशेष प्रयोजन वाहन |
| एसआरआर | बीज प्रतिस्थापन दर |
| एसआरआइ (श्री) | चावल सघनीकरण प्रणाली |
| एसआरएस | प्रतिदर्श (नमूना) निबंधन प्रणाली |
| एसएसए | सर्व शिक्षा अभियान |
| एसएसजीएस | विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति |
| एसएसआइ | लघु उद्योग |
| एसटी | अनुसूचित जनजाति |
| एसटीपीएस | सुपर ताप विद्युत केंद्र |

| | |
|---|---|
| एसडब्ल्यूएएन (स्वान) | राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क |
| टी एंड डी | संचरण एवं वितरण |
| टीएफआर | कुल प्रजनन दर |
| टीआइएनएक्सआइएस (टिंक्सिस) | कर सूचना विनिमय प्रणाली |
| टीआरएआइ (ट्राइ) | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण |
| यूको | यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक |
| यूडी एंड एचडी | नगर विकास एवं आवास विभाग |
| यूआइडीएसएसएमटी | लघु एवं मध्यम शहर नगरीय अधिसंरचना विकास योजना |
| यूआइजी | शहरी संरचना एवं अभिशासन |
| यूएलबी | शहरी स्थानीय निकास |
| यूएनडीपी | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम |
| वीएटी (वैट) | मूल्यवर्धित कर |
| वीआइ | ग्रामोद्योग |
| वीपीएन | वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क |
| वीपीटी | ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफान |
| वीटीएफ | ग्राम कार्यबल |
| डब्ल्यएएन (वैन | वाइड एरिया नेटवर्क |
| डब्ल्यूडीसी | महिला विकास निगम |
| डब्ल्यूडीएफ | जलछाजन (वाटरशेड) विकास कोष |
| डब्ल्यूआइएसई (वाइज) | विश्व सुस्थिर (सस्टेनेबल) ऊर्जा संस्थान |
| डब्ल्यूएलएल | वायरलेस इन लोकल लूप |
| डब्ल्यूपीआइ | थोक मूल्य सूचकांक |
| डब्ल्यूयूए | जल उपभोक्ता संघ |
| डब्ल्यूटीएम | विश्व वाणिज्य बाजार |
| जेडपी | जिला परिषद |

# तालिका सूची


| तालिका सं. | विषय सूची | पेज नं. |
|---|---|---|
| | | |
| | **बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | |
| 1.1 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) | 3 |
| 1.2 | स्थिर (2004-05) मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 5 |
| 1.3 | स्थिर (2004-05) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना | 6 |
| 1.4 | बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले | 9 |
| 1.5 | बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | 10 |
| | **कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र** | |
| 2.1 | विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात | 26 |
| 2.2 | बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न | 28 |
| 2.3 | बिहार में फसल पैटर्न | 29 |
| 2.4 | बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन | 30 |
| 2.5 | बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता (किग्रा/ प्रति हे.) | 32 |
| 2.6 | बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी जिल | 35 |
| 2.7 | बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन | 36-37 |
| 2.8 | बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन | 38 |
| 2.9 | बिहार में फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन | 39 |
| 2.10 | बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें | 41 |
| 2.11 | बिहार में उर्वरकों की खपत | 42 |
| 2.12 | बिहार में मिनिकिट वितरण | 44 |
| 2.13 | सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या | 45 |
| 2.14 | बिहार में कृषि ऋण प्रवाह | 48 |
| 2.15 | बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2001-02 से 2013-14) | 49 |
| 2.16 | बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन | 51 |

| | उद्यमिता क्षेत्र | |
|---|---|---|
| 3.1 | बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर | 72 |
| 3.2 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान | 73 |
| 3.3 | वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2005-06 और 2011-12) | 74 |
| 3.4 | चालू कारखानों की संख्या | 75 |
| 3.5 | बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात (2011-12) | 76 |
| 3.6 | कारखाना क्षेत्र में इंधनों की खपत | 77 |
| 3.7 | उत्पाद मूल्य में प्रयुक्त इंधन का प्रतिशत हिस्सा | 78 |
| 3.8 | सकल निर्गत मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का प्रतिशत हिस्सा | 78 |
| 3.9 | कारखाना क्षेत्र में रोजगार, नियोजित मानवदिवस और भुगतान की गई परिलब्धियों का अनुमान | 79 |
| 3.10 | बिहार में उद्योगों के कुछ प्रमुख पैरामीटर | 79 |
| 3.11 | बिहार में स्वीकृत बड़ी औद्योगिक इकाइयां | 80 |
| 3.12 | बिहार में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम इकाइयों की वर्षवार स्थापना | 81 |
| 3.13 | 2013-14 में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु उद्यमों का वितरण | 82 |
| 3.14 | 2013-14 में बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत स्वीकृति और वितरण | 82 |
| 3.15 | 2013-14 में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धियां | 84 |
| 3.16 | बिहार में पांचवीं (2005) और छठी आर्थिक गणना (2013) के तुलनात्मक आंकड़े | 86 |
| 3.17 | चीनी मिलों का प्रदर्शन (2011-12, 2012-13 और 2013-14) | 88 |
| 3.18 | दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की स्थिति (2013-14) | 91 |
| 3.19 | दैनिक दुग्ध संग्रहण में संघों और परियोजनाओं की प्रगति | 92 |
| 3.20 | प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण | 93 |
| 3.21 | संघ द्वारा दूध का विपणन | 93 |
| 3.22 | कॉम्फेड द्वारा विभिनन दुग्ध उत्पादों का विपणन | 94 |
| 3.23 | बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिल | 96 |
| 3.24 | प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां | 97 |
| 3.25 | रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां | 98 |
| 3.26 | संपूर्ण भारत के स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग का समग्रतः प्रदर्शन | 100 |
| 3.27 | बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व (2013-14) | 101 |
| 3.28 | उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां | 102 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.29 | अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां | 103 |
| 3.30 | बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की गतिविधियों के क्षेत्रवार विवरण (सितंबर, 2014 तक) | 104 |
| 3.31 | बिस्वान परियोजना की स्थिति | 105 |
| 3.32 | सेक्लैन (सचिवालय स्थानीय एरिया नेटवर्क) की स्थिति | 105 |
| 3.33 | सामान्य सेवा केंद्र परियोजना की स्थिति | 106 |
| 3.34 | ई-डिस्ट्रिक्ट – भौतिक स्थिति | 106 |
| 3.35 | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (सितंबर 2014 तक) | 107 |
| 3.36 | क्रियान्वयन के चरण (सितंबर 2014 तक) | 107 |
| 3.37 | पर्यटकों का वर्षवार आगमन | 108 |
| 3.38 | पर्यटन विभाग के बजट और व्यय के विवरण | 109 |
| | **अधिसंरचना और संचार** | |
| 4.1 | बिहार और भारत में सड़कों की औसत लंबाई | 121 |
| 4.2 | बिहार में सड़कों की लंबाई (सितंबर तक) | 122 |
| 4.3 | बिहार में उच्चपथों की स्थिति (सितंबर 2014 तक) | 123 |
| 4.4 | बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के चार/ छः लेन वाली सड़कों में उन्नयन की स्थिति | 124 |
| 4.5 | केंद्र द्वारा पथ निर्माण हेतु स्वीकृत सीमा तथा स्वीकृत रकम की स्थिति | 124 |
| 4.6 | मार्च 2014 में राष्ट्रीय उच्चपथ में परिवर्तित राज्य उच्चपथ | 125 |
| 4.7 | राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य की प्रगति | 125 |
| 4.8 | एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित सड़कों की स्थिति | 126 |
| 4.9 | बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत सड़कों के उत्क्रमण की स्थिति | 127 |
| 4.10 | अतिरिक्त वित्तपोषण के तहत कार्य की स्थिति | 127 |
| 4.11 | ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सितंबर 2014 तक योजना-वार निर्मित सड़कें | 129 |
| 4.12 | 2013-14 में निर्मित सड़कों की कार्यक्रमवार लंबाई | 130 |
| 4.13 | मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना | 130 |
| 4.14 | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष-12 के तहत चुनिंदा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति | 132 |
| 4.15 | मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल | 133 |
| 4.16 | निर्मित पुलों की संख्या | 134 |
| 4.17 | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का कुल टर्नओवर | 134 |
| 4.18 | परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण | 135 |
| 4.19 | निबंधित वाहनों की संख्या | 136 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.20 | प्रवर्तन तंत्र द्वारा संग्रहित जुर्माने की रकम | 137 |
| 4.21 | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या | 138 |
| 4.22 | पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, मालवहन और यात्रियों की संख्या | 140 |
| 4.23 | बिहार में दूरभाष कनेक्शन | 141 |
| 4.24 | प्रमुख भारतीय राज्यों का दूरभाष घनत्व | 142 |
| 4.25 | बिहार में निजी कंपनियों के कनेक्शनों की संख्या (2013-14) | 143 |
| 4.26 | भारत संचार निगम बिहार : दूरभाष सांख्यिकी | 144 |
| 4.27 | भारत संचार निगम का विकास | 145 |
| 4.28 | बिहार में डाक सुविधाएं | 145 |
| 4.29 | डाक आवागमन - स्वदेशी और विदेशी | 146 |
| 4.30 | डाक विभाग में शिकायतों पर कार्रवाई | 147 |
| 4.31 | सक्रिय खातों की संख्या और उनमें जमा रकम | 147 |
| 4.32 | मनरेगा योजना के तहत सक्रिय खातों की संख्या और वितरित रकम | 148 |
| 4.33 | शहरी अधिसंरचना और अभिशासन (यूआइजी) | 151 |
| 4.34 | लघु एवं मध्यम नगर नागर अधिसंरचना विकास योजना का विवरण | 152 |
| 4.35 | राज्य की चरम, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता | 154 |
| 4.36 | सिंचाई क्षमता सृजन की भौतिक प्रगति | 154 |
| 4.37 | ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्वास | 155 |
| 4.38 | बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता | 155 |
| 4.39 | जारी बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17) | 156 |
| 4.40 | नई बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17) | 156 |
| 4.41 | कृषक समितियों की स्थिति | 157 |
| 4.42 | बिहार में लघु सिंचाई की स्थिति | 157 |
| 4.43 | बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचाई | 158 |
| 4.44 | बारहवीं योजना अवधि में जल संसाधन क्षेत्र के लिए भौतिक लक्ष्य | 158 |
| 4.45 | आहर-पइन सिंचाई प्रणलियों के जिलावार आंकड़े | 159 |
| 4.46 | बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति | 161 |
| 4.47 | सर्वोच्च लोड और बिजली की जरूरत का पूर्वानुमान | 161 |
| 4.48 | बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के लिए स्वीकृत परिव्यय | 163 |
| 4.49 | चरम मांग के बरअक्स विद्युत उत्पादन और खरीद | 163 |
| 4.50 | बिजली की आवश्यकता, उपलब्धता और कमी | 165 |
| 4.51 | संचरण हेतु विद्यमान अधिसंरचना | 166 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.52 | स्वीकृत और वास्तविक संचरण एवं वितरण ह्रास (प्रतिशत) | 167 |
| 4.53 | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति | 167 |
| 4.54 | पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूंजीगत व्यय | 168 |
| 4.55 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति | 169 |
| | **सामाजिक क्षेत्र** | |
| 5.1 | सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान (सभी राज्य और बिहार) | 177 |
| 5.2 | भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011) | 179 |
| 5.3 | घनत्व के रेंज के अनुसार जिलों का वर्गीकरण (2001 और 2011) | 180 |
| 5.4 | बिहार और भारत में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता | 181 |
| 5.5 | बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक | 182 |
| 5.6 | सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या | 184 |
| 5.7 | स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति | 185 |
| 5.8 | प्रति अस्पताल और प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की जिलावार औसत संख्या | 186 |
| 5.9 | भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर | 187 |
| 5.10 | संस्थागत प्रसवों की संख्या | 189 |
| 5.11 | बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन | 190 |
| 5.12 | बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता | 191 |
| 5.13 | बिहार में समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति | 192 |
| 5.14 | समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग | 193 |
| 5.15 | बिहार में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियां | 195 |
| 5.16 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति | 195 |
| 5.17 | राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति | 196 |
| 5.18 | राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक प्रगति | 196 |
| 5.19 | 2011 में साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण | 198 |
| 5.20 | भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान | 199 |
| 5.21 | प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (लाख में) | 200 |
| 5.22 | प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें | 202 |
| 5.23 | प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें | 203 |
| 5.24 | शिक्षा पर व्यय | 204 |
| 5.25 | बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन | 205 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.26 | बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति (2013-14) | 206 |
| 5.27 | वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति | 207 |
| 5.28 | बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान | 208 |
| 5.29 | खेलकूद के विकास हेतु भौतिक लक्ष्य | 210 |
| 5.30 | अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का अवलोकन | 211 |
| 5.31 | बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि. की उपलब्धियां (2013-14) | 214 |
| 5.32 | पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति | 214 |
| 5.33 | पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण | 215 |
| 5.34 | जेंडर बजट का अवलोकन | 218 |
| 5.35 | जेंडर बजट का अवलोकन | 218 |
| 5.36 | लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं | 219 |
| 5.37 | सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या | 220 |
| 5.38 | स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रदर्शन | 221 |
| 5.39 | मनरेगा का प्रदर्शन | 224 |
| 5.40 | मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची | 225 |
| 5.41 | इंदिरा आवास योजना का प्रदर्शन | 226 |
| 5.42 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दूकानदारों का अवलोकन (सितंबर 2014 में) | 227 |
| 5.43 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज | 228 |
| 5.44 | बिहार में कार्य सहभागिता दरें (2011) | 229 |
| 5.45 | कौशल विकास की प्रगति | 230 |
| 5.46 | नियोजन कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति | 231 |
| 5.47 | श्रमिक संबंधी प्रमुख सार्वजनिक पहलकदमियों/ योजनाओं का अवलोकन | 232 |
| 5.48 | वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाएं | 233 |
| 5.49 | बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन | 234 |
| 5.50 | पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति का अवलोकन | 236 |
| 5.51 | बिहार में भूमि वितरण पैटर्न | 238 |
| 5.52 | महादलित परिवार गृहस्थल योजना के तहत प्रगति | 239 |
| 5.53 | राज्य सरकार द्वारा ली गई विभिन्न पहलकदमियां | 240 |

| | बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र | |
|---|---|---|
| 6.1 | बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2009-14) | 285 |
| 6.2 | विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2012-13) | 286 |
| 6.3 | राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को) | 287 |
| 6.4 | बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2014 के अंत में) | 288 |
| 6.5 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा और ऋण राशि | 288 |
| 6.6 | जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण जमा राशियां (मार्च 2013) | 289 |
| 6.7 | अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (मार्च, 2013) | 290 |
| 6.8 | अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का वितरण (मार्च, 2013) | 291 |
| 6.9 | भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च) | 292 |
| 6.10 | भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च) | 293 |
| 6.11 | बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात | 295 |
| 6.12 | बिहार में बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2013-14) | 297 |
| 6.13 | 31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात | 298 |
| 6.14 | अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश सह ऋण-जमा अनुपात | 299 |
| 6.15 | जिलावार ऋण-जमा अनुपात | 300 |
| 6.16 | राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात | 301 |
| 6.17 | निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2013-14) | 302 |
| 6.18 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात | 303 |
| 6.19 | वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2013-14) | 303 |
| 6.20 | र्षक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक | 304 |
| 6.21 | र्षक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2013-14) | 304 |
| 6.22 | कृषिगत ऋण प्रवाह | 305 |
| 6.23 | बकाया कृषिगत अग्रिम | 305 |
| 6.24 | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2013) | 306 |
| 6.25 | राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम | 307 |
| 6.26 | राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम | 308 |
| 6.27 | बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या | 309 |
| 6.28 | अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण | 310 |
| 6.29 | नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण | 311 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.30 | नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण के विवरण | 312 |
| 6.31 | मार्च 2014 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण | 313 |
| 6.32 | में मार्च 2014 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण | 314 |
| 6.33 | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष-19 के तहत मार्च 2014 तक अनुमानित लाभ | 315 |
| 6.34 | बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन (मार्च 2014) | 316 |
| 6.35 | भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2014) | 317 |
| 6.36 | बिहार में सूक्ष्म-वित्तपोषण का विकास | 317 |
| 6.37 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2013-14 में सूक्ष्मवित्तपोषण | 318 |
| 6.38 | 2012-13 में नई निबंधित लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या | 319 |
| 6.39 | सितंबर, 2014 में वित्तीय समावेश का रोडमैप | 320 |
| | **राजकीय वित्तव्यवस्था** | |
| 7.1 | बिहार सरकार की प्राप्तियां और व्यय | 334 |
| 7.2 | प्रमुख राजकोषीय सूचक | 339-340 |
| 7.3 | राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक | 344 |
| 7.4 | राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति | 346 |
| 7.5 | सकल राजकोषीय घाटा | 348 |
| 7.6 | बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना | 348 |
| 7.7 | बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण | 350 |
| 7.8 | बकाया देनदारियां | 351 |
| 7.9 | संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना | 352 |
| 7.10 | लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व | 353 |
| 7.11 | प्राप्त निवल लोक ऋण | 354 |
| 7.12 | राज्यों का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2013-14 बजट अनुमान) | 355 |
| 7.13 | बिहार का राजस्व लेखा | 356 |
| 7.14 | बिहार सरकार का व्यय पैटर्न | 357 |
| 7.15 | ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति | 358 |
| 7.16 | व्यय के अन्य मापदंड | 358 |
| 7.17 | केंद्र सरकार से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण | 359 |
| 7.18 | राजस्व प्राप्ति | 361 |
| 7.19 | विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व | 362 |
| 7.20 | कर राजस्व की संरचना | 363 |
| 7.21 | कर राजस्व की वृद्धि दरें | 364 |
| 7.22 | प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा | 365 |

| | | |
|---|---|---|
| 7.23 | बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व | 366 |
| 7.24 | गैर-कर राजस्वों की संरचना | 367 |
| 7.25 | गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें | 367 |
| 7.26 | कर और गैर-कर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2013-14) | 368 |
| 7.27 | कर संग्रहण व्यय | 369 |
| 7.28 | कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में | 370 |
| 7.29 | महत्वपूर्ण कर और गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता | 370 |
| 7.30 | केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान | 371 |
| 7.31 | विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण (2009-10 से 2014-15) | 372 |
| 7.32 | कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा | 372 |
| 7.33 | बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण | 373-374 |
| 7.34 | राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण | 375 |
| 7.35 | स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व | 376 |
| 7.36 | स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 377 |
| 7.37 | संचित निधि से व्यय | 378 |
| 7.38 | सरकारी व्यय की संरचना | 379 |
| 7.39 | कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत) | 381 |
| 7.40 | व्यय की वृद्धि दरें | 382 |
| 7.41 | राजस्व व्यय का विवरण | 383 |
| 7.42 | वेतन और पेंशन व्यय | 384 |
| 7.43 | व्यय की गुणवत्ता के मापदंड | 385 |
| 7.44 | सामाजिक सेवाओं पर व्यय | 386 |
| 7.45 | आर्थिक सेवाओं पर व्यय | 388 |
| 7.46 | सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय | 389 |
| 7.47 | बजट 2013-14 और 2014-15 का सारांश | 390 |
| 7.48 | संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय | 391 |
| 7.49 | केंद्र प्रायोजित योजनाएं | 393 |
| 7.50 | राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण | 395 |
| 7.51 | सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश | 396 |
| 7.52 | क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम, 2012-13 | 397 |
| 7.53 | बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का नवीनतम लेखानुसार सारांश (31 मार्च, 2013 को) | 399-402 |

# तालिका परिशिष्ट


| परिशिष्ट | विषय सूची | पेज नं. |
|---|---|---|
| | | |
| **बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | | |
| परिशिष्ट 1.1 | उपादान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 11 |
| परिशिष्ट 1.2 | उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 12-13 |
| परिशिष्ट 1.3 | उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 14-15 |
| परिशिष्ट 1.4 | उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 16-17 |
| परिशिष्ट 1.5 | उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 18-19 |
| परिशिष्ट 1.6 | स्थिर (2004-05) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वार्षिक वृद्धि दर | 20 |
| परिशिष्ट 1.7 | 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद | 21 |
| परिशिष्ट 1.8 | पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत | 22-23 |
| परिशिष्ट 1.9 | डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत | 24 |
| **कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र** | | |
| परिशिष्ट 2.1 | विभिन्न मौसमों में बिहार के विभिन्न जिलों में वार्षिक वर्षापात | 54 |
| परिशिष्ट 2.2 | बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2011-12) | 55-56 |
| परिशिष्ट 2.3 | बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता | 57 |
| परिशिष्ट 2.4 | बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता | 58 |
| परिशिष्ट 2.5 | बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता | 59 |
| परिशिष्ट 2.6 | बिहार में दलहन का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता | 60 |
| परिशिष्ट 2.7 | बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन | 61-62 |
| परिशिष्ट 2.8 | बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन | 63-64 |
| परिशिष्ट 2.9 | बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन | 65-66 |
| परिशिष्ट 2.10 | बिहार में जिलावार सहकारी ऋण वितरण | 67 |
| परिशिष्ट 2.11 | किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिलावार उपलब्धि (संख्या) | 68 |

| | | |
|---|---|---|
| परिशिष्ट 2.12 | बिहार में पशुधन के जिलावार आंकड़े (2012) | 69 |
| परिशिष्ट 2.13 | पशुधन संबंधी सेवाओं की जिलावार उपलब्धि | 70 |
| परिशिष्ट 2.14 | बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन | 71 |
| **उद्यम क्षेत्र** | | |
| परिशिष्ट 3.1 | 2011-12 में चुनिंदा कृषि एवं गैर-कृषि आधारित उद्योगों के निर्गत के मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत) | 111 |
| परिशिष्ट 3.2 | बिहार में उद्योगों की संरचना (2005-06 और 2011-12) | 112 |
| परिशिष्ट 3.3 | 2013-14 में अतिलघु/ लघु/ मध्यम उद्यमों के उद्यमियों की कुल प्रगति | 113 |
| परिशिष्ट 3.4 | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन | 114 |
| परिशिष्ट 3.5 | बिहार की छठी आर्थिक गणना के मुख्य बिंदु (2013) | 115 |
| परिशिष्ट 3.6 | ईख की फसल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता | 116 |
| परिशिष्ट 3.7 | मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना | 117 |
| परिशिष्ट 3.8 | बिहार में उपलब्ध खनिजों के प्रकार | 118 |
| परिशिष्ट 3.9 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का योजना परिव्यय (2014-15) | 119 |
| परिशिष्ट 3.10 | बिहार राज्य में पहुंचने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के आंकड | 120 |
| **अधिसंरचना और संचार** | | |
| परिशिष्ट 4.1 | बिहार में जिलावार सड़क नेटवक | 172 |
| परिशिष्ट 4.2 | राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत राज्य उच्चपथों की जिलावार स्वीकृत लंबाई और भौतिक उपलब्धि | 173 |
| परिशिष्ट 4.3 | बिहार राज्य में वर्ष 2013-14 में निबंधित वाहनों के आंकड़े | 174 |
| परिशिष्ट 4.4 | वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना के तहत प्रस्तावित रकम | 175 |
| परिशिष्ट 4.5 | बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन | 176 |
| **सामाजिक क्षेत्र** | | |
| परिशिष्ट 5.1 | बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011) | 243 |
| परिशिष्ट 5.2 | बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011) | 244 |
| परिशिष्ट 5.3 | वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम (2012-13) | 245-247 |
| परिशिष्ट 5.4 | बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2014) | 248 |
| परिशिष्ट 5.5 | बिहार में नियमित एवं संविदा आधारित चिकित्सकों का जिलावार नियोजन | 249 |
| परिशिष्ट 5.6 | बिहार में 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| परिशिष्ट 5.7 | बिहार में एएनएम का जिलावार नियोजन | 251 |
| परिशिष्ट 5.8 | बिहार में आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन | 252 |
| परिशिष्ट 5.9 | संस्थागत प्रसवों की जिलावार संख्या | 253 |
| परिशिष्ट 5.10 | जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिलावार आच्छादन | 254 |
| परिशिष्ट 5.11 | रोगों की प्रधानता (सूचित अवधि : 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 2014) | 255-256 |
| परिशिष्ट 5.12 | स्वास्थ्य समितियों को संवितरित जिलावार धनराशि | 257 |
| परिशिष्ट 5.13 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में चापाकलों की जिलावार स्थापना | 258 |
| परिशिष्ट 5.14 | केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय | 259 |
| परिशिष्ट 5.15 | केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां (स्वच्छता संकुल, स्कूली शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय) | 260 |
| परिशिष्ट 5.16 | बिहार में लिंग आधारित जिलावार साक्षरता दरें : 2001 और 2011 | 261 |
| परिशिष्ट 5.17 | बिहार में निवास आधारित जिलावार साक्षरता दरें | 262 |
| परिशिष्ट 5.18 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (लाख में) | 263 |
| परिशिष्ट 5.19 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) | 264 |
| परिशिष्ट 5.20 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) | 265 |
| परिशिष्ट 5.21 | नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर : 2008-09 से 2012-13 | 266 |
| परिशिष्ट 5.22 | बिहार में जिलावार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय | 267 |
| परिशिष्ट 5.23 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षकों की जिलावार संख्या | 268 |
| परिशिष्ट 5.24 | मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) | 269 |
| परिशिष्ट 5.25 | मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) | 270 |
| परिशिष्ट 5.26 | बिहार में जिलावार महाविद्यालय | 271 |
| परिशिष्ट 5.27 | बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर - 2001 की जनगणना | 272 |
| परिशिष्ट 5.28 | बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर - 2001 की जनगणना | 273 |
| परिशिष्ट 5.29 | अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय अवलोकन | 274-275 |
| परिशिष्ट 5.30 | मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति | 276-277 |
| परिशिष्ट 5.31 | मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति | 278 |
| परिशिष्ट 5.32 | इंदिरा आवास योजना का अवलोकन (2013-14) | 279 |
| परिशिष्ट 5.33 | बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण | 280 |

| | | |
|---|---|---|
| परिशिष्ट 5.34 | बीपीएल परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2013-14) | 281 |
| परिशिष्ट 5.35 | अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2013-14) | 282 |
| परिशिष्ट 5.36 | बिहार में वनों का जिलावार आच्छादन | 283 |
| **बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र** | | |
| परिशिष्ट 6.1 | 31.3.2014 तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन | 321-322 |
| परिशिष्ट 6.2 | जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या) | 323 |
| **राजकीय वित्तव्यवस्था** | | |
| परिशिष्ट 7.1 | अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2012-13 और 2013-14 | 403-404 |
| परिशिष्ट 7.2 | अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 405 |
| परिशिष्ट 7.3 | दस्तावेजों की संख्या, स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्वों के जिलावार विवरण | 406 |
| परिशिष्ट 7.4 | पंचायती राज विभाग और स्थानीय नगर निकायों को धनराशि का जिलावार आबंटन | 407-409 |

# कार्यकारी सारांश

## बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

1. बिहार की अर्थव्यवस्था की हाल की विकास प्रक्रिया सशक्त और टिकाऊ रही है, और इसकी विकास दर देश के राज्यों के बीच सर्वाधिक थी। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के बीच, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत रही; 2010-11 से 2013-14 के बीच वृद्धि दर उससे भी अधिक - 10.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2004-05 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य के आधार पर 0.78 लाख करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 8,773 रु. ठहरती है। वर्ष 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.43 लाख करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 33,954 रु. होती है।

2. संपूर्ण भारत और बिहार की प्रति व्यक्ति आयों के बीच मौजूद फासले को घटाने के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था में आने वाले अनेक वर्षों तक विकास का आवेग बनाए रखना होगा। वर्ष 2009-10 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (10,635 रु.) संपूर्ण भारत के औसत (33,901 रु.) का 31.1 प्रतिशत थी। यह अनुपात 2013-14 में बढ़कर 39.2 प्रतिशत हो गया है जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय 15,650 रु. हो गई और संपूर्ण भारत की 39,904 रु.।

3. वर्ष 2005-06 से 2009-10 के बीच 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र निबंधित विनिर्माण (45.4 प्रतिशत), संचार (24.7 प्रतिशत) और निर्माण (19.8 प्रतिशत) थे। उसके बाद की अवधि, 2010-11 से 2013-14 के बीच 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र बैंकिंग और बीमा (19.2 प्रतिशत), व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (17.3 प्रतिशत) तथा संचार (16.4 प्रतिशत) थे।

4. जिस राज्य में 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां इस बात पर गौर करना सुखद है कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र की विकास दर 2010-11 से 2013-14 के बीच 3.7 प्रतिशत रही जबकि 2000-01 से 2004-05 के बीच यह दर ऋणात्मक थी।

5. विगत वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा गिरता दिखता है। इसका हिस्सा 2005-10 में 27.0 प्रतिशत था जो 2010-14 में 22.0 प्रतिशत रह गया। चूंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में गत दशक के दौरान जबर्दस्त विकास दर दर्ज हुई इसलिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका हिस्सा लगातार बढ़ता गया है। इस प्रकार 2010-14 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा इस प्रकार है : प्राथमिक क्षेत्र - 22.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र - 19.2 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र - 58.8 प्रतिशत।

6. बिहार में निम्न प्रति व्यक्ति आय की समस्या को इस तथ्य से बल मिल जाता है कि जिलों के बीच प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारी भिन्नता है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के 2011-12 से संबंधित सबसे हाल के अनुमान के अनुसार पटना (63,063 रु.), मुंगेर (22,051 रु.) और

बेगूसराय (17,587 रु.) बिहार के सर्वाधिक समृद्ध जिले हैं। दूसरी ओर, सबसे पिछड़े जिले मधेपुरा (8,609 रु.), सुपौल (8,492 रु.) और शिवहर (7,092 रु.)।

7. बिहार में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वृद्धि की दर बिहार में संपूर्ण भारत की अपेक्षा धीमी रही है। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में मूल्यवृद्धि बिहार और भारत में लगभग समान रही है। जुलाई 2014 में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिहार के लिए 730 और भारत के लिए 769 था; ग्रामीण श्रमिकों के लिए बिहार का आंकड़ा 735 और भारत का 801 था; वहीं औद्योगिक श्रमिकों के लिए बिहार का आंकड़ा 255 और भारत का 252 था।

## कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

1. मिट्टी की विविधतापूर्ण श्रेणी, गंगा की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन, खास कर भूजल संसाधन बिहार में कृषि का आधार तैयार करते हैं। बिहार में किसान अनेक प्रकार की फसलें उपजाते हैं। खाद्यान्नों के अलावा, राज्य में दलहनों, तिलहनों, रेशेदार फसलों, ईख, फलों, सब्जियों और अन्य फसलों का उत्पादन होता है। हाल में बढ़ती मांग के कारण फूलों की खेती ने भी किसानों का ध्यान आकर्षित किया है। कृषि रोडमैप ने खेतों की उत्पादकता में लगातार वृद्धि होना सुनिश्चित किया है। कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, कृषि ऋण और जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोगी सेवाओं पर बल दिया जा रहा है।

2. बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिमी है। हालांकि वर्षापात के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर रहता है। वर्ष 2001 से 2013 के बीच वार्षिक वर्षापात 2007 के 1506 मिमी (सामान्य का 147.8 प्रतिशत) से लेकर 2010 के 678 मिमी (सामान्य का 66.9 प्रतिशत) के बीच रहा है। वर्ष 2013 में 38 में से 18 जिलों में वार्षिक औसत से अधिक वर्षा हुई थी।

3. वर्ष 2009-10 में निवल बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 57.0 प्रतिशत था जो 2011-12 में थोड़ा बढ़कर 57.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, फसल सघनता भी थोड़ी बढ़कर 2009-10 के 1.37 से 2011-12 में 1.42 हो गई है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में निवल बुआई क्षेत्र का कृषि के लिहाज से समृद्ध जिलों में अधिक ऊंचा हिस्सा रहा है; जैसे - भोजपुर में 77.6 प्रतिशत, बक्सर में 82.7 प्रतिशत, सीवान में 76.4 प्रतिशत, मधेपुरा में 72.5 प्रतिशत और गोपालगंज में 72.6 प्रतिशत।

4. बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि के पक्ष में बहुत अधिक झुकी रही है क्योंकि खाद्यान्नों की खेती का क्षेत्रफल हाल के वर्षों में कमी आने के बावजूद 90 प्रतिशत से अधिक है; अकेले अनाजों का ही हिस्सा 85 प्रतिशत के आसपास है। श्री विधि और नए कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, गेहूं और मक्का के उत्पादन स्तरों में भी सकारात्मक रुझान दिखता है। अभी बिहार में 66.5 लाख टन चावल, 61.3 लाख टन गेहूं, 5.2 लाख टन दलहन, 1.6 लाख टन तिलहन और 128.8 लाख टन ईख का उत्पादन होता है।

वर्ष 2013-14 में लगभग 10.9 करोड़ की आबादी के लिए अनाजों का कुल उत्पादन 157.16 लाख टन होना अनुमानित है।

5. वर्ष 2013-14 में बिहार में सब्जियों का कुल उत्पादन 156.29 लाख टन था जबकि 2009-10 में यह 139.50 लाख टन ही था। कुल उत्पादन में आलू का हिस्सा 64.32 लाख टन, प्याज का 12.63 लाख टन, टमाटर का 10.62 लाख टन, गोभी का 11.50 लाख टन, बैंगन का 13.14 लाख टन और अन्य सब्जियों का 44.08 लाख टन था। बिहार लीची और आम के लिए देश भर में मशहूर है। बिहार में फलों की चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें आम, अमरुद, लीची और केला हैं। वर्ष 2013-14 में उनके उत्पादन थे : आम - 12.74 लाख टन, अमरुद - 2.39 लाख टन, लीची - 2.34 लाख टन और केला - 14.36 लाख टन। बिहार में फूलों का उत्पादन भी हाल में बढ़ा है जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के मामले में जबर्दस्त अवसर उपलब्ध कराने वाला है। वर्ष 2013-14 में राज्य में लगभग 99 टन गुलाब, 6799 टन गेंदा, 317 टन बेला और 536 टन ट्यूबरोज का उत्पादन हुआ।

6. कृषि रोडमैप में हाल में विकसित प्रभेदों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर बल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कुल 23 फसलों की पहचान की गई है और उनके बीजों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अभी तक सुप्त पड़े बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित, बिहार बीज प्रमाणन अभिकरण को सुदृढ़ और राजकीय फार्मों द्वारा आधारिक और प्रजनक बीजों को बहुगुणित किया गया है। हाल में मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना ने धान उत्पादन के क्षेत्र में किसानों की सहायता की है। धान, गेहूं और मक्का जैसे प्रमुख फसलों की बीज पुन:स्थापन दर हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। खास कर, स्वपरागित फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 33 प्रतिशत के वैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गई है।

7. भारत में हरित क्रांति के आरंभ के समय से ही कृषि में उर्वरकों के उपयोग ने उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2009-10 में उर्वरकों की कुल खपत 25.99 लाख टन थी जो तीन वर्षों में 19.8 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में 31.15 लाख टन हो गई। हालांकि 2013-14 में उनकी खपत घटकर 26.01 लाख टन रह गई, लेकिन यह कमी वस्तुत: चिंताजनक नहीं है क्योंकि किसान अब रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए अधिक उत्सुक हैं।

8. राज्य सरकार पावर टिलर, ट्रैक्टर, स्प्रेयर, ओसौनी मशीन, पावर वीडर और पावर थ्रसर के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में दी जा रही सब्सिडी के अलावा अपनी ओर से भी सब्सिडी दे रही है। जीरो टिलेज मशीन पर अधिक ध्यान है क्योंकि यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक उपयुक्त है। सब्सिडी की सहज उपलब्धता के कारण पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभार दिखने वाले कुछ उपकरण अब आम हो गए हैं। वर्ष 2009-10 में 4,635 पावर टिलर वितरित किए गए थे जिनकी संख्या बढ़कर 2012-13 में 6,445 हो गई।

9. जमीन में अंतर्निहित उर्वराशक्ति को बरकरार रखने के लिए जैविक कृषि के प्रोत्साहन को कृषि रोडमैप का अंग बनाया गया है। वर्ष 2013-14 में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल 149.79 करोड़ रु. खर्च किए गए। ग्राम स्तर पर वर्मी-कंपोस्ट और ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी तक किसानों को

83,574 पक्का बनी वर्मी-कंपोस्ट इकाइयां, 46,058 वर्मी-कंपोस्ट उत्पादन इकाइयां और 1004 बायोगैस इकाइयां सब्सिडी आधारित दर पर उपलब्ध कराई गई हैं। बीज बुआई से लेकर खड़ी फसल के स्तर तक कीड़ों, पीड़कों और रोगों के नियंत्रण हेतु समेकित कीट नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

10. बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरणों जैसी भौतिक लागत सामग्रियों के अलावा कृषिकार्य समुचित ऋण सहयोग के बिना भी प्रगति नहीं कर सकता है। ऋण सहयोग इसलिए नितांत अपरिहार्य बन जाता है कि आधुनिक लागत सामग्रियां बाजार से सही समय पर खरीदनी होती हैं। हालांकि मुद्रास्फीति की दर और हाल के आधुनिक कृषिकार्यों से उत्पन्न मांग के परिमाण को देखते हुए ऋण की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2013-14 में कृषि ऋण में तीन भिन्न स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था : व्यावसायिक बैंक - 61.8 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 37.1 प्रतिशत और केंद्रीय सहकारी बैंक - 1.1 प्रतिशत। दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक बैंक बिहार में कृषि ऋण के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

11. पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र है जो कुल ग्रामीण आय में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है और समाज के सीमांत तबकों की महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। दूध इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2007-08 के 56.67 लाख टन से बढ़कर 2013-14 में 71.97 लाख टन हो गया। हालांकि इस अवधि में अंडों का उत्पादन 106.80 करोड़ से घटकर 93.08 करोड़ रह गया। वर्ष 2013-14 में 3.12 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

12. बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत भाग जलक्षेत्र है। वर्ष 2004-05 में राज्य में मछली का उत्पादन 2.67 लाख टन था। उसके बाद से उत्पादन लगातार बढ़ा और 2013-14 में 4.32 लाख टन हो गया। उसी वर्ष राज्य में 4812.85 लाख मत्स्यबीजों का भी उत्पादन हुआ।

**उद्यमिता क्षेत्र**

1. वर्ष 2013-14 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.4 प्रतिशत था जो 2012-13 के 18.1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक लेकिन 2011-12 में हासिल 19.9 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2013-14 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि द्वितीयक क्षेत्र में 11.57 प्रतिशत की। हालांकि खनन/ प्रस्तर खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 2013-14 में भी ऋणात्मक रही।

2. वर्ष 2005-06 में देश के कृषि आधारित उद्योगों में बिहार का हिस्सा 0.76 प्रतिशत था जो बढ़कर 2011-13 में 1.36 प्रतिशत हो गया। गैर-कृषि आधार वाले उद्योगों भी बिहार का हिस्सा थोड़ा बढ़ा और 2005-06 के 1.32 प्रतिशत से 2011-12 में 1.85 प्रतिशत हो गया। सकल उत्पाद मूल्य (जीवीओ) के प्रतिशत के बतौर सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के हिस्से में 2005-06 से 2011-12 के बीच संपूर्ण भारत के स्तर पर और अधिकांश राज्यों में गिरावट आई लेकिन बिहार में यह 2005-06 के 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 10.3 प्रतिशत हो गया। छः वर्षों की अवधि में सकल

मूल्यवर्धन में ढाईगुनी वृद्धि के बावजूद, सकल उत्पाद मूल्य के प्रतिशत के बतौर सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा अभी भी बिहार में सबसे कम है।

3. बिहार में 2006-07 तक कुल 1.63 लाख निबंधित मध्यम, लघु एवं अतिलघु उद्यम थे। हालांकि 2007-08 में हुए 7202 इकाइयों के निबंधन की तुलना में 2013-14 में मात्र 3133 इकाइयों का निबंधन हुआ और 2013-14 के अंत में इस क्षेत्र में कुल इकाइयों की संख्या बढ़कर 1.98 लाख हो गई। इसका अर्थ हुआ कि सात वर्षों में मात्र 21.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। नई निबंधित इकाइयों के कुल निवेश में 20.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। उल्लेखनीय है कि मध्यम, लघु एवं अतिलघु उद्यम क्षेत्र की 99 प्रतिशत इकाइयां अतिलघु क्षेत्र की हैं लेकिन इसके बावजूद, प्रति इकाई निवेश 2007-08 के 1.87 लाख रु. से बढ़कर 2013-14 में 10.07 लाख रु. हो गया।

4. वर्ष 2013-14 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 3645 इकाइयों को कुल 82.80 करोड़ रु. की मार्जिन मनी स्वीकृत की गई। हालांकि 3093 इकाइयों (85 प्रतिशत) के बीच कुल 76.76 करोड़ रु. ही वितरित हुए जिनसे 19.9 हजार लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 में लाभार्थियों की संख्या और वितरित मार्जिन मनी की रकम 2011-12 और 2012-13 की अपेक्षा कम थी।

5. राज्य के 28 पुराने चीनी मिलों में मात्र 9 कार्यशील हैं जो सभी के सभी निजी क्षेत्र के हैं। बिहार चीनी निगम के दो चीनी मिलों को 2011 में लीज पर एचपीसीएल को सौंप दिया गया था। वर्ष 2013-14 के पेराई मौसम में कार्यशील चीनी मिलों द्वारा कुल 664.00 लाख टन ईख की पेराई हुई। मिल वर्ष में औसतन 127 दिन चालू रहे। 8.96 प्रतिशत चीनी प्राप्ति की दर से कुल 59.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ।

6. कॉम्फेड द्वारा दूध के दैनिक संग्रहण में लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 2007-08 के 4.79 लाख किलोग्राम की तुलना में तीनगुना बढ़कर यह 2013-14 में 14.94 लाख किलोग्राम हो गया। वर्ष 2014-15 में (सितंबर 2014 तक) होने वाला कुल दैनिक संग्रहण 2013-14 की अपेक्षा लगभग 3 प्रतिशत अधिक था। जहां तक प्रति कार्यशील दुग्ध सहकारी समिति दूध की दैनिक खरीद की बात है, तो यह 2012-13 के 118 हजार लीटर से बढ़कर 2013-14 में लगभग 142 हजार लीटर पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में दुग्ध संघों में औसत दूध का औसत दैनिक संग्रहण सबसे अधिक बरौनी में (230 हजार लीटर) था और सबसे कम मगध में (40 हजार लीटर)।

7. राज्य में 1089 प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां हैं जिनके तहत लगभग 34 हजार हथकरघे चल रहे हैं। दो शीर्ष विपणन संगठन हैं - बिहार राज्य हथकरघा सहकारी समिति, पटना और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, पटना। राज्य में 11,000 पावरलूम हैं जो मुख्यत: भागलपुर, गया और बांका जिलों में संकेंद्रित हैं। नाथनगर (भागलपुर) में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां हर वर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

8. सितंबर 2014 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 1891 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं जिनमें 2.88 लाख करोड़ रु. निवेश और 2.17 लाख लोगों के लिए रोजगार संभावित है। कुल स्वीकृत प्रस्तावों में से बड़ा हिस्सा (60 प्रतिशत) खाद्य प्रसंस्करण के लिए है जबकि विद्युत संयंत्रों का हिस्सा लगभग 6 प्रतिशत है; लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा तकनीकी संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों की स्थापना के प्रस्तावों का है।

9. समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हुए बिहार में पर्यटन की भारी संभावना है। राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य में 7 पर्यटन परिपथों की पहचान की है। हाल के वर्षों में बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। सिर्फ 2013 में थोड़ी कमी आई थी।

## अधिसंरचना एवं संचार

1. सितंबर 2014 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2.26 लाख किमी थी जो गत वर्ष की कुल लंबाई से 45.75 हजार किमी अधिक थी। राज्य में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई में 120 किमी वृद्धि हुई जबकि राज्य उच्चपथों की लंबाई में 94 किमी कमी आई जो बताती है कि वर्ष के दौरान उतना राज्य उच्चपथ राष्ट्रीय उच्चपथ में उत्क्रमित हो गया है। मुख्य जिला पथों की लंबाई गत वर्ष से लगभग 8 प्रतिशत बढ़ी है जबकि ग्रामीण पथों की लंबाई लगभग 28 प्रतिशत बढ़ी है।

2. बिहार के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय उच्चपथों का रणनीतिक महत्व है क्योंकि वे राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ते हैं। सितंबर 2014 तक राज्य में राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई 4321 किमी थी। राष्ट्रीय उच्चपथों में विभिन्न चौड़ाई वाली श्रेणियों का हिस्सा 2013 और 2014 में लगभग समान रहा। राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई में एक लेन और मध्यवर्ती लेन सड़कों का हिस्सा लगभग 35 प्रतिशत था।

3. सितंबर 2014 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4389.20 किमी थी। लगभग 64 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो लेन वाले, 20 प्रतिशत एक लेन वाले और 15 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले थे। दो से अधिक लेन अर्थात 7 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले राज्य उच्चपथ मात्र 1 प्रतिशत थे।

4. सितंबर 2014 तक राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 10,128 किमी थी जिसका बड़ा हिस्सा (51 प्रतिशत) 3.05 मी. से 3.50 मी. चौड़ा था। राज्य सरकार 5175 किमी मुख्य जिला पथों को न्यूनतम 5.50 मी. चौड़ाई वाले मध्यवर्ती लेन के स्तर में उत्क्रमित करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, जिन सड़कों को मध्यवर्ती लेन में नहीं बदला जाएगा उनकी सतह नई की जाएगी या उनकी मरम्मत की जाएगी।

5. सितंबर 2013 में ग्रामीण पथों की कुल लंबाई 1.62 लाख किमी थी जो लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2014 में 2.07 लाख किमी हो गई। ग्रामीण पथों का अच्छा-खासा हिस्सा अभी भी कच्चा है और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत क्रमशः पक्की सड़कों में बदला जा रहा है। सितंबर 2014 तक

कुल 45 हजार किमी के लगभग ग्रामीण पथों को उत्क्रमित किया जा सका था – 33 प्रतिशत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत और 67 प्रतिशत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत।

6. वर्ष 2005 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के तहत व्यय में साझेदारी के आधार पर 22 रेल क्रॉसिंग पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण हाथ में लिया गया था। इनमें से 14 सड़क उपरिपुलों पर काम शुरू किया गया था जिनमें से 10 पूरे हो चुके हैं और शेष 4 का काम प्रगति पर है। इसके अलावा, मुख्य जिला पथों पर 8 सड़क उपरिपुलों और उनके संपर्कपथों का काम पूरा हो गया है और रेलवे क्रॉसिंग पर 11 नए सड़क उपरिपुलों का काम भी प्रगति पर है।

7. निबंधित वाहनों की संख्या 2008-09 के 2.20 लाख से बढ़कर 2013-14 में 5.54 लाख हो गई। वर्ष 2014-15 के पहले छ: महीनों में (अप्रील से सितंबर तक) लगभग 2.96 लाख नए वाहनों का निबंधन हुआ है। इस अवधि में सभी श्रेणियों के वाहनों में ट्रकों और टैक्सियों की संख्या में तीनगुनी वृद्धि दर्ज हुई जबकि ऑटो-रिक्शों की संख्या में उससे भी अधिक, चारगुनी वृद्धि हुई।

8. हाल के वर्षों में बिहार में दूरसंचार क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में टेलिफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 10 प्रतिशत बढ़कर 603.62 लाख हो गई जिनमें निजी संचालकों का हिस्सा बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गया। राज्य में भारत संचार निगम के कुल कनेक्शनों में मोबाइल का 87 प्रतिशत, लैंडलाइन का 8 प्रतिशत और डब्ल्यूएलएल का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि निजी संचालकों के लगभग 100 प्रतिशत कनेक्शन मोबाइल फोनों के थे।

9. बिहार परिक्षेत्र में मार्च 2014 में 9030 डाकघर थे। इनमें लगभग 90 प्रतिशत शाखा डाकघर थे जो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा संचालित हैं। शेष 10 प्रतिशत डाकघर विभागीय कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं। राज्य में 6 रात्रिकालीन डाकघर भी हैं।

10. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें हैं। उन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएफआइडी-स्पर की सहायता से राज्य के 28 महत्वपूर्ण शहरों का मलिनबस्ती सर्वेक्षण करवाया गया था और 1402 चुनिंदा शहरी मलिनबस्तियों में बुनियादी अधिसंरचना के विकास के लिए 401.74 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

11. राज्य में चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हे. अनुमानित है। इनमें भूतल और भूजल, दोनो स्रोतों के उपयोग वाली वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। जहां वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं की चरम क्षमता 53.53 लाख हे. है, वहीं लघु सिंचाई की क्षमता 64.01 लाख हे. है। अगर इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय तो इससे राज्य के पूरे कृष्य क्षेत्र का आच्छादन हो सकता है।

12. बिजली जीवन के सारे पक्षों के लिए आवश्यक हो गई है और इसे बुनियादी मानवीय आवश्यकता के बतौर माना गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, हालांकि यह विकास बिजली की कमी की स्थिति में टिकाऊ नहीं हो सकता है। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत मात्र 144

किलोवाट-आवर है जो संपूर्ण भारत के औसत (927 किलोवाट-आवर) से काफी कम है। बिहार में विद्युत समस्या की तीव्रता को मांग के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। राज्य में बिजली की कमी का स्तर नीचे लाया गया है लेकिन यह 2013-14 में 22 प्रतिशत और 2014-15 में 19 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 में बिजली की उपलब्धता चरम अवधि में 2335 मेगावाट थी जो सितंबर 2014 में बढ़कर 2829 मेगावाट हो गई। वर्ष 2013-14 में अपना उत्पादन चरम मांग का मात्र 3.1 प्रतिशत था।

**सामाजिक क्षेत्र**

1. वर्ष 2013-17 के लिए मानव विकास मिशन गंभीर फासलों की पहचान करने, प्राथमिकताएं तय करने और मानव विकास में प्रगति पर नजर रखने में मददगार कुल अनुश्रवणीय सूचकों का चुनाव करने के लिए बनी राज्य सरकार की एक नवाचारी योजना है। ये अनुश्रवणीय सूचक इतने सरल होंगे कि इन्हें ग्राम पंचायत या यहां तक कि गांव जैसे न्यूनतम संभव स्तर पर भी मापा जा सकेगा।

2. बिहार की तीन जनसांख्यिक विशेषताएं अन्य राज्यों से काफी भिन्न हैं - जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण का स्तर। बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (25.1 प्रतिशत) संपूर्ण भारत (17.6 प्रतिशत) की अपेक्षा काफी अधिक है जो जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति सूचित करती है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का जनसंख्या घनत्व देश के सभी बड़े राज्यों के बीच सर्वाधिक है और जनसंख्या का दबाव राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं, बिहार में शहरीकरण अनुपात मात्र 11.3 प्रतिशत है जो इसे देश का सबसे ग्रामीणीकृत राज्य बना देता है।

3. इस पर गौर करना दिलचस्प है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूलता-ग्रस्त राज्य होने के बावजूद, बिहार में शिशु मृत्यु दर संपूर्ण भारत के औसत के काफी नजदीक है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में शिशु मृत्यु दर में सुधार बिहार में संपूर्ण भारत की अपेक्षा अधिक तेज रहा है। वर्ष 2012-13 में बिहार में शिशु मत्यु दर इस प्रकार थी : पुरुष - 40, महिला - 43 और समग्र - 42; वहीं संपूर्ण भारत के लिए ये आंकड़े पुरुष - 39, महिला - 42 और समग्र - 40 थे।

4. राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। प्रति माह सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या 2007 में 3077 थी जो 2013 में बढ़कर 11,464 हो गई। रोगियों के आगमन में यह लगभग चौगुनी वृद्धि बेहतर अधिसंरचना, बेहतर सेवाओं और समुचित अनुश्रवण का परिणाम है।

5. बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या 2007-08 से 2013-14 के बीच असाधारण रूप से बढ़ी है। वर्ष 2008-09 में संस्थागत प्रसवों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। उसके बाद से इसमें दरमियानी रुझान रहा है। वर्ष 2013-14 में संस्थागत प्रसवों की संख्या 16.5 लाख थी जो 2012-13 की अपेक्षा 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

6. बच्चों के प्रतिरक्षण का आच्छादन स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य घटक है। बिहार में टीटी (टिटेनस रोधी) के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण (143 प्रतिशत) का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अन्य घटकों के मामले में बिहार को अभी भी पूर्ण प्रतिरक्षण के स्तर तक पहुंचना है लेकिन आच्छादन में वर्तमान सकारात्मक रुझान को देखते हुए, राज्य के पूर्ण प्रतिरक्षण के स्तर तक निकट भविष्य में ही पहुंच जाने की आशा है।

7. समेकित बाल विकास योजना 0 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए समेकित स्वास्थ्य सेवा प्रदान की एक समग्रतापूर्ण योजना है। अभी बिहार के सभी 38 जिलों के सारे प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना की कुल 544 परियोजनाएं कार्यशील हैं। उन परियोजनाओं के तहत कुल 91,677 आंगवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में थोड़ी कमी आई है।

8. वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के तहत कुल 34.3 हजार चापाकल लगाए गए। उसी वर्ष व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों, स्वच्छता संकुलों, स्कूली शौचालयों और आंगनवाड़ी शौचालयों की संख्या भी बढ़ी। खुले में शौच पर नियंत्रण के लिहाज से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को निर्मल भारत अभियान के साथ जोड़ दिया गया है।

9. राज्य में 2001 (47.0 प्रतिशत) और 2011 (61.8 प्रतिशत) के बीच 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ साक्षरता दर में सराहनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि दर बिहार में 1961 से हुई दशकीय वृद्धि दरों में ही सर्वाधिक नहीं है, 2001 से 2011 के बीच सभी राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। बिहार में 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता 71.2 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता 51.5 प्रतिशत जिससे 19.7 प्रतिशत अंकों की लैंगिक असमानता दर्ज हुई।

10. वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 154.51 लाख था और 2007-08 में 146.3 लाख जिसका अर्थ हुआ कि इस इस अवधि में नामांकन 2.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी विगत चार वर्षों के दौरान नामांकन में वृद्धि का रुझान दिखा है। इस स्तर पर कुल नामांकन 2007-08 में 30.34 लाख था और 2012-13 में 60.36 लाख जो इस अवधि में 14.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। समग्रत:, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 5.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 176.64 लाख से 2012-13 में 214.87 लाख हो गया। इस अवधि में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर बढ़ा है।

11. हाल के वर्षों में शिक्षा के सभी स्तरों पर छीजन दरों में लगातार गिरावट आती गई है। प्राथमिक स्तर पर 2006-07 से 2012-13 के बीच छीजन दर में 14.4 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज हुई। इस अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर यह कमी 15.1 प्रतिशत अंकों की थी। यह दर्शाता है कि दोनो स्तरों पर छीजन दरों में तेजी से कमी आ रही है जो सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि को भी दर्शाती है। इस

पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि शिक्षा के दोनो स्तरों पर छात्राओं के मामले में छीजन दरें छात्रों की अपेक्षा कम थीं।

12. वर्ष 2008-09 में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन 58.2 प्रतिशत था जो 2013-14 में बढ़कर 67.0 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, 2008-09 में उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 67.0 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, हाल के वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन दोनो स्तरों पर बढ़ा है, हालांकि हस्तक्षेप के कुछ वर्षों में आच्छादन में कमी आई थी।

13. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्रे में अभी 22 विश्वविद्यालय कार्यशील हैं जिनमें से 21 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और 1 मुक्त विश्वविद्यालय। वर्ष 2013 में 278 राजकीय महाविद्यालय और 387 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। संभावित स्कूल शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण देना उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। इस समय राज्य में 35 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं। सामान्य शिक्षा संस्थानों की तुलना में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या राज्य में सीमित है और अभियंत्रण तथा तकनीकी शिक्षा के मात्र 10 महाविद्यालय मौजूद हैं।

14. वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 18,779 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। उसी वर्ष मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत 35 हजार विद्यार्थियों के बीच छात्रवृत्ति के बतौर कुल 35.00 करोड़ रु. वितरित किए गए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले 29,498 अल्पसंख्यक विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

15. फरवरी 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के लागू होने के बाद जन वितरण प्रणाली का संचालन दो योजनाओं के तहत किया जाता है : (1) अंत्योदय - अत्यंत गरीब बीपीएल परिवारों को 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से 21 किग्रा चावल और 2 रु. प्रति किग्रा की दर से 14 किग्रा गेहूं उपलब्ध कराने के लिए और (2) विशेषाधिकार परिवार (पीएचएच) - किसी परिवार के पात्र सदस्यों को हर महीने 5 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिसमें 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से 3 किग्रा चावल और 2 रु. प्रति किग्रा की दर से 2 किग्रा गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। इनके तहत कुल 4.60 लाख टन खाद्यान्न के जरिए 871.00 लाख लोग आच्छादित हैं।

16. राज्य द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत जिला और राज्य स्तर पर नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेले आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के जरिए 2013-14 में 50,164 और 2014-15 में (सितंबर 2014 तक) 31,726 लोगों को रोजगार प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से कई पहलकदमियां ली हैं। विदेश में रोजगार में रुचि रखने वाले बेरोजगार युवा-युवतियों की मदद के लिए पारदेशीय नियोजन ब्यूरो स्थापित किया गया है। हर नियोजन कार्यालय का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है और वहां ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

17. राज्य में 38 जिला परिषद, 531 पंचायत समितियां, और 8398 ग्राम पंचायतें हैं। राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत, सभी पंचायतों को एक-एक लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और एक-एक पंचायत सहायक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, 10 ग्राम पंचायतों के हर संकुल पर एक कनीय अभियंता उपलब्ध कराया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, अनुक्रियाशील और उत्तरदायी बनाने के मकसद से राज्य सरकार ने ई-पंचायत हेतु मिशन मोड परियोजना शुरू की है।

18. गृहस्थल योजना के तहत, 2013-14 में विभिन्न जिलों को कुल 180 लाख रु. आबंटित किए गए हैं और 978 परिवारों को कुल 40.6 एकड़ जमीन देकर लाभान्वित किया गया है। इसी अवधि में बासगीत पर्चों के जरिए 21,075 हजार लाभार्थियों के बीच 684.8 एकड़ जमीन वितरित की गई है।

19. आपदा प्रबंधन के संबंध में पटना जिले के दियारा क्षेत्रों के 21 पंचायतों में से हर पंचायत से 50 व्यक्तियों को चुनकर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के जरिए कुल 1050 व्यक्तियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है।

20. बीस-सूत्री योजना के तहत 145 प्रतिशत उपलब्धि दर दर्शाते हुए 148.20 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य के बरअक्स 214.79 लाख पौधे लगाए गए हैं। शीशम के पेड़ों के सूखने की समस्या पर काबू पाने के लिए देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान द्वारा शीशम की रोगरोधी प्रजाति विकसित की गई है। राज्य में वृक्षारोपण के लिए राज्य सरकार ने ऐसे 25,000 पौधे देहरादून से मंगाए हैं।

## बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र

1. बैंकिंग संबंधी परिसंपत्तियों में 90 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से के साथ अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर बर्चस्व है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बाजार में 67 प्रतिशत हिस्सा है और निजी क्षेत्र के बैंकों का मात्र 19 प्रतिशत। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेश में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में।

2. वर्ष 2013-14 में, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की अप्रत्याशित रूप से 638 शाखाएं खोली गई - 325 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 213 शाखाएं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 100 शाखाएं शहरी क्षेत्रों में। वर्ष 2013-14 में बैंक प्रसार की विकास दर 12 प्रतिशत थी जो विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक है।

3. राजकीय सहकारी बैंकों में सिकुड़ाव हुआ है और उनकी संख्या 16 से घटकर 12 रह गई है। हालांकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का प्रसार हुआ है और उनकी संख्या 2012 के 279 से बढ़कर 2013 में 311 हो गई। वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में 10 प्रतिशत की, कुल जमा राशि में 2730 करोड़ रु. (17 प्रतिशत) की और कुल ऋण में 2178 करोड़ रु. (27.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

4. अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2011-12 के 2.29 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2012-13 में 2.34 प्रतिशत हो गया और इस अवधि में ऋण में हिस्सा भी 0.86 प्रतिशत से बढ़कर 0.90 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, देश के कुल बैंक ऋणों में बिहार का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है।

5. मार्च 2014 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 1,83,458 करोड़ रु. था और उनके द्वारा दिया गया कुल ऋण 85,334 करोड़ रु.। इससे ऋण-जमा अनुपात 46.51 प्रतिशत हुआ जो 2008-09 के 28.96 प्रतिशत से काफी अधिक है। रकम के रूप में, निम्न ऋण-जमा अनुपात का अर्थ हुआ कि अगर राज्य के लगभग 47 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात को 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाय तो राज्य में लगभग 57,700 करोड़ रु. निवेश बढ़ जाएगा। यह राशि राज्य की 2013-14 की वार्षिक योजना के कुल योजना परिव्यय (34,000 करोड़ रु.) से भी अधिक है और इससे आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित आवेग प्राप्त हो सकता है। यह राज्य के औद्योगिक विकास की राह में स्वाभाविक रूप से एक गंभीर व्यवधान है। साथ ही, इससे पहले से ही प्रतिकूलता-ग्रस्त राज्य से पूंजी के पलायन का भी पता चलता है।

6. सितंबर 2014 में, ऋण-जमा अनुपात 38 में से मात्र 3 जिलों (भोजपुर, मुंगेर और सीवान) में 30 प्रतिशत से नीचे था जबकि गत वर्ष ऐसे जिलों की संख्या 7 थी। 15 जिलों (अररिया, बांका, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण) में यह अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर था।

7. वर्ष 2013-14 में राज्य में दिए जाने वाले कुल अग्रिमों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों का हिस्सा 70.1 प्रतिशत था। कुल अग्रिमों में से 50.5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में दिया गया था और 10.9 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्योगों को। बिहार में उद्योगों को कम ऋण मिलना निस्संदेह चिंता की बात है। वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 2013-14 में 92.0 प्रतिशत थी जबकि 2012-13 में 86.6 प्रतिशत ही थी। वर्ष 2013-14 में किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में समग्र उपलब्धि 71.6 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पूर्व के 82.7 प्रतिशत से कम है।

8. बिहार में मौजूद कुल 8463 पैक्स में से 3962 घाटे में चल रहे हैं और उनका कुल घाटा 94 लाख रु. था। वहीं, 1180 पैक्स लाभ में थे और उनका कुल लाभ 6.04 करोड़ रु. था। सारे पैक्स के पास कुल जमा राशि मात्र 175 करोड़ रु. थी जबकि उनके द्वारा कुल ऋणग्रहण 501 करोड़ रु. था।

9. ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (RIDF) द्वारा कुल संवितरण 5290 करोड़ रु. था जो कुल स्वीकृति (8790 करोड़ रु.) का मात्र 60.2 प्रतिशत है। बिहार कुल संवितरित धनराशि के 70.0 प्रतिशत भाग का ही उपयोग कर पाया था इसलिए ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के जरिए बिहार में होने वाली वास्तविक संसाधन सहायता अपेक्षाकृत सीमित थी।

10. मार्च 2014 में ग्रामीण बिहार में 32.4 लाख परिवार बचत-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के आच्छादन के अंतर्गत थे। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 6127 रु. की बचत राष्ट्रीय औसत (13,321 रु.) से काफी कम थी। प्रति स्वयं सहायता समूह औसत ऋण राज्य में 70 हजार रु. था जो 1.75 लाख रु. के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

**राजकीय वित्तव्यवस्था**

1. वर्ष 2013-14 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 8351 करोड़ रु. पहुंच गया जो गत वर्ष से 1806 करोड़ रु. अधिक है। लेकिन यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा तय 3 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है।

2. राजस्व अधिशेष लगातार बढ़ता गया है और 2013-14 में यह 1300 करोड़ रु. से भी अधिक बढ़कर 6442 करोड़ रु. हो गया। हालांकि पूंजीनिवेश में काफी (4400 करोड़ रु. से भी अधिक) वृद्धि के कारण सकल राजस्व घाटा लगभग 1800 करोड़ रु. बढ़ा और 8349 करोड़ रु. पहुंच गया।

3. मुख्यत: कर राजस्व में वृद्धि (6637 करोड़ रु.) के कारण राजस्व प्राप्ति 9,352 करोड़ रु. बढ़ गई। कर राजस्व के व्यापक शीर्ष के अंतर्गत 44 प्रतिशत वृद्धि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ने के कारण हुई और 56 प्रतिशत वृद्धि राज्य का अपना राजस्व बढ़ने के कारण।

4. राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 25 प्रतिशत की उच्च वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 8090 करोड़ रु. से 2013-14 में 19,961 करोड़ रु. हो गया। हालांकि गैर-कर राजस्व में इस दौरान मुश्किल से ही कोई वृद्धि दिखी; यह 2009-10 में 1670 करोड़ रु. था और 2013-14 में 1545 करोड़ रु.।

5. वर्ष 2009-10 से लेकर 2013-14 तक के पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा 17.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि केंद्रीय अनुदानों में मात्र 13.6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज हुई।

6. वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय लगभग दूना होकर 20,274 करोड़ रु. से 40,455 करोड़ रु. हो गया जबकि गैर-विकासमूलक राजस्व कुछ धीमी दर से बढ़ा और 12,202 करोड़ रु. से 22,018 करोड़ रु. तक पहुंचा जिसका बड़ा हिस्सा पेंशन और ब्याज भुगतानों के कारण था। वर्ष 2013-14 के कुल पूंजीगत परिव्यय 14,001 करोड़ रु. में से 10,811 करोड़ रु. का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया जिसका 40 प्रतिशत (4090 करोड़ रु.) परिवहन अधिसंरचना निर्माण हेतु सड़कों और पुलों पर किया गया।

7. वर्ष 2013-14 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.4-गुना था जितना 2012-13 में भी था। वर्ष 2013-14 में कुल योजना व्यय 33,677 करोड़ रु. और कुल गैर-योजना व्यय 46,728 करोड़ रु. था।

8. वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय 2012-13 से 8011 करोड़ रु. बढ़ा जिसमें सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 3288 करोड़ रु. (41 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं का 1350 करोड़ रु. (17 प्रतिशत) और सामान्य सेवाओं का 3373 करोड़ रु. (42 प्रतिशत) था।

9. वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार का वेतन भुगतान 14,036 करोड़ रु. था। राज्य सरकार की पेंशन संबंधी देनदारी विगत वर्षों के दौरान बढ़ती रही है और 2009-10 के 4319 करोड़ रु. से 2013-14 में 9482 करोड़ रु. पहुंच गई। वर्ष 2014-15 में कुल ब्याज भुगतान का 11,666 करोड़ रु. से भी अधिक हो जाना अनुमानित है।

10. बिहार में अपना कर और सकल राजस्व घरेलू राजस्व का अनुपात विगत कुछ वर्षों के दौरान 5 प्रतिशत के आसपास था जो अन्य राज्यों से काफी कम है। वर्ष 2009-10 से लेकर 2013-14 तक के पांच वर्षों के दौरान यह 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपनी कर राजस्व की प्राप्ति बढ़ाने की अभी भी काफी संभावना मौजूद है।

11. वर्ष 2013-14 में, राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण बढ़कर 64,262 करोड़ रु. हो गया लेकिन ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात काफी घटकर 18.7 प्रतिशत रह गया जो 28 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है। ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का अनुपात 2013-14 में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 15 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से काफी नीचे है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि ऋण समस्या पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में है।

12. वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के कुल अपने राजस्व में अकेले बिक्री कर का 42 प्रतिशत हिस्सा था जिसके बाद माल एवं यात्री कर का 22 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क का 16 प्रतिशत, स्टांप एवं निबंधन शुल्कों का 14 प्रतिशत और वाहन करों का 4 प्रतिशत हिस्सा था।

13. वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय अच्छा-खासा था क्योंकि यह 1332 रु. से बढ़कर 3919 रु. हो गया। इसी प्रकार, इस अवधि में आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय भी 716 रु. से बढ़कर 1796 रु. हो गया और पूंजीगत परिव्यय 741 रु. से बढ़कर 1900 रु.।

14. मार्च 2013 तक कुल निवेश में से 7593 करोड़ रु. (इक्विटी के बतौर 3562 करोड़ रु. और दीर्घकालिक ऋण के बतौर 4216 करोड़ रु.) का निवेश कार्यशील कंपनियों और वैधानिक निगमों में किया गया। अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में 729 करोड़ रु. (इक्विटी के बतौर 181 करोड़ रु. और दीर्घकालिक ऋण के बतौर 548 करोड़ रु.) अर्थात 8.8 प्रतिशत का ही निवेश किया गया।

# अध्याय 1

# बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने से संबंधित सरकारी प्रयासों के बावजूद पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का विकास 2013-14 में धीमा रहा। धीमे विकास और बड़े पैमाने की बेरोजगारी के कारण परिदृश्य अपेक्षाकृत धुंधला बना रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में भी विकास धीमा दिखा जो अंशतः प्रतिकूल बाहरी स्थितियों के कारण था जिसे आंतरिक अवरोधों ने बल प्रदान किया। औद्योगिक विकास दर सहित संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे बनी रही। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर 5 प्रतिशत से नीचे थी जबकि औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 1 प्रतिशत से भी कम थी। इस पृष्ठभूमि में, हाल के वर्षों में अपने विकास का आवेग बनाए रखने में सफल रही राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उल्लेखनीय था। वर्ष 2013-14 में स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर 9.92 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी अधिक है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हाल के दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हुआ है। वर्ष 2000-2005 के दौरान स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का विकास 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ था। यह अवधि नवंबर 2000 में हुए राज्य के विभाजन के तत्काल बाद की अवधि थी। हालांकि उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में कायापलट होता दिखा और उसके फलस्वरूप बाद के वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से भी अधिक रही। दूसरे शब्दों में, बिहार की अर्थव्यवस्था की हाल की विकास प्रक्रिया सशक्त ही नहीं बल्कि सुस्थिर भी रही है। इस अवधि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में भी प्रचुर वृद्धि हुई। वार्षिक योजना का औसत आकार दसवीं योजना अवधि (2002-07) के मात्र 4,200 करोड़ रु. से बढ़कर ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) में 16,700 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया। बढ़े सार्वजनिक निवेश के अलावा विकास के पैटर्न में भी भारी परिवर्तन हुआ जिसमें अधिसंरचनात्मक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सेवाप्रदान व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है।

बिहार का आर्थिक विकास जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनकी उचित समझ के लिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 2011 में 10.40 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार अत्यंत सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है जिसके हर वर्ग किमी क्षेत्र में औसतन 1,106 से कम लोग नहीं रहते हैं। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में इसकी 33.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। लगभग 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जहां गरीबी अनुपात और भी अधिक - 34.1 प्रतिशत - है। नए विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए राज्य को इन सारी चुनौतियों से पार पाना होगा। बिहार गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है जहां उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं। राज्य का विभाजन होने से राज्य के खनिज-बहुल क्षेत्र और अन्य बड़े उद्योग झारखंड में चले गए। वर्तमान बिहार को कृषि का ही सहारा रह गया। लेकिन

विवेकपूर्ण विकास रणनीति के जरिए राज्य ने इन चुनौतियों से पार पा लिया। राज्य अब ऐसी विकास प्रक्रिया का साक्षात्कार कर रहा है जो काफी मजबूत ही नहीं, समावेशी भी है।

वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इसके विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को विस्तार से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। क्षेत्रगत विश्लेषण में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रयासों और संबंधित उपलब्धियों को प्रमुखता से सामने लाया जाएगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था अपने विकास का आवेग बरकरार रखने के मामले में अभी भी जिन अवरोधों का सामना कर रही है, इसमें उन्हें भी रेखांकित किया जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था पर अवलोकन के इस आरंभिक अध्याय के अतिरिक्त सर्वेक्षण में छः और अध्याय शामिल हैं - कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, अधिसंरचना एवं संचार, सामाजिक क्षेत्र, बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र, तथा राजकीय वित्तव्यवस्था।

## 1.1 राज्य घरेलू उत्पाद

बिहार के राज्य घरेलू उत्पाद (स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी), दोनो के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। दोनों ही अनुमान वर्तमान मूल्य पर अलग तैयार किए जाते हैं और स्थिर मूल्य पर अलग। तालिका प 1.1 (परिशिष्ट) में 2004-05 से लेकर 2013-14 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रस्तुत हैं। तालिका प 1.2 (परिशिष्ट) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2004-05 से लेकर 2013-14 तक के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका प 1.3 (परिशिष्ट) में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। इसी प्रकार, तालिका प 1.4 (परिशिष्ट) में निवल राज्य घरेलू उत्पाद के उसी अवधि के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका प 1.5 (परिशिष्ट) में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। यहां गौरतलब है कि 2011-12 तक के आंकड़े अंतिम अनुमान (फाइनल एस्टिमेट) हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 के आंकड़े अंतिम (फाइनल) अनुमान हैं, 2012-13 के आंकड़े अनंतिम (प्रोविजनल) अनुमान और 2013-14 के आंकड़े त्वरित (क्विक) अनुमान। वर्ष 2013-14 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 के स्थिर मूल्य पर 1.75 लाख करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 17,294 रु. थी। वर्तमान मूल्य पर 2013-14 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.43 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति आय 33,954 रु. ठहरती है।

वर्ष 2000-01 से 2013-14 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर एक जैसी नहीं रही है। वर्ष 2000-01 से 2004-05 के बीच स्थिर मूल्य पर राज्य की आय 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में कायापलट दिखा और 2005-06 से 2009-10 के बीच अर्थव्यवस्था 10.2 प्रतिशत की और 2010-11 से 2013-14 के बीच 10.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। बाद की अवधि में हासिल विकास दरें पहले हासिल विकास दरों से ही अधिक नहीं थीं, देश के सभी राज्यों के बीच भी लगभग सर्वाधिक थीं।

**तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर)**

| क्र. सं. | क्षेत्र | | वार्षिक चक्रवृद्धि दर | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2000-01 से 2004-05 | | 2005-06 से 2009-10 | | 2010-11 से 2013-14 | |
| | | | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य (1999-00) | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य (2004-05) | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य (2004-05) |
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 1.7 | -1.1 | 14.6 | 5.4 | 13.2 | 3.7 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 23.7 | 3.8 | 3.4 | -2.0 | 6.0 | -1.9 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 8.1 | 8.4 | 22.8 | 2.7 | 29.0 | 14.6 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | -27.4 | -30.1 | 11.9 | 14.1 | -0.7 | -1.5 |
| | **उप योग (प्राथमिक)** | | **3.3** | **-0.4** | **13.9** | **4.4** | **13.5** | **3.8** |
| 5 | विनिर्माण | | 6.1 | 1.2 | 20.6 | 13.3 | 5.3 | -1.1 |
| | 5.1 | निबंधित | 5.1 | -0.7 | 56.9 | 45.4 | 1.2 | -6.0 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 6.4 | 1.8 | 11.8 | 5.6 | 8.1 | 2.0 |
| 6 | निर्माण | | 24.5 | 14.6 | 29.4 | 19.8 | 15.3 | 6.6 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 4.9 | -2.9 | 5.9 | 8.6 | 26.3 | 8.3 |
| | **उप योग (द्वितीयक)** | | **12.7** | **5.8** | **24.8** | **16.7** | **13.3** | **4.7** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 3.6 | 1.5 | 15.9 | 13.4 | 18.2 | 12.5 |
| | 8.1 | रेलवे | -5.1 | -5.8 | 14.4 | 7.6 | 9.5 | 0.2 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 7.8 | 1.9 | 18.2 | 8.7 | 24.2 | 14.3 |
| | 8.3 | भंडारण | - | - | 18.9 | 9.5 | 19.1 | 9.6 |
| | 8.4 | संचार | 11.0 | 13.8 | 13.1 | 24.7 | 12.5 | 16.4 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 16.9 | 11.8 | 24.0 | 14.2 | 27.5 | 17.3 |
| | **उप योग (8 तथा 9)** | | **13.2** | **9.1** | **22.2** | **14.0** | **25.9** | **16.0** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 5.3 | 3.0 | 15.0 | 14.4 | 22.2 | 19.2 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 14.5 | 4.5 | 19.6 | 9.6 | 18.6 | 10.4 |
| | **उप योग (10 तथा 11)** | | **10.3** | **3.9** | **18.0** | **11.6** | **19.8** | **14.8** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 5.5 | 1.9 | 17.5 | 8.7 | 18.7 | 8.6 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 5.3 | 1.4 | 15.1 | 5.7 | 24.3 | 14.4 |
| | **उप योग (तृतीयक)** | | **9.7** | **5.3** | **19.3** | **11.1** | **23.8** | **14.8** |
| | **कुल जीएसडीपी** | | **7.8** | **3.4** | **18.6** | **10.2** | **19.3** | **10.4** |
| | **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | **5.8** | **1.4** | **16.8** | **8.6** | **17.7** | **8.9** |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.1 में प्रस्तुत क्षेत्रगत विकास दरों का विश्लेषण राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2005-10 अवधि में 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र हैं - निबंधित विनिर्माण (45.4 प्रतिशत), निर्माण (19.8 प्रतिशत) और संचार (24.7 प्रतिशत)।

उसके बाद की 2010-14 की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक विकास दर वाले क्षेत्र थे - बैंकिंग एवं बीमा (19.2 प्रतिशत), व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (17.3 प्रतिशत), संचार (16.4 प्रतिशत) तथा अन्य परिवहन (14.3 प्रतिशत)। वर्ष 2004-05 के पूर्व विकास में मुख्य योगदाता थे - निर्माण (14.6 प्रतिशत), संचार (13.8 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (11.8 प्रतिशत)। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2005-14 के दौरान 2000-05 की अवधि में अग्रणी तीन क्षेत्रों के अलावा निर्बंधित विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) विकास के नए क्षेत्र के बतौर उभरा है।

तालिका 1.1 में यह भी गौरतलब है कि 2005-14 की अवधि में 2000-2005 की अपेक्षा लगभग सभी क्षेत्रों में अधिक विकास दर दर्ज हुई। यह भी काफी सुखद है कि 2005-10 की अवधि में कृषि एवं पशुपालन की विकास दर 5.4 प्रतिशत रही और 2010-14 की अवधि में 3.7 प्रतिशत जो 2000-05 के बीच नकारात्मक थी। यह बहुत महत्व की बात है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपनी जीविका के लिए मुख्यत: इसी क्षेत्र पर निर्भर है।

हालांकि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन वार्षिक विकास दरों के मामले में काफी उतार-चढ़ाव दिखता है। वर्ष 2006-07 से लेकर अब तक के लिए तालिका प 1.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत वर्षवार विकास दरों के विश्लेषण में इस उतार-चढ़ाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। समग्र अर्थव्यवस्था में विकास दरें 2007-08 के 5.55 प्रतिशत से लेकर 2010-11 के 15.03 प्रतिशत तक रही हैं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र, जिसकी विकास दर 2009-10 में (-)15.38 प्रतिशत थी, 2006-07 में 30.57 प्रतिशत की दर से विकसित हुई थी। वर्ष 2010-11 में भी इस क्षेत्र की विकास दर काफी अधिक – 19.91 प्रतिशत थी। कृषि की विकास दर में इस भारी उतार-चढ़ाव का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्रोत मानसून का मनमौजीपन है। दूसरी ओर, कृषि उत्पादन के इस उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की विकास दरों में भी उतार-चढ़ाव आता है क्योंकि 2013-14 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 18.9 प्रतिशत योगदान रहा है। इसीलिए समग्र अर्थव्यवस्था के विकास को स्थिरता प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र की विकास की दर को स्थिर करना जरूरी है।

अन्य राज्यों के बरअक्स बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों (तालिका 1.2) पर नजर डालना होगा। तालिका में 2004-05 के स्थिर मूल्य पर 2000-01 से 2013-2014 तक की अवधि के कुछ चुनिंदा वर्षों में देश के प्रमुख राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति अभी भी राज्यों में सबसे नीचे बनी हुई है। लेकिन सशक्त विकास प्रक्रिया का प्रभाव तब महसूस होता है जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत के औसत के बीच के अंतर पर विचार किया जाय। वर्ष 2009-10 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (10,635 रु.) संपूर्ण भारत के औसत (33,901 रु.) का 31.05 प्रतिशत थी। लेकिन यह अनुपात 2013-14 में बढ़कर 39.22 प्रतिशत हो गया है (बिहार की 15,650 रु. तथा संपूर्ण भारत की 39,904 रु.)। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच मौजूद अंतराल को कम करते-करते अंतत: समाप्त कर देना है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का आवेग आने वाले अनेक वर्षों तक बनाए रखना होगा।

**तालिका 1.2 : स्थिर (2004-05) मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद**

| राज्य/ केंद्र-शासित क्षेत्र | प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000-01 | 2004-05 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| आंध्र प्रदेश | 16574 (8) | 23321 (8) | 36303 (8) | 40054 (8) | 42589 (7) | 44526 (7) | 46788 (5) |
| असम | 12447 (11) | 16782 (14) | 20406 (15) | 21611 (15) | 22420 (15) | 23448 (15) | 24533 (13) |
| **बिहार** | **6554 (17)** | **7914 (17)** | **10635 (17)** | **12090 (17)** | **13149 (17)** | **14362 (17)** | **15650 (15)** |
| छत्तीसगढ़ | 10808 (13) | 18559 (11) | 24189 (11) | 25991 (11) | 27163 (11) | 27421 (11) | 28113 (10) |
| गुजरात | 17227 (7) | 32021 (4) | 49168 (3) | 53813 (3) | 57447 (3) | 61220 (3) | - |
| हरियाणा | 24423 (2) | 37972 (1) | 55044 (1) | 57797 (2) | 61716 (1) | 64136 (2) | 67317 (2) |
| झारखंड | 10345 (14) | 18510 (12) | 21534 (13) | 24330 (12) | 25265 (12) | 27010 (12) | 28882 (9) |
| कर्नाटक | 18344 (6) | 26882 (7) | 37294 (7) | 40699 (7) | 41492 (8) | 42976 (8) | 45024 (6) |
| केरल | 19809 (5) | 31871 (5) | 45921 (5) | 48504 (5) | 52095 (5) | 56115 (5) | - |
| मध्य प्रदेश | 11150 (12) | 15442 (15) | 20959 (14) | 21706 (14) | 23447 (14) | 25463 (13) | 27917 (11) |
| महाराष्ट्र | 21892 (3) | 36077 (2) | 54246 (2) | 59587 (1) | 61468 (2) | 64218 (1) | 69584 (1) |
| उड़ीसा | 10208 (15) | 17650 (13) | 22846 (12) | 23968 (13) | 24151 (13) | 25415 (14) | 25891 (12) |
| पंजाब | 25986 (1) | 33103 (3) | 42831 (6) | 44769 (6) | 46325 (6) | 47834 (6) | 49411 (4) |
| राजस्थान | 12840 (10) | 18565 (10) | 24304 (10) | 27502 (10) | 28429 (10) | 29244 (10) | 30120 (8) |
| तमिलनाडु | 20319 (4) | 30062 (6) | 47394 (4) | 53507 (4) | 57093 (4) | 58360 (4) | 62361 (3) |
| उत्तर प्रदेश | 9721 (16) | 12950 (16) | 16390 (16) | 17388 (16) | 17980 (16) | 18595 (16) | 19234 (14) |
| पश्चिम बंगाल | 16244 (9) | 22649 (9) | 29799 (9) | 31314 (9) | 32164 (9) | 33889 (9) | 36527 (7) |
| **संपूर्ण भारत** | **20418** | **24143** | **33901** | **36202** | **38048** | **38856** | **39904** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज संख्याएं राज्यों का दर्जा दर्शाती हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

**चार्ट 1.1 : स्थिर (2004-05) मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु. में)**

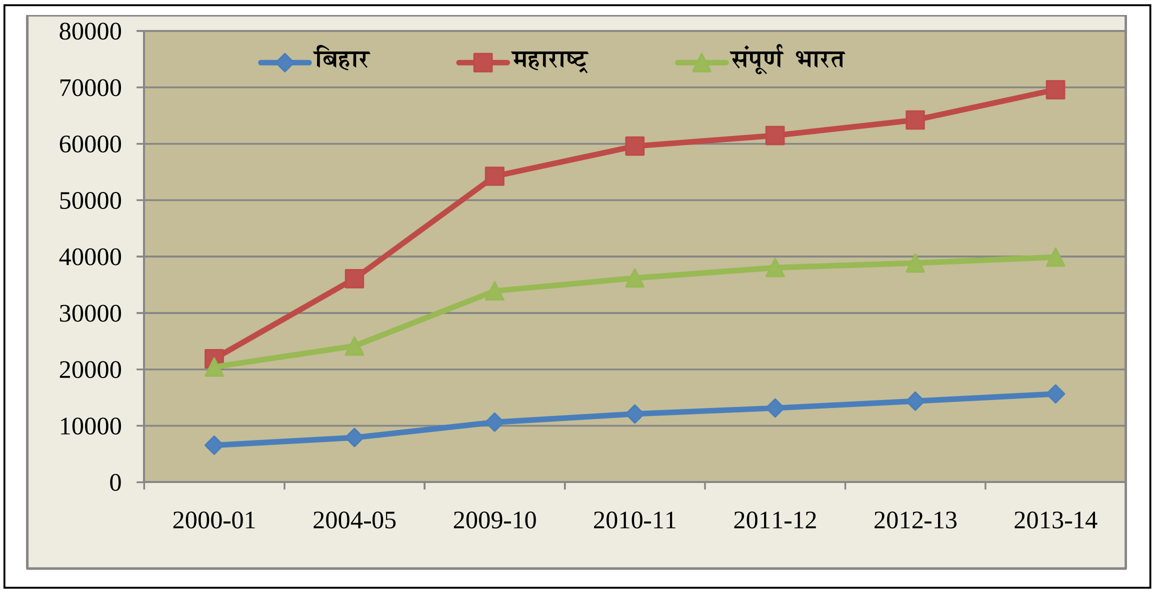

ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आता है। यह बात बिहार के बारे में भी सच है। इसलिए कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति भिन्न होती है जिसके कारण आय बढ़ने के साथ ही विभिन्न वर्षों के दौरान उनका सापेक्ष आकार बदल जाता है। बढ़ती प्रति व्यक्ति आय के फलस्वरूप मांग के पैटर्न में बदलाव आने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों में भिन्नता होती है। श्रमशक्ति भी प्राथमिक क्षेत्र से हटकर अधिक उन्नतिशील रहे उद्योगों और सेवा क्षेत्रों की ओर जाने लगती है। तालिका 1.3 में बिहार की अर्थव्यवस्था की 1999-2000 से 2013-14 तक की संरचना प्रस्तुत की गई है। क्षेत्रों के उत्पादन के वर्षवार हिस्से दर्शाने के बजाय तालिका के तीनों कॉलम में तीन चुनिंदा अवधियों – 1999-2005, 2005-10 और 2010-14 – के लिए क्षेत्रों के उत्पादन के औसत प्रस्तुत किए गए हैं। ये औसत वार्षिक आंकड़ों की अपेक्षा अधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं जिससे तुलना अधिक सार्थक हो जाती है।

**तालिका 1.3 : स्थिर ( 2004-05 ) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना**

| क्र. सं. | क्षेत्र | 1999-00 से 2004-05 | 2005-06 से 2009-10 | 2010-11 से 2013-14 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | 30.3 | 23.0 | 19.4 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | 2.2 | 2.7 | 1.5 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | **उप योग ( प्राथमिक )** | **34.3** | **27.0** | **22.0** |
| 5 | विनिर्माण | 5.7 | 5.6 | 4.8 |
| | 5.1 निबंधित | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| | 5.2 अनिबंधित | 4.3 | 4.2 | 3.0 |
| 6 | निर्माण | 4.5 | 10.0 | 13.1 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| | **उप योग ( द्वितीयक )** | **11.6** | **17.0** | **19.2** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | 6.4 | 6.9 | 8.4 |
| | 8.1 रेलवे | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| | 8.2 अन्य परिवहन | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| | 8.3 भंडारण | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 8.4 संचार | 1.3 | 2.2 | 4.1 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | 18.3 | 21.3 | 23.4 |
| | **उप योग ( 8 तथा 9 )** | **24.6** | **28.1** | **31.8** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | 4.0 | 4.1 | 5.4 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | 4.7 | 5.5 | 5.2 |
| | **उप योग ( 10 तथा 11 )** | **8.7** | **9.7** | **10.7** |
| 12 | लोक प्रशासन | 7.0 | 6.0 | 5.4 |
| 13 | अन्य सेवाएं | 13.6 | 12.1 | 10.8 |
| | **उप योग ( तृतीयक )** | **54.0** | **55.9** | **58.8** |
| | **कुल जीएसडीपी** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

आरंभ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीन प्रमुख क्षेत्रों का औसत हिस्सा इस प्रकार था – प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर) 34.3 प्रतिशत, द्वितीयक (सेकेंडरी) क्षेत्र 11.6 प्रतिशत तथा तृतीयक (टर्शियरी) क्षेत्र 54.0 प्रतिशत। उसके बाद से प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा गिरता गया है जो 2005-10 में 27.0 प्रतिशत और 2010-14 की अवधि में 22.0 प्रतिशत रह गया। यह दर्शाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व इस अवधि में लगातार घटा है। चूंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विगत दशक में जबर्दस्त विकास हुआ है इसलिए उनके निर्गतों (आउटपुट) के हिस्से आरंभिक दौर की अपेक्षा काफी अधिक हैं। वर्ष 2010-14 की अवधि में संबंधित हिस्से इस प्रकार हैं – प्राथमिक क्षेत्र 22.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 19.2 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र 58.8 प्रतिशत।

**चार्ट 1.2 : बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना**

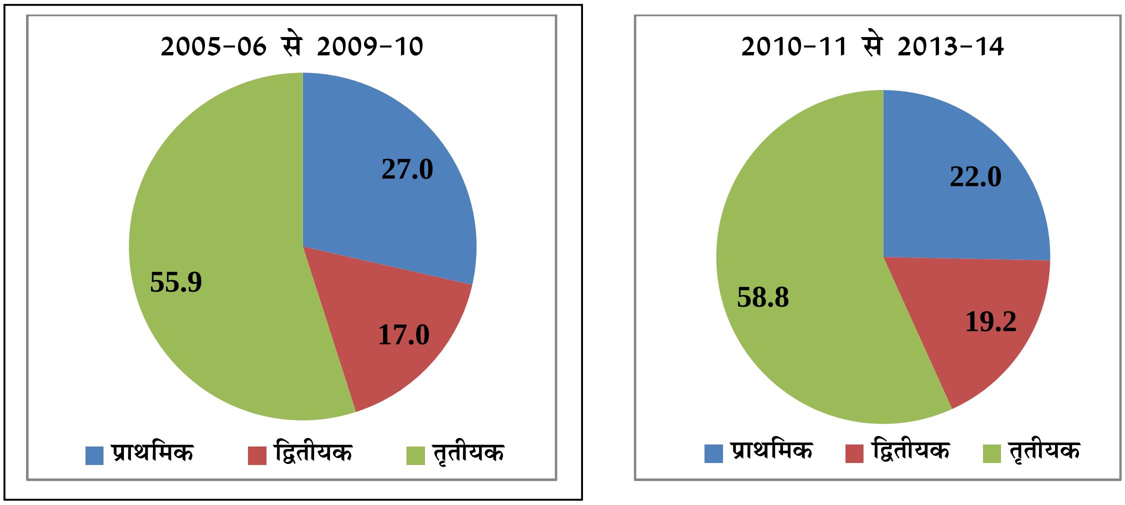


तीनों प्रमुख क्षेत्रों के कुछ उप-क्षेत्रों से संबंधित हिस्सों में भी काफी बदलाव आया है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के हिस्से में अच्छी-खासी कमी दर्ज हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन निर्माण (कंस्ट्रक्शन) उप-क्षेत्र में हुआ है जिसका हिस्सा आरंभिक अवधि के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-14 की अवधि में 13.1 प्रतिशत हो गया। तृतीयक
होटल एवं रेस्टोरेंट (जलपानगृह) उप-क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक विकास दर दर्ज
हिस्सा बढ़ाने में उसका बड़ा योगदान रहा। लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं जैसे स
राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा वस्तुतः गिरा है।

### 1.2 क्षेत्रीय विषमता

बिहार में निम्न प्रति व्यक्ति आय की समस्या इस तथ्य के कारण और भी प्रबल
बीच प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारी अंतर मौजूद है। प्रति व्यक्ति सकल जिला
का सबसे हाल के उपलब्ध अनुमान 2011-12 के हैं। ये अनुमान तालिका प 1.7
तालिका में देखा जा सकता है कि 2011-12 में पटना (63,063 रु.), मुंगेर (22,051 रु.) तथा बेगूसराय

(17,587 रु.) बिहार के सर्वाधिक उन्नतिशील जिले हैं। दूसरी ओर, दर्जों के सोपानक्रम में आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े जिले मधेपुरा (8,609 रु.), सुपौल (8,492 रु.) और शिवहर (7,092 रु.) हैं। अगर हम पटना जिले को छोड़ भी दें, जहां राज्य की राजधानी अवस्थित है, तो दूसरे सर्वाधिक उन्नतिशील जिले मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से तीनगुनी से अधिक है।

**चार्ट 1.3 : बिहार में जिलावार प्रति व्यक्ति आय ( 2011-12 )**

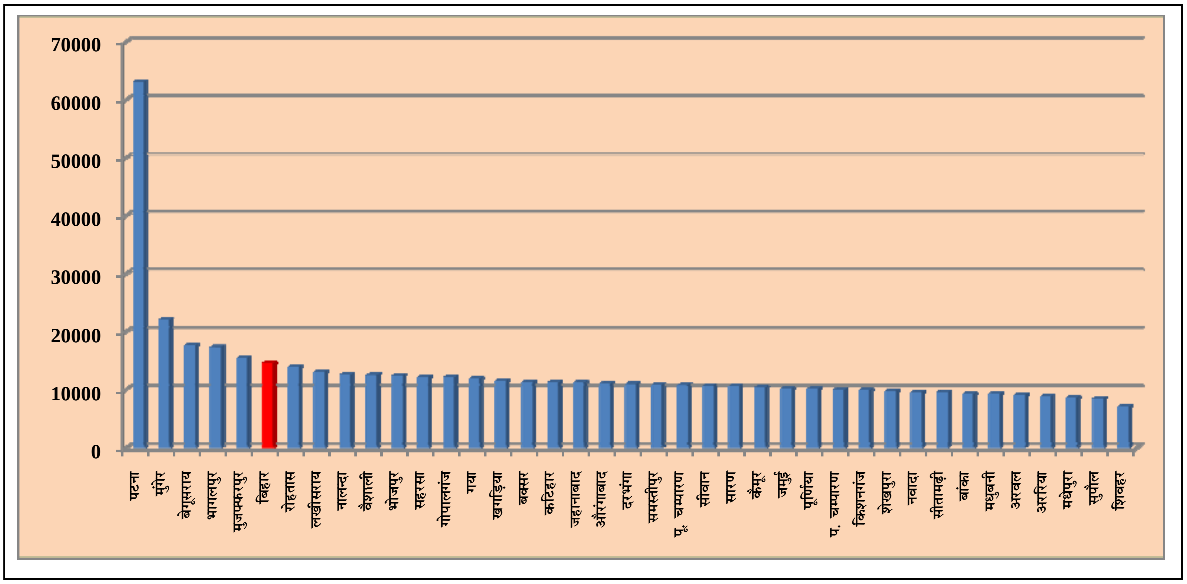


सकल जिला घरेलू अनुपात के अलावा, पेट्रॉल, डीजल और रसोई गैस की खपत के स्तर भी राज्य के जिलों के बीच मौजूद आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालते हैं। तालिका प 1.8 (परिशिष्ट) में जिलों के विभिन्न पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत से संबंधित आंकड़े 2013-14 में समाप्त होने वाले त्रिवर्ष के लिए उनके औसत के साथ दर्शाए गए हैं। त्रिवर्षीय औसत वाले कॉलम में कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्य की कुल खपत में संबंधित जिले के हिस्से को दर्शाते हैं। विचलनों (डेविएशंस) का पता लगाने के लिए इन प्रतिशत हिस्सों की प्रत्येक जिले की आबादी के साथ तुलना की गई है। अगर किसी जिले में पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत का हिस्सा उसकी आबादी के हिस्से से अधिक है तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह जिला अपेक्षाकृत समृद्ध है अन्यथा नहीं।

इस मापदंड के आधार पर हर पेट्रॉलियम उत्पाद के लिहाज से तीन सर्वाधिक समृद्ध और तीन सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान की गई है जिनके नाम तालिका 1.4 में प्रस्तुत हैं। चारो सूचकों के लिहाज से पटना सबसे समृद्ध जिला है। आबादी में 5.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत में उसका हिस्सा है – पेट्रॉल 15.7 प्रतिशत, डीजल 10.2 प्रतिशत और रसोई गैस 18.3 प्रतिशत। पेट्रॉल के मामले में पटना के बाद मुजफ्फरपुर (जनसंख्या में 4.6 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 6.3 प्रतिशत) का स्थान है और उसके बाद वैशाली (जनसंख्या में 3.4 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4.2 प्रतिशत) का। डीजल के मामले में पटना के बाद बेगूसराय

(जनसंख्या में 2.8 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4.9 प्रतिशत) और रोहतास (जनसंख्या में 2.9 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4.1 प्रतिशत) का स्थान है। रसोई गैस के मामले में पटना के बाद भोजपुर (जनसंख्या में 2.6 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 3.4 प्रतिशत) और वैशाली (जनसंख्या में 3.4 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4.2 प्रतिशत) का स्थान है। इन सूचकों के आधार पर बिहार के सर्वाधिक प्रतिकूलता-ग्रस्त जिले हैं - शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, नवादा, दरभंगा, अररिया और मधुबनी।

**तालिका 1.4 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले**

| मापदंड | सर्वोच्च 3 जिले | सबसे पिछड़े 3 जिले |
|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद | पटना, मुंगेर और बेगूसराय | शिवहर, सुपौल और मधेपुरा |
| पेट्रॉल की खपत | पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली | सीतामढ़ी, नवादा और मधुबनी |
| डीजल की खपत | पटना, बेगूसराय और रोहतास | मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा |
| एलपीजी की खपत | पटना, भोजपुर और वैशाली | अररिया, सुपौल और मधुबनी |

जिलों के डाकघरों और लोक भविष्य निधि में रखी गई लघु बचत की जमा राशियों को भी किसी जिले की सापेक्ष समृद्धि की एक और माप माना जा सकता है। ऐसी जमा राशियों के आंकड़े तालिका प 1.9 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका में ऐसी जमाराशियों के वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के त्रिवर्षीय औसत तथा कुल बचत में हर जिले के प्रतिशत हिस्से को प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या में हिस्से के बरअक्स जमाराशि में जिले का प्रतिशत हिस्सा जितना अधिक होगा, समृद्धि का स्तर उतना ही अधिक होगा। इस लिहाज से सर्वाधिक विकसित तीन जिले सारण, भोजपुर और नालंदा हैं। दूसरी ओर, इसी मापदंड के आधार पर सबसे पिछड़े तीन जिले पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया हैं।

## 1.3 थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) समय के साथ मूल्यों में अंतर के रुझान और मुद्रास्फीति की दर को सूचित करते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पूरे देश के लिए उपलब्ध होता है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक मजदूरों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों के लिए भी अलग-अलग उपलब्ध होते हैं। इन सूचकांकों के आधार वर्ष भिन्न हैं - थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2004-05, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2000-01, और कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के लिए 1986-87 हैं। तालिका 1.5 में इन सूचकांकों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत हैं।

**तालिका 1.5 : बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**

| वर्ष | थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 2004-05=100) | औद्योगिक मजदूर (आधार : 2000-01=100 ) | | कृषि श्रमिक (आधार : 1986-87=100) | | ग्रामीण श्रमिक (आधार : 1986-87=100) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | भारत | बिहार | भारत | बिहार | भारत |
| 2006-07 | 111.4 | 125 | 125 | 377 | 380 | 377 | 382 |
| 2007-08 | 116.6 | 134 | 133 | 412 | 409 | 412 | 409 |
| 2008-09 | 126.0 | 144 | 145 | 446 | 450 | 447 | 451 |
| 2009-10 | 130.8 | 162 | 163 | 500 | 513 | 500 | 513 |
| 2010-11 | 143.8 | 182 | 180 | 532 | 564 | 532 | 564 |
| 2011-12 | 156.1 | 199 | 195 | 552 | 611 | 555 | 611 |
| 2012-13 | 167.6 | 215 | 215 | 617 | 672 | 620 | 673 |
| 2013-14 | 177.6 | 238 | 236 | 691 | 750 | 695 | 751 |
| | | | | | | | |
| अप्रैल-2014 | 180.8 | 242 | 242 | 707 | 755 | 710 | 773 |
| मई-2014 | 182.0 | 247 | 244 | 715 | 760 | 719 | 780 |
| जून-2014 | 183.0 | 250 | 246 | 723 | 764 | 727 | 787 |
| जुलाई-2014 | 185.0 | 255 | 252 | 730 | 769 | 735 | 801 |

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्रम ब्यूरो, भारत सरकार

तालिका में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि ग्रामीण मजदूरों के मामले में बिहार में मूल्यवृद्धि पूरे भारत के मुकाबले कुछ धीमी है। वर्ष 2006-07 से जुलाई 2014 के बीच कृषि श्रमिक हेतु सूचकांक बिहार में 353 अंक बढ़ा जबकि उस दौरान पूरे भारत में उससे काफी अधिक - 389 अंक। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में मूल्यवृद्धि बिहार और पूरे देश में लगभग समान रही - सूचकांक 2006-07 से जुलाई 2014 के बीच बिहार में 130 अंक बढ़ा जबकि पूरे देश के मामले में 127 अंक। जुलाई 2014 में, जब तक के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिहार के लिए 255 और भारत के लिए 252 था।

## परिशिष्ट

**तालिका प 1.1 : उपादान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद**

| वर्ष | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर (2004-05) मूल्य पर | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर (2004-05) मूल्य पर | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर (2004-05) मूल्य पर |
| 2004–05 | 77781 | 77781 | 70167 | 70167 | 8773 | 8773 |
| 2005–06 | 82490 | 76466 | 74144 | 68419 | 9149 | 8481 |
| 2006–07 | 100737 | 88840 | 91331 | 80260 | 10994 | 9695 |
| 2007–08 | 113680 | 93774 | 102853 | 84415 | 12215 | 10076 |
| 2008–09 | 142279 | 107412 | 129690 | 97284 | 15060 | 11369 |
| 2009–10 | 162923 | 113158 | 148151 | 101938 | 16998 | 11806 |
| 2010–11 | 203555 | 130171 | 185745 | 117503 | 20944 | 13393 |
| 2011-12 | 243269 | 143560 | 222442 | 129521 | 24696 | 14574 |
| 2012-13 (अनंतिम) | 296153 | 158971 | 271439 | 143312 | 29679 | 15931 |
| 2013-14 (त्वरित) | 343054 | 174734 | 315529 | 158117 | 33954 | 17294 |
| **वार्षिक चक्रवृद्धि दर** | **18.9** | **10.1** | **19.2** | **10.1** | **17.2** | **8.5** |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 1.2 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | | क्षेत्र | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | कृषि/ पशुपालन | 20673 | 20827 | 27148 | 27049 | 36660 | 15.1 |
| 2 | | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | 2724 | 2794 | 3105 | 3112 | 3215 | 4.5 |
| 3 | | मत्स्य उद्योग | 1132 | 1164 | 1317 | 1442 | 2352 | 18.2 |
| 4 | | खनन/ प्रस्तर खनन | 42 | 97 | 74 | 78 | 143 | 24.9 |
| **उप योग (प्राथमिक)** | | | **24572** | **24883** | **31643** | **31681** | **42369** | **14.2** |
| 5 | | विनिर्माण | 4379 | 4256 | 4856 | 6429 | 8363 | 18.6 |
| | 5.1 | निबंधित | 1123 | 643 | 550 | 1385 | 3050 | 31.9 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 3256 | 3613 | 4306 | 5044 | 5313 | 14.0 |
| 6 | | निर्माण | 5138 | 6649 | 8992 | 11557 | 14497 | 30.0 |
| 7 | | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | 1146 | 1162 | 1137 | 1391 | 1460 | 6.9 |
| **उप योग (द्वितीयक)** | | | **10664** | **12067** | **14985** | **19378** | **24320** | **23.6** |
| 8 | | परिवहन/ भंडारण/ संचार | 4612 | 5099 | 5956 | 6775 | 7776 | 14.2 |
| | 8.1 | रेलवे | 1451 | 1580 | 1983 | 2299 | 2357 | 14.4 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 1997 | 2213 | 2597 | 2981 | 3676 | 16.4 |
| | 8.3 | भंडारण | 62 | 66 | 78 | 92 | 109 | 15.7 |
| | 8.4 | संचार | 1102 | 1241 | 1297 | 1403 | 1633 | 9.5 |
| 9 | | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | 16286 | 16079 | 20730 | 25201 | 31072 | 19.0 |
| **उप योग (8 तथा 9)** | | | **20898** | **21178** | **26686** | **31976** | **38848** | **18.0** |
| 10 | | बैंकिंग/ बीमा | 2586 | 2731 | 3192 | 3526 | 3953 | 11.7 |
| 11 | | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | 4041 | 4778 | 5770 | 6844 | 7954 | 18.7 |
| **उप योग (10 और 11)** | | | **6626** | **7509** | **8962** | **10369** | **11906** | **16.1** |
| 12 | | लोक प्रशासन | 5179 | 5471 | 5846 | 6376 | 8556 | 12.3 |
| 13 | | अन्य सेवाएं | 9842 | 11383 | 12615 | 13900 | 16279 | 12.8 |
| **उप योग (तृतीयक)** | | | **42545** | **45540** | **54109** | **62621** | **75590** | **15.8** |
| **कुल जीएसडीपी** | | | **77781** | **82490** | **100737** | **113680** | **142279** | **16.5** |
| **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | | **8773** | **9149** | **10994** | **12215** | **15060** | **14.7** |

**(जारी)**

## तालिका प 1.2 : उपादान मूल्य ( वर्तमान मूल्य ) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( जारी )

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | | क्षेत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | कृषि/ पशुपालन | 35475 | 47415 | 57981 | 72627 | 66419 | 18.3 |
| 2 | | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | 3241 | 3499 | 3753 | 3958 | 4176 | 6.5 |
| 3 | | मत्स्य उद्योग | 2436 | 2366 | 3244 | 3953 | 5171 | 22.4 |
| 4 | | खनन/ प्रस्तर खनन | 122 | 120 | 116 | 117 | 117 | -1.1 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **41274** | **53400** | **65094** | **80655** | **75883** | **17.7** |
| 5 | | विनिर्माण | 8281 | 11046 | 10818 | 11752 | 12751 | 9.7 |
| | 5.1 | निबंधित | 2593 | 4718 | 4092 | 4469 | 4763 | 12.3 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 5688 | 6328 | 6726 | 7282 | 7988 | 8.5 |
| 6 | | निर्माण | 19003 | 27590 | 32049 | 34815 | 43158 | 20.6 |
| 7 | | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | 1365 | 1661 | 2539 | 2917 | 3452 | 27.4 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **28649** | **40297** | **45405** | **49484** | **59361** | **18.1** |
| 8 | | परिवहन/ भंडारण/ संचार | 9318 | 10324 | 11711 | 14130 | 16951 | 16.3 |
| | 8.1 | रेलवे | 2845 | 2807 | 2844 | 3220 | 3645 | 6.5 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 4298 | 5357 | 6503 | 8199 | 10201 | 24.0 |
| | 8.3 | भंडारण | 132 | 158 | 194 | 230 | 268 | 19.6 |
| | 8.4 | संचार | 2044 | 2001 | 2169 | 2481 | 2838 | 9.1 |
| 9 | | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | 38464 | 46278 | 58163 | 74654 | 95739 | 25.9 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **47783** | **56602** | **69874** | **88783** | **112690** | **24.2** |
| 10 | | बैंकिंग/ बीमा | 4935 | 6363 | 7672 | 9434 | 11600 | 23.4 |
| 11 | | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | 9945 | 12440 | 14922 | 17563 | 20779 | 19.9 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **14880** | **18803** | **22594** | **26997** | **32379** | **21.1** |
| 12 | | लोक प्रशासन | 10111 | 12040 | 13598 | 16821 | 19844 | 18.3 |
| 13 | | अन्य सेवाएं | 20226 | 22413 | 26704 | 33412 | 42897 | 21.0 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **92999** | **109858** | **132770** | **166014** | **207810** | **22.4** |
| **कुल जीएसडीपी** | | | **162923** | **203555** | **243269** | **296153** | **343054** | **20.5** |
| **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | | **16998** | **20944** | **24696** | **29679** | **33954** | **18.9** |

टिप्पणी : 2012-13 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2013-14 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**( समाप्त )**

### तालिका प 1.3 : उपादान मूल्य ( 2004-05 के मूल्य ) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 20673 | 17875 | 23338 | 21290 | 25983 | 6.5 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 2724 | 2671 | 2612 | 2558 | 2511 | -2.0 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 1132 | 1183 | 1105 | 1188 | 1273 | 2.4 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 42 | 70 | 58 | 57 | 126 | 22.0 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **24572** | **21799** | **27114** | **25092** | **29893** | **5.5** |
| 5 | विनिर्माण | | 4379 | 4104 | 4368 | 5446 | 6535 | 11.4 |
| | 5.1 | निबंधित | 1123 | 622 | 516 | 1154 | 2262 | 22.4 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 3256 | 3482 | 3852 | 4291 | 4273 | 7.8 |
| 6 | निर्माण | | 5138 | 6371 | 7959 | 9442 | 10746 | 20.6 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 1146 | 1188 | 1247 | 1341 | 1466 | 6.3 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **10664** | **11664** | **13574** | **16229** | **18748** | **15.7** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 4612 | 5104 | 5776 | 6321 | 6958 | 10.9 |
| | 8.1 | रेलवे | 1451 | 1609 | 1845 | 2016 | 2043 | 9.5 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 1997 | 2064 | 2246 | 2407 | 2702 | 7.9 |
| | 8.3 | भंडारण | 62 | 61 | 68 | 75 | 82 | 7.8 |
| | 8.4 | संचार | 1102 | 1371 | 1617 | 1824 | 2131 | 17.4 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 16286 | 14856 | 18024 | 20486 | 23236 | 10.9 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **20898** | **19961** | **23800** | **26806** | **30194** | **10.9** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 2586 | 2941 | 3513 | 3915 | 4205 | 13.4 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 4041 | 4402 | 4818 | 5269 | 5788 | 9.4 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **6626** | **7342** | **8331** | **9184** | **9994** | **11.0** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 5179 | 5107 | 5153 | 5284 | 6525 | 5.1 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 9842 | 10594 | 10870 | 11179 | 12059 | 4.7 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **42545** | **43003** | **48153** | **52453** | **58771** | **8.8** |
| **कुल जीएसडीपी** | | | **77781** | **76466** | **88840** | **93774** | **107412** | **8.9** |
| **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | | **8773** | **8481** | **9695** | **10076** | **11369** | **7.2** |

( जारी )

**तालिका प 1.3 : उपादान मूल्य ( 2004-05 के मूल्य ) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( जारी )**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | | क्षेत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | कृषि/ पशुपालन | 21987 | 26365 | 29931 | 32694 | 28908 | 7.9 |
| 2 | | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | 2462 | 2414 | 2365 | 2320 | 2277 | -1.9 |
| 3 | | मत्स्य उद्योग | 1259 | 1223 | 1458 | 1694 | 1830 | 11.3 |
| 4 | | खनन/ प्रस्तर खनन | 92 | 93 | 104 | 92 | 92 | -0.1 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **25800** | **30095** | **33859** | **36800** | **33108** | **7.3** |
| 5 | | विनिर्माण | 6270 | 7698 | 6990 | 7117 | 7377 | 2.5 |
| | 5.1 | निबंधित | 1931 | 3150 | 2501 | 2534 | 2554 | 3.5 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 4339 | 4548 | 4489 | 4583 | 4822 | 2.2 |
| 6 | | निर्माण | 13511 | 18156 | 19573 | 19597 | 22464 | 11.6 |
| 7 | | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | 1657 | 1706 | 1849 | 1981 | 2173 | 7.2 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **21438** | **27560** | **28412** | **28695** | **32013** | **8.8** |
| 8 | | परिवहन/ भंडारण/ संचार | 8738 | 10512 | 11967 | 13379 | 14981 | 14.1 |
| | 8.1 | रेलवे | 2201 | 2340 | 2312 | 2331 | 2350 | 1.3 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 2857 | 3270 | 3714 | 4258 | 4873 | 14.3 |
| | 8.3 | भंडारण | 87 | 95 | 106 | 116 | 125 | 9.7 |
| | 8.4 | संचार | 3594 | 4807 | 5835 | 6673 | 7632 | 20.1 |
| 9 | | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | 25408 | 27845 | 31804 | 37735 | 44824 | 15.5 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **34146** | **38357** | **43770** | **51113** | **59805** | **15.1** |
| 10 | | बैंकिंग/ बीमा | 5266 | 6304 | 7316 | 8816 | 10624 | 19.0 |
| 11 | | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | 6343 | 6834 | 7517 | 8302 | 9209 | 9.9 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **11608** | **13138** | **14833** | **17118** | **19832** | **14.3** |
| 12 | | लोक प्रशासन | 6872 | 7492 | 7743 | 8100 | 9731 | 8.0 |
| 13 | | अन्य सेवाएं | 13294 | 13530 | 14943 | 17145 | 20244 | 11.4 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **65920** | **72517** | **81290** | **93476** | **109613** | **13.6** |
| **कुल जीएसडीपी** | | | **113158** | **130171** | **143560** | **158971** | **174734** | **11.3** |
| **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | | **11806** | **13393** | **14574** | **15931** | **17294** | **9.8** |

टिप्पणी : 2012-13 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2013-14 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**( समाप्त )**

**तालिका प 1.4 : उपादान मूल्य ( वर्तमान मूल्य ) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 18623 | 18575 | 24607 | 24116 | 33268 | 15.3 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 2689 | 2758 | 3067 | 3072 | 3173 | 4.5 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 990 | 1022 | 1152 | 1249 | 2022 | 17.7 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 35 | 79 | 59 | 62 | 114 | 23.7 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **22336** | **22435** | **28884** | **28499** | **38577** | **14.2** |
| 5 | विनिर्माण | | 3437 | 3292 | 3822 | 5350 | 7255 | 21.9 |
| | 5.1 | निबंधित | 609 | 160 | 62 | 889 | 2603 | 58.8 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 2828 | 3132 | 3760 | 4460 | 4652 | 14.4 |
| 6 | निर्माण | | 4906 | 6349 | 8561 | 10986 | 13767 | 29.8 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 652 | 645 | 613 | 739 | 773 | 4.9 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **8996** | **10285** | **12996** | **17074** | **21795** | **25.6** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 3885 | 4319 | 5108 | 5855 | 6686 | 14.9 |
| | 8.1 | रेलवे | 990 | 1099 | 1446 | 1737 | 1697 | 16.6 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 1912 | 2122 | 2493 | 2864 | 3555 | 16.7 |
| | 8.3 | भंडारण | 61 | 64 | 77 | 89 | 107 | 15.6 |
| | 8.4 | संचार | 922 | 1034 | 1092 | 1165 | 1328 | 8.9 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 16106 | 15862 | 20469 | 24884 | 30626 | 19.0 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **19991** | **20182** | **25577** | **30740** | **37313** | **18.2** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 2541 | 2682 | 3136 | 3467 | 3890 | 11.7 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 2470 | 3004 | 3713 | 4419 | 5015 | 19.8 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **5010** | **5687** | **6849** | **7886** | **8905** | **15.9** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 4196 | 4423 | 4713 | 5118 | 7170 | 12.9 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 9637 | 11133 | 12312 | 13536 | 15931 | 12.8 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **38835** | **41424** | **49452** | **57280** | **69318** | **16.0** |
| **कुल एनएसडीपी** | | | **70167** | **74144** | **91331** | **102853** | **129690** | **16.8** |
| **प्रति व्यक्ति एनएसडीपी** | | | **7914** | **8223** | **9967** | **11051** | **13728** | **15.0** |

**( जारी )**

**तालिका प 1.4 : उपादान मूल्य ( वर्तमान मूल्य ) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद ( जारी )**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 31426 | 42365 | 52480 | 65987 | 60348 | 19.1 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 3199 | 3457 | 3708 | 3913 | 4128 | 6.5 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 2070 | 2018 | 2730 | 3350 | 4382 | 22.2 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 94 | 97 | 93 | 91 | 91 | -1.4 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **36789** | **47937** | **59012** | **73341** | **68949** | **18.3** |
| 5 | विनिर्माण | | 6893 | 9506 | 8971 | 9529 | 10352 | 8.5 |
| | 5.1 | निर्बंधित | 1959 | 3998 | 3150 | 3196 | 3405 | 9.2 |
| | 5.2 | अनिर्बंधित | 4934 | 5508 | 5821 | 6333 | 6947 | 8.6 |
| 6 | निर्माण | | 18008 | 26148 | 30366 | 32802 | 40664 | 20.4 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 760 | 923 | 1262 | 1462 | 1730 | 23.4 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **25661** | **36577** | **40599** | **43793** | **52746** | **17.6** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 8044 | 8895 | 10048 | 12310 | 14847 | 16.8 |
| | 8.1 | रेलवे | 2152 | 2012 | 2036 | 2320 | 2626 | 5.6 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 4139 | 5165 | 6228 | 7947 | 9887 | 24.3 |
| | 8.3 | भंडारण | 128 | 153 | 188 | 224 | 261 | 19.7 |
| | 8.4 | संचार | 1625 | 1565 | 1597 | 1819 | 2072 | 6.6 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 37979 | 45655 | 57421 | 73608 | 94397 | 25.8 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **46023** | **54551** | **67468** | **85918** | **109244** | **24.4** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 4858 | 6271 | 7568 | 9305 | 11442 | 23.5 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 6519 | 8376 | 10349 | 12269 | 14515 | 21.9 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **11376** | **14646** | **17917** | **21573** | **25956** | **22.6** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 8519 | 10114 | 11417 | 14099 | 16632 | 18.2 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 19784 | 21920 | 26028 | 32715 | 42003 | 21.0 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **85701** | **101231** | **122831** | **154305** | **193835** | **22.8** |
| **कुल एनएसडीपी** | | | **148151** | **185745** | **222442** | **271439** | **315529** | **20.8** |
| **प्रति व्यक्ति एनएसडीपी** | | | **15457** | **19111** | **22582** | **27202** | **31229** | **19.2** |

टिप्पणी : 2012-13 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2013-14 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**( समाप्त )**

## तालिका प 1.5 : उपादान मूल्य ( 2004-05 के मूल्य ) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 18623 | 15713 | 21044 | 18781 | 23294 | 6.5 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 2689 | 2636 | 2578 | 2524 | 2478 | -2.0 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 990 | 1046 | 950 | 1015 | 998 | -0.1 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 35 | 53 | 44 | 43 | 102 | 21.5 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **22336** | **19448** | **24616** | **22363** | **26872** | **5.2** |
| 5 | विनिर्माण | | 3437 | 3176 | 3411 | 4479 | 5589 | 14.1 |
| | 5.1 | निबंधित | 609 | 154 | 59 | 703 | 1876 | 45.7 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 2828 | 3021 | 3352 | 3776 | 3713 | 8.0 |
| 6 | निर्माण | | 4906 | 6081 | 7555 | 8922 | 10115 | 20.1 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 652 | 692 | 768 | 766 | 892 | 7.5 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **8996** | **9949** | **11733** | **14166** | **16595** | **17.1** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 3885 | 4345 | 4988 | 5512 | 6069 | 12.0 |
| | 8.1 | रेलवे | 990 | 1138 | 1346 | 1528 | 1520 | 12.2 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 1912 | 1976 | 2147 | 2299 | 2596 | 7.9 |
| | 8.3 | भंडारण | 61 | 59 | 66 | 73 | 80 | 7.7 |
| | 8.4 | संचार | 922 | 1172 | 1428 | 1613 | 1874 | 19.0 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 16106 | 14647 | 17786 | 20212 | 22880 | 10.8 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **19991** | **18992** | **22773** | **25725** | **28948** | **11.0** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 2541 | 2894 | 3462 | 3862 | 4151 | 13.6 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 2470 | 2685 | 2971 | 3259 | 3556 | 9.7 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **5010** | **5579** | **6432** | **7121** | **7708** | **11.7** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 4196 | 4098 | 4115 | 4183 | 5391 | 5.4 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 9637 | 10353 | 10591 | 10857 | 11769 | 4.6 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **38835** | **39022** | **43911** | **47885** | **53816** | **9.0** |
| **कुल एनएसडीपी** | | | **70167** | **68419** | **80260** | **84415** | **97284** | **9.0** |
| **प्रति व्यक्ति एनएसडीपी** | | | **7914** | **7588** | **8759** | **9070** | **10297** | **7.3** |

**( जारी )**

**तालिका प 1.5 : उपादान मूल्य ( 2004-05 के मूल्य ) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद ( जारी )**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | 19087 | 23045 | 26533 | 28901 | 25555 | 8.4 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | 2433 | 2387 | 2339 | 2296 | 2253 | -1.9 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 966 | 957 | 1096 | 1294 | 1398 | 11.0 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 69 | 76 | 88 | 74 | 74 | 1.2 |
| **उप योग ( प्राथमिक )** | | | **22556** | **26465** | **30055** | **32565** | **29280** | **7.6** |
| 5 | विनिर्माण | | 5121 | 6471 | 5577 | 5474 | 5690 | 0.4 |
| | 5.1 | निर्बंधित | 1400 | 2567 | 1768 | 1581 | 1593 | -2.2 |
| | 5.2 | अनिर्बंधित | 3721 | 3904 | 3809 | 3894 | 4097 | 1.9 |
| 6 | निर्माण | | 12685 | 17005 | 18283 | 18114 | 20765 | 11.1 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 1182 | 1155 | 942 | 994 | 1090 | -3.1 |
| **उप योग ( द्वितीयक )** | | | **18988** | **24630** | **24803** | **24583** | **27545** | **7.7** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 7702 | 9416 | 10744 | 12098 | 13600 | 14.9 |
| | 8.1 | रेलवे | 1633 | 1728 | 1727 | 1708 | 1722 | 0.9 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 2723 | 3113 | 3497 | 4068 | 4655 | 14.3 |
| | 8.3 | भंडारण | 84 | 92 | 102 | 112 | 122 | 9.7 |
| | 8.4 | संचार | 3262 | 4484 | 5418 | 6209 | 7102 | 20.7 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | 25032 | 27390 | 31294 | 37060 | 44023 | 15.4 |
| **उप योग ( 8 तथा 9 )** | | | **32734** | **36806** | **42038** | **49158** | **57623** | **15.3** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 5201 | 6231 | 7236 | 8721 | 10510 | 19.0 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 3850 | 4079 | 4633 | 5187 | 5754 | 11.0 |
| **उप योग ( 10 और 11 )** | | | **9052** | **10309** | **11869** | **13909** | **16263** | **15.9** |
| 12 | लोक प्रशासन | | 5669 | 6140 | 6303 | 6434 | 7730 | 6.9 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 12940 | 13153 | 14453 | 16664 | 19676 | 11.3 |
| **उप योग ( तृतीयक )** | | | **60395** | **66408** | **74664** | **86164** | **101292** | **13.8** |
| **कुल एनएसडीपी** | | | **101938** | **117503** | **129521** | **143312** | **158117** | **11.4** |
| **प्रति व्यक्ति एनएसडीपी** | | | **10635** | **12090** | **13149** | **14362** | **15650** | **9.9** |

टिप्पणी : 2012-13 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2013-14 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**( समाप्त )**

**तालिका प 1.6 : स्थिर (2004-05) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वार्षिक वृद्धि दर**

| क्र. सं. | क्षेत्र | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (अ.अ.) | 2013-14 (त्व.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/ पशुपालन | | -13.54 | 30.57 | -8.78 | 22.05 | -15.38 | 19.91 | 13.53 | 9.23 | -11.58 |
| 2 | वानिकी/ काष्ठ उत्पादन | | -1.96 | -2.20 | -2.07 | -1.85 | -1.94 | -1.96 | -2.00 | -1.90 | -1.87 |
| 3 | मत्स्य उद्योग | | 4.49 | -6.61 | 7.47 | 7.17 | -1.08 | -2.85 | 19.23 | 16.16 | 8.04 |
| 4 | खनन/ प्रस्तर खनन | | 66.64 | -17.27 | -1.85 | 121.84 | -27.30 | 1.17 | 11.59 | -11.24 | -0.03 |
| | **उप योग (प्राथमिक)** | | **-11.28** | **24.38** | **-7.46** | **19.13** | **-13.69** | **16.65** | **12.51** | **8.69** | **-10.03** |
| 5 | विनिर्माण | | -6.28 | 6.42 | 24.68 | 20.01 | -4.07 | 22.77 | -9.20 | 1.83 | 3.64 |
| | 5.1 | निर्बंधित | -44.60 | -17.05 | 123.73 | 95.97 | -14.65 | 63.15 | -20.62 | 1.35 | 0.79 |
| | 5.2 | अनिबंधित | 6.93 | 10.62 | 11.41 | -0.42 | 1.54 | 4.81 | -1.28 | 2.09 | 5.22 |
| 6 | निर्माण | | 24.00 | 24.92 | 18.63 | 13.81 | 25.73 | 34.38 | 7.81 | 0.12 | 14.63 |
| 7 | विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | | 3.64 | 4.92 | 7.55 | 9.36 | 12.99 | 2.99 | 8.35 | 7.14 | 9.70 |
| | **उप योग (द्वितीयक)** | | **9.38** | **16.38** | **19.56** | **15.52** | **14.35** | **28.56** | **3.09** | **1.00** | **11.57** |
| 8 | परिवहन/ भंडारण/ संचार | | 10.67 | 13.15 | 9.44 | 10.08 | 25.59 | 20.30 | 13.84 | 11.80 | 11.98 |
| | 8.1 | रेलवे | 10.90 | 14.70 | 9.23 | 1.37 | 7.71 | 6.33 | -1.20 | 0.82 | 0.82 |
| | 8.2 | अन्य परिवहन | 3.38 | 8.77 | 7.17 | 12.26 | 5.73 | 14.46 | 13.58 | 14.67 | 14.44 |
| | 8.3 | भंडारण | -2.94 | 12.58 | 9.59 | 9.51 | 6.33 | 9.33 | 11.64 | 9.20 | 8.13 |
| | 8.4 | संचार | 24.36 | 17.93 | 12.82 | 16.85 | 68.65 | 33.75 | 21.38 | 14.37 | 14.37 |
| 9 | व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट | | -8.78 | 21.32 | 13.66 | 13.43 | 9.35 | 9.59 | 14.22 | 18.65 | 18.79 |
| | **उप योग (8 तथा 9)** | | **-4.49** | **19.23** | **12.63** | **12.64** | **13.09** | **12.33** | **14.11** | **16.78** | **17.00** |
| 10 | बैंकिंग/ बीमा | | 13.71 | 19.47 | 11.44 | 7.41 | 25.22 | 19.72 | 16.05 | 20.51 | 20.51 |
| 11 | स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं | | 8.94 | 9.45 | 9.36 | 9.86 | 9.58 | 7.75 | 9.99 | 10.44 | 10.92 |
| | **उप योग (10 और 11)** | | **10.80** | **13.47** | **10.24** | **8.82** | **16.16** | **13.18** | **12.90** | **15.41** | **15.86** |
| 12 | लोक प्रशासन | | -1.39 | 0.90 | 2.56 | 23.47 | 5.32 | 9.03 | 3.35 | 4.60 | 20.14 |
| 13 | अन्य सेवाएं | | 7.64 | 2.60 | 2.84 | 7.88 | 10.24 | 1.77 | 10.45 | 14.73 | 18.08 |
| | **उप योग (तृतीयक)** | | **1.08** | **11.97** | **8.93** | **12.05** | **12.16** | **10.01** | **12.10** | **14.99** | **17.26** |
| | **कुल जीएसडीपी** | | **-1.69** | **16.18** | **5.55** | **14.54** | **5.35** | **15.04** | **10.29** | **10.74** | **9.92** |
| | **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** | | **-3.33** | **14.32** | **3.92** | **12.84** | **3.84** | **13.45** | **8.82** | **9.31** | **8.56** |

## तालिका प 1.7 : 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

(रुपए)

| जिला | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 43448 (1) | 48719 (1) | 53428 (1) | 57823 (1) | 63063 (1) |
| नालंदा | 8219 (14) | 9152 (11) | 9787 (10) | 10971 (11) | 12561 (8) |
| भोजपुर | 8775 (8) | 10146 (8) | 10134 (8) | 11537 (9) | 12459 (10) |
| बक्सर | 8368 (12) | 8992 (15) | 8812 (18) | 9732 (20) | 11289 (15) |
| रोहतास | 9544 (7) | 10950 (6) | 10908 (7) | 12265 (6) | 13909 (6) |
| कैमूर | 7564 (21) | 8441 (22) | 7785 (27) | 9539 (22) | 10412 (24) |
| गया | 8660 (9) | 9135 (12) | 9519 (15) | 10504 (18) | 11897 (13) |
| जहानाबाद | 7490 (24) | 8588 (19) | 8478 (22) | 9322 (24) | 11182 (17) |
| अरवल | 6475 (33) | 7028 (35) | 7283 (35) | 8133 (35) | 9125 (34) |
| नवादा | 6739 (31) | 7409 (32) | 7602 (30) | 8437 (31) | 9560 (30) |
| औरंगाबाद | 7575 (20) | 7922 (29) | 8189 (23) | 9293 (25) | 11012 (18) |
| सारण | 7522 (23) | 7938 (28) | 8559 (20) | 9576 (21) | 10615 (23) |
| सीवान | 7377 (26) | 8864 (16) | 8042 (26) | 9192 (26) | 10685 (22) |
| गोपालगंज | 7646 (17) | 8059 (26) | 8543 (21) | 10386 (19) | 12129 (12) |
| पश्चिम चंपारण | 8476 (11) | 9484 (10) | 9706 (11) | 10577 (17) | 9971 (27) |
| पूर्व चंपारण | 6223 (35) | 8457 (21) | 7571 (31) | 8790 (29) | 10735 (21) |
| मुजफ्फरपुर | 9814 (5) | 11602 (5) | 12159 (5) | 14082 (5) | 15402 (5) |
| सीतामढ़ी | 6180 (37) | 7301 (33) | 7456 (32) | 8274 (33) | 9538 (31) |
| शिवहर | 5541 (38) | 6128 (38) | 5438 (38) | 6208 (38) | 7092 (38) |
| वैशाली | 7728 (16) | 9604 (9) | 9937 (9) | 11591 (8) | 12490 (9) |
| दरभंगा | 7614 (18) | 8516 (20) | 9036 (16) | 10798 (12) | 10932 (19) |
| मधुबनी | 6216 (36) | 7643 (30) | 7455 (33) | 10607 (15) | 9241 (33) |
| समस्तीपुर | 7559 (22) | 8729 (18) | 8843 (17) | 10705 (14) | 10762 (20) |
| बेगूसराय | 12419 (3) | 15001 (3) | 14235 (4) | 18433 (3) | 17587 (3) |
| मुंगेर | 15791 (2) | 17034 (2) | 18554 (2) | 21011 (2) | 22051 (2) |
| शेखपुरा | 7209 (28) | 8105 (25) | 7775 (28) | 8377 (32) | 9687 (29) |
| लखीसराय | 9549 (6) | 10209 (7) | 10950 (6) | 11870 (7) | 13073 (7) |
| जमुई | 7584 (19) | 8028 (27) | 8186 (24) | 8944 (28) | 10166 (25) |
| खगड़िया | 8517 (10) | 9111 (13) | 9642 (12) | 10603 (16) | 11515 (14) |
| भागलपुर | 12097 (4) | 13351 (4) | 14253 (3) | 15870 (4) | 17324 (4) |
| बांका | 6882 (30) | 7596 (31) | 7724 (29) | 7756 (37) | 9269 (32) |
| सहरसा | 8164 (15) | 8744 (17) | 9591 (14) | 11268 (10) | 12197 (11) |
| सुपौल | 6382 (34) | 6790 (36) | 7043 (36) | 8193 (34) | 8492 (37) |
| मधेपुरा | 6920 (29) | 6602 (37) | 6979 (37) | 8096 (36) | 8609 (36) |
| पूर्णिया | 7419 (25) | 8228 (23) | 8743 (19) | 9357 (23) | 10099 (26) |
| किशनगंज | 7312 (27) | 8120 (24) | 8085 (25) | 9126 (27) | 9928 (28) |
| अररिया | 6635 (32) | 7251 (34) | 7376 (34) | 8534 (30) | 8776 (35) |
| कटिहार | 8267 (13) | 9060 (14) | 9594 (13) | 10721 (13) | 11278 (16) |
| **योग** | **10076** | **11369** | **11806** | **13393** | **14574** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत

(आंकड़े मेट्रिक टन में)

| जिला | जनसंख्या का हिस्सा | पेट्रॉल 2011-12 | पेट्रॉल 2012-13 | पेट्रॉल 2013-14 | पेट्रॉल त्रिवर्षीय औसत | डीजल 2011-12 | डीजल 2012-13 | डीजल 2013-14 | डीजल त्रिवर्षीय औसत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 5.6 | 45357 | 49727 | 55742 | 50275 (15.7) | 177112 | 184913 | 207048 | 189691 (10.2) |
| नालंदा | 2.8 | 4884 | 5927 | 7188 | 6000 (1.9) | 50360 | 50677 | 48897 | 49978 (2.7) |
| भोजपुर | 2.6 | 6120 | 7095 | 8427 | 7214 (2.3) | 42156 | 47592 | 49184 | 46311 (2.5) |
| बक्सर | 1.6 | 4749 | 4714 | 5905 | 5123 (1.6) | 33644 | 32533 | 35618 | 33932 (1.8) |
| रोहतास | 2.9 | 8472 | 9374 | 11165 | 9670 (3.0) | 77038 | 76121 | 75852 | 76337 (4.1) |
| कैमूर | 1.6 | 2805 | 3875 | 4681 | 3787 (1.2) | 33524 | 31075 | 33179 | 32593 (1.7) |
| | | | | | | | | | |
| गया | 4.2 | 10175 | 11790 | 13779 | 11915 (3.7) | 70069 | 81825 | 79568 | 77154 (4.1) |
| जहानाबाद | 1.1 | 1919 | 2231 | 2580 | 2243 (0.7) | 20393 | 19295 | 18200 | 19296 (1.0) |
| अरवल | 0.7 | 907 | 1132 | 1590 | 1210 (0.4) | 6522 | 6523 | 9866 | 7637 (0.4) |
| नवादा | 2.1 | 2743 | 3447 | 4158 | 3449 (1.1) | 32680 | 33025 | 31883 | 32529 (1.7) |
| औरंगाबाद | 2.4 | 5015 | 5842 | 7237 | 6031 (1.9) | 46953 | 50120 | 51635 | 49570 (2.7) |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 3.8 | 9992 | 12413 | 14725 | 12377 (3.9) | 59724 | 61351 | 88923 | 69999 (3.8) |
| सीवान | 3.2 | 9626 | 12485 | 15271 | 12461 (3.9) | 47216 | 49438 | 52420 | 49691 (2.7) |
| गोपालगंज | 2.5 | 7863 | 9727 | 12166 | 9919 (3.1) | 38999 | 40105 | 41644 | 40249 (2.2) |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.8 | 8453 | 10586 | 12780 | 10606 (3.3) | 56336 | 60458 | 63343 | 60045 (3.2) |
| पूर्व चंपारण | 4.9 | 12648 | 15703 | 18521 | 15624 (4.9) | 94768 | 108861 | 108369 | 104000 (5.6) |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 17263 | 19858 | 23416 | 20179 (6.3) | 96159 | 102479 | 121982 | 106873 (5.7) |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 5725 | 6950 | 8321 | 6998 (2.2) | 35189 | 42309 | 43676 | 40391 (2.2) |
| शिवहर | 0.6 | 599 | 874 | 1157 | 876 (0.3) | 3607 | 4326 | 4832 | 4255 (0.2) |
| वैशाली | 3.4 | 10802 | 13127 | 16144 | 13358 (4.2) | 67015 | 69352 | 73821 | 70062 (3.8) |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 3.8 | 8928 | 10545 | 12693 | 10722 (3.4) | 46793 | 51738 | 54356 | 50962 (2.7) |
| मधुबनी | 4.3 | 8426 | 11011 | 12940 | 10792 (3.4) | 39177 | 48766 | 47210 | 45051 (2.4) |
| समस्तीपुर | 4.1 | 8932 | 10359 | 13162 | 10818 (3.4) | 61477 | 63547 | 76433 | 67152 (3.6) |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.8 | 7475 | 8293 | 9721 | 8496 (2.7) | 87989 | 79886 | 103781 | 90552 (4.9) |
| मुंगेर | 1.3 | 3297 | 3705 | 4328 | 3777 (1.2) | 14217 | 15733 | 30209 | 20053 (1.1) |
| शेखपुरा | 0.6 | 1198 | 1336 | 1539 | 1358 (0.4) | 14672 | 12440 | 12668 | 13260 (0.7) |
| लखीसराय | 1.0 | 1130 | 1537 | 1793 | 1487 (0.5) | 14609 | 19149 | 18817 | 17525 (0.9) |
| जमुई | 1.7 | 2651 | 3096 | 3828 | 3191 (1.0) | 18236 | 19484 | 19902 | 19207 (1.0) |
| खगड़िया | 1.6 | 2254 | 2914 | 3439 | 2869 (0.9) | 24687 | 27202 | 29547 | 27145 (1.5) |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 2.9 | 8957 | 9535 | 10661 | 9718 (3.0) | 70962 | 69793 | 69262 | 70006 (3.8) |
| बांका | 2.0 | 3004 | 3736 | 3884 | 3541 (1.1) | 20182 | 22301 | 21072 | 21185 (1.1) |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.8 | 3419 | 4128 | 5053 | 4200 (1.3) | 23781 | 24266 | 33306 | 27118 (1.5) |
| सुपौल | 2.1 | 3777 | 5151 | 5848 | 4926 (1.5) | 23541 | 25464 | 27853 | 25619 (1.4) |
| मधेपुरा | 1.9 | 4242 | 5196 | 5928 | 5122 (1.6) | 28544 | 31524 | 30288 | 30119 (1.6) |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 3.2 | 7521 | 9967 | 11744 | 9744 (3.0) | 63552 | 70326 | 72290 | 68723 (3.7) |
| किशनगंज | 1.6 | 3956 | 5075 | 6004 | 5012 (1.6) | 15443 | 17480 | 19486 | 17470 (0.9) |
| अररिया | 2.7 | 5967 | 7793 | 8955 | 7572 (2.4) | 35564 | 47388 | 47990 | 43647 (2.3) |
| कटिहार | 3.0 | 5706 | 7434 | 8668 | 7270 (2.3) | 39015 | 40799 | 68878 | 49564 (2.7) |
| | | | | | | | | | |
| **योग** | **100** | **266957** | **317690** | **375141** | **319929 (100)** | **1731905** | **1839664** | **2023287** | **1864952 (100)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योग में जिले का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय तेल निगम

**( जारी )**

**तालिका प 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत ( जारी )**

(आंकड़े मेट्रिक टन में)

| जिला | जनसंख्या का हिस्सा | एलपीजी | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | त्रिवर्षीय औसत |
| पटना | 5.6 | 85368 | 86586 | 92815 | 88256 (18.3) |
| नालंदा | 2.8 | 13523 | 13977 | 16090 | 14530 (3) |
| भोजपुर | 2.6 | 15498 | 15752 | 18426 | 16559 (3.4) |
| बक्सर | 1.6 | 6997 | 7051 | 8007 | 7352 (1.5) |
| रोहतास | 2.9 | 13887 | 13994 | 19283 | 15721 (3.3) |
| कैमूर | 1.6 | 3894 | 4525 | 2939 | 3786 (0.8) |
| | | | | | |
| गया | 4.2 | 15704 | 16966 | 18905 | 17192 (3.6) |
| जहानाबाद | 1.1 | 6083 | 6886 | 8982 | 7317 (1.5) |
| अरवल | 0.7 | 780 | 746 | 1048 | 858 (0.2) |
| नवादा | 2.1 | 7373 | 8711 | 10321 | 8802 (1.8) |
| औरंगाबाद | 2.4 | 8615 | 8834 | 10085 | 9178 (1.9) |
| | | | | | |
| सारण | 3.8 | 18609 | 19526 | 23380 | 20505 (4.3) |
| सीवान | 3.2 | 10718 | 14093 | 19155 | 14655 (3) |
| गोपालगंज | 2.5 | 11079 | 12790 | 16015 | 13295 (2.8) |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.8 | 11349 | 13192 | 16500 | 13680 (2.8) |
| पूर्व चंपारण | 4.9 | 15115 | 18162 | 22654 | 18644 (3.9) |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 24080 | 7626 | 33151 | 21619 (4.5) |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 12280 | 13343 | 14109 | 13244 (2.7) |
| शिवहर | 0.6 | 136 | 506 | 2804 | 1149 (0.2) |
| वैशाली | 3.4 | 17321 | 18919 | 23913 | 20051 (4.2) |
| | | | | | |
| दरभंगा | 3.8 | 17393 | 19763 | 22658 | 19938 (4.1) |
| मधुबनी | 4.3 | 13867 | 13684 | 15904 | 14485 (3) |
| समस्तीपुर | 4.1 | 12724 | 14057 | 16341 | 14374 (3) |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 2.8 | 13360 | 13823 | 16572 | 14585 (3) |
| मुंगेर | 1.3 | 9064 | 9422 | 10907 | 9798 (2) |
| शेखपुरा | 0.6 | 1882 | 1883 | 2036 | 1934 (0.4) |
| लखीसराय | 1.0 | 3241 | 3402 | 3810 | 3484 (0.7) |
| जमुई | 1.7 | 3641 | 4105 | 4944 | 4230 (0.9) |
| खगड़िया | 1.6 | 3547 | 3832 | 4590 | 3990 (0.8) |
| | | | | | |
| भागलपुर | 2.9 | 16376 | 16847 | 18765 | 17329 (3.6) |
| बांका | 2.0 | 4552 | 4642 | 5429 | 4874 (1) |
| | | | | | |
| सहरसा | 1.8 | 6550 | 7429 | 9071 | 7683 (1.6) |
| सुपौल | 2.1 | 2730 | 2984 | 3839 | 3184 (0.7) |
| मधेपुरा | 1.9 | 5169 | 5686 | 6771 | 5875 (1.2) |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 3.2 | 11469 | 12152 | 16151 | 13257 (2.8) |
| किशनगंज | 1.6 | 1868 | 1954 | 1211 | 1678 (0.3) |
| अररिया | 2.7 | 5661 | 5756 | 5548 | 5655 (1.2) |
| कटिहार | 3.0 | 8986 | 9044 | 9837 | 9289 (1.9) |
| | | | | | |
| **योग** | **100** | **440489** | **452651** | **552966** | **482035 (100)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योग में जिले का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय तेल निगम

**( समाप्त )**

**तालिका प 1.9 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत**

(करोड़ रु.)

| जिला | जनसंख्या का हिस्सा | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | उपलब्धि का त्रिवर्षीय औसत (2011-14) | उपलब्धि का हिस्सा (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | | |
| पटना | 5.6 | 425 | -31 | 144 | 65 | 96 | 210 | 81 | 6.4 |
| नालंदा | 2.8 | 143 | 82 | 98 | 67 | 66 | 126 | 92 | 7.3 |
| भोजपुर | 2.6 | 92 | 74 | 78 | 98 | 73 | 156 | 109 | 8.7 |
| बक्सर | 1.6 | 42 | 33 | 34 | 31 | 20 | 37 | 34 | 2.7 |
| रोहतास | 2.9 | 69 | 32 | 47 | 17 | 23 | 32 | 27 | 2.1 |
| कैमूर | 1.6 | 29 | 16 | 20 | 8 | 10 | 15 | 13 | 1.0 |
| **योग** | **17.1** | **800** | **206** | **421** | **287** | **288** | **576** | **356** | **28.2** |
| गया | 4.2 | 94 | 31 | 64 | 23 | 30 | 29 | 28 | 2.2 |
| जहानाबाद | 1.1 | 20 | 13 | 15 | 12 | 10 | 18 | 14 | 1.1 |
| अरवल | 0.7 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 0.8 |
| नवादा | 2.1 | 54 | 63 | 72 | 65 | 48 | 70 | 66 | 5.2 |
| औरंगाबाद | 2.4 | 65 | 32 | 44 | 7 | 15 | 12 | 17 | 1.3 |
| **योग** | **10.5** | **246** | **148** | **206** | **116** | **111** | **141** | **135** | **10.7** |
| सारण | 3.8 | 137 | 121 | 129 | 117 | 84 | 147 | 128 | 10.2 |
| सीवान | 3.2 | 71 | 68 | 74 | 38 | 50 | 59 | 55 | 4.4 |
| गोपालगंज | 2.5 | 46 | 40 | 45 | 45 | 40 | 69 | 51 | 4.1 |
| **योग** | **9.5** | **254** | **230** | **248** | **200** | **174** | **275** | **235** | **18.6** |
| पूर्व चंपारण | 3.8 | 65 | 22 | 30 | 29 | 23 | 30 | 27 | 2.1 |
| पश्चिम चंपारण | 4.9 | 35 | 27 | 44 | 14 | 20 | 27 | 23 | 1.8 |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 106 | 37 | 72 | 36 | 47 | 54 | 42 | 3.4 |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 30 | 5 | 20 | 8 | 8 | 15 | 9 | 0.7 |
| शिवहर | 0.6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.2 |
| वैशाली | 3.4 | 83 | 53 | 57 | 58 | 40 | 78 | 63 | 5.0 |
| **योग** | **20.6** | **325** | **145** | **227** | **147** | **140** | **208** | **167** | **13.2** |
| दरभंगा | 3.8 | 86 | 35 | 59 | 42 | 39 | 62 | 46 | 3.7 |
| मधुबनी | 4.3 | 55 | 25 | 38 | 17 | 26 | 42 | 28 | 2.2 |
| समस्तीपुर | 4.1 | 46 | 32 | 34 | 32 | 23 | 58 | 41 | 3.2 |
| **योग** | **12.2** | **187** | **92** | **131** | **91** | **88** | **162** | **115** | **9.1** |
| बेगूसराय | 2.8 | 58 | 20 | 40 | 31 | 26 | 39 | 30 | 2.4 |
| मुंगेर | 1.3 | 42 | 25 | 29 | 18 | 18 | 31 | 25 | 2.0 |
| शेखपुरा | 0.6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0.6 |
| लखीसराय | 1.0 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0.6 |
| जमुई | 1.7 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 | 22 | 15 | 1.2 |
| खगड़िया | 1.6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0.6 |
| **योग** | **9.0** | **149** | **76** | **108** | **77** | **72** | **121** | **91** | **7.2** |
| भागलपुर | 2.9 | 61 | 40 | 42 | 63 | 49 | 75 | 59 | 4.7 |
| बांका | 2.0 | 13 | -2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0.3 |
| **योग** | **4.9** | **74** | **38** | **47** | **65** | **52** | **85** | **63** | **5.0** |
| सहरसा | 1.8 | 32 | 19 | 22 | 20 | 14 | 29 | 23 | 1.8 |
| सुपौल | 2.1 | 24 | 14 | 16 | 15 | 11 | 21 | 17 | 1.3 |
| मधेपुरा | 1.9 | 24 | 15 | 16 | 15 | 11 | 22 | 17 | 1.4 |
| **योग** | **5.8** | **80** | **47** | **54** | **51** | **36** | **72** | **57** | **4.5** |
| पूर्णिया | 3.2 | 32 | 6 | 22 | 10 | 16 | 23 | 13 | 1.0 |
| किशनगंज | 1.6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0.5 |
| अररिया | 2.7 | 13 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0.4 |
| कटिहार | 3.0 | 31 | 14 | 21 | 18 | 13 | 27 | 20 | 1.6 |
| **योग** | **10.5** | **85** | **26** | **58** | **37** | **39** | **67** | **43** | **3.4** |
| **कुल योग** | **100.0** | **2200** | **1009** | **1500** | **1070** | **1000** | **1707** | **1262** | **100.0** |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय 2

# कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

समझा जाता है कि कृषि और उद्योग प्रगति के दो पहिए हैं जो एक-दूसरे को बल देते हैं। एक ओर कृषि क्षेत्र औद्योगिक श्रमिकों को भोजन और उद्योग में निवेश के लिए अधिशेष उपलब्ध कराता है, तो दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र अधिक आय वाले अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकता है जिससे कि कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कम हो। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में यह विभाजन के पूर्व संभाव्य था। लेकिन उसके बाद औद्योगिक और खनिज क्षेत्र नवसृजित झारखंड राज्य में चले गए और वर्तमान बिहार भारी नुकसान की स्थिति में चला गया जिसकी प्रगति का दो में से एक पहिया इससे दूर हो गया। इसीलिए वर्तमान सरकार को मुख्यतः कृषि पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि वह औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त अधिशेष पैदा कर सके।

बिहार को गंगा द्वारा लाई गई उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन, खास कर भूमिगत जल संसाधन बिहार में कृषि का आधार तैयार करते हैं। भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एग्रो-क्लाइमेटिक जोन) से जुड़ी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अनुरूप बिहार के किसान अनेक प्रकार की फसलें उपजाते हैं। खाद्यान्नों के अलावा राज्य में दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें, ईख, फल, सब्जियां और अन्य फसलें पैदा होती हैं। हाल में उत्पादन में विविधता आई है क्योंकि फूलों की बढ़ती मांगों के कारण किसान फूलों की खेती के बारे में सोचने लगे हैं। तीव्र कृषि विकास को बढ़ावा देकर शहर और गांव के बीच मौजूद फासला दूर करने के लिए राज्य सरकार सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। कृषि रोडमैप में सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कृषि उत्पादकता लगातार बढ़े। राज्य सरकार सशक्त कृषि अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित कर रही है ताकि संयोग के भरोसे कुछ भी छूटा नहीं रहे। कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, कृषि ऋण और जागरूकता कार्यक्रम आदि समर्थन सेवाओं पर बल दिया जा रहा है।

बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है। इसमें तीन स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं - उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण। उत्तर-पश्चिम जोन में 13 जिले हैं। इस जोन में 1040 से 1450 मि.मी. तक वार्षिक वर्षा होती है और ज्यादातर मिट्टी बलुई दोमट और दोमट है। उत्तर-पूर्व जोन में 8 जिले हैं। इसमें वार्षिक वर्षापात 1200 मिमी से 1700 मिमी के बीच रहता है। इसकी मिट्टी दोमट तथा चिकनी दोमट है। 17 जिलों वाले दक्षिणी जोन में 990 से लेकर 1300 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। यहां की मिट्टी मुख्यतः बलुई दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी मिट्टी है। इस अध्याय के तहत कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के विवरण इन प्रमुख शीर्षों के तहत प्रस्तुत हैं - वर्षापात (रेनफॉल), भूमि उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता, सिंचाई, कृषि लागत और कृषि ऋण। सहवर्ती गतिविधियों के तहत इस अध्याय में पशुपालन और मत्स्यपालन के क्षेत्र में प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है।

### 2.1 वर्षापात

बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिमी है। यह वर्षापात मुख्यत: दक्षिण–पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा रहता है। शेष 15 प्रतिशत योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर–पश्चिमी मॉनसून की वर्षा का होता है। राज्य में औसत सामान्य वर्षा कृषि कार्यों के लिए कमोबेश पर्याप्त होती है। हालांकि वर्षापात में साल दर साल होने वाली भिन्नता के कारण राज्य में कुछ वर्षों में बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण फसल उत्पादन को गंभीर क्षति पहुंचती है जिससे राज्य की आय प्रभावित होती है।

वर्ष 2001 से 2013 के बीच वार्षिक वर्षापात 2010 के 678 मिमी से लेकर 2007 के 1506 मिमी के बीच रहा है। वर्ष 2010 में औसत वर्षा सामान्य वर्षापात का मात्र 66.9 प्रतिशत थी जो गत दशक में सबसे कम थी। दूसरी ओर, 2007 में सामान्य वर्षापात की तुलना में 148.7 प्रतिशत वर्षापात हुआ था जो गत दशक में सर्वाधिक था। वर्ष 2007 में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून से हुआ वर्षापात सामान्य वर्षापात का 158.5 प्रतिशत था जिसके कारण राज्य के अनेक जिलों में बाढ़ आ गई थी। विगत 5 में से 4 वर्षों में कुल वर्षापात सामान्य से काफी कम रहा है – 2009 में 85.8 प्रतिशत, 2010 में 66.9 प्रतिशत, 2012 में 78.7 प्रतिशत और 2013 में 76.4 प्रतिशत। राज्य में हुए वर्षापात का पैटर्न तालिका 2.1 में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.1 : विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात**

(वर्षापात मिमी में)

| वर्ष | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण–पश्चिम मानसून | उत्तर–पश्चिम मानसून | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 20.90 (131.8) | 86.70 (120.3) | 908.20 (105.8) | 192.20 (289.6) | 1208.00 (119.3) |
| 2002 | 48.90 (308.3) | 66.80 (92.7) | 896.90 (104.5) | 33.20 (50) | 1045.80 (103.3) |
| 2003 | 19.20 (121.1) | 93.00 (129.1) | 767.60 (89.4) | 128.90 (194.2) | 1008.70 (99.6) |
| 2004 | 23.70 (149.4) | 41.40 (57.5) | 906.10 (105.5) | 60.10 (90.6) | 1031.30 (101.8) |
| 2005 | 0.10 (0.6) | 89.50 (124.2) | 777.60 (90.6) | 30.20 (45.5) | 897.40 (88.6) |
| 2006 | 0.10 (0.6) | 88.97 (123.5) | 925.86 (107.8) | 27.77 (41.8) | 1042.69 (103) |
| 2007 | 28.34 (178.7) | 76.40 (106) | 1360.85 (158.5) | 40.49 (61) | 1506.08 (148.7) |
| 2008 | 30.61 (193) | 61.78 (85.8) | 1084.27 (126.3) | 19.31 (29.1) | 1195.97 (118.1) |
| 2009 | 0.09 (0.6) | 98.22 (136.3) | 699.17 (81.4) | 71.13 (107.2) | 868.61 (85.8) |
| 2010 | 0.74 (4.7) | 49.30 (68.4) | 584.40 (68.1) | 43.41 (65.4) | 677.85 (66.9) |
| 2011 | 5.20 (32.8) | 79.40 (110.2) | 1028.00 (119.7) | 0.50 (0.8) | 1113.10 (109.9) |
| 2012 | 11.20 (70.6) | 31.30 (43.4) | 704.20 (82.0) | 51.20 (77.2) | 797.00 (78.7) |
| 2013 | 17.10 (107.8) | 73.80 (102.4) | 518.4 (60.4) | 164.30 (247.6) | 773.60 (76.4) |
| 2014, सितंबर तक | 33.80 | 94.10 | 774.20 | | |
| औसत (2001-2013) | 15.86 | 72.04 | 858.58 | 66.36 | 1012.78 |

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए वास्तविक वर्षापात को आंकड़े औसत के प्रतिशत के बतौर व्यक्त करते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**चार्ट 2.1 : बिहार में वार्षिक वर्षापात**

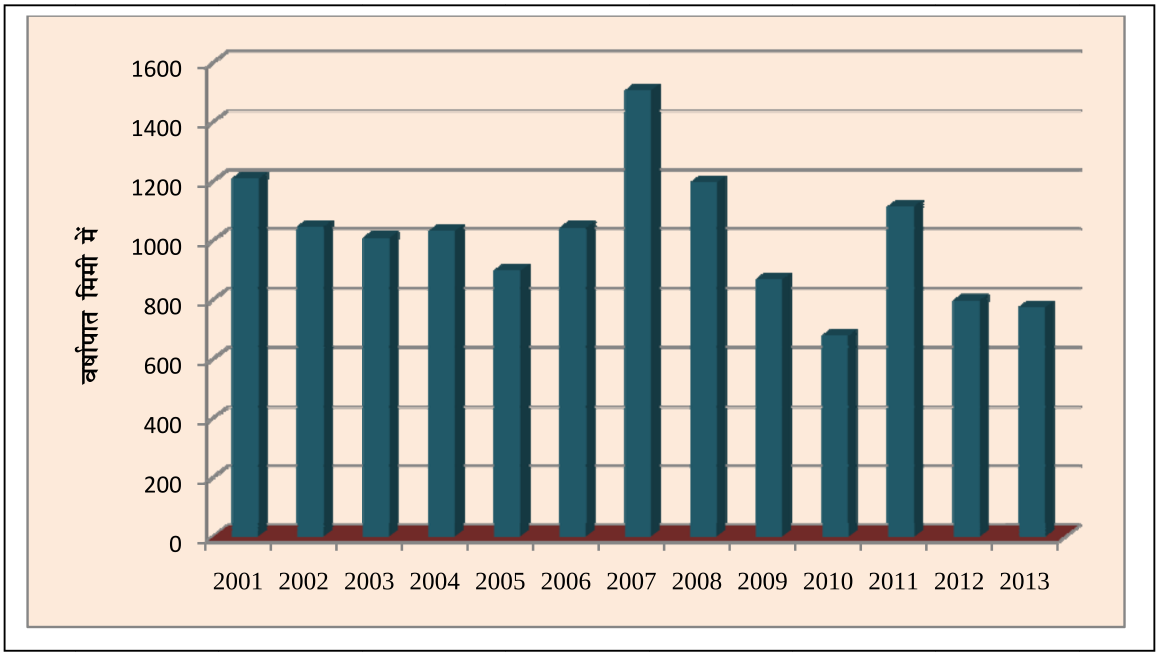


बिहार के विभिन्न जिलों में 2013 और 2014 में (सितंबर तक) हुए वर्षापात का पैटर्न तालिका प 2.1 (परिशिष्ट) में देखा जा सकता है। तुलनात्मक जायजे के लिए जिले के कुल वर्षापात की तुलना उस वर्ष में बिहार के औसत से की जा सकती है। वर्ष 2013 में बिहार के 38 में से 18 जिलों में बिहार के औसत से अधिक वर्षापात दर्ज किया गया। शेष 20 जिलों में कम वर्षापात हुआ। पहले भी उल्लेख किया गया है कि 2014 में कम वर्षा हुई और तालिका प 2.1 (परिशिष्ट) में देखा जा सकता है कि कोई 19 जिलों में सितंबर तक 900 मिमी से कम वर्षा हुई। ये आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि वार्षिक वर्षापात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है।

## 2.2 भूमि उपयोग

बिहार गंगा बेसिन क्षेत्र के नदी-निर्मित मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। इस स्थलाकृतिक प्रकृति के कारण राज्य में कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। तालिका 2.2 में बिहार के भूमि उपयोग पैटर्न के 2009-10 से 2011-12 तक के आंकड़े प्रस्तुत हैं। आंकड़ों पर एक नजर डालने से ही पता चलता है कि पैटर्न विगत वर्षों के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा है। वनभूमि का क्षेत्रफल 6.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है और स्थायी चरागाह का 0.2 प्रतिशत पर। वर्ष 2009-10 में निवल बुआई क्षेत्रफल का हिस्सा 57.0 प्रतिशत था जो 2011-12 में थोड़ा बढ़कर 57.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, सकल बुआई क्षेत्रफल में भी थोड़ी वृद्धि हुई जो 2009-10 के 7,295.81 हजार हे. से 2011-12 में 7,646.76 हजार हे. हो गया। फसल सघनता पहले दो वर्षों में अपरिवर्तित (1.37) रही लेकिन 2011-12 में थोड़ा बढ़कर 1.42 हो गई।

**तालिका 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| भूमि उपयोग | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्रफल | 9359.57 (100.0) | 9359.57 (100.0) | 9359.57 (100.0) |
| (1) वन | 621.64 (6.6) | 621.64 (6.6) | 621.64 (6.6) |
| (2) बंजर एवं अकृष्य भूमि | 431.72 (4.6) | 431.72 (4.6) | 431.72 (4.6) |
| (3) गैर-कृषि उपयोग वाली भूमि | 1689.72 (18.1) | 1699.74 (18.2) | 1702.54 (18.2) |
| भूमि क्षेत्र | 1332.51 (14.2) | 1342.69 (14.3) | 1345.57 (14.4) |
| जल क्षेत्र | 357.21 (3.8) | 357.05 (3.8) | 356.97 (3.8) |
| (4) कृष्य ऊसर भूमि | 45.38 (0.5) | 45.34 (0.5) | 45.23 (0.5) |
| (5) स्थायी चरागाह | 15.78 (0.2) | 15.73 (0.2) | 15.7 (0.2) |
| (6) बागानी भूमि | 243.98 (2.6) | 244.56 (2.6) | 244.57 (2.6) |
| (7) परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर) | 122.00 (1.3) | 121.88 (1.3) | 121.17 (1.3) |
| (8) वर्तमान परती | 857.63 (9.2) | 920.27 (9.8) | 781.26 (8.3) |
| कुल अकृष्य भूमि (1 से 8) | 4027.84 (43.0) | 4100.87 (43.8) | 3963.83 (42.4) |
| निवल बुआई क्षेत्रफल | 5331.73 (57.0) | 5258.70 (56.2) | 5395.75 (57.6) |
| सकल बुआई क्षेत्रफल | 7295.81 | 7194.0 | 7646.76 |
| फसल सघनता | 1.37 | 1.37 | 1.42 |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार के विभिन्न जिलों में भूमि उपयोग पैटर्न के सबसे हाल के वर्ष 2011-12 के आंकड़े तालिका प 2.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका में कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उस श्रेणी के प्रतिशत को अभिव्यक्त करते हैं। विश्लेषण से पता चलेगा कि जिलों के बीच भूमि उपयोग के पैटर्न में काफी अंतर है। ऐसा इस कारण है कि अलग-अलग जिले अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के हिस्से हैं। वर्ष 2011-12 में विभिन्न जिलों में निवल बुआई क्षेत्रफल पर विचार करने पर 5 जिलों में निवल बुआई क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से भी अधिक दिखता है जबकि पूरे राज्य में निवल बुआई क्षेत्र का औसत 60 प्रतिशत से कम है। बिहार के बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ये जिले हैं - बक्सर (82.7 प्रतिशत), भोजपुर (77.6 प्रतिशत), सीवान (76.4 प्रतिशत), गोपालगंज (72.6 प्रतिशत) और मधेपुरा (72.5 प्रतिशत)। दूसरी ओर, 7 जिले 50 प्रतिशत से कम निवल बुआई क्षेत्र वाले हैं। ये जिले हैं - जमुई (13.7 प्रतिशत), मुंगेर (31.9 प्रतिशत), गया (34.2 प्रतिशत), बांका (37.9 प्रतिशत), नवादा (43.1 प्रतिशत), कैमूर (45.6 प्रतिशत), तथा भागलपुर

(49.4 प्रतिशत)। ये वैसे जिले हैं जिनमें राज्य के औसत की तुलना में फसल सघनता भी बहुत कम है। फसल सघनता अरवल में सबसे कम (1.04) है।

फसल पैटर्न

तालिका 2.3 में बिहार में 2009-10 से 2013-14 तक का फसल पैटर्न दर्शाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह क्षेत्र की ओर काफी अधिक झुकी हुई है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल हाल के वर्षों में कमी के बावजूद 90 प्रतिशत से अधिक है। अकेले अनाजों का हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है जिसमें चावल हिस्सा तकरीबन 45 प्रतिशत है। दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल में थोड़ी गिरावट दिखी है जो 2009-10 के 8.00 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 7.37 प्रतिशत रह गया। कुल खेती में खाद्येतर क्षेत्र (तिलहन, रेशेदार फसलें और ईख) का हिस्सा मात्र 7 प्रतिशत है। ईख की खेती के क्षेत्रफल में थोड़ी वृद्धि हुई है जो 2009-10 के 1.90 प्रतिशत से 2013-14 में 3.64 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि खाद्यान्नों और तिलहनों की कीमत पर हुई है।

**तालिका 2.3 : बिहार में फसल पैटर्न**

| फसलें | क्षेत्रफल का प्रतिशत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| खाद्यान्न | 94.30 | 92.06 | 93.01 | 93.02 | 92.57 |
| अनाज | 86.30 | 84.03 | 85.73 | 85.90 | 85.52 |
| दलहन | 8.00 | 8.03 | 7.28 | 7.11 | 7.37 |
| तिलहन | 1.90 | 1.94 | 1.85 | 1.59 | 1.74 |
| रेशेदार फसलें | 1.90 | 2.27 | 2.11 | 1.94 | 1.73 |
| ईख | 1.90 | 3.73 | 3.03 | 3.46 | 3.64 |
| कुल क्षेत्रफल | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## 2.3 उत्पादन और उत्पादकता

भूमि की उर्वरता और प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य, दोनो प्रकार की फसलें उगाने में समर्थ हैं। प्रमुख अनाजों और दलहनों के अलावा बिहार के किसान तिलहन, रेशेदार फसलें, फल और सब्जियां भी उगाते हैं। देर से ही सही, लेकिन बिहार के किसानों ने राज्य के अंदर-बाहर फूलों की बढ़ती मांग को देखकर फूलों की खेती में भी रुचि ली है।

**तालिका 2.4 : बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन**

(उत्पादन हजार टन में)

| फसलें | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल अनाज | 9616.28 | 10352.10 | 17363.65 | 17286.69 | 15716.30 | 16.13 |
| कुल चावल | 3640.16 | 3112.57 | 8237.98 | 8322.01 | 6649.59 | 24.46 |
| बोड़ो चावल | 471.30 | 444.04 | 914.23 | 960.01 | 798.68 | 20.03 |
| अगहनी चावल | 2992.20 | 2505.50 | 7141.12 | 7076.17 | 5634.96 | 25.91 |
| गरमा चावल | 176.66 | 163.03 | 182.63 | 285.83 | 215.95 | 10.11 |
| गेहूं | 4403.80 | 5094.03 | 6530.96 | 6174.26 | 6134.68 | 8.93 |
| कुल मक्का | 1544.44 | 2108.19 | 2557.06 | 2755.95 | 2904.24 | 16.54 |
| खरीफ मक्का | 401.47 | 468.52 | 622.42 | 926.32 | 778.21 | 22.21 |
| रबी मक्का | 544.14 | 922.28 | 1098.17 | 791.00 | 1199.39 | 15.34 |
| गरमा मक्का | 598.83 | 717.39 | 836.47 | 1038.63 | 926.64 | 13.24 |
| कुल मोटे अनाज | 1572.32 | 2145.50 | 2594.71 | 2790.42 | 2932.03 | 16.29 |
| जौ | 12.40 | 15.69 | 16.69 | 15.23 | 14.25 | 2.51 |
| ज्वार | 1.70 | 3.27 | 2.15 | 2.82 | 1.31 | -6.47 |
| बाजरा | 3.28 | 5.42 | 5.01 | 4.84 | 3.00 | -2.87 |
| रागी | 8.10 | 8.85 | 9.39 | 9.37 | 7.14 | -1.93 |
| कोदो-सावां | 2.40 | 4.08 | 4.41 | 2.21 | 2.09 | -8.51 |
| कुल दलहन | 459.70 | 467.16 | 521.64 | 542.76 | 522.02 | 4.13 |
| कुल खरीफ दलहन | 37.10 | 30.28 | 27.82 | 29.50 | 30.96 | -3.81 |
| ऊड़द | 19.80 | 13.23 | 11.87 | 12.15 | 14.14 | -7.30 |
| भदई मूंग | 5.50 | 6.08 | 4.70 | 7.18 | 7.36 | 7.78 |
| कुल्थी | 10.60 | 9.32 | 8.23 | 7.75 | 7.83 | -7.60 |
| घघरा | 0.50 | 0.24 | 0.57 | 0.78 | 0.34 | 4.16 |
| अन्य खरीफ दलहन | 0.70 | 1.41 | 2.45 | 1.64 | 1.29 | 14.73 |
| कुल रबी दलहन | 422.60 | 436.88 | 493.82 | 513.26 | 491.06 | 4.72 |
| अरहर (तूर) | 36.60 | 39.44 | 42.06 | 47.12 | 36.46 | 1.72 |
| चना | 58.30 | 59.38 | 76.82 | 86.19 | 70.34 | 7.77 |
| मसूर | 159.20 | 162.22 | 171.61 | 183.24 | 196.05 | 5.53 |
| मटर | 20.00 | 19.80 | 19.23 | 19.25 | 18.35 | -1.98 |
| खेसारी | 81.70 | 73.17 | 92.07 | 83.80 | 70.55 | -1.57 |
| गरमा मूंग | 64.90 | 81.26 | 90.10 | 92.13 | 98.01 | 9.97 |
| अन्य रबी दलहन | 1.90 | 1.61 | 1.93 | 1.53 | 1.30 | -7.78 |
| कुल तेलहन | 140.60 | 142.24 | 174.48 | 182.74 | 157.17 | 4.85 |
| अंडी | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | -9.93 |
| कुसुम | 0.30 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 1.32 | 38.42 |
| तिल | 1.80 | 2.02 | 2.25 | 1.95 | 1.99 | 1.67 |
| सूर्यमुखी | 25.60 | 24.98 | 22.87 | 22.26 | 19.79 | -6.11 |
| सरसों-राई | 91.40 | 95.82 | 127.93 | 138.52 | 117.14 | 9.03 |
| तीसी | 19.20 | 18.83 | 20.27 | 19.05 | 15.87 | -3.63 |
| मूंगफली | 2.10 | 0.37 | 0.83 | 0.78 | 0.91 | -8.85 |
| कुल रेशेदार फसलें | 1271.00 | 1309.41 | 1738.81 | 1717.73 | 1745.08 | 9.48 |
| जूट | 1147.30 | 1164.59 | 1490.70 | 1490.24 | 1498.08 | 8.11 |
| मेसता | 123.70 | 144.82 | 248.11 | 227.49 | 247.00 | 20.14 |
| ईख | 3443.70 | 11827.66 | 11288.58 | 12741.42 | 12881.78 | 31.17 |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 2.4 में बिहार में उपजाई जाने वाली 34 महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के 2009-10 से 2013-14 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि 2013-14 में अनाजों का कुल उत्पादन 2009-10 के 96.16 लाख टन की तुलना में 157.16 लाख टन था। उत्पादन के आंकड़ों में इतनी बड़ी छलांग मुख्यत: 2009-10 के मुकाबले 2013-14 में चावल के उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण है। नई 'श्री' तकनीक और नए-नए कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 के पूर्व चावल के उत्पादन में निरंतरता नहीं थी और विभिन्न वर्षों के उत्पादन के स्तरों में भारी अंतर रहता था। ऐसा इस कारण होता है कि लगभग 50 प्रतिशत धान के खेत सिंचाई सुविधाओं से रहित हैं और अनिश्चित वर्षा पर निर्भर हैं। इसी प्रकार, गेहूं और मक्का के उत्पादन में भी सकारात्मक रुझान दर्ज हुआ है। 2007-08 से 2009-10 के बीच गेहूं का औसत वार्षिक उत्पादन तकरीबन 40-50 लाख टन रहता था। उसके बाद से गेहूं का उत्पादन बढ़ा और 2011-12 में 65.31 लाख टन हो गया। ऐसा 'जीरो टिलेज विधि' और 'श्री' तकनीक के उपयोग के कारण संभव हुआ। हालांकि 2013-14 में गेहूं का उत्पादन थोड़ा घटकर 61.35 लाख टन रह गया। गेहूं उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2009-10 से 2013-14 के बीच 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 में मक्का का उत्पादन 27.56 लाख टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया और 2013-14 में उससे भी बढ़कर 29.04 लाख टन हो गया। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच मक्का उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 16.5 प्रतिशत रही। 4.1 प्रतिशत की मध्यम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए दलहनों का उत्पादन 2009-10 के 4.60 लाख टन से बढ़कर 2013-14 में 5.22 लाख टन पहुंच गया। खाद्यान्नों की समग्र स्थिति पर गौर करने पर दिखता है कि गत पांच वर्षों के दौरान अनाजों का उत्पादन स्तर 16.1 प्रतिशत और दलहनों का 4.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जो राज्य के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाला है।

अन्य फसलों के मामले में दिखता है कि तिलहनों का उत्पादन 4.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ा है जिसका मुख्य कारण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल सरसों-राई का उत्पादन 9.0 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ना है। लगभग शेष सभी तिलहनों के उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। रेशेदार फसलों के मामले में भी विकास दर ऊंची रही है (9.5 प्रतिशत) और ईख के मामले में उससे भी अधिक (31.2 प्रतिशत)।

बिहार में विभिन्न फसलों की उत्पादकताओं को तालिका 2.5 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में 2005-08 और 2011-14 के त्रिवर्षीय उत्पादकता औसतों का उपयोग करके उत्पादकता के तुलनात्मक स्तरों को देखा जा सकता है। तालिका का अंतिम कॉलम दो त्रिवर्षों के बीच प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। त्रिवर्ष 2011-14 के लिए तीन महत्वपूर्ण अनाजों की औसत उत्पादकता चावल के लिए 2,365 किग्रा प्रति हे., गेहूं के लिए 2,900 किग्रा/ हे. और मक्का के लिए 3,870 किग्रा/ हे. है। दो त्रिवर्षों के बीच उत्पादकता में वृद्धि चावल के मामले में 84.2 प्रतिशत, गेहूं के मामले में 51.1 प्रतिशत और मक्का के मामले में 51.8 प्रतिशत रही।

**तालिका 2.5 : बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता ( किग्रा/ प्रति हे. )**

| फसलें | त्रिवर्षीय औसत (2005-08) | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | त्रिवर्षीय औसत (2011-14) | त्रिवर्षों के बीच प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल अनाज | 1493 | 2794 | 2776 | 2595 | 2722 | 82.3 |
| कुल चावल | 1284 | 2463 | 2523 | 2110 | 2365 | 84.2 |
| बोड़ो चावल | 868 | 1603 | 1776 | 1454 | 1611 | 85.7 |
| अगहनी चावल | 1350 | 2660 | 2667 | 2246 | 2524 | 87.0 |
| गरमा चावल | 1557 | 1912 | 2719 | 2342 | 2324 | 49.3 |
| गेहूं | 1915 | 3049 | 2797 | 2855 | 2900 | 51.5 |
| कुल मक्का | 2549 | 3670 | 3975 | 3966 | 3870 | 51.8 |
| खरीफ मक्का | 1380 | 2358 | 3549 | 2814 | 2907 | 110.7 |
| रबी मक्का | 3477 | 4584 | 3264 | 4522 | 4123 | 18.6 |
| गरमा मक्का | 3223 | 4327 | 5468 | 4820 | 4872 | 51.1 |
| कुल मोटे अनाज | 1956 | 3566 | 3868 | 3877 | 3770 | 92.8 |
| जौ | 1104 | 1542 | 1460 | 1398 | 1467 | 32.9 |
| ज्वार | 1035 | 1065 | 1071 | 1065 | 1067 | 3.1 |
| बाजरा | 1067 | 1125 | 1140 | 1138 | 1134 | 6.3 |
| रागी | 789 | 1214 | 1181 | 1015 | 1137 | 44.0 |
| कोदो-सावां | 752 | 761 | 765 | 754 | 760 | 1.0 |
| कुल दलहन | 1606 | 989 | 1052 | 1044 | 1028 | -36.0 |
| कुल खरीफ दलहन | 860 | 819 | 871 | 886 | 859 | -0.1 |
| ऊड़द | 782 | 866 | 864 | 912 | 881 | 12.6 |
| भदई मूंग | 602 | 608 | 813 | 805 | 742 | 23.3 |
| कुल्थी | 872 | 952 | 968 | 952 | 957 | 9.7 |
| अन्य खरीफ दलहन | 578 | 750 | 751 | 752 | 751 | 29.9 |
| कुल रबी दलहन | 746 | 1001 | 1065 | 1056 | 1041 | 39.5 |
| अरहर | 949 | 1901 | 2132 | 1667 | 1900 | 100.1 |
| चना | 919 | 1295 | 1402 | 1147 | 1281 | 39.5 |
| मसूर | 753 | 1018 | 1147 | 1272 | 1146 | 52.2 |
| मटर | 942 | 1031 | 1041 | 1060 | 1044 | 10.8 |
| खेसारी | 826 | 1265 | 1179 | 1116 | 1187 | 43.7 |
| गरमा मूंग | 594 | 600 | 624 | 672 | 632 | 6.4 |
| अन्य रबी दलहन | - | 1110 | 1101 | 1010 | 1074 | - |
| कुल तेलहन | 996 | 1308 | 1431 | 1279 | 1339 | 34.5 |
| अंडी | 944 | 961 | 960 | 956 | 959 | 1.6 |
| कुसुम | 800 | 803 | 808 | 805 | 805 | 0.7 |
| तिल | 788 | 879 | 882 | 872 | 878 | 11.4 |
| सूर्यमुखी | 1339 | 1437 | 1412 | 1410 | 1420 | 6.0 |
| सरसों-राई | 967 | 1416 | 1595 | 1374 | 1462 | 51.2 |
| तीसी | 851 | 865 | 867 | 850 | 861 | 1.2 |
| मूंगफली | 494 | 1021 | 1022 | 1024 | 1022 | 107.0 |
| जूट | 9967 | 2079 | 2180 | 2571 | 2277 | -77.2 |
| मेसता | 9185 | 2226 | 2325 | 2746 | 2432 | -73.5 |
| ईख | 40178 | 51713 | 50896 | 49916 | 50842 | 26.5 |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 2.2 : बिहार में प्रमुख फसलों की उत्पादकता (किग्रा/हे.)

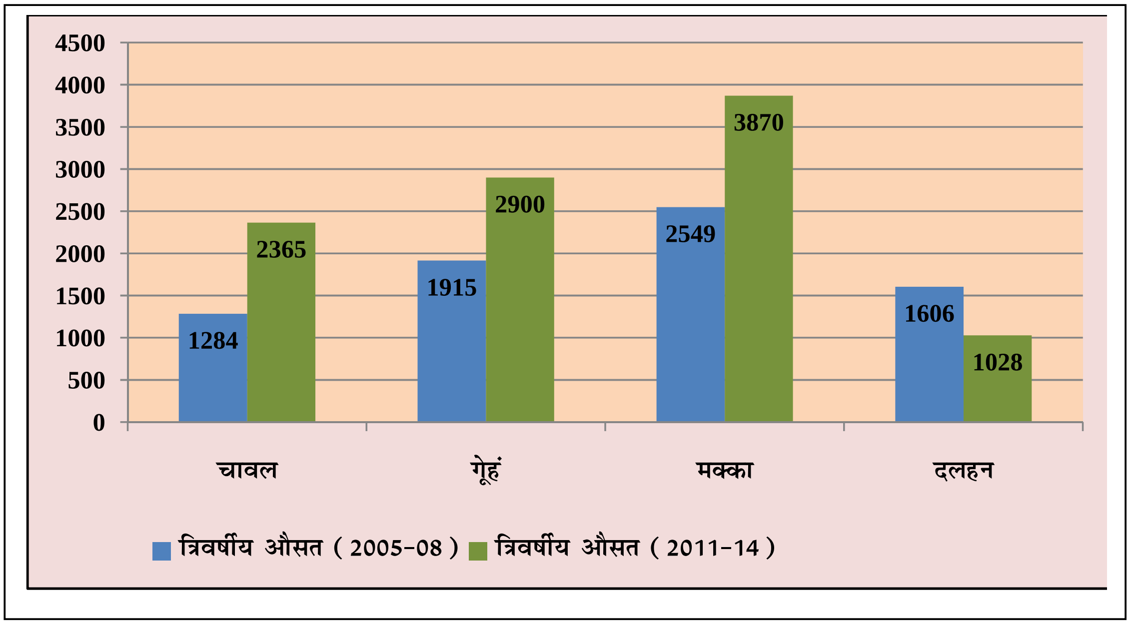


<u>चावल का क्षेत्रफल और उत्पादन</u>

बिहार में एक अंचल से दूसरे अंचल की कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां भिन्न हैं। इस कारण विभिन्न अंचलों के बीच फसल पैटर्न में भी अंतर रहता है। आगे के खंडों में विगत दो वर्षों के दौरान बिहार की चार प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों के जिलावार उत्पादन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका प 2.3 (परिशिष्ट) में बिहार में चावल के उत्पादन और उत्पादकता के 2011-12 और 2012-13 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन में हर जिले में का हिस्सा कोष्ठकों में दिया गया है। उत्पादकता के कॉलम में हर जिले की उत्पादकता के साथ-साथ राज्य में उसका दर्जा भी दिया गया है। वर्ष 2012-13 में क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर नजर डालने पर पता चलता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से चावल के अधिक उत्पादन वाले जिले पूर्व चंपारण (5.7 प्रतिशत), औरंगाबाद (5.5 प्रतिशत) और रोहतास (5.4 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रफल में हिस्से के मामले में सबसे निचले पायदान वाले जिले लखीसराय (0.4 प्रतिशत), खगड़िया (0.6 प्रतिशत) और शेखपुरा (0.7 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2012-13 में चावल के उत्पादन पर नजर विचार करने पर उत्पादन में हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान पर स्थित जिले रोहतास (8.6 प्रतिशत), औरंगाबाद (7.4 प्रतिशत) और गया (4.9 प्रतिशत) हैं। इसी प्रकार, सबसे निचले पायदान पर स्थित जिले लखीसराय (0.6 प्रतिशत), खगड़िया (0.5 प्रतिशत) और शेखपुरा (0.8 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2012-13 में उत्पादकता के लिहाज से सर्वोच्च जिले रोहतास, कैमूर और जहानाबाद हैं। वर्ष 2012-13 में चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास जिले में थी - 4,013 किग्रा प्रति हे.।

गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन

गेहूं के उत्पादन स्तर के विश्लेषण के लिए उसी प्रविधि का उपयोग किया गया है जिसका उपयोग चावल के मामले में किया गया है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए गेहूं के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार हिस्से तालिका प 2.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। हर जिले के उत्पादकता के आंकड़े के साथ उसका दर्जा कोष्ठक में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 में क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर विचार करने पर दिखता है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले रोहतास (6.5 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (5.2 प्रतिशत) और आरंगाबाद (4.4 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रफल में हिस्से के लिहाज से सबसे निचले पायदान वाले जिले जमुई (0.3 प्रतिशत), अरवल (0.5 प्रतिशत) और शिवहर (0.5 प्रतिशत) हैं। हालांकि उत्पादन में जिलावार हिस्से पर विचार करने पर ऊपरी पायदान वाले जिले रोहतास (7.4 प्रतिशत), सीवान (5.1 प्रतिशत) और पूर्व चंपारण (4.9 प्रतिशत) दिखते हैं। उत्पादन के मामले में निचले पायदान वाले जिले जमुई (0.3 प्रतिशत), किशनगंज (0.4 प्रतिशत) और मुंगेर (0.5 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2012-13 में उत्पादकता के श्रेणीक्रम के लिहाज से सर्वोच्च तीन जिले अररिया, पटना और समस्तीपुर हैं। वर्ष 2012-13 में सर्वोच्च उत्पादकता - 3,726 किग्रा प्रति हे. अररिया जिले में हासिल की गई।

मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए बिहार में मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार हिस्से तालिका प 2.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। पहले की ही तरह उत्पादकता के कॉलम में कोष्ठकों में उत्पादकता के लिहाज से जिलों के दर्जे दर्शाए गए हैं। क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर विचार करने पर सर्वोच्च मक्का उत्पादक जिले बेगूसराय (8.6 प्रतिशत), खगड़िया (8.5 प्रतिशत) और कटिहार (8.4 प्रतिशत) हैं। सबसे निचले पायदान के जिले जहानाबाद (0.2 प्रतिशत), अरवल (0.1 प्रतिशत) और शेखपुरा (0.1 प्रतिशत) हैं। उत्पादन में हिस्सों पर विचार करने पर 2012-13 में सर्वोच्च तीन जिले कटिहार (10.6 प्रतिशत), मधेपुरा (9.8 प्रतिशत) और भागलपुर (9.9 प्रतिशत) हैं। उत्पादन में हिस्से के लिहाज से निम्न प्रदर्शन वाले जिले हैं - जहानाबाद (0.1 प्रतिशत), अरवल (0.1 प्रतिशत) और औरंगाबाद (0.1 प्रतिशत)। वर्ष 2012-13 में उत्पादकता के लिहाज से शीर्ष प्रदर्शन वाले तीन जिले मधेपुरा, भागलपुर और सुपौल हैं। वर्ष 2012-13 में 6,154 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता मधेपुरा जिले में हासिल की गई।

दलहनों का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दलहनों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े तालिका प 2.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। दलहनों के कुल उत्पादन क्षेत्र में जिलों के हिस्सों पर विचार करने पर 2012-13 में सर्वोच्च जिले पटना (9.2 प्रतिशत), औरंगाबाद (7.7 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (5.2 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2012-13 में उत्पादन में हर जिले के हिस्से पर विचार करने पर सर्वोच्च तीन जिले पटना (12.6 प्रतिशत), औरंगाबाद (7.4 प्रतिशत) और भोजपुर (6.7 प्रतिशत) होंगे। उत्पादकता संबंधी दर्जे के

लिहाज से सर्वोच्च तीन जिले भोजपुर, रोहतास और सीवान हैं। वर्ष 2012-13 में दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता (1709 किग्रा प्रति हे.) भोजपुर में दर्ज की गई।

उक्त चर्चा के आधार पर तालिका 2.6 को चार फसलों - चावल, गेहूं, मक्का और दलहन - के उत्पादन और उत्पादकता के मामले में विभिन्न अग्रणी जिलों की उपलब्धियां दर्शाने के लिए तैयार किया गया है।

**तालिका 2.6 : बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी जिले**

| फसल | उत्पादन/ उत्पादकता | अग्रणी तीन जिले | |
|---|---|---|---|
| | | 2011-12 | 2012-13 |
| चावल | उत्पादन | रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण | रोहतास, औरंगाबाद, गया |
| | उत्पादकता | रोहतास, बांका, बक्सर | रोहतास, कैमूर, जहानाबाद |
| गेहूं | उत्पादन | रोहतास, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर | रोहतास, सीवान, पूर्व चंपारण |
| | उत्पादकता | मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर | अररिया, पटना, समस्तीपुर |
| मक्का | उत्पादन | मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा | कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा |
| | उत्पादकता | मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया | मधेपुरा, भागलपुर, सुपौल |
| दलहन | उत्पादन | पटना, औरंगाबाद, भोजपुर | पटना, औरंगाबाद, भोजपुर |
| | उत्पादकता | रोहतास, पटना, भोजपुर | भोजपुर, रोहतास, सीवान |

<u>सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन</u>

राज्य की कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल हैं। गंगा द्वारा फैलाई गई जलोढ़ मिट्टी राज्य के सब्जी उत्पादकों के लिए बड़ा वरदान है। सब्जियों के उत्पादन के मामले में राज्य का सभी राज्यों के बीच सर्वोच्च स्थान है और यहां से सब्जियों का निर्यात दूर-दूर तक किया जाता है। तालिका 2.7 में बिहार में 2009-10 से 2013-14 के बीच सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका से पता चलता है कि 2009-10 से 2013-14 तक प्रमुख सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप, इस दौरान आलू का उत्पादन 3.73 प्रतिशत, प्याज का 4.43 प्रतिशत, गोभी का 1.52 प्रतिशत और बैंगन का 2.86 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में कुल सब्जी उत्पादन में 2.48 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

वर्ष 2013-14 में कुल 156.29 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ जबकि 2009-10 में यह 139.50 लाख टन था। वर्ष 2013-14 में सब्जियों के कुल उत्पादन अर्थात 156.29 लाख टन में आलू का हिस्सा 64.32 लाख टन, प्याज का 12.63 लाख टन, टमाटर का 10.62 लाख टन, गोभी का 11.50 लाख टन, बैंगन का 13.14 लाख टन और शेष सब्जियों का 44.08 लाख टन था।

## तालिका 2.7 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | आलू | प्याज | टमाटर | गोभी | पत्तागोभी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 313.57 | 52.73 | 46.51 | 62.22 | 38.67 |
| | उत्पादन | 5387.20 | 1016.07 | 1043.73 | 1080.12 | 689.93 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 314.19 | 53.26 | 46.82 | 62.63 | 39.17 |
| | उत्पादन | 5784.30 | 1082.03 | 1056.24 | 1118.73 | 711.14 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 315.17 | 53.81 | 47.18 | 62.95 | 39.58 |
| | उत्पादन | 6101.69 | 1236.77 | 1104.76 | 1155.12 | 734.99 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 315.73 | 51.01 | 46.11 | 65.93 | 40.21 |
| | उत्पादन | 5851.99 | 1081.17 | 1061.79 | 1149.58 | 734.79 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 241.542 | 53.21 | 47.69 | 65.70 | 39.99 |
| | उत्पादन | 6432.09 | 1262.59 | 1061.77 | 1148.99 | 734.98 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 3.73 | 4.43 | 0.40 | 1.52 | 1.60 |
| | | | | | | |
| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | बैगन | भिंडी | मिर्च | कद्दू | नेनुआ |
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 55.29 | 58.25 | 39.53 | 31.11 | 36.48 |
| | उत्पादन | 1198.64 | 766.6 | 453.82 | 645.3 | 504.18 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 55.67 | 58.5 | 39.79 | 31.44 | 37.01 |
| | उत्पादन | 1215.64 | 788.26 | 461.27 | 657.69 | 512.84 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 56.11 | 59 | 40.22 | 32.02 | 37.34 |
| | उत्पादन | 1271.54 | 825.26 | 486.03 | 703.13 | 535.73 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 57.28 | 58.09 | 39.2 | 31.64 | 37 |
| | उत्पादन | 1341.20 | 786.06 | 478.17 | 658.9 | 512.84 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 57.49 | 58.07 | 39.49 | 31.73 | 37 |
| | उत्पादन | 1314.20 | 783.54 | 478.12 | 658.1 | 512.84 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 2.86 | 0.41 | 1.41 | 0.41 | 0.34 |
| | | | | | | |
| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | खीरा | झिंगी | करेला | पेठा | तरबूज |
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 1.79 | 8.51 | 9.21 | 0.38 | 1.22 |
| | उत्पादन | 19.58 | 51.24 | 65.46 | 9.17 | 26.07 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 2.06 | 8.86 | 9.68 | 0.58 | 1.41 |
| | उत्पादन | 22.88 | 54.48 | 70.01 | 13.77 | 30.67 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 2.29 | 9.12 | 10.01 | 0.72 | 1.53 |
| | उत्पादन | 26.16 | 60.29 | 76.84 | 17.44 | 34.15 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 2.06 | 8.85 | 9.67 | 0.57 | 1.41 |
| | उत्पादन | 22.88 | 54.47 | 70 | 13.77 | 30.67 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 2.06 | 8.86 | 9.67 | 0.57 | 1.41 |
| | उत्पादन | 22.88 | 54.47 | 70 | 13.77 | 30.67 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 3.16 | 1.23 | 1.35 | 8.47 | 3.30 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

(जारी)

**तालिका 2.7 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | खरबूजा | परवल | लोबिया | मटर | मूली |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 0.88 | 5.91 | 12.99 | 9.26 | 15.68 |
| | उत्पादन | 11.01 | 63.01 | 101.74 | 63.5 | 245.19 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 1.13 | 6.46 | 14.1 | 9.62 | 16.01 |
| | उत्पादन | 14.15 | 69.48 | 111.52 | 67.15 | 252.34 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 1.27 | 6.94 | 14.13 | 9.93 | 16.29 |
| | उत्पादन | 16.45 | 100.25 | 121.05 | 82.14 | 261.03 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 1.13 | 6.45 | 14.09 | 9.62 | 16.01 |
| | उत्पादन | 14.15 | 69.47 | 111.52 | 67.15 | 252.33 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 1.13 | 6.45 | 14.09 | 9.62 | 16.01 |
| | उत्पादन | 14.15 | 69.47 | 111.52 | 67.15 | 252.33 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 5.15 | 1.97 | 1.85 | 1.12 | 0.58 |
| | | | | | | |
| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | गाजर | शक्करकंद | कच्चू | अन्य | योग |
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 4.49 | 0.34 | 0.85 | 29.87 | 835.74 |
| | उत्पादन | 52.65 | 6.98 | 9.58 | 440.1 | 13950.87 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 4.71 | 0.41 | 1.02 | 30.46 | 844.99 |
| | उत्पादन | 55.34 | 8.32 | 11.7 | 460.28 | 14630.23 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 4.85 | 0.46 | 1.18 | 30.54 | 852.64 |
| | उत्पादन | 59.35 | 9.54 | 14.18 | 469.28 | 15503.17 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 4.7 | 0.41 | 1.02 | 30.45 | 848.63 |
| | उत्पादन | 55.33 | 8.31 | 11.69 | 460.27 | 14898.51 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 4.7 | 0.41 | 1.02 | 30.45 | 778.36 |
| | उत्पादन | 55.33 | 8.31 | 11.69 | 460.27 | 15629.23 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 1.00 | 3.54 | 4.05 | 0.90 | 2.48 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

(समाप्त)

दो वर्षों, 2012-13 और 2013-14 के लिए विभिन्न सब्जियों के क्षेत्रफल के साथ-साथ उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका प 2.7 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े किसी खास सब्जी के कुल क्षेत्रफल और कुल उत्पादन में उस जिले के हिस्से को दर्शाते हैं। वर्ष 2013-14 में मुख्य आलू उत्पादक जिले नालंदा (9.3 प्रतिशत), पटना (5.5 प्रतिशत) और सारण (4.4 प्रतिशत) थे। उत्पादन में हिस्से के लिहाज से विचार करने पर प्याज के मुख्य उत्पादक जिले नालंदा (13.0 प्रतिशत), कटिहार (6.6 प्रतिशत) और पटना (5.0 प्रतिशत) थे। वर्ष 2013-14 में मुख्य गोभी उत्पादक जिलों का हिस्सा इस प्रकार था - वैशाली 3.6 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर 5.9 प्रतिशत और पटना 5.9 प्रतिशत)।

फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

बिहार अपनी लीची और आम के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लीची के मौसम में बिहार की लीची देश के हर क्षेत्र में बेची जाती है। अपने स्वाद के लिए मुजफ्फरपुर की लीची पूरे देश में एक ब्रांड नाम बन गई है जिसमें शाही लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आम का माल्दह प्रभेद बिहार का एक और मशहूर फल है। बिहार में 2009-10 से 2013-14 तक के फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्योरा प्रस्तुत तालिका 2.8 में किया गया है। तालिका में दिखेगा कि इन वर्षों में प्रमुख फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि इस दौरान आम का उत्पादन 5.10 प्रतिशत, लीची का 2.02 प्रतिशत और पपीता का 4.81 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। हालांकि अनारस, नींबू और केला के मामले में गिरावट का रुझान दिखा।

**तालिका 2.8 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | आम | अमरुद | लीची | नींबू | केला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 146.03 | 29.23 | 30.60 | 17.85 | 31.46 |
| | उत्पादन | 995.94 | 231.48 | 215.13 | 131.22 | 1435.34 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 147.01 | 29.43 | 31.06 | 17.95 | 31.89 |
| | उत्पादन | 1334.87 | 235.15 | 226.98 | 130.70 | 1517.11 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 147.51 | 29.51 | 31.10 | 18.01 | 32.11 |
| | उत्पादन | 1241.80 | 245.18 | 236.43 | 133.88 | 1580.48 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 135.86 | 29.70 | 31.14 | 17.95 | 33.58 |
| | उत्पादन | 1343.32 | 238.08 | 233.86 | 130.90 | 1414.03 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 137.77 | 29.96 | 31.48 | 17.95 | 34.40 |
| | उत्पादन | 1274.02 | 238.62 | 234.20 | 128.90 | 1435.78 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 5.10 | 0.70 | 2.02 | -0.34 | -0.70 |
| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | अन्नानास | पपीता | आंवला | अन्य | योग |
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 4.74 | 1.49 | 1.46 | 30.72 | 293.58 |
| | उत्पादन | 124.96 | 35.59 | 13.57 | 281.69 | 3464.92 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 4.88 | 1.60 | 1.56 | 31.04 | 296.42 |
| | उत्पादन | 129.38 | 38.23 | 14.22 | 285.12 | 3911.76 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 4.94 | 1.71 | 1.70 | 32.66 | 299.25 |
| | उत्पादन | 131.94 | 41.28 | 16.01 | 319.23 | 3946.23 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 4.16 | 1.92 | 1.61 | 32.07 | 295.00 |
| | उत्पादन | 113.91 | 48.50 | 14.83 | 297.12 | 3834.56 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 4.16 | 1.98 | 1.68 | 32.07 | 290.21 |
| | उत्पादन | 113.91 | 39.96 | 14.95 | 297.12 | 3777.46 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | -3.08 | 4.81 | 2.39 | 1.49 | 1.50 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में फल उत्पादन के मामले में जिलों के बीच भारी भिन्नता है। इसे तालिका प 2.8 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है। तालिका में 2012-13 और 2013-14 के लिए चार महत्वपूर्ण फलदार फसलों - आम, लीची, अमरुद और केला - का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन भी प्रस्तुत किया गया है। कोष्ठकों में क्षेत्रफल और उत्पादन में हर जिले का हिस्सा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2013-14 में आम का कुल उत्पादन 12.74 लाख टन, अमरुद का 2.39 लाख टन, लीची का 2.34 लाख टन और केले का 14.36 लाख टन हुआ।

वर्ष 2013-14 के लिए आम के उत्पादन के स्तरों पर विचार करने पर पता चलता है कि कुल उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा वाले जिले दरभंगा (9.5 प्रतिशत), समस्तीपुर (7.9 प्रतिशत) और पूर्व चंपारण (6.8 प्रतिशत) हैं। अतः इससे यह बात उभरती है कि उत्तर बिहार आम की खेती के लिए खास तौर पर उपयुक्त है। वर्ष 2013-14 में अमरुद के उत्पादन में जिलावार हिस्से के विश्लेषण से पता चलता है कि रोहतास (11.3 प्रतिशत), भोजपुर (6.5 प्रतिशत) और नालंदा (5.9 प्रतिशत) अमरुद के मुख्य उत्पादक हैं। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2013-14 में दक्षिण-पश्चिम अंचल में स्थित जिलों का अमरुद उत्पादन में मुख्य हिस्सा था। लीची के मामले में कुल उत्पादन में हर जिले के हिस्से पर नजर डालने से दिखता है कि 2013-14 में 25.2 प्रतिशत उत्पादन के साथ मुजफ्फरपुर का इस पर सहज वर्चस्व था। अन्य मुख्य लीची उत्पादक जिले वैशाली (11.6 प्रतिशत) और सीतामढ़ी (6.9 प्रतिशत) हैं। केला के मामले में मुजफ्फरपुर (16.6 प्रतिशत), समस्तीपुर (8.6 प्रतिशत) और दरभंगा (5.7 प्रतिशत) मुख्य उत्पादक जिले हैं।

<u>फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन</u>

हाल में बिहार में फूलों का उत्पादन बढ़ा है जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर काफी बढ़े हैं। तालिका 2.9 में विभिन्न फूलों की खेती के तहत क्षेत्रफल और उत्पादन के 2009-10 से 2013-14 तक के जिलावार आंकड़े प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में 2013-14 में लगभग 99 टन गुलाब, 6,799 टन गेंदा, 317 टन बेला और 536 टन ट्यूबरोज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच गुलाब का उत्पादन 5.51 प्रतिशत और गेंदा का 7.80 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

**तालिका 2.9 : बिहार में फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन**

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

| वर्ष | क्षेत्रफल/ उत्पादन | गुलाब | गेंदा | बेला | ट्यूबरोज | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | क्षेत्रफल | 63.55 | 269.85 | 91.6 | 87.45 | 113.9 | 626.35 |
| | उत्पादन | 80.86 | 4877.97 | 268.39 | 435.05 | 966.91 | 6629.18 |
| 2010-11 | क्षेत्रफल | 68.05 | 283.15 | 105.15 | 105.25 | 126.05 | 687.65 |
| | उत्पादन | 86.52 | 5119.66 | 307.46 | 522.94 | 1068.23 | 7104.81 |
| 2011-12 | क्षेत्रफल | 72.9 | 359.95 | 113.5 | 116.65 | 138.85 | 801.85 |
| | उत्पादन | 95.14 | 6565.8 | 348.32 | 595.45 | 1210.04 | 8814.75 |
| 2012-13 | क्षेत्रफल | 73.64 | 314.70 | 113.4 | 110.15 | 132.6 | 744.49 |
| | उत्पादन | 98.90 | 5603.12 | 317.66 | 535.84 | 1080.23 | 7635.75 |
| 2013-14 | क्षेत्रफल | 73.59 | 363.48 | 113.4 | 110.15 | 132.6 | 793.22 |
| | उत्पादन | 98.90 | 6798.68 | 317.66 | 535.84 | 1080.23 | 8831.31 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | उत्पादन | 5.51 | 7.80 | 3.77 | 4.51 | 2.36 | 6.70 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

राज्य में फूलों की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है जो तालिका प 2.9 (परिशिष्ट) से स्पष्ट है। वर्ष 2013-14 में गुलाब के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले वैशाली (8.6 प्रतिशत), पटना (8.0 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (7.6 प्रतिशत) हैं। इस अवधि में गेंदा उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख जिले पटना (14.9 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (9.2 प्रतिशत) और वैशाली (9.0 प्रतिशत) हैं। बेला के मामले में गया (7.9 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (7.5 प्रतिशत) और वैशाली (7.3 प्रतिशत) 2013-14 के प्रमुख उत्पादक जिले रहे हैं।

## 2.4 सिंचाई

कृषि के मामले में लागत संबंधी एक सर्वाधिक प्रमुख आवश्यकता कृषिकार्यों के लिए जल की समय से उपलब्धता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने की नई और आधुनिक तकनीकें तभी सफल हो सकती हैं जब सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध हो। हाल के वर्षों में खरीफ फसलों के मामले में सिंचित क्षेत्र 2005-06 के 12.53 लाख हे. से बढ़कर 2013-14 में 16.14 लाख हे. हो गया। वर्ष 2013-14 में रबी फसलों के लिए 4.91 लाख हे. में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई जबकि मांग 5.67 लाख हे. के लिए थी। वर्ष 2005-06 से 2013-14 के बीच कुल सिंचित क्षेत्र 16.65 लाख हे. से बढ़कर 21.19 लाख हे. हो गया जो एक दशक से भी अधिक की अवधि में मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है (तालिका 4.30)। अतः कृषि रोडमैप-2 के तहत राज्य सरकार ने बिहार में सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए निम्नलिखित लक्ष्य तय किए हैं :

(क) रणनीति होगी कि सिंचाई क्षमता को मार्च 2017 तक बढ़ाकर 101.09 लाख हे. किया जाय।

(ख) 3.0 लाख हे. की वर्तमान गरमा सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर मार्च 2017 तक 30.6 लाख हे. करना।

(ग) वर्ष 2022 तक 14.64 लाख निजी नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) मार्च 2017 तक 1,770 आहरों/ पइनों का सघन जीर्णोद्धार कराने का प्रस्ताव है।

(च) वर्ष 2022 तक उत्तर बिहार की नदियों का अधिशेष जल पंप के जरिए गंगा पार स्थानांतरित करने के लिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

## 2.5 कृषि लागत सामग्रियां

कृषिकार्य के लिए उर्वर भूमि और सिंचाई के अलावा प्रचुर एवं गुणवत्तापूर्ण लागत सामग्रियों (इनपुट) की भी जरूरत होती है जिनमें बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और अत्यंत पेशेवर प्रसार (एक्सटेंशन) सेवाएं शामिल हैं। यहां स्मरणीय है कि इन सारी लागत सामग्रियों को फसल पंचांग के अनुरूप समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है।

### बीज

आधुनिक खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण उन्नत बीजों की उपलब्धता एक प्रमुख जरूरत है। इसीलिए बिहार के 'कृषि रोडमैप' में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और किसानों को समय पर उनकी आपूर्ति की जरूरत पर जोर दिया गया है। ऐसे बीजों का उचित उपयोग और बीज प्रतिस्थापन दर का वांछित स्तर बनाए रखना कृषि की उत्पादकता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं। चूंकि बिहार में प्रमाणित बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों की कमी

थी इसलिए अतीत में बीज प्रतिस्थापन दर प्राय: निम्न रहा करती थी। इसीलिए राज्य सरकार प्रमाणित बीजों की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

कृषि रोडमैप के तहत फसलों के हाल में विकसित प्रभेदों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 23 फसलों की पहचान की गई थी और उनके बीजों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना, बीज ग्राम योजना, और प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान शामिल हैं। मृतप्राय पड़े बिहार राज्य बीज निगम का पुनरुद्धार, बिहार बीज प्रमाणन अभिकरण का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य के फार्मों द्वारा फाउंडेशन और ब्रीडर बीजों के बहुगुणन किया गया है। इनके तहत हाजीपुर, भागलपुर और बेगूसराय में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन कदमों की परिणति राज्य में कृषि की उत्पादकता की वृद्धि में हुई है। हाल में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम नामक योजना ने धान की खेती में किसानों की मदद की है। हाल के वर्षों में धान, गेहूं और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरों में काफी वृद्धि हुई है। सबसे खास बात यह है कि बीज प्रतिस्थापन दरें स्वपरागित फसलों के लिए अनुशंसित 33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। तालिका 2.10 में विभिन्न फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरों की स्थिति प्रकट की गई है।

**तालिका 2.10 : बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें**

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

| फसलें | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रतिस्थापन दर | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रतिस्थापन दर | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रतिस्थापन दर |
| **खरीफ फसलें** | | | | | | | | | |
| धान | 493.6 | 349.1 | 38.0 | 297.0 | 279.7 | 40.2 | 353.6 | 245.7 | 40.8 |
| मक्का | 49.1 | 41.7 | 82.0 | 75.0 | 61.5 | 82.0 | 95.0 | 19.1 | 20.15 |
| ऊड़द | 1.5 | 0.3 | 22.1 | 1.1 | 5.7 | 65.9 | 1.4 | 0.6 | 18.8 |
| मूंग | 0.7 | 0.1 | 20.2 | 0.6 | 3.6 | 82.5 | 1.3 | 2.1 | 79.1 |
| **रबी फसलें** | | | | | | | | | |
| गेहूं | 840.0 | 783.2 | 34.8 | 840.0 | 849.9 | 35.4 | 840.0 | 817.2 | 35.7 |
| मक्का | 60.0 | 61.9 | 100.0 | 130.0 | 114.8 | 85.0 | 130.0 | 126.4 | 85.0 |
| अरहर | 3.0 | 0.9 | 11.2 | 3.8 | 4.1 | 27.1 | 4.6 | 2.5 | 19.4 |
| चना | 20.8 | 11.4 | 15.8 | 17.3 | 13.1 | 16.5 | 23.0 | 7.1 | 9.1 |
| मसूर | 16.5 | 9.0 | 15.0 | 12.9 | 7.3 | 11.4 | 20.8 | 3.57 | 5.67 |
| राई/ सरसों | 3.7 | 2.9 | 67.3 | 3.3 | 5.1 | 100.0 | 3.3 | 2.6 | 39.8 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका में देखा जा सकता है कि खरीफ फसलों में धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2011-12 के 38.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 40.8 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, मक्का, ऊड़द और मूंग के मामले में कमी देखी जा सकती है। अरहर के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर 2011-12 के 11.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 19.4 प्रतिशत हो गई है। रबी फसलों में गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2011-12 में 34.8

प्रतिशत थी जो 2013-14 में 35.7 प्रतिशत हो गई। रबी मक्का के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर 85 प्रतिशत है जो एक रिकॉर्ड है। अन्य रबी फसलों में मामले में भी बीज प्रतिस्थापन दरों में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है।

## उर्वरक

भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय से ही कृषिकार्य में उर्वरकों के उपयोग ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग के साथ-साथ उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में राज्य में उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ता गया है (तालिका 2.11)।

बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2009-10 में 25.99 लाख टन थी जो तीन वर्षों में 19.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012-13 में 31.15 लाख टन पर पहुंच गई। हालांकि 2013-14 में यह घटकर 26.01 लाख टन रह गई है। यह गिरावट वस्तुत: चिंता की बात नहीं है क्योंकि किसान अब रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों के उपयोग के प्रति अधिक उत्सुक हैं।

**तालिका 2.11 : बिहार में उर्वरकों की खपत**

(हजार टन)

| उर्वरक का प्रकार | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग |
| यूरिया | 903.03 | 1192.93 | 2095.96 | 861.95 | 1008.69 | 1870.64 |
| डाइ अमोनियम फास्फेट | 216.52 | 325.16 | 541.68 | 94.52 | 256.63 | 351.15 |
| सिंगल सुपर फास्फेट | 37.13 | 27.42 | 64.55 | 29.96 | 28.75 | 58.71 |
| म्यूरिएट ऑफ पोटाश | 44.53 | 69.3 | 113.83 | 51.17 | 88.81 | 139.98 |
| अमोनियम सल्फेट | 0 | 21.41 | 21.41 | 6.78 | 7.19 | 13.97 |
| मिश्रित | 98.83 | 178.83 | 277.66 | 40.67 | 117.26 | 157.93 |
| उप योग | 1300.04 | 1815.05 | 3115.09 | 1085.05 | 1507.33 | 2592.38 |
| नाइट्रोजन | 470.89 | 640.39 | 1111.28 | 421.71 | 533.24 | 954.95 |
| फासफोरस | 128.67 | 196.92 | 325.59 | 57.15 | 152.7 | 209.85 |
| पोटाश | 32.21 | 57.81 | 90.02 | 34.01 | 61.97 | 95.98 |
| योग (एनपीके) | 631.78 | 895.12 | 1526.90 | 512.87 | 747.91 | 1260.78 |
| **कुल योग** | **1931.82** | **2710.17** | **4641.99** | **1597.92** | **2255.24** | **3853.16** |
| उर्वरक की खपत (किग्रा प्रति हे. में) | 158.53 | 207.01 | 183.76 | 127.17 | 171.50 | 150.20 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.11 में गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के अधिक संतुलित उपयोग का रुझान भी देखा जा सकता है। गत सात वर्षों के दौरान नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अनुपात 11:2:1 (2007-08), 6:2:1 (2008-09), 5:1:1 (2009-10), 6:2:1 (2010-11), 9:3:1 (2011-12), 12:4:1 (2012-13) और 10:2:1 (2013-14) रहा है। इसका अर्थ हुआ कि किसानों द्वारा उर्वरकों के घटकों के उपयोग करे कुछ युक्तिसंगत बनाया गया है।

तालिका 2.11 से यह भी पता चलता है कि उर्वरकों में यूरिया का सर्वोच्च स्थान है और रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में इसका लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा है। यह भी गौरतलब है कि बिहार में खरीफ फसलें अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रबी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। वर्ष 2013-14 में किसानों ने जहां प्रति हेक्टेयर खरीफ फसलों के लिए 127.17 किग्रा उर्वरकों का उपयोग किया, वहीं रबी फसलों के लिए 171.50 किग्रा का। नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों के अलावा, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जैव उर्वरकों और हरी खाद तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने का समवेत प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से सूक्ष्मपोषक तत्वों के उपयोग पर अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। कृषि रोडमैप के तहत राज्य सरकार हरी खाद के पौधों, ढैंचा और मूंग की खेती पर जोर दे रही है। किसानों के बीच इस प्रकिया में काफी रुचि पैदा हुई है।

प्रसार सेवाएं

राज्य में प्रसार सेवा के कर्मियों की सफल टीम का उपलब्ध प्रौद्योगिकी को खेत के स्तर तक पहुंचाने के मामले में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यह टीम बीज प्रबंधन, मिट्टी की जरूरत के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों के उचित मिश्रण का उपयोग, नया फसल पैटर्न अपनाने और उच्च उत्पादकता वाले बीजों के व्यापक उपयोग के लिए क्षेत्र स्तर पर उत्प्रेरक का काम करेगी। प्रखंड स्तर के नीचे विषयवस्तु विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) और किसान सलाहकार की सेवा का प्रावधान किए जाने से हाल के वर्षों में बिहार में अब तक निष्क्रिय रही प्रसार सेवाओं कामकाज में जबर्दस्त वृद्धि हुई है।

किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों की जानकारी का आधुनिकीकरण करने के लिए चलने वाले सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आवेग प्राप्त कर लिया है। मृदा परीक्षण की विधियों, वर्मी कंपोस्ट, और धान की खेती के लिए नई श्री विधि संबंधी प्रामाणिक जानकारी के लिए किसान नई पाठशालाओं में उमड़ रहे हैं। नए किसान विकास शिविर किसानों और विशेषज्ञों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का प्लेटफार्म बन गए हैं। फसल का मौसम शुरू होने के पहले प्रखंड स्तर पर खरीफ और रबी महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में धान की श्री विधि को बढ़ावा देने के लिए 16 जिलों का चयन किया गया था। वर्ष 2012-13 में उन जिलों में गेहूं की खेती के लिए श्री तकनीक का भी निदर्शन किया गया। वे जीरो टिलेज तकनीक पर आधारित थे। किसान अब इस नई तकनीक और ढेंचा खाद की खेती के प्रति आकर्षित हैं।

किसान विकास शिविर सभी लागत सामग्रियों और संबंधित सब्सिडी के वितरण के मामले में संलग्न होते हैं। किसान इन शिविरों से बीज, जैव उर्वरक, या कृषि उपकरण जैसी लागत सामग्रियां खरीदते हैं। वर्ष 2012 और 2013 के खरीफ मौसम में कृषि की तेज रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। हाल के दिनों में ढैंचा के बीज किसानों के बीच मुफ्त बांटे जाते हैं। हरी खाद की प्रौद्योगिकी से राज्य में मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखने के मामले में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2011 के खरीफ मौसम में राज्य में धान की श्री विधि का पहली बार उपयोग किया गया था और 10.13 लाख एकड़ में इस विधि से खेती की गई थी। वर्ष 2013 के खरीफ मौसम में इस विधि का उपयोग 41.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 15.15 लाख एकड़ जमीन पर किया गया था। वर्ष 2012-13 के रबी मौसम में श्री विधि का उपयोग करके लगभग 3.83 लाख एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की गई थी। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों की परिणति राज्य में चावल और गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में हुई है। चावल की उत्पादकता 22.4 टन प्रति हे. तक पहुंच गई।

प्रसार सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास पंचायत या गांव स्तर पर मिनी-किट वितरण की व्यवस्था है। वितरण में खरीफ, रबी तथा गरमा मौसम की अनेक फसलों को शामिल किया जाता है। तालिका 2.12 में ऐसी योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2013-14 में मिनिकिट वितरण में दो ही चीजें दिखीं। मूंगफली (20 किग्रा) और राई/तोरी (2 किग्रा) के बीज ही मिनिकिट कार्यक्रम के तहत वितरित किए गए। मिनिकिट वितरण के मामले में गिरावट का कारण राज्य सरकार द्वारा अन्य बीज संबंधी कार्यक्रमों की दिशा में विस्तीर्ण प्रयास है।

**तालिका 2.12 : बिहार में मिनिकिट वितरण**

| मौसम/ फसल | वितरणों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| खरीफ मौसम | | | | |
| धान (20 किग्रा) | - | - | - | |
| धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (10 किग्रा) | - | - | - | |
| धान (5 किग्रा) | 18516 | - | - | |
| धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (6 किग्रा) | 3631 | - | - | |
| धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (2 किग्रा) | - | - | - | |
| मक्का (2 किग्रा) | - | 14,992 | 1000 | |
| अरहर (4 किग्रा) | - | - | - | |
| ऊड़द (4 किग्रा) | - | - | - | |
| मूंग (4 किग्रा) | - | - | - | |
| अंडी (2 किग्रा) | - | - | - | |
| तिल (1 किग्रा) | - | 500 | - | |
| मूंगफली (20 किग्रा) | | | | 100 |
| रबी मौसम | | | | |
| गेहूं (40 किग्रा) | 4796 | - | - | |
| गेहूं (10 किग्रा) | 28371 | - | - | |
| गेहूं (5 किग्रा) | | - | - | |
| मक्का (2 किग्रा) | 150000 | 7000 | - | |
| चना (8 किग्रा) आइसोपॉम | | - | - | |
| मसूर (4 किग्रा) | | - | - | |
| मटर (8 किग्रा) | | - | - | |
| राई/ तोरी (2 किग्रा) आइसोपॉम | 215000 | 47100 | | 4971 |
| राजमा (8 किग्रा) | | - | - | |
| राजमा (3 किग्रा) | | - | - | |
| गरमा मौसम | | | - | |
| मक्का (2 किग्रा) आइसोपॉम | - | - | - | |
| ऊड़द (4 किग्रा) | - | - | - | |
| मूंग (4 किग्रा) | - | - | - | |
| तिल (1 किग्रा) | | - | - | |
| कुसुम (2 किग्रा) | | - | - | |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## कृषि यंत्रीकरण

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बढ़ते यंत्रीकरण के साथ बड़े पैमाने का अर्थशास्त्र काम करने लगता है और कृषि व्यय कम होने लगता है जिससे कृषि में उत्पादकता बढ़ जाती है। इसलिए उचित स्तर के यंत्रीकरण से कम लागत वाली खेती के मामले में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से होने वाले कृषिकार्य समय से संपन्न होंगे और शारीरिक परिश्रम से होने वाली खेती से जुड़ी कठिनाइयों में भी कमी आएगी। इसीलिए वर्तमान सरकार के कृषि रोडमैप में कृषि यंत्रीकरण एक अभिन्न अंग है। पावर टिलर, ट्रैक्टर, छिड़काव यंत्र, ओसौनी की मशीनों, पावर वीडर और पावर थ्रेसर के लिए राज्य सरकार किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकार्य सब्सिडी के अतिरिक्त भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जीरो-टिलेज मशीन पर विशेष ध्यान दिया गया है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक उपयुक्त है। सब्सिडी की आसानी से उपलब्धता के कारण पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल नजर आने वाले यंत्र आज आम हो गए हैं।

तालिका 2.13 में 2009-10 से 2013-14 के बीच राज्य में सब्सिडी के जरिए कृषि यंत्रीकरण में हुई प्रगति प्रस्तुत की गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि किसानों को 2009-10 में मात्र 4,635 पावरटिलर उपलब्ध कराए गए थे जबकि 2013-14 में यह आंकड़ा 6,445 तक पहुंच गया। हालांकि अगले साल वितरित पावर टिलरों की संख्या में गिरावट आई। वितरित पंपसेटों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में कोई 18.0 हजार पंप-सेट हासिल वितरित किए गए। प्रसारकर्मियों की उत्सुकता के कारण जीरो टिलेज मशीनों की संख्या में तेज उछाल आया। वर्ष 2009-10 में ऐसी महज 860 मशीनें वितरित की गई थीं जिनकी संख्या बढ़कर 2013-14 में 9,760 हो गई। कंबाइन हार्वेस्टरों के मामले में अधिक कीमत के कारण वृद्धि दर अपेक्षाकृत धीमी है। हालांकि 2013-14 में कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग ने भी तेजी पकड़ी और 261 कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को दिए गए।

**तालिका 2.13 : सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या**

(संख्या)

| कृषि यंत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ट्रैक्टर | 3672 | 3644 | 3848 | 8158 | 5053 |
| कंबाइन हार्वेस्टर | 42 | 65 | 109 | 322 | 261 |
| जीरो टिलेज | 860 | 301 | 3787 | 7701 | 9760 |
| पंप-सेट | 37293 | 30340 | 28615 | 25520 | 18019 |
| पावरटिलर | 4635 | 5330 | 7567 | 6445 | 4293 |
| हस्तचालित औजार/ उपकरण | 245969 | 179790 | 146849 | 485209 | 43078 |
| थ्रसर | 5723 | 4316 | 4857 | 4984 | 3652 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## जैविक कृषि

पूरी दुनिया में कृषि वैज्ञानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण, दोनों के आधार पर जैविक कृषि में रुचि ले रहे हैं। इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की अंतर्निहित उर्वराशक्ति को कायम रखने के

लिए प्राकृतिक कृषि की प्रक्रिया को बिहार के कृषि रोडमैप का अभिन्न अंग बना दिया गया है जिस पर पांच वर्षों की अवधि में 255 करोड़ रु. व्यय किए जाएंगे। वर्मी-कंपोस्ट उत्पादन को मांग आधारित बना दिया गया है जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। पूर्व में न्यूनतम 3,000 टन वार्षिक उत्पादन करने वाली किसी व्यावसायिक इकाई को ही सब्सिडी दी जाती थी। अब इसकी न्यूनतम सीमा को घटाकर 1,000 टन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 2011-12 से वर्मी-कंपोस्ट की खरीद पर भी सब्सिडी की स्वीकृति दी है।

वर्ष 2012-13 में कुल 15,774 लाख रु. व्यय किया गया है। वर्ष 2012-13 में किसानों को अपने खेतों में उपयोग हेतु वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सब्सिडी आधारित दर पर पक्का वर्मी कंपोस्ट की 90,128 इकाइयां और एचडीपीई के वर्मी-बेड वाली 46,058 इकाइयां दी गई हैं। जैविक कृषि में उछाल लाने के लिए किसानों को सब्सिडी आधारित दर पर 2,624 बायोगैस इकाइयां, 43 व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां और 3 व्यावसायिक जैव उर्वरक इकाइयां दी गई हैं तथा हरी खाद के लिहाज से 3,57,180 हे. जमीन के लिए मूंग बीज का वितरण किया गया है।

वर्ष 2013-14 में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसके विभिन्न घटकों पर कुल 149.79 करोड़ रु. व्यय किए गए। गांव स्तर पर वर्मी कंपोस्ट और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी आधारित दर पर 83,574 पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाइयां, 46,058 वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाइयां और 1,004 बायोगैस इकाइयां दी गईं। जिलों में स्थापित 109 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रही हैं। मिट्टी की उत्पादकता और उर्वराशक्ति तथा मृदा-स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किसानों के बीच सब्सिडी आधारित दर पर 23,587 मैट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट और 9,551 हे. जमीन के लिए सूक्ष्मपोषक तत्वों का वितरण किया गया है और 68,000 हे. जमीन को हरी खाद के आच्छादन के अंतर्गत लाया गया है। बीजों की बुआई से लेकर खड़ी फसलों तक में कीड़ों-मकोड़ों और रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। इस मकसद से कीड़ों-मकोड़ों और रोगों में कमी लाने और उन पर नियंत्रण के लिए किसानों के बीच सब्सिडी आधारित दर पर 16,387 हे. जमीन के लिए बीज उपचार संबंधी रसायन, 8,283 हे. के लिए फेरोमोन ट्रैप और 2,573 हे. के लिए जैव उर्वरक वितरित किए गए हैं।

<u>बागवानी विकास</u>

बिहार देश में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों की उपलब्धता बागवानी विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार की रणनीति कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विभागीय पौधशालाओं से लेकर किसानों के बीच मातृ पादप वितरित करने की है। कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर हर जिले के लिए एक-एक बागानी फसल की पहचान की गई है ताकि हर जिले में ऐसे फसलों के लिए संकुल दृष्टिकोण अपनाया जा सके। महत्वपूर्ण फलों के अलावा विश्वविद्यालयों में बेल, बेर, जामुन, आंवला जैसे कम प्रचलित पौधों के लिए भी प्रजनन पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, आगामी कृषि रोडमैप (2017-22) की अवधि में राज्य में अधिक टिस्सू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी क्योंकि टिस्सू कल्चर तकनीक का केला और फूलों जैसे पौधों के बहुगुणन हेतु बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

## 2.6 कृषि रोड मैप

वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप का शुभारंभ करके बिहार ने कृषि विकास के लिए एक नवोन्मेषी दृष्टि का आरंभ किया था। कृषि रोड मैप (2008) के तहत 23 फसलों के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता पर बल दिया गया था। इन प्रमाणित बीजों का वितरण सब्सिडी के साथ किया गया था। जैव कृषि, कृषि यंत्रीकरण और कृषि की नई तकनीक 'श्री विधि' पर भी बल दिया गया था। विकास को नया आवेग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि विषयक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई थी। ऐसी ऐतिहासिक पहलकदमी देश में अपने किस्म की पहली पहल है। कृषि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2012-17 के लिए रोड मैप तैयार करने के लिहाज से विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था। कृषि मंत्रिमंडल ने उनकी रिपोर्ट और फरवरी 2012 में हुए किसान समागम में किसानों से सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया था। 3 अक्तूबर, 2012 को देश के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप (2012-17) का शुभारंभ किया गया था।

नए कृषि रोड मैप के छः-सूत्री ध्येय हैं : (1) खाद्य सुरक्षा, (2) पोषण सुरक्षा, (3) किसानों की आय में वृद्धि, (4) रोजगार सृजन और श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, (5) कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा (6) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका टिकाऊ उपयोग। इस रोड मैप की मुख्य रणनीति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(क) किसानों को सही समय और कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली कृषि लागत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ख) आधुनिक कृषि यंत्रों तथा कृषि प्रबंधन तकनीकों के उपयोग के जरिए कृषिकार्य को अधिक किफायती बनाना और किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना।

(ग) मिट्टी, पानी, फसल और कृषि के अन्य घटकों के आदर्श संयोजन का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी टिकाऊ खेती सुनिश्चित करना।

(घ) कृषि विषयक ज्ञान को कौशल में बदलते हुए खेत के समीप और खेत से दूर, दोनों प्रकार के कृषि आधारित उद्यम विकसित करना।

(च) टाल, दियारा और विशेष भौगोलिक स्थिति वाले अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(छ) जमीन के दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण और उनको अद्यतन करने के लिए विशेष प्रयास करना। भूखंडों की चकबंदी पर जोर दिया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर पूंजी-प्रधान खेती शुरू की जा सके।

(ज) कृषि को प्रतिष्ठित पेशे के बतौर स्थापित करना, शिक्षित युवा वर्ग को कृषि की ओर आकर्षित करना और उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करना।

कृषि विकास के साथ अंतर्संबंधित विविध अन्य क्षेत्रों पर भी कृषि कैबिनेट द्वारा संबंधित विभागों में गठित उप-समितियों द्वारा विचार किया जाता है। ये क्षेत्र हैं - जल प्रबंधन एवं सिंचाई, ऊर्जा, भूमि राजस्व प्रबंधन, वृक्षरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण, सहकारी समितियां, भंडारण, विपणन एवं प्रसंस्करण, कृषि अनुसंधान, कृषि ऋण एवं संचार। पथ संचार क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाले टोलों को भी संपर्कपथों से जोड़ने की योजना है।

## 2.7 कृषि ऋण

कृषिकार्य बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसी भौतिक लागत सामग्रियों के अलावा पर्याप्त ऋण सहायता के बिना भी प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऋण सहायता इसलिए भी अत्यधिक अपरिहार्य हो जाती है कि आधुनिक लागत सामग्रियों को सही समय पर बाजार से खरीदना पड़ता है। हालांकि कृषि ऋण से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में ऋण की आपूर्ति मांग की तुलना में निहायत अपर्याप्त है। तालिका 2.14 में कृषि ऋण संबंधी बैंकवार विवरण प्रस्तुत हैं।

**तालिका 2.14 : बिहार में कृषि ऋण प्रवाह**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | व्यावसायिक बैंक | | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | केंद्रीय सहकारी बैंक | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2007-08 | 3004 | 2447 (81.5) | 1256 | 952 (75.8) | 620 | 356 (57.4) | 4880 | 3755 (76.9) |
| 2008-09 | 4355 | 3943 (90.5) | 1822 | 1438 (78.1) | 899 | 317 (35.3) | 7076 | 5697 (80.5) |
| 2009-10 | 5425 | 4960 (91.4) | 2220 | 1851 (84.0) | 1082 | 353(32.6) | 8727 | 7163 (82.1) |
| 2010-11 | 9111 | 7058 (77.5) | 5228 | 3188 (61.0) | 1529 | 422 (27.6) | 15868 | 10667 (67.2) |
| 2011-12 | 12241 | 9689 (79.2) | 7013 | 4882 (69.6) | 1848 | 387 (20.9) | 21102 | 14958 (70.9) |
| 2012-13 | 14674 | 13203 (90.0) | 8407 | 8035 (95.6) | 2319 | 328 (14.2) | 25401 | 21566 (84.9) |
| 2013-14 | 18709 | 17786 (95.1) | 10777 | 10676 (99.1) | 800 | 308 (38.5) | 30286 | 28770 (95.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत बतलाते हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

इस तालिका में 2007-08 से 2013-14 तक की अवधि को शामिल किया गया है। कृषि ऋण प्रवाह के तीन प्रमुख स्रोत हैं - व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। वर्ष 2007-08 में उपलब्धता का स्तर 80 प्रतिशत के आसपास रहा था। हालांकि उपलब्धि का स्तर 2010-11 में घटकर 67.2 प्रतिशत रह गया। सौभाग्यवश, 2013-14 में यह 95.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। रकम के रूप में देखें, तो कृषिकार्यों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिहाज से कृषि के लिए कुल ऋण प्रवाह कई गुना बढ़ा है। ऋण प्रवाह 2007-08 के मात्र 3,755 करोड़ से 2013-14 में 28,770 करोड़ रु. हो गया जो 2007-08 के ऋण प्रवाह से सात गुने से भी अधिक है। हालांकि मुद्रास्फीति की दर और आधुनिक कृषिकार्यों के लिए ऋण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखने पर ऋण की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2013-14 में तीन प्रमुख ऋण स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था - व्यावसायिक बैंक 61.8 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 37.1 प्रतिशत तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 1.1 प्रतिशत। दूसरे शब्दों में, राज्य में कृषि ऋण के प्रमुख आपूर्तिकर्ता अभी भी व्यावसायिक बैंक ही हैं।

चूंकि व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि क्षेत्र में अग्रिम देने के प्रति बहुत इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वे अग्रिमों के लिए सहवर्ती प्रतिभूति (कॉलेटरल सिक्योरिटी) मांगते हैं इसलिए कृषि ऋण स्वीकृति में सहकारिता से प्रमुख भूमिका निभाने आशा थी लेकिन दुर्भाग्यवश, यह रणनीति अभी तक कारगर नहीं रही है। सहकारी ऋणों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार स्थिति तालिका प 2.10 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। तालिका से यह स्पष्ट है कि 2013-14 में किसी भी जिले में लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, औरंगाबाद और पूर्व चंपारण जिलों में सहकारी कृषि ऋण का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में सहकारी ऋण या तो शून्य था या नगण्य।

हाल में फसल ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी की राशि स्वीकृत की गई है। इससे किसानों को 4 प्रतिशत ऋण पर फसल ऋण पाने में मदद मिलेगी। नाबार्ड ने परियोजनाओं के वित्तपोषण में राज्य सरकार की सहायता की है। इसके कारण किसानों के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ेगा।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड</u>

किसान क्रेडिट कार्ड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन रहा है जिसके जरिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। आवश्यक कृषि लागत सामग्रियों की खरीद के लिए इसके जरिए 50,000 रु. तक ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2009-10 में अनुमानतः 13.40 लाख किसान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ पा सके थे (तालिका 2.15)। तब उपलब्धि का स्तर 89.3 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में इसका स्तर घटकर 82.7 प्रतिशत रह गया और 2013-14 में उससे भी कम होकर 71.6 प्रतिशत। राज्य के लगभग सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए इसके नेटवर्क का विस्तार निहायत जरूरी है अन्यथा ग्रामीण ऋणदाता किसानों को जकड़ लेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसान पीड़ित होंगे जिससे उत्पादन और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

**तालिका 2.15 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या ( 2001-02 से 2013-14 )**

| वर्ष | व्यावसायिक बैंक | | | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशत |
| 2001-02 | 110207 | 123465 | 112 | 52738 | 14256 | 27 |
| 2002-03 | 98180 | 77543 | 79 | 60918 | 24441 | 40.1 |
| 2003-04 | 105530 | 95587 | 90.6 | 64535 | 30864 | 47.8 |
| 2004-05 | 174850 | 140793 | 80.5 | 150500 | 76891 | 51.1 |
| 2005-06 | 143866 | 131618 | 91.5 | 129719 | 66332 | 51.1 |
| 2006-07 | 250000 | 203935 | 81.6 | 190000 | 140071 | 73.7 |
| 2007-08 | 300000 | 222478 | 74.2 | 228000 | 168529 | 73.9 |
| 2008-09 | 861429 | 505008 | 58.6 | 478571 | 310257 | 64.8 |
| 2009-10 | 861429 | 660997 | 76.7 | 478571 | 397420 | 83 |
| 2010-11 | 1148574 | 653484 | 56.9 | 638093 | 475636 | 74.5 |
| 2011-12 | 1352013 | 969763 | 71.7 | 778467 | 674095 | 86.6 |
| 2012-13 | 1460172 | 1126753 | 77.2 | 840746 | 950259 | 113 |
| 2013-14 | 1478593 | 1195696 | 80.9 | 1071020 | 1162691 | 108.6 |
| | केंद्रीय सहकारी बैंक | | | योग | | |
| 2001-02 | 277204 | 42086 | 15.2 | 440149 | 179807 | 40.8 |
| 2002-03 | 600000 | 112580 | 18.8 | 759098 | 214564 | 28.3 |
| 2003-04 | 425839 | 229051 | 53.8 | 595904 | 355502 | 59.7 |
| 2004-05 | 470350 | 245907 | 52.3 | 795700 | 463591 | 58.3 |
| 2005-06 | 293166 | 120653 | 41.2 | 566751 | 318603 | 56.2 |
| 2006-07 | 160000 | 55374 | 34.6 | 600000 | 399380 | 66.6 |
| 2007-08 | 160000 | 75533 | 47.2 | 688000 | 466540 | 67.8 |
| 2008-09 | 160000 | 81725 | 51.1 | 1500000 | 896990 | 59.8 |
| 2009-10 | 160000 | 281122 | 175.7 | 1500000 | 1339539 | 89.3 |
| 2010-11 | 213333 | 273710 | 128.3 | 2000000 | 1402830 | 70.1 |
| 2011-12 | 369520 | 203579 | 55.1 | 2500000 | 1847437 | 73.9 |
| 2012-13 | 399082 | 154774 | 38.8 | 2700000 | 2231786 | 82.7 |
| 2013-14 | 963999 | 156376 | 16.2 | 3513612 | 2514763 | 71.6 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

किसान क्रेडिट कार्डों के मामले में वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक की अवधि में जिलावार उपलब्धि तालिका प 2.11 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। देखा जा सकता है कि उपलब्धि के स्तर में जिलों के बीच काफी भिन्नता है। वर्ष 2013-14 में किसान क्रेडिट कार्ड की सर्वाधिक संख्या वाले जिले समस्तीपुर (1.55 लाख), बेगूसराय (1.52 लीाख) और पूर्व चंपारण (1.47 लाख) हैं। सबसे कम संख्या में किसान कार्ड वाले जिले जहानाबाद (0.17 लाख), शेखपुरा (0.12 लाख) और अरवल (0.11 लाख) हैं।

### 2.8 पशुपालन

कृषि के अलावा पशुपालन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार के अवसरों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र कुल ग्रामीण आय में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है और समाज के सीमांत तबके की महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, ग्रामीण बिहार में बड़ी संख्या में परिवार भूमिहीन या कम जमीन वाले हैं इसलिए यह क्षेत्र ढेर सारे ग्रामीण परिवारों की निम्न कृषिजनित आय के पूरक के बतौर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 366.31 लाख थी। वर्ष 2017 में होने वाली पशुगणना में उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। तालिका प 2.12 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इसमें से 54 प्रतिशत दुधारू पशु हैं जिनमें गायों की संख्या 117.05 लाख है और भैंसों की 65.49 लाख। बकरियों की संख्या 111.29 लाख है जिन्हें गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। राज्य में मुर्गियों-बत्तखों की भी काफी बड़ी संख्या है - 64.58 लाख। इस क्षेत्र के महत्व पर गौर करते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक पहलकदमियां ली हैं। इन पहलकदमियों में नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं पोषण, दुधारू जानवरों के लिए बीमा योजना तथा इस क्षेत्र के उत्पादों का विपणन शामिल है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य भी शुरू किया गया है।

तालिका प 2.12 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत पशुधन के जिलावार आंकड़ों से दिखता है कि बिहार में पशुधन की कुल संख्या में विभिन्न जिलों के हिस्सों के बीच भारी अंतर है। गायों-भैसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक हिस्से वाले जिले पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, बांका, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया हैं। बकरियों और मुर्गियों-बत्तखों के मामले में राज्य के उत्तर-पूर्व भाग में उच्च संकेंद्रण है जहां की स्थिति इन पशु-पक्षियों के पालन के लिहाज से अपेक्षाकृत अनुकूल है। बकरे-बकरियों के संकेंद्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण जिले पूर्व चंपारण, अररिया और कटिहार हैं जबकि मुर्गियों-बत्तखों के अधिक संकेंद्रण वाले जिले वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर हैं।

तालिका 2.16 में 2007-08 से 2013-14 तक की अवधि के लिए पशुपालन क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन स्तर प्रस्तुत है। दूध अभी भी इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2007-08 में 56.67 लाख टन था जो 2013-14 में बढ़कर 71.97 लाख टन हो गया। हालांकि इसी अवधि में अंडों का उत्पादन 106.80 करोड़ से घटकर 93.08 करोड़ रह गया।

**तालिका 2.16 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन**

| वर्ष | दूध (लाख टन) | अंडे (करोड़) | ऊन (लाख किग्रा) | मांस (लाख टन) | मछली (लाख टन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 57.67 | 106.8 | 2.41 | 1.81 | 2.88 |
| 2008-09 | 59.34 | 107.5 | 2.5 | 1.83 | 3.06 |
| 2009-10 | 61.24 | 110.13 | 2.6 | 2.18 | 2.97 |
| 2010-11 | 65.17 | 74.46 | 2.6 | 2.23 | 2.89 |
| 2011-12 | 66.25 | 75.43 | 2.66 | 2.28 | 3.44 |
| 2012-13 | 68.45 | 83.72 | 2.67 | 2.28 | 4.00 |
| 2013-14 | 71.97 | 93.08 | 2.71 | 2.92 | 4.32 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | 3.7 | -4.5 | 1.8 | 7.1 | 7.0 |

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 2.3 : बिहार में दूध का उत्पादन**

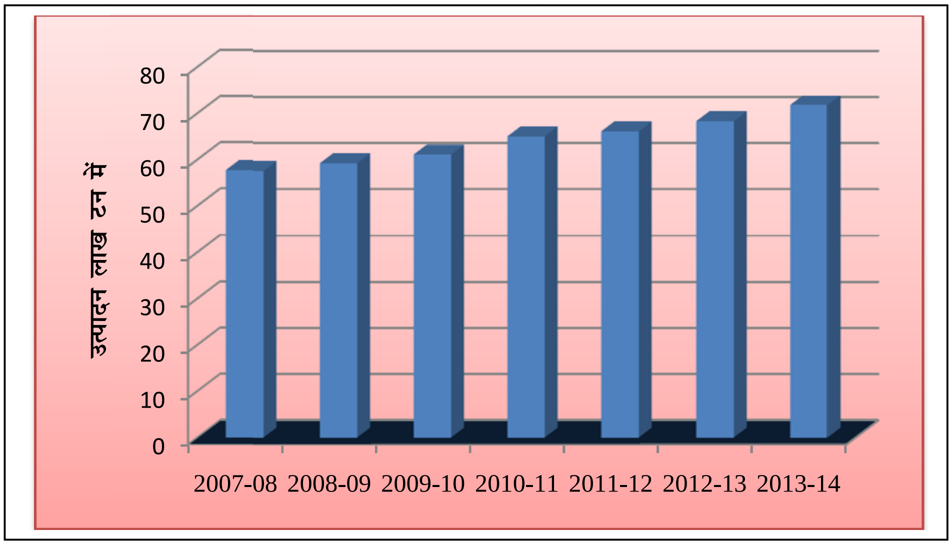


**चार्ट 2.4 : बिहार में मांस का उत्पादन**

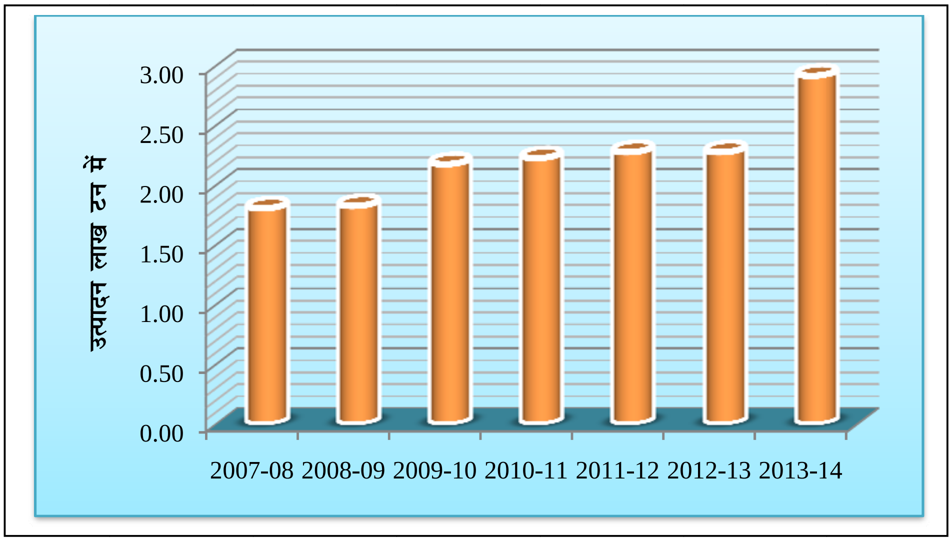

पशुपालन क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और चारा बीजों का मुफ्त वितरण जैसी अनेक योजनाएं हैं। तालिका प 2.13 (परिशिष्ट) में विभिन्न जिलों के अनेक योजनाओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत हैं जो 2012-13 और 2013-14 से संबंधित हैं। ये सेवाएं सभी जिलों में एक जैसी नहीं हैं। वर्ष 2013-14 में पूरे बिहार में कुल 25.12 लाख पशुओं का इलाज और 147.57 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण किया गया। वर्ष 2013-14 में 3.12 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। राज्य सरकार ने 2010-11 से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक दवाओं तथा उपकरणों से सुसज्जित आतुर वाहन (एंबुलेंस) भी उपलब्ध कराना शुरू किया है। वर्ष 2010-11 में आतुर वाहनों की संख्या बढ़कर 20 थी जो 2011-12 में बढ़कर 50 पहुंच गई। राज्य सरकार की आगामी वार्षिक योजनाओं के दौरान और अधिक वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए भंडार स्थापित किए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिला कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कदम गए हैं। कृत्रिम गर्भाधान के नए कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को भी जोड़ा जाएगा जो उनके द्वारा बछड़ों-बछड़ियों के जन्म के मामले में उचित स्तर की सफलता पर आधारित होगा। इस योजना के तहत 1 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से 50 लाख गाय-भैसों का आच्छादन सुनिश्चित करने की संभावना है। स्वच्छ एवं साफ-सुथरे मांस के उत्पादन के लिए 1 करोड़ रु. प्रति इकाई के व्यय से राज्य के सभी 38 जिलों में आधुनिक वधशाला के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

<u>मत्स्य उत्पादन</u>

बिहार में 237.3 हजार हे. में जल क्षेत्र का और 3,200 किमी लंबाई में नदियों का विस्तार है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.9 प्रतिशत है। इसके कारण राज्य में मछली मारने में लगे ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिहाज से मत्स्यपालन क्षेत्र की काफी गुंजाइश है। राज्य में इस क्षेत्र की विगत दशक में लगातार वृद्धि होती रही है और गत दशक के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान दूने से भी अधिक हो गया है। वर्ष 2004-05 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 2.67 लाख टन था। उसके बाद से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई और यह 2013-14 में 4.32 लाख टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

राज्य सरकार ने हाल में मत्स्यपालकों में तकनीकी, प्रबंधकीय और सहभागी कौशलों के विकास के लिए उत्पादन क्षेत्र में ही प्रशिक्षण और देश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा के जरिए उनके सशक्तीकरण के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आधुनिक मत्स्यपालन विधियों की अद्यतन जानकारी के लिए राज्य के मछुआरों को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजा गया है। वर्ष 2012-13 में राज्य में तकरीबन 1,552 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2013-14 में लगभग 2000 अन्य मछुआरों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया। वर्ष 2011-12 में मत्स्यपालकों के लिए एक नई बीमा योजना शुरू की गई थी। एक योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑरिएंटल इनस्योरेंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3,200 रु. प्रति हे. की किश्त (प्रीमियम) तय की गई है जिसकी आधी रकम का भुगतान लाभार्थी को करना है और आधी रकम का राज्य सरकार को। वर्ष 2011-12 में इस योजना द्वारा एक लाख मछुआरों को आच्छादित किया गया था।

सब्सिडी पर अंगुलिकाओं का वितरण, मछली पालन के लिए निजी तालाबों के रखरखाव तथा जीर्णोद्धार हेतु ऋण का सरल वितरण तथा मछुआरों के लिए मुफ्त मकान जैसी योजनाओं से राज्य के मछुआरे काफी लाभान्वित हुए हैं। तालाबों और चौर क्षेत्रों के विकास से मत्स्यपालन हेतु जमीन बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में राज्य में 4,812.85 लाख मत्स्यबीजों का उत्पादन हुआ। मत्स्यबीज वितरण के जिलावार आंकड़े तालिका प 2.14 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका के आंकड़ों से पता चलता है कि दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले मछली के प्रमुख उत्पादक हैं। वर्ष 2013-14 में बिहार के प्रमुख मत्स्य उत्पादक जिले इस प्रकार हैं - दरभंगा (26.35 हजार टन), मधुबनी (23.60 हजार टन), पूर्व चंपारण (23.00 हजार टन), सारण (22.91 हजार टन), नालंदा (21.12 हजार टन) मुजफ्फरपुर (19.98 हजार टन) और खगड़िया 18.38 हजार टन)। मत्स्य बीज के मामले में 750 लाख बीजों के उत्पादन के साथ सीवान शीर्ष पर था और उसके बाद 650 लाख बीजों के उत्पादन के साथ दरभंगा।

राज्य में गरीब मछुआरों की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल में अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जलाशयों (रिजर्वायर) में अंगुलिकाओं के भंडारण की एक नई योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड अंगुलिकाओं के भंडारण की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। किसानों को 80 से 100 लाख मत्स्य-बीजों की क्षमता वाले मत्स्य-बीज प्रजनन केंद्र (हैचरी) के निर्माण के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी परियोजना की इकाई लागत 15.00 लाख रु. है जिसमें मत्स्य कृषकों के लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी का घटक भी शामिल है। 129.37 लाख रु. के व्यय से पटना के मीठापुर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। 99.68 लाख रु. के व्यय से फतुहा में सोनारू मत्स्यबीज फार्म की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 2.1 : विभिन्न मौसमों में बिहार के विभिन्न जिलों में वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

| जिला | 2013 | | | | | 2014, सितंबर तक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण–पश्चिम मानसून | उत्तर–पश्चिम मानसून | योग | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण–पश्चिम मानसून | योग |
| पटना | 26.9 | 59.1 | 334.0 | 134.4 | 554.5 | 4.9 | 26.5 | 731.6 | 763.0 |
| नालंदा | 7.6 | 98.8 | 341.6 | 133.0 | 581.0 | 47.4 | 123.5 | 824.9 | 995.7 |
| भोजपुर | 6.6 | 26.8 | 420.1 | 170.6 | 624.1 | 53.5 | 37.3 | 506.2 | 597.0 |
| बक्सर | 52.4 | 45.7 | 375.3 | 174.6 | 648.0 | 82.3 | 72.3 | 383.6 | 538.2 |
| रोहतास | 48.8 | 1.6 | 679.2 | 127.5 | 857.1 | 45.5 | 35.0 | 318.9 | 399.4 |
| कैमूर | 68.1 | 9.7 | 620.4 | 130.1 | 828.3 | 32.3 | 9.7 | 477.2 | 519.2 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 4.8 | 40.2 | 274.8 | 125.7 | 445.5 | 46.1 | 71.6 | 746.7 | 864.4 |
| जहानाबाद | 21.1 | 103.8 | 290.8 | 126.9 | 542.6 | 31.0 | 24.6 | 773.6 | 829.2 |
| अरवल | 0.0 | 38.4 | 275 | 126.3 | 439.7 | 80.5 | 6.0 | 441.8 | 528.3 |
| नवादा | 2.4 | 75.6 | 221.2 | 148.6 | 447.8 | 41.8 | 101.2 | 867.8 | 1010.7 |
| औरंगाबाद | 32.8 | 10.2 | 455.5 | 114.1 | 612.6 | 75.0 | 44.7 | 583.0 | 702.7 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 41.1 | 121.6 | 423.7 | 144.8 | 731.2 | 38.7 | 44.6 | 680.6 | 763.9 |
| सीवान | 21.3 | 74.5 | 498.4 | 271.2 | 865.4 | 38.3 | 51.3 | 537.6 | 627.1 |
| गोपालगंज | 46.1 | 91.4 | 473.0 | 215.2 | 825.7 | 38.2 | 55.1 | 775.6 | 868.9 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 7.7 | 125.7 | 738.7 | 162.6 | 1034.7 | 38.2 | 45.7 | 916.2 | 1000.1 |
| पूर्व चंपारण | 24.9 | 131.8 | 404.8 | 153.7 | 715.1 | 26.8 | 79.5 | 759.0 | 865.2 |
| मुजफ्फरपुर | 38.5 | 156 | 372.9 | 214.2 | 781.6 | 50.5 | 55.6 | 1057.2 | 1163.3 |
| सीतामढ़ी | 0.0 | 37.7 | 342.6 | 137.4 | 517.7 | 56.2 | 126.2 | 704.5 | 886.9 |
| शिवहर | 38.5 | 28.3 | 443.8 | 208.0 | 718.6 | 44.5 | 66.4 | 736.2 | 847.2 |
| वैशाली | 0.0 | 25.2 | 244.4 | 166.2 | 435.8 | 0.0 | 21.2 | 721.2 | 742.4 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.1 | 27.6 | 410.0 | 160.6 | 599.3 | 18.7 | 73.2 | 773.3 | 865.1 |
| मधुबनी | 30.2 | 79.7 | 436.6 | 117.5 | 664.0 | 20.6 | 54.8 | 824.1 | 899.5 |
| समस्तीपुर | 27.3 | 60.6 | 468.6 | 210.5 | 767.0 | 39.7 | 95.7 | 894.9 | 1030.3 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 6.0 | 60.6 | 759.2 | 102.9 | 928.7 | 13.8 | 174.7 | 805.3 | 993.8 |
| मुंगेर | 7.4 | 59.1 | 683.3 | 183.8 | 933.6 | 0.0 | 201.1 | 922.0 | 1123.1 |
| शेखपुरा | 5.6 | 64.9 | 345.8 | 126.2 | 542.5 | 30.6 | 119.4 | 935.9 | 1085.8 |
| लखीसराय | 0.0 | 30.4 | 590.7 | 121.9 | 742.9 | 30.3 | 214.2 | 923.7 | 1168.1 |
| जमुई | 3.8 | 41.8 | 255.1 | 171.8 | 472.5 | 99.2 | 108.3 | 782.6 | 990.1 |
| खगड़िया | 8.3 | 98.5 | 639.6 | 141.3 | 887.6 | 2.5 | 161.9 | 802.3 | 966.7 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 15.7 | 74.0 | 559.7 | 261.9 | 911.3 | 33.6 | 147.9 | 839.9 | 1021.4 |
| बांका | 0.0 | 67.8 | 630.2 | 183.5 | 881.5 | 57.4 | 68.9 | 855.2 | 981.5 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 10.6 | 213.5 | 550.6 | 122.2 | 896.9 | 17.0 | 185.9 | 769.6 | 972.5 |
| सुपौल | 0.0 | 23.8 | 553.8 | 210.6 | 788.2 | 0.0 | 61.0 | 711.7 | 772.7 |
| मधेपुरा | 0.0 | 72.5 | 582.5 | 243.5 | 898.5 | 10.5 | 186.7 | 844.8 | 1042.0 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.0 | 84.2 | 829.2 | 127.7 | 1041.1 | 1.0 | 72.1 | 888.4 | 961.5 |
| किशनगंज | 12.2 | 186.6 | 1074.3 | 132.6 | 1405.7 | 7.3 | 181.3 | 1570.6 | 1759.3 |
| अररिया | 20.0 | 133.0 | 1244.9 | 91.6 | 1489.5 | 29.4 | 137.2 | 978.1 | 1144.6 |
| कटिहार | 10.6 | 124.5 | 854.9 | 349.6 | 1339.6 | 0.0 | 232.3 | 755.8 | 988.1 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **17.1** | **73.8** | **518.4** | **164.3** | **773.6** | **33.8** | **94.1** | **774.2** | **902.1** |

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2011-12)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिला | भौगोलिक क्षेत्रफल (1) | वन (2) | बंजर/ अकृष्य भूमि (3) | गैर-कृषि उपयोग वाली जमीन (4) | | | कृषि योग्य ऊसर भूमि (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भूमि क्षेत्र | जल क्षेत्र | योग | |
| पटना | 317.2 (100.0) | 0.1 (0.0) | 12.4 (3.9) | 66.0 (20.8) | 12.7 (4.0) | 78.7 (24.8) | 0.8 (0.2) |
| नालंदा | 232.7 (100.0) | 4.6 (2.0) | 1.2 (0.5) | 35.3 (15.2) | 10.1 (4.3) | 45.4 (19.5) | 0.2 (0.1) |
| भोजपुर | 237.3 (100.0) | 0.0 (0.0) | 6.7 (2.8) | 30.0 (12.6) | 4.2 (1.8) | 32.2 (13.6) | 0.6 (0.3) |
| बक्सर | 167.0 (100.0) | 0.0 (0.0) | 2.2 (1.3) | 13.0 (7.8) | 4.6 (2.7) | 17.6 (10.5) | 0.7 (0.4) |
| रोहतास | 390.7 (100.0) | 66.7 (17.1) | 16.8 (4.3) | 38.9 (10.0) | 9.3 (2.4) | 48.2 (12.3) | 1.1 (0.3) |
| कैमूर | 342.4 (100.0) | 113.0 (33) | 19.3 (5.6) | 31.0 (9.0) | 3.8 (1.1) | 35.1 (10.2) | 1.9 (0.5) |
| | | | | | | | |
| गया | 493.8 (100.0) | 77.8 (15.8) | 27.5 (5.6) | 63 .0 (12.8) | 10.6 (2.1) | 73.6 (14.9) | 3.3 (0.7) |
| जहानाबाद | 94.0 (100.0) | 0.6 (0.7) | 3.3 (3.5) | 13.8 (14.6) | 1.3 (1.3) | 15.0 (16.0) | 0.1 (0.2) |
| अरवल | 62.6 (100.0) | 0.0 (0.0) | 2.2 (3.5) | 9.1 (14.6) | 1.2 (1.9) | 10.3 (16.5) | 0.1 (0.1) |
| नवादा | 248.7 (100.0) | 63.8 (25.6) | 11.2 (4.5) | 25.7 (10.3) | 10.3 (4.1) | 36.0 (14.5) | 1.1 (0.5) |
| औरंगाबाद | 330.0 (100.0) | 18.8 (5.7) | 16.4 (5.0) | 52.2 (15.8) | 3.4 (1.0) | 55.5 (16.8) | 1.9 (0.6) |
| | | | | | | | |
| सारण | 264.9 (100.0) | 0.0 (0.0) | 17.9 (6.8) | 28.2 (10.6) | 6.4 (2.4) | 34.6 (13) | 0.2 (0.1) |
| सीवान | 224.4 (100.0) | 0.0 (0.0) | 8.7 (3.9) | 28.9 (12.9) | 3.5 (1.6) | 32.4 (14.5) | 0.8 (0.3) |
| गोपालगंज | 203.8 (100.0) | 0.0 (0.0) | 5.5 (2.7) | 31.2 (15.3) | 2.5 (1.2) | 33.7 (16.5) | 1.4 (0.7) |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 484.4 (100.0) | 91.7 (18.9) | 2.9 (0.6) | 70.9 (14.6) | 23.7 (4.9) | 94.6 (19.5) | 1.3 (0.3) |
| पूर्व चंपारण | 431.7 (100.0) | 0.1 (0.0) | 8.1 (1.9) | 51.4 (11.9) | 25.8 (6.0) | 77.3 (17.9) | 0.3 (0.1) |
| मुजफ्फरपुर | 315.4 (100.0) | 0.0 (0.0) | 5.3 (1.7) | 51.2 (16.2) | 12.3 (3.9) | 63.5 (20.1) | 0.3 (0.1) |
| सीतामढ़ी | 221.9 (100.0) | 0.0 (0.0) | 1.8 (0.8) | 45.1 (20.3) | 18.1 (8.2) | 63.2 (28.5) | 0.1 (0.1) |
| शिवहर | 43.5 (100.0) | 0.0 (0.0) | 0.4 (0.9) | 9.8 (22.6) | 3.2 (7.3) | 13.0 (29.9) | 0.0 (0.1) |
| वैशाली | 201.4 (100.0) | 0.0 (0.0) | 24.1 (12.0) | 30.2 (15.0) | 7.8 (3.9) | 38.0 (18.9) | 0.1 (0.1) |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 254.1 (100.0) | 0.0 (0.0) | 1.3 (0.5) | 44.3 (17.4) | 16.6 (6.5) | 60.8 (23.9) | 0.1 (0.1) |
| मधुबनी | 353.5 (100.0) | 0.0 (0.0) | 2.2 (0.6) | 71.2 (20.2) | 15.7 (4.4) | 86.9 (24.6) | 0.5 (0.1) |
| समस्तीपुर | 262.4 (100.0) | 0.0 (0.0) | 3.8 (1.5) | 54.6 (20.8) | 9.1 (3.5) | 63.8 (24.3) | 0.0 (0.0) |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 187.8 (100.0) | 0.0 (0.0) | 18 (9.6) | 30.2 (16.1) | 11.6 (6.2) | 41.7 (22.2) | 0.0 (0.0) |
| मुंगेर | 139.8 (100.0) | 28.5 (20.4) | 11.4 (8.2) | 20.6 (14.7) | 11.1 (7.9) | 31.6 (22.6) | 0.9 (0.7) |
| शेखपुरा | 62.1 (100.0) | 0.0 (0.0) | 1.0 (1.6) | 7.7 (12.4) | 3.0 (4.8) | 10.7 (17.3) | 0.2 (0.4) |
| लखीसराय | 128.6 (100.0) | 13.4 (10.5) | 7.0 (5.5) | 8.9 (6.9) | 5.8 (4.5) | 14.7 (11.5) | 0.7 (0.5) |
| जमुई | 305.3 (100.0) | 92.9 (30.4) | 28.6 (9.4) | 39.2 (12.8) | 5.0 (1.6) | 44.2 (14.5) | 10.3 (3.4) |
| खगड़िया | 149.3 (100.0) | 0.0 (0.0) | 13.6 (9.1) | 19.2 (12.9) | 11.9 (8.0) | 31.2 (20.9) | 0.6 (0.4) |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 254.3 (100.0) | 0.1 (0.0) | 22.4 (8.8) | 54.3 (21.4) | 16.3 (6.4) | 70.6 (27.8) | 2.3 (0.9) |
| बांका | 305.6 (100.0) | 46.3 (15.2) | 43 (14.1) | 36.5 (12.0) | 5.9 (1.9) | 42.5 (13.9) | 7.9 (2.6) |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 164.6 (100.0) | 0.0 (0.0) | 10.8 (6.6) | 22.1 (13.4) | 7.0 (4.2) | 29.1 (17.7) | 0.5 (0.3) |
| सुपौल | 238.6 (100.0) | 0.0 (0.0) | 20.2 (8.5) | 39.2 (16.4) | 12.6 (5.3) | 51.8 (21.7) | 1.5 (0.6) |
| मधेपुरा | 179.6 (100.0) | 0.0 (0.0) | 3.9 (2.2) | 26.8 (14.9) | 4.9 (2.7) | 31.7 (17.7) | 0.0 (0.0) |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 313.9 (100.0) | 0.1 (0.0) | 12.3 (3.9) | 37.9 (12.1) | 8.3 (2.6) | 46.2 (14.7) | 1.1 (0.4) |
| किशनगंज | 189.1 (100.0) | 0.4 (0.2) | 11.2 (5.9) | 25.6 (13.5) | 9.9 (5.2) | 35.5 (18.8) | 1.2 (0.6) |
| अररिया | 271.7 (100.0) | 0.8 (0.3) | 5.0 (1.8) | 40.3 (14.8) | 11.3 (4.1) | 51.6 (19.0) | 0.5 (0.2) |
| कटिहार | 291.3 (100.0) | 1.8 (0.6) | 22.1 (7.6) | 41.9 (14.4) | 16.2 (5.6) | 58.1 (19.9) | 0.6 (0.2) |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **9359.6 (100.0)** | **621.6 (6.6)** | **431.7 (4.6)** | **1345.6 (14.4)** | **357 .0 (3.8)** | **1702.5 (18.2)** | **45.2 (0.5)** |

(जारी)

## तालिका प 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न ( 2011-12 ) ( जारी )

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिला | स्थायी चरागाह (6) | बागान (7) | परती भूमि (8) | वर्तमान परती (9) | कुल अकृष्य भूमि (10) (2 से 9 तक) | निवल बुआई क्षेत्रफल (11) | सकल बुआई क्षेत्रफल (12) | फसल सघनता (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 0.1 (0.0) | 1.0 (0.3) | 1.6 (0.5) | 65.1 (20.5) | 159.7 (50.4) | 157.5 (49.6) | 197.7 | 1.26 |
| नालंदा | 0.0 (0.0) | 1.3 (0.5) | 0.2 (0.1) | 27.8 (11.9) | 80.7 (34.7) | 152.0 (65.3) | 256.5 | 1.69 |
| भोजपुर | 0.1 (0.0) | 2 .0 (0.9) | 2.4 (1.0) | 6.4 (2.7) | 52.5 (22.1) | 184.9 (77.6) | 234.6 | 1.27 |
| बक्सर | 0.0 (0.0) | 0.8 (0.4) | 0.6 (0.4) | 7.1 (4.3) | 28.9 (17.3) | 138.1 (82.7) | 186.8 | 1.35 |
| रोहतास | 0.1 (0.0) | 2.9 (0.7) | 0.8 (0.2) | 4.5 (1.2) | 141.1 (36.1) | 249.6 (63.9) | 337.7 | 1.35 |
| कैमूर | 0.1 (0.0) | 0.7 (0.2) | 0.2 (0.1) | 16.2 (4.7) | 186.2 (54.5) | 156.2 (45.6) | 202.5 | 1.30 |
| | | | | | | | | |
| गया | 2.1 (0.4) | 3.9 (0.8) | 11.4 (2.3) | 125.2 (25.4) | 324.8 (65.8) | 169 (34.2) | 189.7 | 1.12 |
| जहानाबाद | 0.1 (0.1) | 0.7 (0.8) | 0.2 (0.2) | 19.4 (20.6) | 39.5 (42.0) | 54.5 (58.0) | 110.0 | 2.02 |
| अरवल | 0.1 (0.2) | 0.9 (1.4) | 1.6 (2.6) | 5.3 (8.4) | 20.5 (32.8) | 42.1 (67.2) | 44.0 | 1.04 |
| नवादा | 0.9 (0.4) | 0.6 (0.3) | 2.7 (1.1) | 25.3 (10.2) | 141.6 (56.9) | 107.2 (43.1) | 136.6 | 1.27 |
| औरंगाबाद | 0.6 (0.2) | 0.6 (0.2) | 1.2 (0.3) | 42.9 (13.0) | 137.8 (41.8) | 192.2 (58.2) | 304.4 | 1.58 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 0.2 (0.1) | 8.6 (3.2) | 3.7 (1.4) | 33.5 (12.6) | 98.5 (37.2) | 166.3 (62.8) | 210.0 | 1.26 |
| सीवान | 0.2 (0.1) | 8.6 (3.8) | 1.5 (0.7) | 0.8 (0.3) | 52.9 (23.6) | 171.5 (76.4) | 229.7 | 1.34 |
| गोपालगंज | 0.2 (0.1) | 7.4 (3.7) | 2.4 (1.2) | 5.2 (2.5) | 55.9 (27.4) | 147.9 (72.6) | 225.2 | 1.52 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1.1 (0.2) | 6.5 (1.3) | 2.6 (0.5) | 3.7 (0.8) | 204.5 (42.2) | 279.9 (57.8) | 427.6 | 1.53 |
| पूर्व चंपारण | 0.4 (0.1) | 27.1 (6.3) | 3.0 (0.7) | 43.3 (10) | 159.6 (37) | 272.1 (63.0) | 418.6 | 1.54 |
| मुजफ्फरपुर | 0.0 (0.0) | 17.4 (5.5) | 1.4 (0.4) | 8.5 (2.7) | 96.4 (30.6) | 218.9 (69.4) | 300.4 | 1.37 |
| सीतामढ़ी | 1.4 (0.6) | 13.9 (6.3) | 0.5 (0.2) | 2.6 (1.2) | 83.5 (37.6) | 138.4 (62.4) | 212.7 | 1.54 |
| शिवहर | 0.0 (0.0) | 3.6 (8.4) | 0.8 (1.9) | 0.6 (1.4) | 18.5 (42.5) | 25.0 (57.5) | 57.2 | 2.29 |
| वैशाली | 0.3 (0.2) | 9.8 (4.8) | 0.3 (0.1) | 2.8 (1.4) | 75.4 (37.4) | 126.0 (62.6) | 168.2 | 1.33 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.1 (0.1) | 12.2 (4.8) | 2.2 (0.9) | 21.5 (8.5) | 98.3 (38.7) | 155.8 (61.3) | 168.5 | 1.08 |
| मधुबनी | 1.3 (0.4) | 22.9 (6.5) | 2.9 (0.8) | 8.0 (2.3) | 124.8 (35.3) | 228.7 (64.7) | 301.8 | 1.32 |
| समस्तीपुर | 0.1 (0.0) | 8.3 (3.2) | 0.9 (0.3) | 12.7 (4.8) | 89.5 (34.1) | 172.9 (65.9) | 261.5 | 1.51 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.0 (0.0) | 3.7 (2.0) | 0.8 (0.4) | 6.8 (3.6) | 71.1 (37.8) | 116.7 (62.2) | 173.2 | 1.48 |
| मुंगेर | 0.2 (0.1) | 0.6 (0.4) | 1.9 (1.4) | 19.9 (14.3) | 95.2 (68.1) | 44.6 (31.9) | 57.1 | 1.28 |
| शेखपुरा | 0.0 (0.0) | 0.3 (0.5) | 1.7 (2.7) | 7.6 (12.2) | 21.5 (34.6) | 40.6 (65.4) | 63.1 | 1.55 |
| लखीसराय | 0.1 (0.0) | 0.3 (0.2) | 6.3 (4.9) | 13.4 (10.4) | 56 (43.5) | 72.6 (56.5) | 104.2 | 1.43 |
| जमुई | 1.7 (0.5) | 2.1 (0.7) | 16.1 (5.3) | 67.7 (22.2) | 263.5 (86.3) | 41.8 (13.7) | 64.9 | 1.55 |
| खगड़िया | 0.2 (0.1) | 3.1 (2.1) | 2.2 (1.5) | 6.8 (4.5) | 57.7 (38.6) | 91.7 (61.4) | 123.9 | 1.35 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.6 (0.2) | 6.7 (2.6) | 4.9 (1.9) | 21 (8.3) | 128.7 (50.6) | 125.6 (49.4) | 150.8 | 1.20 |
| बांका | 1.1 (0.4) | 7.4 (2.4) | 11.2 (3.7) | 30.5 (10.0) | 189.8 (62.1) | 115.8 (37.9) | 150.3 | 1.30 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.1 (0.7) | 4.4 (2.7) | 3.8 (2.3) | 2.0 (1.2) | 51.7 (31.4) | 112.9 (68.6) | 208.6 | 1.85 |
| सुपौल | 0.3 (0.1) | 3.1 (1.3) | 9.5 (4.0) | 5.3 (2.2) | 91.7 (38.4) | 146.9 (61.6) | 221.4 | 1.51 |
| मधेपुरा | 0.0 (0.0) | 7.1 (4.0) | 1.0 (0.6) | 5.6 (3.1) | 49.5 (27.5) | 130.1 (72.5) | 203.4 | 1.56 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.0 (0.0) | 8.9 (2.8) | 4.7 (1.5) | 63.6 (20.2) | 136.9 (43.6) | 176.9 (56.4) | 240.3 | 1.36 |
| किशनगंज | 0.4 (0.2) | 5.1 (2.7) | 3.0 (1.6) | 27.0 (14.3) | 83.8 (44.3) | 105.3 (55.7) | 149.3 | 1.42 |
| अररिया | 0.2 (0.1) | 19.0 (7.0) | 2.9 (1.1) | 6.9 (2.5) | 87.0 (32.0) | 184.7 (68.0) | 291.3 | 1.58 |
| कटिहार | 0.1 (0.0) | 11.0 (3.8) | 6.1 (2.1) | 8.8 (3.0) | 108.7 (37.3) | 182.7 (62.7) | 263.5 | 1.44 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **15.7 (0.2)** | **244.6 (2.6)** | **121.2 (1.3)** | **781.3 (8.3)** | **3963.8 (42.4)** | **5395.7 (57.6)** | **7646.8** | **1.42** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार (समाप्त)

### तालिका प 2.3 : बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 60.10 (1.8) | 167.30 (2.0) | 2783 (12) | 59.84 (1.8) | 191.98 (2.3) | 3208 (09) |
| नालंदा | 126.50 (3.8) | 347.70 (4.2) | 2749 (13) | 112.08 (3.4) | 281.07 (3.4) | 2508 (16) |
| भोजपुर | 106.30 (3.2) | 350.40 (4.3) | 3295 (06) | 105.33 (3.2) | 359.98 (4.3) | 3417 (07) |
| बक्सर | 73.30 (2.2) | 258.10 (3.2) | 3524 (03) | 72.11 (2.2) | 253.84 (3.1) | 3520 (04) |
| रोहतास | 170.20 (5.1) | 736.30 (9.0) | 4326 (01) | 179.20 (5.4) | 719.14 (8.6) | 4013 (01) |
| कैमूर | 110.90 (3.3) | 387.30 (4.7) | 3496 (04) | 102.11 (3.1) | 393.86 (4.7) | 3857 (02) |
| | | | | | | |
| गया | 88.20 (2.7) | 284.20 (3.5) | 3221 (07) | 124.81 (3.8) | 408.13 (4.9) | 3270 (08) |
| जहानाबाद | 53.70 (1.6) | 151.60 (1.9) | 2822 (11) | 54.37 (1.6) | 207.87 (2.5) | 3823 (03) |
| अरवल | 26.30 (0.8) | 80.60 (1.0) | 3066 (08) | 26.28 (0.8) | 80.45 (1.0) | 3061 (12) |
| नवादा | 66.30 (2.0) | 194.70 (2.4) | 2939 (10) | 64.79 (2.0) | 187.88 (2.3) | 2900 (14) |
| औरंगाबाद | 176.20 (5.3) | 582.00 (7.1) | 3304 (05) | 179.92 (5.5) | 615.09 (7.4) | 3419 (06) |
| | | | | | | |
| सारण | 77.7 0 (2.3) | 136.10 (1.7) | 1752 (32) | 70.88 (2.1) | 166.60 (2.0) | 2350 (21) |
| सीवान | 103.30 (3.1) | 197.40 (2.4) | 1910 (30) | 103.13 (3.1) | 222.65 (2.7) | 2159 (24) |
| गोपालगंज | 90.40 (2.7) | 184.50 (2.3) | 2041 (23) | 87.68 (2.7) | 210.08 (2.5) | 2396 (20) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 173.20 (5.2) | 416.60 (5.1) | 2405 (15) | 163.91 (5.0) | 360.66 (4.3) | 2200 (22) |
| पूर्व चंपारण | 193.30 (5.8) | 384.60 (4.7) | 1989 (26) | 188.81 (5.7) | 353.94 (4.3) | 1875 (31) |
| मुजफ्फरपुर | 132.70 (4.0) | 302.20 (3.7) | 2278 (16) | 117.51 (3.6) | 256.13 (3.1) | 2180 (23) |
| सीतामढ़ी | 104.90 (3.2) | 169.00 (2.1) | 1611 (24) | 106.34 (3.2) | 229.34 (2.8) | 2157 (25) |
| शिवहर | 29.80 (0.9) | 76.10 (0.9) | 2554 (14) | 24.73 (0.7) | 52.88 (0.6) | 2138 (26) |
| वैशाली | 46.10 (1.4) | 104.50 (1.3) | 2267 (17) | 46.35 (1.4) | 111.90 (1.3) | 2414 (19) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 63.50 (1.9) | 114.50 (1.4) | 1804 (31) | 64.33 (1.9) | 104.46 (1.3) | 1624 (34) |
| मधुबनी | 179.10 (5.4) | 292.80 (3.6) | 1635 (34) | 173.67 (5.3) | 189.80 (2.3) | 1093 (38) |
| समस्तीपुर | 109.30 (3.3) | 223.00 (2.7) | 2041 (24) | 92.56 (2.8) | 165.75 (2.0) | 1791 (33) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 29.20 (0.9) | 51.10 (0.6) | 1748 (33) | 27.91 (0.8) | 55.86 (0.7) | 2001 (27) |
| मुंगेर | 29.40 (0.9) | 62.30 (0.8) | 2122 (20) | 26.78 (0.8) | 75.29 (0.9) | 2811 (15) |
| शेखपुरा | 30.90 (0.9) | 69.70 (0.9) | 2253 (18) | 22.77 (0.7) | 70.54 (0.8) | 3098 (11) |
| लखीसराय | 17.10 (0.5) | 32.90 (0.4) | 1921 (29) | 13.53 (0.4) | 47.38 (0.6) | 3503 (05) |
| जमुई | 49.10 (1.5) | 102.40 (1.3) | 2083 (21) | 49.96 (1.5) | 73.32 (0.9) | 1467 (36) |
| खगड़िया | 20.40 (0.6) | 30.00 (0.4) | 1469 (36) | 20.53 (0.6) | 38.13 (0.5) | 1857 (32) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 26.60 (0.8) | 81.10 (1.0) | 3043 (09) | 35.14 (1.1) | 67.30 (0.8) | 1915 (30) |
| बांका | 99.80 (3.0) | 390.60 (4.8) | 3915 (02) | 96.36 (2.9) | 291.07 (3.5) | 3021 (13) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 98.40 (3.0) | 190.80 (2.3) | 1938 (28) | 100.13 (3.0) | 191.87 (2.3) | 1916 (29) |
| सुपौल | 98.00 (2.9) | 141.30 (1.7) | 1443 (37) | 97.96 (3.0) | 153.36 (1.8) | 1565 (35) |
| मधेपुरा | 71.20 (2.1) | 100.20 (1.2) | 1406 (38) | 69.27 (2.1) | 169.57 (2.0) | 2448 (17) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 98.00 (2.9) | 195.60 (2.4) | 1995 (25) | 95.36 (2.9) | 187.95 (2.3) | 1971 (28) |
| किशनगंज | 78.90 (2.4) | 168.40 (2.1) | 2133 (19) | 82.90 (2.5) | 114.49 (1.4) | 1381 (37) |
| अररिया | 138.80 (4.2) | 271.10 (3.3) | 1953 (27) | 138.83 (4.2) | 339.41 (4.1) | 2445 (18) |
| कटिहार | 76.60 (2.3) | 158.60 (1.9) | 2069 (22) | 100.72 (3.1) | 323.02 (3.9) | 3207 (10) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **3323.90 (100.0)** | **8187.60 (100.0)** | **2463** | **3298.89 (100.0)** | **8322.01 (100.0)** | **2523** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.4 : बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 60.30 (2.8) | 220.40 (3.4) | 3657 (8) | 59.31 (2.7) | 211.57 (3.4) | 3567 (02) |
| नालंदा | 78.60 (3.7) | 222.10 (3.4) | 2826 (26) | 84.55 (3.8) | 233.79 (3.8) | 2765 (17) |
| भोजपुर | 77.40 (3.6) | 234.00 (3.6) | 3024 (19) | 74.14 (3.4) | 192.02 (3.1) | 2590 (23) |
| बक्सर | 81.70 (3.8) | 248.30 (3.8) | 3039 (17) | 80.3 (3.6) | 218.30 (3.5) | 2718 (18) |
| रोहतास | 142.80 (6.7) | 392.90 (6.0) | 2752 (28) | 142.79 (6.5) | 457.11 (7.4) | 3201 (08) |
| कैमूर | 69.00 (3.2) | 207.50 (3.2) | 3007 (20) | 81.72 (3.7) | 203.51 (3.3) | 2490 (28) |
| | | | | | | |
| गया | 65.90 (3.1) | 183.40 (2.8) | 2783 (27) | 65.86 (3) | 161.97 (2.6) | 2459 (30) |
| जहानाबाद | 34.80 (1.6) | 128.30 (2.0) | 3685 (7) | 35.34 (1.6) | 117.90 (1.9) | 3387 (06) |
| अरवल | 10.70 (0.5) | 27.00 (0.4) | 2525 (32) | 10.70 (0.5) | 26.39 (0.4) | 2466 (29) |
| नवादा | 49.10 (2.3) | 127.20 (1.9) | 2592 (31) | 47.02 (2.1) | 117.30 (1.9) | 2495 (27) |
| औरंगाबाद | 73.20 (3.4) | 165.80 (2.5) | 2264 (36) | 97.58 (4.4) | 209.52 (3.4) | 2147 (34) |
| | | | | | | |
| सारण | 83.60 (3.9) | 276.50 (4.2) | 3307 (10) | 81.53 (3.7) | 233.25 (3.8) | 2861 (15) |
| सीवान | 90.10 (4.2) | 270.50 (4.1) | 3003 (21) | 94.84 (4.3) | 314.20 (5.1) | 3313 (07) |
| गोपालगंज | 83.90 (3.9) | 276.00 (4.2) | 3291 (12) | 84.69 (3.8) | 291.75 (4.7) | 3445 (04) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 71.10 (3.3) | 230.80 (3.5) | 3244 (13) | 69.52 (3.1) | 178.20 (2.9) | 2563 (09) |
| पूर्व चंपारण | 111.00 (5.2) | 359.10 (5.5) | 3235 (14) | 115.14 (5.2) | 304.22 (4.9) | 2642 (20) |
| मुजफ्फरपुर | 87.5 (4.1) | 354.00 (5.4) | 4047 (1) | 93.84 (4.3) | 284.59 (4.6) | 3033 (24) |
| सीतामढ़ी | 63.80 (3.0) | 182.70 (2.8) | 2864 (23) | 92.50 (4.2) | 265.15 (4.3) | 2867 (14) |
| शिवहर | 15.30 (0.7) | 53.60 (0.8) | 3507 (9) | 11.23 (0.5) | 34.05 (0.6) | 3032 (10) |
| वैशाली | 44.80 (2.1) | 172.40 (2.6) | 3853 (2) | 44.17 (2.0) | 122.65 (2) | 2777 (16) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 59.90 (2.8) | 222.60 (3.4) | 3713 (6) | 59.40 (2.7) | 143.12 (2.3) | 2409 (33) |
| मधुबनी | 89.90 (4.2) | 195.20 (3.0) | 2170 (37) | 92.44 (4.2) | 191.56 (3.1) | 2072 (36) |
| समस्तीपुर | 59.20 (2.8) | 227.20 (3.5) | 3840 (3) | 59.18 (2.7) | 206.85 (3.4) | 3495 (03) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 52.40 (2.4) | 196.90 (3.0) | 3755 (5) | 52.98 (2.4) | 155.44 (2.5) | 2934 (12) |
| मुंगेर | 15.40 (0.7) | 44.20 (0.7) | 2860 (24) | 12.65 (0.6) | 33.20 (0.5) | 2625 (22) |
| शेखपुरा | 22.00 (1.0) | 62.70 (1.0) | 2856 (25) | 21.92 (1.0) | 57.85 (0.9) | 2639 (21) |
| लखीसराय | 52.60 (2.5) | 131.40 (2.0) | 2497 (33) | 52.76 (2.4) | 153.20 (2.5) | 2904 (13) |
| जमुई | 7.50 (0.4) | 20.50 (0.3) | 2726 (29) | 7.52 (0.3) | 15.72 (0.3) | 2090 (35) |
| खगड़िया | 30.10 (1.4) | 114.70 (1.8) | 3808 (4) | 29.90 (1.4) | 90.15 (1.5) | 3015 (11) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 41.20 (1.9) | 128.30 (2.0) | 3111 (15) | 42.91 (1.9) | 104.07 (1.7) | 2425 (32) |
| बांका | 24.10 (1.1) | 73.10 (1.1) | 3039 (18) | 22.94 (1.0) | 58.49 (0.9) | 2549 (25) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 48.50 (2.3) | 148.80 (2.3) | 3070 (16) | 45.44 (2.1) | 111.40 (1.8) | 2451 (31) |
| सुपौल | 47.80 (2.2) | 108.40 (1.7) | 2267 (35) | 47.83 (2.2) | 89.43 (1.4) | 1870 (38) |
| मधेपुरा | 38.70 (1.8) | 127.70 (2.0) | 3301 (11) | 38.67 (1.8) | 97.89 (1.6) | 2531 (26) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 43.10 (2.0) | 112.90 (1.7) | 2620 (30) | 42.03 (1.9) | 112.97 (1.8) | 2688 (19) |
| किशनगंज | 18.40 (0.9) | 28.20 (0.4) | 1531 (38) | 16.67 (0.8) | 31.20 (0.5) | 1871 (37) |
| अररिया | 59.30 (2.8) | 147.00 (2.3) | 2480 (34) | 59.27 (2.7) | 220.85 (3.6) | 3726 (01) |
| कटिहार | 37.30 (1.7) | 108.90 (1.7) | 2918 (22) | 36.42 (1.6) | 121.67 (2.0) | 3341 (05) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **2141.90 (100.0)** | **6531.00 (100.0)** | **3049** | **2207.70 (100.0)** | **6174.26 (100.0)** | **2797** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 2.5 : बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिला | 2011-12 | | | 2011-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 8.06 (1.2) | 17.97 (0.7) | 2228 (33) | 6.43 (0.9) | 18.76 (0.7) | 2917 (28) |
| नालंदा | 6.10 (0.9) | 23.52 (0.9) | 3854 (09) | 7.22 (1.0) | 27.16 (1.0) | 3762 (15) |
| भोजपुर | 4.94 (0.7) | 9.72 (0.4) | 1967 (36) | 3.83 (0.6) | 12.34 (0.4) | 3226 (23) |
| बक्सर | 2.13 (0.3) | 4.68 (0.2) | 2190 (34) | 2.43 (0.4) | 7.56 (0.3) | 3114 (26) |
| रोहतास | 0.09 (0.0) | 0.22 (0.0) | 2326 (32) | 0.15 (0.0) | 0.38 (0.0) | 2561 (29) |
| कैमूर | 0.23 (0.0) | 0.58 (0.0) | 2452 (29) | 0.46 (0.1) | 1.14 (0.0) | 2490 (32) |
| | | | | | | |
| गया | 5.15 (0.8) | 12.43 (0.5) | 2412 (31) | 6.26 (0.9) | 24.87 (0.9) | 3973 (10) |
| जहानाबाद | 1.28 (0.2) | 3.29 (0.1) | 2561 (26) | 1.31 (0.2) | 5.13 (0.2) | 3913 (12) |
| अरवल | 0.75 (0.1) | 2.55 (0.1) | 3376 (13) | 0.76 (0.1) | 3.00 (0.1) | 3963 (11) |
| नवादा | 2.90 (0.4) | 7.93 (0.3) | 2736 (22) | 1.64 (0.2) | 3.61 (0.1) | 2201 (36) |
| औरंगाबाद | 0.49 (0.1) | 0.88 (0.0) | 1814 (38) | 0.49 (0.1) | 1.62 (0.1) | 3342 (20) |
| | | | | | | |
| सारण | 29.18 (4.3) | 75.07 (3.0) | 2572 (24) | 27.46 (4.0) | 65.15 (2.4) | 2373 (34) |
| सीवान | 16.27 (2.4) | 49.45 (2.0) | 3038 (17) | 20.03 (2.9) | 49.11 (1.8) | 2451 (33) |
| गोपालगंज | 13.86 (2.1) | 38.70 (1.6) | 2791 (21) | 14.24 (2.1) | 46.71 (1.7) | 3281 (21) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 9.99 (1.5) | 32.06 (1.3) | 3207 (15) | 11.06 (1.6) | 35.65 (1.3) | 3224 (24) |
| पूर्व चंपारण | 51.44 (7.6) | 184.19 (7.4) | 3580 (12) | 46.73 (6.7) | 159.74 (5.8) | 3418 (18) |
| मुजफ्फरपुर | 25.24 (3.7) | 92.98 (3.7) | 3684 (11) | 25.1 (3.6) | 81.14 (2.9) | 3233 (22) |
| सीतामढ़ी | 6.01 (0.9) | 25.77 (1.0) | 4284 (04) | 7.18 (1.0) | 25.81 (0.9) | 3594 (16) |
| शिवहर | 1.75 (0.3) | 4.79 (0.2) | 2724 (23) | 1.93 (0.3) | 4.48 (0.2) | 2325 (35) |
| वैशाली | 31.99 (4.7) | 95.89 (3.9) | 2998 (18) | 32.66 (4.7) | 123.08 (4.5) | 3769 (14) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 19.6 (2.9) | 50.36 (2.0) | 2569 (25) | 19.65 (2.8) | 70.16 (2.5) | 3570 (17) |
| मधुबनी | 1.09 (0.2) | 3.34 (0.1) | 3069 (16) | 0.81 (0.1) | 4.00 (0.1) | 4963(06) |
| समस्तीपुर | 40.28 (6.0) | 114.84 (4.6) | 2851 (20) | 40.29 (5.8) | 154.17 (5.6) | 3827 (13) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 57.72 (8.6) | 139.86 (5.6) | 2423 (30) | 59.52 (8.6) | 182.78 (6.6) | 3071 (27) |
| मुंगेर | 5.44 (0.8) | 10.26 (0.4) | 1884 (37) | 5.44 (0.8) | 13.78 (0.5) | 2535 (30) |
| शेखपुरा | 0.51 (0.1) | 1.11 (0.0) | 2176 (35) | 0.32 (0.0) | 0.80 (0.0) | 2514 (31) |
| लखीसराय | 7.66 (1.1) | 24.87 (1.0) | 3247 (14) | 6.22 (0.9) | 5.75 (0.2) | 924 (38) |
| जमुई | 2.81 (0.4) | 7.00 (0.3) | 2492 (28) | 2.66 (0.4) | 3.74 (0.1) | 1404 (37) |
| खगड़िया | 57.23 (8.5) | 266.67 (10.7) | 4659 (03) | 58.59 (8.5) | 186.3 (6.8) | 3180 (25) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 48.92 (7.2) | 203.97 (8.2) | 4169 (06) | 44.8 (6.5) | 273.43 (9.9) | 6103 (02) |
| बांका | 11.20 (1.7) | 42.85 (1.7) | 3825 (10) | 10.5 (1.5) | 43.29 (1.6) | 4122 (08) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 42.31 (6.3) | 241.02 (9.7) | 5697 (02) | 44.21 (6.4) | 234.83 (8.5) | 5312 (04) |
| सुपौल | 12.29 (1.8) | 52.12 (2.1) | 4241 (05) | 12.29 (1.8) | 72.15 (2.6) | 5870 (03) |
| मधेपुरा | 43.35 (6.4) | 276.04 (11.1) | 6367 (01) | 43.85 (6.3) | 269.85 (9.8) | 6154 (01) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 38.7 (5.7) | 97.64 (3.9) | 2523 (27) | 38.63 (5.6) | 129.49 (4.7) | 3352 (19) |
| किशनगंज | 2.82 (0.4) | 8.25 (0.3) | 2920 (19) | 2.94 (0.4) | 12.59 (0.5) | 4283 (07) |
| अररिया | 27.08 (4.0) | 110.02 (4.4) | 4062 (07) | 27.09 (3.9) | 109.00 (4.0) | 4024 (09) |
| कटिहार | 37.94 (5.6) | 153.12 (6.2) | 4036 (08) | 58.21 (8.4) | 293.44 (10.6) | 5041 (05) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **674.98 (100.0)** | **2486.17 (100.0)** | **3683** | **693.34 (100.0)** | **2755.95 (100.0)** | **3975** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

### तालिका प 2.6 : बिहार में दलहन का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 45.13 (8.6) | 65.61 (12.6) | 1454 (02) | 47.59 (9.2) | 68.41 (12.6) | 1437 (04) |
| नालंदा | 24.03 (4.6) | 20.25 (3.9) | 843 (28) | 20.95 (4.1) | 26.56 (4.9) | 1268 (09) |
| भोजपुर | 24.95 (4.8) | 36.16 (7.0) | 1449 (03) | 21.40 (4.1) | 36.57 (6.7) | 1709 (01) |
| बक्सर | 9.33 (1.8) | 13.21 (2.5) | 1416 (04) | 9.48 (1.8) | 10.60 (2.0) | 1118 (16) |
| रोहतास | 14.69 (2.8) | 23 (4.4) | 1565 (01) | 14.71 (2.9) | 23.05 (4.2) | 1567(02) |
| कैमूर | 16.19 (3.1) | 16.33 (3.1) | 1009 (16) | 13.68 (2.7) | 17.03 (3.1) | 1245 (10) |
| | | | | | | |
| गया | 14.36 (2.7) | 14.56 (2.8) | 1014 (15) | 15.52 (3.0) | 21.33 (3.9) | 1375 (05) |
| जहानाबाद | 17.11 (3.3) | 17.09 (3.3) | 998 (17) | 17.46 (3.4) | 23.00 (4.2) | 1318 (07) |
| अरवल | 5.39 (1.0) | 5.88 (1.1) | 1090 (12) | 5.19 (1.0) | 5.94 (1.1) | 1145 (13) |
| नवादा | 10.33 (2.0) | 10.01 (1.9) | 968 (20) | 9.95 (1.9) | 10.86 (2.0) | 1091 (17) |
| औरंगाबाद | 42.28 (8.1) | 46.62 (9.0) | 1102 (11) | 39.59 (7.7) | 40.17 (7.4) | 1015 (19) |
| | | | | | | |
| सारण | 3.99 (0.8) | 2.78 (0.5) | 695 (32) | 3.99 (0.8) | 3.02 (0.6) | 758 (31) |
| सीवान | 4.74 (0.9) | 5.77 (1.1) | 1218 (9) | 3.81 (0.7) | 5.48 (1.0) | 1438 (03) |
| गोपालगंज | 2.67 (0.5) | 2.33 (0.4) | 871 (27) | 3.15 (0.6) | 2.71 (0.5) | 858 (26) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 18.14 (3.5) | 24.13 (4.6) | 1330 (05) | 14.72 (2.9) | 12.84 (2.4) | 872 (25) |
| पूर्व चंपारण | 11.57 (2.2) | 14.19 (2.7) | 1227 (08) | 12.83 (2.5) | 12.89 (2.4) | 1005 (20) |
| मुजफ्फरपुर | 28.21 (5.4) | 13.4 (2.6) | 475 (37) | 26.98 (5.2) | 19.12 (3.5) | 709 (32) |
| सीतामढ़ी | 8.27 (1.6) | 5.42 (1.0) | 655 (34) | 7.41 (1.4) | 4.88 (0.9) | 659 (35) |
| शिवहर | 3.33 (0.6) | 3.11 (0.6) | 933 (24) | 6.43 (1.2) | 7.36 (1.4) | 1144 (14) |
| वैशाली | 8.5 (1.6) | 4.48 (0.9) | 527 (36) | 8.70 (1.7) | 6.67 (1.2) | 767 (30) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 11.48 (2.2) | 12.03 (2.3) | 1048 (13) | 10.10 (2.0) | 6 .00 (1.1) | 594 (37) |
| मधुबनी | 16.99 (3.2) | 13.34 (2.6) | 785 (30) | 15.17 (2.9) | 12.89 (2.4) | 850 (28) |
| समस्तीपुर | 15.74 (3.0) | 12.18 (2.3) | 774 (31) | 15.67 (3.0) | 10.83 (2.0) | 691 (34) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 4.37 (0.8) | 5.5 (1.1) | 1258 (07) | 4.87 (0.9) | 6.38 (1.2) | 1311 (08) |
| मुंगेर | 3.49 (0.7) | 3.45 (0.7) | 989 (18) | 2.24 (0.4) | 2.62 (0.5) | 1169 (11) |
| शेखपुरा | 6.29 (1.2) | 7.1 (1.4) | 1129 (10) | 6.01 (1.2) | 6.83 (1.3) | 1136 (15) |
| लखीसराय | 23.71 (4.5) | 22.58 (4.3) | 952 (23) | 24.56 (4.8) | 33.76 (6.2) | 1375 (06) |
| जमुई | 2.12 (0.4) | 2.15 (0.4) | 1015 (14) | 2.13 (0.4) | 2.11 (0.4) | 991 (21) |
| खगड़िया | 7.59 (1.4) | 7.48 (1.4) | 986 (19) | 7.53 (1.5) | 7.01 (1.3) | 931 (23) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 10.39 (2.0) | 9.58 (1.8) | 922 (25) | 13.96 (2.7) | 11.91 (2.2) | 853 (27) |
| बांका | 7.31 (1.4) | 6.01 (1.2) | 822 (29) | 6.26 (1.2) | 5.20 (1.0) | 830 (29) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 16.53 (3.2) | 11.16 (2.1) | 675 (33) | 14.95 (2.9) | 5.90 (1.1) | 394 (38) |
| सुपौल | 26.95 (5.1) | 12.32 (2.4) | 457 (38) | 26.96 (5.2) | 19.07 (3.5) | 708 (33) |
| मधेपुरा | 21.79 (4.2) | 13.33 (2.6) | 612 (35) | 21.6 0 (4.2) | 13.00 (2.4) | 602 (36) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 8.74 (1.7) | 8.39 (1.6) | 960 (22) | 8.71 (1.7) | 10.14 (1.9) | 1165 (12) |
| किशनगंज | 8.23 (1.6) | 10.68 (2.1) | 1298 (06) | 8.47 (1.6) | 8.06 (1.5) | 951 (22) |
| अररिया | 13.65 (2.6) | 13.14 (2.5) | 963 (21) | 13.83 (2.7) | 12.45 (2.3) | 900 (24) |
| कटिहार | 5.57 (1.1) | 4.96 (1.0) | 890 (26) | 9.37 (1.8) | 10.09 (1.9) | 1077 (18) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **524.34 (100.0)** | **519.86 (100.0)** | **991** | **515.88 (100.0)** | **542.71 (100.0)** | **1052** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.7 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिला | आलू | | | | प्याज | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 16.17 (5.1) | 317.08 (5.4) | 12.45 (5.2) | 354.32 (5.5) | 2.58 (5.1) | 52.87 (4.9) | 2.57 (4.8) | 62.60 (5.0) |
| नालंदा | 27.20 (8.6) | 539.38 (9.2) | 20.81 (8.6) | 599.38 (9.3) | 6.09 (11.9) | 138.81 (12.8) | 5.99 (11.3) | 164.37 (13) |
| भोजपुर | 8.34 (2.6) | 156.75 (2.7) | 6.38 (2.6) | 175.17 (2.7) | 1.21 (2.4) | 25.39 (2.4) | 1.21 (2.3) | 30.06 (2.4) |
| बक्सर | 5.02 (1.6) | 92.28 (1.6) | 3.84 (1.6) | 103.11 (1.6) | 0.93 (1.8) | 19.12 (1.8) | 0.93 (1.7) | 22.64 (1.8) |
| रोहतास | 10.40 (3.3) | 185.10 (3.2) | 7.95 (3.3) | 165.84 (2.6) | 1.21 (2.4) | 22.93 (2.1) | 1.21 (2.3) | 27.15 (2.2) |
| कैमूर | 4.18 (1.3) | 75.20 (1.3) | 3.20 (1.3) | 84.04 (1.3) | 0.38 (0.8) | 17.50 (1.6) | 0.98 (1.8) | 20.73 (1.6) |
| | | | | | | | | |
| गया | 10.50 (3.3) | 190.04 (3.3) | 8.03 (3.3) | 212.36 (3.3) | 1.44 (2.8) | 28.98 (2.7) | 1.44 (2.7) | 34.32 (2.7) |
| जहानाबाद | 3.61 (1.1) | 66.08 (1.1) | 2.76 (1.1) | 73.84 (1.2) | 0.46 (0.9) | 11.70 (1.1) | 0.55 (1.0) | 13.15 (1.0) |
| अरवल | 2.87 (0.9) | 52.88 (0.9) | 2.20 (0.9) | 59.09 (0.9) | 0.44 (0.9) | 9.10 (0.8) | 0.44 (0.8) | 10.78 (0.9) |
| नवादा | 5.52 (1.8) | 88.75 (1.5) | 4.22 (1.8) | 99.18 (1.5) | 1.00 (2.0) | 18.44 (1.7) | 0.99 (1.9) | 21.83 (1.7) |
| औरंगाबाद | 5.82 (1.8) | 103.65 (1.8) | 4.45 (1.8) | 115.82 (1.8) | 1.13 (2.2) | 21.44 (2.0) | 1.13 (2.1) | 25.39 (2.0) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 13.81 (4.4) | 252.68 (4.3) | 10.73 (4.4) | 282.36 (4.4) | 0.95 (1.9) | 18.03 (1.7) | 0.95 (1.8) | 21.35 (1.7) |
| सीवान | 9.99 (3.2) | 183.85 (3.1) | 7.64 (3.2) | 205.45 (3.2) | 0.91 (1.8) | 17.64 (1.6) | 0.91 (1.7) | 20.11 (1.6) |
| गोपालगंज | 11.87 (3.8) | 217.18 (3.7) | 9.08 (3.8) | 242.69 (3.8) | 0.13 (0.3) | 1.41 (0.1) | 0.13 (0.3) | 1.41 (0.1) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 12.00 (3.8) | 223.18 (3.8) | 9.18 (3.8) | 249.94 (3.9) | 2.34 (4.6) | 51.90 (4.8) | 2.33 (4.4) | 61.46 (4.9) |
| पूर्व चंपारण | 11.46 (3.6) | 211.97 (3.6) | 8.76 (3.6) | 236.87 (3.7) | 2.39 (4.7) | 50.11 (4.6) | 2.38 (4.5) | 59.33 (4.7) |
| मुजफ्फरपुर | 11.17 (3.5) | 226.48 (3.9) | 8.54 (3.5) | 253.09 (3.9) | 2.65 (5.2) | 58.17 (5.4) | 2.6 (4.9) | 68.88 (5.5) |
| सीतामढ़ी | 6.70 (2.1) | 121.25 (2.1) | 5.12 (2.1) | 135.49 (2.1) | 0.98 (1.9) | 14.54 (1.3) | 0.98 (1.8) | 14.54 (1.2) |
| शिवहर | 4.20 (1.3) | 74.80 (1.3) | 3.21 (1.3) | 83.58 (1.3) | 0.72 (1.4) | 14.61 (1.4) | 0.72 (1.4) | 17.29 (1.4) |
| वैशाली | 13.00 (4.1) | 260.00 (4.4) | 9.95 (4.1) | 290.54 (4.5) | 1.81 (3.5) | 36.68 (3.4) | 1.80 (3.4) | 43.44 (3.4) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 7.61 (2.4) | 137.76 (2.4) | 5.75 (2.4) | 153.94 (2.4) | 1.11 (2.2) | 28.94 (2.7) | 1.11 (2.1) | 24.80 (2.0) |
| मधुबनी | 10.12 (3.2) | 185.18 (3.2) | 7.74 (3.2) | 206.93 (3.2) | 1.21 (2.4) | 21.30 (2.0) | 1.12 (2.1) | 25.30 (2.0) |
| समस्तीपुर | 12.01 (3.8) | 223.00 (3.8) | 9.18 (3.8) | 249.19 (3.9) | 1.40 (2.8) | 25.7 0(2.4) | 1.40 (2.6) | 30.43 (2.4) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 7.89 (2.5) | 150.36 (2.6) | 6.04 (2.5) | 168.02 (2.6) | 2.01 (3.9) | 40.84 (3.8) | 2.01 (3.8) | 48.35 (3.8) |
| मुंगेर | 6.99 (2.2) | 127.15 (2.2) | 5.34 (2.2) | 142.08 (2.2) | 1.02 (2) | 20.62 (1.9) | 1.02 (1.9) | 24.42 (1.9) |
| शेखपुरा | 5.50 (1.7) | 107.29 (1.8) | 4.21 (1.7) | 119.89 (1.9) | 1.31 (2.6) | 24.85 (2.3) | 1.31 (2.5) | 29.43 (2.3) |
| लखीसराय | 3.09 (1.0) | 56.78 (1.0) | 2.36 (1.0) | 63.45 (1) | 0.45 (0.9) | 8.54 (0.8) | 0.45 (0.8) | 10.12 (0.8) |
| जमुई | 3.38 (1.1) | 60.22 (1.0) | 2.59 (1.1) | 67.29 (1.1) | 0.78 (1.5) | 18.89 (1.8) | 0.77 (1.5) | 18.89 (1.5) |
| खगड़िया | 5.40 (1.7) | 97.16 (1.7) | 4.13 (1.7) | 108.58 (1.7) | 0.77 (1.5) | 14.55 (1.4) | 0.77 (1.5) | 17.23 (1.4) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 8.23 (2.6) | 150.57 (2.6) | 6.29 (2.6) | 168.26 (2.6) | 1.64 (3.2) | 34.07 (3.2) | 1.64 (3.1) | 40.34 (3.2) |
| बांका | 6.45 (2.0) | 112.51 (1.9) | 4.94 (2.0) | 125.73 (2.0) | 0.75 (1.5) | 13.88 (1.3) | 0.75 (1.4) | 16.43 (1.3) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 7.45 (2.4) | 135.65 (2.3) | 5.7 (2.4) | 151.58 (2.4) | 0.65 (1.3) | 12.66 (1.2) | 0.65 (1.2) | 14.66 (1.2) |
| सुपौल | 5.90 (1.9) | 103.79 (1.8) | 4.51 (1.9) | 115.98 (1.8) | 0.38 (0.8) | 7.14 (0.7) | 0.38 (0.7) | 8.46 (0.7) |
| मधेपुरा | 6.96 (2.2) | 125.33 (2.1) | 5.33 (2.2) | 140.06 (2.2) | 0.98 (1.9) | 19.05 (1.8) | 0.98 (1.9) | 22.56 (1.8) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 6.84 (2.2) | 122.87 (2.1) | 5.23 (2.2) | 137.3 (2.1) | 1.80 (3.5) | 35.88 (3.3) | 1.80 (3.4) | 42.49 (3.4) |
| किशनगंज | 5.89 (1.9) | 105.50 (1.8) | 4.51 (1.9) | 117.9 (1.8) | 1.39 (2.7) | 26.49 (2.5) | 1.39 (2.6) | 31.36 (2.5) |
| अररिया | 4.96 (1.6) | 80.00 (1.4) | 3.69 (1.5) | 89.4 (1.4) | 1.50 (2.9) | 28.18 (2.6) | 1.52 (2.9) | 33.37 (2.6) |
| कटिहार | 7.23 (2.3) | 132.27 (2.3) | 5.52 (2.3) | 147.81 (2.3) | 3.90 (7.7) | 70.21 (6.5) | 3.89 (7.3) | 83.14 (6.6) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **315.73 (100.0)** | **5851.99 (100.0)** | **241.54 (100.0)** | **6432.09 (100.0)** | **51.01 (100.0)** | **1081.17 (100.0)** | **53.21 (100.0)** | **1262.59 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

## तालिका प 2.7 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिला | गोभी | | | | बैंगन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 3.78 (5.7) | 68.02 (5.9) | 3.7 (5.6) | 68.12 (5.9) | 1.80 (3.1) | 48.13 (3.6) | 1.80 (3.1) | 48.13 (3.7) |
| नालंदा | 3.24 (4.9) | 58.98 (5.1) | 3.1 (4.7) | 59.03 (5.1) | 7.12 (12.4) | 248.49(18.5) | 7.12 (12.4) | 248.49 (18.9) |
| भोजपुर | 1.15 (1.7) | 20.66 (1.8) | 1.15 (1.8) | 21.51 (1.9) | 1.20 (2.1) | 28.91 (2.2) | 1.20 (2.1) | 28.91 (2.2) |
| बक्सर | 0.70 (1.1) | 12.67 (1.1) | 0.70 (1.1) | 12.68 (1.1) | 0.74 (1.3) | 16.82 (1.3) | 0.74 (1.3) | 16.82 (1.3) |
| रोहतास | 1.24 (1.9) | 20.81 (1.8) | 1.24 (1.9) | 20.81 (1.8) | 0.98 (1.7) | 18.76 (1.4) | 0.98 (1.7) | 18.76 (1.4) |
| कैमूर | 0.77 (1.2) | 13.36 (1.2) | 0.77 (1.2) | 13.36 (1.2) | 0.58 (1.0) | 14.3 (1.1) | 0.58 (1) | 14.3 (1.1) |
| | | | | | | | | |
| गया | 2.01 (3.0) | 34.89 (3.0) | 2.01 (3.1) | 34.89 (3.0) | 1.66 (2.9) | 34.49 (2.6) | 1.65 (2.9) | 34.49 (2.6) |
| जहानाबाद | 0.54 (0.8) | 9.70 (0.8) | 0.54 (0.8) | 9.70 (0.8) | 0.67 (1.2) | 13.74 (1) | 0.67 (1.2) | 13.74 (1) |
| अरवल | 0.45 (0.7) | 8.06 (0.7) | 0.45 (0.7) | 8.06 (0.7) | 0.44 (0.8) | 9.51 (0.7) | 0.44 (0.8) | 9.51 (0.7) |
| नवादा | 1.40 (2.1) | 22.56 (2.0) | 1.40 (2.1) | 22.56 (2.0) | 1.81 (3.2) | 26.81 (2.0) | 1.81 (3.1) | 26.81 (2) |
| औरंगाबाद | 1.39 (2.1) | 28.22 (2.5) | 1.41 (2.1) | 28.22 (2.5) | 1.12 (2.0) | 23.37 (1.7) | 1.12 (1.9) | 23.37 (1.8) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 2.88 (4.4) | 36.81 (3.2) | 2.88 (4.4) | 36.81 (3.2) | 1.80 (3.1) | 38.43 (2.9) | 1.8 (3.1) | 38.43 (2.9) |
| सीवान | 1.62 (2.5) | 29.45 (2.6) | 1.62 (2.5) | 29.45 (2.6) | 1.59 (2.8) | 34.94 (2.6) | 1.59 (2.8) | 34.94 (2.7) |
| गोपालगंज | 1.88 (2.9) | 33.86 (2.9) | 1.88 (2.9) | 33.86 (2.9) | 1.39 (2.4) | 30.39 (2.3) | 1.39 (2.4) | 30.39 (2.3) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2.88 (4.4) | 52.38 (4.6) | 2.88 (4.4) | 52.38 (4.6) | 1.97 (3.4) | 44.57 (3.3) | 1.97 (3.4) | 44.57 (3.4) |
| पूर्व चंपारण | 2.84 (4.3) | 38.76 (3.4) | 2.84 (4.3) | 38.76 (3.4) | 1.63 (2.8) | 36.23 (2.7) | 1.63 (2.8) | 36.23 (2.8) |
| मुजफ्फरपुर | 3.75 (5.7) | 67.45 (5.9) | 3.53 (5.4) | 67.53 (5.9) | 2.83 (4.9) | 63.46 (4.7) | 2.90 (5.0) | 36.46 (2.8) |
| सीतामढ़ी | 1.34 (2.0) | 24.16 (2.1) | 1.34 (2.0) | 24.16 (2.1) | 1.29 (2.3) | 26.90 (2.0) | 1.29 (2.2) | 26.9 (2) |
| शिवहर | 0.84 (1.3) | 14.94 (1.3) | 0.84 (1.3) | 14.94 (1.3) | 0.66 (1.2) | 14.08 (1.0) | 0.66 (1.1) | 14.08 (1.1) |
| वैशाली | 5.81 (8.8) | 98.41 (8.6) | 5.97 (9.1) | 99.30 (8.6) | 3.07 (5.4) | 68.81 (5.1) | 3.1 (5.4) | 68.81 (5.2) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.63 (2.5) | 28.49 (2.5) | 1.63 (2.5) | 28.49 (2.5) | 2.44 (4.3) | 51.69 (3.9) | 2.53 (4.4) | 51.69 (3.9) |
| मधुबनी | 2.58 (3.9) | 45.74 (4.0) | 2.58 (3.9) | 45.74 (4.0) | 2.11 (3.7) | 43.27 (3.2) | 2.11 (3.7) | 43.27 (3.3) |
| समस्तीपुर | 3.00 (4.6) | 58.47 (5.1) | 3.00 (4.6) | 59.70 (5.2) | 2.32 (4.1) | 58.57 (4.4) | 2.32 (4.0) | 58.57 (4.5) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1.87 (2.8) | 37.78 (3.3) | 1.80 (2.7) | 34.87 (3.0) | 2.67 (4.7) | 58.7 (4.4) | 2.7 (4.7) | 58.7 (4.5) |
| मुंगेर | 0.75 (1.1) | 13.17 (1.1) | 0.75 (1.1) | 13.28 (1.2) | 0.83 (1.4) | 16.67 (1.2) | 0.83 (1.4) | 16.67 (1.3) |
| शेखपुरा | 0.25 (0.4) | 4.38 (0.4) | 0.25 (0.4) | 4.38 (0.4) | 0.3 (0.5) | 6.63 (0.5) | 0.3 (0.5) | 6.63 (0.5) |
| लखीसराय | 0.28 (0.4) | 4.95 (0.4) | 0.28 (0.4) | 4.95 (0.4) | 0.20 (0.3) | 4.19 (0.3) | 0.2 (0.3) | 4.19 (0.3) |
| जमुई | 0.43 (0.7) | 7.45 (0.6) | 0.43 (0.7) | 7.45 (0.6) | 0.59 (1.0) | 12.41 (0.9) | 0.59 (1) | 12.41 (0.9) |
| खगड़िया | 1.25 (1.9) | 21.43 (1.9) | 1.25 (1.9) | 21.43 (1.9) | 1.21 (2.1) | 29.64 (2.2) | 1.21 (2.1) | 29.64 (2.3) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1.65 (2.5) | 29.17 (2.5) | 1.65 (2.5) | 29.17 (2.5) | 1.71 (3.0) | 35.98 (2.7) | 1.71 (3) | 35.98 (2.7) |
| बांका | 0.83 (1.3) | 13.4 (1.2) | 0.83 (1.3) | 12.40 (1.1) | 0.82 (1.4) | 17.41 (1.3) | 0.82 (1.4) | 17.41 (1.3) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.77 (2.7) | 31.47 (2.7) | 1.77 (2.7) | 31.47 (2.7) | 1.33 (2.3) | 28.69 (2.1) | 1.33 (2.3) | 28.69 (2.2) |
| सुपौल | 0.69 (1.0) | 11.70 (1.0) | 0.69 (1.1) | 11.70 (1.0) | 0.62 (1.1) | 13.04 (1) | 0.62 (1.1) | 13.04 (1) |
| मधेपुरा | 1.78 (2.7) | 30.9 (2.7) | 1.78 (2.7) | 30.9 (2.7) | 1.58 (2.8) | 33.86 (2.5) | 1.58 (2.7) | 33.86 (2.6) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.04 (3.1) | 35.24 (3.1) | 2.04 (3.1) | 35.24 (3.1) | 1.21 (2.1) | 24.56 (1.8) | 1.21 (2.1) | 24.56 (1.9) |
| किशनगंज | 0.88 (1.3) | 15.88 (1.4) | 0.88 (1.3) | 15.88 (1.4) | 0.57 (1.0) | 12.41 (0.9) | 0.57 (1) | 12.41 (0.9) |
| अररिया | 0.84 (1.3) | 14.50 (1.3) | 0.84 (1.3) | 14.50 (1.3) | 0.64 (1.1) | 13.68 (1.0) | 0.64 (1.1) | 13.68 (1) |
| कटिहार | 2.90 (4.4) | 51.34 (4.5) | 3.00 (4.6) | 51.34 (4.5) | 1.77 (3.1) | 38.72 (2.9) | 1.77 (3.1) | 38.72 (2.9) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **65.93 (100.0)** | **1149.58 (100.0)** | **65.70 (100.0)** | **1148.99 (100.0)** | **57.28 (100.0)** | **1341.20 (100.0)** | **57.49 (100.0)** | **1314.20 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

### तालिका प 2.8 : बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिला | आम | | | | अमरुद | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 4.03(3.0) | 36.90 (2.8) | 4.09(3.0) | 37.01(2.9) | 1.09(3.7) | 8.81 (3.7) | 1.10 (3.7) | 8.92(3.7) |
| नालंदा | 2.90(2.1) | 26.13 (2.0) | 2.93(2.1) | 27.11(2.1) | 1.50 (5.1) | 14.58(6.1) | 1.52(5.1) | 14.18(5.9) |
| भोजपुर | 4.62(3.4) | 40.96(3.1) | 6.27(4.6) | 41.05(3.2) | 1.89(6.4) | 15.60 (6.6) | 1.89(6.3) | 15.60 (6.5) |
| बक्सर | 3.38(2.5) | 29.05(2.2) | 3.38(2.5) | 29.05(2.3) | 1.53(5.1) | 12.25(5.2) | 1.57(5.3) | 12.38(5.2) |
| रोहतास | 5.70 (4.2) | 50.14(3.7) | 5.70 (4.1) | 50.14(3.9) | 3.30(11.1) | 26.83 (11.3) | 3.31(11.1) | 26.93 (11.3) |
| कैमूर | 3.37(2.5) | 28.33(2.1) | 3.37(2.5) | 28.33(2.2) | 1.37(4.6) | 10.65 (4.5) | 1.37 (4.6) | 10.65 (4.5) |
| | | | | | | | | |
| गया | 1.33 (1.0) | 11.47(0.9) | 1.33 (1.0) | 11.47(0.9) | 0.66(2.2) | 5.22 (2.2) | 0.67 (2.2) | 5.25 (2.2) |
| जहानाबाद | 0.38(0.3) | 3.23 (0.2) | 0.38(0.3) | 3.23 (0.3) | 0.26(0.9) | 2.04 (0.9) | 0.26 (0.9) | 2.04 (0.9) |
| अरवल | 0.35(0.3) | 3.05 (0.2) | 0.35(0.3) | 3.05 (0.2) | 0.24(0.8) | 1.86 (0.8) | 0.24 (0.8) | 1.86 (0.8) |
| नवादा | 1.17(0.9) | 9.61 (0.7) | 1.19(0.9) | 9.80 (0.8) | 0.51(1.7) | 3.79 (1.6) | 0.53 (1.8) | 3.79 (1.6) |
| औरंगाबाद | 1.32 (1.0) | 11.98(0.9) | 1.32 (1.0) | 11.98(0.9) | 0.69(2.3) | 5.44 (2.3) | 0.71 (2.4) | 5.55 (2.3) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 5.14(3.8) | 43.96(3.3) | 5.16(3.8) | 44.00 (3.5) | 0.82(2.8) | 6.22 (2.6) | 0.82 (2.7) | 6.22 (2.6) |
| सीवान | 2.52(1.9) | 22.41(1.7) | 2.53(1.8) | 22.51(1.8) | 0.68(2.3) | 5.40 (2.3) | 0.68 (2.3) | 5.40 (2.3) |
| गोपालगंज | 3.02(2.2) | 27.17 (2.0) | 3.02(2.2) | 27.17(2.1) | 0.60 (2.0) | 4.84 (2.0) | 0.62 (2.1) | 4.95 (2.1) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 7.30 (5.4) | 70.02(5.2) | 7.30 (5.3) | 70.10 (5.5) | 1.63(5.5) | 13.52 (5.7) | 1.63 (5.4) | 13.62 (5.7) |
| पूर्व चंपारण | 9.28(6.8) | 86.75(6.5) | 9.30 (6.8) | 86.81(6.8) | 1.65(5.6) | 13.02 (5.5) | 1.67 (5.6) | 13.02 (5.5) |
| मुजफ्फरपुर | 9.81(7.2) | 90.90 (6.8) | 9.83(7.1) | 9.95 (0.8) | 1.41(4.8) | 11.60 (4.9) | 1.45 (4.8) | 11.6 (4.9) |
| सीतामढ़ी | 5.28(3.9) | 48.99(3.7) | 5.28(3.8) | 48.99(3.9) | 0.73(2.5) | 6.02 (2.5) | 0.73 (2.5) | 6.02 (2.5) |
| शिवहर | 2.66 (2.0) | 23.37(1.7) | 2.66(1.9) | 23.37(1.8) | 0.32(1.1) | 2.62 (1.1) | 0.32 (1.1) | 2.62 (1.1) |
| वैशाली | 8.42(6.2) | 78.02(5.8) | 8.34(6.1) | 78.90 (6.2) | 1.34(4.5) | 10.87 (4.6) | 1.37 (4.6) | 10.95 (4.6) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.35 (1.0) | 119.96(8.9) | 1.39 (1.0) | 121.09(9.5) | 0.62(2.1) | 4.88 (2.1) | 0.62 (2.1) | 4.88 (2.1) |
| मधुबनी | 6.09 (4.5) | 55.93 (4.2) | 6.10 (4.4) | 56.03 (4.4) | 0.50 (1.7) | 4.08 (1.7) | 0.50 (1.7) | 4.08 (1.7) |
| समस्तीपुर | 10.50(7.8) | 99.82 (7.4) | 10.60 (7.7) | 100.50 (7.9) | 0.65 (2.2) | 5.24 (2.2) | 0.65 (2.2) | 5.30 (2.2) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 4.06 (3.0) | 37.45 (2.8) | 4.07 (3.0) | 39.52 (3.1) | 0.53 (1.8) | 4.45 (1.9) | 0.55 (1.8) | 4.57 (1.9) |
| मुंगेर | 1.24 (0.9) | 11.05 (0.8) | 1.25 (0.9) | 11.15 (0.9) | 0.28 (1.0) | 2.23 (0.9) | 0.28 (0.9) | 2.23 (0.9) |
| शेखपुरा | 0.84 (0.6) | 7.21 (0.5) | 0.84 (0.6) | 7.21 (0.6) | 0.14 (0.5) | 1.07 (0.5) | 0.14 (0.5) | 1.07 (0.5) |
| लखीसराय | 0.58 (0.4) | 5.07 (0.4) | 0.58 (0.4) | 5.07 (0.4) | 0.14 (0.5) | 1.12 (0.5) | 0.14 (0.5) | 1.12 (0.5) |
| जमुई | 1.08 (0.8) | 9.75 (0.7) | 1.08 (0.8) | 9.75 (0.8) | 0.23 (0.8) | 1.72 (0.7) | 0.23 (0.8) | 1.72 (0.7) |
| खगड़िया | 1.69 (1.2) | 15.51 (1.2) | 1.69 (1.2) | 15.51 (1.2) | 0.38 (1.3) | 2.99 (1.3) | 0.38 (1.3) | 2.99 (1.3) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 7.50 (5.5) | 72.15 (5.4) | 7.55 (5.5) | 75.25 (5.9) | 0.70 (2.4) | 5.8 (2.4) | 0.70 (2.4) | 5.8 (2.4) |
| बांका | 6.27 (4.6) | 53.91 (4.0) | 6.27 (4.6) | 53.91 (4.2) | 0.31 (1.1) | 2.45 (1.0) | 0.31 (1.1) | 2.45 (1.0) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 2.58 (1.9) | 23.50 (1.8) | 2.58 (1.9) | 23.5 (1.8) | 0.66 (2.2) | 5.33 (2.2) | 0.66 (2.2) | 5.33 (2.2) |
| सुपौल | 1.25 (0.9) | 10.78 (0.8) | 1.25 (0.9) | 10.75 (0.8) | 0.44 (1.5) | 3.32 (1.4) | 0.44 (1.5) | 3.32 (1.4) |
| मधेपुरा | 1.97 (1.5) | 17.55 (1.3) | 1.97 (1.4) | 17.55 (1.4) | 0.63 (2.1) | 4.99 (2.1) | 0.63 (2.1) | 4.99 (2.1) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.50 (1.8) | 22.21 (1.7) | 2.5 (1.8) | 22.21 (1.7) | 0.38 (1.3) | 0.17 (0.1) | 0.38 (1.3) | 0.17 (0.1) |
| किशनगंज | 0.80 (0.6) | 6.93 (0.5) | 0.8 (0.6) | 6.93 (0.5) | 0.24 (0.8) | 1.88 (0.8) | 0.24 (0.8) | 1.88 (0.8) |
| अररिया | 0.68 (0.5) | 5.87 (0.4) | 0.68 (0.5) | 5.87 (0.5) | 0.20 (0.7) | 1.51 (0.6) | 0.20 (0.7) | 1.51 (0.6) |
| कटिहार | 2.85 (2.1) | 26.20 (2.0) | 2.85 (2.1) | 28.20 (2.2) | 0.45 (1.5) | 3.71 (1.6) | 0.45 (1.5) | 3.71 (1.6) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **135.86 (100.0)** | **1343.32 (100.0)** | **137.77 (100.0)** | **1274.02 (100.0)** | **29.70 (100.0)** | **238.08 (100.0)** | **29.96 (100.0)** | **238.62 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

## तालिका प 2.8 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिला | लीची | | | | केला | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | | | | | 0.68 (2.0) | 29.43 (2.1) | 0.70 (2.0) | 32.00 (2.2) |
| नालंदा | | | | | 0.48 (1.4) | 21.23 (1.5) | 0.51 (1.5) | 21.78 (1.5) |
| भोजपुर | | | | | 0.32 (1.0) | 15.09 (1.1) | 0.32 (0.9) | 15.09 (1.1) |
| बक्सर | | | | | 0.23 (0.7) | 10.44 (0.7) | 0.23 (0.7) | 10.44 (0.7) |
| रोहतास | | | | | 0.28 (0.8) | 13.18 (0.9) | 0.28 (0.8) | 13.18 (0.9) |
| कैमूर | | | | | 0.21 (0.6) | 9.89 (0.7) | 0.21 (0.6) | 9.89 (0.7) |
| | | | | | | | | |
| गया | | | | | 0.23 (0.7) | 10.74 (0.8) | 0.32 (0.9) | 10.74 (0.7) |
| जहानाबाद | | | | | 0.17 (0.5) | 7.52 (0.5) | 0.18 (0.5) | 7.62 (0.5) |
| अरवल | | | | | 0.12 (0.3) | 5.38 (0.4) | 0.12 (0.3) | 5.38 (0.4) |
| नवादा | | | | | 0.32 (0.9) | 14.31 (1.0) | 0.35 (1.0) | 15.21 (1.1) |
| औरंगाबाद | | | | | 0.33 (1) | 15.34 (1.1) | 0.33 (1.0) | 15.34 (1.1) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 1.08 (2.8) | 7.53 (3.2) | 1.08 (3.6) | 7.53 (3.2) | 0.76 (2.3) | 34.98 (2.5) | 0.76 (2.2) | 34.98 (2.4) |
| सीवान | 1.12 (2.9) | 8.16 (3.5) | 1.12 (3.7) | 8.16 (3.5) | 0.72 (2.2) | 34.13 (2.4) | 0.72 (2.1) | 34.13 (2.4) |
| गोपालगंज | 1.20 (3.2) | 8.67 (3.7) | 1.20 (4.0) | 8.67 (3.7) | 0.67 (2.0) | 31.79 (2.2) | 0.70 (2.0) | 31.79 (2.2) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2.08 (5.5) | 15.41 (6.6) | 2.08 (6.9) | 15.41 (6.6) | 1.0 (3.0) | 45.94 (3.2) | 1.00 (2.9) | 45.94 (3.2) |
| पूर्व चंपारण | 1.90 (5.0) | 13.48 (5.8) | 1.95 (6.5) | 13.57 (5.8) | 1.05 (3.1) | 48.32 (3.4) | 1.08 (3.1) | 50.35 (3.5) |
| मुजफ्फरपुर | 7.30 (19.1) | 58.98 (25.2) | 7.30 (24.1) | 58.98 (25.2) | 5.00(14.9) | 239.05(16.9) | 5.00(14.5) | 239.05(16.6) |
| सीतामढ़ी | 2.19 (5.7) | 16.18 (6.9) | 2.19 (7.2) | 16.18 (6.9) | 0.64 (1.9) | 30.83 (2.2) | 0.67 (1.9) | 30.83 (2.1) |
| शिवहर | 0.99 (2.6) | 6.92 (3.0) | 0.99 (3.3) | 6.92 (3.0) | 0.28 (0.8) | 12.96 (0.9) | 0.30 (0.9) | 12.96 (0.9) |
| वैशाली | 3.60 (9.4) | 26.99(11.5) | 3.61 (11.9) | 27.05(11.6) | 3.30 (9.8) | 16.35 (1.2) | 3.35 (9.7) | 16.9 (1.2) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 8.82 (23.1) | 5.6 (2.4) | 0.82 (2.7) | 5.6 (2.4) | 1.76 (5.2) | 81.83 (5.8) | 1.76 (5.1) | 81.83 (5.7) |
| मधुबनी | 0.81 (2.1) | 5.68 (2.4) | 0.81 (2.7) | 5.68 (2.4) | 1.03 (3.1) | 48.26 (3.4) | 1.03 (3) | 48.26 (3.4) |
| समस्तीपुर | 1.29 (3.4) | 9.81 (4.2) | 1.29 (4.3) | 9.81 (4.2) | 2.23 (6.6) | 121.84 (8.6) | 2.27 (6.6) | 123.05 (8.6) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.63 (1.7) | 4.69 (2.0) | 0.63 (2.1) | 4.69 (2.0) | 0.99 (2.9) | 45.48 (3.2) | 1.00 (2.9) | 47.08 (3.3) |
| मुंगेर | 0.25 (0.7) | 1.78 (0.8) | 0.25 (0.8) | 1.78 (0.8) | 0.42 (1.3) | 20.04 (1.4) | 0.42 (1.2) | 20.04 (1.4) |
| शेखपुरा | 0.10 (0.3) | 0.68 (0.3) | 0.10 (0.3) | 0.68 (0.3) | 0.14 (0.4) | 6.26 (0.4) | 0.14 (0.4) | 6.26 (0.4) |
| लखीसराय | 0.05 (0.1) | 0.33 (0.1) | 0.05 (0.2) | 0.33 (0.1) | 0.14 (0.4) | 6.62 (0.5) | 0.14 (0.4) | 6.62 (0.5) |
| जमुई | 0.18 (0.5) | 1.50 (0.6) | 0.18 (0.6) | 1.50 (0.6) | 0.22 (0.6) | 10.03 (0.7) | 0.22 (0.6) | 10.03 (0.7) |
| खगड़िया | 0.33 (0.9) | 2.40 (1.0) | 0.33 (1.1) | 2.40 (1.0) | 1.00 (3.0) | 43.95 (3.1) | 1.05 (3.1) | 47.04 (3.3) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.54 (1.4) | 4.83 (2.1) | 0.58 (1.9) | 5.01 (2.1) | 1.31 (3.9) | 56.48 (4.0) | 1.35 (3.9) | 58.72 (4.1) |
| बांका | 0.06 (0.2) | 0.44 (0.2) | 0.06 (0.2) | 0.44 (0.2) | 0.65 (1.9) | 30.22 (2.1) | 0.65 (1.9) | 30.22 (2.1) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 0.55 (1.4) | 3.99 (1.7) | 0.55 (1.8) | 3.99 (1.7) | 1.21 (3.6) | 52.68 (3.7) | 1.24 (3.6) | 52.68 (3.7) |
| सुपौल | 0.19 (0.5) | 1.32 (0.6) | 0.19 (0.6) | 1.32 (0.6) | 0.60 (1.8) | 28.63 (2.0) | 0.62 (1.8) | 28.63 (2) |
| मधेपुरा | 0.29 (0.8) | 2.05 (0.9) | 0.29 (1.0) | 2.05 (0.9) | 1.30 (3.9) | 62.3 (4.4) | 1.31 (3.8) | 62.3 (4.3) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.28 (0.7) | 9.33 (4.0) | 0.28 (0.9) | 9.33 (4.0) | 1.21 (3.6) | 49.27 (3.5) | 1.30 (3.8) | 51.7 (3.6) |
| किशनगंज | 0.41 (1.1) | 2.95 (1.3) | 0.41 (1.4) | 2.95 (1.3) | 0.64 (1.9) | 30.06 (2.1) | 0.64 (1.9) | 30.06 (2.1) |
| अररिया | 0.41 (1.1) | 2.89 (1.2) | 0.41 (1.3) | 2.89 (1.2) | 0.46 (1.4) | 20.88 (1.5) | 0.48 (1.4) | 21.91 (1.5) |
| कटिहार | 1.50 (3.9) | 11.29 (4.8) | 1.50 (5.0) | 11.29 (4.8) | 1.50 (4.5) | 52.35 (3.7) | 1.65 (4.8) | 55.8 (3.9) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **38.15 (100.0)** | **233.87 (100.0)** | **30.24 (100.0)** | **234.20 (100.0)** | **33.58 (100.0)** | **1414.03 (100.0)** | **34.40 (100.0)** | **1435.78 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.9 : बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

| जिला | गुलाब | | | | गेंदा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 4.70 (6.4) | 7.87 (8) | 4.70 (6.4) | 7.87 (8) | 47.00 (14.9) | 842.00 (15.0) | 58.00 (16.0) | 1012.00 (14.9) |
| नालंदा | 2.50 (3.4) | 3.40 (3.4) | 2.50 (3.4) | 3.4 (3.4) | 8.35 (2.7) | 172.00 (3.1) | 18.75 (5.2) | 413.00 (6.1) |
| भोजपुर | 2.60 (3.5) | 3.48 (3.5) | 2.60 (3.5) | 3.48 (3.5) | 19.00 (6.0) | 283.00 (5.1) | 19.00 (5.2) | 283.00 (4.2) |
| बक्सर | 1.40 (1.9) | 1.54 (1.6) | 1.40 (1.9) | 1.54 (1.6) | 3.55 (1.1) | 63.90 (1.1) | 3.55 (1.0) | 63.90 (0.9) |
| रोहतास | 1.10 (1.5) | 1.16 (1.2) | 1.10(1.5) | 1.16 (1.2) | 2.30 (0.7) | 38.64 (0.7) | 2.30 (0.6) | 38.64 (0.6) |
| कैमूर | 1.20 (1.6) | 1.50 (1.5) | 1.20 (1.6) | 1.5 (1.5) | 2.05 (0.7) | 34.85 (0.6) | 2.05 (0.6) | 34.85 (0.5) |
| | | | | | | | | |
| गया | 3.20 (4.3) | 4.75 (4.8) | 3.20 (4.3) | 4.75 (4.8) | 20.5 (6.5) | 385.00 (6.9) | 27.5 (7.6) | 512.00 (7.5) |
| जहानाबाद | 1.20 (1.6) | 1.44 (1.5) | 1.20 (1.6) | 1.44 (1.5) | 8.15 (2.6) | 143.44 (2.6) | 13.00 (3.6) | 283.00 (4.2) |
| अरवल | 1.30 (1.8) | 1.56 (1.6) | 1.30 (1.8) | 1.56 (1.6) | 7.75 (2.5) | 135.63 (2.4) | 7.75 (2.1) | 135.63 (2) |
| नवादा | 1.50 (2.0) | 1.70 (1.7) | 1.50 (2.0) | 1.7 (1.7) | 2.45 (0.8) | 41.65 (0.7) | 2.45 (0.7) | 41.65 (0.6) |
| औरंगाबाद | 1.50 (2.0) | 1.80 (1.8) | 1.50 (2.0) | 1.8 (1.8) | 6.25 (2.0) | 95.00 (1.7) | 6.25 (1.7) | 217.00 (3.2) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 1.30 (1.8) | 1.50 (1.5) | 1.30 (1.8) | 1.5 (1.5) | 4.40 (1.4) | 77.00 (1.4) | 4.4 (1.2) | 77.00 (1.1) |
| सीवान | 1.20 (1.6) | 1.44 (1.5) | 1.20 (1.6) | 1.44 (1.5) | 3.05 (1.0) | 54.29 (1.0) | 3.05 (0.8) | 54.29 (0.8) |
| गोपालगंज | 1.25 (1.7) | 1.53 (1.5) | 1.25 (1.7) | 1.53 (1.5) | 3.50 (1.1) | 60.28 (1.1) | 3.50 (1.0) | 60.28 (0.9) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2.50 (3.4) | 3.48 (3.5) | 2.50 (3.4) | 3.48 (3.5) | 9.40 (3.0) | 174.84 (3.1) | 9.40 (2.6) | 174.84 (2.6) |
| पूर्व चंपारण | 2.45 (3.3) | 3.33 (3.4) | 2.45 (3.3) | 3.33 (3.4) | 8.60 (2.7) | 156.52 (2.8) | 8.60 (2.4) | 156.52 (2.3) |
| मुजफ्फरपुर | 5.72 (7.8) | 7.50 (7.6) | 5.72 (7.8) | 7.5 (7.6) | 20.00 (6.4) | 413.00 (7.4) | 27 .00(7.4) | 628.00 (9.2) |
| सीतामढ़ी | 1.05 (1.4) | 1.16 (1.2) | 1.05 (1.4) | 1.16 (1.2) | 2.90 (0.9) | 49.88 (0.9) | 2.90 (0.8) | 49.88 (0.7) |
| शिवहर | 0.85 (1.2) | 0.89 (0.9) | 0.85 (1.2) | 0.89 (0.9) | 1.05 (0.3) | 17.85 (0.3) | 1.05 (0.3) | 17.85 (0.3) |
| वैशाली | 4.85 (6.6) | 8.52 (8.6) | 4.85 (6.6) | 8.52 (8.6) | 25.75 (8.2) | 482.00 (8.6) | 32.5 (8.9) | 610.00 (9) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.9 (2.6) | 2.38 (2.4) | 1.90 (2.6) | 2.38 (2.4) | 6.80 (2.2) | 119.00 (2.1) | 6.80 (1.9) | 119.00 (1.8) |
| मधुबनी | 1 (1.4) | 1.30 (1.3) | 1.00 (1.4) | 1.3 (1.3) | 3.55 (1.1) | 63.19 (1.1) | 3.55 (1) | 63.19 (0.9) |
| समस्तीपुर | 4 (5.4) | 5.83 (5.9) | 4.00 (5.4) | 5.83 (5.9) | 15.75 (5) | 262 .00 (4.7) | 17.53 (4.8) | 315.00 (4.6) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.07 (2.8) | 2.88 (2.9) | 2.75 (3.7) | 2.88 (2.9) | 12.00 (3.8) | 180.17 (3.2) | 12.00 (3.3) | 180.17 (2.7) |
| मुंगेर | 2.75 (3.7) | 4.15 (4.2) | 0.70 (1.0) | 4.15 (4.2) | 10.60 (3.4) | 188.68 (3.4) | 10.6 (2.9) | 188.68 (2.8) |
| शेखपुरा | 0.7 (1) | 0.77 (0.8) | 0.95 (1.3) | 0.77 (0.8) | 0.90 (0.3) | 15.48 (0.3) | 0.90 (0.2) | 15.48 (0.2) |
| लखीसराय | 0.95 (1.3) | 1.09 (1.1) | 0.90 (1.2) | 1.09 (1.1) | 2.30 (0.7) | 40.02 (0.7) | 2.30 (0.6) | 40.02 (0.6) |
| जमुई | 0.95 (1.3) | 0.99 (1.0) | 1.05 (1.4) | 0.99 (1.0) | 1.70 (0.5) | 28.90 (0.5) | 1.70 (0.5) | 28.90 (0.4) |
| खगड़िया | 1.05 (1.4) | 1.16 (1.2) | 1.05 (1.4) | 1.16 (1.2) | 1.95 (0.6) | 33.93 (0.6) | 1.95 (0.5) | 33.93 (0.5) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 2.70 (3.7) | 3.62 (3.7) | 2.7 (3.7) | 3.62 (3.7) | 10.95 (3.5) | 202.58 (3.6) | 10.95 (3.0) | 202.58 (3) |
| बांका | 0.85 (1.2) | 0.98 (1.0) | 0.85 (1.2) | 0.98 (1) | 2.10 (0.7) | 36.12 (0.6) | 2.10 (0.6) | 36.12 (0.5) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.80 (2.4) | 2.23 (2.3) | 1.80 (2.4) | 2.23 (2.3) | 7.05 (2.2) | 124.08 (2.2) | 7.05 (1.9) | 124.08 (1.8) |
| सुपौल | 0.70 (1) | 0.77 (0.8) | 0.70 (1.0) | 0.77 (0.8) | 1.95 (0.6) | 33.35 (0.6) | 1.95 (0.5) | 33.35 (0.5) |
| मधेपुरा | 0.90 (1.2) | 1.04 (1.1) | 0.90 (1.2) | 1.04 (1.1) | 2.80 (0.9) | 48.16 (0.9) | 2.80 (0.8) | 48.16 (0.7) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1.80 (2.4) | 2.39 (2.4) | 1.8 (2.4) | 2.39 (2.4) | 7.55 (2.4) | 134.39 (2.4) | 7.55 (2.1) | 134.39 (2.0) |
| किशनगंज | 2.50 (3.4) | 3.20 (3.2) | 2.5 (3.4) | 3.20 (3.2) | 8.85 (2.8) | 157.53 (2.8) | 8.85 (2.4) | 157.53 (2.3) |
| अररिया | 1.10 (1.5) | 1.23 (1.2) | 1.1 (1.5) | 1.23 (1.2) | 1.65 (0.5) | 28.22 (0.5) | 1.65 (0.5) | 28.22 (0.4) |
| कटिहार | 2.55 (3.5) | 3.34 (3.4) | 2.55 (3.5) | 3.34 (3.4) | 10.25 (3.3) | 186.55 (3.3) | 10.25 (2.8) | 186.55 (2.7) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **73.64 (100.0)** | **98.90 (100.0)** | **73.59 (100.0)** | **98.90 (100.0)** | **314.70 (100.0)** | **5603.12 (100.0)** | **363.48 (100.0)** | **6798.68 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

## तालिका प 2.9 : बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

| जिला | बेला | | | | ट्यूबरोज | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 5.40(4.8) | 17.28(5.4) | 5.40 (4.8) | 17.28(5.4) | 5.00(4.5) | 25.88(4.8) | 5.00(4.5) | 25.88 (4.8) |
| नालंदा | 3.20(2.8) | 9.92 (3.1) | 3.20 (2.8) | 9.92 (3.1) | 2.60(2.4) | 13.00(2.4) | 2.60(2.4) | 13.00 (2.4) |
| भोजपुर | 3.15(2.8) | 9.45 (3) | 3.15(2.8) | 9.45 (3) | 1.80(1.6) | 9.09 (1.7) | 1.80(1.6) | 9.09 (1.7) |
| बक्सर | 1.80(1.6) | 5.22 (1.6) | 1.80 (1.6) | 5.22 (1.6) | 1.60(1.5) | 7.84 (1.5) | 1.60(1.5) | 7.84 (1.5) |
| रोहतास | 1.50(1.3) | 4.75 (1.5) | 1.50 (1.3) | 4.75 (1.5) | 1.20(1.1) | 5.64 (1.1) | 1.20(1.1) | 5.64 (1.1) |
| कैमूर | 1.40(1.2) | 3.78 (1.2) | 1.40 (1.2) | 3.78 (1.2) | 2.50(2.3) | 5.56 (1) | 2.50(2.3) | 5.56 (1.0) |
| | | | | | | | | |
| गया | 12.70(11.2) | 25.00(7.9) | 12.70(11.2) | 25.00(7.9) | 4.85(4.4) | 22.81(4.3) | 4.85(4.4) | 22.81 (4.3) |
| जहानाबाद | 3.45 (3.0) | 10.01(3.2) | 3.45 (3.0) | 10.01(3.2) | 2.40(2.2) | 11.52(2.2) | 2.40(2.2) | 11.52 (2.2) |
| अरवल | 3.30 (2.9) | 9.57 (3) | 3.30 (2.9) | 9.57 (3.0) | 1.95(1.8) | 9.56 (1.8) | 1.95(1.8) | 9.56 (1.8) |
| नवादा | 1.25 (1.1) | 3.25 (1.0) | 1.25 (1.1) | 3.25 (1.0) | 1.10 (1) | 5.06 (0.9) | 1.1 (1.0) | 5.06 (0.9) |
| औरंगाबाद | 2.40 (2.1) | 8.20 (2.6) | 2.40 (2.1) | 8.20 (2.6) | 1.35(1.2) | 6.48 (1.2) | 1.35(1.2) | 6.48 (1.2) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 2.30 (2.0) | 6.21 (2.0) | 2.30 (2.0) | 6.21 (2.0) | 1.60(1.5) | 7.84 (1.5) | 1.60(1.5) | 7.84 (1.5) |
| सीवान | 1.45 (1.3) | 4.06 (1.3) | 1.45 (1.3) | 4.06 (1.3) | 1.65(1.5) | 7.90 (1.5) | 1.65(1.5) | 7.90 (1.5) |
| गोपालगंज | 1.50 (1.3) | 4.20 (1.3) | 1.50 (1.3) | 4.20 (1.3) | 1.45(1.3) | 7.32 (1.4) | 1.45(1.3) | 7.32 (1.4) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.70 (3.3) | 10.20(3.2) | 3.70 (3.3) | 10.20(3.2) | 4.80(4.4) | 24.96(4.7) | 4.80(4.4) | 24.96 (4.7) |
| पूर्व चंपारण | 2.45 (2.2) | 7.60 (2.4) | 2.45 (2.2) | 7.60 (2.4) | 3.40(3.1) | 17.34(3.2) | 3.40(3.1) | 17.34 (3.2) |
| मुजफ्फरपुर | 7.40 (6.5) | 23.68(7.5) | 7.40 (6.5) | 23.68(7.5) | 8.85(8.0) | 40.82(7.6) | 8.85(8.0) | 40.82 (7.6) |
| सीतामढ़ी | 2.00 (1.8) | 5.46 (1.7) | 2.00 (1.8) | 5.46 (1.7) | 1.25(1.1) | 5.75 (1.1) | 1.25(1.1) | 5.75 (1.1) |
| शिवहर | 0.90 (0.8) | 2.34 (0.7) | 0.90 (0.8) | 2.34 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.60 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.60 (0.7) |
| वैशाली | 7.50 (6.6) | 23.25(7.3) | 7.50 (6.6) | 23.25(7.3) | 9.40(8.5) | 47.94 (9) | 9.40(8.5) | 47.94 (9.0) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 2.60 (2.3) | 7.28 (2.3) | 2.60 (2.3) | 7.28 (2.3) | 1.90(1.7) | 10.03(1.9) | 1.9 (1.7) | 10.03 (1.9) |
| मधुबनी | 3.10 (2.7) | 7.69 (2.4) | 3.10 (2.7) | 7.69 (2.4) | 1.40(1.3) | 7.00 (1.3) | 1.40(1.3) | 7.00 (1.3) |
| समस्तीपुर | 6.35 (5.6) | 19.69(6.2) | 6.35 (5.6) | 19.69(6.2) | 8.95(8.1) | 49.98(9.3) | 8.95(8.1) | 49.98 (9.3) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 3.45 (3.0) | 10.35(3.3) | 3.45 (3.0) | 10.35(3.3) | 3.25(3.0) | 16.25(3.0) | 3.25(3.0) | 16.25 (3.0) |
| मुंगेर | 3.20 (2.8) | 7.20 (2.3) | 3.20 (2.8) | 7.20 (2.3) | 4.70(4.3) | 18.32(3.4) | 4.70(4.3) | 18.32 (3.4) |
| शेखपुरा | 1.00 (0.9) | 2.66 (0.8) | 1.00 (0.9) | 2.66 (0.8) | 0.80(0.7) | 3.76 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.76 (0.7) |
| लखीसराय | 1.20 (1.1) | 3.18 (1.0) | 1.20 (1.1) | 3.18 (1.0) | 0.95(0.9) | 4.47 (0.8) | 0.95(0.9) | 4.47 (0.8) |
| जमुई | 0.80 (0.7) | 2.08 (0.7) | 0.80 (0.7) | 2.08 (0.7) | 0.7 (0.6) | 3.15 (0.6) | 0.70(0.6) | 3.15 (0.6) |
| खगड़िया | 1.30 (1.2) | 3.45 (1.1) | 1.30 (1.2) | 3.45 (1.1) | 1.30(1.2) | 6.24 (1.2) | 1.30(1.2) | 6.24 (1.2) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 6.40 (5.6) | 19.20(6.0) | 6.40 (5.6) | 19.20(6.0) | 4.40(4.0) | 22.44(4.2) | 4.40(4.0) | 22.44 (4.2) |
| बांका | 1.35 (1.2) | 3.51 (1.1) | 1.35 (1.2) | 3.51 (1.1) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 2.15 (1.9) | 5.81 (1.8) | 2.15 (1.9) | 5.81 (1.8) | 2.40(2.2) | 11.52(2.2) | 2.40(2.2) | 11.52 (2.2) |
| सुपौल | 0.85 (0.8) | 2.25 (0.7) | 0.85 (0.8) | 2.25 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) |
| मधेपुरा | 1.05 (0.9) | 2.84 (0.9) | 1.05 (0.9) | 2.84 (0.9) | 1.10(1.0) | 5.17 (1.0) | 1.10(1.0) | 5.17 (1.0) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.60 (2.3) | 7.28 (2.3) | 2.60 (2.3) | 7.28 (2.3) | 3.20(2.9) | 15.36(2.9) | 3.20(2.9) | 15.36 (2.9) |
| किशनगंज | 3.35 (3.0) | 9.05 (2.9) | 3.35 (3.0) | 9.05 (2.9) | 5.55(5.0) | 27.20(5.1) | 5.55(5.0) | 27.20 (5.1) |
| अररिया | 1.05 (0.9) | 2.73 (0.9) | 1.05 (0.9) | 2.73 (0.9) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) | 0.80(0.7) | 3.68 (0.7) |
| कटिहार | 2.85 (2.5) | 7.98 (2.5) | 2.85 (2.5) | 7.98 (2.5) | 7.60(6.9) | 38.00(7.1) | 7.60(6.9) | 38.00 (7.1) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **113.40 (100.0)** | **317.66 (100.0)** | **113.40 (100.0)** | **317.66 (100.0)** | **110.15 (100.0)** | **535.84 (100.0)** | **110.15 (100.0)** | **535.84 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.10 : बिहार में जिलावार सहकारी ऋण वितरण

| जिला | लक्ष्य (लाख रु.) | | | उपलब्धि (लाख रु.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 19322 | 12128 | 7686 | 1406.80 (3.6) | 906.65 (3.8) | 1564.32 (5.1) |
| नालंदा | 18540 | 11643 | 4044 | 1104.66 (2.9) | 601.93 (2.5) | 429.21 (1.4) |
| भोजपुर | 22070 | 13860 | 4814 | 984.33 (2.5)) | 426.90 (1.8) | 466.10 (1.5) |
| बक्सर | 32002 | 20098 | 3507 | 655.60 (1.7) | 310.95 (1.3) | 345.25 (1.1) |
| रोहतास | 10030 | 6299 | 2188 | 1071.70 (2.8) | 740.67 (3.1) | 1223.76 (4.0) |
| कैमूर | 5768 | 3622 | 1258 | 546.87 (1.4) | 270.1 (1.1) | 524.5 (1.7) |
| | | | | | | |
| गया | 12566 | 7892 | 2741 | 326.43 (0.8) | 137.64 (0.6) | 248.49 (0.8) |
| जहानाबाद | 0 | 0 | 828 | 31.19 (0.1) | 7.19 (0.0) | 11.43 (0.0) |
| अरवल | 0 | 0 | 347 | 18.11 (0.0) | 0.71 (0.0) | 1.73 (0.0) |
| नवादा | 11832 | 7431 | 2581 | 727.69 (1.9) | 48.9 (0.2) | 802.03 (2.6) |
| औरंगाबाद | 13202 | 8291 | 2880 | 3339.60 (8.6) | 2062.73 (8.7) | 1346.67 (4.4) |
| | | | | | | |
| सारण | | | | | | |
| सीवान | 12436 | 8438 | 2931 | 728.78 (1.9) | 181.50 (0.8) | 695.65 (2.3) |
| गोपालगंज | 4144 | 2602 | 904 | 1466.28 (3.8) | 1032.14 (4.4) | 1415.25 (4.6) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 13780 | 8717 | 3028 | 760.12 (2.0) | 227.55 (1.0) | 259.05 (0.8) |
| पूर्व चंपारण | 7100 | 4522 | 1571 | 1037.07 (2.7) | 148.46 (0.6) | 1041.41 (3.4) |
| मुजफ्फरपुर | 8532 | 5358 | 1861 | 451.01 (1.2) | 341.83 (1.4) | 161.14 (0.5) |
| सीतामढ़ी | 6882 | 4322 | 1501 | 648.22 (1.7) | 162.91 (0.7) | 227.09 (0.7) |
| शिवहर | 946 | 582 | 202 | 105.08 (0.3) | 48.32 (0.2) | 74.34 (0.2) |
| वैशाली | 3800 | 2386 | 829 | 350.75 (0.9) | 153.66 (0.7) | 185.78 (0.6) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | | | | | | |
| मधुबनी | 25808 | 16208 | 5630 | 2221.59 (5.7) | 4292.7 (18.2) | 4198.75 (13.6) |
| समस्तीपुर | 15104 | 9423 | 3273 | 4088.08 (10.6) | 3100 (13.1) | 3732.24 (12.1) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 31000 | 19468 | 6762 | 6338.99(16.4) | 3830.12 (16.2) | 7494.06 (24.4) |
| मुंगेर | 1870 | 1174 | 408 | 174.70 (0.5) | 3.4 (0.0) | 21.69 (0.1) |
| शेखपुरा | 3158 | 1971 | 684 | 40.87 (0.1) | 0.0 (0.0) | 3.3 (0.0) |
| लखीसराय | 6840 | 4296 | 1492 | 144.06 (0.4) | 0.0 (0.0) | 17.85 (0.1) |
| जमुई | 3166 | 1988 | 691 | 457.43 (1.2) | 327.79 (1.4) | 107.7 (0.4) |
| खगड़िया | 15534 | 9756 | 3388 | 3450.40 (8.9) | 2347.5 (9.9) | 3143.33 (10.2) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 5409 | 3403 | 1182 | 393.87 (1.0) | 93.08 (0.4) | 186.89 (0.6) |
| बांका | 6100 | 3831 | 1331 | 103.96 (0.3) | 28.71 (0.1) | 17.88 (0.1) |
| | | | | | | |
| सहरसा | | | | | | |
| सुपौल | | | | | | |
| मधेपुरा | | | | | | |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 15274 | 8272 | 2873 | 2000.84 (5.2) | 760.22 (3.2) | 254.93 (0.8) |
| किशनगंज | 14060 | 8830 | 3067 | 857.68 (2.2) | 419.89 (1.8) | 89.60 (0.3) |
| अररिया | 7996 | 5022 | 1744 | 1844.10 (4.8) | 561.64 (2.4) | 85.96 (0.3) |
| कटिहार | 8134 | 5108 | 1774 | 807.56 (2.1) | 34.80 (0.1) | 384.29 (1.2) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **362405** | **226941** | **80000** | **38684.42(100.0)** | **23610.70 (100.0)** | **30760.83 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उपलब्धि का प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 2.11 : किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिलावार उपलब्धि ( संख्या )**

| जिला | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 18048 | 26233 | 60143 | 50522 | 54949 | 54317 | 72920 |
| नालंदा | 16175 | 22281 | 34946 | 42065 | 46476 | 63100 | 52078 |
| भोजपुर | 15918 | 27575 | 50759 | 59020 | 84537 | 86527 | 96033 |
| बक्सर | 6775 | 10916 | 38447 | 32040 | 40533 | 79492 | 64988 |
| रोहतास | 19590 | 33141 | 56523 | 57664 | 76546 | 95856 | 78681 |
| कैमूर | 12094 | 24102 | 31488 | 29355 | 44165 | 63615 | 57317 |
| | | | | | | | |
| गया | 16371 | 52571 | 40101 | 41012 | 60645 | 85438 | 95487 |
| जहानाबाद | 5348 | 12261 | 16095 | 25154 | 26430 | 18910 | 16732 |
| अरवल | 2932 | 4443 | 6691 | 8363 | 12753 | 13458 | 11095 |
| नवादा | 11217 | 25992 | 24837 | 28980 | 23731 | 36426 | 44285 |
| औरंगाबाद | 8638 | 28077 | 42494 | 42353 | 54786 | 67639 | 31695 |
| | | | | | | | |
| सारण | 14127 | 24233 | 32706 | 34841 | 39064 | 66255 | 72475 |
| सीवान | 14545 | 27750 | 38536 | 34165 | 36959 | 72170 | 55790 |
| गोपालगंज | 13396 | 29824 | 42890 | 53928 | 60448 | 82846 | 97366 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 32431 | 47446 | 70194 | 75740 | 97812 | 86741 | 104247 |
| पूर्व चंपारण | 26210 | 45138 | 74330 | 82860 | 104239 | 129858 | 147007 |
| मुजफ्फरपुर | 20050 | 36197 | 61028 | 58142 | 71134 | 91760 | 96007 |
| सीतामढ़ी | 24403 | 19944 | 34675 | 30368 | 43467 | 62523 | 66492 |
| शिवहर | 2617 | 6646 | 6315 | 12123 | 7682 | 11305 | 27414 |
| वैशाली | 17144 | 30629 | 38763 | 45605 | 66709 | 82387 | 88732 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 8011 | 20738 | 43993 | 26360 | 41682 | 56134 | 52021 |
| मधुबनी | 15598 | 35420 | 38578 | 55261 | 72368 | 101067 | 95600 |
| समस्तीपुर | 22783 | 38363 | 79075 | 80395 | 95785 | 94512 | 155580 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 14712 | 20694 | 57130 | 72811 | 89799 | 111447 | 152526 |
| मुंगेर | 5608 | 10756 | 16559 | 16701 | 28053 | 19329 | 36372 |
| शेखपुरा | 3532 | 7882 | 6036 | 5216 | 12738 | 13617 | 12604 |
| लखीसराय | 4587 | 10054 | 11401 | 15848 | 18074 | 16615 | 35836 |
| जमुई | 7382 | 13458 | 15779 | 22590 | 28020 | 30842 | 50855 |
| खगड़िया | 9296 | 12375 | 30313 | 39919 | 57270 | 45848 | 69174 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 11477 | 22734 | 44740 | 37938 | 48747 | 45360 | 66863 |
| बांका | 4282 | 9463 | 21232 | 22829 | 36202 | 34782 | 36685 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 7250 | 13835 | 21763 | 18904 | 25224 | 32859 | 41012 |
| सुपौल | 6296 | 57130 | 22830 | 16790 | 27256 | 40505 | 45482 |
| मधेपुरा | 6056 | 11620 | 12307 | 14707 | 24802 | 29932 | 36537 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 13477 | 27434 | 51210 | 30384 | 55209 | 64566 | 64262 |
| किशनगंज | 7393 | 13680 | 14645 | 20790 | 36764 | 44189 | 51111 |
| अररिया | 8558 | 16384 | 20225 | 29469 | 47758 | 54054 | 82371 |
| कटिहार | 12213 | 19833 | 29760 | 31618 | 48620 | 45505 | 53031 |
| **बिहार** | **466540** | **897252** | **1339537** | **1402830** | **1847436** | **2231786** | **2514763** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

**तालिका प 2.12 : बिहार में पशुधन के जिलावार आंकड़े ( 2012 )**

(आंकड़े हजार में)

| जिला | गाय | भैंस | सूअर | भेड़ | बकरी | मुर्गी-बत्तख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 300 (2.6) | 282 (4.3) | 37 (6.8) | 14 (5.9) | 177 (1.6) | 287 (4.4) |
| नालंदा | 166 (1.4) | 248 (3.8) | 20 (3.7) | 8 (3.3) | 156 (1.4) | 352 (5.5) |
| भोजपुर | 196 (1.7) | 190 (2.9) | 20 (3.6) | 17 (7.2) | 110 (1.0) | 120 (1.9) |
| बक्सर | 152 (1.3) | 162 (2.5) | 12 (2.2) | 24 (9.9) | 77 (0.7) | 5 (0.1) |
| रोहतास | 233 (2.0) | 285 (4.4) | 10 (1.9) | 19 (7.7) | 160 (1.4) | 132 (2.0) |
| कैमूर | 198 (1.7) | 209 (3.2) | 7 (1.3) | 41 (17.0) | 108 (1.0) | 13 (0.2) |
| | | | | | | |
| गया | 623 (5.3) | 251 (3.8) | 93 (17) | 15 (6.2) | 426 (3.8) | 66 (1.0) |
| जहानाबाद | 80 (0.7) | 129 (2.0) | 17 (3.1) | 2 (0.7) | 72 (0.6) | 55 (0.9) |
| अरवल | 52 (0.4) | 70 (1.1) | 4 (0.7) | 0 (0.0) | 52 (0.5) | 116 (1.8) |
| नवादा | 317 (2.7) | 132 (2.0) | 41 (7.5) | 3 (1.4) | 221 (2.0) | 172 (2.7) |
| औरंगाबाद | 358 (3.1) | 192 (2.9) | 11 (2.1) | 27 (11.4) | 187 (1.7) | 334 (5.2) |
| | | | | | | |
| सारण | 303 (2.6) | 179 (2.7) | 8 (1.5) | 5 (2.0) | 183 (1.6) | 333 (5.2) |
| सीवान | 258 (2.2) | 152 (2.3) | 10 (1.9) | 3 (1.1) | 224 (2.0) | 114 (1.8) |
| गोपालगंज | 185 (1.6) | 112 (1.7) | 7 (1.2) | 1 (0.5) | 201 (1.8) | 87 (1.3) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 337 (2.9) | 253 (3.9) | 28 (5.0) | 2 (0.9) | 546 (4.9) | 161 (2.5) |
| पूर्व चंपारण | 369 (3.2) | 344 (5.3) | 18 (3.2) | 2 (0.7) | 757 (6.8) | 413 (6.4) |
| मुजफ्फरपुर | 314 (2.7) | 269 (4.1) | 5 (1.0) | 1 (0.5) | 541 (4.9) | 587 (9.1) |
| सीतामढ़ी | 145 (1.2) | 175 (2.7) | 6 (1.0) | 0 (0.1) | 357 (3.2) | 75 (1.2) |
| शिवहर | 51 (0.4) | 43 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 88 (0.8) | 31 (0.5) |
| वैशाली | 212 (1.8) | 171 (2.6) | 1 (0.3) | 1 (0.5) | 311 (2.8) | 854 (13.2) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 255 (2.2) | 219 (3.3) | 8 (1.5) | 0 (0.2) | 300 (2.7) | 297 (4.6) |
| मधुबनी | 445 (3.8) | 294 (4.5) | 16 (2.9) | 3 (1.4) | 370 (3.3) | 69 (1.1) |
| समस्तीपुर | 454 (3.9) | 226 (3.4) | 3 (0.6) | 3 (1.2) | 376 (3.4) | 638 (9.9) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 365 (3.1) | 93 (1.4) | 7 (1.2) | 0 (0.1) | 266 (2.4) | 231 (3.6) |
| मुंगेर | 153 (1.3) | 50 (0.8) | 7 (1.3) | 0 (0.0) | 155 (1.4) | 48 (0.7) |
| शेखपुरा | 68 (0.6) | 46 (0.7) | 5 (0.9) | 1 (0.6) | 65 (0.6) | 39 (0.6) |
| लखीसराय | 125 (1.1) | 58 (0.9) | 4 (0.7) | 1 (0.6) | 107 (1.0) | 15 (0.2) |
| जमुई | 463 (4.0) | 73 (1.1) | 4 (0.7) | 1 (0.3) | 39 (0.4) | 0 (0.0) |
| खगड़िया | 270 (2.3) | 97 (1.5) | 5 (0.9) | 0 (0.0) | 242 (2.2) | 112 (1.7) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 460 (3.9) | 194 (3.0) | 9 (1.5) | 0 (0.2) | 497 (4.5) | 214 (3.3) |
| बांका | 520 (4.4) | 139 (2.1) | 22 (4.0) | 13 (5.6) | 361 (3.2) | 40 (0.6) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 303 (2.6) | 161 (2.5) | 11 (2.0) | 0 (0.0) | 341 (3.1) | 78 (1.2) |
| सुपौल | 454 (3.9) | 232 (3.5) | 8 (1.4) | 15 (6.4) | 423 (3.8) | 23 (0.4) |
| मधेपुरा | 395 (3.4) | 222 (3.4) | 7 (1.4) | 3 (1.1) | 479 (4.3) | 120 (1.9) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 503 (4.3) | 173 (2.6) | 20 (3.7) | 0 (0.2) | 529 (4.8) | 73 (1.1) |
| किशनगंज | 415 (3.5) | 49 (0.7) | 12 (2.2) | 0 (0.0) | 415 (3.7) | 19 (0.3) |
| अररिया | 653 (5.6) | 277 (4.2) | 20 (3.6) | 3 (1.4) | 610 (5.5) | 47 (0.7) |
| कटिहार | 556 (4.8) | 99 (1.5) | 23 (4.3) | 9 (3.8) | 602 (5.4) | 88 (1.4) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **11705 (100.0)** | **6549 (100.0)** | **550 (100.0)** | **240 (100.0)** | **11129 (100.0)** | **6458 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.13 : पशुधन संबंधी सेवाओं की जिलावार उपलब्धि

| जिला | चिकित्सित पशु (लाख) | | टीकाकरण (लाख) | | कृत्रिम गर्भाधान (लाख) | | चारा बीजों का मुफ्त वितरण (क्विंटल) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 1.35 | 1.29 | 7.97 | 4.74 | 0.44 | 0.29 | 149.63 | 4.50 |
| नालंदा | 0.92 | 0.89 | 4.95 | 3.39 | 0.14 | 0.07 | 77.44 | 3.95 |
| भोजपुर | 0.69 | 0.70 | 5.61 | 3.15 | 0.16 | 0.03 | 91.57 | 2.75 |
| बक्सर | 0.18 | 0.16 | 4.29 | 2.49 | | 0.04 | 99.93 | 2.15 |
| रोहतास | 1.12 | 1.06 | 6.00 | 4.24 | 0.21 | 0.98 | 123.57 | 3.75 |
| कैमूर | 0.48 | 0.43 | 5.50 | 3.33 | | 0.33 | 72.37 | 2.15 |
| | | | | | | | | |
| गया | 1.70 | 1.52 | 8.75 | 7.64 | 0.17 | 0.10 | 89.00 | 4.70 |
| जहानाबाद | 0.52 | 0.58 | 1.94 | 1.70 | 0.08 | 0.04 | 33.80 | 0.75 |
| अरवल | 0.23 | 0.19 | 1.30 | 0.90 | 0.05 | 0.02 | 33.75 | 2.15 |
| नवादा | 0.80 | 0.71 | 6.74 | 3.68 | 0.16 | 0.08 | 91.35 | 2.75 |
| औरंगाबाद | 1.08 | 0.96 | 5.72 | 4.49 | 0.17 | 0.10 | 72.15 | 1.55 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 0.80 | 0.64 | 5.62 | 4.12 | 0.08 | 0.01 | 141.00 | 3.95 |
| सीवान | 0.54 | 0.43 | 5.74 | 3.36 | | 0.03 | 0.00 | 3.75 |
| गोपालगंज | 0.42 | 0.46 | 4.10 | 2.43 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 2.75 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.59 | 0.56 | 5.97 | 4.81 | 0.05 | 0.01 | 56.78 | 3.35 |
| पूर्व चंपारण | 0.90 | 0.95 | 6.73 | 5.84 | 0.08 | 0.05 | 269.25 | 5.35 |
| मुजफ्फरपुर | 1.09 | 0.66 | 5.34 | 4.78 | 0.04 | 0.38 | 28.72 | 3.15 |
| सीतामढ़ी | 0.35 | 0.39 | 4.50 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| शिवहर | 0.82 | 0.09 | 0.89 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| वैशाली | 0.58 | 0.58 | 4.19 | 3.13 | 0.07 | 0.02 | 53.30 | 3.15 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.97 | 1.17 | 5.73 | 3.89 | 0.09 | 0.04 | 121.30 | 3.55 |
| मधुबनी | 1.01 | 0.85 | 8.15 | 6.05 | 0.02 | 0.01 | 140.92 | 3.95 |
| समस्तीपुर | 1.04 | 1.14 | 6.00 | 5.56 | 0.13 | 0.04 | 134.00 | 4.15 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.72 | 0.82 | 5.14 | 2.74 | 0.04 | 0.01 | 97.22 | 3.55 |
| मुंगेर | 0.34 | 0.30 | 2.90 | 1.65 | 0.08 | 0.01 | 60.99 | 1.75 |
| शेखपुरा | 0.43 | 0.49 | 1.23 | 0.93 | 0.04 | 0.02 | 38.55 | 1.15 |
| लखीसराय | 0.17 | 0.11 | 2.19 | 1.21 | 0.02 | 0.00 | 40.19 | 1.15 |
| जमुई | 0.36 | 0.36 | 7.28 | 4.39 | 0.02 | | 68.60 | 1.95 |
| खगड़िया | 0.57 | 0.70 | 4.00 | 3.00 | 0.04 | 0.05 | 46.68 | 1.35 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.94 | 0.83 | 6.50 | 5.36 | 0.26 | 0.02 | 104.55 | 3.15 |
| बांका | 0.61 | 0.65 | 6.89 | 5.40 | 0.05 | | 72.04 | 2.15 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 0.53 | 0.60 | 5.09 | 3.79 | 0.02 | 0.00 | 74.00 | 2.15 |
| सुपौल | 0.59 | 0.59 | 6.50 | 5.62 | 0.02 | | 81.00 | 2.35 |
| मधेपुरा | 0.56 | 0.58 | 5.95 | 4.05 | 0.04 | 0.02 | 87.00 | 2.35 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.59 | 0.92 | 5.00 | 5.55 | 0.33 | 0.10 | 92.31 | 2.75 |
| किशनगंज | 0.44 | 0.58 | 5.73 | 3.79 | 0.03 | 0.02 | 47.82 | 1.35 |
| अररिया | 0.57 | 0.59 | 8.15 | 7.62 | 0.09 | 0.07 | 61.17 | 1.75 |
| कटिहार | 0.64 | 0.59 | 4.50 | 5.37 | 0.02 | 0.10 | 100.17 | 3.15 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **28.24** | **25.12** | **198.78** | **147.57** | **3.30** | **3.12** | **2952.12** | **104.60** |

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 2.14 : बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन

| जिला | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| पटना | 11.00 | 20.70 | 14.60 | 147.60 | 12.09 | 35.30 |
| नालंदा | 14.80 | 72.50 | 16.80 | 181.50 | 21.12 | 293.00 |
| भोजपुर | 9.00 | 10.00 | 11.80 | 54.50 | 12.60 | 0.00 |
| बक्सर | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 67.80 | 8.80 | 0.00 |
| रोहतास | 8.80 | 40.00 | 9.40 | 139.90 | 6.85 | 0.00 |
| कैमूर | | | | | 4.85 | 0.00 |
| गया | 5.60 | 20.00 | 7.10 | 88.90 | 5.27 | 68.00 |
| जहानाबाद | 4.50 | 0.00 | 7.70 | 43.80 | 4.08 | 7.00 |
| अरवल | | | | | 2.20 | 0.00 |
| नवादा | 4.10 | 111.00 | 6.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |
| औरंगाबाद | 4.90 | 0.00 | 5.50 | 41.50 | 3.29 | 2.00 |
| सारण | 19.10 | 700.00 | 18.50 | 272.60 | 22.91 | 80.00 |
| सीवान | 10.40 | 45.00 | 14.00 | 243.00 | 17.95 | 750.00 |
| गोपालगंज | 8.20 | 50.00 | 11.50 | 60.00 | 16.47 | 500.00 |
| पश्चिम चंपारण | 14.00 | 134.30 | 17.80 | 480.00 | 17.09 | 396.35 |
| पूर्व चंपारण | 18.20 | 79.00 | 19.90 | 32.20 | 23.00 | 579.00 |
| मुजफ्फरपुर | 16.60 | 75.00 | 19.90 | 9.40 | 19.98 | 95.00 |
| सीतामढ़ी | 17.00 | 0.00 | 24.10 | 142.50 | 16.80 | 174.60 |
| शिवहर | | | | | 2.68 | 3.00 |
| वैशाली | 13.00 | 40.00 | 15.50 | 0.00 | 6.28 | 40.00 |
| दरभंगा | 16.50 | 900.00 | 19.00 | 518.00 | 26.35 | 650.00 |
| मधुबनी | 19.20 | 75.00 | 20.40 | 640.00 | 23.60 | 26.50 |
| समस्तीपुर | 9.30 | 60.80 | 11.40 | 105.60 | 11.40 | 119.00 |
| बेगूसराय | 12.10 | 0.00 | 14.30 | 280.00 | 7.22 | 0.00 |
| मुंगेर | 8.10 | 43.70 | 10.50 | 57.90 | 4.83 | 0.00 |
| शेखपुरा | | | | | 0.05 | 5.75 |
| लखीसराय | | | | | 4.43 | 0.00 |
| जमुई | 3.10 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 6.34 | 5.00 |
| खगड़िया | 7.10 | 800.00 | 7.30 | 133.50 | 18.38 | 0.00 |
| भागलपुर | 10.90 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 10.90 | 70.00 |
| बांका | 4.90 | 130.00 | 5.50 | 40.00 | 8.04 | 0.00 |
| सहरसा | 14.00 | 0.50 | 12.90 | 185.20 | 17.16 | 47.23 |
| सुपौल | 8.10 | 45.00 | 8.20 | 181.00 | 6.85 | 157.00 |
| मधेपुरा | 9.50 | 22.00 | 7.10 | 101.40 | 12.75 | 0.00 |
| पूर्णिया | 12.40 | 60.00 | 13.60 | 223.30 | 15.00 | 36.00 |
| किशनगंज | 6.60 | 60.00 | 7.90 | 249.50 | 7.10 | 190.00 |
| अररिया | 5.40 | 0.00 | 7.00 | 17.90 | 6.86 | 157.77 |
| कटिहार | 12.60 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 14.80 | 325.35 |
| **बिहार** | **345.00** | **3604.50** | **400.10** | **4738.30** | **432.30** | **4812.85** |

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय 3

# उद्यमिता क्षेत्र

लगभग दो दशकों की उत्फुल्ल विकास प्रक्रिया के बाद 2011-12 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में धीमापन शुरू हो गया था जब विकास दर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। उसके अगले दो वर्षों में वार्षिक वृद्धि दरें 5 प्रतिशत से भी नीचे चली गईं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस रुझान में बाहरी क्षेत्र के धीमे विकास का भी योगदान था लेकिन इस बात को भी मानने में हिचक नहीं हो सकती कि आंतरिक अवरोधों, खास कर अधिसंरचनात्मक व्यवधानों ने भी विकास प्रक्रिया की गति को अवरुद्ध किया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक - तीनो प्रमुख क्षेत्रों में द्वितीयक क्षेत्र को ही इस प्रक्रिया में सर्वाधिक संकट झेलना पड़ा जिसकी विकास दर 2012-13 और 2013-14, दोनो वर्षों में 1 प्रतिशत से कम दर्ज की गई। वर्ष 2014-15 में, निम्न औद्योगिक विकास की इस परिघटना का पलटना अभी बाकी है।

राष्ट्रीय परिदृश्य के इस परिप्रेक्ष्य में, बिहार के आर्थिक विकास का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। वर्ष 2013-14 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि द्वितीयक क्षेत्र में 11.50 प्रतिशत विकास दर दर्ज हुई (तालिका 3.1)। हालांकि अच्छे-खासे सुधार के बावजूद 2013-14 में खनन/ प्रस्तर खनन क्षेत्र में विकास दर नकारात्मक ही रही। यह भी दिखता है कि 2013-14 में निर्माण क्षेत्र का विकास तेज दर से (14.63 प्रतिशत) हुआ जो 2012-13 में महज 0.12 प्रतिशत थी।

**तालिका 3.1 : बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर**

| क्षेत्र | वार्षिक वृद्धि दर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 1. खनन एवं प्रस्तर खनन | -27.30 | 1.17 | 11.59 | -11.24 | -0.03 |
| 2. विनिर्माण | -4.07 | 22.77 | -9.20 | 1.83 | 3.64 |
| (i) निर्बंधित | -14.65 | 63.15 | -20.62 | 1.35 | 0.79 |
| (ii) अनिर्बंधित | 1.54 | 4.81 | -1.28 | 2.09 | 5.22 |
| 3. निर्माण | 25.73 | 34.38 | 7.81 | 0.12 | 14.63 |
| 4. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस | 12.99 | 2.99 | 8.35 | 7.14 | 9.70 |
| कुल उद्योग क्षेत्र | 14.10 | 28.40 | 3.10 | 1.00 | 11.50 |
| कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 5.35 | 15.04 | 10.29 | 10.74 | 9.92 |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसके औद्योगिक क्षेत्र के योगदान पर विचार करें, तो 2013-14 में यह 18.4 प्रतिशत था - 2012-13 के 18.1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक लेकिन 2011-12 में हासिल 19.9 प्रतिशत से कम है (तालिका 3.2)। निस्संदेह, विभिन्न राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनके औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में 2011-12 से 2013-14 के बीच गिरावट आई है।

**तालिका 3.2 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान**

| राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 25.8 | 24.4 | 23.6 |
| **बिहार** | **19.9** | **18.1** | **18.4** |
| छत्तीसगढ़ | 43.1 | 42.1 | 42.1 |
| गुजरात | 39.5 | 39.2 | अनु. |
| हरियाणा | 28.7 | 28.4 | 27.7 |
| झारखंड | 40.0 | 38.5 | 37.5 |
| कर्नाटक | 29.4 | 28.0 | 27.1 |
| केरल | 22.2 | 24.3 | अनु. |
| मध्य प्रदेश | 29.0 | 27.8 | 25.6 |
| महाराष्ट्र | 29.4 | 28.4 | 28.4 |
| ओडिसा | 34.7 | 35.2 | 35.2 |
| पंजाब | 29.6 | 29.0 | 28.3 |
| राजस्थान | 28.8 | 28.8 | 28.5 |
| तमिलनाडु | 30.6 | 30.2 | 29.0 |
| उत्तर प्रदेश | 23.0 | 22.2 | 21.2 |
| भारत | **28.2** | **27.3** | – |

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)

### 3.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ( 2011-12 )

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) देश और विभिन्न राज्यों के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध कराता है। यह सर्वेक्षण 10 या अधिक कामगारों के नियोजन वाले संगठित क्षेत्र में कार्यरत विनिर्माण इकाइयों से संबंधित होता है। वर्ष 2011-12 में किए गए सबसे हाल के सर्वेक्षण के अनुसार, पूरे देश में सर्वेक्षित कुल 2.18 लाख कारखानों में से बिहार में मात्र 3,232 इकाइयां थीं अर्थात उनमें राज्य का हिस्सा मात्र 1.49 प्रतिशत था। तालिका 3.3 में देखा जा सकता है कि जहां 2011-12 में पूरे देश में 2005-06 की तुलना में कारखानों की संख्या 55 प्रतिशत बढ़ी, वहीं बिहार में 94 प्रतिशत। हालांकि पूरे भारत में दर्ज कुल स्थिर पूंजी में बिहार के हिस्से में 2005-06 से 2011-12 के बीच गिरावट आई। कार्यशील पूंजी की बात करें, तो इसमें भी राज्य का हिस्सा 2005-06 के 0.77 प्रतिशत से गिरकर 0.04 प्रतिशत हो गया। उभर रहा परिदृश्य राज्य में अपेक्षा कम पूंजी वाली इकाइयां लगना दर्शाता है। हालांकि इस अवधि में लगे व्यक्तियों की संख्या, निर्गत वस्तुओं के मूल्य और निवल मूल्यवर्धन के मामले में बिहार का हिस्सा बढ़ा है। ऐसा राज्य में चावल मिलों सहित कृषि आधारित इकाइयों के अधिक संख्या में लगने के कारण हुआ है।

**तालिका 3.3 : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ( 2005-06 और 2011-12 )**

| विशेषताएं | 2005-06 | | | 2011-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | बिहार का प्रतिशत हिस्सा | भारत | बिहार | बिहार का प्रतिशत हिस्सा |
| कारखानों की संख्या | 140159 | 1669 | 1.19 | 217554 | 3232 | 1.49 |
| स्थिर पूंजी (करोड़ रु.) | 606940 | 2924 | 0.48 | 1949551 | 7547 | 0.39 |
| कार्यशील पूंजी (करोड़ रु.) | 184463 | 1415 | 0.77 | 588794 | -236 | -0.04 |
| कुल नियोजित व्यक्ति (सं.) | 9111680 | 67447 | 0.74 | 13429956 | 126592 | 0.94 |
| उत्पादों के मूल्य (करोड़ रु.) | 1908355 | 16785 | 0.88 | 5776024 | 60167 | 1.04 |
| निवल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.) | 311864 | 422 | 0.14 | 836703 | 5644 | 0.67 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

इस तथ्य की पुष्टि तालिका 3.4 में दिए गए आंकड़ों से भी होती है कि कि हाल के वर्षों में कृषि आधारित उद्योगों में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में कृषि आधारित उद्योगों में बिहार का हिस्सा 0.76 प्रतिशत था जो बढ़कर 2011-12 में 1.36 प्रतिशत हो गया। गैर-कृषि आधारित उद्योगों के मामले में भी बिहार के हिस्से में थोड़ी वृद्धि हुई जो 2005-06 के 1.32 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 1.85 प्रतिशत हो गया।

**राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और आद्योगिक गलियारे**

भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने और एक दशक में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने के मकसद से नवंबर 2011 में एक औद्योगिक विनिर्माण नीति (NMP) अधिसूचित की थी। नीति में लघु एवं मध्यम उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अलावा उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अधिक रोजगार पैदा करने वाली, पूंजीगत सामग्रियां का उत्पादन करने वाली और रणनीतिक महत्व वाली हैं और जिनमें भारत को प्रतिस्पर्धी फायदा मिला हुआ है। नीति में संकुलों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है, खास कर राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (NIMZ) के निर्माण के जरिए। वर्ष 2013-14 तक 16 जोनों की घोषणा की गई है जिनमें से 8 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के इर्दगिर्द हैं। अन्य जोन चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC), बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC), विजग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC) सहित पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (VCIC) और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) के इर्दगिर्द अवस्थित होंगे। भारत सरकार ने पूर्वी मालवहन निमित्त गलियारा (EDFC) के दोनो छोरों के इर्दगिर्द 150 से 200 किलोमीटर की पट्टी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) की चरणबद्ध स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित गलियारा सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। केंद्र सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा विकास निगम (AKICDC) की स्थापना को भी सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है जिसके द्वारा गलियारे पर 2014-15 से काम शुरू करने की संभावना है।

**तालिका 3.4 : चालू कारखानों की संख्या**

| उद्योग की श्रेणी | कारखानों की संख्या | | | चालू कारखाने | | | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | बिहार का हिस्सा (%) | भारत | बिहार | बिहार का हिस्सा (%) | संपूर्ण भारत | बिहार |
| 2005-06 | | | | | | | | |
| कृषि आधारित | 61936 | 470 | 0.76 | 57863 | 440 | 0.76 | 93.42 | 93.62 |
| गैर-कृषि आधारित | 78223 | 1199 | 1.53 | 74161 | 978 | 1.32 | 94.81 | 81.57 |
| योग | 140159 | 1699 | 1.21 | 132024 | 1418 | 1.07 | 94.20 | 83.46 |
| 2011-12 | | | | | | | | |
| कृषि आधारित | 93251 | 1126 | 1.21 | 72769 | 1014 | 1.39 | 78.04 | 90.05 |
| गैर-कृषि आधारित | 124303 | 2106 | 1.69 | 102939 | 1858 | 1.80 | 82.81 | 88.22 |
| योग | 217554 | 3232 | 1.49 | 175708 | 2872 | 1.63 | 80.77 | 88.86 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

वर्ष 2011-12 में बिहार में निवल मूल्यवर्धन 5,644 करोड़ रु. था जो उत्पाद के सकल मूल्य (60,167 करोड़ रु.) का मात्र 9.4 प्रतिशत था (तालिका प 3.1) (परिशिष्ट)। हालांकि यह अनुपात गैर-कृषि आधारित उद्योगों के मामले में काफी कम (7.8 प्रतिशत) था और और कृषि आधारित प्रतिष्ठानों के मामले में अधिक (17.2 प्रतिशत)। उस वर्ष विभिन्न उद्योगों में कृषि आधारित समूह के बीच खाद्य उत्पादों/ पेय/ तंबाकू उद्योगों का प्रदर्शन उत्पाद मूल्य और निवल मूल्यवर्धन, दोनों लिहाज से बेहतर दिखा। गैर-कृषि आधारित समूह के बीच कोक और परिस्कृत पेट्रॉलियम उत्पादों के मामले में उत्पाद मूल्य और निवल मूल्यवर्धन, दोनों लिहाज से अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धियां हासिल हुईं। गैर-कृषि आधारित उद्योगों के बीच संपूर्ण भारत के योग में बिहार का हिस्सा मूल औषधिद्रव्य उत्पादों (0.03 प्रतिशत), रसायन एवं रासायनिक उत्पादों (0.03 प्रतिशत), रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों (0.04 प्रतिशत), तथा धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों और मोटर वाहन/ परिवहन उपकरणों (0.02 प्रतिशत) जैसी श्रेणियों में अत्यंत मामूली था (तालिका प 3.2) (परिशिष्ट)।

तालिका 3.4 से यह भी पता चलता है कि 2005-06 में भारत में सर्वेक्षित कृषि और गैर-कृषि आधारित दोनो प्रकार की इकाइयों के मामले में कुल कारखानों में से लगभग 94 प्रतिशत चालू पाए गए थे। वर्ष 2011-12 में चालू कारखानों की संख्या घटकर लगभग 81 प्रतिशत रह गई - चालू कृषि आधारित कारखाने 78 प्रतिशत और गैर-कृषि आधारित कारखाने 83 प्रतिशत। हालांकि बिहार के मामले में 2005-06 में कुल इकाइयों के 83 प्रतिशत चालू पाए गए थे जो 2011-12 में बढ़कर 89 प्रतिशत हो गए। इस प्रकार यह दिखता है कि कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित, दोनो श्रेणियों में चालू कारखानों के मामले में बिहार की स्थिति में 2005-06 से 2011-12 के बीच सुधार हुआ है जबकि भारत के स्तर पर इसमें गिरावट आई है।

पूर्व में देखा गया था कि बिहार में औद्योगिक इकाइयां सामान्यतया राष्ट्रीय औसत से छोटे आकार वाली हैं। बिहार के उद्योगों की यह ढांचागत विशेषता प्रति कारखाना स्थिर पूंजी, निवल मूल्यवर्धन और नियोजित लोगों की संख्या संख्या के जरिए भी अभिव्यक्त होती है जिनके आंकड़े तालिका 3.5 में प्रस्तुत हैं। देखा जा सकता है कि संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रति कारखाना स्थिर पूंजी 11.10 करोड़ रु. दर्ज हुई थी और बिहार में 2.63 करोड़ रु. – राष्ट्रीय आंकड़े का मुश्किल से एक-चौथाई। पुनः, बिहार में प्रति कारखाना कामगारों की संख्या राष्ट्रीय आंकड़े का 64 प्रतिशत थी और प्रति कारखाना कर्मचारियों की संख्या संपूर्ण भारत के आंकड़े का 57 प्रतिशत। इसी प्रकार, प्रति कारखाना निवल मूल्यवर्धन संपूर्ण भारत के आंकड़े का 41 प्रतिशत था और प्रति कर्मचारी निवल मूल्यवर्धन संपूर्ण भारत के आंकड़े का 72 प्रतिशत।

**तालिका 3.5 : बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात ( 2011-12 )**

| विशेषताएं | भारत | | बिहार | |
|---|---|---|---|---|
| | समस्त | विनिर्माण | समस्त | विनिर्माण |
| प्रति कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रु.) | 1110 | 1046 | 263 | 259 |
| प्रति कारखाना निवल मूल्यवर्धन (लाख रु.) | 476 | 480 | 197 | 136 |
| प्रति कारखाना कामगार (संख्या) | 59 | 61 | 38 | 40 |
| प्रति कारखाना कर्मचारी (संख्या) | 76 | 79 | 44 | 46 |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.) | 6.23 | 6.10 | 4.46 | 2.97 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2011-12

वर्ष 2011-12 में संपन्न वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अभी भी अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में इंधन के रूप में बिजली का कम उपयोग होता है (17.6 प्रतिशत) और इसके औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने कामकाज के लिए इंधन के बतौर पेट्रॉलियम उत्पादों के उपयोग पर अभी भी अत्यधिक निर्भर करते हैं (72.6 प्रतिशत)। वर्ष 2005-06 की तुलना में, जब इंधन व्यय में बिजली का हिस्सा मात्र 14.6 प्रतिशत था, राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन यह संपूर्ण भारत (46.7 प्रतिशत) और अन्य राज्यों (गुजरात 34.2 प्रतिशत से लेकर महाराष्ट्र 54.5 प्रतिशत प्रतिशत तक) से काफी पीछे है। पेट्रॉलियम उत्पादों पर राज्यों की अधिक निर्भरता बिहार के लिए पेट्रॉलियम उत्पादों का बहुत कम उपयोग करने वाले गुजरात (8.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.7 प्रतिशत) जैसे राज्यों की तुलना में लागत बढ़ाने वाला एक बड़ा कारक है। एक और प्रकट कारक यह है कि 2011-12 में प्रति कारखाना प्रयुक्त इंधन के मूल्य के मामले में बिहार (86.89 लपाख रु.) सबसे निचले पायदान पर था जबकि 2005-06 में 75.83 लाख रु. के आंकड़े के साथ बिहार का स्थान महाराष्ट्र (72.00 लाख रु.) और कनार्टक (60.36 लाख रु.) से ऊपर था।

**तालिका 3.6 : कारखाना क्षेत्र में इंधनों की खपत**

(मूल्य लाख रु.)

| राज्य | इंधन का प्रकार | | | | | | कुल मूल्य | चालू कारखानों की सं. | प्रति कारखाना मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कोयला | | बिजली | | पेट्रॉलियम उत्पाद | अन्य इंधन | | | |
| | मात्रा (हजार टन) | मूल्य (%) | मात्रा (हजार किवा/आवर) | मूल्य (%) | मूल्य (%) | मूल्य (%) | | | |
| 2011-12 | | | | | | | | | |
| बिहार | 343 | 8.86 | 601750 | 17.57 | 72.65 | 0.92 | 249537.51 (100.00) | 2872 | 86.89 |
| गुजरात | 14253 | 16.37 | 19337545 | 34.25 | 8.73 | 40.64 | 3568134.61 (100.00) | 17529 | 203.56 |
| कर्नाटक | 3256 | 18.03 | 7418344 | 44.07 | 31.35 | 6.55 | 1012659.11 (100.00) | 9459 | 107.06 |
| मध्य प्रदेश | 6484 | 36.61 | 6639339 | 44.27 | 6.69 | 12.43 | 864769.52 (100.00) | 3696 | 233.97 |
| महाराष्ट्र | 5361 | 8.98 | 27321211 | 54.47 | 16.89 | 19.66 | 3389569.59 (100.00) | 22615 | 149.88 |
| उत्तर प्रदेश | 3021 | 8.64 | 17263189 | 45.77 | 24.27 | 21.31 | 1606970.34 (100.00) | 11631 | 138.16 |
| संपूर्ण भारत | 94768 | 18.02 | 210239277 | 46.71 | 18.92 | 16.35 | 24243841.85 (100.00) | 175708 | 137.98 |
| 2005-06 | | | | | | | | | |
| बिहार | 197 | 4.74 | 333616 | 14.60 | 79.91 | 0.76 | 107533.69 (100.00) | 1418 | 75.83 |
| गुजरात | 6871 | 14.37 | 8496434 | 32.10 | 11.49 | 42.04 | 1367956.68 (100.00) | 13667 | 100.09 |
| कर्नाटक | 3029 | 14.79 | 3747888 | 40.99 | 23.18 | 21.04 | 451412.87 (100.00) | 7479 | 60.36 |
| मध्य प्रदेश | 5007 | 29.43 | 3139880 | 41.19 | 17.55 | 11.83 | 365362.8 (100.00) | 2854 | 128.02 |
| महाराष्ट्र | 4235 | 6.80 | 15390693 | 48.09 | 26.39 | 18.73 | 1294068.79 (100.00) | 17974 | 72.00 |
| उत्तर प्रदेश | 1377 | 5.50 | 9260537 | 41.31 | 30.32 | 22.87 | 688337.54 (100.00) | 10126 | 67.98 |
| संपूर्ण भारत | 60650 | 14.70 | 108405543 | 45.30 | 20.63 | 19.37 | 9662969.18 (100.00) | 132024 | 73.19 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

तालिका 3.7 से यह भी पता चलता है कि कुल उत्पाद मूल्य के अनुपात में इंधन की खपत मध्य प्रदेश (लगभग 6 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सर्वाधिक (4 से 6 प्रतिशत) है। जबकि कुल उत्पाद मूल्य के अनुपात में इंधन की खपत सबसे कम कर्नाटक (लगभग 3 प्रतिशत) है। राज्यों के बीच कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में इंधन की खपत की कुशलता के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आगे हैं।

**तालिका 3.7 : उत्पाद मूल्य में प्रयुक्त इंधन का प्रतिशत हिस्सा**

(हजार लाख रु.)

| राज्य | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्य | | मूल्य | | मूल्य | | मूल्य | | मूल्य | |
| | उत्पाद का | प्रयुक्त इंधन का | उत्पाद का | प्रयुक्त इंधन का | उत्पाद का | प्रयुक्त इंधन का | उत्पाद का | प्रयुक्त इंधन का | उत्पाद का | प्रयुक्त इंधन का |
| बिहार | 2187.36 | 123.95 (5.7) | 2953.97 | 159.96 (5.4) | 2825.48 | 164.93 (5.8) | 3605.13 | 181.76 (5.0) | 6016.75 | 249.54 (4.1) |
| गुजरात | 44824.32 | 1908.76 (4.3) | 50808.79 | 2430.41 (4.8) | 64265.76 | 2290.87 (3.6) | 80678.35 | 2585.57 (3.2) | 99841.32 | 3568.14 (3.6) |
| कर्नाटक | 18425.77 | 683.70 (3.7) | 22581.28 | 592.09 (2.6) | 23325.41 | 682.64 (2.9) | 28594.97 | 943.23 (3.3) | 39484.01 | 1012.66 (2.6) |
| मध्य प्रदेश | 7872.16 | 464.55 (5.9) | 9040.20 | 522.88 (5.8) | 8693.86 | 532.92 (6.1) | 11589.8 | 685.42 (5.9) | 15658.41 | 864.77 (5.5) |
| महाराष्ट्र | 51993.93 | 1791.91 (3.4) | 6001.74 | 2036.42 (3.4) | 62404.92 | 2272.71 (3.6) | 78536.27 | 2669.33 (3.4) | 100537.79 | 3389.57 (3.4) |
| उत्तर प्रदेश | 19381.50 | 946.47 (4.9) | 20046.27 | 937.99 (4.7) | 22568.13 | 1030.75 (4.6) | 29221.56 | 1295.22 (4.4) | 33265.47 | 1606.97 (4.8) |
| संपूर्ण भारत | 277570.90 | 12956.17 (4.7) | 327279.79 | 15216.20 (4.6) | 373303.59 | 16160.00 (4.3) | 467621.7 | 19542.40 (4.2) | 5776.02 | 242.44 (4.2) |

स्रोत : संबंधित वर्षों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

सकल निर्गत मूल्य (GVO) के प्रतिशत के बतौर सकल मूल्यवर्धन (GVA) के मामले में 2005-06 से 2011-12 के बीच संपूर्ण भारत और अधिकांश राज्यों में गिरावट दर्ज हुई है, हालांकि बिहार में यह 2005-06 से 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 10.3 प्रतिशत हो गया और कर्नाटक में 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 28.5 प्रतिशत। हालांकि छः वर्षों की अवधि में सकल मूल्यवर्धन में ढाईगुनी वृद्धि के बावजूद सकल निर्गत मूल्य के प्रतिशत के बतौर सकल मूल्यवर्धन बिहार में सबसे कम है।

**तालिका 3.8 : सकल निर्गत मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का प्रतिशत हिस्सा**

(लाख रु.)

| राज्य | 2005-06 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|
| | सकल निर्गत मूल्य | सकल मूल्यवर्धन | सकल निर्गत मूल्य | सकल मूल्यवर्धन |
| बिहार | 1678498 | 66941 (4.0) | 6016746 | 620320 (10.3) |
| गुजरात | 30795504 | 5768839 (18.7) | 99841317 | 11048718 (11.1) |
| कर्नाटक | 13117752 | 2443272 (18.6) | 39484010 | 11250739 (28.5) |
| मध्य प्रदेश | 4954288 | 857366 (17.3) | 15658407 | 2271856 (14.5) |
| महाराष्ट्र | 37358862 | 8406208 (22.5) | 100537793 | 17922200 (17.8) |
| उत्तर प्रदेश | 11886143 | 1981344 (16.7) | 33265470 | 4459496 (13.4) |
| संपूर्ण भारत | 190835548 | 36469705 (19.1) | 577602354 | 97735796 (16.9) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े सकल निर्गत मूल्य के प्रतिशत हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

तालिका 3.9 पर नजर डालने से बिहार में रोजगार से संबंधित कुछ विशेषताओं के लिहाज से सकारात्मक रुझान का पता चलता है। इन वर्षों के दौरान जहां कारखानों की संख्या में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहीं नियोजित मानवदिवसों की संख्या भी लगभग 83 प्रतिशत और मजदूरी (देय वेतन और बोनस सहित) 190 प्रतिशत बढ़ी है। यह भी दिखता है कि हाल के वर्षों में अच्छी-खासी वृद्धि के बावजूद प्रति कामगार

दिया गया वेतन और बोनस सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक जहां 2011-12 में प्रति कामगार 2.32 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

**तालिका 3.9 : कारखाना क्षेत्र में रोजगार, नियोजित मानवदिवस और भुगतान की गई परिलब्धियों का अनुमान**

| राज्य | कारखानों की सं. | नियोजित व्यक्तियों की सं. | अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की सं. | सवैतनिक श्रमिकों की सं. | कुल नियोजित मानवदिवस (हजार) | मजदूरी, वेतन और बोनस (लाख रु.) | प्रति कारखाना व्यक्तियों की सं. | प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी, वेतन एवं बोनस (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | | | | | | | | |
| बिहार | 2872 | 126592 | 2608 | 123984 | 27441 | 84982 | 44 | 68543 |
| गुजरात | 17529 | 1383773 | 4612 | 1379161 | 431986 | 2316184 | 79 | 167942 |
| कर्नाटक | 9459 | 905946 | 1459 | 904487 | 267309 | 1535797 | 96 | 169798 |
| मध्य प्रदेश | 3696 | 314838 | 699 | 314139 | 97743 | 519901 | 85 | 165500 |
| महाराष्ट्र | 22615 | 1880606 | 4821 | 1875785 | 581980 | 4347549 | 83 | 231772 |
| उत्तर प्रदेश | 11631 | 864346 | 3705 | 860641 | 258170 | 1273681 | 74 | 147992 |
| संपूर्ण भारत | 175708 | 13429956 | 84240 | 13345716 | 4087131 | 21473349 | 76 | 160901 |
| 2005-06 | | | | | | | | |
| बिहार | 1418 | 67447 | 1126 | 66321 | 15020 | 29252 | 48 | 44107 |
| गुजरात | 13667 | 887511 | 7476 | 880035 | 267958 | 762654 | 65 | 86662 |
| कर्नाटक | 7479 | 641864 | 2705 | 639159 | 191932 | 562560 | 86 | 88016 |
| मध्य प्रदेश | 2854 | 217758 | 1072 | 216686 | 67348 | 180437 | 76 | 83271 |
| महाराष्ट्र | 17974 | 1245096 | 7802 | 1237294 | 388652 | 1513320 | 69 | 122309 |
| उत्तर प्रदेश | 10126 | 648449 | 5522 | 642927 | 190766 | 485517 | 64 | 75517 |
| संपूर्ण भारत | 132024 | 9111680 | 73157 | 9038523 | 2739729 | 7400820 | 69 | 81881 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

औद्योगिक इकाइयों का स्वास्थ्य काफी हद तक लागत-निर्गत अनुपात पर निर्भर करता है। जब हम इस अनुपात पर तालिका 3.10 में गौर करते हैं, तो पता चलता है कि बिहार में लागत-निर्गत अनुपात 2005-06 में 96 प्रतिशत था और 2011-12 में 90 प्रतिशत जो इन वर्षों में संपूर्ण भारत के आंकड़ों 81 प्रतिशत और 83 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि दोनो ही वर्षों में प्रति श्रमिक पूंजी निवेश के मामले में राज्य की स्थिति काफी प्रतिकूल बनी हुई है। इसी प्रकार दोनो ही वर्षों में परिलब्धि-निर्गत अनुपात बिहार (2 प्रतिशत से काफी नीचे) की स्थिति संपूर्ण भारत के औसत (लगभग 4 प्रतिशत) से काफी पीछे है। यह भी दिखता है कि 2005-06 में इंधन-निर्गत अनुपात बिहार में संपूर्ण भारत की तुलना में अधिक था जो 2011-12 में उत्साहवर्धक ढंग से राष्ट्रीय औसत के पास पहुंच गया है।

**तालिका 3.10 : बिहार में उद्योगों के कुछ प्रमुख पैरामीटर**

| प्रमुख पैरामीटर | 2005-06 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|
| | संपूर्ण भारत | बिहार | संपूर्ण भारत | बिहार |
| चालू कारखानों की संख्या | 132024 | 1418 | 175708 | 2872 |
| निर्गत मूल्य (करोड़ रु.) | 1908355 | 16785 | 5776024 | 60167 |
| लागत-निर्गत अनुपात | 80.89 | 96.01 | 83.08 | 89.69 |
| निवेशित पूंजी-श्रमिक अनुपात (हजार रु.) | 989.48 | 785.42 | 2114.75 | 963.46 |
| इंधन-निर्गत अनुपात | 5.06 | 6.41 | 4.20 | 4.15 |
| परिलब्धि-निर्गत अनुपात | 3.88 | 1.74 | 3.72 | 1.41 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

### 3.2 बड़े उद्योग

15 नवंबर, 2000 को राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप वर्तमान बिहार में बहुत कम बड़ी औद्योगिक इकाइयां बचीं। हालांकि 2006 में नई औद्योगिक नीति के आरंभ और 2011 में उसके संशोधन के फलस्वरूप राज्य में निवेश बढ़ा है। वर्ष 2011-12 में कुल 12 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान थे जो 2012-13 में बढ़कर 16 हो गए। वर्ष 2013-14 में बिहार निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने स्थानीय उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 3 वृहद उद्योग इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की और 2014-15 में (सितंबर 2014 तक) 2 अन्य इकाइयों को। नई इकाइयों की उत्पाद संबंधी विशेषताएं और उनकी अवस्थिति तालिका 3.11 में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.11 : बिहार में स्वीकृत बड़ी औद्योगिक इकाइयां**

| इकाई का प्रकार | संख्या | अवस्थिति |
|---|---|---|
| 2012-13 | | |
| 1. . रिफाइन वनस्पति तेल | 1 | दुर्गावती, कैमूर (भभुआ) |
| 2. सेमेंट | 1 | कर्मनाशा, भभुआ |
| 3. क्राफ्ट पेपर | 1 | औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र, गिद्धा, आरा |
| 4. 60 हजार ली. प्रतिदिन क्षमता का आसवन संयंत्र और 2 मेगवाट क्षमता का सह-उत्पादन संयंत्र | 3 | राजपट्टी कोठी, राजपट्टी, गोपालगंज |
| 2013-14 | | |
| 1. चीनी मिल | 1 | हसनपुर, सीतामढ़ी |
| 2. चावल मिल संयत्र और सह-उत्पादन आबद्ध विद्युत संयंत्र | 1 | रामबाग, बक्सर |
| 3. पेय निर्माण इकाई | 1 | बिक्रम, पटना |
| 2014-15 | | |
| 1. सीमेंट | 1 | औरंगाबाद |
| 2. पेय निर्माण इकाई | 1 | बिक्रम, पटना |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

### 3.3 अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत जीवंत और गतिवान क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न लागत व्यय से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करता है। इस क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है और पूरे देश की 2.6 करोड़ से भी अधिक इकाइयों द्वारा लगभग 6.9 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का अनुमान है। इस क्षेत्र के समावेशी होने को इस तथ्य के जरिए भी रेखांकित किया जा सकता है कि लगभग 50 प्रतिशत उद्यम समाज के वंचित समूहों के स्वामित्व वाले हैं। इस क्षेत्र में पारंपरिक सामग्रियों से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी वाली सामग्रियों तक लगभग 6000 उत्पादों का विनिर्माण होता है। इस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अनेक नीतिगत कदम उठाए हैं जिनमें इस क्षेत्र के विकास के अवरोधक कारकों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2009 में कार्यबल का गठन और बाद में प्रधानमंत्री के कार्यबल की अनुशंसाओं को आगे बढ़ाने और विशिष्ट

कार्ययोजना सुझाने के लिए योजना आयोग द्वारा अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र संबंधी कार्य समूह का गठन शामिल है।

वर्ष 2006-07 तक बिहार में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की कुल मिलाकर लगभग 1.63 लाख इकाइयां थीं (तालिका 3.12)। उसके बाद से प्रति वर्ष इकाइयों के निबंधन में गिरावट आती गई है। वर्ष 2007-08 में 7,202 इकाइयों का निबंधन हुआ था जबकि 2013-14 में मात्र 3,133 का। फलतः 2013-14 के अंत तक इस क्षेत्र में कुल निबंधित इकाइयों की संख्या बढ़कर 1.98 लाख हो गई। यह छः वर्षों की अवधि में मात्र 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। दूसरे, नई निबंधित इकाइयों के कुल निवेश में 20.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई और रोजगार के आंकड़ा 2006-07 तक के 5.37 लाख से बढ़कर 2013-14 तक 6. 52 लाख हो गया। इस बात का उल्लेख उपयोगी होगा कि अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की 99 प्रतिशत इकाइयां अतिलघु क्षेत्र की हैं और इसके बावजूद प्रति इकाई निवेश 2007-08 के 1.87 लाख रु. से बढ़कर 2013-14 में 10.07 लाख रु. हो गया।

**तालिका 3.12 : बिहार में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम इकाइयों की वर्षवार स्थापना**

| वर्ष | मध्यम | लघु | अतिलघु | योग | निवेश (करोड़ रु.) | प्रति इकाई निवेश (करोड़ रु.) | रोजगार (संख्या) | प्रति इकाई रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 तक | | 1433 | 162063 | 163496 | 801.15 | | 536890 | |
| 2007-08 | 4 | 42 | 7156 | 7202 | 134.83 | 1.87 | 19963 | 2.77 |
| 2008-09 | 7 | 25 | 6122 | 6154 | 118.86 | 1.93 | 17474 | 2.84 |
| 2009-10 | 2 | 41 | 5048 | 5091 | 128.64 | 2.53 | 16011 | 3.14 |
| 2010-11 | 3 | 33 | 4799 | 4835 | 185.57 | 3.84 | 17365 | 3.59 |
| 2011-12 | 2 | 56 | 3904 | 3962 | 385.64 | 9.73 | 16079 | 4.06 |
| 2012-13 | 3 | 53 | 3681 | 3737 | 253.85 | 6.79 | 10894 | 2.92 |
| 2013-14 | 11 | 131 | 2991 | 3133 | 315.59 | 10.07 | 17293 | 5.52 |
| योग | 32 | 1814 | 195764 | 197610 | 2324.13 | 1.18 | 651969 | 3.30 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | 4.9 | 20.5 | -13.0 | -12.5 | 20.3 | | | |

टिप्पणी : 2008-09 से कारीगरी इकाइयों को अतिलघु इकाइयों में मिला दिया गया है।
स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की वर्ष 2013-14 में निबंधित कुल 3,133 इकाइयों में से लगभग 26 प्रतिशत का निबंधन अकेले पटना प्रमंडल में हुआ और उसके बाद 17 प्रतिशत का तिरहुत प्रमंडल में। अन्य प्रमंडल काफी पीछे रहे (तालिका 3.13)। तालिका में दिखता है कि जहां अतिलघु इकाइयां सारे प्रमंडलों में फैली हुई हैं वहीं लघु और मध्यम आकार वाली इकाइयां मुख्यतः पटना प्रमंडल में संकेंद्रित हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2013-14 में एक भी लघु/ मध्यम आकार की इकाई स्थापित नहीं की जा सकी। अन्य प्रमंडलों में भी इनकी एक-दो इकाइयां ही स्थापित हुईं। ऐसा दिखता है कि 2013-14 में निबंधित मध्यम स्तरीय इकाइयों की कुल संख्या महज 11 थी जिनमें से 5 बिआडा के तहत थीं। जिलों के बीच पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, नवादा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयां ठीक-ठाक संख्या में हैं। जिलावार ब्योरा (तालिका प 3.3) (परिशिष्ट) में देखा जा सकता है।

**तालिका 3.13 : 2013-14 में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु उद्यमों का वितरण**

| प्रमंडल | इकाइयों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अतिलघु | लघु | मध्यम | योग |
| पटना | 759 (25.4) | 64 (48.9) | 4 (36.4) | 827 (26.4) |
| मुंगेर | 299 (10) | 4 (3.1) | 0 (0) | 303 (9.7) |
| भागलपुर | 102 (3.4) | 0 (0) | 0 (0) | 102 (3.3) |
| पूर्णिया | 243 (8.1) | 5 (3.8) | 0 (0) | 248 (7.9) |
| मगध | 364 (12.2) | 14 (10.7) | 0 (0) | 378 (12.1) |
| दरभंगा | 197 (6.6) | 9 (6.9) | 0 (0) | 206 (6.6) |
| कोशी | 324 (10.8) | 3 (2.3) | 0 (0) | 327 (10.4) |
| तिरहुत | 527 (17.6) | 5 (3.8) | 2 (18.2) | 534 (17.0) |
| सारण | 160 (5.3) | 4 (3.1) | 0 (0) | 164 (5.2) |
| बिआडा | 16 (0.5) | 23 (17.6) | 5 (45.5) | 44 (1.4) |
| योग | 2991 (100.0) | 131 (100.0) | 11 (100.0) | 3133 (100.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत हिस्से को व्यक्त करते हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## 3.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2013-14 में संपूर्ण भारत के स्तर पर कुल 50,460 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई जिनमें कुल 1,075 करोड़ रु. की मार्जिन मनी संलग्न थी और उनसे 3.69 लाख लोगों को रोजगार मिलना अनुमानित है। इसके बरअक्स, बिहार में 3,645 इकाइयों के लिए कुल 82.80 करोड़ रु. की मार्जिन मनी स्वीकृत की गई। हालांकि मात्र 3093 इकाइयों (85 प्रतिशत) के बीच ही 76.76 करोड़ रु. मार्जिन मनी वितरित की गई जिनसे 19.9 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ऋण से जुड़ी सब्सिडी वाले इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाता है। इन अभिकरणों में जिला उद्योग केंद्र मुख्य अभिकरण है जिसके जरिए कुल मार्जिन मनी के 82.2 प्रतिशत भाग (63.07 करोड़ रु.) का वितरण 2576 अर्थात 83.3 प्रतिशत इकाइयों के बीच किया गया जिनके जरिए 16.7 हजार व्यक्तियों (83.9 प्रतिशत) को रोजगार मिलने का अनुमान है (तालिका 3.14)। वितरण में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का हिस्सा 11 प्रतिशत और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का 6 प्रतिशत के आसपास था। वर्ष 2013-14 में लाभार्थियों की संख्या और मार्जिन मनी की रकम 2011-12 और 2012-13 से कम थी (तालिका प 3.4)(परिशिष्ट)।

**तालिका 3.14 : 2013-14 में बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत स्वीकृति और वितरण**

| अभिकरण | 2013-14 के लिए लक्ष्य | | प्राप्त आवेदन (सं.) | स्वीकृत आवेदन | | वितरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संलग्न रकम (करोड़ रु.) | | संख्या | संलग्न रकम (करोड़ रु.) | संख्या | संलग्न रकम (करोड़ रु.) | रोजगार (सं.) |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 559 (10.0) | 12.85 (10.0) | 543 (2.9) | 358 (9.8) | 9.82 (11.9) | 341 (11.0) | 9.01 (11.7) | 2267 (11.4) |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 559 (10.0) | 12.85 (10.0) | 1262 (6.6) | 194 (5.3) | 5.55 (6.7) | 176 (5.7) | 4.68 (6.1) | 926 (4.7) |
| जिला उद्योग केंद्र | 4473 (80.0) | 102.88 (80.0) | 17233 (90.5) | 3093 (84.9) | 67.43 (81.4) | 2576 (83.3) | 63.07 (82.2) | 16684 (83.9) |
| योग | 5591 (100.0) | 128.58 (100.0) | 19038 (100.0) | 3645 (100.0) | 82.80 (100.0) | 3093 (100.0) | 76.76 (100.0) | 19877 (100.0) |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

### 3.5 कृषि आधारित उद्योग

भारत में कृषि आधारित उद्योगों, खास कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आहार-श्रृंखला सुविधाओं के सृजन, रोजगार सृजन और निर्यात से आय के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की भारी संभावना के चलते 'उदीयमान उद्योग' माना जाता है।

फल और सब्जियों के उत्पादन के लिहाज से बिहार देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य है और इस कारण राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मौजूद हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। खाद्य प्रसंस्करण के अलावा पेय, तंबाकू आदि के अंतर्गत ढेर सारे उत्पाद शामिल हैं जिनमें निवल मूल्यवर्धन तथा रोजगार के लिहाज से अच्छी संभावना है। राज्य में चाय और दुग्ध उद्योगों का भी फैलाव शुरू हो गया है। बिहार में अनेक प्रकार के फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य में 2013-14 में कुल 290 हजार हेक्टेयर जमीन फलों की और 778 हजार हे. जमीन सब्जियों की खेती के अंतर्गत थी (तालिका 2.7)। उत्पादन के लिहाज से केला, आम, अमरुद और लीची राज्य के प्रमुख फल हैं। वर्ष 2013-14 में कुल 3,777 हजार टन फलों का उत्पादन हुआ था (तालिका 2.8)। वर्ष 2013-14 में हुए फलों के कुल उत्पादन में केला का 38 प्रतिशत और उसके ठीक बाद आम का 34 प्रतिशत हिस्सा था। कुल फल उत्पादन में अमरुद और लीची का लगभग छः-छः प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2013-14 में राज्य में सब्जियों का कुल उत्पादन 15,629 हजार टन था। सब्जियों में आलू एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका कुल उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण सब्जियों में प्याज (8 प्रतिशत), टमाटर और फूलगोभी (7-7 प्रतिशत) प्रमुख हैं (तालिका 2.7)। राज्य में व्यावसायिक आधार पर फूलों की खेती भी शुरू हो गई है और 2013-14 में 793 हे. जमीन पर कुल 8,831 टन फूलों का उत्पादन हुआ। फूलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गेंदा का है जिसका कुल उत्पादन में 77 प्रतिशत हिस्सा था (तालिका 2.9)।

<u>खाद्य प्रसंस्करण</u>

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दिसंबर 2013 तक कुल 191 परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिनका कुल परियोजना व्यय 2,606 करोड़ रु. था और उनके लिए 202 करोड़ रु. अनुदान विमुक्त किया गया था। उनमें 15,181 लोगों के लिए रोजगार सृजन अनुमानित है (तालिका 3.15)। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 111 ने ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था। सितंबर 2014 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 328 हो गई और कुल लागत 3,871 करोड़ रु.। इनमें से 180 में व्यावसायिक उत्पादन होने लगा है। विमुक्त अनुदान बढ़कर 294 करोड़ रु. और अनुमानित रोजगार बढ़कर 21,240 हो गया। तालिका 3.15 में यह भी दिखता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः तीन प्रकार के हैं - चावल कुटाई, गेहूं पिसाई और मक्का पिसाई। दिसंबर 2013 से सितंबर 2014 के बीच के नौ महीनों के दौरान राज्य में 30 चावल मिल, 6 गेहूं मिल और 11 मक्का मिल इकाइयों का आरंभ हुआ। राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में यह अच्छा-खासा योगदान है।

**तालिका 3.15 : 2013-14 में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धियां**

| सितंबर, 2014 तक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| परियोजना | भौतिक प्रगति | | वित्तीय प्रगति (रकम लाख रु. में) | | रोजगार (संख्या) |
| | इकाइयों की कुल संख्या | व्यावसायिक उत्पादन वाली इकाइयों की संख्या | स्वीकृत परियोजना व्यय | प्रगति के अनुरूप विमुक्त अनुदान | |
| चावल मिल | 139 | 67 | 122825.47 | 9134.92 | 4614 |
| गेहूं मिल | 36 | 19 | 31263.77 | 3218.00 | 2215 |
| मक्का प्रसंस्करण | 33 | 21 | 39114.16 | 2473.12 | 1348 |
| ग्रामीण कृषि व्यापार केंद्र (RABC) | 51 | 24 | 45019.54 | 5095.46 | 1816 |
| फल एवं सब्जी प्रसंस्करण | 14 | 12 | 10193.80 | 1023.42 | 532 |
| दूध प्रसंस्करण | 10 | 4 | 13533.18 | 1063.92 | 584 |
| मखाना प्रसंस्करण | 3 | 2 | 369.69 | 64.82 | 56 |
| शहद प्रसंस्करण | 2 | 2 | 224.14 | 69.80 | 32 |
| बिस्कुट निर्माण | 8 | 8 | 19400.83 | 2361.90 | 1861 |
| खाद्य तेल निर्माण | 9 | 8 | 48224.05 | 2754.39 | 1941 |
| आइसक्रीम | 4 | 2 | 1073.38 | 184.37 | 64 |
| अन्य परियोजनाएं | 17 | 11 | 22228.36 | 1770.76 | 1388 |
| फूड पार्क | 2 | 0 | 33611.67 | 150.00 | 4789 |
| **योग** | **328** | **180** | **387082.00** | **29364.88** | **21240** |
| दिसंबर, 2013 तक | | | | | |
| परियोजना | भौतिक प्रगति | | वित्तीय प्रगति (रकम लाख रु. में) | | रोजगार (संख्या) |
| | इकाइयों की कुल संख्या | व्यावसायिक उत्पादन वाली इकाइयों की संख्या | स्वीकृत परियोजना व्यय | प्रगति के अनुरूप विमुक्त अनुदान | |
| चावल मिल | 68 | 37 | 59047.94 | 5993.04 | 2361 |
| गेहूं मिल | 21 | 13 | 17584.89 | 2137.55 | 941 |
| मक्का प्रसंस्करण | 20 | 10 | 25761.08 | 880.42 | 735 |
| ग्रामीण कृषि व्यापार केंद्र (RABC) | 36 | 19 | 30313.77 | 3952.11 | 1175 |
| फल एवं सब्जी प्रसंस्करण | 10 | 6 | 5702.34 | 1012.86 | 356 |
| दूध प्रसंस्करण | 7 | 4 | 11329.96 | 619.96 | 479 |
| मखाना प्रसंस्करण | 2 | 2 | 278.79 | 7.28 | 44 |
| शहद प्रसंस्करण | 2 | 2 | 224.14 | 81.15 | 32 |
| बिस्कुट निर्माण | 4 | 4 | 16615.07 | 2000.00 | 1581 |
| खाद्य तेल निर्माण | 7 | 5 | 45151.70 | 1990.59 | 1898 |
| अन्य परियोजनाएं | 12 | 9 | 14985.35 | 1570.76 | 790 |
| फूड पार्क | 2 | 0 | 33611.67 | 0.00 | 4789 |
| **योग** | **191** | **111** | **260606.7** | **20245.71** | **15181** |

स्रोत : खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस क्षेत्र को अभी निम्नलिखित योजनाओं के तहत विशेष सहायता दे रहा है :

(i) समेकित विकास परियोजना : इस परियोजना के तहत संकुल योजना की जारी सब्सिडी 40 प्रतिशत देय होगी जो व्यक्तिगत इकाइयों के लिए 35 प्रतिशत देय रखी गई है। अभी तक 254 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 153 परियोजनाओं ने व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दिया और कुल 19,934 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2013-14 में 152 परियोजनाओं के लिए 657.53 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 223.47 करोड़ रुपए विमुक्त किए गए थे। परियोजना द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :

(a) संकुल योजना के तहत क्षमता विस्तार के लिए अधिकतम 10 करोड़ रु. और व्यक्तिगत इकाई के लिए 5 करोड़ रु. सब्सिडी देय है।

(b) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं/ विकलांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी देय है।

(c) 50 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. परियोजना व्यय के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 100 करोड़ से अधिक परियोजना व्यय के लिए 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी देय है।

(ii) फूड पार्क योजना : इस योजना के तहत देय सब्सिडी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रु. है। बक्सर में एक फूड पार्क की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2013-14 में सब्सिडी भुगतान के लिए 30 करोड़ रु. की रकम स्वीकृत की गई थी।

(iii) स्थापित चावल मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजना : भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत आधुनिकीकरण के लिए पारंपरिक चावल मिलों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य द्वारा 15 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देय है। वर्ष 2012-13 के अंत तक केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए सब्सिडी के बतौर अपने अंशदान के 856 लाख रु. विमुक्त किए थे और राज्य का अंशदान 380 लाख रु. था। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने 907 लाख रु. की स्वीकृत राशि में से 229 लाख रु. की पहली किश्त विमुक्त की है। अभी तक सब्सिडी के बतौर कुल 809.84 लाख रु. वितरित किए गए हैं।

(iv) शीतगृह योजना : 5 से 10 हजार टन क्षमता वाले शीतगृहों को पूंजीगत व्यय पर 30 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। 10 हजार टन से अधिक क्षमता वाले शीतगृहों के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी। सब्सिडी की अधिकतम राशि 5 करोड़ रु. होगी।

(v) मक्का भंडारण के लिए खत्ती (सिलो) की स्थापना : इस योजना के तहत मक्का के भंडारण हेतु खत्तियों की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। 5 हजार टन मक्का के भंडारण लक्ष्य वाली खत्ती को एक इकाई माना जाएगा और इस पर 35 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी।

## छठी आर्थिक गणना

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा बिहार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के साथ मिलकर छठी आर्थिक गणना 2013 में 20 जून से 20 जुलाई के बीच गई। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल 17.15 लाख प्रतिष्ठान थे जिनमें से लगभग 71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 27.2 प्रतिशत घरों के बाहर स्थिर ढांचों के साथ अवस्थित थे और 14.70 प्रतिशत घरों के बाहर स्थिर ढांचों के बिना। 28.10 प्रतिशत प्रतिष्ठानों के घरों के अंदर होने की सूचना है। कुल प्रतिष्ठानों में हथकरघा/ हस्तशिल्प का हिस्सा 3.39 प्रतिशत था जिनमें शहरी क्षेत्रों (2.80 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में (3.64 प्रतिशत) अधिक प्रतिष्ठान अवस्थित थे। पांचवीं आर्थिक गणना 2005 में हुई थी और छठी 2013 में हुई। बीच के 8 वर्षों में प्रतिष्ठानों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। तालिका 3.16 पर एक नजर डालने से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण बिहार में प्रतिष्ठानों की विकास दर 45 प्रतिशत थी जो शहरी क्षेत्रों (30 प्रतिशत) से काफी अधिक है (तालिका प 3.5)(परिशिष्ट)।

जहां तक प्रतिष्ठानों में रोजगार की बात है, तो छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार 17 लाख से कुछ अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 30 लाख कामगार कार्यरत हैं। यह दर्शाती है कि गत गणना से कामगारों की संख्या में लगभग 32 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि प्रतिष्ठानों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। छठी गणना में महिला कामगारों का अनुपात 14.58 प्रतिशत दर्ज किया गया। किराए के कामगारों का अनुपात लगभग 40 प्रतिशत था और शेष कामगार अपने लोग थे। किराए के कामगारों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों (36 प्रतिशत) की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में (47 प्रतिशत) अधिक पाया गया।

**तालिका 3.16 : बिहार में पांचवीं ( 2005 ) और छठी आर्थिक गणना ( 2013 ) के तुलनात्मक आंकड़े**

| मद | छठी आर्थिक गणना (2013) | | | पांचवीं आर्थिक गणना (2005) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग |
| प्रतिष्ठानों की संख्या (लाख) | 12.11 | 5.04 | 17.15 | 8.35 | 3.89 | 12.25 |
| प्रतिशत हिस्सा | 70.60 | 29.40 | 100.00 | 68.22 | 31.78 | 100.00 |
| नियोजित व्यक्तियों की संख्या | 19.93 | 10.01 | 29.94 | 14.05 | 8.65 | 22.70 |
| प्रतिशत हिस्सा | 66.57 | 33.43 | 100.00 | 61.90 | 38.10 | 100.00 |
| कुल नियोजित व्यक्तियों में किराए के कामगारों का प्रतिशत | 35.92 | 46.66 | 39.51 | 44.80 | 57.50 | 49.80 |
| कुल नियोजित व्यक्तियों में कुल महिला कामगारों का प्रतिशत | 17.19 | 9.37 | 14.58 | 11.00 | 6.70 | 9.30 |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समेकित विकास हेतु दृष्टिमूलक प्रलेख, 2015 में 16 व्यापार योजनाओं को चिन्हित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए चार परियोजना प्रबंधन अभिकरणों (PMA) आइएल एंड एफएस-सीडीआइ, श्रेयी, दारा शॉ और स्पा को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है। उनके दायित्वों में परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक के हर कदम शामिल हैं जिनमें उद्यमियों की पहचान, कार्यस्थलों का चयन, विशेष प्रयोजन माध्यम ((SPV)) का चुनाव और संगठन, तकनीक के स्रोत, बाजार के साथ संपर्क, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण, परियोजना स्वीकृति, सब्सिडी उपलब्ध कराना और परियोनजाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को आश्वयकता आधारित परामर्श देना शामिल है। इन कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन अभिकरणों को कुल परियोजना व्यय की 2 प्रतिशत रकम शुल्क के बतौर दी जाती है - 1 प्रतिशत परियोजना विकास एवं क्रियान्वयन शुल्क और 1 प्रतिशत परियोजना के पूरा हो जाने के बाद सफलता शुल्क के बतौर। अभी तक 229 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। खास प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्श शुल्क भुगतान हेतु 467.12 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में रेशम विकास परियोजनाओं के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्श शुल्क के बतौर 5. 50 लाख रु. का भुगतान किया गया और बंजरभूमि के मानचित्रण के लिए 26.23 लाख रु. स्वीकृत किए गए।

<u>चीनी उद्योग</u>

चीनी उद्योग राज्य में कृषि आधारित उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो उत्पादन इकाइयों में प्रत्यक्ष रोजगार और सहायक तथा अपनी विभिन्न संबंधित गतिविधियों के जरिए अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। बिहार में चीनी और सहवर्ती उद्योगों की जबर्दस्त संभावना है। राज्य में कुल 53 लाख हे. के आसपास कृष्य भूमि मौजूद है जिसमें से लगभग 3 लाख हे. पर ईख की खेती होती है। इसकी बड़े पैमाने पर खेती के लिहाज से सरकार ने ईख आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी सुदृढ़ीकरण होगा। चीनी मिलों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक रियायतों और छूटों के प्रावधान किए गए हैं जिसमें ईथेनॉल और विरूपित स्पिरिट पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत करना और ईथेनॉल तथा शराब पर लीटरेज शुल्कों की समाप्ति शामिल है।

राज्य में मौजूद 28 पुराने चीनी मिलों में से 18 रुग्ण है और मात्र 9 कार्यशील हैं; सारे के सारे निजी क्षेत्रों में हैं। बिहार राज्य चीनी निगम के तहत 2 नए चीनी मिल हैं जिन्हें 2011 में लीज के आधार पर एचपीसील को सौंप दिया गया था। वर्ष 2013-14 के पेराई मौसम के दौरान कार्यशील चीनी मिलों द्वारा कुल 664.00 लाख टन ईख की पेराई हुई (तालिका 3.17)। वर्ष में ये मिल औसतन 127 दिन चालू थे और 8.96 प्रतिशत चीनी प्राप्ति की दर से कुल 59.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। ईख की फसल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका प 3.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.17 : चीनी मिलों का प्रदर्शन (2011-12, 2012-13 और 2013-14)**

| चीनी मिल का नाम | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
| बगहा | 50.61 | 4.99 | 9.84 | 48.90 | 4.31 | 8.81 | 82.49 | 7.89 | 9.56 |
| हरिनगर | 94.61 | 8.96 | 9.47 | 90.15 | 7.86 | 8.72 | 139.00 | 12.94 | 9.31 |
| नरकटियागंज | 78.79 | 7.65 | 9.71 | 69.50 | 6.26 | 9.01 | 95.44 | 9.11 | 9.55 |
| मझौलिया | 44.87 | 4.23 | 9.30 | 30.73 | 2.73 | 8.88 | 60.75 | 5.33 | 8.77 |
| मोतीपुर | बंद | | | 2.43 | 0.10 | 4.12 | बंद | | |
| सासामुसा | 21.09 | 2.06 | 9.51 | 19.13 | 1.73 | 9.04 | 28.75 | 2.56 | 8.90 |
| गोपालगंज | 39.19 | 3.72 | 9.50 | 35.65 | 3.06 | 8.58 | 50.25 | 4.53 | 9.01 |
| सिधवलिया | 47.01 | 4.43 | 9.43 | 38.85 | 3.51 | 9.03 | 62.62 | 5.66 | 9.04 |
| रीगा | 48.13 | 4.48 | 9.31 | 29.53 | 2.56 | 8.67 | 52.84 | 4.70 | 8.89 |
| हसनपुर | 31.17 | 2.95 | 9.48 | 26.82 | 2.45 | 9.13 | 35.27 | 2.94 | 8.34 |
| **उप-योग** | **455.47** | **43.47** | **9.54** | **391.69** | **34.57** | **8.83** | **607.41** | **55.66** | **9.16** |
| नए चीनी मिल | | | | | | | | | |
| लौरिया | 15.29 | 0.66 | 4.32 | 13.12 | 0.64 | 4.88 | 26.17 | 1.80 | 6.88 |
| सुगौली | 17.54 | 0.97 | 5.53 | 13.11 | 0.67 | 5.11 | 30.42 | 2.04 | 6.71 |
| **उप-योग** | **32.83** | **1.63** | **4.96** | **26.23** | **1.31** | **4.99** | **56.59** | **3.84** | **6.79** |
| **योग** | **488.30** | **45.10** | **9.24** | **417.92** | **35.88** | **8.59** | **664.00** | **59.50** | **8.96** |

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 3.1 : दो पेराई वर्षों में चीनी मिलों का प्रदर्शन स्तर**

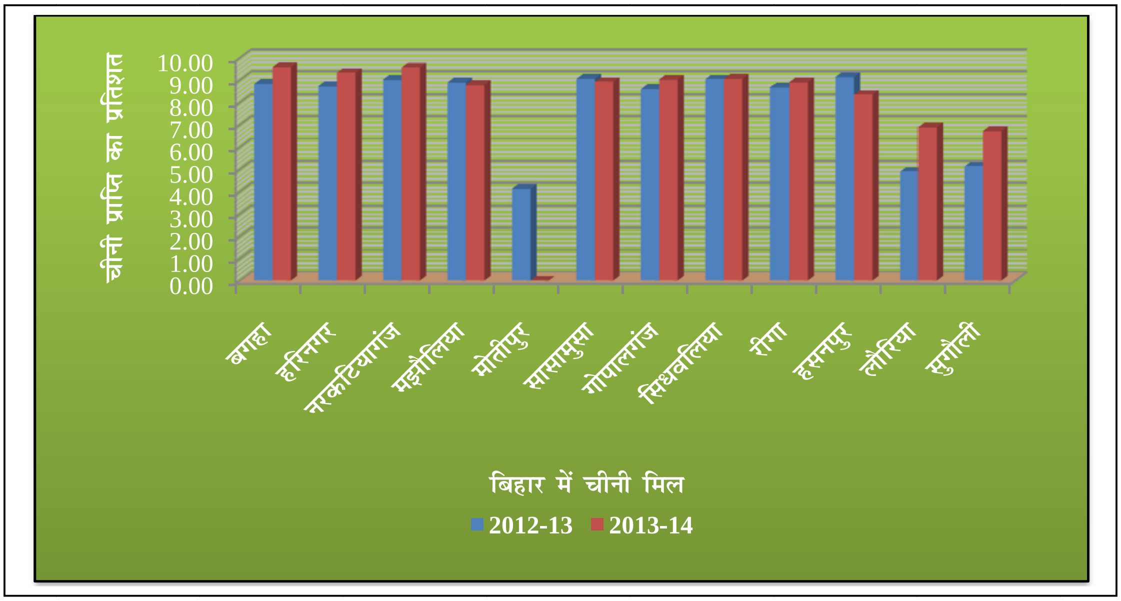

इस समय चीनी मिलों और ईख उत्पादकों के सहयोग के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :

(क) चीनी मिलों द्वारा घोषित उन्नत प्रजाति के प्रमाणित ईख बीजों की खरीद पर किसानों को 135 रु. प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जा रही है। किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा और एक बार सब्सिडी प्राप्त कर लेने के बाद वह उस प्रजाति पर अगले तीन वर्षों तक सब्सिडी पाने का हकदार नहीं होगा।

(ख) प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए किसानों के लिए 55 रु. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन सब्सिडी का प्रावधान है।

(ग) आधारिक बीजों के उत्पादन हेतु चीनी मिलों को भी 15,000 रु. प्रति हे. की दर से प्रोत्साहन सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा, प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है।

(घ) राज्य के बाहर से चुनी गई प्रजाति के ईख के उपयोग और ट्वेन विधि से रोपाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की भी सुविधा है।

(च) ईख के साथ अंतर्वर्ती फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि और फसल की सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी का प्रावधान है।

(छ) तकनीकी प्रकाशन और प्रसार योजना की भी व्यवस्था है जिनकी सघन निगरानी और अनुश्रवण किया जाता है।

ईख की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बावजूद बिहार में उत्पादकता कम है। ईख की ऐसी निम्न उत्पादकता के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) इस समय ईख की खेती वाली 25-30 प्रतिशत जमीन पर ही सिंचाई सुविधा मौजूद है और इस सिंचित क्षेत्र पर भी औसतन एक-दो बार ही सिंचाई की जाती है क्योंकि अप्रील से जून के बीच नहरों में पानी उपलब्ध नहीं रहता है।

(ii) राज्य ईख के अधिक उपज वाले प्रभेदों की कमी का सामना कर रहा है। ईख शोध संस्थान और चीनी मिलों के साथ मिलकर राज्य सरकार इस समस्या के समाधान का प्रयास कर रही है।

(iii) ईख की समय से खरीद और किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने जीपीएस की शुरुआत की है।

(iv) चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान में होने वाले विलंब के कारण ईख की खेती के क्षेत्रफल में वांछित विस्तार नहीं हुआ है।

(v) तकनीकी ज्ञान और प्रचार की अपर्याप्तता का ईख की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा ईख वैज्ञानिक इस बात से अवगत हैं और इस समस्या से पार पाने पर काम कर रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन

पारंपरिक रूप से बिहार में पशुपालन को मुख्यतः दूध की घरेलू जरूरत पूरी करने के साधन के बतौर लिया जाता रहा है। लेकिन इस समय दूध उत्पादन को उद्योग के बतौर देखा जाता है। वर्ष 1983 में स्थापित बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्फेड) ने राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। यह राज्य में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिकरण है और इसने श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। परिवारों, खास कर छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के जरिए इसने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान किया है। दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कॉम्फेड ने गुजरात के आनंद का पैटर्न अपनाया है। यह त्रिस्तरीय पैटर्न है जिसके तहत ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ होता है। वर्ष 2013-14 में कॉम्फेड ने एक कदम आगे बढ़कर देश के दुग्ध महासंघों के बीच सातवां स्थान हासिल कर लिया।

राज्य में दुग्ध उत्पादन के विकास हेतु एक रोडमैप (2012-17) तैयार किया गया है और तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुग्ध संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। फलतः मार्च 2014 में कॉम्फेड ने एक दिन में अधिकतम 20.61 लाख लीटर दूध संग्रहित करने की उपलब्धि हासिल की और सफलतापूर्वक उसका प्रसंस्करण भी किया। वर्ष 2011-12 में नालंदा और डेहरी-ऑन-सोन में दो बड़ी दुग्धशालाओं को चालू किया गया। वर्ष 2013-14 में सात-सात लाख लीटर क्षमता वाली दो दुग्धशालाओं के निर्माण, 90 टन क्षमता की दुग्ध चूर्ण निर्माण और 40 हजार क्षमता की आइसक्रीम निर्माण करने वाली मशीनों की स्थापना और 300 टन क्षमता की पशु चारा बनाने वाले कारखाने के निर्माण का काम शुरू किया गया है। अभी तक 1,676 सहकारी समितियों में स्वचालित दुग्ध संग्रहण मशीनें और 2,312 सहकारी समितियों में दूध जांच के उपकरण लगाए गए हैं। इस प्रकार, जहां 2013-14 में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में दुग्ध संग्रहण में मात्र 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, वहीं कॉम्फेड को 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने में कामयाबी हासिल हुई।

दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां

संगठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 2009-10 के 8,561 से इनकी संख्या लगभग दूनी होकर 2013-14 में 15,675 हो गई है (तालिका 3.18)। वर्ष 2013-14 में कुल संगठित समितियों में से 1,407 महिला समितियां थीं। पुनः, 2014-15 के पहले छः महीनों (सितंबर, 2014 तक) के दौरान संगठित दुग्ध उत्पादन समितियों की संख्या में 4.45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हालांकि 2013-14 में कुल संगठित सहयोग समितियों में से मात्र 76 प्रतिशत कार्यशील थीं और मात्र 32 प्रतिशत निबंधित थीं। यह भी गौरतलब है कि दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों का फैलाव एक जैसा नहीं है। वर्ष 2013-14 में पटना में

सर्वाधिक संख्या में समितियों के होने की सूचना थी जिसके बाद आरा, बरौनी और समस्तीपुर का स्थान था। कोशी संघ में सबसे कम समितियां थीं।

**तालिका 3.18 : दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की स्थिति ( 2013-14 )**

| संघ/ परियोजना | संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | संगठित समितियां | कार्यशील समितियां | निर्बंधित समतियां |
| वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना | 3623 | 2631 | 1200 |
| देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी | 2020 | 1854 | 1039 |
| मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर | 1926 | 1689 | 848 |
| तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर | 1709 | 1754 | 791 |
| शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा | 2686 | 2173 | 1205 |
| विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर | 1205 | 784 | 163 |
| मगध दुग्ध परियोजना, गया | 1286 | 971 | 135 |
| कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया | 1162 | 752 | 27 |
| रांची/ जमशेदपुर/ बोकारो | 58 | 46 | 12 |
| **योग** | **15675** | **12654** | **5420** |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

<u>दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की सदस्यता</u>

विगत वर्षों में संगठित दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, उनकी सदस्यता भी 2009-10 के 4.63 लाख से लगभग दूनी होकर 2013-14 में 8.73 लाख हो गई। हालांकि प्रति संगठित सहयोग समिति सदस्यता 2009-10 में 54 थी जो 2013-14 में थोड़ा घटकर 52 रह गई। यह भी देखा गया है कि 2013-14 में कुल सदस्यों में से लगभग 50 प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों के और 9.6 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के थे। कुल सदस्यों में महिला सदस्यों का 15 प्रतिशत हिस्सा था।

**चार्ट 3.2 : दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां और सदस्यता**

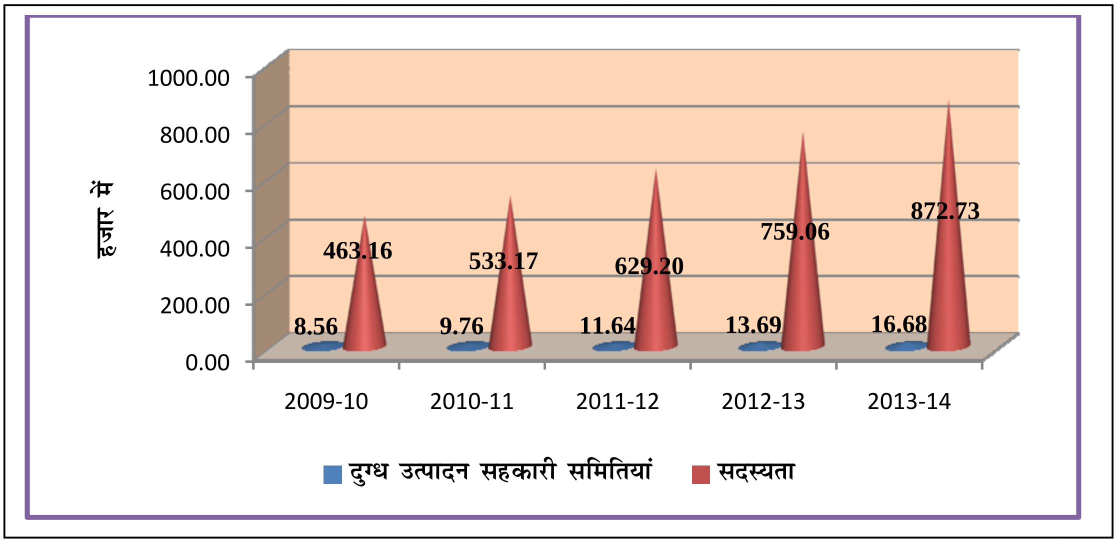

दुग्ध संग्रहण

काम्फेड द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण की मात्रा लगातार बढ़ी है। यह 2007-08 के 4.79 लाख किग्रा के बढ़कर 2013-14 में 14.94 किग्रा हो गई जो 7 वर्षों की अवधि में 200 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्शाती है। लगभग सभी वर्षों में दैनिक दुग्ध संग्रहण सबसे अधिक बरौनी संघ में हुआ और उसके ठीक बाद समस्तीपुर के मिथिला दुग्ध संघ में। वर्ष 2014-15 में (सितंबर, 2014 तक) इन संघों का दैनिक संग्रहण अपेक्षाकृत अधिक रहा है। वर्ष 2014-15 में (सितंबर, 2014 तक) कुल दैनिक संग्रहण 2013-14 की अपेक्षा लगभग 3 प्रतिशत अधिक था।

**तालिका 3.19 : दैनिक दुग्ध संग्रहण में संघों और परियोजनाओं की प्रगति**

(हजार किलोग्राम में)

| संघ/ परियोजना | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना | 127.79 | 92.15 | 151.31 | 221.23 | 210.15 | 224.85 | 282.09 |
| देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी | 136.99 | 119.89 | 222.85 | 333.08 | 314.12 | 343.8 | 375.2 |
| मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर | 106.04 | 104.21 | 175.79 | 248.14 | 250.98 | 282.99 | 340.57 |
| तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर | 53.66 | 45.94 | 80.72 | 118.13 | 115.12 | 133.53 | 181.87 |
| शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा | 38.23 | 28.63 | 66.28 | 123.75 | 129.44 | 176.17 | 206.24 |
| विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर | 10.52 | 19.5 | 29.82 | 35.05 | 35.73 | 48.34 | 54.88 |
| मगध दुग्ध परियोजना, गया | 2.56 | 2.22 | 4.88 | 10.76 | 7.5 | 13.19 | 22.55 |
| कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया | 0 | 0 | 2.53 | 6.29 | 7.13 | 15.55 | 20.98 |
| रांची/ जमशेदपुर/ बोकारो | 3.64 | 2.94 | 4.61 | 4.95 | 4.76 | 6.48 | 9.61 |
| **योग** | **479.43** | **415.48** | **738.79** | **1101.38** | **1074.93** | **1244.9** | **1493.99** |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

**चार्ट 3.3 : दूध का औसत दैनिक संग्रहण**

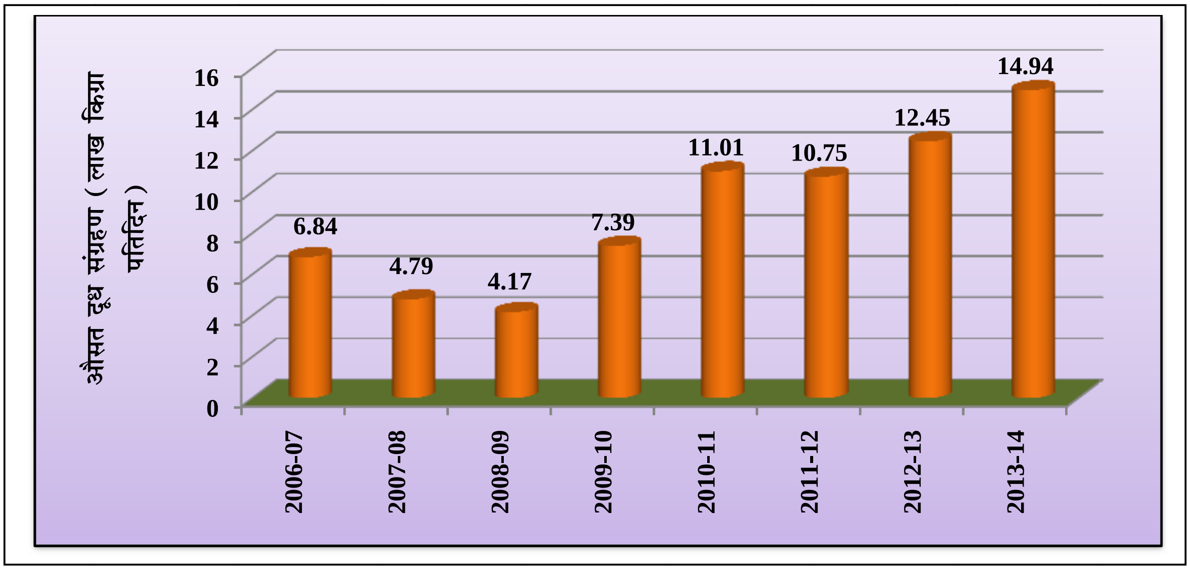


प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दैनिक दुग्ध खरीद की बात करें, तो यह 2012-13 के 118 किग्रा से बढ़कर 2013-14 में 142 किलोग्राम हो गया लेकिन इसे 2010-11 के स्तर (159 किलोग्राम) तक पहुंचना

अभी भी बाकी है (तालिका 3.20)। दुग्ध संघों में सर्वाधिक दुग्ध संग्रहण बरौनी में (230 किलोलीटर) था और सबसे कम मगध में (40 किलोलीटर) हुआ।

**तालिका 3.20 : प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण**

(मात्रा किलोलीटर प्रतिदिन में)

| संघ/ इकाई | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर, 2014 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 102.09 | 136.47 | 101.50 | 97.37 | 122.17 | 101.22 |
| बरौनी | 214.69 | 300.07 | 213.10 | 210.40 | 229.62 | 205.13 |
| मुजफ्फरपुर | 78.90 | 91.17 | 87.60 | 87.91 | 119.73 | 95.76 |
| समस्तीपुर | 203.22 | 250.64 | 216.50 | 202.28 | 243.44 | 185.04 |
| शाहाबाद | 74.64 | 102.02 | 78.80 | 90.02 | 105.39 | 99.56 |
| भागलपुर | 108.05 | 116.83 | 84.30 | 74.83 | 84.95 | 85.80 |
| मगध | 17.67 | 29.90 | 18.80 | 23.64 | 40.41 | 33.25 |
| रांची दुग्धशाला | 96.00 | 130.30 | 212.50 | 140.89 | 213.55 | 275.00 |
| कोशी | 18.67 | 34.75 | 23.50 | 34.02 | 45.90 | 32.61 |
| **योग** | **122.49** | **158.77** | **121.80** | **118.29** | **141.96** | **116.59** |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

देखा गया कि 2013-14 में कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण 14.94 लाख किग्रा था जबकि औसत दैनिक विपणन 10.76 लाख किग्रा (तालिका 3.21)। बिहार के अलावा दुग्ध उत्पादों का विपणन जमशेदपुर, रांची, बोकारो और दिल्ली में भी किया जाता है।

**तालिका 3.21 : संघ द्वारा दूध का विपणन**

(हजार किग्रा में)

| संघ/ परियोजना | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना | 140.31 | 148.83 | 151.16 | 160.36 | 177.36 | 186.72 | 205.43 |
| देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी | 54.29 | 59.15 | 55.79 | 55.46 | 66.78 | 81.91 | 96.93 |
| मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर | 65.93 | 79.37 | 85.12 | 85.07 | 100.22 | 110.51 | 124.8 |
| तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर | 62.32 | 73.05 | 83.27 | 80.28 | 88.4 | 102.51 | 114.94 |
| शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा | 17.52 | 22.08 | 27.36 | 28.52 | 34.19 | 37.36 | 49.37 |
| विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर | 10.06 | 11.61 | 15.25 | 16.18 | 20.63 | 23.67 | 29.07 |
| मगध दुग्ध परियोजना, गया | 16.55 | 20.17 | 25.47 | 26.17 | 32.32 | 38.64 | 43.4 |
| कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया | | | 14.62 | 16.91 | 25.87 | 31.46 | 40.93 |
| जमशेदपुर दुग्धशाला | 85.88 | 90.96 | 103.57 | 111.83 | 121.35 | 123.06 | 129.59 |
| रांची दुग्धशाला | 66.84 | 65.34 | 78.45 | 83.79 | 90.18 | 99.85 | 109.59 |
| बोकारो दुग्धशाला | 53.45 | 51.56 | 56.14 | 56.71 | 59.23 | 63.36 | 69.31 |
| दिल्ली | | | | | | 20.86 | 53.1 |
| बिहारशरीफ | | | | | | | 9.57 |
| **योग** | **573.15** | **622.12** | **696.2** | **721.28** | **816.53** | **919.91** | **1076.03** |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

**चार्ट 3.4 : दूध का औसत दैनिक विपणन**

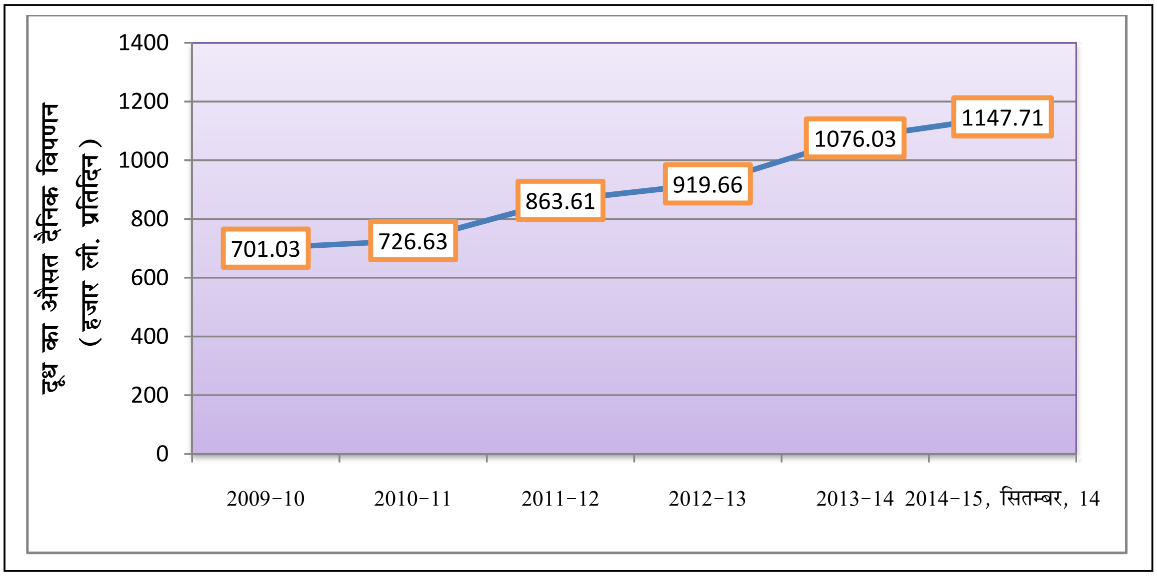


कॉम्फेड द्वारा 'सुधा' ब्रांड नाम से विपणन किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की भारी मांग है। तालिका 3.22 में देखा जा सकता है कि दूध के अलावा सादा दही, लस्सी, पनीर, घी आदि अन्य दुग्ध उत्पाद विपणन के लिहाज से हर साल नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। 6,700 विक्रय केंद्रों के जरिए दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 105 शहरों में किया जा रहा है। दुग्धशालाएं अनेक प्रकार के लंबे समय तक टिकाऊ, उच्च मूल्यवर्धित और ताजा दुग्ध उत्पादन में लगी हुई हैं।

**तालिका 3.22 : कॉम्फेड द्वारा विभिनन दुग्ध उत्पादों का विपणन**

(टन में)

| दुग्ध उत्पाद | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|
| घी | 1270.14 | 1322.73 | 1716.93 | 2042.72 |
| मक्खन (टेबल बटर) | 66.00 | 58.39 | 106.18 | 133.92 |
| आइसक्रीम | 584.82 | 663.30 | 1083.23 | 1247.60 |
| लस्सी | 4093.98 | 3242.49 | 6426.01 | 6747.38 |
| मीठा दही | 1219.10 | 1217.65 | 1503.49 | 1679.52 |
| पेड़ा | 769.70 | 745.33 | 1241.53 | 1637.94 |
| पनीर | 1936.35 | 2090.10 | 3022.00 | 3592.32 |
| सादा दही | 2856.70 | 3251.69 | 4628.10 | 6915.82 |
| कलाकंद | 167.83 | 173.10 | 184.36 | 242.47 |
| रसगुल्ले | 731.93 | 672.71 | 1278.42 | 1592.03 |
| गुलाबजामन | 462.59 | 565.93 | 1104.59 | 1330.96 |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

मखाना

फलों के बीच मखाना उद्योग के मामले में राज्य में कुछ सकारात्मक रुझान पैदा हुआ है। बिहार व्यावसायिक आधार पर मखाना का उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। यह बहुत पौष्टिक होता है और प्रोटीन की मात्रा के मामले में इसकी तुलना मछली/ मांस के साथ की जा सकती है। चीन में कच्चे मखाना के चूर्ण को बाल आहार की आवश्यक सामग्री माना गया है। देश के अंदर-बाहर इसका बड़ा बाजार है लेकिन अपनाई गई प्रौद्योगिकी पुरानी और श्रमबहुल है।

चाय

चाय एक कृषि आधारित उद्योग है जिसने राज्य में अपनी जड़ 1990 के दशक में जमाना शुरू किया। अब राज्य में चाय उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है और 25 हजार हे. से भी अधिक जमीन पर चाय की खेती हो रही है जिसका अधिकांश भाग किशनगंज जिले में है। जिले में चाय की खेती का 50 प्रतिशत हिस्सा पोठिया प्रखंड में 40 प्रतिशत ठाकुरगंज में और 10 प्रतिशत किशनगंज में है। बिहार में हर साल 40 लाख किग्रा से अधिक चाय उपजाई जाती है। किशनगंज में 7 चाय प्रसंस्करण संयंत्र मौजूद हैं जिनमें 2,300 टन से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। किशनगंज में अभी भी 50 से अधिक नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों की गुंजाइश है। अगर नए संयंत्र स्थापित होते हैं तो चाय उत्पादकों को चाय पत्ती पड़ोसी उत्तर बंगाल में नहीं ले जाना पड़ेगा। राज्य में चाय उद्योग की अग्रगति के लिए राज्य सरकार द्वारा चाय प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।

## 3.6 गैर-कृषि आधारित उद्योग

हथकरघा

राज्य में हाल के दशकों में हथकरघा क्षेत्र में लगातार गिरावट आती दिखी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन घटता ही गया है। हालांकि यह तथ्य अभी भी अपनी जगह पर है कि 1.32 लाख से भी अधिक बुनकर अपनी जीविका के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। राज्य में 1,089 प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां मौजूद हैं जिनके तहत लगभग 34 हजार हथकरघे चल रहे हैं। शीर्ष स्तर पर दो विपणन संगठन हैं : बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ, पटना और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, पटना। राज्य में एक निगम (बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम) मौजूद है जिसके 6 क्षेत्रीय हथकरघा संघ नालंदा, सीतामढ़ी, सीवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में अवस्थित हैं। राज्य के कुछ खास जिलों में कुछ खास उत्पादों के लिहाज से हथकरघा का संकेंद्रण है जिसे तालिका 3.23 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 3.23 : बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले**

| जिला | उत्पाद |
|---|---|
| भागलपुर | रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े |
| बांका | तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े |
| गया | रेशमी और सूती कपड़े |
| नालंदा | सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियां और निर्यात योग्य सजावटी कपड़े |
| नवादा | तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान |
| दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी | सूती कपड़ों के महीन थान, धोती, कमीज के कपड़े |
| औरंगाबाद, रोहतास | ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियां |
| कैमूर | ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां |
| पटना, सीवान | सूती कपड़े, सजावटी कपड़े, |
| पूर्णिया, कटिहार | जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां |

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

गौरतलब है कि बड़ी संख्या में बुनकर सहकारिता के दायरे से बाहर हैं। आइएल एंड एफएस को उद्योग विभाग द्वारा गया, पटना, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, सीवान और बिहारशरीफ स्थित सात हथकरघा संकुलों के नैदानिक सर्वेक्षण के लिए अधिदेशित किया गया था। अध्ययन से पता चला कि अधिकांश बुनकर अभी भी बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे थे जो व्यावसायिक रूप से सक्षम नहीं है। चूंकि बुनकर सहकारी संगठन कुल मिलाकर उन्हें सुविधा प्रदान करने में असफल रहे इसलिए आवश्यक है कि बुनकरों को संगठित किया जाय और उनके कार्यों को टिकाऊ स्तर तक पहुंचाया जाय। अध्ययन इस बात को भी सामने लाता है कि मात्र 54 प्रतिशत बुनकरों के पास अपने हथकरघे थे और शेष 46 प्रतिशत के पास व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथकरघे। लगभग 62 प्रतिशत बुनकरों के लिए बुनाई को आय का मुख्य स्रोत पाया गया। 50 प्रतिशत से भी अधिक बुनकरों की आय 2 हजार रु. प्रति माह से कम थी क्योंकि उन्हें पूरे महीने रोजगार नहीं मिलता है और वे महीने में 10-12 दिन खाली रहते हैं। बाढ़ के दौरान उनके काम 45 से 60 दिनों तक के लिए बंद हो जाते हैं। इसके कारण अधिकांश बुनकर गरीब बने रह जाते हैं और उनके पास आधुनिक करघे और बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपयोग में के लिए संसाधन नहीं रहता है।

राज्य में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमतावृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के आठ संस्थान हैं। वे चाकंद (गया), अमरपुर (बांका), ओबरा (औरंगाबाद), पटना शहर (पटना), बारन (भागलपुर), काको (जहानाबाद), झींगानगर (नालंदा) और पूर्णिया शहर (पूर्णिया) में अवस्थित हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को 300 रु. मासिक भुगतान किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 3.24 में प्रस्तुत हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों के पास पर्याप्त अधिसंरचना नहीं है और वे जीर्णशीर्ण भवनों में चलते हैं। अधिकांश करघे अच्छी स्थिति में नहीं हैं।

**तालिका 3.24 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां**

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रशिक्षुओं की सं.) |
|---|---|---|
| 2006-07 | 204 | 191 |
| 2007-08 | 204 | 192 |
| 2008-09 | 204 | 182 |
| 2009-10 | 204 | 159 |
| 2010-11 | 204 | 162 |
| 2011-12 | 204 | 164 |
| 2012-13 | 204 | 180 (जारी) |

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

राज्य में हथकरघा क्षेत्र जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें मुख्य हैं : (क) कच्चे माल की कमी, (ख) नए उत्पाद बनाने के लिहाज से प्रशिक्षण की कमी, (ग) समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त उत्पादन आधार, (घ) मूल्य निर्धारण की अनुपयुक्त प्रविधि, (च) ऋण सुविधाओं की अनुपलब्धता और (छ) बाजार के साथ अपर्याप्त संपर्क। इस पृष्ठभूमि में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरन अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना नामक एक महत्वाकांक्षी योजना का आरंभ 2012-13 में योजना मद से किया गया था जो बुनकरों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराती है :

(क) नए करघे की खरीद के लिए प्रति हथकरघा बुनकर 15,000 रु.,

(ख) माल खरीदने के लिए प्रति बुनकर 5,000 रु. का कॉर्पस कोष,

(ग) वर्कशेड (छावनी) बनाने के लिए प्रति बुनकर 40,000 रु.,

(घ) सघन हथकरघा जोन के लिए 40 सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना,

(च) विपणन में सहायता के लिए भागलपुर में 100 स्टॉल वाले और गया, औरंगाबाद, मधुबनी, पटना तथा सीवान में 50-50 स्टॉल वाले हाट की स्थापना,

(छ) भालगपुर और बांका में सूत डिपो के लिए कॉर्पस कोष का प्रावधान।

इसके अलावा, बुनकर पुरस्कार योजना, बुनकर वजीफा योजना और पावरलूम बुनकरों के लिए प्रति इकाई 150 रु. की प्रतिपूर्ति हेतु विद्युत टैरिफ योजना भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना की प्रगति तालिका प 3.7 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

<u>पावरलूम</u>

राज्य में 11 हजार पावरलूम हैं जो मुख्यत: भागलपुर, गया और बांका जिलों में संकेंद्रित हैं और मुख्य उत्पाद स्टेपल चादर, सजावटी कपड़े आदि हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर (भागलपुर) में अवस्थित है जहां हर वर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

रेशम उत्पादन

बिहार में रेशम उत्पादन की जबर्दस्त संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का आरंभ 2012-13 में किया गया था। इसके तहत बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और गया जिलों तथा उत्तर बिहार के कुछ जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों में, जहां अर्जुन और आसन के पेड़ लगाना संभव है, तसर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य योजना के तहत 170.90 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। योजना बारहवीं योजना अवधि के दौरान पूरी होगी। इस योजना के तहत मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) 13,525 हे. में तसर कीटों को भोजन देने वाले पैधों का रोपण और रेशम मित्र के नेतृत्व में 540 स्वयं सहायता समूहों के जरिए बीज उत्पादन और कीट पालन,

(ii) सामान्य सुविधा केंद्र के जरिए धागा उत्पादन के लिए 135 स्वयं सहायता समूहों का गठन,

(iii) पायलट परियोजना केंद्र का सुदृढ़ीकरण और

(iv) कॉकून बैंक की स्थापना।

**तालिका 3.25 : रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां**

| वर्ष | रेशम का प्रकार | वृक्षारोपण (हे.) | कॉकून पालन (लाख) | कुल कॉकून उत्पादन | कच्चा रेशम (टन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | मलबरी | 92.31 | 4.09 | 100.51 (मै.टन) | 12.34 |
| | तसर | 768.00 | 2.41 | 91.01 (लाख) | 7.30 |
| | अंडी | 191.50 | 0.40 | 3.17 (मै.टन) | 2.38 |
| 2013-14 | मलबरी | 117.00 | 5.07 | 122.73 (मै.टन) | 15.08 |
| | तसर | 608.00 | 7.10 | 386.94(लाख) | 37.89 |
| | अंडी | 575.00 | 0.81 | 6.50 (मै.टन) | 5.20 |

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों में मलबरी के विकास के लिए 118.04 करोड़ रु. के व्यय वाली मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना स्वीकृत की गई है जो 2016-17 तक चालू रहेगी। इसके तहत कुल 2,900 एकड़ निजी जमीन पर मनरेगा की धनराशि से मलबरी के पौधे लगाए जाएंगे। कीट पालन के लिए राज्य सरकार प्रशिक्षण, अध्ययन यात्रा, आर्थिक सहायता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सूत और कपड़ों के उत्पादन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। धागा उत्पादन के लिए प्रत्येक चिन्हित जिले में एक रीलिंग संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उत्पादित धागों का वितरण 'कोशिकी' ब्रांड नाम के तहत किया जाएगा। भागलपुर के बुनकरों को उन्नत/ नए करघे खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ष 1922 में स्थापित नाथनगर, भागलपुर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान रेशम उत्पादन में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है जिसमें धागे की रीलिंग, कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होती है। वर्ष 1978 में संस्थान द्वारा रेशम प्रौद्योगिकी में चारवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। अभी संस्थान रेशम प्रौद्योगिकी में द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहा है। किशनगंज और भागलपुर में एक-एक मलबरी

रीलिंग प्रशिक्षण केंद्र भी मौजूद हैं। ये केंद्र हर साल 40 व्यक्तियों को मलबरी रेशम की रीलिंग और कताई का प्रशिक्षण देते हैं। यहां आठ मलबरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केंद्र हैं जो हर साल 80 व्यक्तियों को मलबरी की खेती और कीटपालन का प्रशिक्षण देते हैं।

केंद्र प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत 2013-14 में 211 एक जमीन पर मलबरी के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के तहत 28 समूहों को सहायता प्रदान की गई और 134 किसानों को कीटपालन किट दिए गए। 768 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया और 275 को अध्ययन यात्रा पर ले जाया गया। 200 अंडी कीटपालकों को भी कीटपालन किट उपलब्ध कराए गए और उन्हें भी कीटपालन घर के लिए सहायता प्रदान की गई।

जूट

आइएल एंड एफएस ने जूट क्षेत्र के अवरोधों की पहचान के लिए एक अध्ययन किया है और इसके लिए एक कार्ययोजना की अनुशंसा की है। अनुशंसित आवश्यक हस्तक्षेपों में शामिल हैं : जूट पार्क की स्थापना, करघों का आधुनिकीकरण, प्रसंस्करण एवं डिजाइन केंद्र की स्थापना, डिजाइन और उत्पाद विकास हेतु नोडल केंद्र की स्थापना, जूट हेतु कच्चा माल बैंक की स्थापना आदि। सुझाव दिया गया है कि इन परियोजनाओं के निष्पादन का काम पेशेवर अभिकरणों को दिया जा सकता है। परियोजना का अनुमानित व्यय 59.00 करोड़ रु. है जिसमें से 16.20 करोड़ रु. का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

पूर्णिया जिले के मरांगा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत 42.36 करोड़ रु. के व्यय से एक जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार इस पार्क के लिए 7.50 करोड़ रु. सब्सिडी स्वीकृत करने पर सहमत हो गई है और उसमें राज्य सरकार का अंशदान 2.00 करोड़ रु. है। अपनी इक्विटी के अंश के बतौर राज्य सरकार पुनरासर जूट पार्क लि. को 44.20 एकड़ जमीन भी देगी जिसकी कीमत 1.67 करोड़ रु. होगी। इस पार्क में बुनियादी अधिसंरचनाएं उपलब्ध होंगी और यह 4,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 9,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। मरांगा में जूट पार्क में तीन इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और पुनरासर जूट पार्क लि. (धागा), तिरुपति कंपनी प्रा. लि. (अग्निसह धागा/ कपड़ा) तथा पर्पल क्रिएशन (कालीन/ चटाई) ने उत्पादन आरंभ कर दिया है।

चर्म उद्योग

बिहार गाय-बैलों की संख्या के मामले में समृद्ध राज्य है। देश के 8 प्रतिशत गाय-बैल राज्य में मौजूद हैं। फिर देश की लगभग 12.1 प्रतिशत बकरियां भी राज्य में मौजूद हैं। इस मामले में बिहार का पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद देश में तीसरा स्थान है। देश के 4.2 प्रतिशत भैंस-भैंसे और 1.9 प्रतिशत भेड़ें बिहार में मौजूद हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआइ), चेन्नई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में गाय-बैलों के 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। राज्य बकरों, गायों, भैंसों और बछड़ों के चमड़ों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए भी मशहूर है। बकरों के चमड़े छोटे आकार के होते हैं और चमकदार किड लेदर उत्पादों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माल होते हैं जिनका अधिकांशतः निर्यात किया जाता है।

राज्य में खालों और चमड़ों के लिए सात मुख्य मंडियां हैं - पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार (पबई) और पूर्णिया। भैंसों की खालों के मामले में आरा सबसे बड़ी मंडी है और भैंस के पाड़ों के चमड़ों के लिए मुजफ्फरपुर। पटना बकरों के चमड़ों के लिए बड़ी मंडी है। एक मोटे अनुमान के अनुसार, बकरों के सात-आठ हजार चमड़ों और गायों के दो-तीन हजार खालों से भरे तीन ट्रक रोज मुजफ्फरपुर से अन्य स्थानों के लिए भेजे जाते हैं। तमिलनाडु टैनर्स जैसी कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां अपने एजेंटों के जरिए बिहार की महत्वपूर्ण मंडियों से खालें और चमड़े इकट्ठा कराती है। स्थानीय चर्मशोधन उद्योग मुजफ्फरपुर में कुछ कार्यशील चर्मशोधन कारखानों और मोकामा घाट स्थित बाटा टैनरी तक ही सीमित हैं। फलतः अधिकांश कच्चे माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में जगह पाते हैं और बिहार इनके लाभों से वंचित रह जाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है जो इस क्षेत्र के लिए एकमात्र राष्ट्रीय नोडल अभिकरण है। राज्य स्तर पर आयोग राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग निदेशालयों और खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षदों के जरिए काम करता है। इसकी गतिविधियों में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शोध एवं विकास, विपणन आदि शामिल हैं और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है। ग्रामोद्योगों के मामले में आयोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का क्रियान्वयन कर रहा है। पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना (SFRTI) के तहत नोडल अभिकरण के बतौर आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग के पारंपरिक उत्पादों के लिए संकुल विकास को भी क्रियान्वित करता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुल रोजगार गत वर्ष के 124.76 लाख व्यक्तियों (10.71 लाख व्यक्ति खादी में और 114.05 लाख व्यक्ति गामोद्योग में) से बढ़कर 2013-14 में 140.38 लाख व्यक्तियों (10.98 लाख व्यक्ति खादी में और 129.40 लाख व्यक्ति गामोद्योग में) के लिए हो जाना अनुमानित है। उत्पादन, बिक्री और रोजगार के लिहाज से 2011-12 से 2013-14 तक खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र का संपूर्ण भारत के स्तर पर समग्रतः प्रदर्शन तालिका 3.26 में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.26 : संपूर्ण भारत के स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग का समग्रतः प्रदर्शन**

| वर्ष | उत्पादन (मूल्य करोड़ रु. में) | | बिक्री (मूल्य करोड़ रु. में) | | रोजगार (लाख व्यक्तियों में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खादी | ग्रामोद्योग | खादी | ग्रामोद्योग | खादी | ग्रामोद्योग |
| 2011-12 | 716.98 | 21135.06 | 967.87 | 25829.26 | 10.45 | 108.65 |
| 2012-13 | 761.93 | 23262.31 | 1021.56 | 26818.13 | 10.71 | 114.05 |
| 2013-14 (अनंतिम) | 809.70 | 25298.00 | 1079.24 | 30073.16 | 10.98 | 129.40 |

स्रोत : मध्यम, लघु एवं अतिलघु उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य के बुनकरों की मदद के लिए खादी उत्पादों की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट स्वीकृत की गई है जिसका लाभ राज्य खादी पर्षद के तहत निबंधित संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। वर्ष 2013-14 के लिए खादी पर छूट के लिए 543 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

## खान और खनिज

खनिज अनेक बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं। वर्तमान बिहार राज्य में मिट्टी, बालू और पत्थर जैसे गौण खनिज और ग्रेनाइट, बॉक्साइट, क्वाट्र्जाइट, पायराइट, अभ्रक और चूना पत्थर जैसे मुख्य खनिज मौजूद हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिलों में पेट्रॉलियम का भंडार होने की भी संभावना है (तालिका प 3.8) (परिशिष्ट)।

हालांकि राज्य में खनिजों की बहुत कम अनुपात में उपस्थिति है, इसके बावजूद इनसे राजस्व संग्रहण 2012-13 के 499.27 करोड़ रु. से लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 569.14 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में खानों एवं खनिजों से 328 करोड़ रु. राजस्व प्राप्ति हुई है (तालिका 3.27)।

**तालिका 3.27 : बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व (2013-14)**

| स्रोत | रकम (लाख रु.) | स्रोत | रकम (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| 1. प्रमुख खनिज | 128.17 | (vi) निर्माण विभाग | 26709.12 |
| 2. गौण खनिज | | (vii) यात्रा पास | 41.10 |
| (i) ईंट | 3299.47 | (viii) अन्य | 207.76 |
| (ii) बालू | 22666.27 | 3. बकाया | 1222.85 |
| (iii) पत्थर | 1881.27 | | |
| (iv) मोरम | 21.41 | | |
| (v) मिट्टी | 736.46 | योग | 56913.88 |

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 3.5 : लक्ष्य और राजस्व संग्रहण**

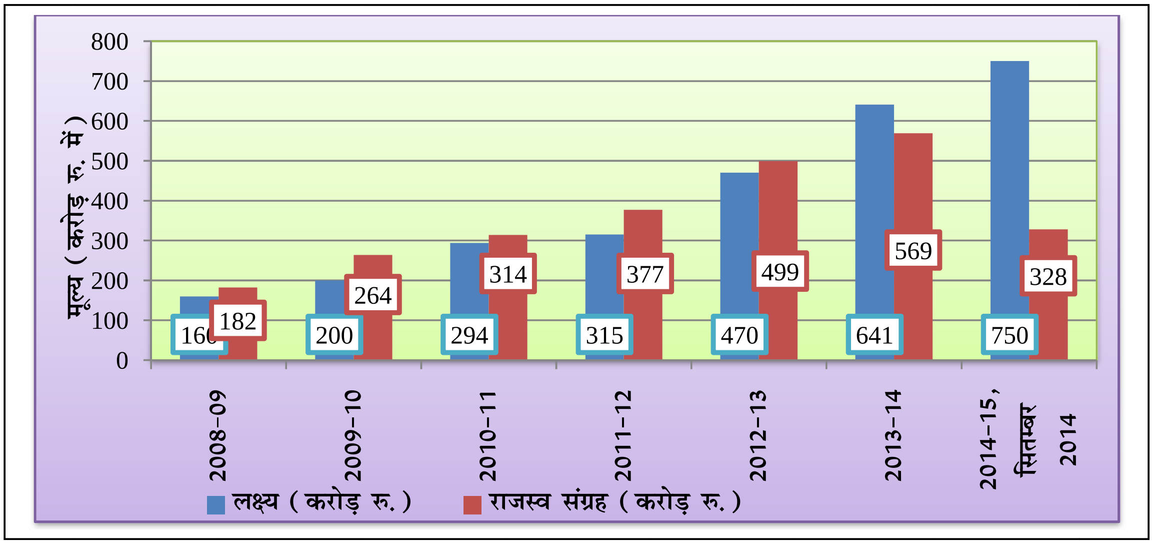

### 3.7 सहयोगदाता संस्थाएं

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक सहयोगदाता संस्थाएं गठित की हैं। समय के साथ कुछ सहयोगदाता संस्थाएं कमजोर हो गई हैं लेकिन औद्योगिक परिदृश्य में सुधार के मामले में उनके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार उनके पुनर्वास के लिए प्रयास कर रही है। राज्य में औद्योगिक वातावरण में सुधार और देश-विदेश से निवेश आकर्षित करने के लिए भी कुछ नई संस्थाएं भी स्थापित की जा रही हैं।

उद्योग मित्र

स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने उद्योग विभाग के तहत उद्योग मित्र नामक निकाय का गठन किया है। उद्योग मित्र जिला उद्योग केंद्रों के जरिए क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण प्रतिवेदन भी तैयार करता है। वर्ष 2013-14 में 583 उद्यमी परियोजना विवरणी तैयार करने में मदद पाकर या आंकड़ों और सूचनाओं की उपलब्धता के जरिए इससे लाभान्वित हुए। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध (अप्रील-सितंबर) में भी इससे 323 उद्यमी लाभान्वित हुए। वर्ष 2008-09 से उद्योग मित्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां तालिका 3.28 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 3.28 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां**

| वर्ष | आबंटित रकम (लाख रु.) | खर्च की गई रकम (लाख रु.) | लाभान्वित उद्यमियों की सं. |
|---|---|---|---|
| 2008-09 | 25 | 25.00 | 685 |
| 2009-10 | 60 | 60.00 | 679 |
| 2010-11 | 66 | 66.00 | 630 |
| 2011-12 | 100 | 67.48 | 753 |
| 2012-13 | 104 | 78.73 | 596 |
| 2013-14 | 120 | 101.13 | 583 |
| 2014-15, सितंबर 2014 तक | | | 323 |

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

उद्योग मित्र ने 'सफलता की गाथा' नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है जिसमें राज्य में सफल उद्यमियों की कहानियां वर्णित हैं। इसने सफलता की उन कहानियों पर आधे घंटे की एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी तैयार की है। भूमि मानचित्रण कार्य के अलावा यह राज्य के सभी जिलों की जिला विवरणी तैयार करने में भी शामिल रहा है। उद्योग मित्र को भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए क्रियान्वयन अभिकरण भी नामित किया गया है। भारत सरकार की संकुल विकास योजना के तहत 13 संकुलों के विकास का काम उद्योग मित्र द्वारा हाथ में लिया जा रहा है। इस कार्य में सरल (सॉफ्ट) और कठिन (हार्ड) हस्तक्षेपों के जरिए प्रशिक्षण, सुविधा केंद्रों की स्थापना, विपणन और उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण शामिल है। इस संकुल विकास कार्य में उद्योग मित्र की सहायता करने के लिए शॉ एंड कंपनी, पटना को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

## भूमि बैंक

राज्य के औद्योगीकरण के लिए जमीन की उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इसके चलते भूमि अधिग्रहण का महत्व बहुत बढ़ जाता है और इसके लिए भूमि बैंक की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। इसके लिए 1,500 करोड़ रु. की सीमा वाले एक कॉर्पस कोष की स्थापना की गई थी। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2,500 करोड़ रु. कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 में इस कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे और 2013-14 तक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) को कुल 1,649.86 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

## जिला उद्योग केंद्र

जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना विभिन्न जिलों में उद्योगों की, खास कर अतिलघु, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना में हर संभव सहायता करने के लिए की गई थी। वे मुख्य अभिकरण के बतौर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी लगे हैं और 2013-14 में कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के लिए लगभग 82 प्रतिशत रकम के संवितरण और 84 प्रतिशत कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए भी जवाबदेह रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला उद्योग केंद्रों ने 2013-14 में 102.89 करोड़ रु. के लक्ष्य के बरअक्स 2,576 उद्यमियों के बीच 63.07 करोड़ रु. की रकम संवितरित कराई। इससे 16,684 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुआ। वर्ष 2013-14 में अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के तहत 8,000 के लक्ष्य के बरअक्स 3,133 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनका कुल पूंजी निवेश 316 करोड़ रु. है (तालिका 3.29)।

**तालिका 3.29 : अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां**

| वर्ष | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | ऋण/ निवेश राशि (लाख रु.) | उपलब्धि लक्ष्य के प्रतिशत में |
| अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना | | | | |
| 2007-08 | 7000 | 7202 | 13482.98 | 102.89 |
| 2008-09 | 8000 | 6154 | 11886.06 | 76.93 |
| 2009-10 | 8000 | 5091 | 12864.46 | 63.64 |
| 2010-11 | 8000 | 4835 | 18556.77 | 60.44 |
| 2011-12 | 8000 | 3962 | 38563.91 | 49.53 |
| 2012-13 | 8000 | 3737 | 24173.19 | 46.71 |
| 2013-14 | 8000 | 3133 | 31558.97 | 39.16 |
| 2014-15 (सितंबर तक) | 8000 | 1004 | 12614.22 | |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिआडा का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1974 के वैधानिक प्रावधान के तहत राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने

के बाद सड़क, बिजली, पानी आदि आवश्यक अधिसंरचनाएं विकसित करके उसे निवेशकों को आबंटित करने के मामले में बिआडा एक अगुआ अभिकरण है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्थित इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए किया जा रहा है। सितंबर, 2014 तक बिआडा ने कुल 5,931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जिसमें से 3,371 एकड़ (57 प्रतिशत) का आबंटन इकाइयों के बीच किया जा चुका है (तालिका 3.30)। अधिसंरचना आदि के लिए जमीन स्वीकृत करने के बाद 4.55 प्रतिशत जमीन खाली है। सितंबर 2014 में 1502 इकाइयां चालू हालत में थीं।

**तालिका 3.30 : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की गतिविधियों के क्षेत्रवार विवरण (सितंबर, 2014 तक)**

| क्षेत्रीय कार्यालय | अधिग्रहित भूमि (एकड़ में) | कुल आबंटित भूमि | | कुल रिक्त भूमि | | चालू इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भूमि (एकड़ में) | अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि हेतु आरक्षित भूमि (एकड़ में) | भूमि (एकड़ में) | आबंटित भूमि का प्रतिशत हिस्सा | |
| पटना | 3144.82 | 2127.65 | 252.51 | 51.42 | 2.42 | 656 |
| भागलपुर | 1347.29 | 415.84 | 101.42 | 16.6 | 3.99 | 248 |
| दरभंगा | 411.96 | 305.51 | 76.67 | 29.78 | 9.75 | 324 |
| मुजफ्फरपुर | 1026.74 | 521.65 | 183.22 | 55.4 | 10.62 | 274 |
| **योग** | **5930.81** | **3370.65** | **613.82** | **153.2** | 4.55 | **1502** |

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

## 3.8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं भारत के लिए विकास का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन गई हैं। भारत ने वैश्विक (ग्लोबल) सोर्सिंग के मामले में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति बरकरार रखी है और 2013 में कुल वैश्विक सोर्सिंग बाजार में इसका 55 प्रतिशत हिस्सा था। यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी कर रहा है। वर्ष 2013-14 में इसने 1.66 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार दिया जिनमें से 30 प्रतिशत महिलाएं थीं। लेकिन यह तेज विकास पहले कुछ राज्यों तक ही सीमित था और बिहार कुल मिलाकर इससे अलग-थलग था। हाल के वर्षो में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। वर्ष 2014-15 में इस क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित योजना परिव्यय 199 करोड़ रु. है और उसके बाद से संशोधित करके इसे 361 करोड़ रु. कर दिया गया है (तालिका प 3.9)(परिशिष्ट)। ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत बिहार में अनेक पहलकदमियां ली गई हैं जिनके विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

<u>बिस्वान (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क)</u>

केंद्र सरकार की कुछ सहायता से राज्य में बिस्वान के तहत कुल 484 पीओपी (उपस्थिति बिंदु) कार्यशील हैं। इनमें से 1 राज्य मुख्यालय में, 37 जिला मुख्यालयों में और 446 प्रखंड मुख्यालयों में अवास्थित हैं।

**तालिका 3.31 : बिस्वान परियोजना की स्थिति**

| विवरण | राज्य मुख्यालय | जिला मुख्यालय | प्रखंड मुख्यालय | योग |
|---|---|---|---|---|
| स्वीकृति के अनुसार कुल उपस्थिति बिंदुओं (पीओपी) की कुल संख्या | 1 | 37 | 495 | 533 |
| सही चिन्हित कक्ष अवस्थिति वाले उपस्थिति बिंदुओं की संख्या | 1 | 37 | 446 | 484 |
| उपकरण लगाने हेतु तैयार कार्यस्थल वाले उपस्थिति बिंदुओं की संख्या | 1 | 37 | 446 | 484 |
| उपकरण लग चुकू उपस्थिति बिंदुओं की संख्या | 1 | 37 | 446 | 484 |
| लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी का उपयोग करके बैंडवाइथ सेवा प्रदाता द्वारा संपर्कित उपस्थिति बिंदुओं की संख्या | 1 | 37 | 446 | 484 |
| कार्यशील उपस्थिति बिंदुओं की संख्या | 1 | 37 | 446 | 484 |

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

<u>सेक्लैन (सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क)</u>

बिस्वान योजना के तहत सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (सेक्लैन) स्थापित करने के लिए बेल्ट्रॉन, पटना नोडल अभिकरण है। इसके तहत पटना में सभी सचिवालयों के अंदर और आसपास के सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में 3,300 डेटा नोड स्थापित किए जाने थे और सारे के सारे स्थापित कर दिए गए हैं। तालिका 3.32 में देखा जा सकता है कि सर्वाधिक संख्या में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की सुविधाएं पुराने सचिवालय (885), विकास सदन (930) और विश्वेश्वरैया सदन (714) में स्थापित किए गए हैं।

**तालिका 3.32 : सेक्लैन ( सचिवालय स्थानीय एरिया नेटवर्क ) की स्थिति**

| आच्छादित भवन का नाम | लगे कुल डेटा नोड | आच्छादित भवन का नाम | लगे कुल डेटा नोड |
|---|---|---|---|
| पुराना सचिवालय | 885 | ललित भवन | 105 |
| विकास भवन | 930 | महाधिवक्ता | 37 |
| मुख्यमंत्री सचिवालय | 39 | महालेखाकार | 5 |
| प्रौद्योगिकी भवन | 117 | मुख्यमंत्री आवास | 8 |
| विश्वेश्वरैया भवन | 714 | अंटाघाट वैट कार्यालय | 14 |
| सिंचाई भवन | 288 | कंकड़बाग | 14 |
| सूचना भवन | 132 | योग | 3300 |
| बेल्ट्रॉन भवन | 12 | | |

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

<u>सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)</u>

सामान्य सेवा केंद्र की सुविधा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में स्थापित कर दी गई है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस की एक मुख्य अधिसंरचना है। तालिका 3.33 में देखा जा सकता है कि 2013-14 में कुल स्वीकृत 8,463 सामान्य सेवा केंद्र परियोजनाओं में से सारी की सारी स्थापित की जा चुकी हैं। कुल स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों में से सर्वाधिक 1,728 केंद्र तिरहुत प्रमंडल में स्थापित होने की सूचना है और उसके बाद पटना

(1,347) और दरभंगा (1,110) प्रमंडलों में। दूसरी ओर, भागलपुर में सबसे कम - मात्र 427 केंद्र स्थापित हुए हैं।

**तालिका 3.33 : सामान्य सेवा केंद्र परियोजना की स्थिति**

| प्रमंडल का नाम | कुल स्थापित सामान्य सेवा केंद्र | प्रमंडल का नाम | कुल स्थापित सामान्य सेवा केंद्र |
|---|---|---|---|
| पटना | 1347 | मुंगेर | 774 |
| भागलपुर | 427 | मगध | 883 |
| दरभंगा | 1110 | तिरहुत | 1728 |
| कोशी | 504 | पूर्णिया | 833 |
| सारण | 857 | योग | **8463** |

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

ई-डिस्ट्रिक्ट

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आरंभ चार जिलों, नालंदा, औरंगाबाद, गया और मधुबनी में पायलट आधार पर किया गया था और इन जिलों में कुल 94 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना से प्रखंड स्तर पर स्थापित सामान्य सुविधा सेवा केंद्रों (सीएफसी) और पंचायत स्तर पर स्थापित वसुधा केंद्रों के जरिए प्रमाणपत्र, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलती है।

**तालिका 3.34 : ई-डिस्ट्रिक्ट - भौतिक स्थिति**

| जिला का नाम | कुल सामान्य सुविधा केंद्र |
|---|---|
| नालंदा | 24 |
| औरंगाबाद | 14 |
| मधुबनी | 27 |
| गया | 29 |
| **योग** | **94** |

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

## 3.9 औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

वर्तमान मूल्य पर 2013-14 के लिए किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमानों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सकल स्थिर पूजी निर्माण (जीएफसीएफ) की दर 2011-12 के 31.8 से घटकर 2013-14 में 28.3 रह गई। इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में वर्ष के दौरान निवेश में और भी कमी है। हालांकि बिहार में अधिसंरचना में सुधार और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (2011) के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। प्रसंस्कृत करने के लिए अनेक निवेश प्रस्ताव लगातार प्राप्त होते हैं।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 2.88 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 2.17 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना वाले कुल 1,891 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। तालिका 3.35 पर नजर डालने से पता चलता है कि स्वीकृत प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा (60 प्रतिशत) खाद्य प्रसंस्करण हेतु है जबकि प्रस्तावों में लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा विद्युत संयंत्रों

के लिए है। 4 प्रतिशत प्रस्ताव तकनीकी संस्थानों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों की स्थापना से संबंधित हैं।

**तालिका 3.35 : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (सितंबर 2014 तक)**

| मद | 2011-12 तक | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15, सितंबर 2014 तक | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या | 690 | 417 | 454 | 330 | 1891 |
| प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.) | 261458 | 17452 | 6059 | 3186.6 | 288155.6 |
| प्रस्तावित रोजगार | 127331 | 58699 | 17121 | 14222 | 217373 |
| **क्षेत्र-वार** | | | | | |
| (i) नया चीनी मिल | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (ii) चालू चीनी मिलों का विस्तार | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (iii) चालू चीनी मिलों का नया ईथेनॉल संयंत्र | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (iv) ईथेनॉल सह इक्षु रस | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (v) विद्युत संयंत्र | 69 | 31 | 8 | 5 | 113 |
| (vi) खाद्य प्रसंस्करण | 368 | 237 | 308 | 224 | 1137 |
| (vii) इस्पात प्रसंस्करण एवं सीमेंट | 41 | 18 | 17 | 18 | 94 |
| (viii) तकनीकी संस्थान | 33 | 6 | 11 | 3 | 53 |
| (ix) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल | 12 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| (x) अन्य | 134 | 119 | 110 | 79 | 442 |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

कुल 1,891 स्वीकृत प्रस्तावों में से 272 इकाइयों (14.4 प्रतिशत) ने काम करना शुरू कर दिया है और अन्य 176 (9.3 प्रतिशत) प्रस्ताव प्रगति के उन्नत चरण में हैं। इन दोनो प्रकार की इकाइयों में कुल 7,466 करोड़ रु. का निवेश किया जा चुका है। शेष 1,443 (76.3 प्रतिशत) इकाइयां या तो क्रियान्वयन के आरंभिक चरण में हैं या उनका काम अभी शुरू नहीं हुआ है (तालिका 3.36)।

**तालिका 3.36 : क्रियान्वयन के चरण (सितंबर 2014 तक)**

| क्रियान्वयन के चरण | इकाइयों की संख्या |
|---|---|
| काम पूरा कर चुकी/ कार्यशील इकाइयों की सं. | 272 |
| क्रियान्वयन कार्य की प्रगति वाली इकाइयों की सं. | 176 |
| उन इकाइयों की संख्या जहां परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभिक चरण में है/ कियान्वयन आरंभ ही होना है/ काम शुरू नहीं हुआ है/ रुचि नहीं ली गई है/ किसी अन्य कारण से काम रुक गया | 1443 |
| योग | 1891 |
| अभी तक हुआ निवेश (करोड़ रु.) | 7465.65 |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## 3.10 पर्यटन

वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म के अनुमानों के अनुसार, भारत में पर्यटन क्षेत्र ने 2012 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.6 प्रतिशत का योगदान किया और लगभग 4 करोड़ रोजगार पैदा किए जो इसके कुल रोजगार का 7.7 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 में पर्यटन क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना अनुमानित था। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चारो ओर फैले ऐतिहासिक स्मारकों/ स्थानों के लिहाज से बिहार में भी पर्यटन की जबर्दस्त संभावना है। बिहार के विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में 7 पर्यटन परिपथों की पहचान की है :

(क) बौद्ध परिपथ - बोधगया, राजगिर, नालंदा, पटना, वैशाली, लौरिया, विक्रमशिला और जहानाबाद; (ख) सूफी परिपथ - मनेरशरीफ, बिहारशरीफ, जहानाबाद, फुलवारीशरीफ, सासाराम और मुंगेर; (ग) जैन परिपथ - पावापुरी, राजगिर, पूर्वी चंपारण, मंदार और बासोकुंड; (घ) रामनगर परिपथ - वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, बक्सर, भोजपुर, जमुई, औरंगाबाद और जहानाबाद; (च) शक्ति परिपथ - पटना, आमी, थावे, उच्चैत और उग्रतारा (महिषी); (छ) सिख परिपथ - पटना साहिब, लक्ष्मीपुर, गया और सासाराम; तथा (ज) गांधी परिपथ - पटना, मोतिहारी और भितिहरवा।

पर्यटन विभाग पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं, आवश्यक जानकारियां और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है ताकि उनकी यहां की यात्राओं में लगातार वृद्धि हो। फलत:, हाल के वर्षों में बिहार आने वाले देशी और विदेशी, दोनो प्रकार के पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। अपवाद सिर्फ पिछला वर्ष रहा है जब इसमें 2013 की अपेक्षा थोड़ी गिरावट आई थी। जिलावार आंकड़े भी यही रुझान दर्शाते हैं (तालिका प 3.10)(परिशिष्ट)।

**तालिका 3.37 : पर्यटकों का वर्षवार आगमन**

(संख्या हजार में)

| वर्ष | देशी पर्यटक | विदेशी पर्यटक | योग | प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11890 | 346 | 12236 | 16.2 |
| 2009 | 15518 | 423 | 15941 | 30.28 |
| 2010 | 16043 | 541 | 16584 | 4.03 |
| 2011 | 18397 | 972 | 19369 | 16.79 |
| 2012 | 21447 | 1097 | 22544 | 16.39 |
| 2013 | 21588 | 766 | 22354 | -0.84 |
| 2014, सितंबर तक | 10140 | 578 | 10718 | |

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

पर्यटन विभाग ने हाल के वर्षों में अपने लगभग पूरे बजट का उपयोग कर लिया है। हालांकि 2013-14 में विभाग लगभग 65.53 करोड़ के स्वीकृत बजट में से 59.42 करोड़ रु. का ही उपयोग कर सका जो बजट आबंटन का लगभग 91 प्रतिशत है।

**तालिका 3.38 : पर्यटन विभाग के बजट और व्यय के विवरण**

| वर्ष | स्वीकृत बजट (लाख रु.) | व्यय (लाख रु.) | व्यय बजट के प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 2008-09 | 2513.02 | 2512.78 | 99.99 |
| 2009-10 | 2978.00 | 2978.00 | 100.00 |
| 2010-11 | 2975.18 | 2954.81 | 99.32 |
| 2011-12 | 3043.89 | 2994.08 | 98.36 |
| 2012-13 | 10006.66 | 9930.53 | 99.24 |
| 2013-14 | 6553.00 | 5942.00 | 90.68 |
| 2014-15, सितंबर | 11805.00 | 3008.28 | 25.48 |

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

## 3.11 चुनौतियां और संभावनाएं

हाल के वर्षों में मिले अनेक निवेश प्रस्तावों के बावजूद बिहार अभी भी औद्योगिक रूप से कमजोर बना हुआ है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने अनेक प्रकार की इकाइयों की स्थापना के लिए अभी तक 1,891 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए हैं। बिहार ने औद्योगीकरण के लिए जोर देने लायक अनेक क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें सबसे महत्ववपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, अपारंपरिक ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योग और वस्त्र उद्योग जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास मुख्यतः फलों और सब्जियों के उत्पादन स्तर पर निर्भर है। गौरतलब है कि बिहार में जमीन के बड़े हिस्से पर आम, केला, लीची, अमरुद और विभिन्न प्रकार के अन्य फलों की खेती होती है। सब्जियों के मामले में भी उत्पादन का स्तर काफी ऊंचा है। राज्य में वांछित भंडारण, संरक्षण और समुचित विपणन की अनुपस्थिति में अच्छी-खासी मात्रा में फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं या अक्सर उन्हें अलाभकर कीमतों पर बेच दिया जाता है। इन इन नुकसानों को ध्यान में रखा जाय, तो राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जबर्दस्त संभावना है। इसी प्रकार, अनाज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की भी अच्छी संभावना है जिनमें धान, गेहूं और मक्का शामिल हैं।

अगर पशुधन आधारित उद्योग की बात करें, तो सहकारी क्षेत्र में सुधा ब्रांड नाम के तहत दुग्ध उत्पादन उद्योग ने राज्य में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। असंगठित क्षेत्र में भी दुग्ध प्रसंस्करण की भारी संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण से भिन्न क्षेत्रों में देखें, तो चर्म उत्पादों में बिहार का हिस्सा बहुत छोटा हिस्सा (0.56 प्रतिशत) है। लेकिन पशुधन की मात्रा पर विचार करने पर राज्य में चर्म आधारित उद्योगों की भारी संभावना दिखती है। इसी प्रकार, अगर लागत सामग्रियां और अधिसंरचना देकर बुनकरों की पारंपरिक निपुणता का समुचित उपयोग किया जाय, तो राज्य में वस्त्र आधारित उद्योग की भी अच्छी संभावना है। चर्म और वस्त्र जैसे अखाद्य क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की भारी संभावना है। भारत सरकार गैर-कृषि क्षेत्र की

गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है और कृषि–प्रसंस्करण उनमें से एक है। कृषि–प्रसंस्करण अनिवायत: कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया है जो औद्योगिक विकास में कृषि को अधिक प्रभावी योगदाता बना सकता है। यह किसानों को बेहतर उत्पादकता के लिए प्रोत्साहित करेगा और राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में सहयोग के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 का एक प्रावधान औद्योगिक उपयोग की जमीन अधिग्रहित करने पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की माफी है। भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्कों की भी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। संयंत्र और मशीनों में और आबद्ध विद्युत उत्पादन के लिए निवेश पर भी निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। जहां तक जमीन की उपलब्धता की बात है, तो सरकार ने 'आओ बिहार' पहलकदमी के अंग के बतौर एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है जिसके जरिए उद्यमियों के तत्काल ध्यान में लाने के लिए जमीन मालिकों को अपनी जमीन का ब्योरा प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार एक 'भूमि बैंक' भी स्थापित करने की प्रक्रिया में है और जहां मांग होगी, वहां सरकार भूमि अधिग्रहित करेगी।

## परिशिष्ट

**तालिका प 3.1 : 2011-12 में चुनिंदा कृषि एवं गैर-कृषि आधारित उद्योगों के निर्गत के मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)**

(करोड़ रु.)

| NIC 2008 | औद्योगिक समूह | उत्पादों की कीमत | | | निवल मूल्यवर्धन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भारत | बिहार | बिहार का % हिस्सा | भारत | बिहार | बिहार का % हिस्सा |
| **कृषि आधारित** | | | | | | | |
| 10+11+12 | खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू उत्पाद | 761927 | 9430.57 | 1.24 | 79976 | 1581 | 1.98 |
| 13+14 | वस्त्र/ परिधान | 372675 | 156.18 | 0.04 | 46519 | 30 | 0.06 |
| 15 | चर्म एवं चर्म उत्पाद | 35911 | 71.57 | 0.20 | 5690 | 10 | 0.18 |
| 16+31 | काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर | 27244 | 125.58 | 0.46 | 3488 | 18 | 0.52 |
| 17+18+58 | कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां | 104479 | 360.16 | 0.34 | 17766 | 105 | 0.59 |
| | **उप-योग** | 1302236 | 10144.06 | 0.78 | 153439 | 1744 | 1.14 |
| **गैर-कृषि आधारित** | | | | | | | |
| 19 | कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद | 905219 | 27722.61 | 3.06 | 52892 | 669 | 1.27 |
| 20 | रसायन/ रासायनिक उत्पाद | 464194 | 87.14 | 0.02 | 88464 | 24 | 0.03 |
| 21 | मूल औषधीय उत्पाद | 181536 | 71.46 | 0.04 | 58153 | 19 | 0.03 |
| 22 | रबर/ प्लास्टिक उत्पाद | 181944 | 61.34 | 0.03 | 25758 | 9 | 0.04 |
| 23 | अधातु खनिज उत्पाद | 179301 | 1349.51 | 0.75 | 42481 | 675 | 1.59 |
| 24+25 | मशीन और उपकरण से इतर धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद | 1015082 | 1219.39 | 0.12 | 173815 | 35 | 0.02 |
| 27+28+33 | बिजली के सामान/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीनी उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापन | 468266 | 733.66 | 0.16 | 92997 | 429 | 0.46 |
| 29+30 | मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण | 507001 | 44.41 | 0.01 | 71897 | 7 | 0.01 |
| | अन्य | 270215 | 18733.91 | 6.93 | 44645 | 2033 | 4.55 |
| | उप-योग | 4172756 | 50023.43 | 1.20 | 651100 | 3900 | 0.60 |
| | **कुल योग** | **5474992** | **60167.49** | **1.10** | **804539** | **5644** | **0.70** |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2011-12

## तालिका प 3.2 : बिहार में उद्योगों की संरचना (2005-06 और 2011-12)

| औद्योगिक समूह | कारखानों की संख्या | | चालू कारखाने | | कुल उत्पादन (करोड़ रु.) | | निवल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.) | | प्रतिशत हिस्सा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | चालू कारखाने | | कुल उत्पादन | | निवल मूल्यवर्धन | |
| | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 |
| कृषि आधारित | | | | | | | | | | | | | | |
| खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू | 273 | 804 | 259 | 724 | 166096 | 9431 | 50896 | 1581 | 18.27 | 25.21 | 10.29 | 15.67 | 47.36 | 28.00 |
| वस्त्र/ परिधान | 19 | 30 | 14 | 25 | 5881 | 156 | 1286 | 30 | 0.99 | 0.87 | 0.36 | 0.26 | 1.20 | 0.53 |
| चर्म एवं चर्म उत्पाद | 7 | 7 | 5 | 6 | 7264 | 72 | 692 | 10 | 0.35 | 0.21 | 0.45 | 0.12 | 0.64 | 0.18 |
| काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर | 121 | 213 | 116 | 205 | 2045 | 126 | 342 | 18 | 8.18 | 7.14 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.32 |
| कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां | 50 | 72 | 46 | 54 | 23078 | 360 | 10450 | 105 | 3.24 | 1.88 | 1.43 | 0.60 | 9.72 | 1.87 |
| उप-योग | 470 | 1126 | 440 | 1014 | 204364 | 10144 | 63666 | 1744 | 31.03 | 35.31 | 12.67 | 16.86 | 59.24 | 30.90 |
| गैर-कृषि आधारित | | | | | | | | | | | | | | |
| कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद | 43 | 64 | 43 | 64 | 1298938 | 27723 | 32623 | 669 | 3.03 | 2.23 | 80.50 | 46.08 | 30.36 | 11.86 |
| रसायन/ रासायनिक उत्पाद | 50 | 35 | 42 | 30 | 6873 | 87 | 701 | 24 | 2.96 | 1.04 | 0.43 | 0.14 | 0.65 | 0.43 |
| मूल औषधीय उत्पाद | 17 | 26 | 16 | 18 | 3497 | 71 | 601 | 19 | 1.13 | 0.63 | 0.22 | 0.12 | 0.56 | 0.33 |
| रबर/ प्लास्टिक उत्पाद | 786 | 48 | 606 | 32 | 26126 | 61 | 4750 | 9 | 42.74 | 1.11 | 1.62 | 0.10 | 4.42 | 0.17 |
| अधातु खनिज उत्पाद | 91 | 1472 | 83 | 1282 | 60562 | 1350 | 3303 | 675 | 5.85 | 44.64 | 3.75 | 2.24 | 3.07 | 11.96 |
| मशीन और उपकरण से इतर धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद | 55 | 151 | 54 | 145 | 5238 | 1219 | 764 | 35 | 3.81 | 5.05 | 0.32 | 2.03 | 0.71 | 0.61 |
| बिजली के सामान/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीन उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापन | 4 | 60 | 3 | 56 | 1715 | 734 | 50 | 429 | 0.21 | 1.95 | 0.11 | 1.22 | 0.05 | 7.60 |
| मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण | 5 | 11 | 5 | 11 | 335 | 44 | 38 | 7 | 0.35 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.12 |
| अन्य | 148 | 239 | 126 | 220 | 5851 | 18734 | 974 | 2033 | 8.89 | 7.66 | 0.36 | 31.14 | 0.91 | 36.02 |
| उप-योग | 1199 | 2106 | 978 | 1858 | 1409135 | 50023 | 43804 | 3900 | 68.97 | 64.69 | 87.33 | 83.14 | 40.76 | 69.10 |
| **योग** | **1669** | **3232** | **1418** | **2872** | **1613499** | **60167** | **107470** | **5644** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2005-06 और 2011-12

**तालिका प 3.3 : 2013-14 में अतिलघु/ लघु/ मध्यम उद्यमों के उद्यमियों की कुल प्रगति**

| प्रमंडल | जिला | अतिलघु | लघु | मध्यम | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | पटना | 232 | 44 | 2 | 278 |
| | नालंदा | 138 | 5 | 0 | 143 |
| | भोजपुर | 143 | 1 | 0 | 144 |
| | बक्सर | 148 | 1 | 0 | 149 |
| | कैमूर | 42 | 10 | 1 | 53 |
| | रोहतास | 56 | 3 | 1 | 60 |
| मुंगेर | मुंगेर | 88 | 0 | 0 | 88 |
| | जमुई | 39 | 0 | 0 | 39 |
| | शेखपुरा | 29 | 1 | 0 | 30 |
| | लखीसराय | 25 | 1 | 0 | 26 |
| | बेगूसराय | 89 | 2 | 0 | 91 |
| | खगड़िया | 29 | 0 | 0 | 29 |
| भागलपुर | भागलपुर | 94 | 0 | 0 | 94 |
| | बांका | 8 | 0 | 0 | 8 |
| पूर्णिया | पूर्णिया | 71 | 1 | 0 | 72 |
| | अररिया | 47 | 1 | 0 | 48 |
| | किशनगंज | 68 | 3 | 0 | 71 |
| | कटिहार | 57 | 0 | 0 | 57 |
| मगध | गया | 79 | 9 | 0 | 88 |
| | नवादा | 181 | 3 | 0 | 184 |
| | औरंगाबाद | 29 | 2 | 0 | 31 |
| | जहानाबाद | 42 | 0 | 0 | 42 |
| | अरवल | 33 | 0 | 0 | 33 |
| दरभंगा | दरभंगा | 65 | 1 | 0 | 66 |
| | मधुबनी | 52 | 0 | 0 | 52 |
| | समस्तीपुर | 80 | 8 | 0 | 88 |
| कोशी | सहरसा | 57 | 3 | 0 | 60 |
| | सुपौल | 15 | 0 | 0 | 15 |
| | मधेपुरा | 252 | 0 | 0 | 252 |
| तिरहुत | मुजफ्फरपुर | 125 | 0 | 1 | 126 |
| | वैशाली | 89 | 4 | 0 | 93 |
| | पश्चिम चंपारण | 101 | 0 | 0 | 101 |
| | सीतामढ़ी | 53 | 0 | 0 | 53 |
| | पूर्व चंपारण | 127 | 1 | 1 | 129 |
| | शिवहर | 32 | 0 | 0 | 32 |
| सारण | गोपालगंज | 44 | 2 | 0 | 46 |
| | सीवान | 58 | 2 | 0 | 60 |
| | सारण | 58 | 0 | 0 | 58 |
| बिआडा | बिआडा | 16 | 23 | 5 | 44 |
| | **योग** | **2991** | **131** | **11** | **3133** |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.4 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन**

| अभिकरण | लक्ष्य/ मार्जिन मनी | | नोडल बैंकों द्वारा संवितरित मार्जिन मनी | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (संख्या) | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (संख्या) |
| 2010-11 | | | | |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 1878 | 2628.19 | 197 | 758.03 |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 1878 | 2628.19 | 94 | 265.01 |
| जिला उद्योग केंद्र | 2503 | 3504.26 | 1137 | 2184.16 |
| **योग** | **6259** | **8760.64** | **1428** | **3207.20** |
| 2011-12 | | | | |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 1589 | 2225.190 | 594 | 1509.05 |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 1589 | 2225.190 | 427 | 1073.10 |
| जिला उद्योग केंद्र | 2120 | 2966.920 | 3866 | 7291.58 |
| **योग** | **5298** | **7417.300** | **4887** | **9873.73** |
| 2012-13 | | | | |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 1887 | 4340.66 | 284 | 774.28 |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 1887 | 4340.66 | 305 | 922.89 |
| जिला उद्योग केंद्र | 2516 | 5787.56 | 2561 | 5971.91 |
| **योग** | **6290** | **14468.88** | **3150** | **7669.08** |
| 2013-14 | | | | |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 559 | 1285.81 | 341 | 900.89 |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 559 | 1285.81 | 176 | 467.93 |
| जिला उद्योग केंद्र | 4473 | 10288.76 | 2576 | 6306.64 |
| **योग** | **5591** | **12860.38** | **3093** | **7675.46** |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.5 : बिहार की छठी आर्थिक गणना के मुख्य बिंदु ( 2013 )**

| मद | ग्रामीण | शहरी | योग |
|---|---|---|---|
| 1. क. प्रतिष्ठानों की संख्या | 1211169 | 504289 | 1715458 |
| प्रतिशत हिस्सा | 70.6 | 29.4 | 100 |
| घर के बाहर स्थिर ढांचा वाला | 657200 | 324195 | 981395 |
| घर के बाहर स्थिर ढांचा वाला (%) | 54.26 | 64.29 | 57.2 |
| घर के बाहर स्थिर ढांचा रहित | 189769 | 62386 | 252155 |
| घर के बाहर स्थिर ढांचा रहित (%) | 15.67 | 12.37 | 14.7 |
| घर के अंदर | 364200 | 117708 | 481908 |
| घर के अंदर (%) | 30.07 | 23.34 | 28.1 |
| 2. हस्तशिल्प/ हथकरघा | 44106 | 14129 | 58235 |
| हस्तशिल्प/ हथकरघा (%) | 3.64 | 2.8 | 3.39 |
| 3. 2005 की पांचवीं आर्थिक गणना से प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि की दर (%) | 44.97 | 29.58 | 40.08 |
| 4. नियोजित व्यक्तियों की संख्या | 1993334 | 1000905 | 2994239 |
| प्रतिशत हिस्सा | 66.57 | 33.43 | 100 |
| 5. कुल नियोजित व्यक्तियों में भाड़े के मजदूरों का प्रतिशत | 35.92 | 46.66 | 39.51 |
| 6. कुल नियोजित व्यक्तियों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत | 17.19 | 9.37 | 14.58 |
| 7. 2005 की पांचवीं आर्थिक गणना से कुल नियोजित व्यक्तियों में वृद्धि की दर (%) | 41.89 | 15.75 | 31.93 |

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं साख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.6 : ईख की फसल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता**

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन हजार टन/ उत्पादकता टन/हे. में)

| जिला | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 0.70 | 37.11 | 52.86 | 0.48 | 34.40 | 70.97 |
| नालंदा | 0.08 | 4.29 | 56.70 | 0.22 | 14.21 | 65.95 |
| भोजपुर | 0.59 | 37.36 | 63.48 | 0.53 | 30.77 | 57.64 |
| बक्सर | 0.70 | 73.86 | 105.83 | 0.42 | 22.28 | 52.83 |
| रोहतास | 0.33 | 33.11 | 100.12 | 0.33 | 17.46 | 52.62 |
| कैमूर | 0.30 | 11.86 | 39.94 | 0.11 | 3.29 | 30.95 |
| | | | | | | |
| गया | 0.17 | 13.38 | 79.45 | 0.49 | 38.10 | 77.73 |
| जहानाबाद | 0.02 | 0.61 | 37.63 | 0.03 | 2.89 | 98.63 |
| अरवल | 0.02 | 1.22 | 72.96 | 0.01 | 1.55 | 103.28 |
| नवादा | 0.11 | 7.54 | 71.73 | 0.16 | 11.60 | 70.82 |
| औरंगाबाद | 0.16 | 11.42 | 72.48 | 0.10 | 6.01 | 60.58 |
| | | | | | | |
| सारण | 0.44 | 33.83 | 76.17 | 1.46 | 98.69 | 67.57 |
| सीवान | 5.68 | 475.67 | 83.78 | 5.12 | 353.29 | 69.03 |
| गोपालगंज | 22.77 | 1986.19 | 87.22 | 26.43 | 1510.00 | 57.12 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 151.83 | 12207.28 | 80.40 | 149.61 | 9560.47 | 63.90 |
| पूर्व चंपारण | 23.42 | 2044.04 | 87.28 | 34.32 | 2337.43 | 68.11 |
| मुजफ्फरपुर | 5.44 | 614.05 | 112.83 | 5.70 | 545.75 | 95.83 |
| सीतामढ़ी | 18.23 | 1680.37 | 92.18 | 17.05 | 976.43 | 57.28 |
| शिवहर | 1.98 | 177.03 | 89.19 | 3.54 | 161.16 | 45.58 |
| वैशाली | 0.55 | 52.80 | 95.66 | 0.66 | 61.24 | 92.50 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 5.41 | 330.17 | 61.05 | 2.18 | 150.76 | 69.25 |
| मधुबनी | 4.46 | 287.74 | 64.50 | 4.83 | 388.06 | 80.36 |
| समस्तीपुर | 8.07 | 583.09 | 72.26 | 8.07 | 259.33 | 32.13 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 8.69 | 674.55 | 77.62 | 6.48 | 233.65 | 36.07 |
| मुंगेर | 0.24 | 8.72 | 36.51 | 0.19 | 11.45 | 61.18 |
| शेखपुरा | 0.54 | 30.80 | 57.19 | 0.44 | 24.12 | 55.14 |
| लखीसराय | 0.05 | 1.56 | 31.54 | 0.04 | 2.52 | 60.77 |
| जमुई | 0.74 | 48.03 | 65.15 | 1.00 | 64.42 | 64.21 |
| खगड़िया | 0.39 | 33.55 | 85.44 | 0.31 | 14.30 | 45.97 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 5.26 | 286.38 | 54.40 | 5.43 | 445.29 | 82.01 |
| बांका | 2.37 | 182.41 | 77.07 | 2.73 | 212.32 | 77.75 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 0.76 | 40.81 | 53.42 | 0.73 | 38.91 | 53.66 |
| सुपौल | 0.00 | 0.06 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मधेपुरा | 3.11 | 179.14 | 57.60 | 3.71 | 212.77 | 57.40 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.03 | 1.53 | 49.80 | 0.90 | 52.61 | 58.46 |
| किशनगंज | 0.08 | 4.06 | 54.00 | 0.22 | 20.50 | 91.51 |
| अररिया | 0.31 | 11.85 | 38.36 | 0.28 | 15.17 | 54.07 |
| कटिहार | 0.22 | 12.25 | 55.25 | 0.08 | 5.50 | 68.74 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **274.24** | **22219.72** | **81.02** | **284.38** | **17938.65** | **63.08** |

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 3.7 : मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना

| क्र. सं. | योजना का नाम | क्रियान्वयक उप-अभिकरण | संकुल/ स्थान का नाम जहां योजनाएं स्थापित हैं | प्रथम चरण में 20 संकुल | | चार वर्षों के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल अनंतिम रकम (करोड़ रु.) | लाभार्थियों की संख्या | कुल अनंतिम रकम (करोड़ रु.) | लाभार्थियों की संख्या |
| 1 | नए करघे की खरीद हेतु प्रति बुनकर 15,000 रु. | महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र/ जिला विकास अधिकारी (वस्त्र) - गया और भागलपुर | बिहारशरीफ, अंकरसराय (नालंदा), भौआरा (मधुबनी), चंपानगर, खरिक, नाथनगर, हुसैनाबाद, पीरपैंती (भागलपुर), कटोरिया, डुमरावां, धोरैया (बांका), सिगोरी, फतुहा (पटना), मानपुर, चाकंद (गया), जमालहाता (सीवान), नबीनगर, अंबा-कुटुंबा (औरंगाबाद), अकौढ़ी गोला (रोहतास), कादिरगंज (नवादा) | 9.00 | 6000 | 36.00 | 24000 |
| 2 | माल की खरीद हेतु प्रति बुनकर 5,000 रु. कॉर्पस राशि | पूर्वोक्त | पूर्वोक्त | 3.0 | 6000 | 12.00 | 24000 |
| 3 | वर्कशेड योजना | पूर्वोक्त | पूर्वोक्त | 8.0 | 2000 | 32.00 | 8000 |
| 4 | सामान्य सुविधा केंद्र | पूर्वोक्त | पूर्वोक्त | 16.0 | 20 संकुल बुनकर | 32.00 | 40 संकुल |
| 5 | बुनकर हाट | जिलाधिकारी, भागलपुर (एक बुनकर हाट) | भागलपुर | 7.00 (100 स्टॉल) | 100 स्टॉल | 22.00 | 100 स्टॉल बड़ा बुनकर हाट, 50 स्टॉल, 5 बुनकर हाट |
| 6 | धागा डिपो | भागलपुर हथकरघा अधिसंरचना विकास (SPV) | भागलपुर, बांका | 5.0 | 12,000 | 15.00 | 27725 |
| 7 | प्रचार एवं विपणन | निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन | | .50 | 6000 | 1.25 | |
| | **योग** | | | **48.50** | | **150.25** | |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.8 : बिहार में उपलब्ध खनिजों के प्रकार**

| जिला | खनिजों की उपलब्धता |
|---|---|
| भागलपुर | लाल मिट्टी, ईंट, बालू, पत्थर, अभ्रक |
| बांका | ग्रेनाइट, गैलेना, ईंट, बालू, पत्थर, अभ्रक |
| मुंगेर | क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट, एसबेस्टस, स्लेट, चीनी मिट्टी |
| जमुई | सोना, मैग्नेटाइट, सोपस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ईंट, बालू, पत्थर, खनिज जल |
| लखीसराय | क्वार्ट्जाइट, ईंट, बालू, |
| शेखपुरा | पत्थर, ईंट, मोरम |
| रोहतास | चूना पत्थर, बलुई पत्थर, सेल, पायराइट, ईंट, पत्थर, बालू |
| कैमूर | पत्थर, ईंट, बालू |
| गया | पत्थर, ईंट, बालू, मैग्नेटाइट, मोरम |
| औरंगाबाद | पत्थर, ईंट, बालू, मोरम |
| जहानाबाद, अरवल | ईंट, बालू |
| पटना | ईंट, बालू |
| भोजपुर | ईंट, बालू |
| नालंदा | क्वार्ट्जाइट, ईंट, पत्थर, बालू |
| नवादा | अभ्रक, बेरिल, ईंट, पत्थर, बालू |
| सीवान | ईंट |
| सारण | ईंट, बालू |
| गोपालगंज | ईंट |
| पश्चिम चंपारण | ईंट, पत्थर, बालू, पेट्रॉलियम |
| पूर्व चंपारण | ईंट, सोना |
| मुजफ्फरपुर | ईंट, बालू |
| वैशाली | ईंट, बालू |
| दरभंगा | ईंट, बालू |
| मधुबनी | ईंट |
| समस्तीपुर | ईंट, बालू |
| सीतामढ़ी | ईंट |
| बेगूसराय | ईंट |
| खगड़िया | ईंट |
| पूर्णिया | ईंट, बालू, पेट्रॉलियम |
| कटिहार | ईंट |
| सहरसा, सुपौल | ईंट, बालू, पेट्रॉलियम |
| मधेपुरा | ईंट, बालू |

स्रोत : खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.9 : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का योजना परिव्यय (2014-15)**

| परियोजना का नाम | परिव्यय ( लाख रु.) | |
|---|---|---|
| | स्वीकृत परिव्यय (2014-15) | संशोधित परिव्यय (2014-15) (अतिरिक्त) |
| राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना (NeGP) | 2306 | 2433 |
| सामान्य सेवा केंद्र | 100 | 0 |
| मुख्यमंत्री सार्वजनिक शिकायत | 200 | 200 |
| विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी | 200 | 0 |
| ई-पर्चेज | 100 | 0 |
| राज्य पोर्टल | 200 | 0 |
| नॉलेज सिटी | 4717 | 4717 |
| क्षमतावृद्धि | 300 | 300 |
| राज्य आंकडा केंद्र (SDC) | 100 | 0 |
| ई-गवर्नेंस राज्य योजना | 3580 | 3580 |
| ई-डिस्ट्रिक्ट योजना | 100 | 1000 |
| सेक्लैन | 1000 | 1000 |
| स्वान | 1000 | 1000 |
| कौशल विकास मिशन | 6000 | 1620 |
| सूचना प्रौद्योगिकी रोडमैप (अतिरिक्त) | 0 | 1347 |
| बिग डेटा एनालिटिक्स सोसाइटी (अतिरिक्त) | 0 | 853 |
| सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना विकास (अतिरिक्त) | 0 | 1490 |
| मानव विकास मिशन | 0 | 363 |
| | **19903** | **19903** |

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.10 : बिहार राज्य में पहुंचने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के आंकड़े**

(संख्या हजार में)

| स्थान | पर्यटक | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014, सितंबर तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | देशी | 4162 | 5778 | 5091 | 1459 | 639 |
| | विदेशी | 21 | 10 | 16 | 10 | 6 |
| गया | देशी | 4872 | 5023 | 5063 | 12544 | 3297 |
| | विदेशी | 225 | 255 | 269 | 248 | 162 |
| बोधगया | देशी | 832 | 1006 | 933 | 399 | 1241 |
| | विदेशी | 96 | 294 | 208 | 140 | 150 |
| राजगिर | देशी | 1971 | 1341 | 3700 | 1381 | 717 |
| | विदेशी | 131 | 201 | 373 | 162 | 114 |
| नालंदा | देशी | 255 | 892 | 934 | 502 | 357 |
| | विदेशी | 48 | 178 | 190 | 105 | 72 |
| रक्सौल | देशी | 15 | 22 | 81 | 14 | 17 |
| | विदेशी | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| मुंगेर | देशी | 65 | 89 | 101 | 81 | 68 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| वैशाली | देशी | 81 | 63 | 53 | 90 | 78 |
| | विदेशी | 16 | 30 | 38 | 72 | 41 |
| मुजफ्फरपुर | देशी | 269 | 303 | 362 | 235 | 380 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भागलपुर | देशी | 454 | 1317 | 1997 | 758 | 779 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सोनपुर मेला | देशी | 2786 | 895 | 0 | 2495 | 0 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सौराष्ठ सभा मधुबनी | देशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिंहेश्वर स्थान मेला मधेपुरा | देशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रावणी मेला सुल्तानगंज (भागलपुर) | देशी | 261 | 1631 | 3112 | 1624 | 2564 |
| | विदेशी | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| अन्य | देशी | 19 | 36 | 19 | 5 | 4 |
| | विदेशी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | देशी | 16043 | 18397 | 21447 | 21588 | 10141 |
| | विदेशी | 541 | 972 | 1097 | 766 | 578 |
| **कुल योग** | | **16584** | **19369** | **22544** | **22354** | **10718** |

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय 4

# अधिसंरचना और संचार

पर्याप्त अधिसंरचना का निर्माण आम तौर पर किसी भी अर्थव्यवस्था के और खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास की अनिवार्य शर्त है। इसीलिए राज्य में नीति का फोकस अधिसंरचना विकास हेतु निवेश पर रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ ऐसा निवेश हाल के वर्षों में कईगुणा बढ़ा है। बारहवीं योजना अवधि में गुणवत्तापूर्ण अधिसंरचना के विकास पर विशेष जोर दिया गया। अधिसंरचना के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान करने, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में विलंब जैसी समस्याओं को तेजी से निपटाना जरूरी होता है। इसके अलावा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय ज्यादा लगाने से बचा जाना चाहिए। उनका समुचित रखरखाव भी समान रूप से जरूरी है जिसके अभाव में उनकी उपयोगिता और संभावित जीवनकाल में कमी आ जाती है।

### 4.1 सड़क

किसी भी राज्य में सड़कों का नेटवर्क उसके विकास का आइना होता है। पर्याप्त सड़कों की अनुपस्थिति में कोई राज्य विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने राजधानी पटना को राज्य के सबसे दूरस्थ क्षेत्र के साथ जोड़ने के लिए संकल्प लिया है कि कहीं से भी लोग अधिकतम 6 घंटों में राजधानी पहुंच सकें। हाल के वर्षों में राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही है और उसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है। राज्य में सड़कों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए बिहार पथ संसाधन संरक्षण नीति, 2013 को अंगीकार किया गया है। हालांकि राज्य प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई के मामले संपूर्ण भारत के औसत से अभी भी बहुत पीछे है। वर्ष 2012-13 में संपूर्ण बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई मात्र 175 किमी थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 388 किमी (तालिका 4.1)। हालांकि प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार (193 किमी) संपूर्ण भारत के औसत (143 किमी) से आगे था।

**तालिका 4.1 : बिहार और भारत में सड़कों की औसत लंबाई**

| वर्ष | प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई | | प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़कों की लंबाई | |
|---|---|---|---|---|
| | बिहार | संपूर्ण-भारत | बिहार | संपूर्ण-भारत |
| 2011-12 | 108.60 | 347.05 | 119.72 | 127.76 |
| 2012-13 | 174.88 | 387.53 | 192.78 | 142.67 |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

सितंबर 2014 में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2.26 लाख किमी दर्ज की गई जो गत वर्ष की अपेक्षा 45.75 हजार किमी अर्थात लगभग 25 प्रतिशत अधिक है (तालिका 4.2)। देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उच्चपथ की लंबाई में लगभग 120 किमी की वृद्धि हुई है। राज्य उच्चपथों की लंबाई में लगभग 94 किमी की कमी दर्ज की गई जो दर्शाती है कि इस वर्ष इतनी लंबाई में राज्य उच्चपथ राष्ट्रीय उच्चपथ में उत्क्रमित हो गए हैं। यह भी देखा जा सकता है कि मुख्य जिला पथों की लंबाई में गत वर्ष से लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण पथों की लंबाई लगभग 28 प्रतिशत बढ़ी। बिहार में 2012, 2013 और 2014 में सड़क नेटवर्क की जिलावार स्थिति तालिका प 4.1 (परिशिष्ट) में दी गई है जिसमें राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और मुख्य जिला पथ, तीन प्रकार की सड़कों के मामले में जिलों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला गया है।

**तालिका 4.2 : बिहार में सड़कों की लंबाई ( सितंबर तक )**

| श्रेणी | सड़कों की लंबाई (कि.मी.) | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | गत वर्ष से वृद्धि/ कमी |
| राष्ट्रीय उच्चपथ | 4200.71 | 4320.99 | 120.28 |
| राज्य उच्चपथ | 4483.19 | 4389.28 | -93.91 |
| मुख्य जिला पथ | 9401.40 | 10127.56 | 726.16 |
| ग्रामीण पथ | 162407.15 | 207406.75 | 44999.60 |
| **योग** | **180492.45** | **226244.58** | **45752.13** |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 4.1 : बिहार में सड़कों की लंबाई ( सितंबर तक )**

**2013**

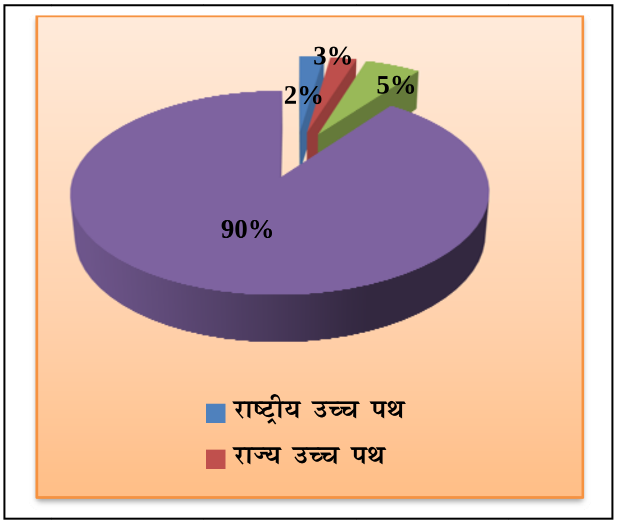


**2014**

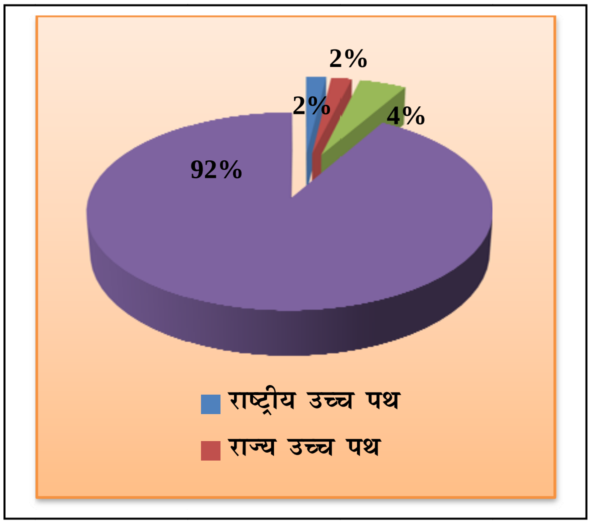

चौड़ाई के आधार पर राज्य में चार प्रकार के उच्चपथ है – एक लेन, मध्यवर्ती लेन, दो-लेन और द्वयाधिक-लेन जिनकी चौड़ाई 3.75 मीटर से लेकर 7 मीटर से भी अधिक है। हालांकि राष्ट्रीय उच्चपथों (37.5 प्रतिशत) और राज्य उच्चपथों (63.7 प्रतिशत) में 7.00 मी. चौड़ाई वाली दो-लेन सड़कों का अनुपात अधिक है लेकिन अधिकांश मुख्य जिला पथ (51.1 प्रतिशत) एक-लेन (3.75 मी.) वाले हैं (तालिका 4.3)।

**तालिका 4.3 : बिहार में उच्चपथों की स्थिति (सितंबर 2014 तक)**

| उच्चपथों की श्रेणी | राष्ट्रीय उच्चपथ | | राज्य उच्चपथ | | मुख्य जिला पथ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लंबाई (कि.मी.) | प्रतिशत हिस्सा | लंबाई (कि.मी.) | प्रतिशत हिस्सा | लंबाई (कि.मी.) | प्रतिशत हिस्सा |
| एक लेन (3.75 मी. चौड़ी) | 620.13 | 14.4 | 868.45 | 19.8 | 5175.3 | 51.1 |
| मध्यवर्ती लेन (5.5 मी. चौड़ी) | 872.59 | 20.2 | 679.59 | 15.5 | 3400.40 | 33.6 |
| दो लेन (7.0 मी. चौड़ी) | 1620.75 | 37.5 | 2797.18 | 63.7 | 1367.69 | 13.5 |
| द्वयाधिक लेन (7.0 मी. से अधिक चौड़ी) | 1183.02 | 27.4 | 43.98 | 1.0 | 184.17 | 1.8 |
| जानकारी नहीं (मिसिंग लिंक) | 24.5 | 0.6 | — | — | — | — |
| **योग** | **4320.99** | **100.0** | **4389.20** | **100.0** | **10127.56** | **100.0** |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

<u>राष्ट्रीय उच्चपथ</u>

राष्ट्रीय उच्चपथ का राज्य के आर्थिक विकास में रणनीतिक महत्व है क्योंकि वे बिहार को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं। सितंबर 2012 तक राज्य में कुल 28 राष्ट्रीय उच्चपथ थे जिनकी कुल लंबाई 3,734 किमी थी। गत दो वर्षों में 7 और उच्चपथों के जुड़ जाने से उनकी कुल लंबाई 4,321 किमी हो गई है। यह भी गौरतलब है कि राष्ट्रीय उच्चपथ की विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा 2013 और 2014 में लगभग समान ही रहा और उनकी कुल लंबाई में एक-लेन और मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों का हिस्सा लगभग 35 प्रतिशत है।

यह एक तथ्य है कि नेपाल का सीमावर्ती होने की रणनीतिक अवस्थिति के बावजूद बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई अपर्याप्त है। उनकी वर्तमान लंबाई में वृद्धि के लिए प्रयास किए गए हैं। पहले से छठे चरण के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों को चार/ छः लेन में बदलने का काम आरंभ किया गया है। तालिका 4.4 में देखा जा सकता है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का 206 किमी लंबाई में काम पूरा हो गया है और पूर्व-पश्चिम मार्ग के भी बड़े हिस्से में चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना के तहत शेष काम क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजना के सातवें चरण के तहत पटना रिंग रोड के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है।

**तालिका 4.4 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के चार/ छः लेन वाली सड़कों में उन्नयन की स्थिति**

| चरण | परियोजना | लंबाई (किमी) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| I | स्वर्ण चतुर्भुज | 206 | 206 किमी का काम पूरा |
| II | पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर | 487 | 464 किमी का काम पूरा। शेष 23 किमी में प्रगति पर। |
| III | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना | 1015 | 366 किमी का काम पूरा |
| IV | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना | 527 | 76 किमी का काम पूरा |
| V | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना उत्तर प्रदेश/ झारखंड सीमा | 206 | 6 किमी का काम पूरा |
| VI | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना | 65 | |
| | | **2506** | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2006-07 से 2013-14 के बीच राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चपथ हेतु 1,917.32 करोड़ रु. की स्वीकृति सीमा के बरअक्स केंद्र सरकार द्वारा 1,513.94 करोड़ रु. स्वीकृत स्वीकृत किए गए (तालिका 4.5)। किया गया व्यय 1,488.25 करोड़ रु. था जिससे राष्ट्रीय उच्चपथों के उन्नयन या उनकी कुल लंबाई में वृद्धि का काम हुआ।

**तालिका 4.5 : केंद्र द्वारा पथ निर्माण हेतु स्वीकृत सीमा तथा स्वीकृत रकम की स्थिति**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | स्वीकृति सीमा | मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम | व्यय | भौतिक प्रगति (किमी) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 243.00 | 112.29 | 120.77 | 337.00 |
| 2007-08 | 239.00 | 174.72 | 95.99 | 191.00 |
| 2008-09 | 316.00 | 276.07 | 104.23 | 216.00 |
| 2009-10 | 284.81 | 201.58 | 268.43 | 378.17 |
| 2010-11 | 109.00 | 86.97 | 288.87 | 383.35 |
| 2011-12 | 0.00 | 0.00 | 226.03 | 186.29 |
| 2012-13 | 427.51 | 267.34 | 118.60 | 33.00 |
| 2013-14 | 298.00 | 394.97 | 265.33 | 192.00 |
| योग | 1917.32 | 1513.94 | 1488.25 | 1916.81 |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने तीन राज्य उच्चपथों को राष्ट्रीय उच्चपथ में बदलने की अधिसूचना जारी कर दी। इन परिवर्तित उच्चपथों के बारे में जानकारी तालिका 4.6 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.6 : मार्च 2014 में राष्ट्रीय उच्चपथ में परिवर्तित राज्य उच्चपथ**

| क्र. सं. | राज्य उच्चपथ संख्या | सड़क का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 33A | बरबीघा-जमुई-बांका |
| 2. | 527A | पोखरौनी-मधुबनी-झंझारपुर |
| 3. | 219 | मोहनिया-भभुआ-चांद-धरौली |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य उच्चपथ

सितंबर 2014 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,389.20 किमी थी। लगभग 64 प्रतिशत उच्चपथ दो लेन वाले, 20 प्रतिशत एक लेन वाले और 15 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले हैं। राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई में 7 मी. से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है।

राज्य सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और इरकॉन इंटरनेशनल के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के जरिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के वित्तपोषण से सारे राज्य उच्चपथों को न्यूनतम दो लेन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 33 जिलों में 35 पैकेज पर काम करना था और 1,760 किमी में से सारी सड़कों का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार, इरकॉन ने 5 जिलों के 17 पैकेज के तहत 354 किमी सड़कों का काम पूरा कर लिया है। जिलावार विवरण तालिका प 4.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 4.7 : राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य की प्रगति**

| अभिकरण | जिलों की सं. | कुल स्वीकृत लंबाई (किमी) | पैकेज की संख्या | धनराशि की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति (करोड़ रु.) | विमुक्त धनराशि (करोड़ रु.) | भौतिक प्रगति (किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इरकॉन | 5 | 354 | 17 | 888.79 | 880.03 | सारा काम पूरा |
| केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 33 | 1760 | 35 | 2727.80 | 2716.95 | सारा काम पूरा |
| **योग** | **38** | **2114** | **52** | **3616.59** | **3596.98** | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

उक्त कार्य के अलावा, बची हुई रकम से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राज्य उच्चपथ-79 (डुमरांव-बिक्रमगंज रोड का 44.40 किमी) और इरकॉन ने राज्य उच्चपथ-104 (दिघवारा-भेल्डी-अमनौर रोड का 23.40 किमी) के चौड़ीकरण का काम शुरू किया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) द्वारा समर्थित पथ परियोजनाएं

(i) रेल विभाग गंगा नदी पर पटना के निकट दीघा और सोनपुर के बीच रेल-सह-सड़क पुल निर्माण का काम कर रहा है। परियोजना का कुल व्यय 2,921 करोड़ रु. है। इस व्यय में राज्यांश (1,240 करोड़ रु.) का

भुगतान योजना आयोग द्वारा किया जाना है जिसे राज्य सरकार को योजना आयोग से मिलने वाले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अनुदान से समंजित कर लिया जाएगा। योजना आयोग द्वारा 1,119 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है और शेष 121 करोड़ रु. के लिए केंद्र सरकार के पास अनुशंसा पत्र भेजा गया है।

(ii) 1,289.25 करोड़ रु. के व्यय से पटना (राष्ट्रीय उच्च पथ-98) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से दीघाघाट तक (11.90 किमी) उत्थित/अर्ध-उत्थित मार्ग (रेल-सह-सड़क पुल संपर्क पथ) का निर्माण किया जा रहा है। गैमन इंडिया लि. द्वारा इस परियोजना को तीन वर्षों के अंदर पूरा कर लेने की योजना है। योजना आयोग द्वारा मार्च 2014 तक 215.00 करोड़ रु. विमुक्त किए जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है।

(iii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की संभावित बची हुई रकम से मल्टी-अंडरपास फ्लाईओवर, उत्थित खंड (एलिवेटेड सेक्शन), पदयात्री क्रॉसिंग, सॉफ्टवेयर नियंत्रित सोलर लाइट, भू-दृश्यावली और पटना में बेली रोड पर विद्युत भवन से ललित भवन तक समेकित जलनिकासी प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना का कुल व्यय 391.48 करोड़ रु. है। काम के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है।

<u>एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायाजित परियोजनाएं</u>

(i) वर्ष 2006 से 2008 के बीच राज्य सरकार ने 1,880 किमी सड़कों को राज्य उच्चपथ घोषित किया था। एशियाई विकास बैंक ने इन सड़कों को दो-लेन वाली सड़कों में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकाक्षी परियोजना को बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना नाम दिया गया है।

(ii) बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1 के तहत 2,629.86 करोड़ रु. के व्यय से 824.22 किमी की कुल लंबाई वाली 9 सड़कों का उत्क्रमण 2008-09 में शुरू किया गया था। यह परियोजना मई 2015 में पूरी होनी है। इन नौ सड़कों की स्थिति तालिका 4.8 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.8 : एशियाई विकास बैक द्वारा प्रायोजित सड़कों की स्थिति**

| राज्य उच्चपथ सं. | राज्य उच्चपथ का नाम | स्वीकृत लंबाई (किमी) | प्रशासनिक स्वीकृति (करोड़ रु.) | वित्तीय प्रगति (करोड़ रु.) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | शिवगंज-बैदराबाद | 82.25 | 252.38 | 63.44 | प्रगति पर |
| 69 | डुमरिया-रानी तालाब | 152.80 | 442.27 | 52.14 | प्रगति पर |
| 70 | गया-रजौली | 58.23 | 144.19 | 100.00 | काम पूरा |
| 71 | जहानाबाद-इस्लामपुर | 85.20 | 234.80 | 100.00 | काम पूरा |
| 73 | सीवान-शीतलपुर | 88.00 | 290.34 | 100.00 | काम पूरा |
| 74 | हाजीपुर-केसरिया-अरेराज | 87.06 | 269.28 | 100.00 | काम पूरा |
| 75 | दरभंगा-कमतौल-मधवापुर | 46.75 | 211.57 | 100.00 | काम पूरा |
| 76 | अररिया-सुपौल-भपटियाही | 121.00 | 436.36 | 100.00 | काम पूरा |
| 77 | कुरसैला-रानीगंज-फार्बिसगंज | 102.93 | 348.67 | 100.0 | काम पूरा |
| | **योग** | **824.22** | **2629.86** | | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

(iii) बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत 2,547.02 करोड़ रु. के व्यय से 387.49 किमी की कुल लंबाई वाले 5 राज्य उच्चपथों को दो-लेन वाली सड़कों में बदलने के लिए उत्क्रमण कार्य किया जा रहा है। इन 9 सड़कों की स्थिति तालिका 4.8 में प्रस्तुत है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के लिए राज्यांश 29.25 प्रतिशत और एशियाई विकास बैंक का ऋण घटक 70.75 प्रतिशत तय किया गया है। काम की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण राज्य उच्चपथ-78 और राज्य उच्चपथ-90 के सिविल कार्यों से संबंधित समझौता राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। पुनर्निविदा के समझौते के लिए एशियाई विकास बैंक को वांछित प्रलेख भेजे जा रहे हैं। पांचो सड़कों की स्थिति तालिका 4.9 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.9 : बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत सड़कों के उत्क्रमण की स्थिति**

| राज्य उच्चपथ सं. | राज्य उच्चपथ का नाम | स्वीकृत लंबाई (किमी) | प्रशासनिक स्वीकृति (करोड़ रु.) | मार्च 2014 में वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | बिहटा-डुमरी-नूरसराय-सरमेरा | 100.400 | 1117.58 | 44.5 | पुनर्निविदा |
| 81 | सक्कड़ी-नासरीगंज | 83.239 | 307.66 | 19.4 | प्रगति पर |
| 90 | मोहम्मदपुर-छपरा | 64.400 | 361.54 | 31.4 | पुनर्निविदा |
| 91 | बीरपुर-उदाकिसनगंज | 106.388 | 592.228 | 35.1 | प्रगति पर |
| 89 | सीवान-सिसवन | 33.065 | 167.96 | 12.1 | प्रगति पर |
| | **योग** | **387.492** | **2547.02** | | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

(iv) बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु एशियाई विकास बैंक ने 4 अन्य राज्य उच्चपथों को दो-लेन में बदलने के लिए ऋण स्वीकृत कर दिया है। ऋण समझौता एशियाई विकास बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित हो चुका है।

**तालिका 4.10 : अतिरिक्त वित्तपोषण के तहत कार्य की स्थिति**

| राज्य उच्चपथ सं. | राज्य उच्चपथ का नाम | स्वीकृत लंबाई (किमी) | प्रशासनिक स्वीकृति (करोड़ रु.) | मार्च 2014 में वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | बागी-बरबिगहा | 37.646 | 170.32 | 11.66 | प्रगति पर |
| 86 | सरैया-मोतीपुर | 28.204 | 210.88 | 10.93 | प्रगति पर |
| 87 | रुन्नीसैदपुर-नानपुर-पुपरी-सुरसंड-भिसवा | 67.759 | 443.02 | 6.33 | प्रगति पर |
| 88 | राष्ट्रीय उच्चपथ-103-बरुणा पुल-रसियारी | 120.901 | 834.47 | 6.34 | प्रगति पर |
| | **योग** | **254.506** | **1658.69** | | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मुख्य जिला पथ

सितंबर 2014 में राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 10,128 किमी थी जिसके बड़े (51 प्रतिशत) हिस्से की चौड़ाई 3.05 मी. से 3.50 मी. के बीच है। राज्य में वर्तमान परिवहन घनत्व के लिहाज से यह चौड़ाई नितांत अपर्याप्त है। राज्य सरकार 5175 किमी लंबाई में सड़कों को 5.50 मी. चौड़ाई वाली मध्यवर्ती लेन में बदलने का प्रयत्न कर रही है। उन्नयन का काम धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप किया जा रहा है। साथ ही, जिन सड़कों का मध्यवर्ती लेन में उन्नयन नहीं किया जा रहा है, उनकी सतह नई बनाई जा रही है या उनकी मरम्मत की जा रही है।

मुख्य जिला पथों के विभिन्न कार्यों के लिए राज्य योजना, नाबार्ड (आरआइडीएफ), केंद्रीय सड़क कोष, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र कोष, भारत-नेपाल सीमा पथ विकास कार्यक्रम, आर्थिक महत्ववान पथ, अंतर्राष्ट्रीय महत्ववान पथ और और वित्त आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। जारी योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में 1,258 किमी सड़कों के उत्क्रमण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 में लगभग 1 हजार किमी सड़कों का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना

पथ आवश्यकता योजना के प्रथम चरण (आरआरपी-1) के तहत राज्य के कुल पांच अतिवाद प्रभावित जिलों - अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद - को चुना गया है। इस योजना के तहत 674.34 किमी की कुल लंबाई वाली 41 पथ परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं जिनका कुल व्यय 616.34 करोड़ रु. है। इसमें 71.83 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 68.10 किमी राज्य उच्चपथ और 534.42 किमी मुख्य जिला पथ शामिल हैं। मई 2014 तक 37 योजनाओं के तहत 511.65 करोड़ रु. के व्यय से 636.42 किमी सड़कों का काम पूरा हो गया था। शेष 4 परियोजनाओं का काम 2014-15 में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

पथ आवश्यकता योजना के द्वितीय चरण के तहत केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु राज्य के औरंगाबाद, अरवल, गया, जमुई, जहानाबाद और रोहतास जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव पेश किए गए थे। इनमें से कुल 878.75 किमी लंबाई वाली 35 परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा छांटा गया है और स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य योजना की योजनाएं

राज्य योजना की योजनाओं के तहत अभी 4,389 किमी राज्य उच्चपथ और 10,128 किमी मुख्य जिला पथ हैं। इन सड़कों के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण-सह-रखरखाव संबंधी बोली का दृष्टिकोण अपनाया गया है। सड़कों के समुचित रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने दीर्घकालिक प्रदर्शन आधारित पथ संपदा अनुरक्षण संविदा प्रणाली की नीति अपनाई है। इसके तहत अपेक्षाकृत लंबी अवधि (सामान्यतः 5 वर्ष) के लिए समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है।

वर्ष 2013-14 में 1,815.16 किमी मुख्य जिला पथों और 10 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ का उत्क्रमण और सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2014-15 में मुख्य जिला पथ क्षेत्र के तहत 650 करोड़ रु. और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। अभी 2,247.56 करोड़ रु. के व्यय से 1,683 किमी सड़कों का काम प्रगति पर है।

<u>ग्रामीण पथ</u>

ग्रामीण पथ गांवों, खास कर सुदूर गांवों को नजदीकी शहरों-बाजारों से जोड़ने का काम करते हैं। इससे किसानों को अपने कृषि उत्पाद, खास कर फल-सब्जियां नजदीकी बाजारों तक ले जाने में मदद मिलती है जहां उन्हें अपने उत्पादों का प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण नेटवर्क की कुल लंबाई सितंबर 2013 में 1.62 लाख किमी थी जो 28 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2014 में 2.07 लाख किमी हो गई। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण पथों में बड़ा हिस्सा अभी भी कच्ची सड़कों का है जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत क्रमशः पक्की सड़कों में बदला जा रहा है। सितंबर 2014 तक कुल 45 हजार किमी ग्रामीण पथों का उत्क्रमण कार्य पूरा किया जा सका था जिसमें से 33 प्रतिशत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत था और शेष 67 प्रतिशत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण पथों के उत्क्रमण के साथ-साथ 109 पुलों का भी निर्माण किया गया।

**तालिका 4.11 : ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सितंबर 2014 तक योजना-वार निर्मित सड़कें**

| योजना का नाम | पथ निर्माण (किमी) | पुल निर्माण (सं.) | व्यय (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अन्य राजकीय योजनाओं सहित) | 14919.6 | 109 | 7039.18 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 30080 | — | 14814.43 |
| **योग** | **44999.6** | **109** | **21853.61** |

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बिहार ग्रामीण पथ विकास निगम (बीआरआरडीए) की स्थापना 2003 में हुई थी जो विभिन्न ग्रामीण पथों से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि निगम ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 45 हजार किमी सड़कों का निर्माण किया है। वर्ष 2013-14 में 3,231.87 करोड़ रु. के व्यय से कुल 6,504.51 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण किया गया है। इन सड़कों का कार्यक्रम आधारित विवरण तालिका 4.12 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.12 : 2013-14 में निर्मित सड़कों की कार्यक्रमवार लंबाई**

| क्र. सं. | कार्यक्रम का नाम | निर्मित सड़कों/ पुलों की लंबाई (किमी में) | खर्च रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 690.23 | 200.00 |
| 2 | नाबार्ड ऋण प्रायोजित राज्य योजना | 752.17 (412.50 मी. पुल) | 425.97 |
| 3 | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना | 933.05 | 255.34 |
| 4 | अनुसूचित जाति विशेष घटक कार्यक्रम | 473.21 | 150.00 |
| 5 | आपकी सरकार आपके द्वार | 106.60 | 30.00 |
| 6 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 3549.25 | 1870.80 |
| | **योग** | **6504.51** | **2932.11** |

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना मुख्यतः समेकित कृषि कार्यक्रम वाले 11 जिलों को छोड़कर, जहां ग्रामीण पथ नेटवर्क अपेक्षाकृत व्यापक है, शेष जिलों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव-टोलों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 14,920 किमी सड़कों के जरिए कुल 108.6 हजार गांव-टोलों में से 54.5 हजार (50.2 प्रतिशत) को सड़कों से जोड़ा गया है (तालिका 4.13)।

**तालिका 4.13 : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना**

| आबादी | 1000+ | 500-999 | 250-499 | < 250 | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| संपर्कित गांव-टोलों की संख्या | 14114 | 13640 | 13665 | 13069 | 54488 |
| असंपर्कित गांव-टोलों की संख्या | 6619 | 13352 | 20886 | 13246 | 54103 |
| **योग** | **20733** | **26992** | **34551** | **26315** | **108591** |

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

केंद्रीय सड़क कोष योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से 65 पूरी हो चुकी हैं और शेष 11 का काम प्रगति पर है। वर्ष 2013-14 में पेश किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर केंद्र सरकार ने कुल 45.47 करोड़ रु. विमुक्त किए हैं। उसी वर्ष केंद्र सरकार ने 24.38 करोड़ रु. व्यय वाली 11.90 किमी लंबाई की दो योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2014-15 में केंद्रीय सड़क कोष से संभावित आबंटन के आधार पर राज्य सरकार ने 100 करोड़ रु. के केंद्रांश और 350 करोड़ रु. के राज्यांश का बजट प्रावधान किया है।

भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से भारत-नेपाल सीमावर्ती सड़क का भारी महत्व है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार ने कुल 1,702 करोड़ रु. के व्यय से भारत-नेपाल सीमा के समानांतर पुल-पुलियों सहित 564 किमी लंबी सड़क के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। बाद में सड़क की स्वीकृत को संशोधित करके 552.29 किमी कर दिया जिसमें 8 बड़े पुल, 6 छोटे पुल और 852 पुलिए शामिल हैं। परियोजना का संशोधित अनुमानित बजट 1,655.99 करोड़ रु. है।

### 4.2 पुल क्षेत्र

वर्ष 2005-06 से 2013-14 के बीच राज्य योजना के तहत 213 बड़े और छोटे पुलों का तथा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (नाबार्ड) के तहत 61 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। पूरे हुए कार्यों में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (नाबार्ड) के तहत दो महा-पुलों का निर्माण किया गया है - एक पुल पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बगहा-रतवल घाट पर, और दूसरा कोशी नदी पर बलुहा घाट में। इसके अलावा सीतामढ़ी में मंदार घाट पुल का संपर्कपथ भी राज्य योजना के तहत बनाया गया है।

इनके अलावा, ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (नाबार्ड) के तहत गोपालगंज के बिष्णुपुर में गंडक नदी पर, नौगछिया (भागलपुर) में कोशी नदी पर विजयघाट पुल, और पूर्व चंपारण में चकिया-केशरिया-सुल्तानघाट रोड से गंडक नदी तक उच्चस्तरीय आरसीसी पुल सहित संपर्क पथ का निर्माणकार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, बलुहा घाट और गंडौल (सहरसा) के बीच कमला पर एक अन्य पुल, गंडौल और हाथी कोठी के बीच बिरौल (दरभंगा) के समीप संपर्क पथ पर पुल-पुलिओं, सोन नदी पर दाउदनगर (औरंगाबाद) और नासरीगंज (रोहतास) के बीच 4-लेन उच्चस्तरीय पुल और आरा तथा छपरा के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माणकार्य प्रगति पर है।

केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता के तहत पटना शहर में मीठापुर रेल उपरिपुल से चिरैयाटांड़ उपरिपुल के एक्जिबिशन रोड स्कंध तक 4-लेन वाले उपरिपुल का विस्तार और पटना में बेली रोड पर शेखपुरा और जगदेव पथ के बीच एक संपर्क पथ का निर्माणकार्य प्रगति पर है। केंद्रीय सड़क कोष के तहत फल्गु नदी पर गया और मानपुर के बीच लोहे के पुराने पुल की जगह एक नए पुल का निर्माणकार्य प्रगति पर है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (नाबार्ड) के तहत गंगा नदी पर अगुआनी घाट (खगड़िया) और सुल्तानगंज (भागलपुर) के बीच उच्चस्तरीय 4-लेन पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। वर्ष 2014-15 में सड़कों और पुलों के लिए केंद्र सरकार की सहायता के तहत 421.31 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष-12 के तहत 455.47 किमी की कुल लंबाई वाली पुल-पुलियों सहित 39 पथ परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तालिका 4.14 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.14 : ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष-12 के तहत चुनिंदा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति**

| जिला | परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत लंबाई (किमी) | स्वीकृत राशि (करोड़ रु.) | प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| भोजपुर | 12 | 121.48 | 61.99 | सभी पूरी |
| रोहतास | 10 | 125.50 | 47.67 | 8 पूरी/ एक 80 प्रतिशत पूरी/ एक 70 प्रतिशत पूरी |
| नालंदा | 5 | 44.04 | 33.93 | सभी पूरी |
| पूर्णिया | 1 | 9.50 | 3.44 | पूरी |
| भागलपुर | 5 | 112.08 | 37.70 | 4 पूरी/ एक 85 प्रतिशत पूरी |
| मुंगेर | 3 | 20.37 | 6.64 | सभी पूरी |
| लखीसराय | 3 | 22.50 | 12.79 | सभी पूरी |
| **योग** | **39** | **455.47** | **204.16** | |

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

<u>सड़क उपरिपुल (आरओबी)</u>

वर्ष 2005 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के तहत व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर 22 सड़क उपरिपुलों (ओवरब्रीज) का निर्माणकार्य हाथ में लिया गया था। ऐसे 14 उपरिपुलों के निर्माण का काम शुरू किया गया था जिनमें से 10 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष 4 का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 241.82 करोड़ रु. के व्यय से मुख्य जिला पथों पर 8 सड़क उपरिपुलों और इन सड़कों के संपर्क पथों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग पर 11 नए सड़क उपरिपुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है जिनके लिए रेलवे का हिस्सा 257.29 करोड़ रु. और राज्य का हिस्सा 609.16 करोड़ रु. है।

<u>मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना</u>

राज्य सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत, 25 लाख रु. तक व्यय वाले कार्यों का क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा होता है जबकि उससे अधिक व्यय वाले काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपे जाते हैं। वर्ष 2012-13 में 112.37 करोड़ रु. के व्यय से कुल 52 पुलों का निर्माणकार्य पूरा कर लिया गया है (तालिका 4.15)। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 में 1915 करोड़ रु. के व्यय से कुल 913 पुलों का निर्माणकार्य पूरा हुआ है।

**तालिका 4.15 : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल**

(मार्च के अंत तक)

| क्र. सं. | प्रमंडल | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजनाओं की सं. | अनुमानित रकम (करोड़ रु.) | परियोजनाओं की सं. | अनुमानित रकम (करोड़ रु.) |
| 1 | पटना | 6 | 13.33 | 138 | 262.29 |
| 2 | भागलपुर | 1 | 3.51 | 36 | 71.98 |
| 3 | दरभंगा | 2 | 7.10 | 108 | 270.14 |
| 4 | कोशी | 12 | 26.86 | 75 | 166.75 |
| 5 | मगध | 2 | 5.09 | 57 | 186.76 |
| 6 | मुंगेर | 4 | 7.25 | 60 | 167.94 |
| 7 | पूर्णिया | 1 | 4.99 | 83 | 181.4 |
| 8 | सारण | 16 | 27.95 | 93 | 172.04 |
| 9 | तिरहुत | 8 | 16.29 | 263 | 435.98 |
| | **योग** | **52** | **112.37** | **913** | **1915.28** |

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

**चार्ट 4.2 : 9 प्रमंडलों में परियोजनाओं का वितरण**

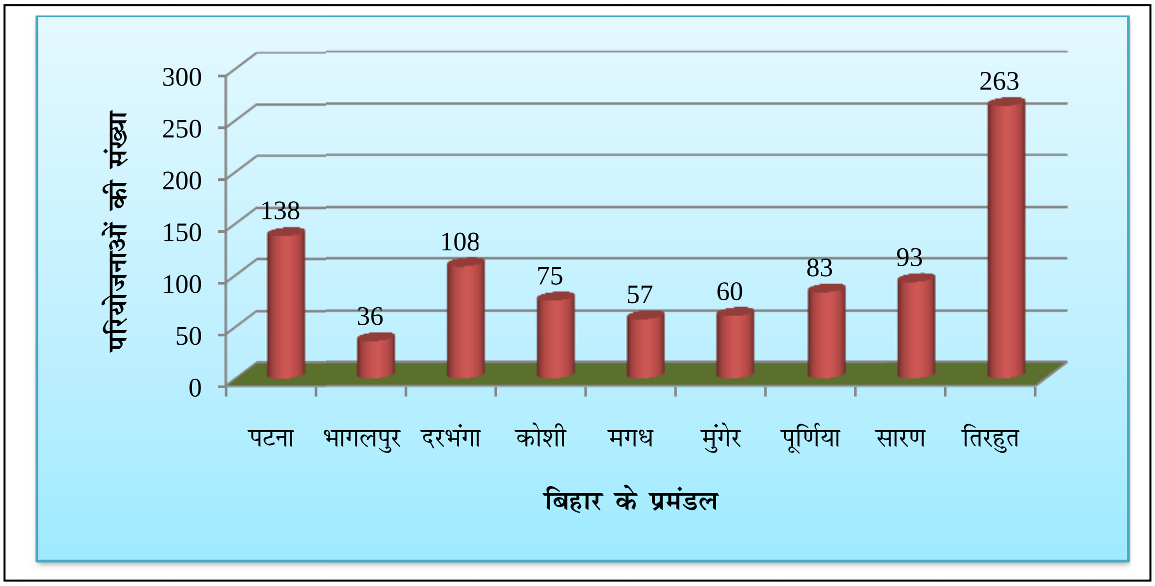


<u>बिहार राज्य पुल निर्माण निगम</u>

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है। इसकी स्थापना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बतौर नवंबर 1974 में हुई थी। निगम को 25 लाख रु. से अधिक अनुमानित व्यय वाले पुलों के निर्माण का दायित्व दिया जाता रहा है। निगम ने 2008-09 से सितंबर 2014 तक कुल 5237.74 करोड़ रु. के व्यय से कुल 1,258 पुलों का निर्माण किया है (तालिका 4.16)।

**तालिका 4.16 : निर्मित पुलों की संख्या**

| वर्ष | पुलों की सं. | व्यय (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 2008-09 | 193 | 466.27 |
| 2009-10 | 233 | 666.18 |
| 2010-11 | 195 | 797.70 |
| 2011-12 | 261 | 883.21 |
| 2012-13 | 136 | 787.87 |
| 2013-14 | 119 | 1151.81 |
| 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 121 | 484.70 |
| **योग** | **1258** | **5237.74** |

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

पुलों के निर्माण के अलावा निगम ने उत्कृष्ट वित्त प्रबंधन दर्शाया है और इसका टर्नओवर, सकल लाभ और शुद्ध लाभ साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है (तालिका 4.17)। वर्ष 2007-08 के पूर्व यह वस्तुतः घाटे में चलने वाली संस्था था। लेकिन अब यह लाभ अर्जित करने वाली संस्था है और इसका शुद्ध लाभ 2007-08 के 45 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 73 करोड़ रु. हो गया है।

**तालिका 4.17 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का कुल टर्नओवर**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | परियोजनाओं पर कुल व्यय | कुल राजस्व | कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय | सकल लाभ | शुद्ध लाभ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 417.48 | 88.26 | 12.21 | (+) 76.05 | (+) 45.34 |
| 2008-09 | 756.01 | 110.73 | 20.30 | (+) 90.43 | (+) 45.59 |
| 2009-10 | 853.84 | 111.59 | 23.79 | (+) 87.81 | (+) 42.27 |
| 2010-11 | 1,158.42 | 114.68 | 44.05 | (+) 70.63 | (+) 35.58 |
| 2011-12 | 1,294.36 | 175.62 | 49.62 | (+) 125.99 | (+) 84.24 |
| 2012-13 | 1,273.30 | 141.94 | 34.95 | (+) 106.99 | (+) 63.81 |
| 2013-14 | 1,480.85 | 159.22 | 39.03 | (+) 120.18 | (+) 72.54 |

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

**चार्ट 4.3 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा परियोजनाओं पर कुल व्यय**

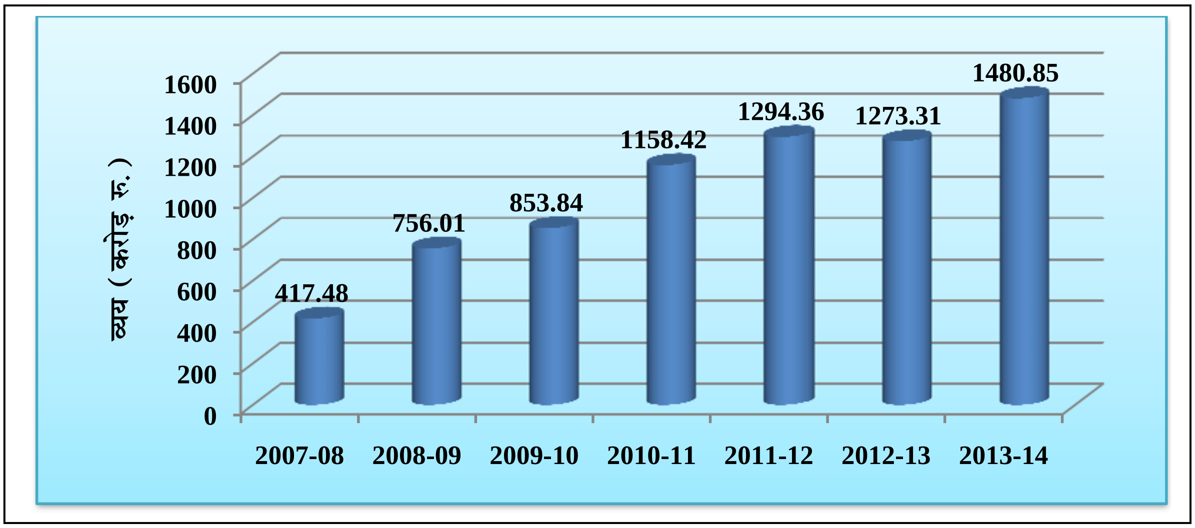

### 4.3 पथ परिवहन

पथ परिवहन राज्य को किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। लोगों और सामानों के इधर–उधर जाने में सहायता करने के मामले में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य सरकार का राजस्व अर्जित करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग भी है। गत 6 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में असाधारण वृद्धि हुई है (तालिका 4.18)।

**तालिका 4.18 : परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण**

| वर्ष | संग्रहण (करोड़ रु.) | वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 2009-10 | 372.84 | 22.8 |
| 2010-11 | 444.11 | 19.1 |
| 2011-12 | 557.48 | 25.5 |
| 2012-13 | 669.3 | 20.1 |
| 2013-14 | 834.19 | 24.6 |
| 2014-15, (सितंबर तक) | 436.41 | — |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 4.4 : परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व**

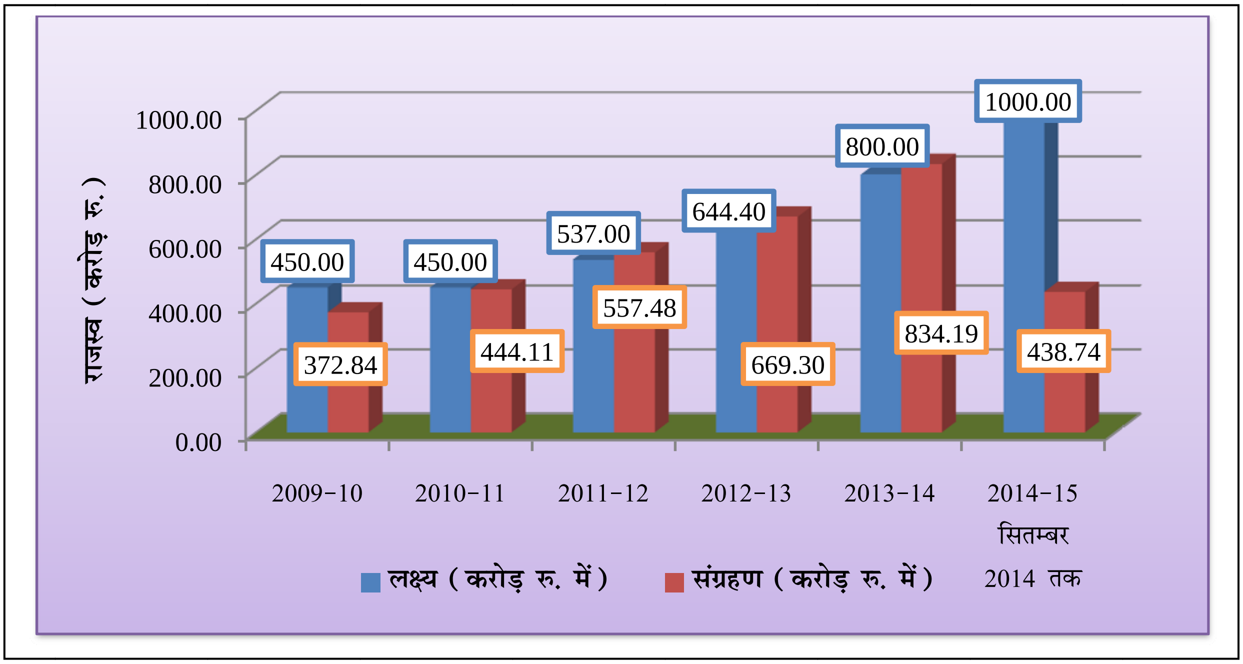


कर संग्रहण और वाहनों पर नियंत्रण के मकसद से राज्य में हर वाहन को परिवहन विभाग में निबंधित कराना जरूरी होता है। निबंधित वाहनों की संख्या साल–दर–साल बढ़ रही है। तालिका 4.19 में देखा जा सकता है कि

2008-09 में कुल 2.20 लाख वाहनों का राज्य में निबंधन हुआ था जो 2013-14 में ढाईगुना बढ़कर 5.54 लाख हो गया। वर्ष 2014-15 के पहले छः महीनों (अप्रील से सितंबर) में कोई 2.96 लाख नए वाहनों का निबंधन हुआ है। तालिका पर नजर डालने से यह भी पता चलता है कि हालांकि हाल के वर्षों में सभी श्रेणी के वाहनों में असाधारण वृद्धि हुई है लेकिन ट्रकों और टैक्सियों की संख्या में तिगुनी से अधिक वृद्धि हुई और आॅटो-रिक्शा के मामले में चारगुनी। वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक 48.6 प्रतिशत 2009-10 में थी और सबसे कम 11.4 प्रतिशत 2013-14 में। निबंधित वाहनों की जिलावार संख्या तालिका प 4.3 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.19 : निबंधित वाहनों की संख्या**

| वर्ष | ट्रक | बस | कार | टैक्सी | जीप | आॅटो | दुपहिया | ट्रैक्टर | ट्रेलर | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 3598 | 1121 | 10549 | 3791 | 5748 | 8423 | 166882 | 11203 | 7510 | 1588 | 220413 |
| 2009-10 | 8473 | 1555 | 14954 | 7347 | 9862 | 12392 | 241856 | 19496 | 10529 | 969 | 327433 |
| 2010-11 | 6987 | 1494 | 18814 | 5419 | 9746 | 17422 | 293204 | 21055 | 10942 | 1940 | 387023 |
| 2011-12 | 9719 | 1394 | 23495 | 8595 | 9071 | 20698 | 331052 | 22954 | 11404 | 1289 | 439671 |
| 2012-13 | 10190 | 1895 | 24452 | 14346 | 9815 | 30387 | 362068 | 30478 | 10854 | 2333 | 496818 |
| 2013-14 | 10732 | 1646 | 23413 | 11761 | 9476 | 35353 | 419724 | 31354 | 8011 | 2228 | 553698 |
| 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 5822 | 1122 | 12160 | 3534 | 4212 | 16673 | 229599 | 17607 | 4043 | 880 | 295652 |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 4.5 : बिहार में निबंधित वाहनों की संख्या**

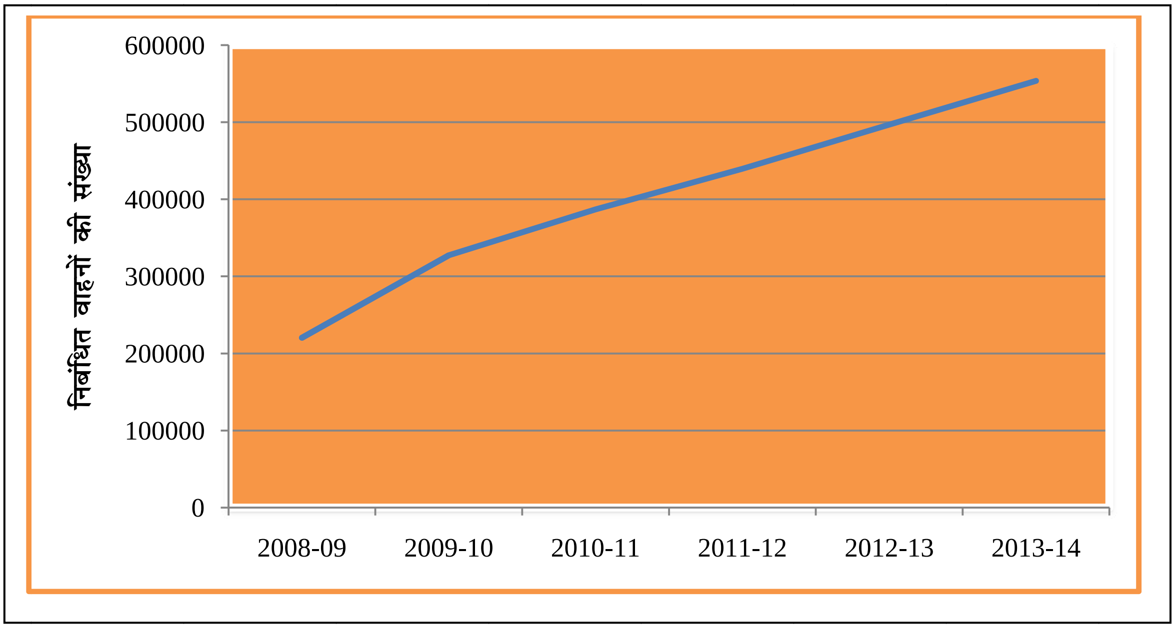

**चार्ट 4.6 : निबंधित वाहनों का ब्योरा ( 2013-14 )**

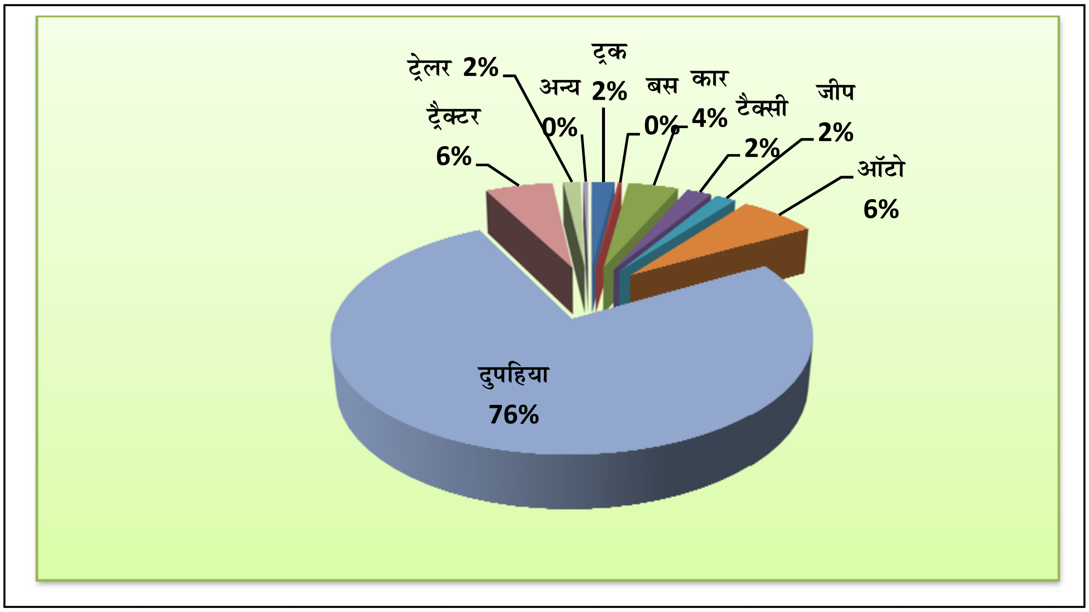


<u>विक्रेता के समीप निबंधन</u>

केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई भी वाहन बिना निबंधन संख्या के सड़क पर नहीं चल सकता है। निबंधन की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए विभाग ने सारे वाहनों को खरीद के समय विक्रेता के पास ही निबंधित कराने का निर्णय किया है। इससे सुनिश्चित होता है कि सारे वाहन अपने ऊपर दर्ज निबंधन संख्या के साथ ही शोरूम से बाहर निकलें।

<u>वाहनों के अवैध चलने पर नियंत्रण</u>

वाहनों का अवैध रूप से चलना नियंत्रित करने के लिए एक प्रवर्तन तंत्र गठित किया गया है जिसमें जिला परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन उप-निरीक्षक शामिल होते हैं। वर्ष 2013-14 में राज्य में कुल 40 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों का दायित्व अवैध वाहनों के चलने की जांच करना और सामान ढोने वाले वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक लदाई पर रोक लगाना है। प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए हर अधिकारी को हाथ में रखने योग्य उपकरण दिए गए हैं। इससे उन्हें जांच स्थल पर ही जुर्माना लगाने और चालान जारी करने में मदद मिलती है। गत 7 वर्षों के दौरान जुर्माना के बतौर वसूली गई रकम के आंकड़े तालिका 4.20 में पसतुत हैं।

**तालिका 4.20 : प्रवर्तन तंत्र द्वारा संग्रहित जुर्माने की रकम**

| | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संग्रहित जुर्माने की रकम (करोड़ रु.) | 22.47 | 41.01 | 62.36 | 64.06 | 94.17 | 114.97 | 125.69 |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

समेकित जांच चौकियों का निर्माण

समेकित जांच चौकियां राज्य के छः प्रमुख प्रवेश स्थलों पर स्थापित की गई हैं – डोभी (गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (कैमूर), जलालपुर (गोपालगंज), दालकोला (पूर्णिया) और बक्सर। ये सारी जांच चौकियां वाणिज्य कर विभाग के तहत काम करती हैं। वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक ढुलाई रोकने के लिए गांधी सेतु के उत्तरी छोर (हाजीपुर) पर और बरौनी (बेगूसराय) के समीप जीरो माइल में एक-एक जांच चौकी स्थापित की गई है। इन जांच चौकियों के स्थापित किए जाने से राजस्व संग्रहण में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में जांच के दौरान गलत करने वाले 9,642 वाहनों से 6.61 करोड़ रु. वसूल किए गए। वाहनों द्वारा अवैध ढुलाई रोकने के लिए पटना (ट्रांसपोर्ट नगर), फतुहा और बिहटा में 100 टन क्षमता वाला कंप्यूटरीकृत धर्मकांटा स्थापित किया गया है। मसौढ़ी में धर्मकांटा लगाने का काम प्रगति पर है।

उच्च सुरक्षा वाले निबंधन प्लेट

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिवहन विभाग ने सभी 38 जिलों में निबंधन प्लेट लगाने की सुविधा देने के लिहाज से 9 स्थानों पर ई-बॉसिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उत्सव सेफिटी सिस्टम के साथ समझौता किया है। उच्च सुरक्षा वाले निबंधन प्लेट पर काम जुलाई 2012 से ही शुरू हो गया है। अभी पटना और मुजफ्फरपुर में काम चल रहा है और अभी तक लगभग 2.34 लाख वाहनों में उच्च सुरक्षा वाले निबंधन प्लेट लगाए जा चुके हैं।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

वर्ष 1959 में स्थापित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध कराने वाला वैधानिक व्यावसायिक निकाय है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निगम ने 2009-10 में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की योजना शुरू की। वर्ष 2012-13 में निगम की अपनी या साझेदारी के तहत चलने वाली बसों की कुल संख्या 370 थी जो 2013-14 में 410 हो गई। साझेदारी के तहत अभी उच्चस्तरीय वॉल्वो/ मर्सिडीज बसें चल रही हैं। एक समझौते के तहत, पटना से बिहार और झारखंड के अनेक शहरों के बीच 12 वॉल्वो और मर्सिडीज बसें चल रही हैं। बिहार से पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर-राज्य बसें चलाने की योजना जल्द ही शुरू हो जाने की आशा है।

निगम द्वारा किए जाने वाले विविध प्रयासों के चलते निगम की बसों द्वारा ढोए जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी है जो 2009-10 के 66.43 लाख से बढ़कर 2013-14 में 152.26 लाख हो गई (तालिका 4.21)।

**तालिका 4.21 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| यात्रियों की संख्या (लाख) | 66.43 | 89.53 | 137.67 | 146.61 | 152.26 |

स्रोत : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार सरकार

**चार्ट 4. 7 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या**

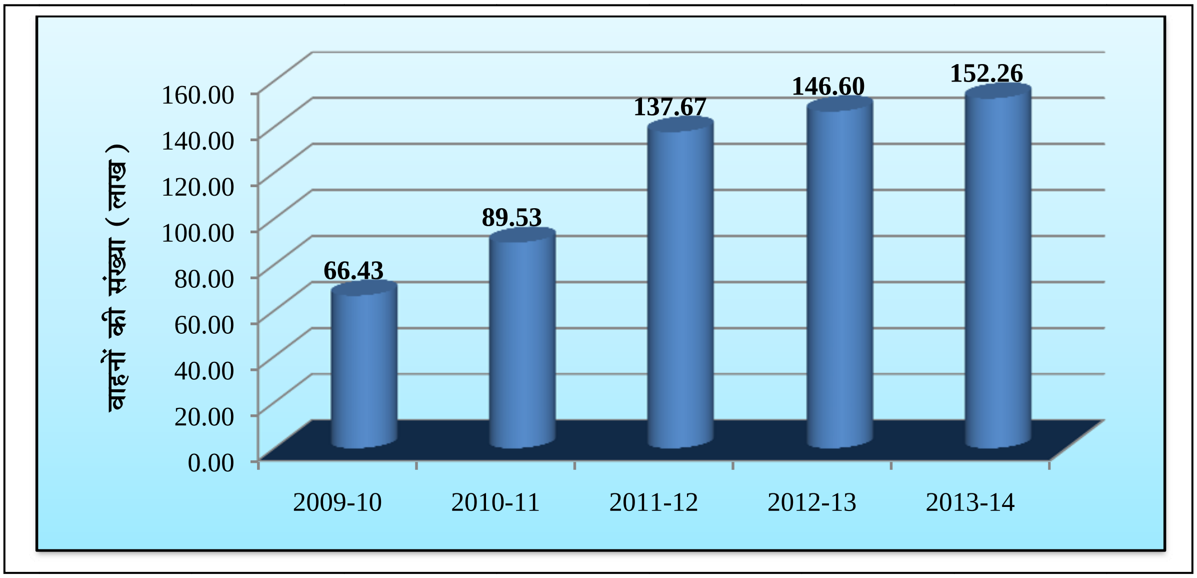


<u>अंतर्देशीय जलमार्ग</u>

अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के सुगम कामकाज और दुर्घटनाओं से बचाव के लिहाज से राज्य सरकार ने बंगाल नौका नियमावली 1885 पर आधारित बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 सूत्रबद्ध की है। कथित नियमावली के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

(i) राज्य में चलने वाली सारी नौकाओं का निबंधन कराना होगा और निबंधन को रद्द करने का भी प्रावधान होगा।

(ii) निबंधित नौकाओं का स्वामित्व हस्तांतरणीय होगा।

(iii) नाविक को खास स्थितियों के तहत नाव चलाने की अनुमति दी जाएगी। नाव चलाने की अनुमति के नवीकरण, हस्तांतरण और रद्दीकरण का प्रावधान होगा।

(iv) नौकाओं की विशिष्टताओं का मानक विहित किया गया है।

(v) नावों की क्षमता के आधार पर उसके द्वारा ढोए जाने वाले यात्रियों की संख्या तय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(vi) नाव की क्षमता के अनुसार भार रेखा चिन्हित करनी होगी। किसी भी लंबाई और क्षमता वाली पारंपरिक देशी नौकाएं भी बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 के प्रवधानों के अनुसार चलेंगी। ऐसी पारंपरिक नौकाओं की यात्री वहन क्षमता भी उसी नियमावली द्वारा निर्देशित होगी।

## 4.4 रेलमार्ग

रेलमार्ग के पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय वैशाली जिले के हाजीपुर में अवस्थित है। राज्य की विकसित होती अर्थव्यवस्था के लिए वांछित है कि राज्य में इसके नेटवर्क का विस्तार हो जिससे यात्री और मालवाही, दोनो प्रकार की सेवाएं सुगम हों।

पूर्व में रेलवे ने बिहार में पहिया कारखाना, कोच रखरखाव कार्यशाला, और रेलवे स्लीपर कारखाना की कुछ इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। उनमें से कुछ चालू हो गई हैं और अन्य इकाइयों में काम प्रगति पर है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है कि छपरा के बेलापुर में बिना किसी विदेशी सहयोग के अत्यंत उन्नत पहिया कारखाना स्थापित किया गया है। बेलापुर स्थित इस कारखाने का बंगलुरु पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है। संयंत्र का निर्माण 1,500 करोड़ रु. के व्यय से 285 एकड़ जमीन पर किया गया। कारखाने की क्षमता हर वर्ष मालगाड़ियों, यात्री डिब्बों और रेल इंजनों के लगभग 50,000 पहिए बनाने की है जो देश के संपूर्ण पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। संयंत्र में 1 अगस्त 2014 से उत्पादन शुरू हो गया हालांकि आवासीय कॉलोनी और ट्रैक जोड़े जाने का काम अभी भी बाकी है।

## 4.5 वायु मार्ग

वर्ष 2013-14 में भारतीय हवाईअड्डों पर देशी यात्रियों की आवाजाही 12.24 करोड़ तक पहुंच गई जो 2012-13 के आंकड़े 11.64 करोड़ से महज 5.2 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2013-14 में भारतीय हवाईअड्डों पर विदेशी यात्रियों की आवाजाही भी 2012-13 के 4.03 करोड़ से 8.3 प्रतिशत बढ़कर 4.66 करोड़ हो गई। ये वृद्धि दरें ऊंची नहीं हैं और बिहार भी इस रुझान का शिकार है। पटना हवाईअड्डे पर यात्रियों और वायुयानों की आवाजाही की संख्या से यह बात स्पष्ट है। पटना हवाईअड्डे से 2012-13 में प्रतिदिन 16 उड़ानें थी और 2014-15 में भी उनकी संख्या वही है।

पटना हवाईअड्डे से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है। घरेलू उड़ानों की बात करें, तो इनकी कुल संख्या 2012-13 के 9,972 से बढ़कर 2013-14 में 12,900 हो गई लेकिन यात्रियों की संख्या 2012-13 के 10.03 लाख से काफी घटकर मात्र 5.16 लाख रह गई (तालिका 4.22)।

**तालिका 4.22 : पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, मालवहन और यात्रियों की संख्या**

| वर्ष | वायुयानों का आवागमन (सं.) | यात्रियों की संख्या | माल ढुलाई (टन में) |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 12604 | 444458 | 1770 |
| 2008-09 | 9666 | 369408 | 1943 |
| 2009-10 | 10726 | 552542 | 2532 |
| 2010-11 | 9547 | 838509 | 3279 |
| 2011-12 | 10369 | 1021544 | 3425 |
| 2012-13 | 9972 | 1003169 | 2251 |
| 2013-14 | 12900 | 516018 | अनु. |

स्रोत : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना

## 4.6 दूरसंचार

हाल के वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का असाधारण विकास हुआ है और अभी यह चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है। सरकार द्वारा अनेक सुधारमूलक उपायों, बेतार प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में तेजी लाई है। केंद्र सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति घोषित की थी जिसमें स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता और बाजार से संबंधित प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से उनके आबंटन के बारे में सोचा गया है।

विगत कुछ वर्षों में बिहार में भी दूरसंचार क्षेत्र का जबर्दस्त विस्तार हुआ है। तालिका 4.23 में देखा जा सकता है कि 2012-13 में बिहार में 547.73 लाख टेलिफोन कनेक्शन थे जिनमें से लगभग 92 प्रतिशत निजी संचालकों के थे। वर्ष 2013-14 में टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 603.62 लाख हो गई और निजी संचालकों का हिस्सा बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गया। यह भी देखा जा सकता है कि लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या में, जिनमें से अधिकांश भारतीय दूरसंचार निगम के हैं, गत वर्षों के दौरान तेज गिरावट आती गई है। हालांकि निजी क्षेत्र और भारतीय दूरसंचार निगम, दोनों के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन निजी क्षेत्र की विकास दर काफी अधिक तेज है। यह भी देखा जा सकता है कि राज्य में भारतीय दूर संचार निगम के कुल टेलीफोन कनेक्शनों में मोबाइल का 87 प्रतिशत, लैंडलाइन का 8 प्रतिशत और डब्ल्यूएलएल का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि निजी संचालकों के लगभग शत-प्रतिशत कनेक्शन मोबाइल फोनों के हैं।

**तालिका 4.23 : बिहार में दूरभाष कनेक्शन**

(लाख में)

| वर्ष | भारतीय संचार निगम लि. | | | | निजी संचालक | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लैंडलाइन | डब्ल्यूएलएल | मोबाइल | योग | लैंडलाइन | मोबाइल | योग | |
| 2001-02 | 8.05 | 0.40 | 0.08 | 8.53 | — | 1.15 | 1.15 | 9.68 |
| 2002-03 | 9.66 | 0.79 | 0.76 | 11.21 | — | 1.84 | 1.84 | 13.05 |
| 2003-04 | 11.1 | 0.89 | 2.58 | 14.57 | — | 2.58 | 2.58 | 17.15 |
| 2004-05 | 12.89 | 0.98 | 4.05 | 17.92 | — | 5.65 | 5.65 | 23.57 |
| 2005-06 | 17.38 | 1.30 | 9.28 | 27.96 | — | 14.18 | 14.18 | 42.14 |
| 2006-07 | 9.86 | 1.53 | 12.68 | 24.07 | — | 34.50 | 34.50 | 58.57 |
| 2007-08 | 9.73 | 1.88 | 16.3 | 27.91 | — | 68.03 | 68.03 | 95.94 |
| 2008-09 | 9.63 | 2.38 | 26.92 | 38.93 | 0.05 | 133.69 | 133.74 | 172.67 |
| 2009-10 | 9.61 | 2.82 | 43.44 | 55.87 | 0.10 | 251.25 | 251.35 | 307.22 |
| 2010-11 | 9.66 | 2.84 | 55.82 | 68.32 | 0.13 | 379.5 | 379.63 | 447.95 |
| 2011-12 | 3.80 | 2.84 | 41.47 | 48.11 | 0.10 | 411.89 | 411.99 | 460.1 |
| 2012-13 | 2.17 | 1.16 | 42.23 | 45.56 | 0.15 | 502.02 | 502.17 | 547.73 |
| 2013-14 | 2.08 | 1.14 | 21.37 | 24.59 | 0.18 | 578.85 | 579.03 | 603.62 |

टिप्पणी : मोबाइल के लिए जीएसएम के आंकड़ों का ही उपयोग किया गया है।

स्रोत : भारतीय संचार निगम लि. तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

**चार्ट 4.8 : बिहार में टेलिफोन कनेक्शन**

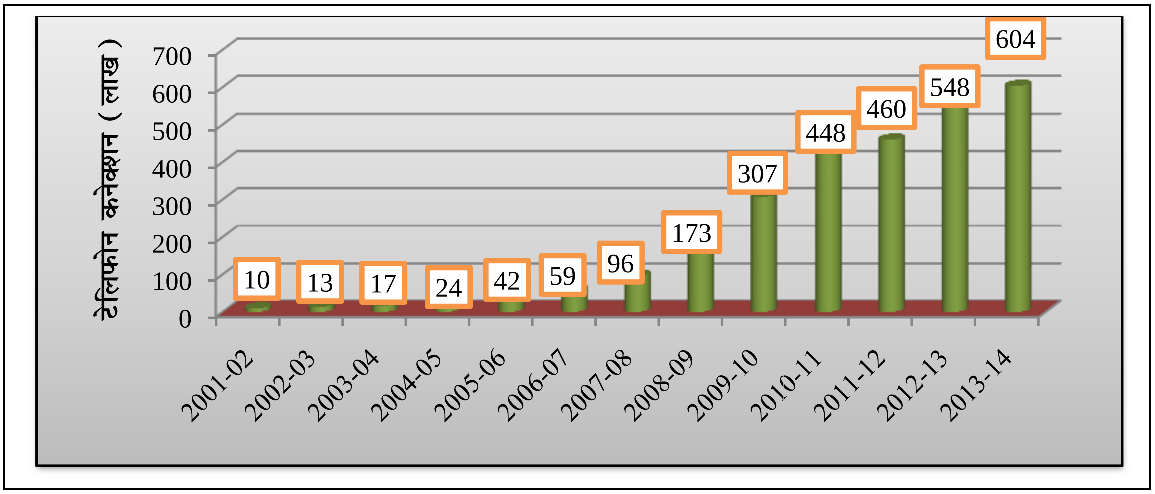


<u>दूरभाष घनत्व</u>

हाल के वर्षों में देश में दूरभाष घनत्व में प्रचुर वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में 2013 से इसमें लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन इसका शहरी क्षेत्रों के पक्ष में काफी अधिक झुकाव है। शहरी क्षेत्रों में दूरभाष घनत्व 146 था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों 44 ही था। वर्ष 2014 में राज्यों के बीच सर्वाधिक दूरभाष घनत्व तमिलनाडु (111) का था और उसके बाद पंजाब (107) तथा केरल (96) का। वहीं, बिहार का दूरभाष घनत्व देश में सबसे कम – मात्र 46 था। हालांकि शहरी दूरभाष घनत्व की बात करें, तो बिहार का आंकड़ा (151) गुजरात (138) और महाराष्ट्र (130) जैसे संपन्न राज्यों से अधिक है।

**तालिका 4.24 : प्रमुख भारतीय राज्यों का दूरभाष घनत्व**

| सेवा क्षेत्र | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | समग्र | ग्रामीण | शहरी | समग्र |
| आंध्र प्रदेश | 41.83 | 169.00 | 77.19 | 45.53 | 167.61 | 79.52 |
| बिहार | 27.54 | 160.28 | 45.72 | 29.41 | 150.96 | 46.10 |
| गुजरात | 53.12 | 136.39 | 87.23 | 57.44 | 137.63 | 90.54 |
| हरियाणा | 56.78 | 113.51 | 76.44 | 59.77 | 121.39 | 81.44 |
| कर्नाटक | 43.00 | 170.38 | 91.24 | 46.24 | 167.20 | 92.45 |
| केरल | 61.93 | 196.11 | 96.09 | 64.34 | 189.65 | 96.19 |
| मध्य प्रदेश | 30.91 | 115.09 | 53.55 | 33.67 | 116.34 | 56.04 |
| महाराष्ट्र | 52.64 | 128.64 | 88.56 | 56.37 | 129.66 | 91.30 |
| उड़ीसा | 38.72 | 164.01 | 60.21 | 39.87 | 161.14 | 60.90 |
| पंजाब | 66.90 | 152.31 | 102.99 | 71.67 | 154.73 | 107.22 |
| तमिलनाडु | 66.33 | 139.94 | 108.17 | 74.02 | 138.16 | 111.14 |
| उत्तर प्रदेश | 33.34 | 137.69 | 56.83 | 35.55 | 131.53 | 57.27 |
| पश्चिम बंगाल | 42.01 | 138.03 | 69.43 | 44.37 | 132.96 | 69.72 |
| संपूर्ण भारत | 41.02 | 149.96 | 73.32 | 43.96 | 145.78 | 75.23 |

टिप्पणी : दूरभाष घनत्व का आशय 100 व्यक्तियों पर उपलब्ध दूरभाषों की संख्या से है।

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

**चार्ट 4.9 : बिहार और भारत का दूरभाष घनत्व**

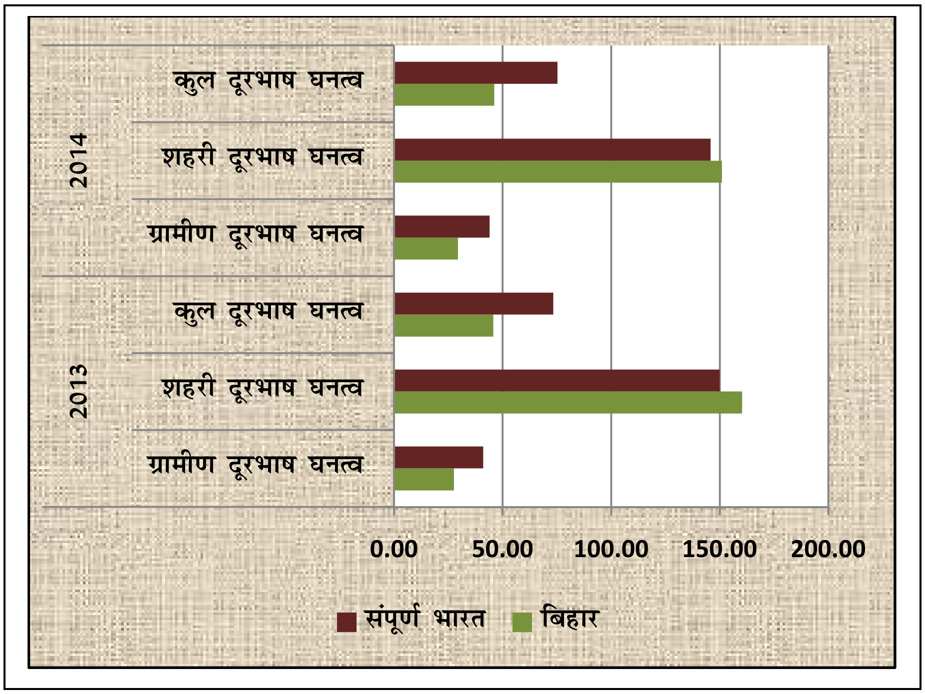


<u>निजी कंपनियां</u>

वोडाफोन, भारती, आइडिया, एयरसेल, रिलायंस आदि अनेक निजी कंपनियां बिहार में दूरसंचार सेवा प्रदान करती हैं। उनमें रिलायंस और भारती का बड़ा हिस्सा है जैसा कि तालिका 4.25 से स्पष्ट है।

**तालिका 4.25 : बिहार में निजी कंपनियों के कनेक्शनों की संख्या (2013-14)**

| निजी कंपनियां | कनेक्शन ('000) |
|---|---|
| वायरलेस | |
| वोडाफोन (GSM) | 7261.3 |
| भारती (GSM) | 22105.3 |
| आइडिया (GSM) | 6749.5 |
| एयरसेल/ डिशनेट (GSM) | 5284.2 |
| रिलायंस (GSM) | 6492.4 |
| टाटा (GSM) | 1848.5 |
| टेलीविंग्स (GSM) | 5103.5 |
| उप-योग | 54844.7 |
| वायरलाइन | |
| रिलायंस | 6.0 |
| टाटा | 11.5 |
| वोडाफोन | 0.5 |
| उप-योग | 18.0 |
| **योग** | **54862.7** |

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट, जनवरी-मार्च, 2014

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

हालांकि दूरसंचार सेवा प्रदान करने के मामले में अनेक कंपनियां शामिल हो गई हैं लेकिन भारत संचार निगम लि. की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है जो बिहार के सभी 38 जिलों में सेवा प्रदान करता है। इसका नेटवर्क 56.0 प्रतिशत क्षेत्र में है और 84.7 प्रतिशत आबादी तक इसकी पहुंच है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा के जरिए इसकी पहुंच सभी आबाद गांवों, 94 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्चपथों और 76 प्रतिशत राज्य उच्चपथों तक है।

**तालिका 4.26 : भारत संचार निगम बिहार : दूरभाष सांख्यिकी**

| विवरण | योग | आच्छादन (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | 94163 | 56.04 |
| जनसंख्या (2011) (करोड़) | 10.41 | 84.68 |
| राजस्व जिला | 38 | 100.00 |
| राजस्व अनुमंडल | 102 | 100.00 |
| प्रखंड मुख्यालय | 534 | 100.00 |
| आबाद गांव (2001) | 39015 | 54.44 |
| VPT की सुविधा वाले आबाद गांव (2001) | 38941 | 99.74 |
| राष्ट्रीय उच्चपथ | 3734 | 94.00 |
| राज्य उच्चपथ | 3989 | 75.71 |

टिप्पणी : अभी 1,650 बीटीएस स्थापित किए जा रहे हैं जो बिहार राज्य में सारे राष्ट्रीय/ राज्य उच्चपथों/ रेलमार्गों के इर्दगिर्द अबाध आच्छादन उपलब्ध कराएंगे।

स्रोत : भारत संचार निगम लिमिटेड

तालिका 4.27 में देखा जा सकता है कि राज्य में वायरलाइन एक्सचेंज की संख्या 2009-10 के 1242 से घटकर 2013-14 में 1193 हो गई। वायरलाइन कनेक्शनों की संख्या में भी तेज गिरावट आई जो 2009-10 के 9.61 लाख से घटकर 2014-15 में (सितंबर 2014 तक) 2.04 लाख रह गई। हालांकि 2012-13 में वायरलाइन इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या में 2011-12 की अपेक्षा 5 प्रतिशत वृद्धि दिखी थी लेकिन इसमें 2013-14 में थोड़ी गिरावट आई। वायरलेस कनेक्शनों की बात करें, तो उनकी संख्या 2009-10 के 34.32 लाख से बढ़कर 2011-12 में 44.31 लाख हो गई थी, लेकिन उसके बाद से उसमें तेज गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 में कुल 22.51 लाख वायरलेस कनेक्शन थे।

**तालिका 4.27 : भारत संचार निगम का विकास**

| विवरण | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 2014 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वायरलाइन एक्सचेंज की संख्या | 1242 | 1214 | 1197 | 1193 | 1193 | 1193 |
| कुल वायरलाइन कनेक्शन (लाख) | 9.61 | 9.66 | 3.80 | 2.17 | 2.08 | 2.04 |
| वायरलाइन ब्रॉडबैंड हेतु DSLAM की संख्या | 1193 | 1193 | 1193 | 1253 | 1146 | 1160 |
| वायरलाइन इंटरनेट कनेक्शन की कुल संख्या (लाख) | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.57 | 0.59 |
| कुल वायरलेस कनेक्शन (लाख) | 34.32 | 43.33 | 44.31 | 42.23 | 22.51 | 21.50 |

स्रोत : भारत संचार निगम लिमिटेड

## 4.7 डाक नेटवर्क

भारतीय डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मार्च 2014 में पूरे देश में लगभग 1.55 लाख डाकघर थे। प्रत्येक डाकघर औसतन 7,814 लोगों की सेवा करता है। ग्रामीण भारत में 1.39 लाख डाकघर हैं और शहरी क्षेत्रों में 15,826 डाकघर। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में डाकघर खोलना संभव नहीं है, डाक विभाग उन क्षेत्रों में 1,155 फ्रेंचाइजी आउटलेट के जरिए काम करता है। डाक विभाग को डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना के लिए 2012-13 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

बिहार परिक्षेत्र (सर्किल) में मार्च 2014 में 9,030 डाकघर मौजूद थे। लगभग 90 प्रतिशत शाखा डाकघर थे जो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थे जिन्हें ग्रामीण डाकसेवकों के जरिए चलाया जाता है। शेष 10 प्रतिशत डाकघरों को विभागीय कर्मियों द्वारा चलाया जाता है। राज्य में 6 रात्रिकालीन डाकघर भी हैं। तालिका 4.28 में देखा जा सकता है कि राज्य के लगभग 95 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पत्रपेटियों की संख्या 25 हजार से कुछ अधिक थी जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा 89 प्रतिशत था।

**तालिका 4.28 : बिहार में डाक सुविधाएं**

(संख्या में)

| डाक सुविधाएं | मार्च, 2013 | | | मार्च, 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शहरी | ग्रामीण | योग | शहरी | ग्रामीण | योग |
| मुख्य डाकघर | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 31 |
| उप-डाकघर | 398 | 617 | 1015 | 398 | 619 | 1017 |
| कुल विभागीय डाकघर | 428 | 618 | 1046 | 428 | 620 | 1048 |
| शाखा डाकघर | 45 | 7969 | 8014 | 0 | 7982 | 7982 |
| रात्रिकालीन डाकघर | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| लेटर बॉक्स | 2851 | 22163 | 25014 | 2851 | 22163 | 25014 |
| पोस्ट बॉक्स | 1439 | - | 1439 | 1439 | - | 1439 |

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

वर्ष 2008 में 'प्रोजेक्ट एरो', 2010 में डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना और 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना के शुभारंभ के साथ डाकघरों के डाक वितरण, मुद्रा प्रेषण और बैंकिंग सेवा जैसे कार्यों का उन्नयन किया जा रहा है। इससे भारतीय डाक सेवा खुदरा उत्पादों के लिए सर्वसुविधा केंद्र और बैंकिंग और मुद्रा प्रेषण जैसी वित्तीय सुविधाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा के बतौर उभर रहा है। डाकघरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लाभार्थियों को डाकघर बचत खातों के जरिए मजदूरी वितरित करने का भी दायित्व दिया गया है। डाक विभाग ने पार्सल सेवा को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए तीव्रगामी पार्सल सेवा (वायुयान वाहित) और व्यावसायिक पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है। बिहार परिक्षेत्र में 31 मुख्य डाकघरों और 1017 में से 89 उप-डाकघरों का उनकी गुणवत्ता में उन्नयन और वृद्धि के लिहाज से प्रोजेक्ट एरो के तहत आधुनिकीकरण किया गया है।

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में (सितंबर 2014 तक) डाक की आवाजाही के विवरण तालिका 4.29 में प्रस्तुत हैं। ई-मेल का उपयोग बढ़ते जाने से डाकघरों के जरिए भेजी जाने वाली अनिबंधित और स्पीड पोस्ट से इतर सामग्रियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 2013-14 में थोड़ी कमी आई है। गौरतलब है कि स्पीड पोस्ट के तहत 27 हजार पत्र राज्य से प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं जिनमें 15 हजाार पत्र अकेले पटना से भेजे जाते हैं। 1 अक्तूबर, 2012 से स्टांप शुल्क में वृद्धि होने के बावजूद बिहार में स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या में 2013-14 में गत वर्ष से 49 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में अकेले स्पीड पोस्ट वाले पत्रों से बिहार परिक्षेत्र को 46.94 करोड़ रु. राजस्व अर्जित हुआ।

**तालिका 4.29 : डाक आवागमन - स्वदेशी और विदेशी**

| क्र. सं. | सामग्रियां | 2012-13 | 2013-14 | प्रतिशत परिवर्तन | 2014-15, सितंबर 2014 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निबंधित (हजार) | 4116.95 | 4254.61 | 3.34 | 2188.27 |
| | अनिबंधित (करोड़) | 7.49 | 6.27 | -16.29 | 3.14 |
| 2 | स्पीड पोस्ट (हजार) | 11647.64 | 17365.38 | 49.09 | 3463.60 |
| 4 | अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (हजार) | 2.47 | 1.09 | -55.71 | 0.53 |
| 5 | विदेशी डाक अनिबंधित (हजार) | 3657.91 | 3514.20 | -3.93 | 1811.30 |
| | (i) विदेशी काउंटरों को (हजार) | 1814.62 | 1772.16 | -2.34 | 956.20 |
| | (ii) विदेशी काउंटरों से (हजार) | 1843.29 | 1832.60 | -0.58 | 1000.35 |

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

डाक विभाग में उपभोक्ताओं के शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था है। वर्ष 2013–14 में शिकायतों की कुल संख्या 11,929 थीं जिनमें गत वर्ष की लंबित 93 शिकायतें भी शामिल थीं। उनमें से 11,116 (99 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया और मात्र 813 शिकायतें लंबित रहीं। गौरतलब है कि हर वर्ष प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में हाल के वर्षों में कमी आती गई है।

**तालिका 4.30 : डाक विभाग में शिकायतों पर कार्रवाई**

| मद | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| लंबित शिकायतें | 1300 | 649 | 93 |
| वर्ष के अंदर प्राप्त शिकायतें | 22836 | 15002 | 11836 |
| योग | 24136 | 15651 | 11929 |
| वर्ष में निष्पादित शिकायतों की संख्या | 23487 | 15558 | 11116 |
| लंबित शिकायतों की संख्या | 649 | 93 | 813 |

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

बिहार परिक्षेत्र के डाकघरों में मार्च 2014 तक मनरेगा को छोड़कर सक्रिय खातों की कुल संख्या 210.73 लाख थी और इनमें कुल जमा राशि 9,169 करोड़ रु. अधिक थी। सितंबर 2014 तक सक्रिय खातों की संख्या 213.22 लाख हो गई थी जो छः महीनों में एक प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। खातों की कुल संख्या और विभिन्न योजनाओं के तहत जमा कुल राशि तालिका 4.31 में दर्शाई गई है।

**तालिका 4.31 : सक्रिय खातों की संख्या और उनमें जमा रकम**

| योजना | खातों की सं. (लाख) | रकम (लाख रु.) | खातों की सं. (लाख) | रकम (लाख रु.) | खातों की सं. (लाख) | रकम (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | |
| बचत खाता | 146.77 | 244464.62 | 153.69 | 443172.83 | 155.94 | 261507.32 |
| मनरेगा | 65.92 | 150052.42 | 66.53 | 83708.51 | 67.04 | 16423.87 |
| मासिक आय योजना | 11.09 | 427292.44 | 11.15 | 80804.20 | 11.49 | 47644.64 |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 0.25 | 4014.78 | 0.26 | 2756.58 | 0.27 | 1904.77 |
| एकवर्षीय सावधिक जमा | 6.90 | 180571.02 | 7.22 | 185333.57 | 7.08 | 128559.13 |
| द्विवर्षीय सावधिक जमा | 1.13 | 5267.03 | 1.04 | 4728.62 | 0.93 | 2626.81 |
| त्रिवर्षीय सावधिक जमा | 2.23 | 20240.99 | 2.30 | 24715.56 | 2.25 | 7759.13 |
| पंचवर्षीय सावधिक जमा | 2.93 | 18284.27 | 2.95 | 14200.37 | 2.90 | 8570.47 |
| आवर्ती जमा | 31.50 | 105119.71 | 31.64 | 151947.57 | 31.87 | 80112.62 |
| सार्वजनिक भविष्य निधि | 0.46 | 38318.28 | 0.48 | 9190.85 | 0.49 | 4826.01 |
| दसवर्षीय सावधिक जमा | 0.01 | 65.17 | - | - | - | - |
| **योग** | **269.19** | **1193690.73** | **277.26** | **1000558.66** | **280.26** | **559934.77** |

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

मनरेगा योजना के तहत खातों की बात करें, तो मार्च 2014 तक बिहार के डाकघरों में 66.53 लाख सक्रिय खाते थे। वर्ष 2013-14 में वितरित राशि 837 करोड़ रु. थी। सितंबर 2014 में सक्रिय खातों की संख्या बढ़कर 67.04 लाख हो गई थी जो गत वर्ष से अधिक है। मनरेगा के खातों की संख्या और उनमें जमा रकम का विवरण तालिका 4.32 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.32 : मनरेगा योजना के तहत सक्रिय खातों की संख्या और वितरित रकम**

| योजना | खातों की सं. (लाख) | वितरित राशि (लाख रु.) | खातों की सं. (लाख) | वितरित राशि (लाख रु.) | खातों की सं. (लाख) | वितरित राशि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
| मनरेगा | 65.92 | 150052.42 | 66.53 | 83708.51 | 67.04 | 16423.87 |

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

<u>डाक विभाग के नए उपाय</u>

- दिसंबर 2013 से नई पार्सल सेवाओं (एक्सप्रेस पार्सल सेवा और बिजिनस पार्सल सेवा) की शुरुआत की गई है। एक्सप्रेस पार्सल सेवा गारंटीशुदा और निश्चित समय के भीतर माल पहुंचाने वाली वायुवाहित एक्सप्रेस पार्सल सेवा है जो खुदरा और व्यावसायिक (कॉर्पोरेट), दोनो प्रकार के ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। बिजिनेस पार्सल का लक्ष्य भूतल परिवहन के जरिए तेज और सुरक्षित पार्सल संचरण का प्रावधान करना है। यह सेवा सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को उपलब्ध है जो विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षरित करते हैं और न्यूनतम व्यवसाय की गारंटी करते हैं।
- कोर बैंकिंग सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार परिक्षेत्र में 44 स्थानों पर इंडिया पोस्ट एटीएम लगाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के मार्च 2015 तक पूरा हो जाने की आशा है।
- 65 लाख से भी अधिक मनरेगा जॉबकार्ड धारियों को मजदूरी के इलक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के लिए बिहार के सभी जिलों में ई-एफएमएस (इलक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन प्रणाली) की शुरुआत की जानी है। ई-एफएमएस के क्रियान्वयन के लिए डाकघरों में मनरेगा खातों के डिजिटीकरण और सत्यापन में तेजी लाई गई है।
- ग्रमीण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) समाधान के तहत, ग्रामीण डाकघरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी (जीपीआरएस, वैन, ब्रॉडबैंड, सीडीएमए, वाइ-फाइ और लैन जेसे संचार चैनल) और संबंधित उपकरण (प्रिंटर, बायोमेट्रिक्स और स्कैनर) उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और बीमा सेवाओं के सुगम और तीव्र संचालन में मदद मिलेगी। इससे सुदूर क्षेत्रों में सेवा

की गुणवत्ता में सुधार में भी मदद मिलेगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत नागरिकों को भुगतान करने में आसानी होगी।

- बचत बैंक संबंधी कार्य डाक विभाग का एक प्रमुख उत्पाद है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके किसी भी प्रकार के बैंक में खाते नहीं हैं और वे वित्तीय समावेश की प्रतीक्षा में हैं। 'खाता खोलो, सोना-चांदी पाओ' योजना के तहत खाता खोलने के लिए बिहार परक्षित्र में 20 नवंबर से अभियान शुरू किया गया जो 20 दिसंबर, 2014 को समाप्त हुआ। लघु बचतों को बढ़ावा देने के लिए 18 नवंबर, 2014 से किसान विकास पत्रों को फिर से शुरू किया गया है।

## 4.8 शहरी अधिसंरचना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर सबसे कम, मात्र 11.3 प्रतिशत है। तथापि, राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी अधिसंरचनाओं और सेवाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सक्रिय शहरी अर्थव्यवस्था ही राज्य में समावेशी ढंग से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सकती है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से शहरी क्षेत्रों में अधिसंरचना में सुधार लाने का सतत प्रयत्न कर रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें हैं। उन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने डीएफआइडी-स्पर की सहायता से राज्य के 28 महत्वपूर्ण शहरों में मलिनबस्तियों का सर्वेक्षण करवाया है और चिन्हित किए गए 1,402 शहरी मलिनबस्तियों में बुनियादी अधिसंरचना के विकास के लिए 401.74 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

(क) राज्य योजना की योजनाएं

राज्य योजना के तहत सड़कों, नालियों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिनके लिए विभाग से अनुदान दिया जाता है। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :

- जलापूर्ति : राज्य के 25 शहरों में जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए 2013-14 में 238 करोड़ रु. विमुक्त किए गए थे। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है। इनके अलावा, राज्य के 5 अन्य शहरों में भी जलापूर्ति योजना का क्रियान्यन किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक ने भी भागलपुर नगर जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए 493 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं और काम प्रगति पर है।
- मलिनबस्तियों में बुनियादी अधिसंरचना : निजी जमीनों पर अवस्थित मलिनबस्तियों में बुनियादी अधिसंरचना के विकास के लिए 2013-14 में कुल 1,402 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की

गई थी और उनके क्रियान्वयन के लिए 290 करोड़ रु. विमुक्त किए गए हैं। ये मलिनबस्तियां 11 नगर निगमों, 16 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत में फैली हुई हैं।

- <u>पटना बस टर्मिनल</u> : पटना शहर से लगे पहाड़ी गांव में 220 करोड़ रु. के व्यय से अंतर-राज्य बस टर्मिनल के निर्माण के लिए लगभग 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है।

- <u>पथ प्रकाश व्यवस्था</u> : बिहार नगर विकास निगम (ब्यूडको) को पटना और राज्य के अन्य सभी जिला मुख्यालयों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम सुपुर्द किया गया है। काम 2014-15 में शुरू हो गया है।

- <u>ट्रफिक लाइट</u> : पटना को बार-बार लगने वाले सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिहाज से 97 चौराहों पर इलक्ट्रॉनिक ट्रफिक लाइट प्रणाली लगाने का काम व्यूडको को सुपुर्द किया गया है। काम 2014-15 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

- <u>नगर परिषदों/ पंचायतों के नगर सरकार भवन</u> : राज्य सरकार ने 24 नगर परिषदों और 53 नगर पंचायतों में नगर/ पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का निर्णय लिया है और इस मकसद से 2013-14 में 170 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

- <u>नगर कक्षों का निर्माण</u> : सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने सारे शहरी केंद्रों में टाउन हॉल बनाने का निर्णय लिया है। सारे नगर निकायों को इस मकसद से उपलब्ध भूमि की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सूची प्राप्त होने पर नगर कक्षों का निर्माण 'नागरिक सुविधा' शीर्ष के तहत किया जाएगा।

(ख) <u>राज्य की योजनेतर योजनाएं</u>

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के आलोक में 2013-14 में नगर निकायों को 325.85 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2014-15 के लिए 406.79 करोड़ रु. का प्रावधान है।

(ग) <u>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</u>

- <u>समेकित आवास एवं मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम</u>

  समेकित आवास एवं मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 32 परियोजनाओं को चुना है जिनके तहत कुल 757.89 करोड़ रु. के व्यय से कुल 28,623 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है। 14 शहरों के लिए हिंदुस्तान प्रीफैब लि. को क्रियान्वयन अभिकरण के बतौर चिन्हित किया गया है और उसने 2,964 आवासीय इकाइयों का निर्माणकार्य पूरा कर लिया है। राज्य सरकार ने 17 शहरों में 18 परियोजनाओं के तहत खुद लाभार्थियों के जरिए आवासीय इकाइयों का निर्माण कराने का निर्णय किया है जो 2014-15 में पूरे होंगे।

- <u>शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी)</u>

  शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय ने 709.98 करोड़ रु. के व्यय से पटना और बोधगया के शहरी गरीबों के लिए शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा के तहत 22,372 आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। पटना के चार इलाकों में 480 इकाइयों का निर्माणकार्य पूरा हो गया है और शेष स्वीकृत इकाइयां मोहुपा को सौंप दी गई हैं (तालिका 4.33)।

- <u>राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम)</u>

  वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना की जगह राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन का आरंभ किया है। वर्ष 2014-15 में 83.00 करोड़ रु. के व्यय से 55,400 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

- <u>शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन (यूआइजी)</u>

  शहरी अधिसंरचना एवं अधिशासन के तहत केंद्र सरकार ने कुल 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं - 7 योजनाएं पटना नगर निगम के लिए और 3 बोधगया के लिए (तालिका 4.33)। नगर परिवहन को छोड़कर शेष योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। नगर परिवहन के लिए कुल 300 नई बसों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है - 260 पटना के लिए और 40 बोधगया के लिए। योजना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित किया गया है। पटना और बोधगया में निकट भविष्य में बसों का संचालन शुरू होना है। केंद्र सरकार से 17 शहरों और नगर संकुलों के लिए 798 नई बसों की खरीद की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है और भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय ने इस योजना के निष्पादन के लिए 44.92 करोड़ रु. विमुक्त किए हैं।

**तालिका 4.33 : शहरी अधिसंरचना और अभिशासन (यूआइजी)**

| योजना का नाम | अनुमानित व्यय (लाख रु.) |
|---|---|
| दानापुर, खगौल और फुलवारी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 1155.81 |
| खगौल जलापूर्ति योजना | 1315.43 |
| दानापुर जलापूर्ति योजना | 6896.45 |
| फुलवारीशरीफ जलापूर्ति योजना | 2470.26 |
| पटना जलापूर्ति योजना | 42698.00 |
| पटना के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 3695.70 |
| पटना नगर परिवहन के लिए बसों की खरीद | 3990.00 |
| बोधगया जलापूर्ति योजना | 3355.72 |
| बोधगया मलजल निकासी योजना | 9594.34 |
| बोधगया नगर परिवहन के लिए बसों की खरीद | 675.00 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

- <u>लघु एवं मध्यम नगर नागर अधिसंरचना विकास योजना (यूआइडीएसएसएमटी)</u>

इस योजना के तहत बिहार के लिए पूर्व में 11 योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। इन सभी योजनाओं पर काम प्रगति पर है और जल्द ही पूरा हो जाने वाला है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा 7 नई जलापूर्ति और 5 मलजल निकासी योजनओं को भी हाल में स्वीकृति प्राप्त हुई है और काम शीघ्र ही शुरू हो जाने की संभावना है।

**तालिका 4.34 : लघु एवं मध्यम नगर नागर अधिसंरचना विकास योजना का विवरण**

| क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित व्यय (लाख रु.) |
|---|---|---|
| 1 | फतुहा में सड़क और नाली निर्माण | 759.82 |
| 2 | मुरलीगंज में सड़क और नाली निर्माण | 1143.99 |
| 3 | नरकटियागंज में सड़क और नाली निर्माण | 4712.54 |
| 4 | रोसड़ा में सड़क और नाली निर्माण | 2921.32 |
| 5 | बरबीघा में सड़क और नाली निर्माण | 1573.00 |
| 6 | भभुआ में सड़क और नाली निर्माण | 1088.00 |
| 7 | बख्तियारपुर में सड़क और नाली निर्माण | 511.00 |
| 8 | लालगंज में सड़क और नाली निर्माण | 1263.00 |
| 9 | चकिया में सड़क और नाली निर्माण | 1285.00 |
| 10 | मुजफ्फरपुर में जलापूर्ति योजना | 9872.25 |
| 11 | आरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 983.99 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

- <u>राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (एनजीआरबीए)</u>

इस योजना के तहत हाजीपुर, बेगूसराय, बक्सर और मुंगेर मलजल उपचार परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनके व्यय में केंद्र सरकार का हिस्सा 70 प्रतिशत है और राज्य सरकार का 30 प्रतिशत। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 243.27 करोड़ रु. व्यय वाली 'गंगा नदी घाट विकास' की योजना भी स्वीकृत की है और उस पर काम शुरू को गया है। पटना के पहाड़ी, करमाली चक और सैदपुर क्षेत्र में मलजल उपचार संयंत्रों की सात परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

- <u>एशियाई विकास बैंक प्रायोजित भागलपुर परियोजना-1</u>

एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित भागलपुर परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के लिए 493 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। पूरा होने पर इस परियोजना से भागलपुर के नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए ब्यूडको को 60 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। गया नगर हेतु एशियाई विकास बैंक प्रायोजित परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को पेश की गई है।

- <u>मेट्रो रेल</u>

  पटना में मेट्रो रेल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व राइट्स को दिया गया है। मार्ग के संरेखण के लिए आम आदमी के सुझाव प्राप्त हो गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में समावेश हेतु राइट्स को भेज दिए गए हैं।

- <u>राजीव आवास योजना</u>

  यह योजना देश में शहरी क्षेत्रों को मलिनबस्ती–मुक्त बनाने के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में नगर निकायों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिहाज से परामर्शदाताओं का चुनाव किया गया था। परामर्शदाताओं द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केंद्र सरकार की केंद्रीय प्रस्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सीएसएमसी) को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं। पटना (चरण 1, 2 और 3), गया (चरण 1) भागलपुर (चरण 1), पूर्णिया (चरण 1) और कटिहार (चरण 1) की परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शेष शहरी केंद्रों के लिए स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

  वर्ष 2014–15 हेतु नगर विकास योजनाओं के आंकड़े राशि सहित तालिका प 4.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

### 4.9 सिंचाई

सिंचाई का आशय किसानों द्वारा फसलों की अधिकाधिक उपज के लिए कृषि भूमि को सही समय पर उपयुक्त मात्रा में पानी की आपूर्ति है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में सहवर्ती गतिविधियों के विकास में मदद मिलती है जिससे लोगों के लिए राजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। सिंचाई और जलछाजन प्रबंधन ग्रामीण अधिसंरचना के महत्वपूर्ण अंग हैं जो सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रों के अधिकारक्षेत्र में हैं।

देश के अनेक राज्यों में निवल सिंचित क्षेत्र और फसल सघनता का अनुपात बिहार की अपेक्षा काफी अधिक है। बिहार में जलस्रोतों के अकुशल उपयोग का मुख्य कारण नहरों और जलनिकायों के संचालन एवं रखरखाव की सतत उपेक्षा है। अन्य महत्वपूर्ण कारण अनेक क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों के प्रबंधन में लाभार्थी किसानों की भागीदारी की कमी है। बिहार में सिंचाई की सहभागी व्यवस्था के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण मौजूद हैं, तथापि उनके अनुकरण की गति धीमी रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि जल उपभोक्ताओं को जलस्रोतों के प्रबंधन का दायित्व नहीं दिया गया है।

बिहार को जल संसाधनों का समृद्ध अवदान प्राप्त है। साथ ही, वार्षिक वर्षापात का औसत भी काफी ऊंचा – 1013 मिमी है। हालांकि राज्य में न तो वर्षापात का वितरण एकसमान है और न ही जल संसाधनों का। इसके कारण विभिन्न जिलों में सिंचाई का आच्छादन असमान है। बिहार के कुल 93.6 लाख हे. भौगोलिक क्षेत्रफल में से सिंचित क्षेत्र 2013–14 में 46.8 लाख हे. था। वर्ष 2001–02 से 2013–14 तक की 13 वर्षीय अवधि में कुल सिंचित क्षेत्र मात्र 4.5 प्रतिशत बढ़ा है – 44.6 लाख हे. से 46.8 लाख हे.।

सिंचाई क्षमता

बिहार की चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हे. अनुमानित है जिसमें भूतल और भूजल, दोनो प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाली वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। जहां बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की चरम क्षमता 53.53 लाख हे. है, वहीं लघु सिंचाई की क्षमता 64.01 लाख हे. है। अगर इस क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाय तो राज्य का पूरा कृष्य क्षेत्र आच्छादित हो सकता है (तालिका 4.35)।

**तालिका 4.35 : राज्य की चरम, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता**

(क्षेत्रफल लाख हे. में)

| सिंचाई क्षमता का प्रकार | चरम क्षमता | सृजित क्षमता | प्रयुक्त क्षमता |
|---|---|---|---|
| (क) वृहद एवं मध्यम सिंचाई | 53.53 | 29.21 | 21.20 |
| (ख) लघु सिंचाई | | | |
| (i) भूतल सिंचाई | 15.44 | 7.03 | 7.03 |
| (ii) भूजल सिंचाई | 48.57 | 30.97 | 30.97 |
| **योग** | **117.54** | **67.21** | **59.20** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

देखा जा सकता है कि वृहत और मध्यम योजनाओं के तहत सृजित कुल 29.21 लाख हे. सिंचाई क्षमता में से मात्र 21.20 लाख हे. सिंचाई क्षमता का ही उपयोग किया जाता है और लगभग 8 लाख हे. सिंचाई क्षमता का ह्रास हो जाता है। हालांकि लघु सिंचाई के क्षेत्र में पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग हो जाता है लेकिन चरम क्षमता के बड़े हिस्से का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। कृषि रोडमैप-2 के तहत राज्य सरकार की योजना बारहवीं योजना (2012-17) के दौरान चरम सिंचाई क्षमता का उपयोग करने की है। बिहार के कृषि रोडमैप के अनुसार, मार्च 2017 तक सृजित सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 101.09 लाख हे. किया जाना है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक, वृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के जरिए 53.53 लाख हे. की चरम सिंचाई क्षमता में से कुल 35.08 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है (तालिका 4.36)।

**तालिका 4.36 : सिंचाई क्षमता सृजन की भौतिक प्रगति**

| क्र. सं. | योजना का नाम | सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हे.) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | योग |
| 1 | बछराजा वीयर योजना | 2.53 | - | - | 2.53 |
| 2 | जमानिया पंप नहर योजना | - | 8.70 | 0.75 | 9.45 |
| 3 | कचनामा वीयर योजना | - | 0.30 | 2.80 | 3.10 |
| 4 | मोर वीयर योजना | - | 0.70 | 0.65 | 1.35 |
| 5 | उत्तर कोयल जलाशय योजना | 2.00 | - | 2.00 | 4.00 |
| 6 | सम्मत बिगहा मोरहर योजना | - | 3.80 | - | 3.80 |
| 7 | सोलहंडा वीयर योजना | - | 0.20 | 0.25 | 0.45 |
| 8 | सुगरवे वीयर योजना | - | - | 1.40 | 1.40 |
| 9 | पश्चिमी कोशी नहर योजना | 2.00 | 7.00 | - | 9.00 |
| **योग** | | **6.53** | **20.70** | **7.85** | **35.08** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नई सिंचाई क्षमता सृजित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सृजित सिंचाई क्षमताा का पूरा उपयोग हो। सिंचाई नहरों में बड़ी मात्रा में गाद जमने तथा टूट के कारण सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता है। अत: राज्य सरकार सृजित किंतु ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुन:स्थापित करने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2013-14 में कुल 444.34 हजार हे. ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुन:स्थापित किया गया है। तालिका 4.37 में प्रस्तुत पुन:स्थापित सिंचाई क्षमता के विवरण से पता चलता है कि गत पांच वर्षों में कुल 1,237 हजार हे. ह्रासित सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित की गई है।

**तालिका 4.37 : ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्वास**

(हजार हे. में)

| वर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ह्रासित सिंचाई क्षमता | 15.50 | 19.50 | 55.00 | 702.66 | 444.34 | **1237.00** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## वृहत एवं मध्यम सिंचाई

राज्य में पूरी सिंचाई क्षमता के दोहन के लिए राज्य सरकार ने अनेक वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। वृहत एवं मध्यम सिंचाई के तहत सृजित सिंचाई क्षमता और कुल सिंचित क्षेत्रफल के बीच काफी फासला मौजूद है। उपयोग क्षमता 2005-06 में 63.1 प्रतिशत थी जो काफी तेजी से घटकर 2011-12 में 52.1 प्रतिशत रह गई। सौभाग्यवश, उसके बाद से उसमें सुधार हुआ और 2012-13 में यह 60.4 प्रतिशत तथा 2013-14 में 72.6 प्रतिशत हो गई। लेकिन अप्रयुक्त क्षमता अभी भी 25 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2013-14 में खरीफ के तहत सिंचित क्षेत्रफल 2012-13 के 13.94 लाख हे. से बढ़कर 16.14 लाख हे. हो गया। इसी प्रकार, रबी के तहत सिंचित क्षेत्रफल 2012-13 के 3.66 लाख हे. से लगभग 34 प्रतिशत बढ़कर 4.90 लाख हे. हो गया (तालिका 4.38)।

**तालिका 4.38 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता**

(आंकड़े हजार हे. में)

| वर्ष | सृजित सिंचाई क्षमता | खरीफ | | रबी | | गरमा | | कुल सिंचाई | दक्षता (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | सिंचाई | लक्ष्य | सिंचाई | लक्ष्य | सिंचाई | | |
| 2004-05 | 2619.00 | 1654.01 | 1161.58 | 448.13 | 355.08 | 12.96 | 11.79 | 1528.45 | 58.36 |
| 2005-06 | 2637.00 | 1642.77 | 1253.46 | 512.94 | 399.99 | 12.79 | 11.63 | 1665.08 | 63.14 |
| 2006-07 | 2833.00 | 1389.00 | 1220.77 | 477.63 | 453.05 | 11.60 | 10.91 | 1684.73 | 59.47 |
| 2007-08 | 2863.00 | 1440.69 | 1245.28 | 477.63 | 453.05 | 12.27 | 10.82 | 1709.15 | 59.70 |
| 2008-09 | 2873.00 | 1479.91 | 1275.28 | 442.63 | 388.51 | 12.91 | 2.25 | 1666.04 | 57.99 |
| 2009-10 | 2880.00 | 1450.51 | 884.77 | 384.87 | 317.68 | 0.00 | 0.00 | 1202.45 | 41.75 |
| 2010-11 | 2886.00 | 1365.03 | 907.13 | 408.65 | 318.93 | 0.00 | 0.00 | 1226.06 | 42.48 |
| 2011-12 | 2892.53 | 1305.46 | 1168.85 | 394.97 | 337.11 | 0.00 | 0.00 | 1505.96 | 52.06 |
| 2012-13 | 2913.23 | 1490.92 | 1393.58 | 439.28 | 366.11 | 0.00 | 0.00 | 1759.69 | 60.40 |
| 2013-14 | 2921.08 | 1864.88 | 1614.31 | 567.38 | 490.81 | 15.00 | 14.79 | 2119.91 | 72.57 |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार बारहवीं योजना अवधि (2012–17) के दौरान 9 जारी वृहद/ मध्यम सिंचाई योजनाओं का निष्पादन जारी रखेगी। इससे 3,883 करोड़ रु. के व्यय से 2.26 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी (विवरण तालिका 4.39 में देखे जा सकते हैं)। इसी प्रकार, 7 नई प्रस्तावित बड़ी/ मंझोली सिंचाई योजनाओं का भी निष्पादन किया जाएगा जिनके पूरा होने पर 9.30 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इसमें कुल 10,152 करोड़ रु. व्यय होंगे (तालिका 4.40)।

**तालिका 4.39 : जारी बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन ( 2012–17 )**

| योजना का नाम | वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.) | | | | | | अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन (लाख हे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | कुल रकम | |
| 1. दुर्गावती जलाशय योजना | 152.09 | 100.00 | 82.91 | - | - | 335.00 | 0.21 |
| 2. उदेरास्थान बराज योजना | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 170.00 | 0.27 |
| 3. मंडई वीयर योजना | 20.00 | 40.00 | - | - | - | 60.00 | 0.04 |
| 4. कुंडघाट जलाशय योजना | 5.00 | 45.00 | - | - | - | 50.00 | 0.02 |
| 5. बटेश्वरस्थान पंप नहर योजना | 50.00 | 60.00 | 130.00 | - | - | 240.00 | 0.23 |
| 6. पुनपुन बराज योजना | 100.00 | 180.00 | 160.00 | - | - | 440.00 | 0.14 |
| 7. जमानिया पंप नहर योजना | 20.00 | - | - | - | - | 20.00 | 0.09 |
| 8. पश्चिम कोशी नहर योजना | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 0.60 |
| 9. अन्य बड़ी-मंझोली योजनाएं | 100.00 | 300.00 | 445.00 | 600.00 | 680.00 | 2125.00 | 0.66 |
| क्षमता वृद्धि (10%) | 63.71 | 79.50 | 81.70 | 60.00 | 68.00 | 352.91 | - |
| **योग** | **700.80** | **874.50** | **899.61** | **660.00** | **748.00** | **3882.91** | **2.26** |

स्रोत : कृषि रोड मैप, 2012–17, बिहार सरकार

**तालिका 4.40 : नई बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन ( 2012–17 )**

| योजना का नाम | वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.) | | | | | | अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन (लाख हे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | कुल रकम | |
| 1. पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का विस्तार (चरण–2) | 9.00 | 190.00 | 400.00 | 600.00 | 600.50 | 1799.50 | 1.22 |
| 2. पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का विस्तार (चरण | – | 50.00 | 100.00 | 84.00 | - | 234.00 | 0.80 |
| 3. अरेराज के समीप दूसरे गंडक बराज का निर्माण | 1.00 | 199.00 | 400.00 | 600.00 | 800.00 | 2000.00 | 3.75 |
| 4. बागमती सिंचाई एवं जलनिकासी परियोजना (चरण–1) | – | 50.00 | 250.00 | 450.00 | 525.00 | 1275.00 | 1.03 |
| 5. मोकामा टाल से जलनिकासी में सुधार तथा पानी का आर्थिक उपयोग | – | 50.00 | 150.00 | 200.00 | 291.00 | 691.00 | 1.06 |
| 6. दक्षिण बिहार की नदियों पर वीयर/ स्लूइस गेट की मध्यम योजनाएं | 77.00 | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 2177.00 | 1.20 |
| 7. उत्तर बिहार की छोटी बारहमासी नदियों पर बराज/ बीयर की मध्यम योजनाएं | 50.00 | 150.00 | 200.00 | 304.00 | 350.00 | 1054.00 | 0.24 |
| 8. क्षमता वृद्धि (10%) | 13.70 | 98.90 | 200.00 | 283.80 | 326.70 | 922.20 | - |
| **योग** | **150.70** | **1087.90** | **2200.00** | **3121.80** | **3593.70** | **10152.70** | **9.30** |

स्रोत : कृषि रोड मैप, 2012–17, बिहार सरकार

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआइएम)

सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप, सभी पूरी हो चुकी नहर प्रणालियों का प्रबंधन चरणबद्ध ढंग से लाभार्थी समितियों को हस्तांतरित कर दिया जाना है। सहमति देने वाली 79 निबंधित समितियों में से 53 समितियों को सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित कर दिया गया है और शेष 26 समितियों को शीघ्र ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा, 7 समितियां सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया में हैं और 510 समितियों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है (तालिका 4.41)।

**तालिका 4.41 : कृषक समितियों की स्थिति**

| क्र. सं. | स्थिति | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित | 53 |
| 2 | प्रणाली के हस्तांतरण के लिए तैयार समितियां | 26 |
| 3 | निबंधन हेतु आवेदन | 26 |
| 4 | सहमति प्रक्रियाधीन निबंधित समितियां | 07 |
| 5 | उत्प्रेरण प्रक्रियाधीन समितियां | 510 |
| | **योग** | **622** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई की चरम क्षमता लगभग 64.01 लाख हे. है जिसमें से 15.44 लाख हे. भूतल सिंचाई के जरिए है और 48.57 लाख हे. भूजल के जरिए। 64.01 लाख हे. चरम लघु सिंचाई क्षमता में से 38.00 लाख हे. (59 प्रतिशत) सृजित की जा सकी है – 7.03 लाख हे. भूतल सिंचाई के तहत 30.97 लाख हे. भूजल सिंचाई के तहत (तालिका 4.42)। यह भी दिखता है कि कुल भूजल सिंचाई में से अच्छा-खासा हिस्सा (76 प्रतिशत) निजी नलकूपों के जरिए है। लघु सिंचाई के तहत सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 2012-13 में 2.81 लाख हे. थी और 2013-14 में 1.42 लाख हे. (तालिका 4.43)।

**तालिका 4.42 : बिहार में लघु सिंचाई की स्थिति**

(लाख हे.)

| सिंचाई के स्रोत | चरम क्षमता | सृजित क्षमता (2007-14) | प्रयुक्त क्षमता (2007-14) |
|---|---|---|---|
| 1. भूतल सिंचाई | 15.44 | 7.03 | 7.03 |
| (i) आहर/ पइन/ सिंचाई तालाब | – | 2.50 | 2.50 |
| (ii) उद्वह सिंचाई | – | 2.37 | 2.37 |
| (iii) भूतल लघु सिंचाई वीयर/ स्लूइस गेट | – | 2.16 | 2.16 |
| 2. भूजल सिंचाई | 48.57 | 30.97 | 30.97 |
| (i) राजकीय नलकूप | – | 7.38 | 7.38 |
| (ii) निजी नलकूप | – | 23.59 | 23.59 |
| **योग** | **64.01** | **38.00** | **38.00** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 4.43 : बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचाई**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| स्रोत | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|
| भूतल नहरें (लघु/ मध्यम सिंचाई) | 36.32 | 26.09 |
| तालाब (आहर-पइन सहित) | 59.41 | 41.59 |
| नलकूप (निजी और सरकारी) | 161.96 | 64.25 |
| अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन सिंचाई) | 24.22 | 9.63 |
| **योग** | **281.90** | **141.56** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2012-17 के बीच राज्य सरकार की सिंचाई क्षमता में 25.29 लाख हे. वृद्धि करने और 5.07 लाख ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनःस्थापित करने की योजना है। 25.29 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में से 10.25 लाख हे. भूतल सिंचाई के जरिए सृजित करना प्रस्तावित है - 7.23 लाख हे. आहर-पइन के जरिए, 2.02 लाख हे. स्लूइस गेट और वीयर निर्माण के जरिए और 1.00 लाख हे. उद्वह सिंचाई के जरिए। 5.07 लाख हे. ह्रासित क्षमता की पुनःस्थापना में 2.83 लाख हे. भूतल सिंचाई से होगी और 2.24 लाख हे. भूजल सिंचाई से। इस प्रकार, 2016-17 के अंत तक कुल 30.36 लाख अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी (तालिका 4.44)। वर्ष 2012-17 के दौरान सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली इन योजनाओं के विवरण तालिका प 4.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 4.44 : बारहवीं योजना अवधि में जल संसाधन क्षेत्र के लिए भौतिक लक्ष्य**

(लाख हे.)

| वर्ष | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन | 2.40 | 3.70 | 5.00 | 6.20 | 7.99 | 25.29 |
| ह्रासित सिंचाई क्षमता की पुनःस्थापना | 0.54 | 0.77 | 1.05 | 1.31 | 1.40 | 5.07 |
| **कुल सिंचाई क्षमता** | **2.94** | **4.47** | **6.05** | **7.51** | **9.39** | **30.36** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

### आहर एवं पइन

आहर-पइन प्रणाली देशज सिंचाई प्रौद्योगिकी है। राज्य में इस समय 20,938 ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें से 17,683 (84 प्रतिशत) कार्यशील हैं। यह प्रणाली दक्षिण बिहार के 17 जिलों में मौजूद है जिनकी सर्वाधिक संख्या गया में (7,264) है और उसके नवादा (2,859), जमुई (2,522) तथा बांका (2,263) में। कोई 17,683 अकार्यशील आहर-पइन सिंचाई प्रणालियों का सघन पुनरुद्धार मार्च 2017 तक पूरा हो जाना है।

**तालिका 4.45 : आहर-पइन सिंचाई प्रणलियों के जिलावार आंकड़े**

| क्र. सं. | जिला | प्रणालियों की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | कार्यशील | अकार्यशील | |
| 1 | पटना | 212 | 86 | 298 |
| 2 | नालंदा | 238 | 82 | 320 |
| 3 | भोजपुर | 93 | 31 | 124 |
| 4 | बक्सर | 69 | 0 | 69 |
| 5 | कैमूर | 1330 | 71 | 1401 |
| 6 | रोहतास | 398 | 19 | 417 |
| 7 | औरंगाबाद | 1251 | 442 | 1693 |
| 8 | गया | 6502 | 762 | 7264 |
| 9 | नवादा | 1488 | 1371 | 2859 |
| 10 | जहानाबाद | 406 | 95 | 501 |
| 11 | अरवल | 91 | 11 | 102 |
| 12 | भागलपुर | 472 | 50 | 522 |
| 13 | बांका | 2146 | 117 | 2263 |
| 14 | मुंगेर | 162 | 4 | 166 |
| 15 | जमुई | 2449 | 73 | 2522 |
| 16 | लखीसराय | 251 | 15 | 266 |
| 17 | शेखपुरा | 125 | 26 | 151 |
| | **योग** | **17683** | **3255** | **20938** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

<u>नदियों का अंतर्सबंधन</u>

दक्षिण बिहार में सूखा़ और उत्तर बिहार में बाढ़ से नुकसान की समस्या के समाधान के लिहाज से नदियों को आपस में जोड़ने और उत्तर बिहार के अधिशेष जल को पंप करके गंगा पार दक्षिण बिहार की नदियों में पहुंचाने का प्रस्ताव है। जलनिकासी में सुधार, नहरों से सिंचाई उपलब्ध कराने के जरिए फसल सघनता बढ़ाकर 250 प्रतिशत करने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए संबंधित विभागों द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले जोड़े जाने लायक नदियों की पहचान करने की जरूरत होगी और उसके बाद उनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की। इन योजनाओं का सूत्रीकरण इस रूप में किया जाएगा कि वे राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करें। हालांकि राज्य की जरूरत के अनुसार

भविष्य में अंतर-राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के साथ इनका समावेश करने के लिए इनका विस्तार किया जा सकता है।

राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग राज्य में नदियों को जोड़ने की एक महत्वकांक्षी योजना निष्पादित करने वाला है। परियोजना के तहत चार नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा - बूढ़ी गंडक, नोन, बाया और गंगा। राज्य सरकार का खयाल है कि इन चारो नदियों को जोड़ने से बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में बाढ़ द्वारा होने वाली बर्बादी में कमी आएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने इन नदियों के अंतर्संबंधन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। प्राधिकरण अन्य नदी अंतर्संबंधन परियोजनाओं की भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये हैं :

(क) कोहरा-चंद्रावत लिंक : इस परियोजना के लिए पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इसका अनुमानित व्यय 168.89 करोड़ रु. है। इस परियोजना से पूर्व और पश्चिम चंपारण जिलों को फायदा होगा।

(ख) बागमती-बूढ़ी गंडक बेलवा धार होकर : इस परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसका व्यय 125.96 करोड़ रु. होगा। इससे शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों को फायदा होगा।

(ग) कोशी-गंगा लिंक : 10 किमी लंबे इस चैनल के निर्माण की परियोजना के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस परियोजना से खगड़िया और भागलपुर जिलों को फायदा होगा।

(घ) कोशी-मेची लिंक नहर के जरिए कोशी बेसिन के पानी का अंतरण : इस परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना का अनुमानित व्यय 88.93 करोड़ रु. है।

### 4.10 विद्युत क्षेत्र

आर्थिक विकास प्रतिस्पर्धी दर पर पर्याप्त, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता निर्भर करता है। अभी बिजली जीवन के हर पक्ष के लिए आवश्यक हो गई है और इसे एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता के बतौर चिन्हित किया गया है। आर्थिक विकास के त्वरण, रोजगार सृजन, गरीबी निवारण और मानव विकास में इसकी मुख्य भूमिका है। बिहार की अर्थव्यवस्था अब तेजी से विकसित हो रही है लेकिन बिजली की कमी की स्थिति में यह टिकाऊ नहीं होगी। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 144 किलोवाट आवर है जो संपूर्ण भारत के औसत 927 किलोवाट आवर से काफी कम है। बिहार में बिजली की समस्या की तीव्रता बिजली की मांग के संदर्भ में समझी जा सकती है। तालिका 4.46 से स्पष्ट है कि विगत कई वर्षों से लेकर 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी बरकरार रही है। बाद में यह कमी घटी है लेकिन अभी भी उच्च स्तर पर है - 2013-14 में 22 प्रतिशत और 2014-15 में 19 प्रतिशत।

**तालिका 4.46 : बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति**

| वर्ष | सर्वोच्च मांग (मेगावाट) | सर्वोच्च उपलब्धता (मेगावाट) | कमी (मेगावाट) | कमी (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 1800 | 1244 | 556 | 30.9 |
| 2008-09 | 1900 | 1348 | 552 | 29.1 |
| 2009-10 | 2200 | 1508 | 692 | 31.5 |
| 2010-11 | 2250 | 1664 | 586 | 26.0 |
| 2011-12 | 2500 | 1712 | 788 | 31.5 |
| 2012-13 | 2650 | 1802 | 848 | 32.0 |
| 2013-14 | 3000 | 2335 | 665 | 22.0 |
| 2014-15 | 3500 | 2831 | 669 | 19.0 |

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, बिहार सरकार

**चार्ट 4.10 : मांग संबंधी चरम कमी**

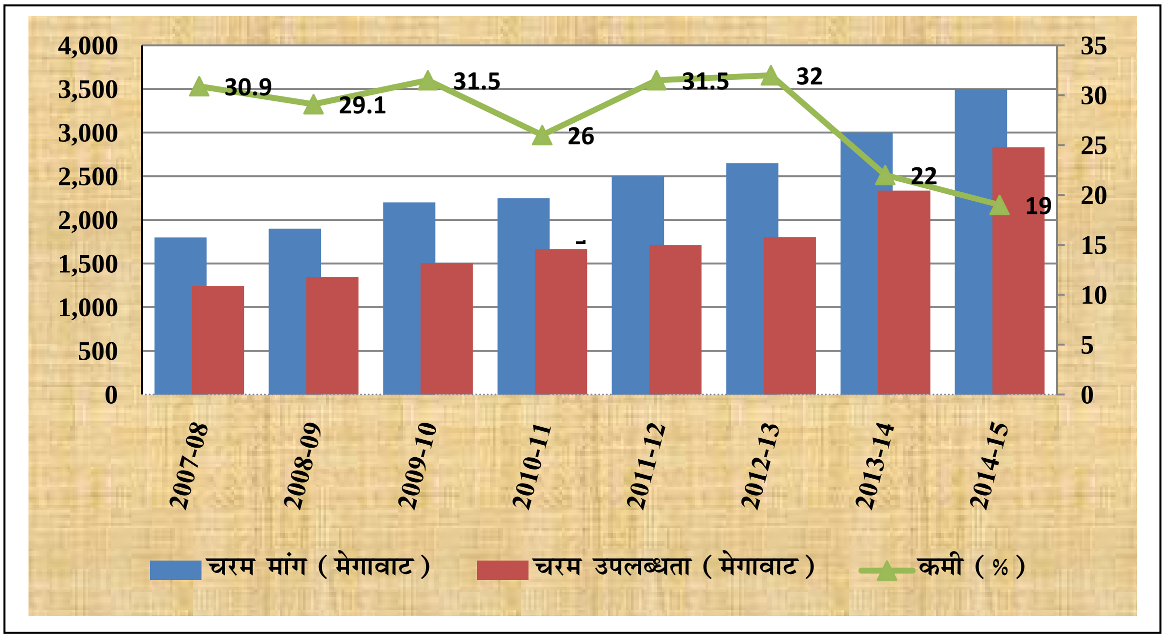


बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी ने हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष अनुमान प्रस्तुत किया है कि 2015-17 तक चरम लोड में लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि की आशा है (तालिका 4.47)। इसका अर्थ हुआ कि निकट भविष्य में बिहार में बिजली की कमी बढ़ने की आशंका है।

**तालिका 4.47 : सर्वोच्च लोड और बिजली की जरूरत का पूर्वानुमान**

| वर्ष | सर्वोच्च लोड (मेगावाट) | ऊर्जा की मांग (करोड़ यूनिट) |
|---|---|---|
| 2014-15 | 3873 | 2321.4 |
| 2015-16 | 4472 | 2633.0 |
| 2016-17 | 5108 | 2953.9 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा

अप्रील 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार में विद्युत, उत्पादन, संचरण, वितरण और अन्य संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया गया था। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत, 1 नवंबर, 2012 को बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया गया है – (i) बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, (ii) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, (iii) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी, (iv) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी और (v) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी। नई बनी कंपनियों के दायित्व संक्षेप में नीचे वर्णित हैं :

बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसी) : इस कंपनी को नई बनी चार कंपनियों – बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी – के शेयरों का स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व भी सुपुर्द किए गए हैं। यह मुख्यतः एक निवेश कंपनी होगी। यह उनकी गतिविधियों का समन्वय करेगी, विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।

बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बीएसपीजीसी) : यह कंपनी विद्युत उत्पादन में लगी सहायक कंपनियों सहित अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। समन्वय और सुझाव की भूमिकाओं में उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा संबंधित सुविधाओं से संबंधित सारे मामले शामिल हैं। यह इंधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनके परिवहन तथा लंबित विवादों के निपटारे के लिए भी जवाबदेह है।

बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (बीएसपीटीसी) : यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। योजना निर्माण और समन्वय संबंधी गतिविधियों के अलावा कंपनी से उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों (लोड सेंटर) तक बिजली के सुगम संचार के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों की कुशल व्यवस्था विकसित करने की आशा की जाती है।

उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. : ये दोनो कंपनियां सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं, विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (आर-एपीडीआरपी), राज्य योजना तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 और नियंत्रक के दिशानिर्देश के अनुसार, वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम भी दोनो कंपनियों का दायित्व है। वे विद्युत क्रय समझौतों तथा बिजली की खरीद या बिक्री संबंधी अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करेंगी, उन्हें अंतिम रूप देंगी और निष्पादित करेंगी।

वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी और उसकी अंगीभूत कंपनियों, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार जलविद्युत निगम के लिए धनराशि का आबंटन 3110.92 करोड़ रु. था जो

2014-15 में बढ़कर 4189.92 करोड़ रु. हो गया। विभिन्न शीर्षों के तहत इसका ब्योरा तालिका 4.48 में प्रस्तुत है जिसमें पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (आर-एपीडीआरपी) हेतु धनराशियां भी शामिल हैं।

**तालिका 4.48 : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के लिए स्वीकृत परिव्यय**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | BSPHCL | उत्पादन | संचरण | वितरण | EAP | BSHPC | BSHPC (RIDF) | BREDA | **योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 2125.00 | 367.346 | 25.00 | 25.00 | 215.00 | 225.00 | 15.00 | 63.57 | 50.00 | **3110.916** |
| 2014-15 | 1650.00 | 369.2143 | 61.68 | 661.00 | 1099.18 | 220.00 | 38.9257 | 69.92 | 20.00 | **4189.92** |

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि., बिहार सरकार

उत्पादन

राज्य सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के बावजूद बिहार इस समय अपनी बिजली की मांग पूर्ति के लिए केंद्रीय क्षेत्र के आबंटनों पर लगभग पूरी तरह निर्भर है। बिहार में विद्युत उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म इंधन पर आधारित है। राज्य सरकार की बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए कई योजनाएं हैं। तालिका 4.49 में देखा जा सकता है कि 2013-14 में चरम मांग की अवधि में बिजली की उपलब्धता 2,335 मेगावाट थी जो सितंबर 2014 में बढ़कर 2,829 मेगावाट हो गई। वर्ष 2013-14 में अपना उत्पादन चरम मांग का मात्र 3.1 प्रतिशत था। तालिका 4.49 में राज्य द्वारा विगत 9 वर्षों में उत्पादित और खरीदी गई बिजली का ब्योरा भी प्रस्तुत है।

**तालिका 4.49 : चरम मांग के बरअक्स विद्युत उत्पादन और खरीद**

(मेगावाट)

| वर्ष | चरम मांग | पूर्ति का स्रोत | | | चरम कमी | चरम कमी चरम मांग के प्रतिशत में | अपना उत्पादन चरम मांग के प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अपना उत्पादन | आयात (खरीद) | योग | | | |
| 2005-06 | 1175 | 42.72 | 1052.28 | 1095 | 80 | 6.81 | 3.64 |
| 2006-07 | 1275 | 37.48 | 1175.52 | 1213 | 62 | 4.86 | 2.94 |
| 2007-08 | 1800 | 64.17 | 1179.83 | 1244 | 556 | 30.89 | 3.57 |
| 2008-09 | 1900 | 72.15 | 1275.85 | 1348 | 552 | 29.05 | 3.80 |
| 2009-10 | 2200 | 56.35 | 1451.65 | 1508 | 692 | 31.45 | 2.56 |
| 2010-11 | 2250 | 152.00 | 1512.00 | 1664 | 586 | 26.04 | 6.76 |
| 2011-12 | 2500 | 66.00 | 1646.00 | 1712 | 788 | 31.52 | 2.64 |
| 2012-13 | 2650 | अनु. | 1802.00 | 1802 | 848 | 32.00 | 0.0 |
| 2013-14 | 3000 | 94.00 | 2241.00 | 2335 | 665 | 22.16 | 3.13 |
| 2014-15 (सितंबर तक) | 3200 | 68.00 | 2761.00 | 2829 | 371 | 11.53 | 2.13 |

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि., बिहार सरकार

विद्युत उत्पादन के मामले में इस खराब स्थिति के कारणों को 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में बचे तीनो उत्पादन इकाइयों का अध्ययन करके समझा जा सकता है।

(1) <u>बरौनी तापविद्युत केंद्र, बरौनी</u>

बरौनी तापविद्युत केंद्र राजकीय क्षेत्र का अकेला विद्युत केंद्र है। हालांकि इसमें 7 इकाइयां हैं, लेकिन उनमें से 5 का कार्यकारी जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। शेष दो अर्थात 110-110 मेगावाट की छठी और सातवीं इकाइयों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम प्रगति पर है। 250-250 मेगावाट की दो नई इकाइयों का काम भी विस्तार कार्यक्रम के तहत जारी है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप, इन दोनो नई इकाइयों के लिए कोल लिंकेज और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दोनो में से एक इकाई में सितंबर 2015 से उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है।

(2) <u>कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल)</u>

कांटी बिजली उत्पादन निगम अब राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की पूर्णतः अंगीभूत कंपनी है। यहां 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के बाद गत वर्ष से एक इकाई में उत्पादन आरंभ हो गया है।

(3) <u>कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस)</u>

कोशी जलविद्युत केंद्र (कटैया), बीरपुर में 4.8-4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। 16 नवंबर, 2003 को यह परियोजना बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। चार में से तीन इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है और बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

अभी बिहार में चार और विद्युत उत्पादन इकाइयों का काम प्रगति पर है। इन सारी परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर केंद्रीय क्षेत्र की बिजली पर राज्य की निर्भरता कम हो जाएगी। इन नई परियोजनाओं के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

(1) <u>नबीनगर संयंत्र - चरण-1</u> : यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए 660 मेगावाट की तीन इकाइयों का निर्माणकार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के कारण केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा राज्य में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए कोल लिंकेज आबंटित कर दिया गया है।

(2) <u>बक्सर, भागलपुर और लखीसराय में विद्युत परियोजनाएं</u> : चौसा में 660 मेगावाट की दो इकाइयों वाली विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलुज जलविद्युत निगम के साथ समझौता भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इसके अलावा, 660 मेगावाट के दो-दो तापविद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय जलविद्युत निगम और राष्ट्रीय तापविद्युत निगम के साथ भी समझौते हस्ताक्षरित हुए हैं। पीरपैंती (भागलपुर) में संयंत्र का निर्माण राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा और कजरा (लखीसराय) में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम द्वारा किया जाएगा।

(3) अतिविशाल विद्युत परियोजना (बांका) : बांका में लगभग 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2,500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने गंगा नदी से 120 क्यूसेक पानी देने के लिए सहमति प्रदान की है।

(4) मथौली जलविद्युत परियोजना (पश्चिम चंपारण) : इस परियोजना का निर्माणकार्य पूरा होने पर है। इसकी क्षमता 800 किलोवाट है।

बिजली की स्थिति

निकट भविष्य में राज्य में बिजली की मांग 2013-14 के लगभग 3000 मेगावाट से बढ़कर 6000 मेगावाट हो जाने का अनुमान है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से कई परियोजनाओं के लिए योजना बनाई है। वर्ष 2009-10 में बिजली की आवश्यकता 1406.6 करोड़ यूनिट थी जो 2013-14 में बढ़कर 2046.0 करोड़ यूनिट हो गई थी। लेकिन बिजली की उपलब्धता 2009-10 में 960.3 करोड़ यूनिट और 2013-14 में 1398.1 करोड़ यूनिट ही थी। तालिका 4.50 में राज्य में विद्युत आपूर्ति में कमी दर्शाई गई है। विगत कई वर्षों के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति समग्रत: संतोषजनक नहीं रही है। लेकिन 2013-14 से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार दिखा है।

**तालिका 4.50 : बिजली की आवश्यकता, उपलब्धता और कमी**

| वर्ष | स्थापित क्षमता (मेगावाट) | उत्पादित बिजली (करोड़ यूनिट) | खरीदी गई बिजली (करोड़ यूनिट) | उपलब्धता (करोड़ यूनिट) | बिजली की जरूरत (करोड़ यूनिट) | बिजली की कमी (करोड़ यूनिट) | राजकीय क्षेत्र की क्षमता (मेगावाट) | राजकीय क्षेत्र से उपलब्ध आपूर्ति (मेगावाट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 1424.1 | 14.9 | 723.5 | 738.3 | 1029.3 | 291.0 | 364.1 | 264.1 |
| 2009-10 | 2932.8 | 24.2 | 936.1 | 960.3 | 1406.6 | 446.3 | 372.8 | 272.8 |
| 2013-14 | 7050.0 | 45.6 | 1443.7 | 1398.1 | 2046.0 | 602.3 | 110.0 | 90.0 |

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

संचरण

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संचरण नेटवर्क के जरिए होती है जिसमें उच्च विभव वाली बिजली का निम्न विभव वाली बिजली में रूपांतर भी शामिल होता है। संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अत: संचरण प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां अधिकांशत: अन्य दो खंडों - उत्पादन और वितरण - की बढ़ती जरूरतों से संबंधित होती हैं।

संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 में 6 नए ग्रिड उप-केंद्रों और 29 नए विद्युत उप-केंद्रों की स्थापना के परिणामस्वरूप, राज्य में कुल 203 पावर ट्रांसफर्मर और 2,932 वितरण ट्रांसफर्मर या तो लगाए गए या उनकी क्षमता बढ़ाई गई। इसके अलावा, 40,551 किलोमीटर जीर्णशीर्ण संचरण वाले तारों को भी बदला गया। जले या खराब ट्रांसफर्मरों को बदलने की समयसीमा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे तय की गई

है। बिहार में बिजली का संचरण 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट और 132/25 किलोवोल्ट स्तर पर होता है। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी के संचरण नेटवर्क में 101 उपकेंद्र और लगभग 8,394 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) लंबी संचरण लाइनें हैं। संचरण व्यवस्था 9,750 मेगावाट-एंपीयर बिजली का संचरण करने में सक्षम है। मौजूद संचरण अधिसंरचना के विवरण तालिका 4.51 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 4.51 : संचरण हेतु विद्यमान अधिसंरचना**

| वोल्टेज | उपकेंद्रों की संख्या | लाइन की लंबाई (सीकेएम) | ट्रांसफर्मरों की क्षमता (मेगा वोल्ट एंपियर) |
|---|---|---|---|
| 400 किलो वोल्ट | — | 75 | — |
| 220 किलो वोल्ट | 11 | 1,662.97 | 3550 |
| 132 किलो वोल्ट | 87 | 6,656.372 | 6090 |
| 132/25 किलो वोल्ट | 3 | (अनुपलब्ध) | 110 |
| **योग** | **101** | **8,394.342** | |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

<u>वितरण</u>

वितरण पूरी विद्युत आपूर्ति श्रृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि यह राजस्व अर्जित करने वाली अकेली शाखा है। इसी राजस्व का उपयोग राज्य सरकार को पूरी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने के साथ-साथ केंद्र से बिजली खरीदने में समर्थ बनाता है। इस लिहाज से विद्युत क्षेत्र के सुधारों की एक प्रमुख चुनौती वितरण क्षेत्र का कुशल प्रबंधन है।

वर्ष 2012-13 में बनी दोनो वितरण कंपनियां (एक उत्तर बिहार के लिए और एक दक्षिण बिहार के लिए) अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए पहले से ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। जारी योजनाओं में ट्रांसफर्मर बदलना, नए ट्रांसफर्मर खरीदना, मौजूदा उच्च विभव और निम्न विभव वाली लाइनों के पुराने कंडक्टर बदलना और नई उच्च विभव और निम्न विभव लाइनें, पीएसएस और बे निर्मित करना शामिल हैं।

तेज आर्थिक विकास और जनसंख्या में वृद्धि के कारण हाल के वर्षों में बिजली की मांग लगातार बढ़ती रही है। बिजली की मांग बढ़ने से उत्पन्न समस्याएं इस तथ्य के कारण और भी जटिल हो जाती हैं कि बिजली की बिक्री में बहुत मामूली, मात्र 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण उच्च संचरण एवं वितरण ह्रास है। वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा 42 प्रतिशत था (तालिका 4.52)। नई वितरण कंपनियां शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के साथ-साथ बिल निर्माण और संग्रहण के चक्र में सुधार करके इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही हैं। फीडर और वितरण ट्रांसफर्मर के स्तर पर लेखाकरण और अंकेक्षण इन ह्रासों में कमी लाने के लिए जरूरी हैं और वितरण कंपनियां ने ये काम आरंभ कर दिए हैं। संचरण एवं वितरण प्रणाली में समग्रता में सुधार के लिए बारहवीं योजना के दौरान विशेष योजना के तहत 8,308.67 करोड़ रु. व्यय की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और काम क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है।

**तालिका 4.52 : स्वीकृत और वास्तविक संचरण एवं वितरण ह्रास (प्रतिशत)**

| वर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | | 2014-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NBPDCL | SBPDCL | NBPDCL | SBPDCL |
| संचरण एवं वितरण ह्रास | 38.32 | 43.59 (35.26) | 44.05 | 41.00 | 38.00 | 47.69 | 31.48 | 44.65 |
| आयोग द्वारा स्वीकृत संचरण एवं वितरण ह्रास | 35.00 | 32.00 | 29.00 | 27.50 | 23.00 | 23.00 | 21.40 | 21.40 |

(टिप्पणी : वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के आंकड़े मीटर-रहित श्रेणी वाले उपभोक्ताओं के लिए खपत के संशोधित मानकों पर आधारित हैं। वर्ष 2010-11 के दो आंकड़े दो भिन्न मानकों पर आधारित हैं।)

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

<u>कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति</u>

बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद 2009-10 के 9,83.7 करोड़ किलोवाट-आवर से बढ़कर 2013-14 में 1,504.5 करोड़ किलोवाट-आवर हो गया। बिजली की खरीद बढ़ने के साथ भारी संचरण एवं वितरण ह्रास के बावजूद राजस्व संग्रहण भी बढ़ा। लेकिन लागत के आच्छादन के लिहाज से वित्तीय घाटा लगातार उच्च स्तर पर रहा है। वर्ष 2013-14 में उत्तर बिहार वितरण नेटवर्क में यह 52.2 प्रतिशत था और दक्षिण बिहार वितरण नेटवर्क में 50.4 प्रतिशत। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थितियां तालिका 4.53 में वर्णित हैं।

**तालिका 4.53 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति**

| मद | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी |
| उत्पादन और खरीद (मिलियन किलोवाट आवर) | 9837 | 10883 | 11966 | 12614 | 5778.16 | 9266.43 |
| बिक्री (मिलियन किलोवाट आवर) | 6067 | 6139 | 6698 | 7213 | 3604.83 | 4636.66 |
| घाटा (प्रतिशत) | 38.32 | 43.59 * (35.26) | 44.05 | 41.28 (AV) | 37.61 | 49.96 |
| औसत राजस्व (रु./ किलोवाट आवर) | 3.03 | 3.87 | 4.64 | 4.54 (AV) | 4.17 | 4.86 |
| बिजली की बिक्री (करोड़ रु.) | 1839.00 | 2376.00 | 3109.00 | 3307.00 | 1503.66 | 2254.77 |
| सब्सिडी सहित कुल आय (करोड़ रु.) | 2796.00 | 3618.00 | 5421.00 | 6518.00 | 2803.62 | 4203.50 |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 4292.00 | 5240.00 | 7799.00 | 7036.00 | 2877.88 | 4472.19 |
| व्यय की पूर्ति (टैरिफ/ व्यय) (प्रतिशत) | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 50.00 | 52.25 | 50.42 |

टिप्पणी : यह बिना मीटर वाली श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए खपत के संशोधित मानकों के आधार पर है। पूर्ववर्ती मानकों के आधार पर संचरण एवं वितरण ह्रास मात्र 35.26 प्रतिशत हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम

विद्युत आपूर्ति का आच्छादन बढ़ाने के लिए चलने वाले केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं – पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)। इन कार्यक्रमों के कामकाज नीचे प्रस्तुत हैं।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) : कार्यक्रम के भाग-क के तहत 71 शहरों (उत्तर बिहार के 33 और दक्षिण बिहार के 37) में काम प्रगति पर है। योजना के भाग-ख के तहत 64 शहरों और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में काम समाप्ति पर है। कार्यक्रम का लक्ष्य समय पर अनुश्रवण और नियंत्रण उपलब्ध कराना, ह्रास को न्यूनतम करना, लोड संतुलित करना और वोल्टेज संबंधी विवरणी में सुधार लाना है। कार्यक्रम के तहत व्यय के विवरण तालिका 4.54 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 4.54 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूंजीगत व्यय**

| कार्यक्रम के तहत परियोजना के घटक | परिव्यय (करोड़ रु.) |
|---|---|
| पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम – भाग क | 253.68 |
| पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम – भाग ख | 1155.21 |
| पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम - स्काडा | 36.00 |
| **योग** | **1444.89** |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 4.11 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत परिव्यय (प्रतिशत)**

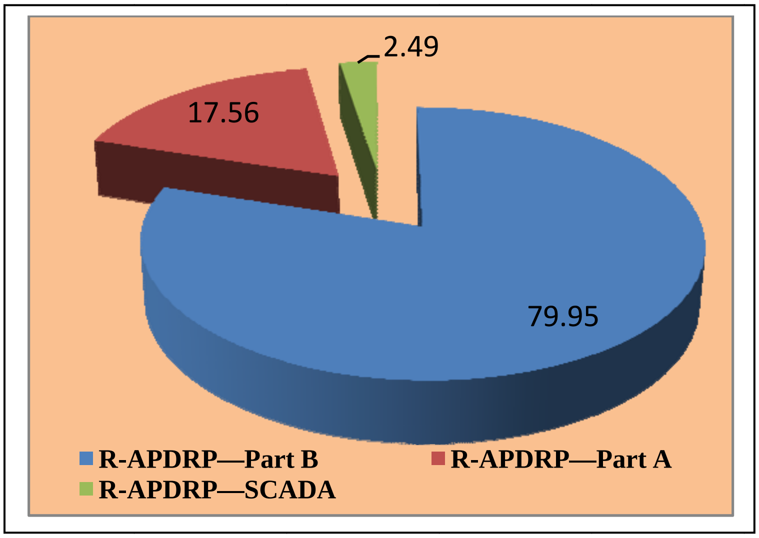

<u>राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना</u> : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मात्र 11.3 प्रतिशत शहरी आबादी वाला बिहार यह देश का सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। राष्ट्रीय औसत लगभग 31.1 प्रतिशत है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के पावर ग्रिड से संपर्क में सुधार करना अत्यंत महत्व का काम है। इस लिहाज से, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (10वीं योजना और 11वीं योजना) के प्रथम चरण के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) के द्वितीय चरण के तहत राज्य के 11 जिलों (दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के तहत 7 जिलों और उत्तर बिहार विद्युत वितरण निगम लि. के तहत 4 जिलों) में संपूर्ण विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण में है और शेष 27 जिलों में कार्यादेश दिया गया है, सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और कुछ गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति तालिका 4.55 में प्रस्तुत है।

**तालिका 4.55 : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति**

| गतिविधियां | भारतीय पावर ग्रिड निगम | राष्ट्रीय जल विद्युत निगम | बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी | योग |
|---|---|---|---|---|
| **विद्युत उप-केंद्रों का निर्माण** | | | | |
| 10वीं योजना में शामिल | 75 | 11 | NIL | 86 |
| 11वीं योजना में शामिल | 10 | 29 | 64 | 103 |
| चालू विद्युत उप-केंद्रों की संख्या | 81 | 37 | 32 | 150 |
| **गांवों का विद्युतीकरण** | | | | |
| 10वीं योजना में विद्युतीकृत गांवों की सं. | 14746 | 1860 | NIL | 16606 |
| 11वीं योजना में विद्युतीकृत गांवों की सं. | 3562 | 1814 | 2053 | 7429 |
| विद्युतीकृत गांवों की कुल सं. | 18308 | 3674 | 2053 | 24035 |
| **बीपीएल आवासों का विद्युतीकरण** | | | | |
| 10वीं योजना में विद्युतीकृत आवासों की सं. | 539307 | 197736 | 0 | 737043 |
| 11वीं योजना में विद्युतीकृत आवासों की सं. | 394176 | 558864 | 422726 | 1375766 |
| विद्युतीकृत होने वाले आवासों की सं. (लक्ष्य) | 947779 | 1100256 | 1780442 | 3828477 |
| विद्युतीकृत आवासों की सं. (उपलब्धि) | 933483 | 756600 | 449626 | 2139709 |
| उपलब्धि (प्रतिशत में) | 98.49 | 68.77 | 25.25 | 55.89 |
| विद्युतीकृत आवासों की कुल सं. | 933483 | 756600 | 449626 | 2139709 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)

बारहवीं योजना अवधि में संचरण एवं वितरण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा अवरोधों की समाप्ति के लिए भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की विशेष योजना के तहत अनेक योजनाएं स्वीकृत हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए अभी तक 8308.67 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

पहले भी उल्लेख किया गया है कि बिहार की अधिकांश स्थापित क्षमता तापविद्युत संयंत्रों में संकेंद्रित है। इससे बिजली के स्वच्छ उत्पादन के संबंध में ही चिंता नहीं पैदा होती है, कोयला का मूल्य अत्यंत उतार-चढ़ाव भरा होने को देखते हुए वह आर्थिक बोझ भी बन जाता है। अतः जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक अभिकरण भी निर्मित किया है जो राज्य में बिजली उत्पादन के लिए गैर-परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार को योजनाओं के लिए सब्सिडी देने और स्थापना व्यय के लिए ब्रेडा को धनराशि उपलब्ध कराती है।

विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास

- विशेष शिविर लगाकर नया सेवा कनेक्शन देने के विचार की परिणति अक्तूबर 2014 में 2.25 लाख नए सेवा कनेक्शन देने में हुई है।
- उच्च विभव वाले कनेक्शनों और उनसे संबंधित शिकायतों के निराकरण में सहयोग के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है।
- बिजली बिल भुगतान के लिए एटीएम, सहज वसुधा केंद्र, एटीपी मशीन, नेट बैंकिंग, मोबाइल फोन और ग्रामीण बैंक आदि नए विकल्पों के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, अपने दरवाजे पर बिल भुगतान के लिहाज से उपभोक्ताओं को मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया और मधुबनी जिलों में 100 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर 'जीविका' के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच 5,000 सौर लालटेन वितरित किए गए हैं।
- सौर प्रकाश-विद्युत (एसपीवी) कार्यक्रम के तहत गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया, मधुबनी और पूर्णिया जिलों में लाभार्थियों को 'जीविका' के माध्यम से सब्सिडीशुदा दर पर 4,900 घरेलू सोलर लाइट उपलब्ध कराए गए हैं।
- सभी जिला समाहरणालयों, जिला अस्पतालों और जिला के सरकारी भवनों में छतों पर 25 किलोवाट-पीक क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र लगाने का काम जारी है।

- पटना में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को एलईडी स्ट्रीट लाइन में बदलने के लिए बीईई कार्यक्रम के तहत 366 एलईडी लाइट लगाए जा चुके हैं।

- पटना नहर पर देहरा (1 मेगावाट) और सिपाहा (1 मेगावाट) में शुरू की गई जलविद्युत परियोजना का काम अंतिम चरण में है।

- अबाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए '24x7 फ्यूज कॉल सेंटर' स्थापित किए गए हैं।

- बिहार सौर्य क्रांति सिंचाई योजना के तहत 5 जिलों में 560 सौर पंपिंग प्रणाली लगाने का काम जारी है। इनमें से 400 प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं।

- लोगों को नया सेवा कनेक्शन देने के लिए द्विमासिक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

- राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य में राजस्व संबद्ध आपूर्ति योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत बिजली की आपूर्ति प्राप्त राजस्व के अनुपात में की जाएगी।

- लंबे समय से लंबित विभागीय प्रक्रियाओं के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जिससे कर्मचारियों की कार्य-संतुष्टि बढ़ेगी।

- ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा कुशलता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण नीति तैयार की जा रही है।

- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए सौर नीति तैयार की जा रही है।

- बायोमास (जैव पदार्थ) ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए बायोमास नीति निर्माणाधीन है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 4.1 : बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क

(लंबाई किमी में)

| जिले | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राष्ट्रीय उच्चपथ | राज्य उच्चपथ | मुख्य जिला पथ | राष्ट्रीय उच्चपथ | राज्य उच्चपथ | मुख्य जिला पथ | राष्ट्रीय उच्चपथ | राज्य उच्चपथ | मुख्य जिला पथ |
| पटना | 394.90 | 162.16 | 427.40 | 394.90 | 162.16 | 458.41 | 394.90 | 162.16 | 495.59 |
| नालंदा | 177.07 | 172.00 | 203.08 | 177.07 | 172.00 | 318.26 | 177.07 | 172.00 | 389.95 |
| भोजपुर | 85.00 | 152.80 | 280.18 | 85.00 | 152.80 | 258.28 | 85.00 | 152.80 | 250.00 |
| बक्सर | 55.00 | 78.50 | 126.39 | 55.00 | 78.50 | 126.39 | 55.00 | 78.50 | 126.60 |
| रोहतास | 145.24 | 234.80 | 425.16 | 145.24 | 234.80 | 398.41 | 145.24 | 234.80 | 415.11 |
| कैमूर | 52.24 | 99.40 | 232.60 | 52.24 | 99.40 | 232.60 | 52.24 | 99.40 | 239.29 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 119.50 | 218.60 | 304.19 | 119.50 | 218.60 | 351.33 | 119.50 | 218.60 | 600.92 |
| अरवल/ जहानाबाद | 134.23 | 104.30 | 186.61 | 134.23 | 104.30 | 203.21 | 134.23 | 104.30 | 279.99 |
| नवादा | 84.30 | 170.33 | 173.58 | 84.30 | 170.33 | 136.60 | 84.30 | 170.33 | 158.10 |
| औरंगाबाद | 137.23 | 150.50 | 218.10 | 137.23 | 150.50 | 258.73 | 137.23 | 150.50 | 245.13 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 180.50 | 201.80 | 202.79 | 180.50 | 201.80 | 262.08 | 180.50 | 201.80 | 219.24 |
| सीवान | 54.00 | 159.40 | 328.66 | 54.00 | 159.40 | 328.66 | 54.00 | 159.40 | 250.01 |
| गोपालगंज | 96.43 | 81.64 | 312.21 | 96.43 | 81.64 | 312.21 | 96.43 | 52.64 | 321.69 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 112.00 | 101.60 | 317.01 | 112.00 | 101.60 | 317.01 | 112.00 | 101.60 | 298.56 |
| पूर्व चंपारण | 94.00 | 144.05 | 309.84 | 94.00 | 144.05 | 309.84 | 94.00 | 144.05 | 330.45 |
| मुजफ्फरपुर | 229.20 | 70.33 | 364.01 | 258.23 | 70.33 | 394.24 | 259.40 | 70.33 | 431.02 |
| सीतामढ़ी | 102.00 | 49.30 | 203.56 | 136.00 | 49.30 | 222.36 | 167.82 | 49.30 | 286.51 |
| शिवहर | 22.00 | 13.64 | 33.00 | 22.00 | 13.64 | 33.00 | 22.00 | 13.64 | 33.00 |
| वैशाली | 127.61 | 151.20 | 177.30 | 127.61 | 151.20 | 177.30 | 127.61 | 151.20 | 177.35 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 49.00 | 198.06 | 403.55 | 49.80 | 198.06 | 402.75 | 49.80 | 198.06 | 372.70 |
| मधुबनी | 207.75 | 131.95 | 282.94 | 207.75 | 131.95 | 314.63 | 207.75 | 131.95 | 371.20 |
| समस्तीपुर | 65.51 | 221.90 | 321.45 | 65.51 | 221.90 | 321.45 | 65.51 | 221.90 | 384.65 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 95.89 | 42.00 | 201.63 | 95.89 | 42.00 | 201.63 | 95.89 | 42.00 | 246.58 |
| मुंगेर | 38.57 | 69.40 | 45.20 | 96.91 | 11.06 | 45.20 | 72.97 | 35.00 | 53.00 |
| शेखपुरा | 12.00 | 52.90 | 108.51 | 12.00 | 52.90 | 108.51 | 12.00 | 52.90 | 126.83 |
| लखीसराय | 45.21 | 58.84 | 58.29 | 45.21 | 58.84 | 58.29 | 45.21 | 58.84 | 87.45 |
| जमुई | – | 221.45 | 183.78 | 88.36 | 133.09 | 183.78 | 112.35 | 109.15 | 198.21 |
| खगड़िया | 92.30 | 15.00 | 129.05 | 92.30 | 15.00 | 129.05 | 92.30 | 15.00 | 212.07 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 146.00 | 81.05 | 214.90 | 146.00 | 81.05 | 252.96 | 146.00 | 81.05 | 265.27 |
| बांका | – | 215.21 | 245.77 | – | 215.21 | 264.49 | 10.96 | 204.25 | 206.29 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 59.70 | 153.75 | 339.10 | 78.70 | 134.75 | 357.52 | 92.80 | 120.65 | 332.33 |
| सुपौल | 133.00 | 221.99 | 469.79 | 204.60 | 150.38 | 469.79 | 215.50 | 139.49 | 546.59 |
| मधेपुरा | 109.00 | 99.48 | 53.80 | 109.00 | 99.48 | 73.98 | 109.00 | 99.48 | 87.46 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 103.00 | 161.48 | 286.25 | 120.20 | 161.48 | 269.05 | 115.50 | 148.98 | 256.90 |
| किशनगंज | 0.00 | 117.06 | 233.50 | 68.00 | 49.06 | 233.50 | 67.87 | 49.95 | 286.17 |
| अररिया | 85.00 | 163.15 | 252.29 | 153.50 | 94.65 | 252.29 | 153.50 | 93.65 | 240.99 |
| कटिहार | 90.00 | 115.98 | 375.12 | 101.50 | 115.98 | 363.62 | 157.61 | 99.63 | 304.36 |
| | | | | | | | | | |
| **योग** | **3734.38** | **4857.00** | **9030.59** | **4200.71** | **4483.19** | **9401.40** | **4320.99** | **4389.28** | **10127.56** |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 4.2 : राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत राज्य उच्चपथों की जिलावार स्वीकृत लंबाई और भौतिक उपलब्धि**

| जिलों के नाम | क्रियान्वयन अभिकरण | स्वीकृत लंबाई (किमी) | भौतिक उपलब्धि (किमी) |
|---|---|---|---|
| पटना | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 79.40 | 78.30 |
| नालंदा | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 39.50 | 38.80 |
| भोजपुर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 47.00 | 47.40 |
| बक्सर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 78.84 | 77.06 |
| रोहतास | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 207.36 | 194.30 |
| कैमूर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 52.29 | 51.70 |
| गया | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 68.22 | 68.22 |
| अरवल/ जहानाबाद | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 3.50 | 3.50 |
| नवादा | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 45.45 | 45.00 |
| औरंगाबाद | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 37.10 | 35.59 |
| सारण | इरकॉन | 24.00 | 7.35 |
| सीवान | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 54.60 | 54.60 |
| गोपालगंज | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 24.90 | 24.90 |
| पश्चिम चंपारण | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 35.85 | 35.25 |
| पूर्व चंपारण | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 102.45 | 103.45 |
| मुजफ्फरपुर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | अनु. | अनु. |
| सीतामढ़ी | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 26.54 | 26.54 |
| शिवहर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 12.00 | 12.00 |
| वैशाली | इरकॉन | 31.01 | 31.01 |
| दरभंगा | इरकॉन | 96.77 | 97.87 |
| मधुबनी | इरकॉन | 105.86 | 105.86 |
| समस्तीपुर | इरकॉन | 97.17 | 97.45 |
| बेगूसराय | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 41.30 | 41.30 |
| मुंगेर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 34.00 | 33.70 |
| शेखपुरा | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 38.54 | 38.50 |
| लखीसराय | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 58.98 | 58.74 |
| जमुई | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 151.86 | 150.90 |
| खगड़िया | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | अनु. | अनु. |
| भागलपुर | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 46.35 | 46.33 |
| बांका | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 167.06 | 165.20 |
| सहरसा | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 24.10 | 24.10 |
| सुपौल | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 33.10 | 33.10 |
| मधेपुरा | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 27.77 | 27.77 |
| पूर्णिया | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 91.40 | 91.00 |
| किशनगंज | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 79.59 | 78.00 |
| अररिया | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 30.50 | 30.50 |
| कटिहार | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 19.71 | 19.85 |
| **योग** | | **2114.07** | **2075.14** |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 4.3 : बिहार राज्य में वर्ष 2013-14 में निबंधित वाहनों के आंकड़े#

(संख्या)

| जिलों के नाम | ट्रक | बस | कार | टैक्सी | जीप | तिपहिया | दोपहिया | ट्रैक्टर | ट्रेलर | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 2868 | 308 | 11033 | 1242 | 1800 | 6087 | 66889 | 2033 | 516 | 2 | 92778 |
| नालंदा | 310 | 70 | 128 | 282 | 102 | 816 | 8819 | 734 | 95 | | 11356 |
| भोजपुर | 74 | 80 | 94 | 256 | 364 | 959 | 9307 | 717 | 640 | 327 | 12818 |
| बक्सर | 73 | 18 | 104 | 38 | 146 | 260 | 5257 | 812 | 702 | 35 | 7445 |
| रोहतास | 169 | 48 | 239 | 51 | 77 | 818 | 4997 | 891 | 240 | 27 | 7557 |
| कैमूर/ भभुआ | 80 | 28 | 118 | 95 | 106 | 139 | 4459 | 548 | 351 | 41 | 5965 |
| | | | | | | | | | | | |
| गया | 847 | 141 | 1098 | 691 | 782 | 2147 | 19226 | 842 | 510 | 1 | 26285 |
| जहानाबाद | 38 | 42 | 15 | 50 | 50 | 415 | 1504 | 321 | 244 | 51 | 2730 |
| अरवल | 6 | 1 | | 12 | 25 | 118 | 413 | 209 | 71 | 17 | 872 |
| नवादा | 46 | 27 | 53 | 122 | 151 | 285 | 3885 | 799 | 195 | 109 | 5672 |
| औरंगाबाद | 226 | 54 | 86 | 175 | 463 | 1055 | 7925 | 927 | 224 | 73 | 11208 |
| | | | | | | | | | | | |
| सारण/ छपरा | 80 | 64 | 349 | 427 | 545 | 1556 | 11485 | 1000 | 177 | | 15683 |
| सीवान | 322 | 42 | 142 | 315 | 734 | 656 | 16154 | 1031 | 7 | | 19403 |
| गोपालगंज | 19 | 30 | 875 | 178 | | 509 | 12236 | 659 | 6 | 213 | 14725 |
| | | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 61 | 14 | 51 | 346 | 454 | 543 | 16375 | 1252 | 143 | 140 | 19379 |
| पूर्व चंपारण | 221 | 41 | 78 | 645 | 411 | 1014 | 3757 | 1114 | 80 | | 7361 |
| मुजफ्फरपुर | 1285 | 218 | 3695 | 1824 | 746 | 1907 | 55575 | 1731 | 88 | | 67069 |
| सीतामढ़ी | 33 | 19 | 27 | 68 | 115 | 1333 | 9378 | 876 | 92 | | 11941 |
| शिवहर | | 4 | | 35 | 32 | 86 | 3457 | 398 | 14 | 2 | 4028 |
| वैशाली | 89 | 36 | 1371 | 287 | 552 | 1421 | 20881 | 1588 | 280 | 617 | 27122 |
| | | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 592 | 40 | 626 | 899 | 247 | 1896 | 14400 | 696 | 185 | 66 | 19647 |
| मधुबनी | 6 | 8 | 27 | 144 | 116 | 604 | 12487 | 1319 | 177 | 41 | 14929 |
| समस्तीपुर | 287 | 13 | 131 | 194 | 56 | 1072 | 16445 | 1347 | 122 | | 19667 |
| | | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 815 | 71 | 658 | 742 | 166 | 499 | 12894 | 1102 | 294 | | 17241 |
| मुंगेर | 85 | 4 | 79 | 137 | 26 | 261 | 5122 | 125 | 52 | 2 | 5893 |
| शेखपुरा | 7 | 6 | 10 | 124 | 34 | 14 | 1380 | 186 | 112 | 4 | 1877 |
| लखीसराय | 202 | 8 | 11 | 411 | 32 | 23 | 1430 | 180 | 135 | | 2432 |
| जमुई | 90 | 10 | | 175 | 99 | 451 | 3741 | 352 | 352 | | 5270 |
| खगड़िया | 65 | 10 | 20 | 72 | 9 | 361 | 4573 | 746 | 169 | | 6025 |
| | | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 96 | 51 | 785 | 380 | 510 | 1705 | 10761 | 754 | 315 | 362 | 15719 |
| बांका | 20 | 16 | 16 | 13 | 39 | 32 | 2711 | 326 | 166 | 5 | 3344 |
| | | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 170 | 31 | 77 | 199 | 82 | 402 | 4489 | 867 | 329 | | 6646 |
| सुपौल | 60 | 3 | 41 | 103 | 76 | 97 | 5288 | 737 | 19 | | 6424 |
| मधेपुरा | 16 | 12 | 117 | 47 | 29 | 392 | 5769 | 526 | 111 | 34 | 7053 |
| | | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1341 | 62 | 807 | 892 | 171 | 4310 | 5908 | 2020 | 467 | | 15978 |
| किशनगंज | 4 | 4 | 87 | 22 | 27 | 113 | 9293 | 132 | 64 | 22 | 9768 |
| अररिया | 3 | 6 | 143 | 42 | 94 | 740 | 5632 | 832 | 124 | 27 | 7643 |
| कटिहार | 26 | 6 | 222 | 26 | 8 | 257 | 15422 | 625 | 143 | 10 | 16745 |
| | | | | | | | | | | | |
| **योग** | **10732** | **1646** | **23413** | **11761** | **9476** | **35353** | **419724** | **31354** | **8011** | **2228** | **553698** |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 4.4 : वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना के तहत प्रस्तावित रकम**

| क्र. सं. | योजना का नाम | | |
|---|---|---|---|
| | राज्य योजना | | बजट की रकम |
| | जलापूर्ति एवं स्वच्छता | | |
| 1 | जलापूर्ति | | 16237.82 |
| 2 | | | 3200.00 |
| 3 | | | 562.18 |
| 4 | जल निकासी, मलजल निकासी और अन्य स्वच्छता योजनाएं | | 8075.00 |
| 5 | | | 1330.00 |
| 6 | | | 95.00 |
| 7 | NCRP (NGRBA) | | 17610.00 |
| 8 | | | 2190.00 |
| 9 | | | 200.00 |
| | | **योग** | **49500.00** |
| | **सामाजिक सेवाएं ( नगर विकास )** | | |
| 10 | जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन (JNNURM) | UIDSSMT | 43200.00 |
| 11 | | UIDSSMT (SCSP) | 1200.00 |
| 12 | | UIG और BSUP (सामान्य) | 9000.00 |
| 13 | | UIG और BSUP (SCSP) | 6000.00 |
| 14 | | IHSDP (सामान्य) | 18200.00 |
| 15 | | IHSDP (SCSP) | 1237.00 |
| | | **योग (JNNURM)** | **78837.00** |
| 16 | स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना | | 8000.00 |
| 17 | | | 300.00 |
| 18 | शहर विषयक सुधार हेतु वाह्य सहायता-प्राप्त कार्यक्रम | | 8000.00 |
| 19 | बिहार नगर विकास कार्यक्रम हेतु वाह्य सहायता-प्राप्त कार्यक्रम | | 19000.00 |
| 20 | नागरिक सुविधाएं | | 32702.97 |
| 21 | स्थानीय नगर निकायों के भवनों का निर्माण/ मरम्मत | | 3600.00 |
| 22 | मास्टर प्लान, परियोजना रिपोर्ट निर्माण | | 1000.00 |
| 23 | क्षमता निर्माण | | 1.00 |
| 24 | ई-गवर्नेंस | | 1100.00 |
| 25 | अनुश्रवण/ मूल्यांकन/ प्रेक्षण/ संसाधन केंद्र की स्थापना | | 1000.00 |
| 26 | बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण और निर्माण समापन | | 1.00 |
| 27 | शहरी गरीबी निवारण निदेशालय का सुदृढ़ीकरण | | 1.00 |
| 28 | अभियंत्रण कोषांग का स्थापना व्यय | | 700.00 |
| 29 | निर्वाचित सदस्यों को नियत भत्ता | | 480.00 |
| 30 | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना | | 19899.00 |
| 31 | | | 201.00 |
| 32 | ILCS | | 8.00 |
| 33 | राजीव आवास योजना | | 17750.00 |
| 34 | BPL सूची | | 1.00 |
| 35 | भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण | | 100.00 |
| | | **योग** | 113844.97 |
| 36 | सड़क और पुल | | 16043.21 |
| 37 | | | 976.79 |
| 38 | | | 79.00 |
| | | **योग** | 17099.00 |
| | | **कुल योग** | **259280.97** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 4.5 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना ( 2012-17 ) के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन**

| योजना | | संख्या | सिंचाई क्षमता (लाख हे.) | वांछित रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| क | **भूतल सिंचाई योजना ( नई योजना )** | | | |
| (i) | आहर-पइन सिंचाई परियोजना | 1770 | 7.23 | 3360 |
| (ii) | भूतल सिंचाई योजना के तहत वीयर, स्लूइस गेट आदि | 800 | 2.02 | 700 |
| (iii) | नई उद्वह सिंचाई योजना | 1000 | 1.00 | 500 |
| ख | **भूजल उपयोग योजना** | | | |
| (i) | 6'' व्यास के विद्युत चालित निजी/ सार्वजनिक गहरे नलकूप (दक्षिणी बिहार और ईख उत्पादक क्षेत्रों के लिए) | 12700 | 10.25 | 1320 |
| (ii) | 70% केंद्रीय सब्सिडी, 20% राज्य सरकार की सब्सिडी, 10% लाभार्थी के अंशदान वाली बिहार भूजल सिंचाई योजना के तहत 4'' व्यास के निजी छिछले नलकूप | 414000 | 5.08 | 2236 |
| ग | **भूतल सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास** | | | |
| (i) | पुरानी उद्वह सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार | 1800 | 1.63 | 500 |
| (ii) | भूतल परिवहन के तहत वीयर, स्लूइस गेट | 500 | 1.20 | 500 |
| घ | **भूजल सिंचाई योजना** | | | |
| (i) | पुराने नलकूपों का जीर्णोद्धार | 2800 | 2.24 | 1000 |
| च | **भूजल प्रबंधन** | | | |
| (i) | जल प्रबंधन सह सिंचाई चेकडैम/ भूतल जलाशय योजनाएं | 3350 | 1.68 | 201 |
| (ii) | भूजल प्रबंधन सिंचाई कूप, जलभृत, आदि की जांच और अन्वेषण | | 0 | 97.88 |
| छ | 10% - क्षमतावृद्धि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु | | 0 | 1045.12 |
| | **कुल लोग** | | **30.36** | **11460.00** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय 5

# सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र में होने वाले समानांतर विकास ही हैं जो बताते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया कितनी समावेशी है। भारतीय संविधान में सामाजिक क्षेत्र के अधिकांश एजेंडा राज्य के अधीन हैं। फलतः, राज्य सरकारों के लिए सामाजिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना वांछित होता है। बिहार में इस क्षेत्र का जोर समाज के सर्वाधिक वंचित तबकों तक पहुंचने के लिए लक्षित बहुदिशायी रणनीति के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र सामाजिक रूपांतरण पर है। और इसके लिए सेवा प्रदाता तंत्र का प्रभावी होना जरूरी होता है। राज्य के विभाजन के बाद, सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वर्तमान बिहार को अपनी उर्वर जमीन और मानव संसाधनों पर निर्भर करना पड़ रहा है। अपने मानव संसाधनों के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल, गृहविहीनों को आवास, जन वितरण प्रणाली के प्रावधान आदि कुछ अनिवार्य कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। ये सारी सेवाएं मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं बिहार की बढ़ती आबादी स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सामाजिक तथा आर्थिक, दोनो प्रकार से शक्तियुक्त हो ताकि लोग अंततः उत्पादक श्रमिक और उत्तरदायी नागरिक बनें।

हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास की गति काफी तेज रही है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक अर्थव्यवस्था 11.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई है। इसके साथ-साथ, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपना विकास व्यय भी बढ़ाया है। फलतः, हाल के दौर में राज्य में मानव विकास अच्छा-खासा रहा है, खास कर मानव विकास के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों - शिक्षा और स्वास्थ्य - के क्षेत्र में। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम है। हालांकि विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति विकास की दर व्यय संपूर्ण भारत के औसत (16.8 प्रतिशत) के लगभग समान (15.2 प्रतिशत) रही है। (तालिका 5.1)।

**तालिका 5.1 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान (सभी राज्य और बिहार)**

| वर्ष | सामाजिक सेवाओं पर व्यय (करोड़ रु.) | | कुल व्यय (करोड़ रु.) | | कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा | | सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सभी राज्य | बिहार | सभी राज्य | बिहार | सभी राज्य | बिहार | सभी राज्य | बिहार |
| 2009-10 | 343750 | 14309 | 1015330 | 42795 | 33.9 | 33.4 | 2934 | 1438 |
| 2010-11 | 404410 | 16161 | 1158730 | 50705 | 34.9 | 31.9 | 3395 | 1588 |
| 2011-12 | 467260 | 19536 | 1074571 | 60180 | 43.5 | 32.5 | 3860 | 1877 |
| 2012-13 | 596300 | 24438 | 1322503 | 69205 | 45.1 | 35.3 | 4846 | 2295 |
| 2013-14 | 667990 | 26395 | 1478283 | 81154 | 45.2 | 32.5 | 5341 | 2423 |

स्रोत : स्टेट फिनांसेज, ए स्टडी ऑफ बजट्स, भारतीय रिजर्व बैंक (विभिन्न अंक)

चार्ट 5.1 : सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान

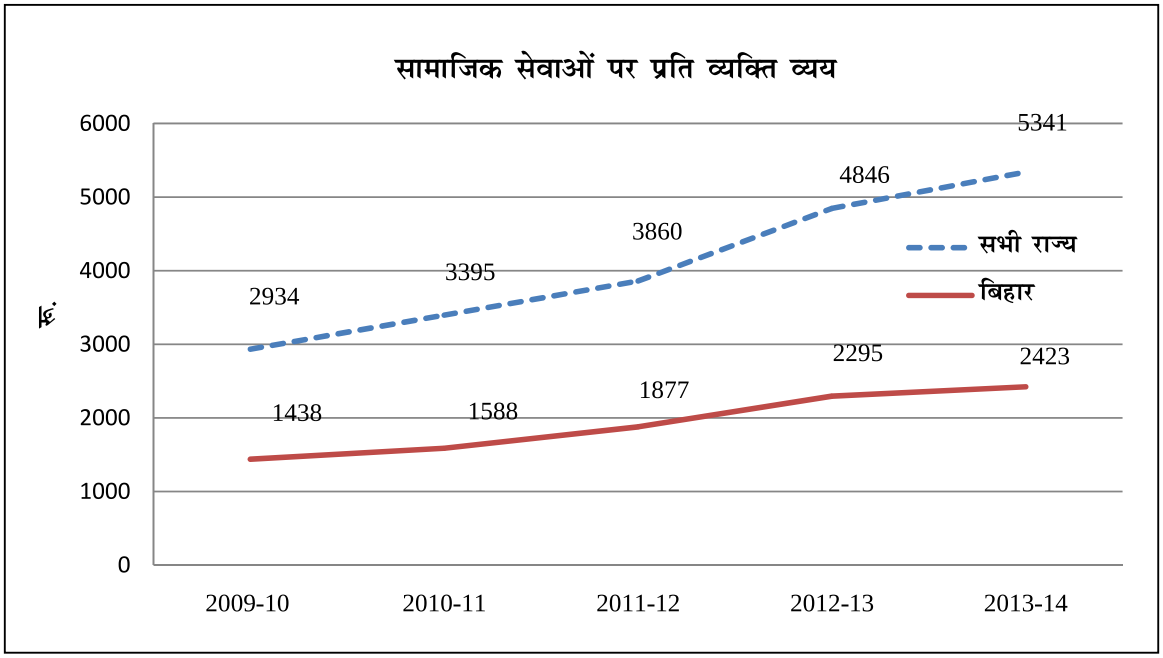


बिहार में मानव विकास के सुधार के लिए बना मानव विकास मिशन, 2013-17 राज्य सरकार की एक नवोन्मेषी योजना है। राज्य सरकार ने मानव विकास पर मंत्रिमंडल की एक उप-समिति गठित की है जो गंभीर फासलों की पहचान करेगी, प्राथमिकताएं तय करेगी और जो मानव विकास की प्रगति पर नजर रखने में मददगार कुछ अनुश्रवणीय सूचकों का चुनाव करेगी। ये अनुश्रवणीय सूचके इतने सरल होंगे कि उनका मापन और अनुश्रवण ग्राम पंचायत या यहां तक कि गांव जैसे निम्नतम संभव स्तर पर भी किया जा सकेगा। मानव विकास पर विशेष जोर दिए बिना विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाना संभव नहीं है। मानव विकास मिशन के तहत राज्य सरकार ने 6 घटकों की पहचान की है - (1) जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, (3) पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, (4) सूचना प्रौद्योगिकी, (5) कमजोर एवं अत्यंत गरीब तबकों की सुरक्षा, तथा (6) कला, संस्कृति एवं खेलकूद।

## 5.1 जनसांख्यिकी

जनसंख्या और विकास के बीच अंतर्संबंध की तो बहुत पहले पहचान कर ली गई है लेकिन अंतर्संबंध की प्रकृति और उसे दी गई प्राथमिकता के मामले में भिन्नता रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां की जनसंख्या 10.41 करोड़ है (तालिका 5.2)। बिहार की तीन जनसांख्यिक विशेषताएं देश के अन्य राज्यों से काफी अलग हैं - जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण की दर। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (25.1 प्रतिशत) संपूर्ण देश की दर (17.6 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है जो देश के अनेक हिस्सों में पहले से महसूस किए जा रहे जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति को दर्शाती है। राज्य का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व देश के प्रमुख राज्यों के बीच सबसे अधिक होने के कारण जनसंख्या का दबाव राज्य के लिए बड़ी चुनौती है।

जनसंख्या का यह उच्चस्तरीय दबाव राज्य के विकास के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत दर्शाती है। और बिहार में शहरीकरण की दर मात्र 11.3 प्रतिशत है। फलत: यह देश का सबसे अधिक ग्रामीणीकृत राज्य है।

**तालिका 5.2 : भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी ( 2001 और 2011 )**

| जनसांख्यिक सूचक | भारत | | बिहार | |
|---|---|---|---|---|
| | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 |
| जनसंख्या (करोड़) | 102.87 | 121.06 | 8.29 | 10.41 |
| साक्षरता दर (प्रतिशत) | 64.8 | 73.0 | 47.0 | 61.8 |
| दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) | 21.5 | 17.6 | 28.6 | 25.1 |
| लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष) | 933 | 943 | 919 | 918 |
| बाल लिंग अनुपात | 927 | 919 | 942 | 935 |
| जिलों की संख्या | 593 | 640 | 37 | 38 |
| विकास प्रखंडों की संख्या | 5463 | 5924 | 533 | 534 |
| (वैधानिक/ जनगणना) शहरों की संख्या | 5161 | 7935 | 130 | 199 |
| घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) | 325 | 382 | 880 | 1106 |
| शहरीकरण अनुपात (प्रतिशत) | 27.8 | 31.2 | 10.5 | 11.3 |

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

बिहार की जनसांख्यिक विशेषताओं में जिलों के बीच काफी अंतर है। जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में (31.1 प्रतिशत) दर्ज की गई और उसके बाद किशनगंज (30.4 प्रतिशत) और अररिया (30.2 प्रतिशत) में। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर दर्ज कराने वाले जिले हैं - गोपालगंज (19.0 प्रतिशत), दरभंगा (19.5 प्रतिशत) और मुंगेर (20.2 प्रतिशत) (तालिका प 5.1 - परिशिष्ट)। बिहार में लिंग अनुपात 918 है जो गोपालगंज में 1015 है तो नौ जिलों में 900 से नीचे। प्रतिकूल लिंग अनुपात 'महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले वहुवंचना चक्र' को अभिव्यक्त करता है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सतत अभियान के जरिए इसमें सुधार लाने की जरूरत है। बिहार में बाल लिंग अनुपात (935) राष्ट्रीय औसत (919) से अधिक है और जिलों के बीच भी अधिक समरूपता है (तालिका प 5.2 - परिशिष्ट)। वर्ष 2011 में संपूर्ण राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था और 24 जिलों में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक। शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जिसके बाद पटना (1802) और दरभंगा (1721) में। गौरतलब है कि 2001 में दरभंगा (1442) और पटना (1471) में ही जनसंख्या घनत्व 1380 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक था। वहीं, 2011 में 10 जिलों में जनसंख्या घनत्व इस स्तर से अधिक है (तालिका 5.3)। बढ़ता जनसंख्या घनत्व बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है।

**तालिका 5.3 : घनत्व के रेंज के अनुसार जिलों का वर्गीकरण ( 2001 और 2011 )**

| घनत्व का रेंज | 2001 | 2011 |
|---|---|---|
| 630 तक | कैमूर (382), जमुई (451), बांका (533), पश्चिम चंपारण (582), औरंगाबाद (607) | कैमूर (488), जमुई (567) |
| 631 से 880 | रोहतास (636), लखीसरासय (652), किशनगंज (687), गया (699), सुपौल (724), नवादा (726), अररिया (751), शेखपुरा (762), कटिहार (782), पूर्णिया (787), मुंगेर (800), मधेपुरा (853), खगड़िया (859), बक्सर (864) | बांका (672), पश्चिम चंपारण (750), औरंगाबाद (760), रोहतास (763), लखीसरासय (815), गया (880) |
| 881 से 1130 | सहरसा (885), भोजपुर (903), भागलपुर (946), जहानाबाद (963), पूर्व चंपारण (991), नालंदा (1006), मधुबनी (1020), गोपालगंज (1057) | नवादा (889), किशनगंज (898), सुपौल (919), शेखपुरा (922), मुंगेर (958), अररिया (992), बक्सर (1003), कटिहार (1004), पूर्णिया (1014), अरवल (1099), खगड़िया (1115), मधेपुरा (1116), सहरसा (1125) |
| 1131 से 1380 | शिवहर (1161), समस्तीपुर (1175), मुजफ्फरपुर (1180), सीतामढ़ी (1214), सीवान (1221), बेगूसराय (1222), सारण (1231), वैशाली (1332) | भोजपुर (1136), भागलपुर (1180), जहानाबाद (1206), नालंदा (1220), गोपालगंज (1258), मधुबनी (1279), पूर्व चंपारण (1281) |
| 1380 से अधिक | दरभंगा (1442), पटना (1471) | समस्तीपुर (1465), सीतामढ़ी (1491), सारण (1493), सीवान (1495), मुजफ्फरपुर (1506), बेगूसराय (1540), वैशाली (1717), दरभंगा (1721), पटना (1803), शिवहर (1882) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े घनत्व को दर्शाते हैं।

## 5.2 स्वास्थ्य

लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार राज्य सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए जोर देने के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसकी प्राप्ति आबादी के सर्वाधिक सुविधावंचित तबकों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण संबंधी सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग में सुधार के जरिए ही हो सकती है। गत पांच वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की अधिसंरचना और मानवशक्ति का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सभी स्तरों पर काफी सुदृढ़ीकरण हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रशिक्षित पेशेवर और पैरा-प्रोफेशनल लोगों को पदस्थापित किया गया है। बेहतर अधिसंरचना, दवाओं की सहज उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधनों के विस्तार की परिणति लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में हुई है जिस पर राज्य के अधिकांश लोग निर्भर हैं। इसका श्रेय स्वास्थ्य पर बढ़े व्यय और स्वास्थ्य सेवाओं के सतत अनुश्रवण को दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवाएं निवारक (प्रीवेंटिव) और व्याधिशामक (क्यूरेटिव), दोनो प्रकार की सेवाओं में मुख्य भूमिका निभाती हैं। निवारक देखरेख में आहार, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, व्याधिशामक देखरेख में सफलतापूर्वक रोगमुक्ति सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। इस खंड में स्वास्थ्य देखरेख के इन दोनों पक्षों पर चर्चा की जाएगी।

बिहार में स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

हाल के वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का एक संवदनशील सूचक होती है। इस सूचक के मामले में बिहार और भारत, दोनों के संबंधित आंकड़े तालिका 5.4 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि 2001 से 2005 के बीच भारत और बिहार के बीच फासला 2.1 था जो 2006 से 2010 के बीच घटकर 0.3 रह गया था। पुरुषों और महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की तुलना करने पर सामान्यतः पाया जाता है कि जीववैज्ञानिक कारणों से यह महिलाओं के मामले में अधिक रहती है। भारत के मामले में भी 2001-05 और 2006-10, दोनों अवधियों में यही पैटर्न देखा गया। लेकिन उल्लेखनीय है कि 2001-05 की अवधि में बिहार में महिला जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों की तुलना में कम थी जो गंभीर लैंगिक असमानता को दर्शाती है। हालांकि 2006-10 की अवधि में यह असमानता कम हो गई है और अब महिला जन्मकालीन जीवन संभाव्यता अब पुरुषों से अधिक है।

**तालिका 5.4 : बिहार और भारत में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता**

| राज्य/ भारत | 2001-05 | | | 2006-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र |
| बिहार | 62.0 | 60.1 | 61.0 | 65.5 | 66.2 | 65.8 |
| भारत | 62.3 | 63.9 | 63.1 | 64.6 | 67.7 | 66.1 |

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के अलावा, स्वास्थ्य संबंधी तीन अन्य सूचकों के मामले में भी तुलनीय आंकड़े मौजूद हैं। वे हैं : अशोधित जन्म दर (सीबीआर), अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) और शिशु मृत्यु दर (आइएमआर)। इन तीनों सूचकों से संबंधित बिहार और भारत, दोनों के 2007-08 से 2012-13 तक के आंकड़े तालिका 5.5 में प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। वर्ष 2012-13 में भारत का आंकड़ा 21.4 था और बिहार का 27.6 जिसके कारण दोनो के बीच 6.2 अंकों का फासला था। पहले भी उल्लेख किया गया है कि यह बिहार में जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति सूचित करता है। हालांकि 2007-08 से 2012-13 के बीच बिहार और भारत के अशोधित जन्म दरों के मामले में फासला थोड़ा घटा है। वहीं, वर्ष 2012-13 में अशोधित मुत्यु दर के मामले में तुलना करने पर पता चलता है कि बिहार की अशोधित मुत्यु दर (6.6) भारत की दर (7.0) से कम है। पहले, 2007-08 में बिहार की दर (7.5) भारत की दर (7.4) से थोड़ी अधिक थी। निम्न अशोधित मृत्यु दर का आशय स्वास्थ्य की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अधिक जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का संयुक्त प्रभाव जनसंख्या की काफी उच्च वृद्धि दर है। यह अवांछित है और राज्य सरकार का इरादा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करने का है।

स्वास्थ्य संबंधी तीसरे सूचक, शिशु मृत्यु दर की तुलना करते हुए यह गौर करना दिलचस्प है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूलताग्रस्त राज्य होने के बावजूद बिहार में शिशु मृत्यु दर संपूर्ण भारत के औसत के काफी निकट है। साथ ही, बिहार में शिशु मृत्यु दर में संपूर्ण भारत की अपेक्षा तेज गति से सुधार हुआ है। वर्ष 2012–13 में बिहार में शिशु मृत्यु दर थी पुरुष – 40, महिला – 43 और समग्र – 42; वहीं समग्र भारत के स्तर पर आंकड़े पुरुष – 39, महिला – 42 और समग्र – 40 थे।

**तालिका 5.5 : बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक**

| श्रेणी | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अशोधित जन्म दर | | | | | | | |
| बिहार | ग्रामीण | 30.2 | 29.7 | 29.3 | 28.8 | 28.4 | 28.3 |
| | शहरी | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.6 | 21.5 |
| | संयुक्त | 29.4 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.6 |
| भारत | ग्रामीण | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23.1 | 22.9 |
| | शहरी | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18 | 17.4 | 17.3 |
| | संयुक्त | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.6 | 21.4 |
| अशोधित मृत्यु दर | | | | | | | |
| बिहार | पुरुष | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.7 |
| | महिला | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| | संयुक्त | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
| भारत | पुरुष | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| | महिला | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
| | संयुक्त | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| शिशु मृत्यु दर | | | | | | | |
| बिहार | पुरुष | 57 | 53 | 52 | 46 | 42 | 40 |
| | महिला | 58 | 58 | 52 | 50 | 45 | 43 |
| | संयुक्त | 58 | 56 | 52 | 48 | 43 | 42 |
| भारत | पुरुष | 55 | 52 | 49 | 46 | 41 | 39 |
| | महिला | 56 | 55 | 52 | 49 | 44 | 42 |
| | संयुक्त | 55 | 53 | 50 | 47 | 42 | 40 |

स्रोत : भारतीय महानिबंधक कार्यालय, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

आशानुरूप, बिहार के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य की स्थिति के मामले में काफी अंतर है। तालिका प 5.3 (परिशिष्ट) में बिहार के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य के छः सूचकों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं – अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, स्वाभाविक वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और पांच वर्ष से छोटे शिशुओं की मृत्यु दर। सर्वप्रथम अशोधित जन्म दर के मामले में दिखता है कि यह पटना के 21.1 और

सहरसा के 31.2 के बीच है। सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन जिले पटना (21.1), लखीसराय (23.2) और भोजपुर (23.5) हैं। दूसरी ओर, सर्वाधिक अशोधित जन्म दर वाले तीन जिले सहरसा (31.2), शिवहर (30.7) और अररिया (30.6) हैं। स्वास्थ्य की स्थिति के मामले में प्रायः सर्वाधिक संवेदनशील समझे जाने वाले सूचक शिशु मृत्यु दर के मामले में विभिन्न जिलों की स्थिति भी तालिका प 5.3 (परिशिष्ट) से तय की जा सकती है। शिशु मृत्यु दर पटना के 31 और मधेपुरा के 64 के बीच है। बेहतर प्रदर्शन वाले तीन जिले पटना (31), बेगूसराय (40) और औरंगाबाद (40) हैं। दूसरी ओर, तीन सर्वाधिक प्रतिकूलता-ग्रस्त जिले खगड़िया (59), सीतामढ़ी (60) और मधेपुरा (64) हैं।

**चार्ट 5.2 : बिहार में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर**

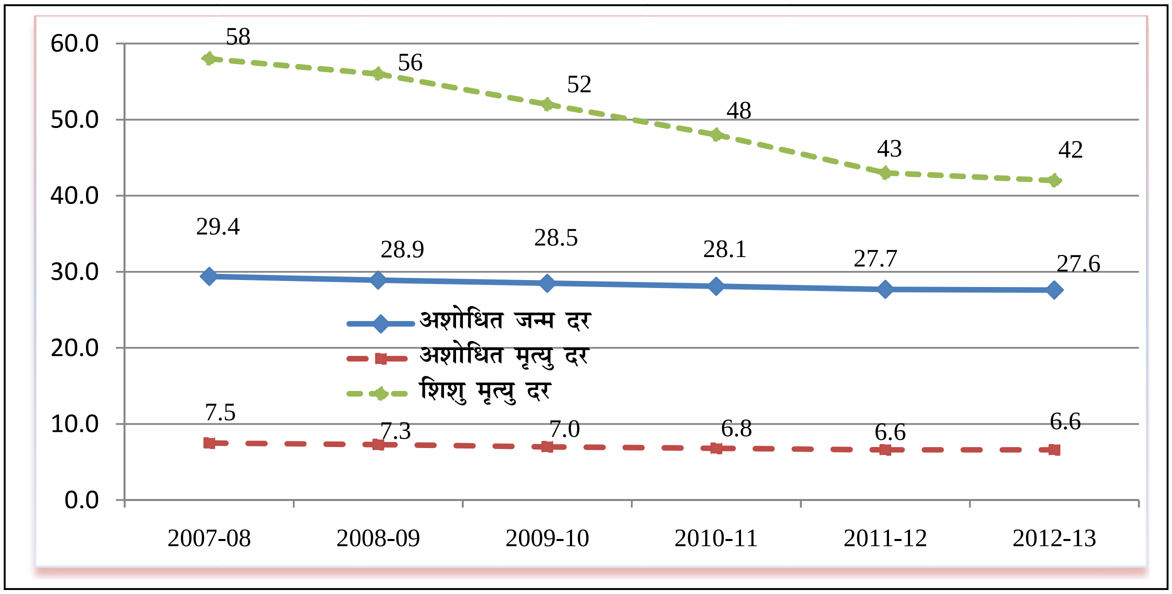


<u>स्वास्थ्य अधिसंरचना</u>

लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी चीज है। राज्य में जनसंख्या संबंधी पूर्वनिर्धारित मानकों पर आधारित त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य अधिसंरचनाएं विकसित की गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्वास्थ्य अधिसंरचना का प्राथमिक स्तर हैं। उसके बाद उप-जिला और जिला स्तरीय अस्पताल द्वितीयक स्तर के बतौर सेवा प्रदान करते हैं। और तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है। आबादी के अधिकांश लोग अपनी कम आय के कारण लोक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनके फलस्वरूप सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है (तालिका 5.6)। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 2007 में 3,077 थी जो 2013 में 11,464 हो गई। अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या में लगभग चौगुनी वृद्धि बेहतर अधिसंरचनाओं, सेवाओं और समुचित अनुश्रवण का परिणाम है।

**तालिका 5.6 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या**

| वर्ष | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या | 3077 (69.2) | 3855 (25.3) | 3826 (-0.8) | 4675 (22.2) | 9317 (99.3) | 9863 (5.9) | 11464 (16.2) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**चार्ट 5.3 : अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की मासिक औसत संख्या**

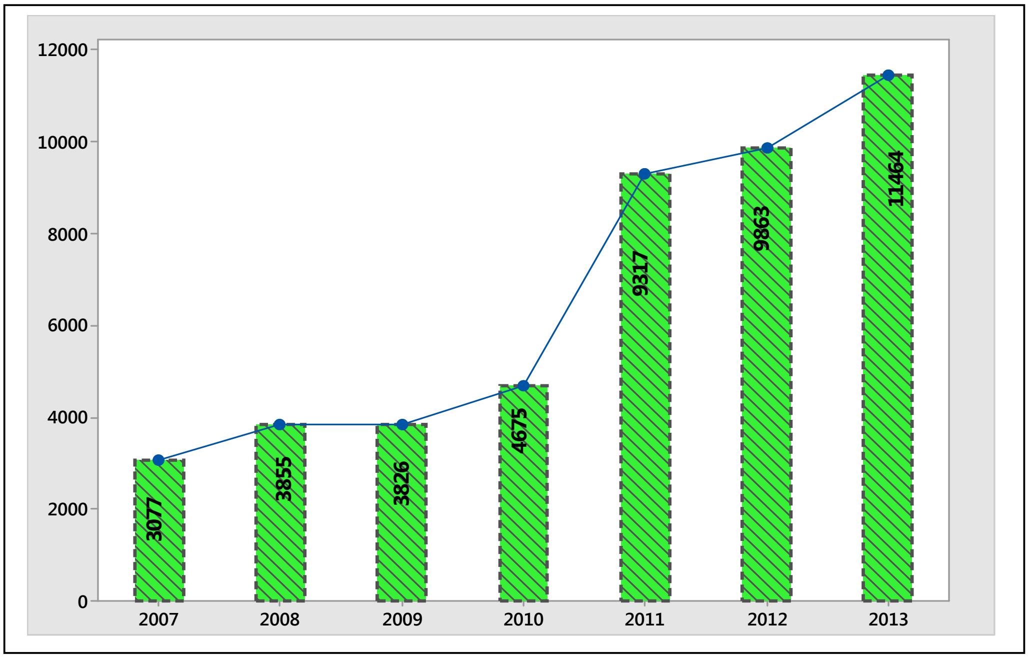


लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए अधिसंरचना बुनियादी जरूरत है। स्वास्थ्य अधिसंरचना के पांच मुख्य घटक हैं – कुशल श्रमशक्ति, समेकित इलक्ट्रॉनिक सूचना प्रणालियां, लोक स्वास्थ्य संस्थाएं, संसाधन और शोध। बहरहाल, इस मामले में राज्य सरकार का दृष्टिकोण परिणामवादी है जिसमें अधिसंरचनाओं के महज विस्तार के बजाय सुविधा केंद्रों का कामकाज सुनिश्चित करने पर जोर है। सभी 533 प्रखंड-स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह 30 शय्याओं वाले अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तालिका 5.7 में बिहार में हर श्रेणी की स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की संख्या प्रस्तुत की गई है। अभी राज्य में 36 जिला अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल, 70 रेफरल अस्पताल, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,729 उप-केंद्र और 1,350 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। अंतिम तीन श्रेणियों वाले स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या मिलकर 11,612 हो जाती है। इस प्रकार, राज्य में हर एक लाख आबादी पर लगभग 11 स्वास्थ्य केंद्र हैं।

**तालिका 5.7 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति**

| वर्ष | जिला अस्पताल | रेफरल अस्पताल | अनुमंडल अस्पताल | स्वास्थ्य केंद्र | | | | प्रति 10 लाख आबादी पर कुल प्राथमिक और अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र तथा उप-केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | उप-केंद्र | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | योग | |
| 2009 | 33 | 70 | 46 | 533 | 9588 | 1243 | 11364 | 130 |
| 2010 | 36 | 70 | 46 | 533 | 9598 | 1243 | 11470 | 118 |
| 2011 | 36 | 70 | 55 | 533 | 9696 | 1330 | 11559 | 111 |
| 2012 | 36 | 70 | 55 | 533 | 9696 | 1330 | 11559 | 111 |
| 2013 | 36 | 70 | 55 | 533 | 9696 | 1330 | 11559 | 111 |
| 2014 | 36 | 70 | 55 | 533 | 9729 | 1350 | 11612 | 112 |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

बिहार के विभिन्न जिलों में मौजूद स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या पर तालिका प 5.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं की उपलब्धता के मामले में जिलों के बीच भी काफी अंतर मौजूद है। प्रति अस्पताल/ स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सेवित जनसंख्या जमुई के 5.5 हजार से लेकर शिवहर के 14.6 हजार के बीच है। स्वास्थ्य अधिसंरचना की उपलब्धता के लिहाज से सर्वोत्तम तीन जिले जमुई (5,501), शेखपुरा (5,785) और नवादा (5,886) हैं। दूसरी ओर, तीन सर्वाधिक प्रतिकूलता-ग्रस्त जिले शिवहर (14,583), सीतामढ़ी (12,680) और पूर्व चंपारण (12,347), हैं। जिलों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में भी काफी अंतर है। स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता सूचित करने के लिए तीन सूचकों की गणना की गई है। ये सूचक हैं - प्रति अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या, अस्पतालों में प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत संख्या और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर। वर्ष 2013-14 में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत दैनिक संख्या के लिहाज से सर्वोच्च तीन जिले मुजफ्फरपुर (518), अरवल (472) और औरंगाबाद (469) हैं (तालिका 5.8)। दूसरी ओर, इस लिहाज से निचले पायदान के तीन जिले बेगूसराय (194), नवादा (201) और गोपालगंज (209) हैं। वाह्य रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा, गंभीर रूप से बीमार रोगियों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भर्ती भी करते हैं। भर्ती रोगियों के लिए ऐसी सेवाओं का निर्णय अस्पताल की शय्याओं की अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट) के आधार पर किया जा सकता है। तालिका 5.9 में पांच वर्षों - 2010-11 से लेकर 2014-15 (सितंबर 2014 तक) तक - के लिए सभी 38 जिलों में भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर प्रस्तुत की गई है।

**तालिका 5.8 : प्रति अस्पताल और प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की जिलावार औसत संख्या**

| जिले | प्रति अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत संख्या | | | | प्रतिदिन पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 2014 तक) |
| पटना | 73710 | 107349 | 125468 | 68246 | 202 | 294 | 344 | 373 |
| नालंदा | 120216 | 123697 | 95211 | 48786 | 329 | 339 | 261 | 267 |
| भोजपुर | 96243 | 114583 | 108112 | 47217 | 264 | 314 | 296 | 258 |
| बक्सर | 91054 | 93448 | 107377 | 52794 | 249 | 256 | 294 | 288 |
| रोहतास | 113575 | 108076 | 104646 | 51194 | 311 | 296 | 287 | 280 |
| कैमूर | 60450 | 93978 | 97201 | 39440 | 166 | 257 | 266 | 216 |
| | | | | | | | | |
| गया | 94595 | 98241 | 105777 | 53457 | 259 | 269 | 290 | 292 |
| जहानाबाद | 89269 | 105918 | 129751 | 65479 | 245 | 290 | 355 | 358 |
| अरवल | 149027 | 151534 | 172415 | 72058 | 408 | 415 | 472 | 394 |
| नवादा | 90829 | 73166 | 73194 | 33882 | 249 | 200 | 201 | 185 |
| औरंगाबाद | 146083 | 166846 | 171263 | 80715 | 400 | 457 | 469 | 441 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 93007 | 104451 | 116303 | 63174 | 255 | 286 | 319 | 345 |
| सीवान | 71937 | 128044 | 123711 | 54297 | 197 | 351 | 339 | 297 |
| गोपालगंज | 70186 | 73199 | 76388 | 34633 | 192 | 201 | 209 | 189 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 77865 | 90296 | 95088 | 44734 | 213 | 247 | 261 | 244 |
| पूर्व चंपारण | 66963 | 84953 | 89193 | 48270 | 183 | 233 | 244 | 264 |
| मुजफ्फरपुर | 130368 | 155645 | 189147 | 92625 | 357 | 426 | 518 | 506 |
| सीतामढ़ी | 83525 | 103081 | 119424 | 50231 | 229 | 282 | 327 | 274 |
| शिवहर | 104828 | 102061 | 100541 | 53787 | 287 | 280 | 275 | 294 |
| वैशाली | 96296 | 121703 | 117668 | 57650 | 264 | 333 | 322 | 315 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 117242 | 100887 | 123063 | 49895 | 321 | 276 | 337 | 273 |
| मधुबनी | 63116 | 93311 | 110258 | 56921 | 173 | 256 | 302 | 311 |
| समस्तीपुर | 119668 | 136145 | 141256 | 64281 | 328 | 373 | 387 | 351 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 69916 | 82583 | 70847 | 33945 | 192 | 226 | 194 | 185 |
| मुंगेर | 78872 | 94326 | 102867 | 49315 | 216 | 258 | 282 | 269 |
| शेखपुरा | 91452 | 93371 | 89990 | 46070 | 251 | 256 | 247 | 252 |
| लखीसराय | 81525 | 83372 | 84900 | 43957 | 223 | 228 | 233 | 240 |
| जमुई | 47080 | 88182 | 93400 | 39320 | 129 | 242 | 256 | 215 |
| खगड़िया | 120599 | 154106 | 159823 | 75675 | 330 | 422 | 438 | 414 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 72103 | 89672 | 101471 | 46382 | 198 | 246 | 278 | 253 |
| बांका | 84294 | 89061 | 99458 | 57839 | 231 | 244 | 272 | 316 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 103135 | 118405 | 114184 | 54480 | 283 | 324 | 313 | 298 |
| सुपौल | 127007 | 130226 | 134827 | 64396 | 348 | 357 | 369 | 352 |
| मधेपुरा | 79952 | 116308 | 108364 | 62412 | 219 | 319 | 297 | 341 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 98485 | 117442 | 146727 | 76604 | 270 | 322 | 402 | 419 |
| किशनगंज | 128221 | 154207 | 168454 | 79359 | 351 | 422 | 462 | 434 |
| अररिया | 152314 | 91907 | 96616 | 60776 | 417 | 252 | 265 | 332 |
| कटिहार | 109114 | 109276 | 106693 | 51608 | 299 | 299 | 292 | 282 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **96424** | **109028** | **115028** | **55945** | **264** | **299** | **315** | **306** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## तालिका 5.9 : भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर

| जिले | भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (प्रतिशत) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर '14 तक) |
| पटना | 49.1 | 39.4 | 103.3 | 78.4 | 49.3 |
| नालंदा | 81.5 | 98.1 | 105.8 | 118.9 | 128.1 |
| भोजपुर | 56.8 | 30.3 | 78.5 | 41.5 | 30.8 |
| बक्सर | 40.1 | 56.8 | 75.6 | 90.8 | 79.5 |
| रोहतास | 69.2 | 60.7 | 64.3 | 81.3 | 63.2 |
| कैमूर | 33.8 | 43.9 | 78.7 | 93.7 | 81.5 |
| | | | | | |
| गया | 133.1 | 56.4 | 87 | 84.5 | 77.4 |
| जहानाबाद | | 64.8 | 63.9 | 102.5 | 104.8 |
| अरवल | 21.8 | 62.3 | 69.2 | 85.4 | 75.8 |
| नवादा | 42.2 | 31.8 | 68.9 | 94.1 | 83.2 |
| औरंगाबाद | 68.2 | 70.1 | 104.8 | 102.2 | 98.4 |
| | | | | | |
| सारण | 53.5 | 64.6 | 69.7 | 83.2 | 99.9 |
| सीवान | 33.2 | 64.1 | 92.4 | 88.8 | 81.5 |
| गोपालगंज | 46.4 | 62.1 | 67 | 77.5 | 73.0 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 115.9 | 74.5 | 73.6 | 76.9 | 55.5 |
| पूर्व चंपारण | 39.6 | 140 | 105 | 110.3 | 111.4 |
| मुजफ्फरपुर | 30.1 | 59.6 | 76 | 90.4 | 75.4 |
| सीतामढ़ी | 25.7 | 54.2 | 64.8 | 108.1 | 99.0 |
| शिवहर | 14.6 | 173.8 | 82.2 | 89.7 | 76.1 |
| वैशाली | 100.9 | 78.2 | 91.2 | 110.1 | 99.5 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 75 | 46.2 | 57 | 123.8 | 113.2 |
| मधुबनी | 86 | 27.6 | 82.7 | 97.0 | 76.7 |
| समस्तीपुर | 77.9 | 62.6 | 95 | 117.3 | 108.0 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 76.5 | 21.8 | 49.3 | 51.4 | 59.5 |
| मुंगेर | 51.8 | 48.5 | 84.1 | 110.8 | 101.6 |
| शेखपुरा | 19.9 | 33.9 | 90.7 | 84.8 | 55.7 |
| लखीसराय | 26.3 | 55.9 | 56 | 49.9 | 52.3 |
| जमुई | 19.4 | 82.2 | 69.8 | 75.4 | 48.3 |
| खगड़िया | 64 | 64 | 90.8 | 114.9 | 129.8 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 39 | 236.8 | 277.5 | 234.7 | 149.0 |
| बांका | 24.4 | 20 | 73.9 | 103.0 | 91.3 |
| | | | | | |
| सहरसा | 245.6 | 133 | 111.4 | 108.6 | 77.2 |
| सुपौल | 88.5 | 131.1 | 111.1 | 121.1 | 114.4 |
| मधेपुरा | 104 | 85 | 120.4 | 148.8 | 138.8 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 49.2 | 148.2 | 109.8 | 130.0 | 130.9 |
| किशनगंज | 29.9 | 102.2 | 107.9 | 112.4 | 102.3 |
| अररिया | 57.4 | 194.2 | 112.6 | 112.2 | 95.4 |
| कटिहार | 20.4 | 52.7 | 91 | 90.1 | 75.4 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **58.9** | **77.1** | **90.6** | **98.4** | **87.0** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

पूरे राज्य के मामले में शय्या अधिभोग दर 2010-11 के 58.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 98.4 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग इतनी अधिक है कि 18 जिलों में शय्या अधिभोग दरें 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गईं। यह बिहार के अस्पतालों में शय्याओं की संख्या और अधिक बढ़ाने की जरूरत का एक स्पष्ट संकेतक है।

स्वास्थ्य अधिसंरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्यकर्मियों - चिकित्सकों, नर्सों, एएनएम (सहायक परिचारिका-सह-धाई) और आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी) की उपलब्धता है। इन कर्मियों की पूरे राज्य और जिलों में उपलब्धता के आंकड़े परिशिष्ट की चार तालिकाओं में प्रस्तुत हैं - तालिका प 5.5 (चिकित्सक), तालिका प 5.6 (नर्स), तालिका प 5.7 (एएनएम) और तालिका प 5.8 (आशा)। चिकित्सकों की बात करें, तो बिहार में 4,851 स्वीकृत पदों के बरअक्स अभी 2,289 नियमित डॉक्टर मौजूद हैं जो दर्शाता है कि लगभग आधे पद भरे जाने हैं। साथ ही, संविदा आधारित चिकित्सकों के 2,375 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 1,595 भरे गए हैं जो 33 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। राज्य सरकार नियमित अथवा संविदा आधारित ए ग्रेड नर्सों के सारे स्वीकृत पदों को भी नहीं भर पाई है। राज्य में कुल मिलाकर रिक्तियों की दर 57 प्रतिशत है। कुछ जिलों में तो रिक्तियों की दरें काफी अधिक हैं। चिकित्सकों और नर्सों की स्थिति के विपरीत एएनएम और आशा के मामले में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या काफी अधिक है। मार्च 2014 में 11,800 स्वीकृत पदों के बरअक्स नियमित एएनएम की संख्या 8,986 थी जो दर्शाती है कि 76 प्रतिशत स्वीकृत पद भरे हुए हैं। नियमित एएनएम के अलावा राज्य सरकार ने संविदा आधारित एएनएम के भी 11,479 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें से 9,543 पद भरे हुए हैं। विभिन्न जिलों में कार्यरत एएनएम की संख्या एक जैसी नहीं है लेकिन सौभाग्यवश जिलों के बीच अंतर कम है। आशा की बात आने पर पता चलता है कि पूरे राज्य में उनकी स्वीकृत संख्या 87.1 हजार है जबकि कार्यरत कर्मियों की संख्या 83.7 हजार है। इसका अर्थ हुआ कि रिक्ति अनुपात 5 प्रतिशत से भी कम है। वर्ष 2013-14 में इन 96 प्रतिशत कार्यरत आशाकर्मियों में से 63 प्रतिशत प्रशिक्षित थीं।

इस प्रकार, हाल के वर्षों में पहुंच लायक और किफायती स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं में सुधार के कारण लोगों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग बढ़ा है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भौतिक अधिसंरचनाएं और कर्मचारी बिहार की विशाल जरूरतमंद आबादी के लिहाज से अभी भी कम हैं, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां निजी चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं।

<u>संस्थागत प्रसव</u>

वर्ष 2007-08 से 2013-14 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है (तालिका 5.10)। वर्ष 2008-09 में संस्थागत प्रसव के मामले में भारी वृद्धि देखी गई थी। उसके बाद से दरमियानी वृद्धि का रुझान रहा है। वर्ष 2013-14 में संस्थागत प्रसवों कुल संख्या 16.5 लाख थी जो 2012-13 से 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। तालिका प 5.9 (परिशिष्ट) में राज्य के विभिन्न जिलों में हुए संस्थागत प्रसवों की संख्या के मामले में जानकारी दी गई है। तालिका में यह देखा जा सकता है कि समस्तीपुर (5.7 प्रतिशत), पटना (4.7 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (4.5 प्रतिशत) और पूर्णिया (4.4 प्रतिशत) जिलों में संस्थागत प्रसवों का परिमाण अपेक्षाकृत अधिक है। गौरतलब है कि इन चार जिलों में से तीन उत्तर बिहार के

हैं। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन होने से संस्थागत प्रसवों की संख्या में लगातार बढ़ रही है लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना प्रसव के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाली माताओं के लिए नगद प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के जरिए सुरक्षित मातृत्व हेतु किया जाने वाला हस्तक्षेप है। गांव स्तर पर कार्यरत बड़ी संख्या में आशा-कर्मियों ने जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रभावी योगदान किया है। इसमें परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति करने और संस्थागत प्रसव हेतु जाने के लिए माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आशाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। विभिन्न जिलों में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के आच्छादन से संबंधित आंकड़े तालिका प 5.10 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.10 : संस्थागत प्रसवों की संख्या**

| वर्ष | संख्या (लाख में) | प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2007-08 | 8.38 | – |
| 2008-09 | 11.45 | 36.5 |
| 2009-10 | 12.46 | 8.9 |
| 2010-11 | 13.85 | 11.1 |
| 2011-12 | 14.32 | 3.4 |
| 2012-13 | 14.69 | 2.6 |
| 2013-14 | 16.47 | 12.1 |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**चार्ट 5.4 : संस्थागत प्रसवों की संख्या**

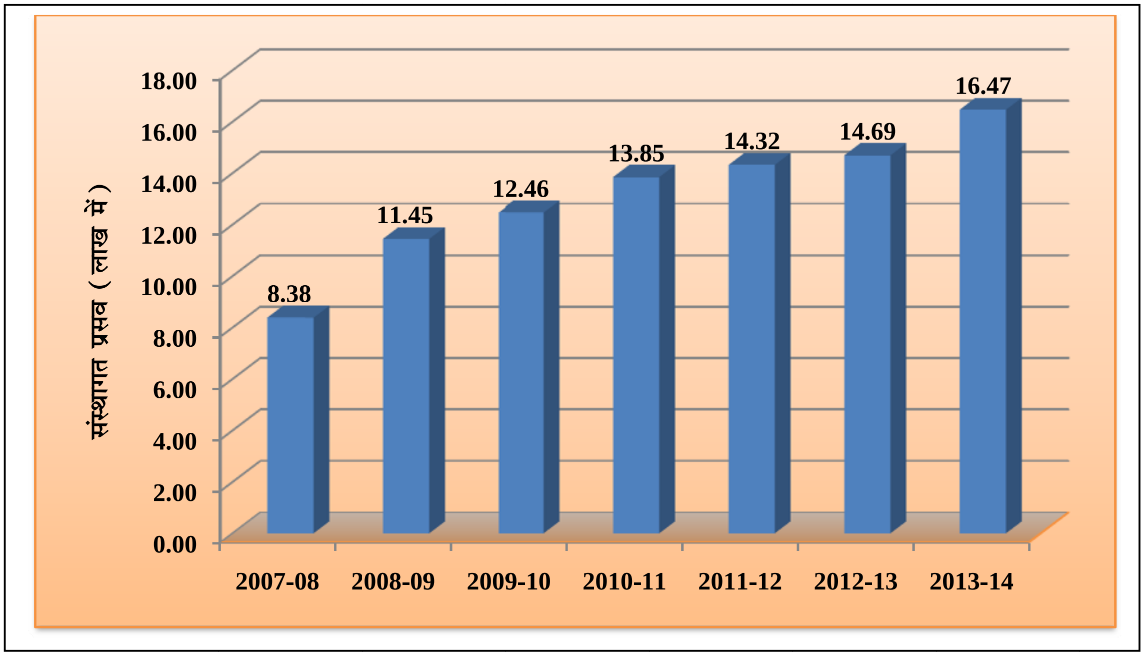

## प्रतिरक्षण

स्वास्थ्य सेवाओं का एक और महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रतिरक्षण का आच्छादन है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सिन (ओपीवी), डीपीटी और मीजल्स वैक्सिन शामिल हैं। भारत में हर साल लगभग 17 लाख बच्चे पांच साल पूरा करने के पहले ही मर जाते हैं। अधिकांश मामलों में बच्चे उन रोगों के कारण मरते हैं जिनकी रोकथाम प्रतिरक्षण के जरिए संभव है। हाल के वर्षों में देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार में भी सर्वव्यापी प्रतिरक्षण के मामले में अच्छी-खासी प्रगति हुई है। इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़े तालिका 5.11 में प्रस्तुत हैं। प्रतिरक्षण के पांच घटकों के मामले में आंकड़े उपलब्ध हैं - टीटी (टिटेनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और खसरा (मीजल्स)। सबसे हाल के (2013-14 के) आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि बिहार ने टीटी के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण (143 प्रतिशत) हासिल कर लिया है। अन्य घटकों के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण के स्तर तक पहुंचना अभी बाकी है। लेकिन आच्छादन के वर्तमान रुझान को देखते हुए निकट भविष्य में राज्य में पूर्ण प्रतिरक्षण का स्तर हासिल कर लेने की आशा है।

**तालिका 5.11 : बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन**

| एंटीजेन का नाम | 2012-13 | | | 2013-14 | | | 2014-15 सितंबर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) | उपलब्धि का प्रतिशत | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) | उपलब्धि का प्रतिशत | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) | उपलब्धि का प्रतिशत |
| टीटी (पी.डब्ल्यू) | 3129 | 4018 | 128.4 | 3121 | 4460 | 142.9 | 1553 | 2370 | 152.6 |
| बीसीजी | 2844 | 2466 | 86.7 | 2916 | 2597 | 89.1 | 1463 | 1245 | 85.1 |
| ओपीवी 0 | 2844 | 1661 | 58.4 | 2916 | 1990 | 68.2 | 1463 | 895 | 61.2 |
| ओपीवी 1 | 2844 | 2224 | 78.2 | 2916 | 2601 | 89.2 | 1463 | 1147 | 78.4 |
| ओपीवी 2 | 2844 | 2087 | 73.4 | 2916 | 2499 | 85.7 | 1463 | 1186 | 81.1 |
| ओपीवी 3 | 2844 | 1929 | 67.8 | 2916 | 2384 | 81.8 | 1463 | 1230 | 84.1 |
| डीपीटी 1 | 2844 | 2520 | 88.6 | 2916 | 2603 | 89.3 | 1463 | 1177 | 80.5 |
| डीपीटी 2 | 2844 | 2399 | 84.4 | 2916 | 2503 | 85.8 | 1463 | 1220 | 83.4 |
| डीपीटी 3 | 2844 | 2250 | 79.1 | 2916 | 2388 | 81.9 | 1463 | 1267 | 86.6 |
| खसरा | 2844 | 2176 | 76.5 | 2916 | 2244 | 77.0 | 1463 | 1221 | 83.5 |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता

बिहार में मुख्य रोगों के मामले में जानकारी तालिका 5.12 में प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2013-14 में बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण (एआरआइ) था जिसके 21.5 लाख रोगी थे। दूसरी बड़ी श्रेणी अज्ञात कारणों से बुखार (एफयूओ) की थी जिसके 16.4 लाख रोगी थे। तालिका से यह भी पता चलता है कि तीव्र अतिसार (डायरिया) या पेचिश जैसे अनियमित जलजनित रोगों के मामले भी राज्य में बड़ी संख्या में सामने आते हैं जो रेखांकित करता है कि राज्य में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता अभी भी अपर्याप्त है। जिलावार आंकड़े तालिका प 5.11 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.12 : बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता**

| रोग | रोगियों की संख्या (लाख में) | |
|---|---|---|
| | 2013-14 | 2014-15 (अक्तूबर 14 तक) |
| तेज अतिसार (डायरिया) | 6.87 (11.7) | 4.44 (14.4) |
| खूनी पेचिश | 4.00 (6.8) | 2.36 (7.7) |
| वायरल हिपेटाइटिस | 0.14 (0.2) | 0.14 (0.5) |
| आंत्र ज्वर | 3.12 (5.3) | 1.77 (5.8) |
| मलेरिया | 0.33 (0.6) | 0.19 (0.6) |
| अज्ञात मूल का बुखार (एफयूओ) | 16.43 (28.0) | 8.13 (26.4) |
| तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ) | 21.52 (36.6) | 10.56 (34.3) |
| न्यूमोनिया | 0.73 (1.2) | 0.28 (0.9) |
| कुत्ता काटना | 4.15 (7.1) | 2.23 (7.2) |
| राज्य में होने वाले खास रोग | 0.42 (0.7) | 0.19 (0.6) |
| ऊपरवर्णित रोगों से भिन्न असामान्य लक्षण | 1.03 (1.8) | 0.48 (1.6) |
| **योग** | **58.74 (100.0)** | **30.77 (100.0)** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**स्वास्थ्य क्षेत्र में नए हस्तक्षेप**

- राज्य के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, 6 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों तथा 6 जिला अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) का आरंभ।
- मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए मातृ एवं शिशु निगरानी प्रणाली (एमएसीटीएस) का पूर्ण क्रियान्वयन।
- मानव संसाधन संबंधी मुद्दों पर उचित निर्देश देने और सही फैसला लेने के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआइएस) का उपयोग।
- वाह्यरोगी निबंधन, औषधि वितरण, और रेडियोलॉजी/ पैथोलॉजी के लिए संजीवनी कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ-साथ, इस कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों की उपस्थिति, रोगियों के निदान से संबंधित सूचना, औषधि भंडार, शय्या की उपलब्धता, सेवा की उपलब्धता आदि के लिए नए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
- छः चिकित्सा महाविद्यालयों – पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पटना), नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पटना), श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (मुजफ्फरपुर), दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (दरभंगा), जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (भागलपुर) और अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (गया) में छः सुपर स्पेशलिटी विभागों (तंत्रिकाविज्ञान, हृदयविज्ञान, नेफ्रोलॉजी, रेडियो चिकित्सा और वृद्धावस्था चिकित्सा) की स्थापना और तदनुरूप पद सृजन।
- दंतचिकित्सकों की उपलब्धता और दांत की देखरेख संबंधी सेवाओं में वृद्धि के लिए पैठना, रहुई (नालंदा) में नया दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की योजना।

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)

समेकित बाल विकास योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए समेकित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली एक समग्रतामूलक योजना है। योजना का शुभारंभ 1975 में बच्चों के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। योजना के लक्ष्य समूह - बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं - को कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सेवाओं में प्रतिरक्षण, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा विद्यालय-पूर्व शिक्षा शामिल हैं। समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्य समूह को आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए सहायता पहुंचती है। योजना के कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका शामिल होते हैं।

अभी बिहार में समेकित बाल विकास योजना की 544 परियोजनाएं कार्यशील हैं जो राज्य के सभी 38 जिलों के सभी प्रखंडों में चल रही हैं। उन 544 परियोजनाओं के तहत कुल 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। तालिका 5.13 में समेकित बाल विकास योजना के कर्मियों की 2010-11 से 2013-14 तक की स्थिति प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2013-14 के अंत में गत वर्ष की तुलना में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। वर्ष 2013-14 में रिक्तियों का अनुपात इस प्रकार था - बाल विकास परियोजना अधिकारी (7.9 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (13.0 प्रतिशत), आंगनवाड़ी सेविका (10.4 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी सहायिका (9.5 प्रतिशत)।

**तालिका 5.13 : बिहार में समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति**

| वर्ष | पद | बाल विकास परियोजना अधिकारी | महिला पर्यवेक्षक | आंगनवाड़ी सेविका | आंगनवाड़ी सहायिका |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 508 | 254 | 80211 | 80211 |
| | रिक्त | 36 | 3034 | 11466 | 6026 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 6.6 | 92.3 | 12.5 | 7.0 |
| 2011-12 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 536 | 2754 | 81817 | 81817 |
| | रिक्त | 8 | 534 | 9860 | 4420 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 1.5 | 16.2 | 10.8 | 5.1 |
| 2012-13 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 507 | 2916 | 75183 | 67753 |
| | रिक्त | 37 | 372 | 16494 | 18484 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 6.8 | 11.3 | 18.0 | 21.4 |
| 2013-14 | स्वीकृत | 544 | 3288 | 91677 | 86237 |
| | पदस्थापित | 504 | 2859 | 82177 | 78076 |
| | रिक्त | 40 | 429 | 9500 | 8161 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 7.9 | 13.04 | 10.36 | 9.46 |

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2007-08 के 483.59 करोड़ रु. से 2013-14 में 1714.26 करोड़ रु. हो गया है जो 22.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान का मात्र 66.9 प्रतिशत थी जो गत वर्ष से कम है। इसके विपरीत, 2013-14 में कुल विमुक्त रकम के मुकाबले 107.6 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई जो स्पष्ट रूप से धनराशि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है। योजना के लिए केंद्रांश और राज्यांश के विवरण तालिका 5.14 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.14 : समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग**

| वर्ष | बिहार में समेकित बाल विकास योजना हेतु कुल बजट (करोड़ रु.) | बिहार हेतु केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.) | बिहार द्वारा बताया गया कुल व्यय (करोड़ रु.) | विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर | व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 483.59 | 411.02 | 349.11 | 85.0 | 84.9 |
| 2008-09 | 616.21 | 274.58 | 482.63 | 44.6 | 175.7 |
| 2009-10 | 934.40 | 696.61 | 858.71 | 74.6 | 123.3 |
| 2010-11 | 880.24 | 727.17 | 615.28 | 82.6 | 84.6 |
| 2011-12 | 1255.87 | 767.4 | 945.09 | 61.1 | 123.2 |
| 2012-13 | 1393.30 | 1094.00 | 1086.10 | 78.5 | 99.3 |
| 2013-14 | 1714.28 | 1147.43 | 1234.46 | 66.9 | 107.6 |

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना - सबला

11 से 18 वर्ष उम्र वाली किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने और जीवनकौशल, स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा प्रदान करने के जरिए उनका सबलीकरण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया। योजना लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई, मौजूदा जन सेवाओं आदि के बारे में जानकारी से सुसज्जित करने और विद्यालय-वाह्य लड़कियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों के दायरे में लाने के लिए लक्षित है। योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करके किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र इसके सेवा प्रदान के अभिकर्ता हैं। हालांकि जहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर अधिसंरचनात्मक और अन्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां विद्यालयों/ पंचायत भवनों/ सामुदायिक भवनों में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सबला योजना के दो प्रमुख घटक हैं - पोषण और पोषणेतर। 11 से 14 वर्ष उम्र वाली विद्यालय-वाह्य लड़कियों और 14 से 18 वर्ष की उम्र वाली सारी किशोरियों को पोषण 'सूखा राशन' या 'गर्म पके राशन' की शक्ल में दिया जाता है। पोषणेतर घटक के तहत 11 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियों की विकास संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं और उन्हें आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण संबंधी परामर्श, कौशलमूलक शिक्षा, जन सेवाओं की उपलब्धता संबंधी परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना एक वर्ष में एक करोड़ किशोरियों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए लक्षित है। सबला योजना का आरंभ बिहार के 12 जिलों में किया गया था - पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुंगेर, बांका, सहरसा, किशनगंज और

कटिहार। वर्ष 2013-14 में इस योजनाा पर 129.48 करोड़ रु. व्यय किया गया था जिससे 13.91 लाख किशोरियां लाभान्वित हुई। सबला योजना पोषण घटक को छोड़कर शेष सभी मामलों में शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है। पोषण घटक पर होने वाले व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आधा-आधा हिस्सा होता है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

कुपोषण और रक्ताल्पता की गंभीर समस्या पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक योजना सूत्रबद्ध की है। यह गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सशर्त नगद अंतरण योजना है। योजना के तहत 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के लिए 4,000 रु. का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि वे मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विशिष्ट शर्तों को पूरा करती हों। नगद प्रोत्साहन राशि शिशु के 6 माह की उम्र पूरा करने तक तीन किश्तों में अदा की जाती है। बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन दो जिलों - वैशाली और सहरसा में किया जा रहा है। नवंबर 2013 तक इस योजना के तहत आच्छादित 1 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक स्वास्थ्य समितियों को आबंटित जिलावार धनराशियों के विवरण तालिका प 5.12 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

### 5.3 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

स्वच्छ जलापूर्ति और स्वच्छता का प्रावधान लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का एक प्रमुख माध्यम है। दोनो ही सेवाएं राज्य सरकार का दायित्व हैं। इसीलिए इन सेवाओं के सुधार के लिए राज्य बजट में पर्याप्त संसाधनों का आबंटन बहुत जरूरी है। जनगणना के अनुसार, यह देखा गया है कि नलकों, चापाकलों और नलकूपों के जरिए पेयजल आपूर्ति की सुविधा 2001 में 86.2 प्रतिशत थी और 2011 में 94.0 प्रतिशत। इसका अर्थ 7.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है जो सराहनीय है। लेकिन स्वच्छता सुविधाओं के मामले में पाया गया कि राज्य में 2011 में 76.9 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं थे हालांकि 2001 में ऐसे परिवारों का हिस्सा 80.8 प्रतिशत था। 3.9 प्रतिशत अंकों की यह दशकीय कमी बहुत कम है और गंभीर चिंता की बात है।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत प्रगति तालिका 5.15 में प्रस्तुत है। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत 34.3 हजार चापाकल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को उसके परिसर में या अधिकतम 50 मीटर के अंदर 70 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो जाय। वर्ष 2013-14 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों, स्वच्छता संकुलों, स्कूली शौचालयों और आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण में भी वृद्धि हुई है। खुले में शौच पर नियंत्रण के लिहाज से 10,900 रु. के व्यय से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को निर्मल भारत अभियान के साथ मिला दिया गया है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु वासस्थलों का केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए आच्छादन तालिका प 5.13, तालिका प 5.14 और तालिका प 5.15 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.15 : बिहार में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियां**

| वर्ष | लगे चापाकलों की सं. | छूटे/ जल की खराब गुणवत्ता वाले वासस्थलों का आच्छादन | निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की सं. | | | निर्माण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गरीबी रेखा के ऊपर | गरीबी रेखा के नीचे | योग | स्वच्छता संकुल | स्कूली शौचालय | आंगनवाड़ी शौचालय |
| 2009-10 | 46188 | - | 168865 | 455175 | 624040 | 20 | 4653 | 203 |
| 2010-11 | 58597 | 13922 | 173219 | 557312 | 730531 | 66 | 8401 | 315 |
| 2011-12 | 28286 | 11243 | 193875 | 646052 | 839927 | 132 | 22575 | 1521 |
| 2012-13 | 31926 | 10960 | 236021 | 560678 | 796699 | 214 | 17009 | 4822 |
| 2013-14 | 34289 | 12787 | 63190 | 98456 | 161646 | 36 | 5076 | 1437 |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.16 में 2009-10 से 2013-14 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत धनराशि का उपयोग दर्शाया गया है। धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ता गया है और 2009-10 के 51.8 प्रतिशत से 2013-14 में 84.5 प्रतिशत हो गया है। धनराशि के उपयोग में प्रचुर वृद्धि का भौतिक प्रगति पर भी निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। आने वाले वर्षों में भी इस सफलता को जारी रहना चाहिए जिससे पूरे राज्य में स्वच्छता और सफाई की स्थिति का आच्छादन सुनिश्चित हो सके।

**तालिका 5.16 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| परिव्यय | 565.04 | 530.32 | 440.80 | 351.02 | 353.80 |
| व्यय | 292.53 | 421.40 | 364.22 | 283.50 | 299.02 |
| उपयोग का प्रतिशत | 51.8 | 79.5 | 82.6 | 80.8 | 84.5 |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 5.5 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति**

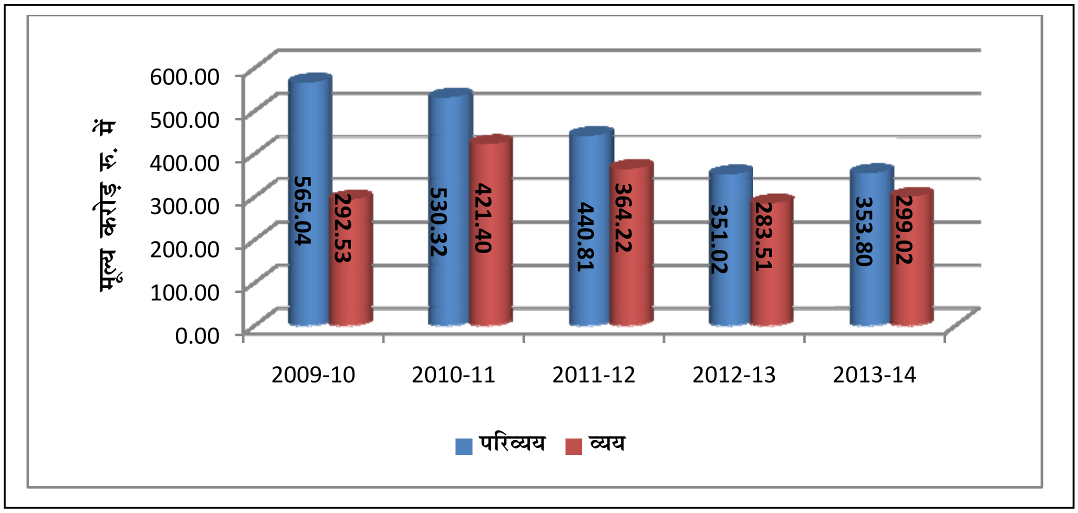

राज्य योजना के तहत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 5.17 में प्रस्तुत है और भौतिक प्रगति तालिका 3.18 में। वर्ष 2008-09 में रकम का उपयोग का स्तर अपेक्षाकृत कम (32.5 प्रतिशत) था लेकिन उसके बाद से यह काफी ऊंचा रहा है। वर्ष 2013-14 में रकम का उपयोग 86.6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था। हाल के वर्षों में व्यय में वार्षिक वृद्धि की दर (31.8 प्रतिशत) परिव्यय में वृद्धि की दर (17.5 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक है। पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को छोड़कर राज्य योजना की सभी योजनाओं के तहत भौतिक प्रगति में भी सुधार हुआ है। नए चापाकल लगाने के मामले में उपलब्धि की दर 2010-11 के 32 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 47 प्रतिशत हो गई। अनाच्छादित वासस्थलों के आच्छादन की दर भी 2013-14 में 92 प्रतिशत थी जो 2010-11 के 74 प्रतिशत से अधिक है।

**तालिका 5.17 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| परिव्यय | 425.28 | 227.00 | 223.41 | 259.49 | 554.10 | 745.59 | 17.5 |
| व्यय | 138.02 | 162.59 | 207.86 | 224.71 | 302.54 | 645.94 | 31.8 |
| व्यय का प्रतिशत | 32.5 | 71.6 | 93.0 | 86.6 | 54.6 | 86.6 | – |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 5.18 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक प्रगति**

| वर्ष योजनाएं | | ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना | पुराने की जगह नए चापाकल लगाना | अनाच्छादित टोले |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | लक्ष्य | 39 | 10178 | 18749 |
| | उपलब्धि | 25 (64.1) | 3298 (32.4) | 13922 (74.3) |
| 2011-12 | लक्ष्य | 23 | 6880 | 15810 |
| | उपलब्धि | 12 (52.2) | 3330 (48.4) | 11243 (71.1) |
| 2012-13 | लक्ष्य | 22 | 50492 | 15015 |
| | उपलब्धि | 8 (36.4) | 12114 (24.0) | 10960 (73.0) |
| 2013-14 | लक्ष्य | 14 | 94526 | 13832 |
| | उपलब्धि | 3 (21.4) | 44066 (46.6) | 12787 (92.4) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**पेयजल और स्वच्छता : नई पहलकदमियां**

- ग्रामीण टोलों में पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 10 जिलों (पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, बांका, सारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण) को चुना गया है। योजना विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत की गई है और 1,606 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।
- भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और नाथनगर प्रखंडों के 86 आर्सेनिक प्रभावित गांवों/टोलों में जलस्रोत के बतौर गंगा नदी पर आधारित बहुग्राम पाइप आधारित पेयजल आपूर्ति योजना का काम प्रगति पर है।
- आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पीने लायक पेयजल की आपूर्ति के लिए 200 इंडिया मार्क-2 चापाकल (100 मी. से भी अधिक गहराई से पानी निकालने की डिजाइन वाला चापाकल) लगाए गए हैं और अन्य 716 चापाकल (125 मी. की गहराई से खींचने वाले) लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। हर घर में शौचालय सुविधा प्रदान करने और शौचालयों के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित करके खुले में शौच के नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं।

## 5.4 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

मानव विकास मिशन का उद्देश्य हर व्यक्ति, खास कर सुविधावंचित तबकों से आने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण विकास में सहयोग के लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेप करना है। लोगों की संपूर्ण क्षमता के दोहन के लिए हर व्यक्ति की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पर ध्यान देना वांछित होता है। बिहार में शिक्षा नीति की चार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं - उपलब्धता, समता, गुणवत्ता और शासन (गवर्नेंस)। इस खंड में बिहार में शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियों का विस्तार से उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। राज्य में शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए चर्चा में शिक्षा के दोनों प्रकार के सूचकों को ध्यान में रखा गया है - परिणाम अर्थात आउटपुट (जैसे साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, छीजन दर आदि) और इनपुट (जैसे शिक्षा सुविधा की उपलब्धता)।

<u>साक्षरता दर</u>

राज्य ने साक्षरता दर को 2001 के 47.0 प्रतिशत से 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करते हुए 2011 में 61.8 प्रतिशत तक पहुंचाकर उसमें सराहनीय सुधार किया है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से लेकर अभी तक के सभी दशकों में हुई वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001-11 दशक में देश के सभी राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। बिहार में 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता 71.2 प्रतिशत दर्ज की गई और महिला साक्षरता 51.5 प्रतिशत जिसके कारण 19.7 प्रतिशत अंकों की लैंगिक विषमता दर्ज हुई है। लिंग के आधार पर जिलावार साक्षरता दरें तालिका प 5.16 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं और निवास के आधार पर तालिका प 5.17 (परिशिष्ट) में। सर्वाधिक 24.4 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर किशनगंज में दर्ज की गई। पटना में साक्षरता दर में सबसे कम वृद्धि दर (7.8 प्रतिशत अंक) दर्ज की गई है जिसका मुख्य कारण 2001 में

इसका पहले से ही उच्च साक्षरता वाला जिला होना है। महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक किशनगंज में दर्ज हुई है और सबसे कम पटना में।

तालिका 5.19 में 2011 में क्षेत्र, लिंग और दशकीय वृद्धि आधारित साक्षरता दरों के आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता दरों के लिहाज से सर्वोच्च पांचो जिले दक्षिण बिहार के हैं। तालिका से यह भी पता चलता है कि गत दशक में हुई कुछ प्रगति के बावजूद राज्य का उत्तर-पूर्व अंचल साक्षरता दर के लिहाज से काफी पिछड़ा है। लेकिन दशकीय वृद्धि दर के मामले में दिखता है कि सर्वोच्च पांच जिले उत्तर बिहार के हैं जबकि सबसे निचले जिले दक्षिण बिहार के। यह वांछित रुझान की ओर संकेत करता है अर्थात साक्षरता में प्रगति उन जिलों में अधित तेज है जहां साक्षरता दर कम थी। निस्संदेह, बिहार द्वारा सर्वोच्च दशकीय वृद्धि दर दर्ज करने के पीछे एक कारण यह है कि निम्न साक्षरता दर वाले जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सकारात्मक रुझान के कारण जिलों के बीच शिक्षा संबंधी असमानता में क्रमिक ह्रास हुआ है।

**तालिका 5.19 : 2011 में साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण**

| क्षेत्र/ लिंग | साक्षरता दरें | | | | | दशकीय वृद्धि संयुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | पुरुष | महिला | संयुक्त | |
| सर्वोच्च पांच जिले | रोहतास (72.5), औरंगाबाद (69.4), भोजपुर (69.2), बक्सर (69.1), सीवान (68.9) | कैमूर (82.6), मुंगेर (81.0), पटना (81.0), समस्तीपुर (80.7), मुजफ्फरपुर (80.2) | रोहतास (82.9), भोजपुर (81.7), बक्सर (80.7), सीवान (80.2), औरंगाबाद (80.1) | रोहतास (63.0), मुंगेर (62.1), पटना (62.0), औरंगाबाद (59.7), सीवान (58.7) | रोहतास (73.4), पटना (70.7), भोजपुर (70.5), मुंगेर (70.5), औरंगाबाद (70.3) | पूर्व चंपारण (29.4), खगड़िया (30.2), अररिया (30.2), किशनगंज (30.4), मधेपुरा (31.1) |
| सबसे पीछे पांच जिले | पूर्णिया (48.4), कटिहार (49.6), सीतामढ़ी (50.8), सहरसा (51.1), मधेपुरा (51.2) | शिवहर (62.0), शेखपुरा (71.0), पश्चिम चंपारण (71.1), मधुबनी (71.1), किशनगंज (71.2) | मधेपुरा (61.8), शिवहर (61.3), सीतामढ़ी (60.6), कटिहार (59.4), पूर्णिया (59.1) | सहरसा (41.7), मधेपुरा (41.7), पूर्णिया (42.3), सीतामढ़ी (42.4), किशनगंज (43.9) | पूर्णिया (51.1), सीतामढ़ी (52.1), कटिहार (52.2), मधेपुरा (52.3), सहरसा (53.2) | गोपालगंज (19.0), दरभंगा (19.5), मुंगेर (20.2), जहानाबाद (20.6), रोहतास (20.8) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े साक्षरता दर दर्शाते हैं।

तालिका 5.20 में भारत और बिहार की साक्षरता दरों के 1961 से 2011 तक के रुझान प्रस्तुत हैं। गौरतलब है कि साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 2001 में 17.8 प्रतिशत अंकों का फासला था जो काफी घटकर 2011 में 11.1 प्रतिशत अंक रह गया है। साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल भारत और बिहार, दोनों में काफी कम हुआ है। वर्ष 2001 में साक्षरता दर के मामले में यह लैंगिक विषमता भारत में 21.6 प्रतिशत और बिहार में 26.7 प्रतिशत अंकों की थी। वर्ष 2011 में यह विषमता घटकर भारत में 16.3 प्रतिशत और बिहार में 19.7 प्रतिशत अंकों की रह गई है। इसका अर्थ है कि बिहार इस फासले को पूरे देश की तुलना में अधिक तेज गति से घटाने में सफल हुआ है।

**तालिका 5.20 : भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान**

| वर्ष | | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत | पुरुष | 40.40 | 46.00 | 56.40 | 64.10 | 75.30 | 80.90 |
| | महिला | 15.40 | 22.00 | 29.80 | 39.30 | 53.70 | 64.60 |
| | व्यक्ति | 28.30 | 34.50 | 43.60 | 52.20 | 64.80 | 72.90 |
| बिहार | पुरुष | 35.20 | 35.80 | 43.80 | 52.50 | 60.30 | 71.20 |
| | महिला | 8.20 | 10.20 | 15.80 | 22.90 | 33.60 | 51.50 |
| | व्यक्ति | 22.00 | 23.20 | 32.30 | 37.50 | 47.00 | 61.80 |
| लैंगिक अंतराल | भारत | 25.10 | 24.00 | 26.60 | 24.80 | 21.60 | 16.30 |
| | बिहार | 27.00 | 25.50 | 28.00 | 29.60 | 26.70 | 19.70 |

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 और 2011

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राज्य की शैक्षिक उन्नति प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, सभी क्षेत्रों के विकास पर निर्भर है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया है क्योंकि बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा का ही सर्वोच्च महत्व है। प्रारंभिक शिक्षा का क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र तक विद्यार्थियों को पहुंचाता है जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेजते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के प्रतिकूलता-ग्रस्त तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिए यह अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक शिक्षा की सफलता शिक्षा संबंधी दो सूचकों से व्यक्त की गई है – उच्च नामांकन अनुपात और निम्न छीजन दर। और इन दोनों सूचकों का प्रदर्शन विद्यालयों, शिक्षकों आदि शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा प्रभावित होता है। बिहार जैसे राज्य के मामले में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है जहां अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी शैक्षिक जरूरतों के लिए सरकारी विद्यालयों पर निर्भर रहते हैं।

नामांकन अनुपात

तालिका 5.21 में 2007-08 से 2012-13 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन दर्शाया गया है। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2007-08 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 146.3 लाख था जो 2012-13 में बढ़कर 154.51 लाख हो गया। गत चार वर्षों के दौरान उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन बढ़ने का रुझान दिखा है। इस स्तर पर 2012-13 में कुल नामांकन 60.36 लाख था जबकि 2007-08 में 30.34 लाख जिसका अर्थ 14.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर है। समग्रत:, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर कुल नामांकन 2007-08 के 176.64 लाख से 5.0 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़कर 2012-13 में 214.87 लाख पहुंच गया। इस अवधि में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन भी बढ़ा है।

**तालिका 5.21 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन ( लाख में )**

| विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक | | | | | | | | |
| लड़के | कुल | 78.19 | 74.27 | 77.56 | 80.76 | 82.29 | 79.74 | 1.28 |
| | अजा | 14.28 | 13.13 | 13.68 | 15.23 | 16.1 | 14.5 | 2.30 |
| | अजजा | 1.93 | 0.89 | 1.31 | 1.07 | 1.34 | 1.59 | 0.16 |
| लड़कियां | कुल | 68.11 | 57.74 | 61.52 | 68.57 | 74.21 | 74.77 | 3.87 |
| | अजा | 11.52 | 9.35 | 9.85 | 12.17 | 13.29 | 13.21 | 5.73 |
| | अजजा | 1.62 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | 1.14 | 1.33 | 2.72 |
| सभी | कुल | 146.3 | 132.01 | 139.08 | 149.34 | 156.5 | 154.51 | 2.47 |
| | अजा | 25.81 | 22.49 | 23.54 | 27.4 | 29.39 | 27.71 | 3.81 |
| | अजजा | 3.55 | 1.5 | 2.03 | 1.81 | 2.48 | 2.92 | 1.20 |
| उच्च प्राथमिक | | | | | | | | |
| लड़के | कुल | 17.28 | 20.66 | 23.42 | 26.65 | 27.04 | 31.34 | 11.83 |
| | अजा | 2.39 | 3.08 | 3.24 | 3.82 | 4.26 | 4.81 | 14.16 |
| | अजजा | 0.28 | 0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 15.12 |
| लड़कियां | कुल | 13.06 | 14.56 | 17.85 | 22.14 | 23.51 | 29.02 | 17.50 |
| | अजा | 1.56 | 1.83 | 2.09 | 2.78 | 3.37 | 4.23 | 22.51 |
| | अजजा | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.46 | 21.84 |
| सभी | कुल | 30.34 | 35.22 | 41.27 | 48.8 | 50.55 | 60.36 | 14.34 |
| | अजा | 3.94 | 4.92 | 5.33 | 6.61 | 7.63 | 9.04 | 17.63 |
| | अजजा | 0.48 | 0.31 | 0.54 | 0.44 | 0.66 | 1.01 | 17.96 |
| योग | | | | | | | | |
| लड़के | कुल | 95.47 | 94.93 | 100.98 | 107.41 | 109.33 | 111.08 | 3.61 |
| | अजा | 16.67 | 16.21 | 16.92 | 19.05 | 20.36 | 19.31 | 4.49 |
| | अजजा | 2.21 | 1.08 | 1.67 | 1.32 | 1.7 | 2.14 | 2.80 |
| लड़कियां | कुल | 81.17 | 72.3 | 79.37 | 90.71 | 97.92 | 103.79 | 6.71 |
| | अजा | 13.08 | 11.18 | 11.94 | 14.95 | 16.66 | 17.44 | 8.51 |
| | अजजा | 1.82 | 0.72 | 0.91 | 0.91 | 1.44 | 1.79 | 5.87 |
| सभी | कुल | 176.64 | 167.23 | 180.35 | 198.14 | 207.25 | 214.87 | 5.03 |
| | अजा | 29.75 | 27.41 | 28.87 | 34.01 | 37.02 | 36.75 | 6.25 |
| | अजजा | 4.03 | 1.81 | 2.57 | 2.25 | 3.14 | 3.93 | 4.06 |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

इस बात का उल्लेख करना उत्साहवर्धक है कि लड़कियों का नामांकन लड़कों की अपेक्षा तेज दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के बीच लड़कियों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी जबकि लड़कों की 3.6 प्रतिशत। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर लड़कों का कुल नामांकन (79.74 लाख) लड़कियों के नामांकन (74.77 लाख) से थोड़ा ही अधिक था। लड़कियों की नामांकन की अधिक वृद्धि दर और विद्यार्थियों के कुल नामांकन में लड़कियों के थोड़ा ही कम हिस्से का यह रुझान उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी देखा गया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर देखने पर, कुल नामांकन में लड़कों के नामांकन का हिस्सा 2007-08 में 54.0 था लेकिन 2012-13 में 51.7 प्रतिशत। यह बिहार में विद्यालयों में नामांकन के मामले में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की जानकारी देता है।

समस्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में जिलावार कुल नामांकन के आंकड़े क्रमशः तालिका प 5.18, तालिका प 5.19 और तालिका प 5.20 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर जिलों के बीच 2012-13 में काफी अंतर मौजूद है। वर्ष 2012-13 में दोनो स्तरों पर सर्वाधिक 15.48 लाख नामांकन पूर्व चंपारण में दर्ज हुआ और उसके बाद 11.66 लाख मुजफ्फरपुर में और 10.31 लाख पटना में। दूसरी ओर, 2012-13 में दोनों स्तरों पर सबसे कम नामांकन शिवहर (1.18 लाख) और शेखपुरा (1.29 लाख) और में दर्ज हुआ। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के मामले में, दोनो स्तरों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला नालंदा (2.82 लाख) था और सबसे खराब प्रदर्शन वाला जिला किशनगंज (0.22 लाख)।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दरें तालिका प 5.21 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दरों वाले तीन जिले नालंदा (16.3 प्रतिशत), सहरसा (14.8 प्रतिशत) और पटना (13.0 प्रतिशत) हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम तीन जिले किशनगंज (54.9 प्रतिशत), मधेपुरा (54.4 प्रतिशत) और कटिहार (34.9 प्रतिशत) हैं। सामान्यतः उच्च वार्षिक वृद्धि दर उन जिलों में देखी गई जहां साक्षरता दरें अपेक्षाकृत निम्न हैं। बिहार में प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के नामांकन का सर्वव्यापी आच्छादन लगभग हासिल कर लिया गया है। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की उच्च वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण कारण है।

<u>छीजन दर</u>

प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के पहले पढ़ाई छोड़ देने की परिघटना सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता के मामले में एक बड़ी समस्या है। उच्च नामांकन की सफलता तभी सार्थक होती है जब नामांकित बच्चे विद्यालय में टिके रहें। लेकिन वांछित शैक्षिक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के पहले स्कूल छोड़ देने की ऊंची दर बिहार में एक बड़ी समस्या है। इस प्रकार की छीजन के सारे कारकों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में समेटा जा सकता है - आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक तथा विद्यालय का वातावरण और अधिसंरचना। बिहार के मामले में, विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर ये सारे कारक अलग-अलग परिमाण में प्रभाव डालते हैं।

बिहार में 2006-07 से 2012-13 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की छीजन दरें तालिका 5.22 में प्रस्तुत हैं। हाल के वर्षों में शिक्षा के सभी स्तरों पर छीजन दरों में लगातार कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2006-07 से 2012-13 के बीच 14.4 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज हुई। इसी अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में यह गिरावट 15.1 प्रतिशत अंकों की थी। यह दर्शाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों को शामिल करते हुए दोनो स्तरों पर छीजन दरों में तेजी से गिरावट आ रही है। इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि शिक्षा के दोनो स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की तुलना में कम थी।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें प्राथमिक स्तर की अपेक्षा काफी अधिक हैं। लेकिन सौभाग्यवश, इन दोनो श्रेणियों में छीजन के आंकड़ों में भी गिरावट का रुझान दिख रहा है। वर्ष 2012-13 में माध्यमिक स्तर पर यह छीजन दर 62.8 प्रतिशत थी जिसका अर्थ 2006-07 की दर से 14.0 प्रतिशत अंकों की कमी है। इसका अर्थ हुआ कि बिहार में कक्षा 1 में नामांकित लगभग 37 प्रतिशत विद्यार्थी ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात तो और भी कम - लगभग 30 प्रतिशत है। पूर्व में, दोनों स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की अपेक्षा अधिक थीं। लेकिन 2009-10 से छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की अपेक्षा कम होती गई हैं। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरों में साल दर साल कमी आती गई है लेकिन यह अभी भी काफी अधिक है और कुछ नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है। प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर राज्य में अब माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य में त्वरित विकास और सामाजिक विकास हेतु मानव पूंजी सृजित होगी।

**तालिका 5.22 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें**

| वर्ष | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक | लड़के | 45.7 | 45.2 | 44.6 | 41 | 35.3 | 30.74 | 26.27 |
| | लड़कियां | 46.4 | 45.6 | 45.1 | 43.5 | 42.13 | 38.01 | 36.01 |
| | समग्र | 46.1 | 45.4 | 45 | 42.5 | 39.27 | 34.8 | 31.68 |
| उच्च प्राथमिक | लड़के | 60.1 | 61.1 | अनु. | 56.7 | 51.31 | 51.07 | 38.68 |
| | लड़कियां | 62.8 | 61.5 | अनु. | 60.2 | 57.87 | 58.61 | 52.41 |
| | समग्र | 61.8 | 61.4 | 60.3 | 58.8 | 55.14 | 55.48 | 46.67 |
| माध्यमिक | लड़के | 79.2 | 75.6 | अनु | 67 | 58.85 | 62.71 | 59.51 |
| | लड़कियां | 75.4 | 72.6 | अनु | 69.9 | 64.38 | 66.87 | 65.15 |
| | समग्र | 76.8 | 73.7 | 72.1 | 68.8 | 62.24 | 65.18 | 62.80 |
| उच्च माध्यमिक | लड़के | 82.3 | 83.7 | 80.7 | 73.4 | 69.42 | 64.67 | अनु |
| | लड़कियां | 82.7 | 82 | 79.9 | 76.3 | 72.93 | 68.37 | अनु |
| | समग्र | 81.9 | 82.6 | 80.2 | 75.2 | 71.61 | 66.98 | अनु |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

पहले भी कहा गया है कि उच्च छीजन दरों के लिए ढेर सारे कारक जबावदेह हैं इसलिए नामांकित विद्यार्थियों को टिकाए रखने के लिए लगातार अनुश्रवण जरूरी है। छीजन दरों में कमी लाने के लिए समाज के सामाजिक

और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्याथियों पर। तालिका 5.23 में बिहार में 2006-07 से 2012-13 तक की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरें प्रस्तुत की गई हैं। इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरें उत्तरोत्तर घटी हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की छीजन दरें पूरी अवधि में छात्रों से कम रही हैं। माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की छीजन दरें 2006-07 से 2008-09 के बीच छात्रों से अधिक थीं लेकिन उसके बाद घटने लगीं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में सभी स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें पूरी अवधि में छात्रों की अपेक्षा नीचे थीं, खास कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर। अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों के बीच छीजन दरों में निरंतर कमी का रुझान शैक्षिक उपलब्धियों का प्रतीक है।

**तालिका 5.23 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें**

| वर्ष | अनुसूचित जाति | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | | माध्यमिक | | |
| | बालिकाएं | बालक | समग्र | बालिकाएं | बालक | समग्र | बालिकाएं | बालक | समग्र |
| 2006-07 | 51.2 | 51.6 | 51.5 | 77.8 | 72.8 | 72.8 | 86.7 | 85.4 | 85.9 |
| 2007-08 | 51.0 | 53.3 | 52.4 | 70.3 | 71.8 | 71.2 | 86.0 | 83.0 | 84.1 |
| 2008-09 | 49.5 | 50.5 | 50.1 | 69.4 | 70.5 | 70.1 | 83.2 | 82.8 | 83.0 |
| 2009-10 | 49.7 | 50.9 | 50.4 | 69.8 | 72.7 | 71.6 | 80.7 | 81.4 | 81.1 |
| 2010-11 | 35.9 | 40.9 | 38.8 | 63.8 | 68.2 | 66.5 | 76.8 | 78.0 | 77.6 |
| 2011-12 | 30.55 | 36.7 | 34.1 | 60.4 | 67.2 | 64.6 | 72.6 | 75.9 | 74.6 |
| 2012-13 | 24.3 | 36.2 | 31.2 | 49.0 | 61.4 | 56.4 | 65.0 | 70.6 | 68.4 |
| वर्ष | अनुसूचित जनजाति | | | | | | | | |
| 2006-07 | 32.4 | 35.7 | 34.5 | 61.6 | 79.8 | 66.9 | 81.9 | 83.8 | 83 |
| 2007-08 | 25.6 | 35.1 | 31.6 | 57.2 | 67.8 | 64.3 | 82.2 | 82.8 | 82.6 |
| 2008-09 | 29.2 | 30.9 | 30.3 | 55.8 | 65.0 | 61.9 | 75.9 | 79.6 | 78.4 |
| 2009-10 | 15.6 | 8.1 | 10.9 | 20.1 | 11.9 | 14.8 | 62.1 | 66.4 | 65.0 |
| 2010-11 | 19.8 | 31.6 | 27.1 | 46.1 | 56.5 | 52.6 | 66.8 | 70.9 | 69.5 |
| 2011-12 | अनु | 14.4 | अनु | 22.7 | 43.5 | 35.7 | 32.6 | 49.3 | 43.5 |
| 2012-13 | अनु | अनु. | अनु | अनु. | 23.8 | 13.1 | 26.6 | 38.2 | 33.9 |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

<u>विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या</u>

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2010-11 के 68,323 से बढ़कर 2011-12 में 68,705 हो गई। इस अवधि में अनेक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या तालिका प 5.22 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। नामांकन अनुपात बढ़ने के साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। मानव विकास मिशन के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात हेतु 2014-15 का लक्ष्य नामांकन के आधार पर 45:1 और उपस्थिति के आधार पर 32:1 होना चाहिए। वर्ष 2011-12 में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या 2010-11 के 3.38 लाख से बढ़कर 3.47 लाख हो गई। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जिलावार संख्या तालिका प 5.23 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

<u>शिक्षा पर व्यय</u>

बिहार में हाल के वर्षों में शिक्षा पर व्यय लगातार बढ़ा है। तालिका 5.24 में शिक्षा व्यय कुल बजट और सामाजिक सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय में शिक्षा व्यय के हिस्से के साथ दर्शाया गया है। शिक्षा पर कुल व्यय 16.3 प्रतिशत की संतोषजनक दर से बढ़ता रहा है। कुल व्यय और सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय में शिक्षा व्यय के हिस्से की बात करें, तो दोनो हिस्सों में थोड़ी गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में शिक्षा पर कुल व्यय में उसके तीनों घटकों (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) का हिस्सा तालिका 5.24 के निचले भाग में प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कुल व्यय में प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

**तालिका 5.24 : शिक्षा पर व्यय**

| वर्ष | | शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.) | | | शिक्षा पर व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योग | कुल बजट के प्रतिशत में | सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत में |
| 2007-08 | | 1046.26 | 4741.76 | 5788.02 | 18.30 | 54.30 |
| 2008-09 | | 1565.52 | 5099.47 | 6664.99 | 17.90 | 51.70 |
| 2009-10 | | 1585.02 | 5958.68 | 7543.70 | 17.63 | 52.70 |
| 2010-11 | | 3356.97 | 4667.28 | 8024.25 | 15.83 | 49.70 |
| 2011-12 | | 2901.18 | 6836.34 | 9737.52 | 16.18 | 49.84 |
| 2012-13 | | 4949.63 | 8439.03 | 13388.66 | 19.35 | 54.79 |
| 2013-14 | | 5038.99 | 8628.24 | 13667.23 | 17.00 | 48.37 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर | | 31.29 | 11.07 | 16.30 | - | - |
| 2013-14 | प्राथमिक | 3428.20 | 5001.49 | 8429.70 | 10.48 | 29.84 |
| | माध्यमिक | 1308.84 | 1315.38 | 2624.22 | 3.26 | 9.29 |
| | उच्च | 301.95 | 2311.36 | 2613.31 | 3.25 | 9.25 |

स्रोत : राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था, बिहार सरकार

<u>मध्याह्न भोजन योजना</u>

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषणमूलक सहयोग कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन योजना के बतौर जाना जाता है। यह बिहार में अधिकांश बच्चों की दो ज्वलंत समस्याओं - भूख और शिक्षा से निपटने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। योजना का उद्देश्य प्रतिकूलता-ग्रस्त समूह के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल

जाने और अपनी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस समय इस योजना का आच्छादन मदरसों और मकतबों समेत सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित सभी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों तक है। योजना के आच्छादन के संबंध में 2008-09 से 2013-14 तक की समग्र स्थिति तालिका 5.25 में वर्णित है। वर्ष 2008-09 में में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 58.2 प्रतिशत था जो 2013-14 में बढ़कर 67.0 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 2008-09 में योजना का आच्छादन 53.4 प्रतिशत था जो 2013-14 में 67.0 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, दोनो स्तरों पर योजना का आच्छादन हाल के वर्षों में बढ़ा है हालांकि हस्तक्षेप के कुछ वर्षों में आच्छादन में थोड़ी कमी भी आई थी।

**तालिका 5.25 : बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन**

| वर्ष | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा 1 से 5 | कुल नामांकन (लाख में) | 143.00 | 144.77 | 144.77 | 153.16 | 147.70 | 141.62 |
| | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | 83.22 | 88.33 | 80.35 | 68.55 | 85.22 | 94.89 |
| | आच्छादन का प्रतिशत | 58.19 | 61.01 | 55.51 | 44.76 | 57.70 | 67.00 |
| कक्षा 6 से 8 | कुल नामांकन (लाख में) | 42.03 | 42.71 | 43.37 | 52.45 | 52.87 | 57.57 |
| | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | 22.42 | 25.38 | 21.07 | 20.55 | 30.32 | 38.57 |
| | आच्छादन का प्रतिशत | 53.36 | 59.41 | 48.57 | 39.18 | 57.35 | 67.00 |

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन तालिका प 5.24 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है और और उच्च प्राथमिक स्तर आच्छादन तालिका प 5.25 (परिशिष्ट) में। वर्ष 2013-14 में 20 जिलों में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (66.3 प्रतिशत) से अधिक था जबकि उसके पिछले वर्ष उनकी संख्या 24 थी। आठ जिलों में आच्छादन 70 प्रतिशत से भी अधिक था - पश्चिम चंपारण में 79.1 प्रतिशत, जमुई में 78.4 प्रतिशत, गोपालगंज में 71.8 प्रतिशत, लखीसराय में 71.0 प्रतिशत, शेखपुरा में 71.0 प्रतिशत, बेगूसराय में 70.9 प्रतिशत, समस्तीपुर में 70.8 प्रतिशत और नवादा में 70.1 प्रतिशत। सबसे कम 60.3 प्रतिशत आच्छादन वैशाली में दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर 19 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (66.5 प्रतिशत) से अधिक था। आच्छादन के लिहाज से तीन सर्वोत्तम जिले थे - कटिहार (86.5 प्रतिशत), शिवहर (78.8 प्रतिशत) और पश्चिम चंपारण (77.6 प्रतिशत)। सबसे कम 51.7 प्रतिशत आच्छादन अररिया में दर्ज किया गया। यद्यपि हाल के वर्षों में मध्याह्न भोजन का आच्छादन बढ़ा है परंतु सर्वव्यापी आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए योजना का सावधानी से अनुश्रवण करना जरूरी है।

## सर्व शिक्षा अभियान

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का अधिकार बनाने के मकसद से शिक्षाधिकार अधिनियम को अप्रील 2010 में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार का एक सम्यक महत्व वाला कार्यक्रम है।

इसका लक्ष्य नए विद्यालयों, वर्गकक्षों और शिक्षकों में वृद्धि, विद्यालय-वाह्य बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, पाठ्यपुस्तकों, पोशाकों, आवासीय सुविधाओं, परिवहन, प्रशिक्षण आदि के जरिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर शिक्षा की उपलब्धता का सर्वव्यापीकरण सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा के बीच के सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतरालों को कम करना भी है।

बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए किया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ-साथ उसके सामान्य हस्तक्षेपों के अलावा बालिका शिक्षा हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने वाले उसके विशेष मॉड्यूल राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यक्रम में हर संकुल में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें समुदाय की अधिक सघन गोलबंदी हो और विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन की निगरानी की जाय। इस योजना का क्रियान्वयन शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में किया जाता है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। एनपीईजीईएल द्वारा भी ऐसे प्रखंडों का आच्छादन किया जाता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंड तो नहीं हों लेकिन वहां अजा/ अजजा जनसंख्या न्यूनतम 5 प्रतिशत हो और अजा/ अजजा महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से नीचे हो। इसका आच्छादन चुनिंदा शहरी मलिनबस्तियों को भी उपलब्ध है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अजा/ अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु संचालित एक अन्य योजना है। इस योजना को 1 अप्रील 2007 से सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। तालिका 5.26 दर्शाती है कि 2013-14 में बिहार शिक्षा परियोजना हेतु स्वीकृत 6936 करोड़ रु. के कुल बजट में से 65.7 प्रतिशत का व्यय सर्व शिक्षा अभियान पर किया गया।

**तालिका 5.26 : बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति ( 2013-14 )**

(करोड़ रु.)

| कार्यक्रम | स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट | धनराशि विमुक्त | | | | कुल व्यय | व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13वां वित्त आयोग द्वारा | भारत सरकार | बिहार सरकार | योग | | |
| सर्व शिक्षा अभियान | 6735.60 | 946.00 | 2518.80 | 1154.36 | 4619.17 | 4554.37 | 67.62 |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय | 200.22 | 0.00 | 91.33 | 49.86 | 141.19 | 90.78 | 45.34 |
| **योग** | **6935.82** | **946.00** | **2610.13** | **1204.23** | **4760.36** | **4645.15** | **66.97** |

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

<u>विद्यालय-वाह्य बच्चे</u>

चूंकि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण कल्पित है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सभी विद्यालय-वाह्य बच्चों को या तो औपचारिक विद्यालयों के जरिए या शिक्षा गारंटी केंद्रों अथवा अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की जद में लाया जाय। विद्यालय-वाह्य बच्चों में वैसे बच्चे शामिल होते

हैं जो या तो कभी स्कूल नहीं गए या फिर स्कूल छोड़ दिया। ऐसे बच्चों में से बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों, काम करने वाले बच्चों और लड़कियों, खास कर विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित किशोरियों का होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आदि सामाजिक समूहों के मामले में भी लड़कियों की भागीदारी में कमी का रुझान रहता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में कठिनाई से पहुंचने वाले इन बच्चों का नामांकन करने और उन्हें टिकाए रखने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के वास्ते विशेष ध्यान देना वांछित होता है।

ऐसे विद्यालय-वाह्य बच्चों की मदद के लिए उत्थान केंद्र (महादलित श्रेणी के बच्चों के लिए), तालीमी मरकज (6 से 10 वर्ष के मुसलमान बच्चों के लिए), उत्प्रेरण केंद्र (11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए) और मकतब मदरसा केंद्र (मुसलमान बच्चों के लिए अनावासीय सेतु पाठ्यक्रमों और आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के लिए) जैसे शैक्षिक केंद्र खोले गए हैं। तालिका 5.27 में दिसंबर 2014 से राज्य सरकार के जनशिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित उत्थान केंद्रों और तालीमी मरकजों से भिन्न केंद्रों और उनके द्वारा शामिल बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में उत्प्रेरण केंद्रों और मकतब मदरसा केंद्रों और उनके द्वारा आच्छादित बच्चों की संख्या में कमी आई है। हालांकि इस अवधि में अनावासीय सेतु पाठ्यक्रम जैसे केंद्रों द्वारा आच्छादित बच्चों की संख्या बढ़ी है। कुल मिलाकर, इन वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों द्वारा शामिल बच्चों की कुल संख्या 2012-13 के 80.3 हजार से घटकर 2012-13 में 57.4 हजार रह गई। इसकी व्याख्या इस तथ्य के जरिए की जा सकती है कि ये सारे केंद्र अनौपचारिक केंद्र हैं और औपचारिक विद्यालयों की अधिसंरचना में विकास के साथ विद्यार्थी अनौपचारिक केंद्रों से औपचारिक संस्थानों की ओर जा रहे हैं। अतएव वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों में बच्चों की संख्या में कमी राज्य में शिक्षा के परिदृश्य के लिए अच्छा संकेत है।

**तालिका 5.27 : वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति**

| हस्तक्षेप | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|
| | केंद्रों की सं. | शामिल बच्चे | केंद्रों की सं. | शामिल बच्चे |
| उत्प्रेरण केंद्र | 1596 | 78782 | 1068 | 53442 |
| मकतब मदरसा केंद्र | 71 | 1420 | 18 | 350 |
| गैर-सरकारी संगठन संचालित अनावासीय नवाचारी सेतु पाठ्यक्रम | 0 | 0 | 232 | 3487 |
| गैर-सरकारी संगठन संचालित आवासीय नवाचारी सेतु पाठ्यक्रम | 1 | 150 | 1 | 150 |
| **योग** | **1668** | **80352** | **1319** | **57429** |

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

<u>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</u>

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाना और 2017 तक सकल नामांकन अनुपात 90 प्रतिशत से बढ़ाना और 2020 तक सर्वव्यापी प्रतिधारण

सुनिश्चित करने के लिए उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। अभियान के तहत 2014-15 के लिए 8,229.20 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

<u>उच्च शिक्षा</u>

किसी आधुनिक अर्थव्यस्था, न्यायपूर्ण समाज और जीवंत राजनीतिक इकाई के विकास के लिए उच्च शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नौजवान-नवयुवतियों को श्रम बाजार के लिए प्रासंगिक कौशलों से लैश करता है और सामाजिक गत्यात्मकता के लिए अवसर प्रदान करता है। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सामान्य और तकनीकी, दोनों धाराओं के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मौजूद हैं (तालिका 5.28)। अभी राज्य में 22 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 21 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय। वर्ष 2013 में, राज्य में कुल 278 राजकीय महाविद्यालय और 387 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। संभावित विद्यालय शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना उच्च शिक्षा का एक अन्य घटक है। राज्य में इस समय 35 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं। सामान्य शिक्षा के संस्थानों की तुलना में तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की संख्या बिहार में अपेक्षाकृत सीमित है और अभियंत्रण तथा तकनीकी शिक्षा के लिए मात्र 10 महाविद्यालय हैं। इन 10 महाविद्यालयों में से 2 की स्थापना 2009 में हुई जिससे बिहार में तकनीकी शिक्षा का अवसर बढ़ा है। वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 में संबद्धता-प्राप्त और संघटक (कंस्टीट्यूएंट) महाविद्यालयों का जिलावार ब्योरा तालिका प 5.26 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.28 : बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान**

| संस्थानों का प्रकार/ वर्ष | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| विश्वविद्यालय | 13 | 20 | 20 | 21 |
| मुक्त विश्वविद्यालय | 2 | 1 | 1 | 1 |
| शोध संस्थान | 15 | 15 | 15 | 15 |
| महाविद्यालय/ संस्थान | 628 | 815 | 815 | अनु. |
| सरकारी महाविद्यालय | 273 | 273 | 276 | 278 |
| स्थानीय निकाय महाविद्यालय | 258 | 336 | 385 | 387 |
| अन्य महाविद्यालय | 97 | 206 | 206 | अनु. |
| शिक्षा/ अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र | 33 | 35 | 35 | 35 |
| अभियंत्रण/ तकनीकी महाविद्यालय | 10 | 10 | 10 | 10 |
| अन्य | 251 | 252 | 252 | अनु. |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

संसाधन संबंधी अवरोधों के कारण राज्य सरकार उच्च शिक्षा की मांग को अकेले पूरी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए राज्य में अनेक निजी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई है जो सामान्यत: तकनीकी, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं।

**माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप**

मानव विकास मिशन (2013-17) के तहत माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा साक्षरता के लिए अलग-अलग लक्ष्य और समय सीमाएं तय की गई हैं :

| सूचक | वर्तमान स्थिति (बेसलाइन 2012) | लक्ष्य 2014-15 हेतु | लक्ष्य 2016-17 हेतु |
|---|---|---|---|
| कक्षा 9 के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) | सभी - 59.37%<br>लड़के - 56.98%<br>लड़कियां - 62.14% | सभी - 72.50%<br>लड़के - 72.00%<br>लड़कियां - 73.00% | सभी श्रेणी के बच्चों के लिए 85% |
| कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने वाली अजा/ अजजा/ अपिजा/ अल्पसंख्यक लड़कियों की संख्या | सभी लड़कियां - 4,14,279<br>अजा लड़कियां - 42,173<br>अजजा लड़कियां - 4,508 | सभी लड़कियां - 5,65,000<br>अजा लड़कियां - 63,000<br>अजजा लड़कियां - 5,500 | सभी लड़कियां - 7,15,000<br>अजा लड़कियां - 92,000<br>अजजा लड़कियां - 7,000 |
| 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का लिंग अनुपात | 56:44 | 54:46 | 52:48 |
| विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR) – माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक (हर विषय में 60 विद्यार्थियों के समूह पर एक शिक्षक) | 100:1 | 70:1 | 60:1 |
| उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) | 15% | 22% | 30% |

<u>कला, संस्कृति एवं युवा कार्य</u>

युवा वर्ग हर समाज का सर्वाधिक जीवंत और मूल्यवान मानव संसाधन होता है। बिहार में पुराने समय से ही कला एवं संस्कृति का अविराम उदय हुआ है और इसकी व्यापक निरंतरता रही है। अतः बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और कला-संस्कृति के सारे मूर्त-अमूर्त स्वरूपों को प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग और संस्कृति के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें पिल्खी (नालंदा) में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम-सह-क्रीड़ा संकुल के निर्माण के लिए 89.97 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, मानपुर (गया) में स्टेडियम का निर्माण, राजगिर (नालंदा) में फिल्म सिटी के लिए 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, गोलघर (पटना) का सौंदर्यीकरण, मोतिहारी (पूर्व चंपारण) में जॉर्ज ऑरवेल और फतेहगंज (भागलपुर) में सैयद इब्राहिम हुसैन खां के जन्मस्थलों का जीर्णोद्धार शामिल हैं। राज्य सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान सिताब दियरा (सारण) में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक भवन-सह-पुस्तकालय के विकास के लिए 5.35 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हेतु भी 2014-15 में 1.71 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। वैशाली में बौद्ध स्मृति स्तूप और सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण के लिए 152.37 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। पटना में बिहार संग्रहालय के निर्माण के लिए भी 498.49 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

मानव विकास मिशन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु राज्य में खेलकूद के विकास के लिए भौतिक लक्ष्य तालिका 5.29 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.29 : खेलकूद के विकास हेतु भौतिक लक्ष्य**

| वर्ष | अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम | प्रखंड स्तरीय स्टेडियम | | खेल के मैदान | इनडोर स्टेडियम | स्टेडियम और कोचिंग सेंटर | | क्रीड़ा अकादमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| 2013-14 | – | 100 | - | 2000 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 2014-15 | 1 | 100 | 79 | 2206 | 4 | 15 | 15 | - |
| 2015-16 | - | 134 | - | 2200 | 3 | 14 | - | - |
| 2016-17 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| **योग** | **1** | **334** | **79** | **8406** | **9** | **38** | **19** | **1** |

स्रोत : कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग

## 5.5 सीमांत तबकों के लिए सुरक्षा

<u>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति</u>

बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समेकित विकास के लिए 1 अप्रील, 2007 को एक अलग विभाग का गठन किया गया था। बिहार में 22 जातियां अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं जिनका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में 15.9 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, अनुसूचित जनजातियों का बिहार की आबादी में 1.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार की इन 22 जातियों का जिलावार ब्योरा तालिका प 5.27 और प 5.28 (परिशिष्ट) में दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा उनके सामाजिक उत्थान हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाते हैं :

- वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 18,779 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिए 22.50 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

- राज्य सरकार ने छात्रवृत्तियों और वजीफों के प्रावधान किए हैं। वर्ष 2013-14 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रवेशिका-पूर्व और प्रवेशिकोत्तर विद्यार्थियों के वजीफों के लिए क्रमशः 458.90 करोड़ रु. और 156.30 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।

- वर्ष 2013-14 में 933 अजा/ अजजा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हेतु सहयोग के लिए कोचिंग कराई गई।

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 65 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 15 आवासीय विद्यालयों के प्रावधान किए गए हैं जिनमें 23,640 अजा और 4,880 अजजा विद्यार्थियों के समावेश की क्षमता है। हर कक्षा में 40 विद्याथियों के लिए जगह है।

- अनुसूचित जाति के बड़े हिस्से महादलित समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास और पुस्तक बैंक हेतु प्रावधान किया गया है।

- अस्वच्छ पेशों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति देने की योजना है।

- अजा/ अजजा उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 1989 के तहत 12.03 करोड़ रु. और उसके प्रचार के लिए 20.00 लाख रु. विमुक्त किए गए हैं।

- बिहार में थरुहट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित थरुहट विकास योजना के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 25.30 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गया जिले में 225 गांवों का चुनाव किया गया है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ करके 20 लाख रु. के केंद्रीय 10 लाख रु. के राजकीय बजट प्रावधान से इस कार्यक्रम के तहत चुने गए गांवों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 46.74 करोड़ रु. के व्यय से अभी तक 2363 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 881 अन्य योजनाओं के लिए काम चल रहा है।

- अजा/ अजजा कल्याण का कुल बजट 2013-14 के 1105.68 करोड़ रु. से बढ़कर 2014-15 में 1169.98 करोड़ रु. कर दिया गया है (तालिका 5.30)। हालांकि 1105.68 करोड़ रु. में से 921.89 करोड़ रु. का ही वास्तविक व्यय हुआ जो परिव्यय का 83.4 प्रतिशत उपयोग दर्शाता है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्य की प्रमुख अजा/ अजजा कल्याण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अवलोकन तालिका प 5.29 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 5.30 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का अवलोकन**

(करोड़ रु.)

| मद | बजट (2013-14) | | | वास्तविक व्यय (2013-14) | बजट (2014-15) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योग | | योजना | गैर-योजना | योग |
| अजा एवं अजजा | 94.96 | 147.52 | 1042.48 | 904.78 (86.8) | 926.76 | 186.67 | 1113.43 |
| सचिवालय सेवाएं | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 2.44 (78.7) | 0.00 | 3.15 | 3.15 |
| पूंजीगत परिव्यय | 57.10 | 0.00 | 57.10 | 13.67 (23.9) | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
| सहकारी समितियों पर पूंजीगत परिव्यय | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 (33.3) | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| **योग** | **953.06** | **152.62** | **1105.68** | **921.89 (83.4)** | **978.16** | **191.82** | **1169.98** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आबंटन के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय को दर्शाते हैं।
स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

<u>महादलित</u>

राज्य सरकार ने अनसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ। राज्य

महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ। महादलितों के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त 'सहायता' नामक कॉल सेंटर का आरंभ किया गया है। अभी तक 46,394 कॉल प्राप्त हुए हैं।
- दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत 2013-14 तक 72.8 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- वर्ष 2013-14 में सामुदायिक भवन और वर्कशेड के लिए सभी जिलों में कुल 128.07 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना के तहत 2014-15 तक 65.1 करोड़ रु. के व्यय से 17.0 लाख परिवारों को रेडियो उपलब्ध कराए गए।
- राज्य सरकार महादलित समुदाय के सांस्कृतिक उत्थान के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सामुदायिक रेडियो स्टेशन' स्थापित करने पर विचार कर रही है। इन स्टेशनों द्वारा होने वाले प्रसारण भी इसी समुदाय के लोगों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

वर्ष 2010-11 तक महादलित कल्याण हेतु कुल आवंटन की लगभग शत-प्रतिशत राशि का उपयोग हुआ लेकिन अगले दो वर्षों के दौरान उपयोगिता प्रतिशत में गिरावट आई। हालांकि 2013-14 में आबंटन और व्यय, दोनो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए चार्ट में महादलित कल्याण हेतु धनराशि का आबंटन और व्यय दर्शाया गया है।

**चार्ट 5.6 : महादलितों के विकास के लिए बजट आबंटन**

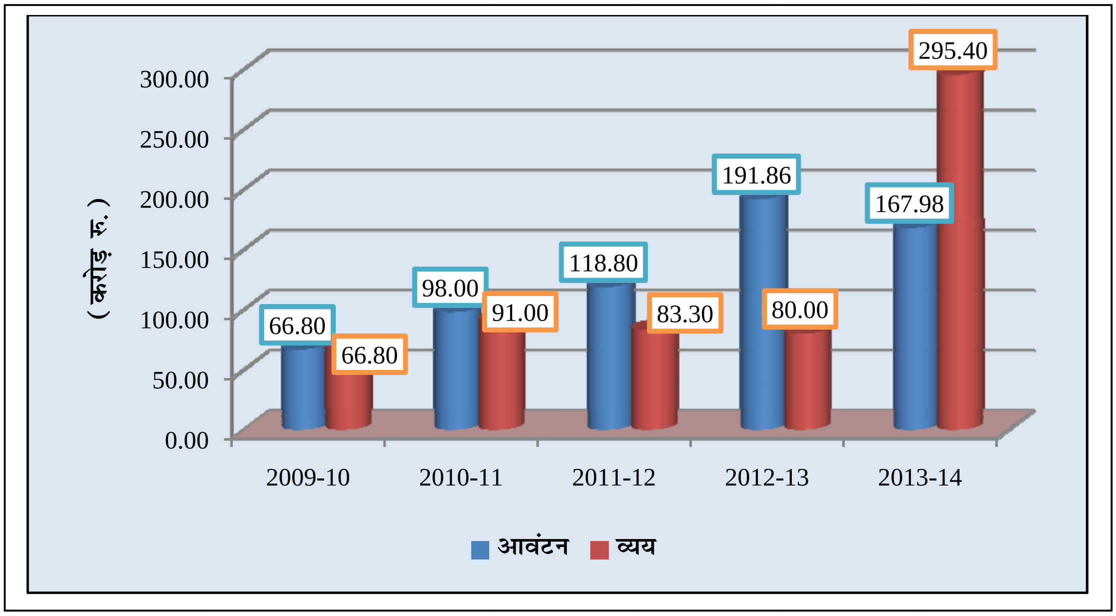

**राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)**

- **महिला समृद्धि योजना :** स्वरोजगार के जरिए सशक्तीकरण के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण के बतौर 20,000 रु. और सब्सिडी के बतौर 10,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज लगता है जिसे 36 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। योजना के तहत 2013-14 तक 247 महिला श्रमिकों को स्वरोजगार हेतु 74.10 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं।
- **सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना :** इस योजना के तहत ऋण और सब्सिडी की राशि महिला समृद्धि योजना जितनी ही रहती है लेकिन ब्याज 4 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से लगता है। ऋण 36 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। इस योजना के तहत 2013-14 में 517 लोगों को स्वरोजगार के लिए कुल 158.70 लाख रु. की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- **महिला अधिकारिता योजना :** इस योजना के तहत महिला सफाईकर्मियों को 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 40,000 रु. ऋण और 10,000 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। ऋण की वसूली 60 नियमित किश्तों में की जाती है। वर्ष 2013-14 में योजना के तहत 43 महिला सफाईकर्मियों को स्वरोजगार के लिए कुल 30.10 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं।
- **सावधि ऋण (50 हजार रु.) :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के जरिए सशक्तीकरण के लिए 40,000 रु. ऋण और 10,000 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस ऋण पर मात्र 6 प्रतिशत ब्याज लगता है जिसे 60 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। वर्ष 2013-14 में योजना के तहत 37 लोगों ने स्वरोजगार हेतु सहायता के बतौर 18.50 लाख रु. प्राप्त किए हैं।
- **सावधि ऋण (1.00 लाख रु.) :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वारोजगार के जरिए सशक्तीकरण के लिए 90,000 रु. ऋण और 10,000 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस ऋण पर मात्र 6 प्रतिशत ब्याज लगता है जिसे 60 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। वर्ष 2013-14 में 63 लोगों ने स्वरोजगार हेतु सहायता के बतौर 59.85 लाख रु. प्राप्त किए हैं।

अनुसूचित जाति के लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना की स्थापना 1978 में सहकारिता अधिनियम के तहत हुई थी। राज्य के 35 जिलों में निगम के जिला कार्यालय काम कर रहे हैं। वित्तवर्ष 2012-13 में निगम द्वारा दी गई 13.04 करोड़ रु. की ऋण राशि और सब्सिडी से 4,218 लोग लाभान्वित हुए हैं। विवरण तालिका 5.31 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.31 : बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि. की उपलब्धियां ( 2013-14 )**

(लाख रु.)

| योजना का नाम | लाभान्वितों की सं. | सावधि ऋण | बैंक ऋण | मार्जिन मनी | सब्सिडी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महिला समृद्धि योजना (NSFDC) | 13 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.90 |
| महिला समृद्धि योजना (NSKFDC) | 234 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 70.20 |
| लघु व्यापार योजना (NSFDC) | 10 | 3.80 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 5.00 |
| सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना (NSKFDC) | 517 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 51.70 | 158.70 |
| महिला अधिकारिता योजना (NSFKDC) | 43 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 30.10 |
| सावधि ऋण योजना (1.00 लाख रु. तक) (NSKFDC) | 63 | 49.80 | 0.00 | 3.75 | 6.30 | 59.85 |
| सावधि ऋण योजना (0.50 लाख रु. तक) (NSKFDC) | 37 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 18.50 |
| सब्सिडी योजना (बैंक के जरिए लागू) | 3301 | 0.00 | 627.91 | 0.00 | 330.10 | 958.01 |
| **योग** | **4218** | **250.60** | **627.91** | **3.95** | **421.80** | **1304.26** |

टिप्पणी : NSFDC – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

NSKFDC - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

<u>पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण</u>

राज्य सरकार ने 2007-08 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन इन समुदायों के समग्र विकास के लिए किया है। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वे जातियां/ समुदाय आते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित गया है। बिहार में 131 पिछड़ी जातियों का बिहार की आबादी में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। पिछड़ा और अतिपिछड़ा समुदाय के कल्याण हेतु वित्तीय प्रगति का सारांश तालिका 5.32 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.32 : पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति**

(करोड़ रु.)

| विवरण | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितं. 14 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल परिव्यय | 61.51 | 67.42 | 125.62 | 365.91 | 825.92 | 1375.79 | 1469.15 |
| कुल अनुमोदित राशि | 60.23 | 67.42 | 125.62 | 365.91 | 825.92 | 1193.10 | 1469.15 |
| कुल व्यय | 47.86 | 66.84 | 115.17 | 355.05 | 817.48 | 1193.10 | 342.39 |
| व्यय अनुमोदित राशि के प्रतिशत में | 79.5 | 99.1 | 91.7 | 97.0 | 99.0 | 86.7 | 23.3 |
| व्यय कुल परिव्यय के प्रतिशत में | 77.8 | 99.1 | 91.7 | 97.0 | 99.0 | 86.7 | 23.3 |

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, महविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावृत्ति योजना के तहत 2013-14 में 35 हजार विद्यार्थियों के बीच 35.00 करोड़ रु. वितरित किए गए और 2014-15 के लिए 40.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

- वर्ष 2013-14 में पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 36 हजार विद्यार्थियों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति दी गई।
- वर्ष 2014-15 में पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग के 1 करोड़ विद्यार्थियों के आच्छादन के लिए 1030.70 करोड़ रु. जिलों को आबंटित कर दिए गए हैं। इस आबंटन में से 184.46 करोड़ रु. अगस्त 2014 तक खर्च किए जा चुके थे।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के तहत 9.35 करोड़ रु. के व्यय से 4 जिलों में छात्रावासों का निर्माण पूरा हो गया है। वर्ष 2014-15 में 5 करोड़ रु. के व्यय से 3 नए छात्रावासों के निर्माण की योजना है।
- उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पोशाकों, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्रियों तथा आवासीय सुविधाओं की मुफ्त व्यवस्था के तहत 2013-14 में 5.85 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं जिससे 3,080 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2014-15 के लिए 7.25 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में तकनीकी शिक्षा प्राप्ति हेतु 1550 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 30 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समुदाय के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आबंटन के भौतिक और वित्तीय विवरण तालिका 5.33 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 5.33 : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण**

| | लाभान्वितों की संख्या | वित्तीय आबंटन (लाख रु.) | लाभान्वितों की संख्या | वित्तीय आबंटन (लाख रु.) | लाभान्वितों की संख्या | वित्तीय आबंटन (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों को वजीफे | | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति | | 12 अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय | |
| 2009-10 | 296315 | 2200.00 | 75483 | 2522.55 | 2400 | 300.00 |
| 2010-11 | 312630 | 2400.00 | 86210 | 4000.00 | 2440 | 512.00 |
| 2011-12 | 323313 | 2516.66 | 126938 | 15206.88 | 3080 | 485.00 |
| 2012-13 | 4300000 | 58696.46 | 225000 | 24628.17 | 800 | 100.00 |
| 2013-14 | 9800000 | 116823.53 | 36368 | 5814.95 | 2019 | 584.80 |
| | मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना | | तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए वजीफे | | अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों का निर्माण | |
| 2009-10 | 9000 | 900.00 | 830 | 17.40 | निर्माणाधीन | 1791.27 |
| 2010-11 | 46943 | 4694.34 | 830 | 17.40 | | 1073.77 |
| 2011-12 | 53000 | 5300.00 | 850 | 17.40 | | 160.44 |
| 2012-13 | 42000 | 4200.00 | 1650 | 30.00 | | 187.00 |
| 2013-14 | 35000 | 3500.00 | 1500 | 30.00 | | 935.00 |

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

## अल्पसंख्यक कल्याण

भारत का संविधान नागरिकों की समानता के प्रति कृतसंकल्प है और भाषाई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 16.77 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.53 प्रतिशत मुसलमान, 0.03 प्रतिशत ईसाई तथा 0.21 प्रतिशत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा किशनगंज में 67.6 प्रतिशत, कटिहार में 42.5 प्रतिशत, अररिया में 41.1 प्रतिशत और पूर्णिया में 36.8 प्रतिशत है। ईसाइयों का सर्वाधिक हिस्सा भी किशनगंज और कटिहार जिलों में ही है। अल्पसंख्यकों के कल्याण की रक्षा के लिए 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में विभाग के निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं :

- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2013-14 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले 29,498 अल्पसंख्यक विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- परित्यक्ता मुसलमान महिला सहायता कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के लिए हर महिला को 10 हजार रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2013-14 तक इस योजना के तहत 10,607 महिलाओं को कुल 10,6 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की गई है।
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में छात्रावास निर्माण की योजना के तहत 28 छात्रावास बन चुके हैं जिनमें पटना स्थित मदर टेरेसा बालिका छात्रावास भी शामिल है।
- राज्य कोचिंग कार्यक्रम के तहत मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय को नोडल अभिकरण नियुक्त किया गया है। मई 2014 में बिहार अग्निशमन सेवा की परीक्षा में भाग लेने के लिए 74 विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया है। 50 विद्यार्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा में भाग लेने के लिए भी कोचिंग कराया गया।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु मेधा-सह-आय आधारित छात्रवृत्ति के तहत 2013-14 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 4,363 नए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और 3609 विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों का नवीकरण करने के लिए 17.89 करोड़ रु. वितरित किए गए।
- वर्ष 2014 तक 13.11 करोड़ रु. के व्यय से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 34,485 विद्यार्थियों को और 4.22 करोड़ रु. के व्यय से पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति के तहत 65,663 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत 20 जिलों के अल्पसंख्यक बहुल 75 प्रखंडों और 8 शहरों को आच्छादित किया गया है। इस योजना के तहत 419.17 करोड़ रु. का कुल अनंतिम परिव्यय स्वीकृत कियाा गया है।
- बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए वार्षिक सहायता 23 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु., बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख रु. से 20 लाख रु., बिहार राज्य हज समिति के लिए 10 लाख से 40 लाख रु. और बिहार अंजुमन तरक्की-ए-ऊर्दू के लिए 4 लाख रु. से 8 लाख रु. कर दी गई है।

- वर्ष 2013-14 तक मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना के तहत 3,769 बेरोजगार युवा-युवतियों के बीच 37.54 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।
- वर्ष 2013-14 तक मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना के तहत 526 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कुल 4.29 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

चार्ट 5.7 में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु योजना शीर्ष के तहत व्यय दर्शाया गया है। व्यय में 2007-08 से बढ़त का रुझान है हालांकि 2010-11 और 2011-12 में यह उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर पर था।

**चार्ट 5.7 : अल्पसंख्यक कल्याण पर योजना व्यय**

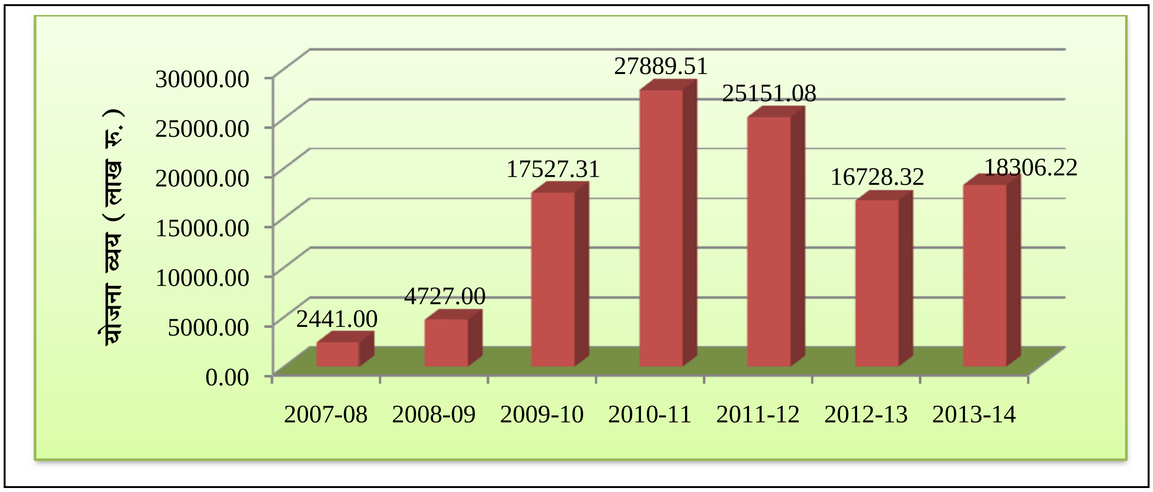


**5.6 नारी सशक्तीकरण**

जेंडर को विकास की मुख्य धारा में लाने की सिद्धांत मांग है कि लैंगिक मामले को अलग और अतिरिक्त मामला बनाने के बजाय इसका अभिन्न अंग बनाया जाय। यह मानते हुए कि इस दृष्टिकोण को हर उम्र समूह के लिए और घर से लेकर कार्यस्थल तक समाज के सभी स्तरों पर अपनाया जाता है, वर्तमान खंड में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जहां लैंगिक आयाम विशेष ध्यान देने की बात है। उदाहरणस्वरूप, बिहार में लिंग अनुपात का 2001 के 919 से गिरकर 2011 में 918 रह जाना राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है।

सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता से राज्य सरकार अब प्रत्यक्षतः-अप्रत्यक्षतः निपट रही है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास के लाभ में महिलाओं को बराबर हिस्सा मिले और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए लक्षित कार्यक्रमों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाय। चूंकि लैंगिक समानता और नारी सशक्तीकरण राज्य सरकार का महवपूर्ण एजेंडा है इसलिए यह 2008-09 से जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के जेंडर बजट का संक्षिप्त अवलोकन तालिका 5.34 में प्रस्तुत है। तालिका से पता चलता है कि 2014-15 में महिला विकास हेतु कुल परिव्यय एक वर्ष पूर्व की तुलना में 29.0 प्रतिशत बढ़ा है। श्रेणी-1 की योजनाओं में यह वृद्धि और भी अधिक (43.1 प्रतिशत) है।

### तालिका 5.34 : जेंडर बजट का अवलोकन

(करोड़ रु.)

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी) | 2740.20 | 3920.05 | 43.06 |
| महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी) | 7007.98 | 8658.27 | 23.55 |
| महिलाओं के लिए कुल परिव्यय | 9748.18 | 12578.32 | 29.03 |
| संबंधित विभागों के लिए कुल परिव्यय | 19003.48 | 23330.73 | 22.77 |
| संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला हेतु परिव्यय का प्रतिशत | 51.30 | 53.91 | - |
| राज्य बजट का कुल आकार | 81154.19 | 116886.17 | 44.03 |
| राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%) | 12.01 | 10.76 | - |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 343053.98 | 383709.00 | 11.85 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%) | 2.84 | 3.28 | 15.36 |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.35 में आंकड़े विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट संबंधी मदों को दर्शाते हैं। यहां भी नजर आता है कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2, दोनो प्रकार की योजनाओं में 2013-14 की अपेक्षा 2014-15 के परिव्यय में काफी वृद्धि हुई है। तालिका से यह भी पता चलता है कि समाज कल्याण और शिक्षा दो प्रमुख विभाग हैं जिनके जरिए महिला उन्मुख कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

### तालिका 5.35 : जेंडर बजट का अवलोकन

(करोड़ रु.)

| विभाग का नाम | 2013-14 | | | 2014-15 (ब.अ.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल बजट परिव्यय | श्रेणी-1 का परिव्यय | श्रेणी-2 का परिव्यय | कुल बजट परिव्यय | श्रेणी-1 का परिव्यय | श्रेणी-2 का परिव्यय |
| समाज कल्याण | 3856.85 | 715.68 | 1552.98 | 2841.18 | 412.83 | 1646.30 |
| अजा एवं अजजा कल्याण | 975.83 | 0.00 | 301.15 | 1009.03 | 0.00 | 301.21 |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | 480.63 | 0.00 | 144.19 | 641.11 | 0.00 | 192.33 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 195.10 | 2.00 | 57.93 | 40.10 | 2.00 | 11.43 |
| शिक्षा | 9438.91 | 327.97 | 4172.86 | 12117.62 | 540.47 | 5371.01 |
| स्वास्थ्य | 468.69 | 418.02 | 20.19 | 441.28 | 441.28 | 0.00 |
| ग्रामीण विकास | 1388.55 | 1077.05 | 109.40 | 2842.40 | 2492.40 | 105.00 |
| नगर विकास एवं आवास | 251.60 | 0.00 | 75.80 | 5.79 | 0.00 | 2.70 |
| पंचायती राज | 175.45 | 0.00 | 87.73 | 98.57 | 0.00 | 49.29 |
| श्रम संसाधन | 4.22 | 0.70 | 1.06 | 8.15 | 3.20 | 1.49 |
| योजना एवं विकास | 554.04 | 0.00 | 166.21 | 700.00 | 0.00 | 210.00 |
| पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण | 858.19 | 8.37 | 268.74 | 1463.41 | 8.26 | 436.55 |
| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| कला, संस्कृति एवं युवा कार्य | 19.31 | 0.00 | 5.79 | 30.43 | 0.00 | 9.13 |
| उद्योग | 63.20 | 0.00 | 18.96 | 78.95 | 0.00 | 23.69 |
| वित्त | 159.91 | 159.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि | 82.00 | 0.00 | 24.60 | 992.63 | 0.00 | 297.79 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 0.49 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | 0.00 | 0.37 |
| **योग** | **19003.48** | **2740.20** | **7007.98** | **23330.73** | **3920.05** | **8658.27** |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 5.36 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं**

(करोड़ रु.)

| योजना | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 85.92 | 106.43 | 149.60 | 144.63 | 96.00 |
| नारी शक्ति योजना | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 10.20 | 1.20 |
| मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | 70.00 | 88.49 | 82.43 | 115.20 | 50.40 |
| मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना | 105.41 | 100.00 | 6.56 | 60.00 | 12.00 |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक भेदभाव से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों को दो मुख्य शीर्षों के तहत समेटा जा सकता है : बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना तथा नारी शक्ति योजना) (तालिका 5.36)। लिंग अनुपात बढ़ाने के लिहाज से कन्या भ्रूण हत्या रोकने और जन्म के निबंधन को बढ़ावा देने के मकसद से 2007 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 22 नवंबर, 2007 के बाद जन्म लेने वाली बीपीएल परिवार की हर लड़की के जन्म पर राज्य सरकार 2,000 रु. का अंशदान करती है। इस योजना का लाभ प्रति परिवार दो लड़कियों तक ही सीमित है। वर्ष 2013-14 में 14.8 लाख लाभार्थियों ने यह सुविधा प्राप्त की है।

<u>आर्थिक सशक्तीकरण</u>

- वर्ष 2013-14 तक नारी विकास निगम ने 66,912 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया था और उनके बीच 57.55 करोड़ रु. ऋण का वितरण किया था।

- आरंभिक पूंजीकरण कोष मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2013-14 तक 14,473 स्वयं सहायता समूहों के बीच ऋण के बतौर 405.14 करोड़ रु. का वितरण किया गया है।

- महिला विकास निगम इस समय गरीब समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस योजना के तहत चुने गए प्रत्याशियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा घर की देखभाल, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर संचालन और बिक्री प्रबंधन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

- वर्ष 2013-14 तक 18 जिलों के 66 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस प्रक्रिया के जरिए 376 ग्राम संगठन बनाए जा चुके हैं।

- समाज में अपनी कमजोर हैसियत से ऊपर उठने के लिए महिलाओं और लड़कियों को किसी आइटीआइ/ पॉलिटेकनीक से डिप्लोमा पाठ्यक्रम या सचिवीय व्यवहार (सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस) सहित अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद की जाती है। वित्तीय सहायता शुल्कों, छात्रवृत्तियों और छात्रावास शुल्कों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। विधवाओं और विकलांगों को तरजीह दी जाती है। यह उन महिलाओं पर भी लागू होता है जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रु. से अधिक नहीं हो या जो अल्पावास गृहों, अनाथालयों और किशोर केंद्रों में रह रही हों।

- परिसंपत्ति निर्माण एवं जीविका कार्यक्रम के तहत महिला संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों या उनके संघों द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इससे स्वामित्व की

भावना विकसित होती है और महिलाओं की सामाजिक हैसियत बढ़ती है। इस कार्यक्रम के तहत किफायती सैनिटरी नैपकिन उत्पादन और उनका वितरण जैसी गतिविधियों, दुग्ध उत्पादन और कृषि केंद्रों में हस्तक्षेप तथा समुदाय आधारित खुदरा उद्यमों आदि पर ध्यान दिया जाता है।

<u>सामाजिक सशक्तीकरण</u>

- इस समय 36 जिलों में हेल्पलाइन काम कर रही है और शेष 2 जिलों में भी यह जल्द ही काम करने लगेगी।
- किसी प्रकार के शोषण-उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए के 17 जिलों में अल्पावास गृह स्थापित किए गए हैं। मुख्य जोर ऐसी महिलाओं को उनके परिवार के साथ फिर से जोड़ने पर है।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना ने उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए 50 शय्याओं वाले पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। केंद्र लाभार्थियों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और चिकित्सीय सुझाव तथा चिकित्सा भी उपलब्ध कराएंगे।
- पटना और गया, दो जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल स्थापित किए गए हैं।
- महिला विकास निगम के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम दहेज प्रथा, बाल विवाह, डायन, कार्यस्थलों पर यौन-उत्पीड़न आदि सामाजिक बुराइयों से निपटने की दिशा में लक्षित हैं। अभियान के माध्यम के बतौर लोक माध्यम, वृत्त चित्र, पोस्टर और बैनर का उपयोग किया जाता है।
- महिला विकास निगम ने प्रतिकूल परिस्थितियों की शिकार महिलाओं और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सहायता कोष गठित करने का प्रावधान किया है। मानव व्यापार, घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि की शिकार महिलाओं के लिए जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी इकाइयों के बीच 95.10 लाख रु. वितरित किए गए हैं।

तालिका 5.37 दर्शाती है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए। गौरतलब है कि वर्ष 2013-14 में लगभग 76 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया।

**तालिका 5.37 : सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या**

| मामलों के प्रकार | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 (सितंबर तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | निष्पादित | दर्ज | निष्पादित | दर्ज | निष्पादित |
| घरेलू हिंसा | 3052 | 2192 (71.8) | 3486 | 2654 (76.13) | 2236 | 1622 (72.54) |
| दहेज उत्पीड़न | 623 | 452 (72.6) | 735 | 508 (69.12) | 371 | 352 (94.88) |
| दहेज हत्या | 14 | 14 (100.0) | 25 | 17 (68.00) | 14 | 10 (71.43) |
| दूसरा विवाह | 172 | 121 (70.3) | 153 | 122 (79.74) | 76 | 18 (23.68) |
| परिसंपत्ति संबंधी | 260 | 206 (79.2) | 232 | 169 (72.84) | 78 | 75 (96.15) |
| बलात्कार और ट्रैफिकिंग के मामले | 85 | 85 (100.0) | 99 | 65 (65.66) | 53 | 67 (126.42) |
| कार्यालय और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न | 44 | 39 (88.6) | 132 | 94 (71.21) | 68 | 19 (27.94) |
| अन्य | 1371 | 1049 (76.5) | 1692 | 1353 (79.96) | 1005 | 755 (75.12) |
| कुल मामले | 5621 | 4162 (74.0) | 6554 | 4982 (76.01) | 3901 | 2918 (74.8) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

सांस्कृतिक विकास के बिना सशक्तीकरण अधूरा रहता है। अत: महिला विकास निगम राज्य की महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तीकरण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर साल राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिला विकास निगम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मेले, नृत्य, लोकगीत, नाटक आदि अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में सहयोग देता है। उस दिन प्रभातफेरियां भी निकाली जाती हैं।

## 5.7 ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण संबंधी अन्य कार्यक्रम

कमजोर तबकों और महिलाओं के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रमों के अलावा राज्य सरकार पांच अन्य कल्याण कार्यक्रम चलाती है जिनमें से तीन रोजगार और जीविका, एक आवास और एक खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। इन कल्याण कार्यक्रमों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके 1999 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को संगठित करना और उनका व्यवस्थित रूप से क्षमता निर्माण करना है ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए के जरिए आयवर्धक परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सहायता पाने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। योजना को 2013-14 में बंद कर दिया गया लेकिन 2008-09 से 2012-13 तक ग्रामीण रोजगार में इसका महत्वपूर्ण योगदान तालिका 5.38 से स्पष्ट है।

कार्यक्रम का आच्छादन 2010-11 में सर्वाधिक था जब 1.84 स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान की गई थी जिनमें महिलाओं का हिस्सा 65.6 प्रतिशत था। उसी वर्ष 15.4 हजार व्यक्तियों को भी स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की गई थी जिनमें से 25.6 प्रतिशत महिलाएं थीं। अन्य वर्षों में भी कार्यक्रम को काफी सफलता मिली और महिला लाभान्वितों का हिस्सा बढ़ता गया।

**तालिका 5.38 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रदर्शन**

| वर्ष | आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता-प्राप्त स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सं. | | आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं. | | गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की सं. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योग | महिलाएं | योग | महिलाएं | योग | महिलाएं |
| 2008-09 | 120402 | 69949 (58.1) | 4976 | 1281 (25.7) | 20407 | 11791 (57.8) |
| 2009-10 | 158061 | 98695 (62.4) | 6090 | 1266 (20.8) | 30701 | 19073 (62.1) |
| 2010-11 | 184225 | 120901 (65.6) | 15398 | 3937 (25.6) | 31453 | 28576 (90.9) |
| 2011-12 | 127567 | 91836 (72.0) | 8698 | 2122 (24.4) | 12017 | 9297 (77.4) |
| 2012-13 | 178900 | 165600 (92.6) | 7685 | 6143 (79.9) | 25531 | 25531 (100.0) |
| 2013-14 | योजना बंद | | | | | |

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 5.8 : बिहार में नए स्वयं सहायता समूहों के गठन का अवलोकन**

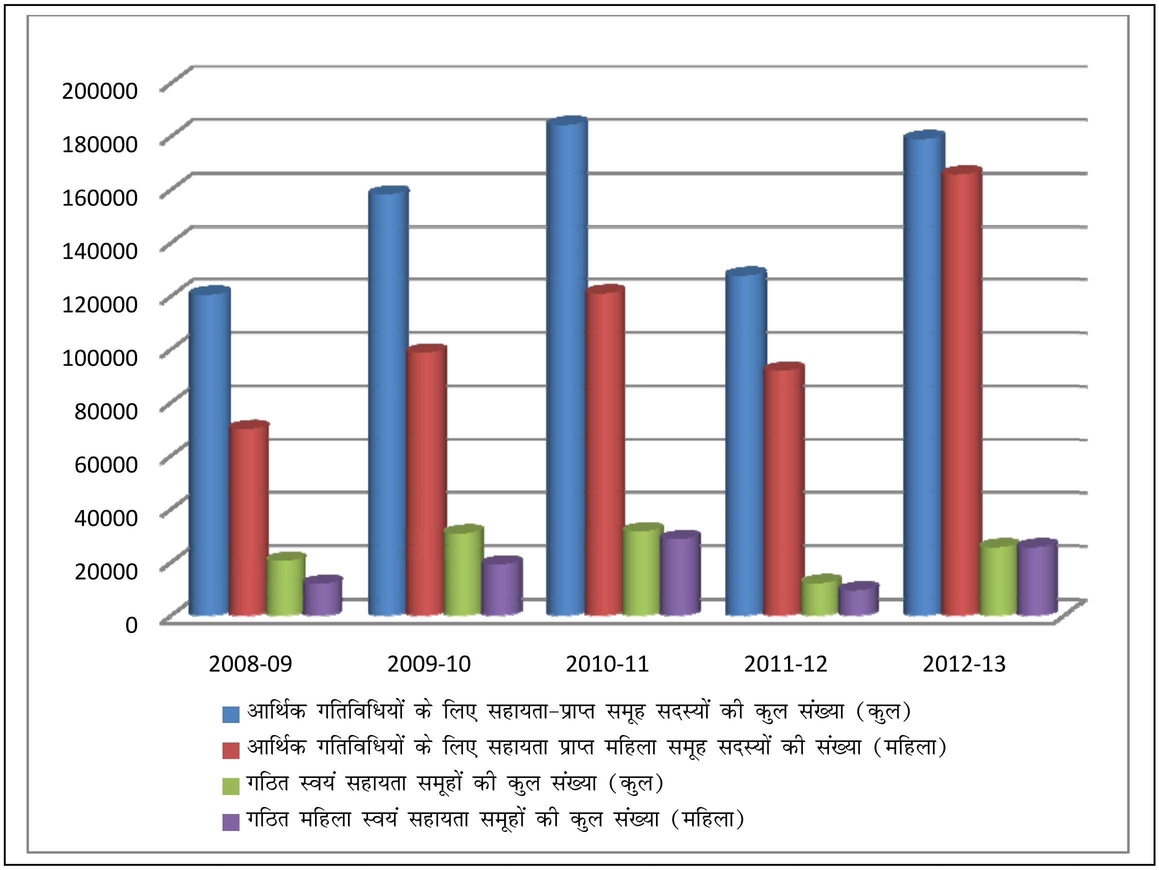


<u>जीविका – राज्य ग्रामीण जीविका मिशन</u>

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन का शुभारंभ किया है जो 1 अप्रील 2011 से प्रभावी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल-अर्धकुशल मजदूरों को सामुदायिक समूहों में सगठित करके उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के समग्र ढांचे के तहत राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के बतौर काम कर रही है। यह गरीबी निवारण के जीविका मॉडल को चरणबद्ध ढंग से पूरे राज्य में लागू करेगी। यह कार्यक्रम 2014 से सभी प्रखंडों में कार्यशील होगा। समग्रतः 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65 हजार ग्राम संगठनों, 1,600 संकुल स्तरीय संघों (सीएलएफ) और 534 प्रखंड स्तरीय संघों में संगठित किया जाएगा। लगभग 3 लाख सामुदायिक पेशावरों (प्रोफेशनल) और 75 हजार सामुदायिक साधनसेवियों (सीआरपी) को चिन्हित और प्रशिक्षित किया जाएगा। सोचा गया है कि परिवार कुल मिलाकर लगभग 3,100 करोड़ रु. की बचत करेंगे, और 5,800 करोड़ समुदाय स्तरीय कोष तथा बैंकों से 12,000 करोड़ रु. ऋण प्राप्त करेंगे।

**जीविका की प्रमुख उपलब्धियां**

- अभी जीविका की उपस्थिति 38 जिलों के 534 प्रखंडों में है।
- 31 लाख गरीब परिवारों को 2.66 लाख स्वयं सहायता समूहों, 11,750 ग्राम संगठनों और 178 संकुल स्तरीय संघों में संगठित किया गया है।
- 1,71,726 बैंक खाते खोले गए हैं और 99,959 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित किया गया है। 3 लाख परिवार जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित हुए हैं।
- स्वयं सहायता समूह अब अपने 62 करोड़ रु. के कोष का प्रबंधन करते हैं और उन्होंने व्यावसायिक बैंकों से 560 करोड़ रु. उठाए हैं।
- कुल 11,750 ग्राम संगठनों में से 6765 खाद्य सुरक्षा कोष संबंधी हस्तक्षेप और स्वास्थ्य जोखिम कोष संबंधी हस्तक्षेप का प्रबंधन कर रहे हैं जिसकी कुल रकम 139.73 करोड़ रु. है।
- 5.73 लाख से भी अधिक किसानों ने चावल/ गेहूं की श्री विधि जैसी आधुनिकी कृषि तकनीकों को अपनाया है। इससे उन्हें उत्पादकता दूनी करने में मदद मिली है।
- 26,287 दुग्ध उत्पादकों को गोलबंद करके 500 नई दुग्ध सहयोग समितियों का गठन किया गया है।
- 42,893 युवा-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है और 35,029 को संगठित क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है। कोई 44 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं और 2,696 युवा-युवतियों को उन केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

<u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)</u>

मनरेगा को बिहार और भारत में व्यापक रूप से व्याप्त ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए तैयार किया गया है। बिहार में इस समस्या की मौजूदगी का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में असमान भूमि वितरण है जिसके चलते कृषि श्रमिकों और सीमांत किसानों को जीविका के लिए अतिरिक्त रोजगार की जरूरत पड़ती है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही, यह योजना ग्रामीण समाज के लाभ के लिहाज से सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी विकसित की गई है। इससे आपदाजनित प्रवास में कमी आने आने की आशा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुगुणक प्रभाव होगा।

कार्यक्रम के प्रदर्शन के विवरण तालिका 5.39 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2013-14 तक कुल 131.87 लाख परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए हैं और 15.6 प्रतिशत कार्डधारियों को इस वर्ष में रोजगार मिले। वर्ष 2013-14 में रोजगार पाने वाले कार्डधारियों में 6.0 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार मिला जबकि 2012-13 में यह आंकड़ा 6.3 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ जो विगत वर्षों के आंकड़ों से बहुत अधिक है। वर्ष 2013-14 में कुल 862.21 लाख

व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुआ जबकि 2012-13 में यह आंकड़ा 965.42 लाख व्यक्ति-दिवस था। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए वर्ष 2013-14 तक 110.98 लाख बैंक तथा डाकघर खाते खोले गए हैं।

**तालिका 5.39 : मनरेगा का प्रदर्शन**

| वर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| जारी जॉबकार्ड की संख्या (लाख) | 124.06 | 130.45 | 133.82 | 133.49 | 131.87 |
| रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख) | 41.27 (33.3) | 46.85 (35.9) | 26.80 (20.1) | 24.66 (18.5) | 20.59 (15.6) |
| 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या | 287019 (7.0) | 260919 (5.6) | 137649 (5.1) | 156935 (6.3) | 123447 (6.0) |
| रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस) | 1137.53 | 1597.49 | 866.38 | 965.412 | 862.21 |
| कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा | 30.0 | 29.6 | 28.20 | 29.94 | 34.97 |
| प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस) | 27.6 | 34.1 | 32.3 | 39.15 | 41.88 |
| पूरे हुए कार्यों की संख्या | 70491 | 83593 | 54589 | 64846 | 104832 |
| धनराशि का उपयोग (प्रतिशत) | 75.8 | 82.7 | 65.02 | 82.90 | 81.75 |
| खुले खातों की संख्या (लाख) | 84.91 | 102.57 | 107.55 | 110.70 | 110.98 |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल जारी जॉबकार्ड के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

**आरेख 5.9 : बिहार में मनरेगा के तहत परिवारों को उपलब्ध रोजगार का अवलोकन**

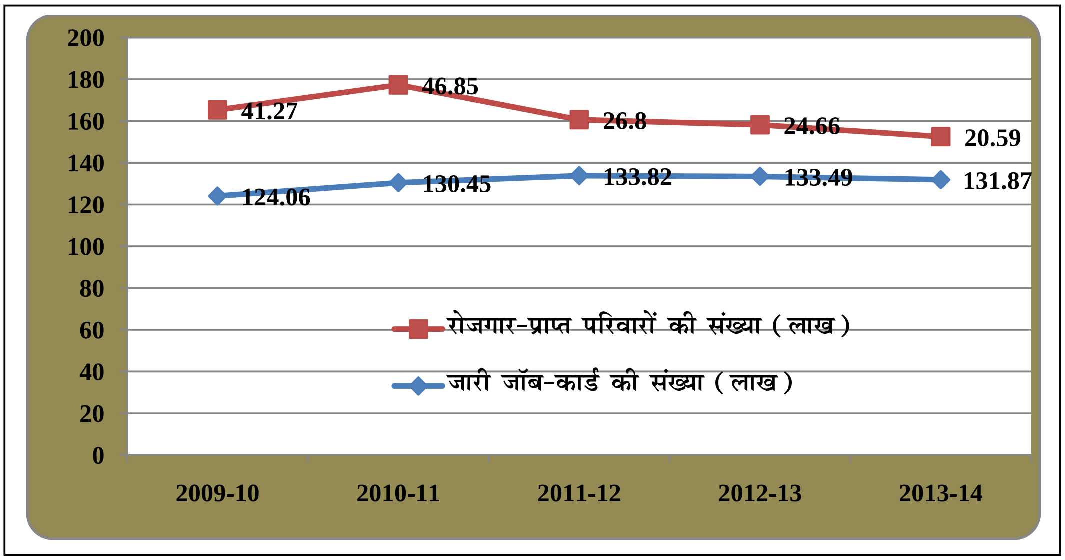


मनरेगा के क्रियान्वयन के जिलावार विवरण तालिका प 5.30 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका में मनरेगा के प्रदर्शन में विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर देखा जा सकता है। वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक 6.5 लाख जॉबकार्ड मुजफ्फरपुर में जारी किए गए थे और उसके बाद 6.23 लाख पूर्व चंपारण में और 5.98 लाख गया में। एक लाख से कम जॉबकार्ड छोटे जिलों - शिवहर (0.87 लाख), शेखपुरा (0.96 लाख) और अरवल

(0.96 लाख) में जारी किए गए थे। जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 33.5 प्रतिशत था। रोजगार मांगने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक गया में था (66.0 प्रतिशत) और उसके बाद समस्तीपुर में (49.5 प्रतिशत)। इस श्रेणी में किशनगंज जिला सबसे पीछे (12.5 प्रतिशत) था। रोजगार मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में औरंगाबाद (9.5 प्रतिशत) पहले स्थान पर रहा और उसके बाद नालंदा (9.5 प्रतिशत) और मधेपुरा (9.4 प्रतिशत)। वर्ष 2013-14 में मनरेगा में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी शिवहर (63.3 प्रतिशत), बेगूसराय (56.9 प्रतिशत) और सहरसा (47.2 प्रतिशत) में हुई जिनमें से प्रत्येक में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज हुई। वहीं, 20 प्रतिशत से भी कम महिलाओं की भागीदारी बक्सर (18.5 प्रतिशत), रोहतास (19.6 प्रतिशत) और कैमूर (19.5 प्रतिशत) में हुई। वर्ष 2013-14 में सृजित कुल रोजगार के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर है। इस मामले में सर्वोत्तम जिला गया (73.75 लाख) है और उसके बाद पूर्व चंपारण (40.99 लाख) और पश्चिम चंपारण (39.44 प्रतिशत)। वर्ष 2013-14 में सबसे कम रोजगार सृजन वाले दो जिले मुंगेर (3.74 लाख) और अरवल (4.95 लाख) हैं। मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति तालिका प 5.31 (परिशिष्ट) में दर्शाई गई है। वर्ष 2013-14 में धनराशि के उपयोग के मामले में सर्वोत्तम जिला भागलपुर (101.5 प्रतिशत) है। जमुई (96.9 प्रतिशत), बांका (95.8 प्रतिशत) और बक्सर (95.8 प्रतिशत) में भी मनरेगा के तहत 95 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ।

तालिका 5.40 में मनरेगा के तहत 2009-10 से 2013-14 तक पूरे किए गए कार्यों को श्रेणीवार सूचीबद्ध किया गया है। इस अवधि में ग्रामीण पथसंपर्क और सूखा-अवरोधन परियोजनाओं का वर्चस्व रहा है जिनका कुल परियोजनाओं में क्रमशः 27.3 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत के लगभग हिस्सा था। तीसरी प्रमुख श्रेणी जल संरक्षण है। तीनों प्रकार की परियोजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए जीविका उपार्जन के विकल्पों का विस्तार करते हुए ग्रामीण अधिसंरचना के विकास में मददगार हैं।

**तालिका 5.40 : मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची**

| वर्ष/ श्रेणी | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| जल संरक्षण | 8637 (12.3) | 11424 (13.7) | 6059 (11.1) | 7009 (10.8) | 6879 (6.56) |
| सूखा अवरोधन | 6601 (9.4) | 6609 (7.9) | 5360 (9.8) | 16246 (25.1) | 29121 (27.78) |
| सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य | 6552 (9.3) | 7368 (8.8) | 4605 (8.4) | 4335 (6.7) | 5618 (5.36) |
| सिंचाई सुविधा का प्रावधान | 1489 (2.1) | 1841 (2.2) | 1902 (3.5) | 1813 (2.8) | 3210 (3.06) |
| पारंपरिक जलनिकायों का जीर्णोद्धार | 7593 (10.8) | 7650 (9.1) | 5065 (9.3) | 6828 (10.5) | 2428 (2.32) |
| भूमि विकास | 2575 (3.7) | 4674 (5.6) | 3229 (5.9) | 4090 (6.3) | 7654 (7.30) |
| बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव | 5175 (7.3) | 5072 (6.1) | 2554 (4.7) | 2265 (3.5) | 1318 (1.26) |
| ग्रामीण संपर्क पथ | 31869 (45.2) | 38955 (46.6) | 25521 (46.8) | 22056 (34.0) | 28631 (27.31) |
| कोई अन्य गतिविधि | 0 (0.0 | 0 (0.0) | 294 (0.5) | 204 (0.3) | 19973 (19.05) |
| पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या | 70491 (100.0) | 83593 (100.0) | 54589 (100.0) | 64846 (100.0) | 104832 (100) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े पूरा हुए कुल कार्यों में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

## इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका आरंभ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे स्थित परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन के जरिए आश्रय देने के लिए किया गया था। यह योजना ग्रामीण लोगों के लिए बुनियादी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कदम है। विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के प्रदर्शन का सारांश तालिका 5.41 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.41 : इंदिरा आवास योजना का प्रदर्शन**

| वर्ष | वार्षिक भौतिक लक्ष्य | आवासों का निर्माण पूरा | | धनराशि उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| | | योग | अजा एवं अजजा | |
| 2009-10 | 1098001 | 645621 (58.8) | 335675 (52.0) | 69.5 |
| 2010-11 | 758904 | 529392 (69.8) | 259867 (49.1) | 66.4 |
| 2011-12 | 737486 | 450248 (61.1) | 200393 (44.5) | 68.0 |
| 2012-13 | 835925 | 839515 (100.4) | 372409 (44.3) | 75.9 |
| 2013-14 | 605550 | 695462 (114.9) | 312388 (44.9) | 66.4 |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती कॉलम के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

वर्ष 2012-13 और 2013-14, दोनो ही में इंदिरा आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत से भी अधिक भौतिक लक्ष्य हासिल हुआ जबकि विगत वर्षों में काफी कम उपलब्धि हासिल हुई थी। पूरा हुए कुल मकानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से में साल दर साल गिरावट आती गई है लेकिन यह अभी भी 40 प्रतिशत से अधिक है। इंदिरा आवास योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका प 5.32 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है जिसमें इसके सारे घटकों की उपलब्धि दर्ज है।

## जन वितरण प्रणाली

गरीबी हटाने की प्रमुख लक्ष्य समूह आधारित रणनीति जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) लोगों को, खास कर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का साधन है। बिहार जैसे राज्य में यह अत्यंत जरूरी है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है। जनवितरण प्रणाली की दूकानों के जरिए चार आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी और किरासन तेल) का वितरण किया जाता है।

जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का सारांश तालिका 5.42 में प्रस्तुत है। सितंबर 2014 में दूकानदारों की कुल संख्या 42,451 थी। दूकानदारों में पिछड़ी और अतिपिछड़ी जाति का लगभग 36.5 प्रतिशत हिस्सा है। अनुसूचित जाति के दूकानदारों का हिस्सा 16.2 प्रतिशत है और सामान्य श्रेणी के

दूकानदारों का 19.5 प्रतिशत। विभिन्न जिलों में सामजिक श्रेणी के अनुसार जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों का वितरण तालिका प 5.33 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। जिला स्तर पर दूकानों के स्वामित्व का पैटर्न पर लगभग राज्य जैसा ही है।

**तालिका 5.42 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दूकानदारों का अवलोकन ( सितंबर 2014 में )**

| दूकानदारों की सार्वजनिक पृष्ठभूमि | दूकानों की संख्या | प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 6857 | 16.2 |
| अनुसूचित जनजाति | 323 | 0.8 |
| पिछड़ी जाति | 12445 | 29.3 |
| अति पिछड़ी जाति | 3068 | 7.2 |
| अल्पसंख्यक | 3036 | 7.2 |
| महिला | 3387 | 8.0 |
| महिला स्वयं सहायता समूह | 202 | 0.5 |
| अन्य स्वयं सहायता समूह | 118 | 0.3 |
| सहकारी समिति (पूर्व सैनिक) | 4579 | 10.8 |
| विकलांग | 177 | 0.4 |
| सामान्य | 8259 | 19.5 |
| **योग** | **42451** | **100.0** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2012-13 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन तीन कार्यक्रमों के तहत होता था - (1) बीपीएल, (2) अंत्योदय और (3) अन्नपूर्णा। लेकिन फरवरी 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन तीन कार्यक्रमों के तहत होता है : (1) अंत्योदय - जिसमें अत्यंत गरीब बीपीएल परिवारों को हर महीने 35 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है (3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 21 कि.ग्रा. चावल और 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 14 कि.ग्रा. गेहूं) तथा (2) विशेषाधिकार परिवार - जिसके तहत किसी परिवार के पात्र सदस्यों को हर महीने 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिसमें 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 3 कि.ग्रा. चावल और 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 2 कि.ग्रा. गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। इनके तहत कुल 46.00 लाख टन खाद्यान्न के जरिए 871.00 लाख लोग आच्छादित हैं।

बिहार में जन वितरण प्रणाली का 2010-11 से 2013-14 तक के कामकाज का ब्योरा तालिका 5.43 में प्रस्तुत है। यह दर्शाता है कि बीपीएल योजना के तहत खाद्यान्नों का उठाव साल दर साल बढ़ा है। वर्ष 2012-13 में गेहूं का उठाव मात्र 34.9 प्रतिशत था जबकि 2013-14 में उससे काफी अधिक 94.8 प्रतिशत। वर्ष 2013-14 में बीपीएल योजना के तहत चावल का उठाव भी 96.4 प्रतिशत था जबकि 2012-13 में महज 52.7 प्रतिशत। अंत्योदय में शुरू से ही खाद्यान्नों का उठाव 90 प्रतिशत से अधिक रहा है क्योंकि अंत्योदय के

तहत खाद्यान्नों पर काफी अधिक सब्सिडी रहती है। अन्नपूर्णा के तहत खाद्यान्नों का आबंटन 2012-13 में लगभग 70 प्रतिशत था। यह योजना 2013-14 में बंद हो गई है।

**तालिका 5.43 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज**

(आंकड़े हजार टन में)

| वर्ष | गेहूं | | | चावल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत |
| बीपीएल | | | | | | |
| 2010-11 | 610.8 | 559.6 | 91.6 | 1495.1 | 1217 | 81.3 |
| 2011-12 | 985.9 | 638.4 | 64.8 | 2187.7 | 1500.2 | 68.6 |
| 2012-13 | 1348.4 | 470.5 | 34.9 | 2022.6 | 1065.9 | 52.7 |
| 2013-14* | 1056.56 | 1002.08 | 94.8 | 1340.68 | 1291.89 | 96.4 |
| अंत्योदय | | | | | | |
| 2010-11 | 417.1 | 408.6 | 97.9 | 625.7 | 595.2 | 95.1 |
| 2011-12 | 420.2 | 395.7 | 94.2 | 630.2 | 573.5 | 91.0 |
| 2012-13 | 420.2 | 407.5 | 97.0 | 630.3 | 593.8 | 94.2 |
| 2013-14* | 385.15 | 378.88 | 98.4 | 577.71 | 573.00 | 99.2 |
| अन्नपूर्णा | | | | | | |
| 2010-11 | 106.2 | 65.1 | 61.3 | 70.8 | 44.2 | 62.4 |
| 2011-12 | 106.2 | 62.7 | 59.0 | 70.8 | 39.1 | 55.2 |
| 2012-13 | 114.2 | 76.4 | 66.9 | 76.1 | 53.4 | 70.1 |
| 2013-14 | - | - | - | - | - | - |

टिप्पणी : * फरवरी 2014 से राज्य में जन वितरण प्रणाली की दो योजनाएं चल रहीं हैं - अंत्योदय और विशेषाधिकार परिवार।

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2013-14 में बीपीएल के लिए आबंटन और उठाव के जिलावार आंकड़े तालिका प 5.34 (परिशिष्ट) में और अंत्योदय के लिए तालिका प 5.35 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। दोनों योजनाओं में खाद्यान्नों के उठाव के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर दिखता है। बीपीएल के तहत सूची में गेहूं के उठाव के मामले में सर्वोच्च स्थान मुजफ्फरपुर (100 प्रतिशत) का है और उसके बाद भोजपुर का (99.48 प्रतिशत)। अंत्योदय के तहत सभी जिलों द्वारा गेहूं का उठाव 90 प्रतिशत से अधिक था।

**जन वितरण प्रणाली में हस्तक्षेप**

- नाबार्ड और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण के तहत कुल 2.84 लाख टन क्षमता के 423 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा 55 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। शेष गोदामों का निर्माण इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा।
- वांछित स्थान पर खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने और दूसरी जगह पहुंचाने या चोरबाजारी रोकने के लिए 9 जिलों में परिवहन वाहनों में जीपीएस लगाए जा रहे हैं।

इस खंड में ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण पर विवेचित कार्यक्रम समुचित क्रियान्वयन होने पर गरीबी निवारण के मामले में दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। राज्य सरकार ने हाल में जमीनी स्तर पर धनराशि का रिसाव रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। एक ही लक्ष्य समूह के लिए चलने वाली योजनाओं का कनवर्जेंस गरीबी निवारण कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकता है। बाहरवीं योजना में भी सीमित

संसाधनों के आदर्श उपयोग के इस मुद्दे पर जोर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त बी. के. चतुर्वेदी समिति ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनर्गठन हेतु अनेक सुझाव दिए हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के लिए अधिक लचीलापन की अनुशंसा की है।

## 5.8 श्रम संसाधन एवं कल्याण

वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करने पर दिखता है कि कृषि कार्यों और गृह उद्योग में लगी श्रमशक्ति के हिस्से में बहुत अंतर नहीं था। हालांकि कृषकों का हिस्सा गिरा है और अन्य श्रमिकों का हिस्सा थोड़ा बढ़ा है। यह कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर श्रमिकों के वांछित स्थानांतरण को अभिव्यक्त करता है। इस सर्वेक्षण में श्रमिकों के क्षेत्रगत वितरण से हटकर बिहार में कार्य सहभागिता दर (WPR) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

निम्न कार्य सहभागिता दर बिहार की आबादी हमेशा से खास पहचान रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 3.45 करोड़ श्रमिक हैं जो राज्य की कुल आबादी के 33.3 प्रतिशत हैं। उनमें से 2.50 करोड़ पुरुष हैं और 95 लाख महिलाएं। कार्य सहभागिता दर ग्रामीण बिहार में 34.0 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत कम है। शहरी क्षेत्रों में यह और भी कम - मात्र 23.2 प्रतिशत है। राज्य महिलाओं की निम्न कार्य सहभागिता दरों की समस्या का भी सामना कर रहा है जिनकी कार्य सहभागिता दर महज 19.1 प्रतिशत है। मुख्य श्रमिकों और सीमांत श्रमिकों के मामले में भी यही स्थिति व्याप्त है। तालिका 5.44 में बिहार में क्षेत्र और लिंग के लिहाज से कार्य सहभागिता दरें दर्शाई गई हैं।

**तालिका 5.44 : बिहार में कार्य सहभागिता दरें ( 2011 )**

(प्रतिशत में)

| कार्य सहभागिता दर | ग्रामीण | | शहरी | | ग्रामीण | शहरी | पुरुष | महिला | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | | | | | |
| मुख्य श्रमिक | 31.18 | 8.44 | 36.79 | 6.36 | 20.28 | 11.92 | 31.82 | 8.21 | 20.52 |
| सीमांत श्रमिक | 15.49 | 11.72 | 8.11 | 4.08 | 13.68 | 11.27 | 14.65 | 10.87 | 12.84 |
| **सभी श्रमिक** | **46.67** | **20.16** | **44.90** | **10.44** | **33.96** | **23.20** | **46.47** | **19.07** | **33.36** |

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार, 2011, भारत की जनगणना

कार्य सहभागिता दरों में कौशल विकास के जरिए और लघु एवं गृह उद्योगों को बढ़ावा देकर वृद्धि की जा सकती है। राज्य सरकार ने इस लिहाज से सकारात्मक कदम उठाए हैं और 2017 तक एक करोड़ लाभप्रद रोजगार पाने में युवक-युवतियों का सहयोग करने के लिहाज से उनके कौशल उन्नयन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन का आरंभ किया है। इस मकसद से सभी 38 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) सभी प्रमंडल मुख्यालयों में एक-एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। सितंबर 14 की स्थिति में राज्य में 65 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 16 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 596 गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय, फारबिसगंज, सुपौल और जहानाबाद में एक-एक नए महिला प्रशिक्षण संस्थान तथा छपरा (सारण) में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है।

## बिहार कौशल विकास मिशन

राज्य के युवावर्ग की कौशलवृद्धि के लिहाज से 2017 तक एक करोड़ युवा-युवतियों का कौशल विकास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्वायत्त संस्था गठित की गई है – बिहार कौशल विकास मिशन। इस लक्ष्य को 15 संबंधित विभागों के बीच वर्षवार बांट दिया गया है और इस मकसद से 65.16 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। निर्माण क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए मुंबई के एक गैर-सरकारी संगठन पीपल ट्री वेंचर प्रा. लि. के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया जा चुका है। संविदा के अनुसार, पीपल ट्री वेंचर प्रा. लि. को प्रशिक्षण देना और शत-प्रतिशत लोगों को नौकरी में पदस्थापित कराना है। एक लाख बेरोजगार युवा-युवतियों को निर्माण के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिनका वेतन 7,600 रु. मासिक से कम नहीं हो। प्रशिक्षण की अवधि एक महीने होगी और इस अवधि में प्रशिक्षुओं को 6,600 रु. वजीफे के बतौर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी संविदा यशस्वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे के साथ हस्ताक्षरित की गई है। संविदा के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण युवा-युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण अध्ययन-एवं-अर्जन योजना के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है और प्रशिक्षुओं को 7,000 रु. वजीफा मिलना है। प्रशिक्षण (दो-वर्षीय डिप्लोमा) पूरा होने के बाद प्रत्याशियों को यशवंत राव मुक्त विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। यशस्वी संस्थान को प्रशिक्षुओं के शत-प्रतिशत पदस्थापन का भी दायित्व सौंपा गया है। बिहार कौशल विकास मिशन की प्रगति तालिका 5.45 में दर्शाई गई है।

**तालिका 5.45 : कौशल विकास की प्रगति**

| क्र.सं. | विभाग | 2013-14 | | 2014-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य (लाख) | उपलबिध (सं.) | लक्ष्य (लाख) | उपलबिध (सं.) (सितंबर 2014 तक) |
| 1 | श्रम संसाधन | 3.25 | 66457 | 3.66 | 9734 |
| 2 | सूचना प्रौद्योगिकी | 1.00 | 1476 | 1.13 | - |
| 3 | ग्रामीण विकास | 2.00 | 12017 | 2.25 | 39320 |
| 4 | कृषि | 3.00 | 208839 | 3.38 | 186188 |
| 5 | स्वास्थ्य | 0.20 | - | 0.23 | - |
| 6 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 0.50 | 700 | 0.56 | - |
| 7a | पशुपालन निदेशालय | 0.50 | 607 | 0.56 | - |
| 7b | मत्स्यपालन निदेशालय | 0.10 | 2402 | 0.11 | - |
| 7c | दुग्ध निदेशालय कॉम्फेड सहित | 0.25 | 2861 | 0.28 | 3150 |
| 8 | अल्पसंख्यक कल्याण | 0.25 | 81 | 0.28 | - |
| 9 | नगर विकास एवं आवास | 0.50 | 11103 | 0.56 | - |
| 10 | शिक्षा | 1.50 | 10082 | 1.69 | - |
| 11 | समाज कल्याण | 1.40 | 34677 | 1.58 | - |
| 12 | अजा/ अजजा कल्याण | 0.60 | 47070 | 0.68 | - |
| 13 | उद्योग | 0.80 | 2832 | 0.90 | - |
| 14 | पर्यटन | 0.15 | 720 | 0.17 | - |
| 15 | गृह (कारा) | 0.12 | 3013 | 0.12 | - |
| **योग** | | **16.00** | **404937** | **18.00** | **238392** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## रोजगार

व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत जिला और राज्य स्तरीय रोजगार-सह-मार्गदर्शन मेले आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए 2013-14 में 50,164 और 2014-15 में सितंबर 2014 तक 31,726 रोजगार उपलब्ध कराए गए। राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से अनेक पहलकदमियां ली हैं। विदेश में रोजगार की रुचि रखने वाले बेरोजगार युवा-युवतियों की सहायता के लिए रोजगार ब्यूरो स्थापित किया गया है। हर रोजगार नियोजन केंद्र का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है और उन्हें ऑन-लाइन सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यह ऑन-लाइन सुविधा रोजगार चाहने वालों और नियोजकों, दोनो के लिए बिना कोई बाहरी हस्तक्षेप प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। 60 हजार से भी अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों का ऑनलाइन निबंधन हो चुका है। तालिका 5.46 में राज्य सरकार द्वारा रोजगार नियोजन केंद्रों के कंप्यूटरीकरण तथा ऑनलाइन सुविधाओं के लिए ली गई पहलकदमियां दर्शाई गई हैं।

**तालिका 5.46 : नियोजन कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति**

(रकम लाख रु. में)

| 2012-13 | | | 2013-14 | | | 2014-15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बजट परिव्यय | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि | बजट परिव्यय | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि | बजट परिव्यय | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि |
| नियोजन सेवाओं का विस्तार | | | | | | | | |
| 8.00 | 7.86 | - | 8.80 | 7.72 | - | 50.60 | - | - |
| नियोजन सेवा संचालन की ई-प्रक्रिया | | | | | | | | |
| 50.00 | 43.61 | - | 20.00 | 15.50 | - | 32.40 | 0.12 | - |
| व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण | | | | | | | | |
| 35.00 | 31.68 | 66594 | 67.00 | 49.11 | 50164 | 90.00 | 11.33 | 31726 |
| अध्ययन, मूल्यांकन, शोध एवं प्रलेखन तथा ई.एम.आइ. प्रवर्तन एवं क्षेत्रगत कौशल सर्वेक्षण | | | | | | | | |
| 5.00 | - | - | 17.00 | 6.75 | - | - | - | - |
| पारदेशीय ब्यूरो का स्थापना व्यय | | | | | | | | |
| 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | - | - |
| कमजोर तबकों के विकास की योजना | | | | | | | | |
| 15.00 | 13.66 | - | 12.00 | 8.56 | - | 12.00 | - | - |
| भवन निर्माण श्रम विभाग के साथ संयुक्त | | | | | | | | |
| 474.7 | शून्य | भवन निर्माण विभाग द्वारा राशि प्रत्यर्पित | 362.9 | 340.06 | - | 400.00 | - | - |
| **योग** | | | | | | | | |
| **602.7** | **111.82** | **66594** | **502.7** | **442.70** | **50164** | **600.00** | **287.09** | **31726** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

उक्त कार्यक्रमों के अलावा, राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण हेतु अनेक पहलकदमियां ली हैं। इनमें बिहार शताब्दी असंगठित मजदूर एवं कारीगर समाजिक सुरक्षा योजना 2011, अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, ग्रामीण एवं असंगठित श्रमिक प्रशिक्षण शिविर, बीड़ी मजदूर आवास निर्माण योजना, बाल मजदूर पुनर्वास, कर्मचारी बीमा योजना, बिहार राज्य बाल श्रम आयोग, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और बिहार भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण पर्षद शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का बजट परिव्यय, वित्तीय प्रगति तथा भौतिक प्रगति तालिका 5.47 में दर्शाई गई है।

**तालिका 5.47 : श्रमिक संबंधी प्रमुख सार्वजनिक पहलकदमियों/ योजनाओं का अवलोकन**

(परिव्यय/ व्यय लाख रु. में)

| योजना | 2012-13 | | | 2013-14 | | | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट परिव्यय | व्यय | भौतिक उपलब्धि | बजट परिव्यय | व्यय | भौतिक उपलब्धि | बजट परिव्यय |
| ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन | 36.0 | 30.0 | 7882 श्रमिक प्रशिक्षित | 39.2 | 35.2 | 8442 श्रमिक प्रशिक्षित | 43.4 |
| बाल श्रमिक पुनर्वास प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 131.6 | 77.5 | 976 लाभान्वित | 103.1 | 78.5 | 873 लाभान्वित | 189.2 |
| बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की स्थापना | 110.3 | 98.6 | स्थापित | 108.6 | 58.7 | स्थापित | 112.6 |
| बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास | 35.0 | 23.0 | 230 लाभान्वित | 36.0 | 16.8 | 168 लाभान्वित | 43.8 |
| बीड़ी मजदूर आवास निर्माण योजना | 61.6 | 59.0 | 1476 लाभान्वित | 40.0 | 15.9 | 397 लाभान्वित | 40.0 |
| अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर योजना | 208.0 | 183.0 | 183 लाभान्वित | 170.0 | 124.0 | 124 लाभान्वित | 222.5 |
| आम आदमी बीमा योजना | — | - | — | - | - | — | - |
| श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण | 75.5 | 36.5 | — | 64.5 | 30.0 | — | 347.4 |
| असंगठित मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा योजना | 500.0 | 500.0 | श्रमिक कल्याण कॉर्पस कोष में जमा | 496.6 | 496.6 | श्रमिक कल्याण कॉर्पस कोष में जमा | 555.2 |
| **योग** | **1158.0** | **1007.6** | — | **1058.0** | **855.7** | — | **1554.0** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य में दो बीमा योजनाएं चल रही हैं - कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइएस) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सितंबर 2014 तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 1.18 लाख कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 184.38 लाख परिवारों का बीमा किया गया है।

## 5.9 वृद्धों और विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा को विकास प्रक्रिया के अभिन्न अंग के बतौर देखा जाता है। किसी कल्याणकारी राज्य को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न घटकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अत: केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार अभी वृद्धों-वृद्धाओं, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है। तालिका 5.48 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित इन विकास योजनाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 5.48 : वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाएं**

| योजना | वित्तीय परिव्यय (लाख रु.) | | भौतिक उपलब्धि (लाख में) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर तक) | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर तक) |
| केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (NSAP) | | | | |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 95759 | 101927 | 42.94 | 51.01 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 15899 | | 5.06 | |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना | 926 | | 0.40 | |
| राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | 5877 | | 0.29 | |
| राजकीय क्षेत्र की योजनाएं | | | | |
| लक्ष्मीबाई पेंशन योजना | 13769 | 9525 | 6.00 | 6.88 |
| बिहार राज्य नि:शक्तजन पेंशन योजना | 10603 | 5470 | 5.34 | 8.31 |
| बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 850 | 600 | 0.59 | 0.73 |
| कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना | 2990 | 1600 | 1.00 | 0.53 |
| मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना | 107 | 200 | 0.01 | 0.01 |
| मुख्यमंत्री निं:शक्तजन सशक्तीकरण योजना (संबल) | 1558 | 1200 | 9.72 | - |
| बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना | 184 | 325 | 0.13 | 0.22 |
| मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं वृद्धावास (सहारा) | 0.27 | 150 | - | - |

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उक्त योजनाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा कुछ नई पहलकदमियां भी ली जा रही हैं।

- राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं की रकम 100 रु. मासिक बढ़ाकर 200 रु. कर दी गई है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना और बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना के तहत नि:शक्तजनों के प्रमाणन में तेजी लाने के लिए अनुमंडलाधिकारी की जगह प्रखंड विकास अधिकारी को स्वीकृतिदाता अधिकारी बनाया गया है।

- वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिताओं के कल्याण के लिए अनुमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तर पर अनुरक्षण प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

- विशेष प्रकार के दो विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है - अंधी लड़कियों के लिए 'दृष्टि' और बहरी लड़कियों के लिए 'कोशिश'। दृष्टि विद्यालयों की स्थापना दरभंगा, बांका, पश्चिम चंपारण, सुपौल, गया, किशनगंज और पटना में की गई है। कोशिश के तहत, मोतिहारी में एक विद्यालय खोला गया है।

## 5.10 पंचायती राज संस्थाएं

बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन की अनुक्रिया के फलस्वरूप, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 को लागू किया गया था। अभी बिहार में 38 जिला परिषद, 531 पंचायत समितियां और 8,398 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। महिलाओं के लिए एकल स्थानों पर आरक्षण सहित 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है (तालिका 5.49)।

**तालिका 5.49 : बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन**

| विवरण | संख्या | विवरण | संख्या |
|---|---|---|---|
| जिला परिषद | 38 | ग्राम कचहरी के सदस्य | 115057 |
| पंचायत समिति | 531 | ग्राम पंचायत के सरपंच | 8398 |
| ग्राम पंचायत | 8398 | ग्राम पंचायत सचिव | 8463 |
| ग्राम कचहरी | 8398 | न्याय मित्र | 8398 |
| ग्राम पंचायत सदस्य | 115057 | ग्राम कचहरी के सचिव | 8398 |
| ग्राम पंचायतों के मुखिया | 8398 | जिला पंचायती राज अधिकारी | 38 |
| पंचायत समिति सदस्य | 11501 | प्रखंड पंचायती राज अधिकारी | 528 |
| जिला परिषद सदस्य | 1162 | | |

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं :

(क) तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों तथा राज्य सरकार के अपने अनुदानों के सहयोग से अब तक 1,435 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन हैं।

(ख) पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य स्तर पर 1 करोड़ रु. के व्यय से और जिला स्तर पर 2 करोड़ रु. के व्यय से प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, सभी 534 प्रखंडों में से प्रत्येक में दस लाख रुपए के व्यय से प्रखंड संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

(ग) 121 प्रखंड पंचायती राज अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उन्हें तीन माह का प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक स्वतंत्र पंचायती राज अभियंत्रण संगठन गठित किया गया है।

(च) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक-एक लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और एक-एक पंचायत सहायक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, 10 ग्राम पंचायतों के हर संकुल के लिए एक कनीय अभियंता उपलब्ध कराया जा रहा है।

(छ) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, अनुक्रियाशील और उत्तरदायी बनाने के लिए राज्य सरकार ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का वित्तपोषण पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से, और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों से किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों में इनका 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा होता है। इस समय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए 216 प्रवीण साधनसेवी (मास्टर रिसोर्स पर्सन) मौजूद हैं। उनमें से अधिकांश को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान (बिपार्ड) द्वारा 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों को प्रशिक्षण देने और ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रवीण साधनसेवियों का एक पूल बनाया है। साथ ही, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला साधनसेवियों के 2136 पद भी सृजित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 3,801 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जो गत वर्ष की अपेक्षा 29 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2013-14 में हुआ वास्तविक व्यय स्वीकृत परिव्यय का लगभग 80 प्रतिशत था। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 5.50 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.50 : पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति का अवलोकन**

(करोड़ रु.)

| 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| परिव्यय | व्यय | व्यय परिव्यय के प्रतिशत में | परिव्यय | व्यय | व्यय परिव्यय के प्रतिशत में |
| पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत अनिबद्ध अनुदान | | | | | |
| 568.87 | 480.95 | 84.60 | 745.61 | 555.14 | 74.45 |
| MMGY | | | | | |
| - | - | - | 192.95 | 172.81 | 89.56 |
| पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत क्षमता निर्माण | | | | | |
| 36.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भत्ते | | | | | |
| 92.00 | 92.00 | 100.00 | 194.88 | 180.95 | 92.85 |
| ग्राम कचहरी भवनों के लिए किराया | | | | | |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 100.00 |
| **योग** | | | | | |
| **704.87** | **572.95** | **81.28** | **1139.79** | **910.25** | **79.86** |
| मुख्यालय का स्थापना व्यय | | | | | |
| 3.54 | 3.00 | 84.50 | 3.73 | 3.37 | 90.35 |
| जिला पंचायत का स्थापना व्यय | | | | | |
| 178.24 | 163.94 | 92.00 | 213.69 | 175.26 | 82.02 |
| प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना व्यय | | | | | |
| 2.66 | 2.26 | 85.10 | 3.09 | 2.62 | 84.79 |
| न्यायमित्र और ग्राम कचहरी के लिए अनुदान | | | | | |
| 44.59 | 42.28 | 94.80 | 45.05 | 17.91 | 39.76 |
| जिला परिषद को अनुरूपयोजी अनुदान (मैचिंग ग्रांट) | | | | | |
| 5.00 | 5.00 | 99.90 | - | - | - |
| चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अनुदान | | | | | |
| 672.56 | 672.56 | 100.00 | 815.35 | 815.16 | 99.98 |
| तेरहवें वित्त आयोग का अनुदान | | | | | |
| 1320.40 | 1151.38 | 87.20 | 1566.77 | 1061.04 | 67.72 |
| **योग** | | | | | |
| **2226.99** | **2040.40** | **91.60** | **2647.68** | **2075.36** | **78.38** |
| चुनाव मुख्यालय का स्थापना व्यय | | | | | |
| 1.95 | 1.81 | 92.80 | 2.16 | 1.99 | 92.13 |
| जिला परिषद/ पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव चुनाव पर व्यय | | | | | |
| 10.00 | 8.19 | 81.90 | 10.00 | 3.42 | 34.20 |
| सचिवालय आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| 1.41 | 1.30 | 92.40 | 1.39 | 0.10 | 79.14 |
| **योग** | | | | | |
| **13.36** | **11.30** | **84.60** | **13.55** | **6.51** | **48.04** |
| **कुल योग** | | | | | |
| **2945.22** | **2624.65** | **89.12** | **3801.02** | **2991.12** | **78.69** |

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

## 5.11 राजस्व एवं भूमि सुधार

बिहार में भूमि सुधार का किसी भी विकास कार्यक्रम में केंद्रीय स्थान है क्योंकि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 70 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि और संबंधित कार्यों में लगी है। ग्रामीण गरीबों में भूमिहीन और लगभग भूमिहीन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भूमिहीनता से गरीबी की समस्या बढ़ती है और कृषि विकास की दर घटती है।

**तालिका 5.10 : संलग्न लोगों के प्रतिशत के अनुसार बिहार में भूमि वितरण पैटर्न**

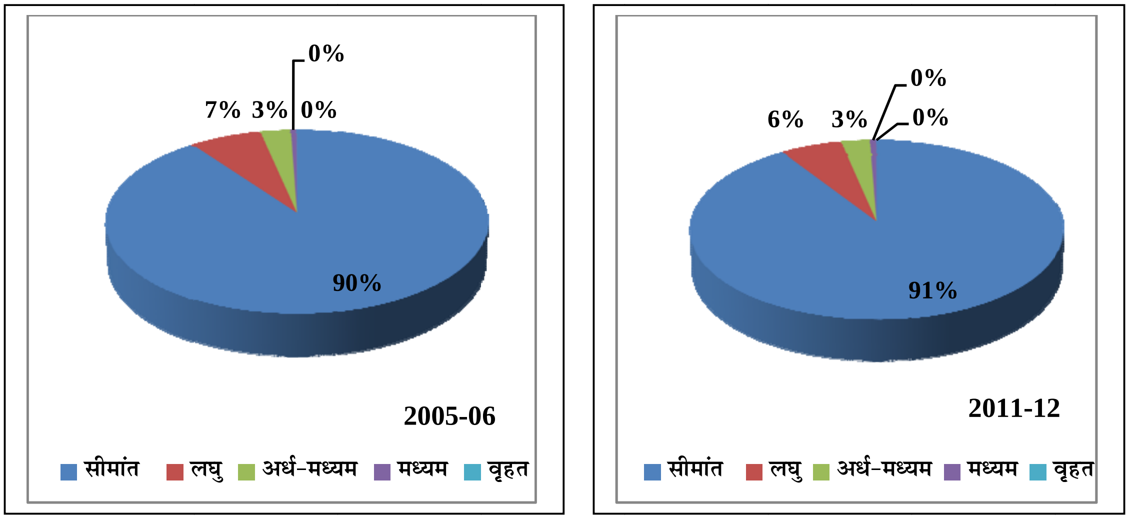


**तालिका 5.11 : क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में भूमि वितरण पैटर्न (%)**

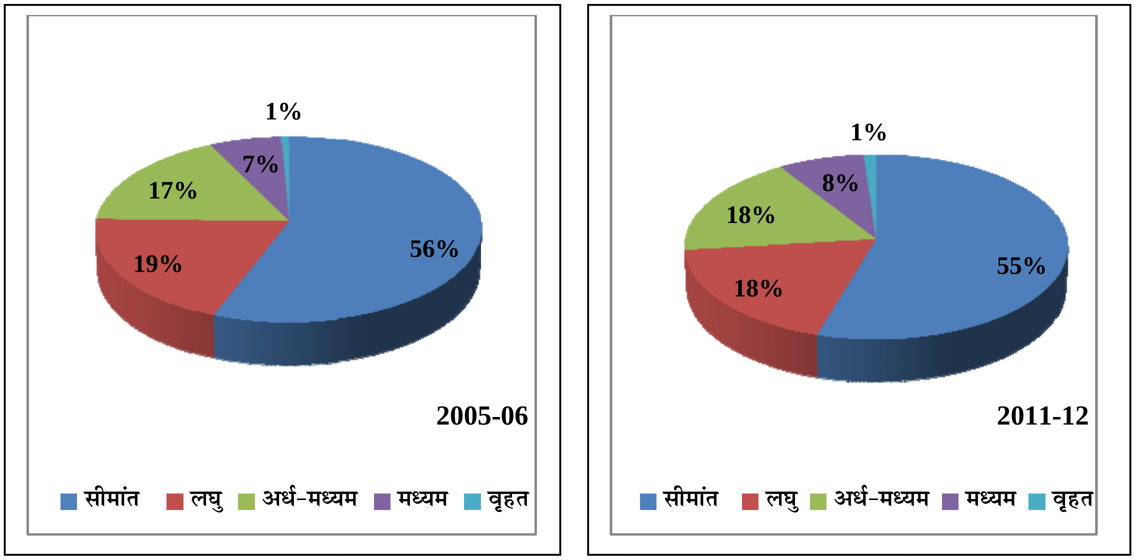

**तालिका 5.51 : बिहार में भूमि वितरण पैटर्न**

| वर्ग | सभी | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 | 2005-06 | 2011-12 |
| भूखंडों की संख्या ('000) | | | | | | |
| सीमांत | 13180 (89.9) | 14703 (90.8) | 1634 (94.8) | 1867 (95.4) | 167 (87.4) | 185 (87.3) |
| छोटे | 978 (6.7) | 948 (5.9) | 73 (4.2) | 70 (3.6) | 16 (8.4) | 18 (8.5) |
| अर्ध-मध्यम | 415 (2.8) | 438 (2.7) | 15 (0.9) | 19 (1) | 6 (3.1) | 8 (3.8) |
| मध्यम | 81 (0.6) | 98 (0.6) | 1 (0.1) | 2 (0.1) | 1 (0.5) | 1 (0.5) |
| बड़े | 3 (0.0) | 4 (0.0) | – | – | – | – |
| **योग** | **14657 (100.0)** | **16191 (100.0)** | **1723 (100.0)** | **1958 (100.0)** | **191 (100.0)** | **212 (100.0)** |
| क्षेत्रफल ('000 हे.) | | | | | | |
| सीमांत | 3494 (55.9) | 3488 (54.6) | 418 (75.9) | 443 (74.6) | 54 (54.5) | 56 (52.8) |
| छोटे | 1224 (19.6) | 1186 (18.6) | 91 (16.5) | 88 (14.8) | 21 (21.2) | 23 (21.7) |
| अर्ध-मध्यम | 1073 (17.2) | 1135 (17.8) | 39 (7.1) | 48 (8.1) | 16 (16.2) | 21 (19.8) |
| मध्यम | 415 (6.6) | 505 (7.9) | 3 (0.5) | 13 (2.2) | 7 (7.1) | 6 (5.7) |
| बड़े | 45 (0.7) | 74 (1.2) | - | 2 (0.3) | 6 (6.1) | 6 (5.7) |
| **योग** | **6251 (100.0)** | **6388 (100.0)** | **551 (100.0)** | **594 (100.0)** | **99 (100.0)** | **106 (100.0)** |

स्रोत : कृषि गणना 2011-12, भारत सरकार

राज्य सरकार न्याययुक्त विकास की दृष्टि के साथ काम कर रही है। इस दिशा में हाल के वर्षों में राज्य के राजस्व विभाग का मुख्य फोकस आवासीय भूमिविहीन महादलित परिवारों को 3 डिसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराना है। महादलित परिवारों के बीच ऐसी जमीन पर्चा या बंदोबस्ती के जरिए उपलब्ध कराई गई है। जिन परिवारों को जमीन दी गई है, जमीन पर उनका कब्जा बहाल करने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल भी शुरू किया गया है। महादलित परिवार गृहस्थल योजना के तहत मार्च 2014 तक लक्षित 2.47 लाख परिवारों में से 2.22 लाख परिवारों के बीच कुल 6,641 एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है। विभाग ने लक्ष्य समूह को इन चार प्रकार की जमीनों में से जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया - (क) गैर-मजरुआ मालिक/ खास जमीन, (ख) गैर-मजरुआ आम जमीन, (ग) बिहार विशेषाधिकार संपन्न गृहभूमि काश्तकारी अधिनियम (बिहार प्रीविलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टीनांसी ऍक्ट), 1947 के तहत उपलब्ध भूमि, तथा (घ) उक्त तीनों प्रकार की जमीन के न होने पर बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत खरीदी गई रैयती जमीन। इस योजना की प्रगति तालिका 5.52 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.52 : महादलित परिवार गृहस्थल योजना के तहत प्रगति**

| जमीन का प्रकार | महादलित परिवारों की संख्या | | | वितरित जमीन का क्षेत्रफल (एकड़) |
|---|---|---|---|---|
| | आच्छादित होने वाले | आच्छादित हो चुके | उपलब्धि का प्रतिशत | |
| गैर-मजरुआ मालिक/ खास जमीन | 78398 | 80173 | 102.26 | 2644.62 |
| गैर-मजरुआ आम जमीन | 47027 | 43167 | 91.79 | 1091.16 |
| बिहार विशेषाधिकार संपन्न गृहस्थल काश्तकार अधिनियम | 52902 | 57417 | 108.53 | 1685.32 |
| रैयती जमीन की खरीद | 68735 | 40764 | 59.31 | 1220.01 |
| **योग** | **247062** | **221521** | **89.66** | **6641.11** |

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

इसके साथ-साथ, विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए भी जमीन संबंधी योजनाएं चला रहा है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

- गृहस्थल योजना के तहत 2013-14 में विभिन्न जिलों में 180 लाख रु. आबंटित किए गए हैं और 40.6 एकड़ जमीन के वितरण से 978 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।
- वर्ष 2013-14 में संपर्कपथ निर्माण योजना के तहत 125 टोलों को जोड़ने के लिए 140 लाख रु. का आबंटन किया गया है।
- जून 2014 तक विभिन्न विभागों और उद्यमों के लिए 125 मामलों में भूमि हस्तांतरण या बंदोबस्ती की जा चुकी है और 491.8 एकड़ जमीन कब्जे के साथ हस्तांतरित की गई है।
- वर्ष 2013-14 में 21,075 लाभार्थियों के बीच बासगीत पर्चा के जरिए 648.8 एकड़ जमीन वितरित की गई है।
- भूदान योजना के तहत 386 एकड़ जमीन वितरित की गई है।
- अभी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिलों के अंचल कार्यालयों में राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा 38 में से 22 जिलों के कंप्यूटरीकृत राजस्व मानचित्र उपलब्ध कराए गए हैं।
- 12 जिलों के लिए कंप्यूटरीकृत खतियान विभाग के वेबसाइट (www.lrc.bih.nic.in) पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

तालिका 5.53 में राजस्व संग्रहण, गृहस्थलों की बंदोबस्ती, सरकारी जमीन की बंदोबस्ती आदि जमीन से संबंधित मुद्दों के मामले में ली गई पहलकदमियों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। भूमि राजस्व संग्रहण के मामले में वृद्धि का रुझान दिखा और 2013-14 में 2012-13 से दूने से भी अधिक वसूली हुई। हाल के वर्षों में बंदोबस्त सैरातों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है हालांकि 2013-14 में थोड़ी कमी आई; फिर भी, बंदोबस्त सैरातों से आय हाल के वर्षों में लगातार बढ़ती रही है।

**तालिका 5.53 : राज्य सरकार द्वारा ली गई विभिन्न पहलकदमियां**

| वर्ष | भूमि राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.) | सैरातों की बंदोबस्ती | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सैरातों की कुल संख्या | बंदोबस्त सैरातों की कुल संख्या | सैरातों से कुल प्राप्ति (करोड़ रु.) |
| 2010-11 | 19.61 | 6927 | 3368 | 9.46 |
| 2011-12 | 28.03 | 6903 | 3607 | 1.02 |
| 2012-13 | 87.02 | 6115 | 4157 | 14.02 |
| 2013-14 | 204.08 | 5938 | 3948 | 15.28 |

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

## 5.12 आपदा प्रबंधन

अपनी भू-आकृतिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण बिहार अनेक आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। इसे बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, तूफान, लू, शीतलहर आदि अनके प्रकार की प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की तर्ज पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का गठन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पटना के समीप बिहटा में 25 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनआरडीएफ) की एक बटालियन स्थापित की है। अपनी ओर से राज्य सरकार ने भी स्थल सेना और नौसेना के अवकाश-प्राप्त कर्मचारियों-अधिकारियों तथा केंद्रीय आरक्षी बल के सेवानिवृत्त लोगों को लेकर राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) की स्थापना की है।

- वर्ष 2013-14 में, बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव और परिवहन के लिए 2,088 नावों को सेवा में लगाया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के बीच 378 हजार क्विंटल खाद्यान्न, 4802 क्विंटल चिवड़ा, 861 क्विंटल गुड़, 46,242 पॉलिथीन शीट, और 7335 लाख रु. नगद रकम वितरित की।
- बाढ़ प्रवण जिलों को एफआरपी की 40 नौकाएं और 305 फुलाए जा सकने वाले (इनफ्लेटेबल) मोटरबोट उपलब्ध कराए गए।
- सभी प्रमंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों, अनुमंडलाधिकारियों, अनुमंडल आरक्षी अधिकारियों और प्रखंड विकास अधिकारियों को कुल 830 जीपीएस सेट उपलब्ध कराए गए और 85 सेटेलाइट फोन उपलब्ध कराने के लिए बेल्ट्रॉन को 1.49 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।
- टेंट, बड़े जाल आदि सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण के लिए 28 जिलों में भंडारगृहों का निर्माण पूरा हो गया है।
- हर बाढ़प्रवण जिले से 30 लोगों को गोताखोरी का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-बाढ़प्रवण जिलों के 15-15 लोगों को भी गोताखोरी का प्रशिक्षण दिया गया।
- अभी तक 20 बाढ़प्रवण जिलों के समुदाय के 13,410 लोगों को खोज एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है।

- भूकंप जोन-5 के हर जिले में और 7 बाढ़प्रवण जिलों (सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया और किशनगंज) में 10 प्रवीण प्रशिक्षकों को बाढ़ और भूकंप के बाद वांछित राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- शताब्दी अन्नकलश योजना के तहत, राज्य के सभी जिलों के हर पंचायत में जन वितरण प्रणाली के तय दूकानदार के पास रहने वाले अनाज के चक्रीय भंडार को 1 क्विंटल से बढ़ाकर 2 क्विंटल कर दिया गया है। इस योजना के तहत, मुखिया, सरपंच या संबंधित वार्ड सदस्य को पीड़ित व्यक्ति को चक्रीय भंडार से एक सप्ताह के लिए नियत मात्रा में अनाज आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- सभी जिलों में त्वरित चिकित्सा अनुक्रिया दलों की स्थापना की गई है जिनके लिए 328 व्यक्तियों को अभी तक प्रशिक्षित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल द्वारा पटना जिले के दियारा क्षेत्रों के 21 पंचायतों से प्रति पंचायत 50 व्यक्तियों को चुनकर कुल 1050 व्यक्तियों को बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

### 5.13 पर्यावरण

उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक जोखिमों की बारंबारता और तीव्रता बढ़ने की अधिक आशंका है। इसका अर्थ हुआ कि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की आशंका बढ़ी है। बिहार जल-मौसमवैज्ञानिक प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है जिसमें उत्तर बिहार अत्यंत बाढ़प्रवण है और दक्षिण बिहार अत्यंत सूखाप्रवण। राज्यस्तरीय जलवायु प्रतिदर्शों और सुभेद्यता संबंधी अध्ययन की अनुपस्थिति तथा समुदाय की निम्न जागरूकता की स्थिति में बिहार जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के लिहाज से अधिक असुरक्षित है।

बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94.2 हजार हे. है। इसमें से मात्र 6,845 हे. वनाच्छादित है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.3 प्रतिशत है। वनों के जरिए अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध होती हैं जिनमें काष्ठ और अकाष्ठ वन्य उत्पाद, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थानीय जलवायु के नियंत्रण में योगदान शामिल है। जिलावार वनाच्छादन तालिका प 5.36 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। पर्यावरण एवं वन विभाग ने राज्य के पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- कृषि-वानिकी योजना के तहत, 71.06 लाख पौधे लगाए गए हैं जिनसे 7,412 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- मुख्यमंत्री निजी नर्सरी (पोपलर) योजना के तहत, 31.71 लाख ईटीपी डंठल लगाए गए हैं जिससे 4399 लोग लाभान्वित हुए हैं।
- वर्षा ऋतु में प्राकृतिक वनक्षेत्रों और नहरों तथा नदियों के तटबंधों के किनारे 1.70 करोड़ पौधे लगाए गए हैं जबकि लक्ष्य 1.71 पौधों का था। 23 में से 19 प्रभागों में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है।
- पोपलर नर्सरी में 1,055 किसानों द्वारा 165.75 लाख बसंतकालीन पौधों की देखभाल की जा रही है।

- वर्ष 2014-15 में नर्सरी के निर्माण और विकास के लिए राज्य में 3,796 किसानों को प्रशिक्षित किया गया और 747 किसानों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण मिला।
- 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत 148.20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था लेकिन 214.79 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं जो 145 प्रतिशत उपलब्धि दर दर्शाते हैं।
- भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में 2.02 करोड़ रु. के व्यय से टिस्सू कल्चर प्रयोगशाला-सह-उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस केंद्र से बांस और सागवान आदि अन्य प्रजातियों के एक लाख उच्चस्तरीय पौधे आगामी वर्षों में प्राप्त होंगे।
- शीशम के पौधों के सूखने की समस्या पर काबू पाने के लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान द्वारा शीशम की रोगरोधी किस्में विकसित की गई हैं। राज्य सरकार ने बिहार में रोपने के लिए 25,000 ऐसे पौधे खरीदे हैं।
- शहर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 'हर परिसर, हरा परिसर' नामक एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत 234 परिसरों में 1.71 लाख पौधे लगाए गए हैं।
- आम, आंवला और अमरुद के 6.50 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे प्राकृतिक वनक्षेत्रों के समीपवर्ती गांवों में वितरित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी वृक्षारोपण योजना के तहत, 4,812 विद्यार्थियों के बीच पौधों और सूचना सामग्रियों का वितरण किया गया जिनमें 146 विभिन्न विषयों पर 20,500 पुस्तकें शामिल थीं।
- आगामी उद्योगों के आने पर पर्यावरण के नियंत्रण हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- पटना में पांच जगहों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है।
- राज्य में वानिकी/ हरित वृक्ष आच्छादन बढ़ाने और आम लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाली मिशन, बिहार की स्थापना की गई है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 5.1 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी ( 2001 और 2011 )

(जनसंख्या लाख में)

| जिले का नाम | 2001 | | | | 2011 | | | | दशकीय वृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शहरी | | ग्रामीण | | शहरी | | ग्रामीण | | |
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | |
| पटना | 10.6 | 9.0 | 14.6 | 13.0 | 13.3 | 11.8 | 17.5 | 15.8 | 23.7 |
| नालंदा | 1.9 | 1.7 | 10.5 | 9.6 | 2.4 | 2.2 | 12.6 | 11.6 | 21.4 |
| भोजपुर | 1.7 | 1.4 | 10.1 | 9.2 | 2.1 | 1.8 | 12.2 | 11.1 | 21.6 |
| बक्सर | 0.7 | 0.6 | 6.7 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 8.0 | 7.4 | 21.7 |
| रोहतास | 1.7 | 1.5 | 11.1 | 10.1 | 2.3 | 2.0 | 13.2 | 12.1 | 20.8 |
| कैमूर | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 7.5 | 26.2 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 2.5 | 2.2 | 15.4 | 14.6 | 3.1 | 2.8 | 19.6 | 18.5 | 26.4 |
| जहानाबाद | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 0.7 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 20.6 |
| अरवल* | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | |
| नवादा | 0.7 | 0.7 | 8.6 | 8.1 | 1.1 | 1.0 | 10.3 | 9.7 | 22.6 |
| औरंगाबाद | 0.9 | 0.8 | 9.5 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 11.9 | 11.1 | 26.2 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 1.6 | 1.4 | 14.9 | 14.6 | 1.8 | 1.7 | 18.4 | 17.6 | 21.6 |
| सीवान | 0.8 | 0.7 | 12.6 | 13.1 | 1.0 | 0.9 | 15.8 | 15.7 | 22.7 |
| गोपालगंज | 0.7 | 0.6 | 10.1 | 10.1 | 0.8 | 0.8 | 11.8 | 12.1 | 19.0 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1.6 | 1.5 | 14.4 | 13.0 | 2.1 | 1.9 | 18.5 | 16.9 | 29.3 |
| पूर्व चंपारण | 1.4 | 1.2 | 19.4 | 17.5 | 2.1 | 1.9 | 24.7 | 22.3 | 29.4 |
| मुजफ्फरपुर | 1.9 | 1.6 | 17.6 | 16.3 | 2.5 | 2.2 | 22.8 | 20.5 | 28.1 |
| सीतामढ़ी | 0.8 | 0.7 | 13.4 | 11.9 | 1.0 | 0.9 | 17.0 | 15.3 | 27.6 |
| शिवहर | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 27.2 |
| वैशाली | 1.0 | 0.9 | 13.2 | 12.1 | 1.2 | 1.1 | 17.2 | 15.4 | 28.6 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.4 | 1.2 | 15.8 | 14.5 | 2.0 | 1.8 | 18.6 | 17.0 | 19.5 |
| मधुबनी | 0.7 | 0.6 | 17.8 | 16.8 | 0.9 | 0.8 | 22.4 | 20.8 | 25.5 |
| समस्तीपुर | 0.7 | 0.6 | 16.9 | 15.8 | 0.8 | 0.7 | 21.5 | 19.6 | 25.5 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.6 | 0.5 | 11.7 | 10.7 | 3.0 | 2.7 | 12.7 | 11.3 | 26.4 |
| मुंगेर | 1.7 | 1.5 | 4.4 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 5.3 | 4.6 | 20.2 |
| शेखपुरा | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 21.1 |
| लखीसराय | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 4.1 | 24.8 |
| जमुई | 0.6 | 0.5 | 6.7 | 6.2 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 7.8 | 25.9 |
| खगड़िया | 0.4 | 0.3 | 6.4 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 8.4 | 7.4 | 30.2 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 2.4 | 2.1 | 10.5 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 13.0 | 11.4 | 25.4 |
| बांका | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 9.3 | 26.5 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 0.7 | 0.6 | 7.2 | 6.6 | 0.8 | 0.7 | 9.1 | 8.3 | 26.0 |
| सुपौल | 0.5 | 0.4 | 8.6 | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 11.0 | 10.2 | 28.7 |
| मधेपुरा | 0.4 | 0.3 | 7.6 | 7.0 | 0.5 | 0.4 | 10.0 | 9.1 | 31.1 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1.2 | 1.0 | 12.1 | 11.1 | 1.8 | 1.6 | 15.2 | 14.0 | 28.3 |
| किशनगंज | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7.5 | 30.4 |
| अररिया | 0.7 | 0.6 | 10.6 | 9.7 | 0.9 | 0.8 | 13.7 | 12.7 | 30.2 |
| कटिहार | 1.2 | 1.0 | 11.3 | 10.4 | 1.4 | 1.3 | 14.6 | 13.4 | 28.4 |
| **बिहार** | **46.5** | **40.3** | **385.9** | **357.2** | **62.0** | **55.5** | **480.7** | **442.7** | **25.4** |

* 2001 की जनगणना के बाद निर्मित नया जिला

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

## तालिका प 5.2 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी ( 2001 और 2011 )

| राज्य/ जिले | लिंग अनुपात | | | | बाल लिंग अनुपात | | | | शहरीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2001 | | 2011 | | 2001 | | 2011 | | 2001 | 2011 |
| | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | | |
| पटना | 893 | 844 | 904 | 887 | 934 | 900 | 923 | 883 | 41.6 | 43.5 |
| नालंदा | 917 | 896 | 924 | 913 | 945 | 921 | 932 | 925 | 14.9 | 15.9 |
| भोजपुर | 911 | 843 | 910 | 892 | 943 | 914 | 920 | 904 | 13.9 | 14.3 |
| बक्सर | 902 | 871 | 925 | 893 | 924 | 937 | 936 | 906 | 9.2 | 9.6 |
| रोहतास | 913 | 885 | 921 | 899 | 951 | 940 | 933 | 914 | 13.3 | 14.4 |
| कैमूर | 905 | 832 | 921 | 889 | 940 | 911 | 943 | 912 | 3.2 | 4.0 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 948 | 878 | 943 | 901 | 972 | 940 | 965 | 922 | 13.7 | 13.1 |
| जहानाबाद | 933 | 879 | 926 | 893 | 919 | 892 | 924 | 901 | 7.4 | 12.0 |
| अरवल | -- | -- | 929 | 915 | -- | -- | 940 | 934 | -- | 7.4 |
| नवादा | 950 | 898 | 942 | 908 | 981 | 931 | 947 | 926 | 7.4 | 9.7 |
| औरंगाबाद | 937 | 899 | 928 | 909 | 945 | 926 | 945 | 933 | 8.4 | 9.4 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 974 | 890 | 958 | 912 | 958 | 954 | 927 | 910 | 9.2 | 8.9 |
| सीवान | 1040 | 899 | 993 | 917 | 933 | 954 | 942 | 904 | 5.5 | 5.5 |
| गोपालगंज | 1006 | 928 | 1025 | 969 | 965 | 938 | 955 | 943 | 6.1 | 6.3 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 903 | 885 | 911 | 897 | 954 | 943 | 955 | 924 | 10.2 | 10.0 |
| पूर्व चंपारण | 900 | 855 | 903 | 884 | 938 | 917 | 934 | 918 | 6.4 | 7.9 |
| मुजफ्फरपुर | 926 | 865 | 901 | 889 | 930 | 897 | 917 | 898 | 9.3 | 9.8 |
| सीतामढ़ी | 894 | 861 | 900 | 876 | 925 | 915 | 933 | 879 | 5.7 | 5.6 |
| शिवहर | 886 | 879 | 893 | 889 | 915 | 937 | 928 | 943 | 4.1 | 4.3 |
| वैशाली | 923 | 889 | 895 | 890 | 938 | 929 | 904 | 899 | 6.9 | 6.7 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 917 | 878 | 912 | 903 | 915 | 914 | 932 | 918 | 8.1 | 9.7 |
| मधुबनी | 944 | 893 | 928 | 899 | 940 | 924 | 936 | 925 | 3.5 | 3.7 |
| समस्तीपुर | 930 | 879 | 911 | 901 | 938 | 922 | 924 | 908 | 3.6 | 3.5 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 914 | 870 | 896 | 891 | 947 | 908 | 920 | 914 | 4.6 | 19.2 |
| मुंगेर | 875 | 866 | 873 | 884 | 909 | 931 | 927 | 906 | 27.9 | 28.3 |
| शेखपुरा | 924 | 883 | 936 | 900 | 957 | 940 | 945 | 910 | 15.5 | 17.1 |
| लखीसराय | 927 | 883 | 903 | 895 | 953 | 936 | 925 | 884 | 14.7 | 14.3 |
| जमुई | 922 | 876 | 923 | 905 | 966 | 925 | 957 | 936 | 7.4 | 8.2 |
| खगड़िया | 888 | 842 | 887 | 874 | 933 | 918 | 926 | 921 | 6.0 | 5.3 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 878 | 866 | 880 | 881 | 971 | 942 | 943 | 915 | 18.7 | 19.8 |
| बांका | 909 | 868 | 908 | 875 | 965 | 941 | 944 | 899 | 3.5 | 3.5 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 916 | 848 | 908 | 879 | 909 | 946 | 934 | 916 | 8.3 | 8.2 |
| सुपौल | 923 | 876 | 931 | 892 | 920 | 908 | 945 | 932 | 5.1 | 4.7 |
| मधेपुरा | 919 | 838 | 912 | 890 | 927 | 930 | 930 | 942 | 4.5 | 4.4 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 921 | 851 | 923 | 907 | 969 | 940 | 954 | 955 | 8.7 | 10.4 |
| किशनगंज | 945 | 863 | 952 | 926 | 947 | 947 | 972 | 967 | 10.0 | 9.7 |
| अररिया | 917 | 867 | 923 | 895 | 964 | 943 | 957 | 953 | 6.1 | 6.0 |
| कटिहार | 924 | 869 | 921 | 893 | 969 | 932 | 962 | 939 | 9.1 | 8.9 |
| | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **926** | **868** | **921** | **895** | **944** | **924** | **938** | **912** | **10.5** | **11.3** |

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

**तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम ( 2012-13 )**

| जिले | अशोधित जन्म दर (सीबीआर) | | | अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | ग्रामीण | शहरी | कुल | पुरुष | महिला | ग्रामीण | शहरी |
| पटना | 21.1 | 25.0 | 16.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
| नालंदा | 25.5 | 26.0 | 22.6 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 6.9 |
| भोजपुर | 23.5 | 24.3 | 19.3 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.1 |
| बक्सर | 24.1 | 24.4 | 21.6 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 |
| रोहतास | 25.3 | 25.7 | 22.2 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 6.1 |
| कैमूर | 24.3 | 24.5 | 17.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.0 |
| | | | | | | | | |
| गया | 24.0 | 25.3 | 19.5 | 6.8 | 7.4 | 6.2 | 7.0 | 6.2 |
| जहानाबाद | 23.9 | 24.1 | 22.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| अरवल | अनु. | अनु | अनु. | अनु | अनु. | अनु | अनु. | अनु |
| नवादा | 24.1 | 24.5 | 20.7 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 4.8 |
| औरंगाबाद | 24.7 | 25.0 | 22.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 23.9 | 24.0 | 23.3 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 7.4 | 6.5 |
| सीवान | 25.5 | 26.1 | 20.9 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.3 |
| गोपालगंज | 25.0 | 25.1 | 23.9 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 5.1 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 28.0 | 28.6 | 20.5 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 10.9 |
| पूर्व चंपारण | 29.2 | 29.8 | 23.4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
| मुजफ्फरपुर | 24.9 | 25.7 | 16.7 | 8.5 | 8.0 | 8.9 | 8.8 | 5.0 |
| सीतामढ़ी | 27.6 | 28.0 | 23.9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 6.2 |
| शिवहर | 30.7 | 30.6 | 32.5 | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 7.5 | 6.5 |
| वैशाली | 26.5 | 27.0 | 18.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 6.3 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 26.2 | 26.6 | 20.6 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.7 |
| मधुबनी | 24.2 | 24.3 | 21.5 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 8.4 |
| समस्तीपुर | 28.3 | 28.8 | 18.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 4.2 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 25.8 | 26.2 | 21.1 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 4.9 |
| मुंगेर | 24.3 | 25.1 | 22.4 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 6.2 |
| शेखपुरा | 28.0 | 29.2 | 21.7 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.3 |
| लखीसराय | 23.2 | 23.8 | 19.6 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| जमुई | 25.7 | 26.0 | 22.2 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.7 |
| खगड़िया | 30.3 | 30.8 | 22.7 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 6.6 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 25.5 | 26.0 | 23.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| बांका | 25.1 | 25.2 | 24.7 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.5 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 31.2 | 32.6 | 22.6 | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 4.7 |
| सुपौल | 27.7 | 27.9 | 25.3 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 4.6 |
| मधेपुरा | 29.4 | 29.8 | 20.2 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 8.2 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 27.3 | 28.5 | 21.3 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.0 |
| किशनगंज | 30.4 | 31.5 | 22.9 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 4.9 |
| अररिया | 30.6 | 30.9 | 26.8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.5 |
| कटिहार | 28.1 | 28.7 | 20.4 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **26.1** | **26.9** | **20.4** | **6.8** | **6.9** | **6.7** | **7.0** | **5.7** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, फैक्ट शीट, 2013-14, बिहार सरकार (जारी)

टिप्पणी : अनु. - अनुपलब्ध

## तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम ( 2012-13 ) ( जारी )

| जिले | शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) | | | | | कुल प्रजनन दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | पुरुष | महिला | ग्रामीण | शहरी | |
| पटना | 31 | 30 | 33 | 35 | 25 | 2.6 |
| नालंदा | 47 | 49 | 44 | 47 | 44 | 3.1 |
| भोजपुर | 41 | 41 | 42 | 41 | 43 | 3 |
| बक्सर | 48 | 51 | 45 | 48 | 44 | 3.2 |
| रोहतास | 44 | 43 | 46 | 44 | 47 | 3.3 |
| कैमूर | 48 | 51 | 44 | 48 | - | 3.2 |
| | | | | | | |
| गया | 49 | 51 | 48 | 50 | 44 | 3 |
| जहानाबाद | 47 | 46 | 48 | 48 | 36 | 3.1 |
| अरवल | अनु | अनु. | अनु | अनु. | अनु | अनु |
| नवादा | 46 | 47 | 46 | 46 | - | 3.1 |
| औरंगाबाद | 40 | 42 | 39 | 40 | - | 3.1 |
| | | | | | | |
| सारण | 49 | 45 | 53 | 48 | 54 | 3.2 |
| सीवान | 43 | 44 | 42 | 45 | - | 3.5 |
| गोपालगंज | 46 | 44 | 48 | 46 | 36 | 3.5 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 48 | 42 | 53 | 46 | - | 4 |
| पूर्व चंपारण | 48 | 48 | 48 | 46 | - | 4.2 |
| मुजफ्फरपुर | 55 | 52 | 60 | 58 | - | 3.4 |
| सीतामढ़ी | 60 | 61 | 60 | 63 | - | 3.9 |
| शिवहर | 43 | 36 | 51 | 44 | - | 4.6 |
| वैशाली | 40 | 40 | 41 | 39 | 75 | 3.4 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 44 | 43 | 46 | 43 | 63 | 3.8 |
| मधुबनी | 48 | 42 | 55 | 48 | - | 3.4 |
| समस्तीपुर | 49 | 44 | 55 | 50 | - | 3.8 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 40 | 39 | 41 | 40 | - | 3.3 |
| मुंगेर | 43 | 42 | 44 | 44 | 40 | 3.2 |
| शेखपुरा | 51 | 47 | 55 | 51 | 52 | 3.6 |
| लखीसराय | 45 | 44 | 46 | 46 | - | 3 |
| जमुई | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 3.1 |
| खगड़िया | 59 | 59 | 59 | 60 | - | 4.2 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 49 | 53 | 46 | 51 | 44 | 3.3 |
| बांका | 44 | 46 | 41 | 43 | - | 3.2 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 4.3 |
| सुपौल | 58 | 58 | 59 | 60 | - | 3.8 |
| मधेपुरा | 64 | 63 | 65 | 65 | - | 4 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 53 | 52 | 54 | 52 | - | 3.7 |
| किशनगंज | 56 | 57 | 56 | 58 | - | 4.4 |
| अररिया | 52 | 50 | 54 | 53 | - | 4.3 |
| कटिहार | 52 | 54 | 50 | 52 | 46 | 3.9 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **48** | **47** | **49** | **49** | **41** | **3.5** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, फैक्ट शीट, 2013-14, बिहार सरकार (जारी)

## तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम ( 2012-13 ) ( जारी )

| जिले | स्वाभाविक वृद्धि दर | | | 5-पूर्व शिशु मृत्यु दर (U5MR) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | ग्रामीण | शहरी | कुल | पुरुष | महिला | ग्रामीण | शहरी |
| पटना | 16.4 | 20.1 | 12.3 | 46 | 44 | 48 | 58 | 29 |
| नालंदा | 18 | 18.5 | 15.7 | 73 | 75 | 71 | 75 | 63 |
| भोजपुर | 18.1 | 18.8 | 14.2 | 55 | 52 | 57 | 56 | 46 |
| बक्सर | 17.9 | 18.1 | 15.8 | 70 | 72 | 68 | 72 | 50 |
| रोहतास | 18.9 | 19.3 | 16.1 | 59 | 58 | 60 | 60 | 49 |
| कैमूर | 18.9 | 19.2 | 12.9 | 64 | 68 | 61 | 65 | - |
| | | | | | | | | |
| गया | 17.2 | 18.3 | 13.3 | 62 | 63 | 62 | 65 | 54 |
| जहानाबाद | 18.6 | 18.8 | 16.9 | 61 | 58 | 64 | 62 | 44 |
| अरवल | अनु | अनु. | अनु | अनु. | अनु | अनु | अनु | अनु. |
| नवादा | 18.4 | 18.7 | 15.9 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| औरंगाबाद | 19.1 | 19.3 | 17.3 | 51 | 50 | 52 | 51 | - |
| | | | | | | | | |
| सारण | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 63 | 58 | 69 | 63 | 66 |
| सीवान | 18.2 | 18.7 | 14.6 | 66 | 67 | 65 | 70 | - |
| गोपालगंज | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59 | 54 | 64 | 60 | 40 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 19.4 | 20.2 | 9.5 | 72 | 64 | 80 | 71 | - |
| पूर्व चंपारण | 21.6 | 22.2 | 15.9 | 65 | 61 | 69 | 62 | - |
| मुजफ्फरपुर | 16.5 | 16.9 | 11.7 | 84 | 74 | 95 | 89 | - |
| सीतामढ़ी | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 97 | 92 | 103 | 102 | - |
| शिवहर | 23.3 | 23.1 | 26 | 79 | 67 | 92 | 80 | - |
| वैशाली | 19 | 19.5 | 11.7 | 60 | 54 | 67 | 59 | 96 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 17.7 | 18.1 | 11.8 | 77 | 70 | 85 | 77 | 76 |
| मधुबनी | 17.1 | 17.2 | 13.1 | 66 | 59 | 74 | 66 | - |
| समस्तीपुर | 21.7 | 22.1 | 14.1 | 71 | 65 | 78 | 73 | - |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 19.9 | 20.2 | 16.2 | 61 | 58 | 64 | 62 | - |
| मुंगेर | 18 | 18.8 | 16.2 | 57 | 57 | 58 | 62 | 47 |
| शेखपुरा | 20.4 | 21.5 | 14.4 | 72 | 68 | 77 | 74 | 62 |
| लखीसराय | 17.3 | 17.9 | 13.5 | 62 | 60 | 65 | 64 | - |
| जमुई | 19.7 | 20 | 16.5 | 69 | 71 | 66 | 70 | - |
| खगड़िया | 21.2 | 21.5 | 16.2 | 95 | 90 | 100 | 97 | - |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 20.8 | 21.3 | 18.5 | 64 | 67 | 60 | 67 | 50 |
| बांका | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 57 | 59 | 56 | 57 | - |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 23.7 | 24.7 | 17.9 | 82 | 75 | 88 | 83 | - |
| सुपौल | 21.4 | 21.5 | 20.7 | 82 | 82 | 82 | 84 | - |
| मधेपुरा | 22.4 | 22.8 | 12 | 92 | 86 | 99 | 93 | - |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 20.3 | 21.4 | 15.2 | 91 | 90 | 92 | 94 | - |
| किशनगंज | 24.1 | 25 | 18.1 | 84 | 87 | 81 | 88 | - |
| अररिया | 23.2 | 23.4 | 20.2 | 76 | 72 | 80 | 78 | - |
| कटिहार | 21.8 | 22.4 | 13.7 | 79 | 81 | 77 | 80 | 58 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **19.3** | **19.9** | **14.7** | **70** | **67** | **73** | **72** | **51** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, फैक्ट शीट, 2013-14, बिहार सरकार

**तालिका प 5.4 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या ( सितंबर 2014 )**

| जिले | जिला अस्पताल | रेफरल अस्पताल | अनुमंडल अस्पताल | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | स्वास्थ्य उप-केंद्र | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | प्रा.स्वा.के. + स्वा.उ.के. +अ.प्रा.स्वा.के. | सभी अस्पताल + सभी स्वा. केंद्र | जनसंख्या प्रति स्वास्थ्य संस्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 0 | 4 | 4 | 23 | 387 | 67 | 477 | 485 | 12038 |
| नालंदा | 1 | 3 | 2 | 20 | 374 | 43 | 437 | 443 | 6496 |
| भोजपुर | 1 | 3 | 2 | 14 | 302 | 27 | 343 | 349 | 7818 |
| बक्सर | 1 | 0 | 1 | 11 | 161 | 28 | 200 | 202 | 8447 |
| रोहतास | 1 | 2 | 2 | 19 | 186 | 32 | 237 | 242 | 12231 |
| कैमूर | 1 | 2 | 1 | 11 | 197 | 19 | 227 | 231 | 7041 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 1 | 2 | 2 | 24 | 440 | 47 | 511 | 516 | 8511 |
| जहानाबाद | 1 | 2 | 0 | 7 | 92 | 30 | 129 | 132 | 8525 |
| अरवल | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 28 | 97 | 98 | 7151 |
| नवादा | 1 | 2 | 1 | 14 | 325 | 34 | 373 | 377 | 5886 |
| औरंगाबाद | 1 | 3 | 1 | 11 | 216 | 60 | 287 | 292 | 8699 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 1 | 3 | 2 | 20 | 413 | 43 | 476 | 482 | 8199 |
| सीवान | 1 | 3 | 1 | 19 | 367 | 48 | 434 | 439 | 7586 |
| गोपालगंज | 1 | 3 | 1 | 14 | 186 | 22 | 222 | 227 | 11286 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1 | 2 | 2 | 18 | 368 | 31 | 417 | 422 | 9325 |
| पूर्व चंपारण | 1 | 1 | 3 | 27 | 327 | 54 | 408 | 413 | 12347 |
| मुजफ्फरपुर | 1 | 2 | 0 | 16 | 480 | 83 | 579 | 582 | 8249 |
| सीतामढ़ी | 1 | 1 | 2 | 17 | 212 | 37 | 266 | 270 | 12680 |
| शिवहर | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10 | 44 | 45 | 14583 |
| वैशाली | 1 | 2 | 2 | 16 | 336 | 28 | 380 | 385 | 9078 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0 | 2 | 1 | 18 | 259 | 50 | 327 | 330 | 11931 |
| मधुबनी | 1 | 4 | 4 | 21 | 429 | 69 | 519 | 528 | 8499 |
| समस्तीपुर | 1 | 1 | 4 | 20 | 362 | 46 | 428 | 434 | 9819 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1 | 2 | 4 | 18 | 287 | 22 | 327 | 334 | 8894 |
| मुंगेर | 1 | 0 | 2 | 9 | 154 | 21 | 184 | 187 | 7314 |
| शेखपुरा | 1 | 1 | 0 | 6 | 85 | 17 | 108 | 110 | 5785 |
| लखीसराय | 1 | 1 | 0 | 6 | 102 | 13 | 121 | 123 | 8137 |
| जमुई | 1 | 3 | 0 | 10 | 279 | 27 | 316 | 320 | 5501 |
| खगड़िया | 1 | 1 | 0 | 7 | 171 | 25 | 203 | 205 | 8131 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1 | 3 | 2 | 16 | 258 | 55 | 329 | 335 | 9068 |
| बांका | 1 | 3 | 0 | 11 | 265 | 32 | 308 | 312 | 6522 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1 | 0 | 1 | 10 | 152 | 26 | 188 | 190 | 10003 |
| सुपौल | 1 | 2 | 1 | 11 | 178 | 20 | 209 | 213 | 10465 |
| मधेपुरा | 1 | 0 | 1 | 13 | 272 | 34 | 319 | 321 | 6236 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1 | 2 | 3 | 14 | 334 | 38 | 386 | 392 | 8328 |
| किशनगंज | 1 | 1 | 0 | 7 | 136 | 9 | 152 | 154 | 10977 |
| अररिया | 1 | 2 | 1 | 9 | 199 | 30 | 238 | 242 | 11618 |
| कटिहार | 1 | 2 | 2 | 16 | 345 | 45 | 406 | 411 | 7472 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **36** | **70** | **55** | **533** | **9729** | **1350** | **11612** | **11773** | **340879** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**तालिका प 5.5 : बिहार में नियमित एवं संविदा आधारित चिकित्सकों का जिलावार नियोजन**

| जिले | स्वीकृत पदों की वर्तमान संख्या | | नियोजित चिकित्सकों की संख्या | | | | प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं. (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियमित | संविदा आधारित | नियमित | | संविदा आधारित | | |
| | | | अप्रील '14 | सितंबर '14 | अप्रील '14 | सितंबर '14 | |
| पटना | 304 | 92 | 262 | 262 | 87 | 87 | 5.98 |
| नालंदा | 137 | 95 | 84 | 84 | 73 | 73 | 5.46 |
| भोजपुर | 127 | 60 | 86 | 86 | 44 | 44 | 4.76 |
| बक्सर | 82 | 54 | 56 | 56 | 33 | 33 | 5.22 |
| रोहतास | 162 | 89 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3.18 |
| कैमूर | 93 | 48 | 28 | 28 | 19 | 16 | 2.71 |
| | | | | | | | |
| गया | 198 | 106 | 82 | 82 | 75 | 69 | 3.44 |
| जहानाबाद | 99 | 45 | 49 | 49 | 41 | 42 | 8.09 |
| अरवल | 67 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 5.42 |
| नवादा | 113 | 45 | 48 | 48 | 24 | 24 | 3.24 |
| औरंगाबाद | 177 | 49 | 68 | 68 | 30 | 31 | 3.90 |
| | | | | | | | |
| सारण | 142 | 94 | 85 | 85 | 55 | 55 | 3.54 |
| सीवान | 137 | 89 | 45 | 45 | 48 | 49 | 2.82 |
| गोपालगंज | 101 | 69 | 48 | 48 | 38 | 40 | 3.43 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 132 | 83 | 53 | 53 | 56 | 59 | 2.85 |
| पूर्व चंपारण | 184 | 128 | 86 | 86 | 117 | 117 | 3.98 |
| मुजफ्फरपुर | 172 | 70 | 79 | 79 | 51 | 48 | 2.65 |
| सीतामढ़ी | 124 | 52 | 43 | 43 | 23 | 23 | 1.93 |
| शिवहर | 75 | 19 | 31 | 31 | 15 | 15 | 7.01 |
| वैशाली | 131 | 69 | 117 | 117 | 41 | 41 | 4.52 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 146 | 72 | 61 | 61 | 51 | 51 | 2.84 |
| मधुबनी | 218 | 81 | 76 | 76 | 71 | 71 | 3.28 |
| समस्तीपुर | 192 | 95 | 105 | 105 | 54 | 54 | 3.73 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 122 | 94 | 53 | 53 | 54 | 54 | 3.60 |
| मुंगेर | 69 | 44 | 34 | 34 | 30 | 32 | 4.83 |
| शेखपुरा | 80 | 24 | 28 | 28 | 13 | 17 | 7.07 |
| लखीसराय | 58 | 30 | 31 | 31 | 21 | 21 | 5.20 |
| जमुई | 99 | 38 | 30 | 30 | 30 | 29 | 3.35 |
| खगड़िया | 101 | 44 | 29 | 29 | 34 | 33 | 3.72 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 152 | 64 | 53 | 53 | 57 | 54 | 3.52 |
| बांका | 103 | 47 | 42 | 42 | 36 | 37 | 3.88 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 95 | 45 | 36 | 36 | 25 | 25 | 3.21 |
| सुपौल | 109 | 48 | 56 | 56 | 29 | 29 | 3.81 |
| मधेपुरा | 106 | 67 | 27 | 27 | 33 | 32 | 2.95 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 135 | 64 | 74 | 74 | 51 | 51 | 3.83 |
| किशनगंज | 68 | 28 | 29 | 29 | 9 | 9 | 2.25 |
| अररिया | 121 | 36 | 46 | 46 | 18 | 19 | 2.31 |
| कटिहार | 120 | 78 | 60 | 60 | 48 | 48 | 3.52 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **4851** | **2375** | **2289** | **2289** | **1597** | **1595** | **3.73** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**तालिका प 5.6 : बिहार में 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन**

| जिले | स्वीकृत पदों की वर्तमान सं. | | नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या | | | | प्रति लाख आबादी पर ए-ग्रेड नर्सों की सं. (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियमित | संविदा आधारित | नियमित | | संविदा आधारित | | |
| | | | मार्च-13 | मार्च-14 | मार्च-13 | मार्च-14 | |
| पटना | 41 | 120 | 27 (65.9) | 27 (65.9) | 68 (56.7) | 83 (69.2) | 1.88 |
| नालंदा | 37 | 86 | 28 (75.7) | 28 (75.7) | 80 (93) | 80 (93) | 3.58 |
| भोजपुर | 12 | 54 | 6 (50) | 6 (50) | 27 (50) | 20 (37) | 0.99 |
| बक्सर | 2 | 30 | 3 (150) | 3 (150) | 16 (53.3) | 16 (53.3) | 1.35 |
| रोहतास | 20 | 21 | 7 (35) | 7 (35) | 27 (128.6) | 27 (128.6) | 1.86 |
| कैमूर | 44 | 38 | 4 (9.1) | 4 (9.1) | 14 (36.8) | 14 (36.8) | 1.72 |
| | | | | | | | |
| गया | 25 | 146 | 17 (68) | 17 (68) | 67 (45.9) | 73 (50) | 1.96 |
| जहानाबाद | 13 | 62 | 2 (15.4) | 4 (30.8) | 36 (58.1) | 36 (58.1) | 4.53 |
| अरवल | 25 | 56 | 5 (20) | 5 (20) | 21 (37.5) | 21 (37.5) | 3.28 |
| नवादा | 125 | 82 | 9 (7.2) | 9 (7.2) | 47 (57.3) | 53 (64.6) | 2.21 |
| औरंगाबाद | 22 | 128 | 5 (22.7) | 5 (22.7) | 52 (40.6) | 52 (40.6) | 1.65 |
| | | | | | | | |
| सारण | 25 | 86 | 7 (28) | 7 (28) | 30 (34.9) | 21 (24.4) | 0.71 |
| सीवान | 16 | 110 | 3 (18.8) | 3 (18.8) | 9 (8.2) | 9 (8.2) | 0.36 |
| गोपालगंज | 18 | 84 | 7 (38.9) | 7 (38.9) | 19 (22.6) | 19 (22.6) | 0.98 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 37 | 120 | 14 (37.8) | 14 (37.8) | 41 (34.2) | 41 (34.2) | 1.52 |
| पूर्व चंपारण | 24 | 164 | 15 (62.5) | 15 (62.5) | 48 (29.3) | 48 (29.3) | 1.26 |
| मुजफ्फरपुर | 32 | 152 | 16 (50) | 16 (50) | 19 (12.5) | 19 (12.5) | 0.67 |
| सीतामढ़ी | 17 | 116 | 9 (52.9) | 9 (52.9) | 51 (44) | 49 (42.2) | 2.04 |
| शिवहर | 9 | 34 | 6 (66.7) | 0 (0) | 13 (38.2) | 7 (20.6) | 1.22 |
| वैशाली | 26 | 118 | 8 (30.8) | 8 (30.8) | 67 (56.8) | 67 (56.8) | 2.12 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 8 | 154 | 4 (50) | 4 (50) | 9 (5.8) | 9 (5.8) | 0.58 |
| मधुबनी | 34 | 114 | 14 (41.2) | 13 (38.2) | 10 (8.8) | 20 (17.5) | 0.87 |
| समस्तीपुर | 24 | 146 | 22 (91.7) | 22 (91.7) | 72 (49.3) | 72 (49.3) | 2.35 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 23 | 102 | 22 (95.7) | 21 (91.3) | 66 (64.7) | 61 (59.8) | 3.47 |
| मुंगेर | 20 | 38 | 19 (95) | 19 (95) | 29 (76.3) | 36 (94.7) | 4.02 |
| शेखपुरा | 32 | 34 | 1 (3.1) | 1 (3.1) | 27 (79.4) | 20 (58.8) | 4.24 |
| लखीसराय | 10 | 61 | 9 (90) | 9 (90) | 30 (49.2) | 30 (49.2) | 3.8 |
| जमुई | 34 | 85 | 15 (44.1) | 15 (44.1) | 60 (70.6) | 63 (74.1) | 4.54 |
| खगड़िया | 13 | 48 | 10 (76.9) | 10 (76.9) | 47 (97.9) | 42 (87.5) | 3.42 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 18 | 108 | 13 (72.2) | 13 (72.2) | 64 (59.3) | 64 (59.3) | 3.39 |
| बांका | 18 | 64 | 8 (44.4) | 8 (44.4) | 43 (67.2) | 43 (67.2) | 2.6 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 30 | 48 | 21 (70) | 21 (70) | 33 (68.8) | 33 (68.8) | 2.84 |
| सुपौल | 28 | 107 | 2 (7.1) | 2 (7.1) | 31 (29) | 31 (29) | 1.66 |
| मधेपुरा | 9 | 58 | 3 (33.3) | 2 (22.2) | 12 (20.7) | 35 (60.3) | 1.15 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 32 | 110 | 16 (50) | 11 (34.4) | 92 (83.6) | 83 (75.5) | 3.28 |
| किशनगंज | 34 | 44 | 4 (11.8) | 4 (11.8) | 19 (43.2) | 22 (50) | 1.6 |
| अररिया | 39 | 96 | 5 (12.8) | 5 (12.8) | 21 (21.9) | 21 (21.9) | 1.35 |
| कटिहार | 28 | 104 | 17 (60.7) | 17 (60.7) | 76 (73.1) | 49 (47.1) | 2.31 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **1004** | **3395** | **398 (39.6)** | **391 (38.9)** | **1491 (43.9)** | **1489 (43.9)** | **1.93** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## तालिका प 5.7 : बिहार में एएनएम का जिलावार नियोजन

| जिले | स्वीकृत पदों की वर्तमान सं. | | नियोजित ए.एन.एम. की संख्या | | | | | | प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की सं. (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियमित | संविदा आधारित | नियमित | | | संविदा आधारित | | | |
| | | | मार्च-13 | मार्च-14 | सितं-14 | मार्च-14 | मार्च-13 | सितं-14 | |
| पटना | 544 | 393 | 506 | 506 | 506 | 379 | 415 | 415 | 15.77 |
| नालंदा | 396 | 370 | 396 | 391 | 391 | 326 | 318 | 318 | 24.64 |
| भोजपुर | 361 | 284 | 313 | 313 | 313 | 274 | 270 | 270 | 21.37 |
| बक्सर | 212 | 208 | 176 | 188 | 188 | 136 | 161 | 161 | 20.45 |
| रोहतास | 286 | 308 | 222 | 222 | 222 | 244 | 291 | 291 | 17.33 |
| कैमूर | 144 | 287 | 123 | 135 | 135 | 174 | 227 | 229 | 22.26 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 583 | 541 | 496 | 450 | 450 | 386 | 487 | 487 | 21.34 |
| जहानाबाद | 156 | 151 | 148 | 140 | 140 | 100 | 128 | 131 | 23.82 |
| अरवल | 125 | 64 | 45 | 37 | 37 | 64 | 61 | 61 | 13.98 |
| नवादा | 202 | 223 | 202 | 178 | 178 | 142 | 118 | 118 | 13.34 |
| औरंगाबाद | 340 | 285 | 253 | 253 | 253 | 235 | 302 | 301 | 21.85 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 512 | 507 | 368 | 323 | 323 | 136 | 142 | 278 | 11.77 |
| सीवान | 370 | 438 | 245 | 235 | 235 | 351 | 262 | 262 | 14.92 |
| गोपालगंज | 266 | 186 | 223 | 212 | 212 | 58 | 127 | 127 | 13.23 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 457 | 457 | 353 | 254 | 254 | 361 | 585 | 585 | 21.32 |
| पूर्व चंपारण | 419 | 503 | 289 | 291 | 291 | 472 | 476 | 476 | 15.04 |
| मुजफ्फरपुर | 583 | 583 | 583 | 582 | 582 | 357 | 379 | 381 | 20.02 |
| सीतामढ़ी | 300 | 341 | 242 | 242 | 242 | 103 | 118 | 51 | 10.52 |
| शिवहर | 46 | 112 | 24 | 34 | 34 | 124 | 127 | 127 | 24.53 |
| वैशाली | 421 | 418 | 419 | 386 | 386 | 317 | 324 | 324 | 20.31 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 358 | 419 | 217 | 208 | 208 | 276 | 312 | 312 | 13.21 |
| मधुबनी | 584 | 429 | 323 | 323 | 323 | 275 | 344 | 344 | 14.86 |
| समस्तीपुर | 476 | 486 | 456 | 456 | 456 | 405 | 405 | 405 | 20.20 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 366 | 360 | 360 | 333 | 333 | 220 | 357 | 215 | 23.23 |
| मुंगेर | 167 | 165 | 162 | 156 | 156 | 146 | 163 | 161 | 23.32 |
| शेखपुरा | 121 | 85 | 108 | 106 | 106 | 94 | 94 | 94 | 31.43 |
| लखीसराय | 132 | 102 | 132 | 130 | 130 | 94 | 102 | 102 | 23.18 |
| जमुई | 230 | 212 | 213 | 180 | 180 | 174 | 195 | 195 | 21.30 |
| खगड़िया | 206 | 193 | 171 | 168 | 168 | 191 | 191 | 181 | 21.54 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 394 | 362 | 356 | 338 | 338 | 325 | 349 | 325 | 22.62 |
| बांका | 279 | 265 | 264 | 262 | 262 | 171 | 227 | 227 | 24.03 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 198 | 152 | 150 | 141 | 141 | 142 | 147 | 138 | 15.15 |
| सुपौल | 212 | 246 | 83 | 76 | 76 | 149 | 189 | 189 | 11.89 |
| मधेपुरा | 196 | 153 | 89 | 83 | 83 | 52 | 103 | 102 | 9.29 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 356 | 370 | 251 | 219 | 219 | 365 | 367 | 367 | 17.95 |
| किशनगंज | 166 | 186 | 97 | 91 | 91 | 124 | 163 | 166 | 15.03 |
| अररिया | 274 | 290 | 141 | 137 | 137 | 26 | 194 | 203 | 11.77 |
| कटिहार | 362 | 345 | 207 | 207 | 207 | 258 | 323 | 323 | 17.26 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **11800** | **11479** | **9406** | **8986** | **8986** | **8226** | **9543** | **9448** | **17.80** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## तालिका प 5.8 : बिहार में आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन

| जिले | आशा-कर्मियों की संख्या | | | | लक्ष्य के मुकाबले चयनित आशा-कर्मियों का प्रतिशत | | | प्रति लाख आबादी पर आशा-कर्मियों की सं. (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | मार्च-13 | मार्च-14 | सितंबर 14 | मार्च-13 | मार्च-14 | सितंबर 14 | |
| पटना | 3233 | 3182 | 3018 | 3018 | 98.42 | 93.35 | 93.35 | 51.69 |
| नालंदा | 2365 | 2356 | 2313 | 2316 | 99.62 | 97.80 | 97.93 | 80.48 |
| भोजपुर | 2264 | 2264 | 2199 | 2199 | 100 | 97.13 | 97.13 | 80.60 |
| बक्सर | 1493 | 1487 | 1474 | 1474 | 99.6 | 98.73 | 98.73 | 86.38 |
| रोहतास | 2490 | 2435 | 2430 | 2431 | 97.79 | 97.59 | 97.63 | 82.13 |
| कैमूर | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 100 | 100.00 | 100.00 | 89.89 |
| | | | | | | | | |
| गया | 3514 | 3493 | 3442 | 3445 | 99.4 | 97.95 | 98.04 | 78.45 |
| जहानाबाद | 871 | 871 | 870 | 870 | 100 | 99.89 | 99.89 | 77.31 |
| अरवल | 773 | 773 | 746 | 749 | 100 | 96.51 | 96.90 | 106.87 |
| नवादा | 1959 | 1920 | 1928 | 1952 | 98.01 | 98.42 | 99.64 | 87.96 |
| औरंगाबाद | 2160 | 2158 | 2142 | 2142 | 99.91 | 99.17 | 99.17 | 84.33 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 3459 | 3422 | 3385 | 3402 | 98.93 | 97.86 | 98.35 | 86.09 |
| सीवान | 3008 | 2939 | 2834 | 2822 | 97.71 | 94.22 | 93.82 | 84.73 |
| गोपालगंज | 2371 | 2297 | 2336 | 2350 | 96.88 | 98.52 | 99.11 | 91.72 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3206 | 3064 | 3043 | 3088 | 95.57 | 94.92 | 96.32 | 78.47 |
| पूर्व चंपारण | 4326 | 3762 | 3906 | 4060 | 86.96 | 90.29 | 93.85 | 79.62 |
| मुजफ्फरपुर | 3984 | 3812 | 3856 | 3857 | 95.68 | 96.79 | 96.81 | 80.34 |
| सीतामढ़ी | 2965 | 2827 | 2912 | 2912 | 95.35 | 98.21 | 98.21 | 85.06 |
| शिवहर | 580 | 570 | 572 | 572 | 98.28 | 98.62 | 98.62 | 87.16 |
| वैशाली | 2969 | 2856 | 2888 | 2945 | 96.19 | 97.27 | 99.19 | 84.26 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 3550 | 3546 | 3100 | 3103 | 99.89 | 87.32 | 87.41 | 78.81 |
| मधुबनी | 4046 | 3632 | 3682 | 3734 | 89.77 | 91.00 | 92.29 | 83.21 |
| समस्तीपुर | 3835 | 3829 | 3779 | 3783 | 99.84 | 98.54 | 98.64 | 88.77 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2629 | 2361 | 2410 | 2415 | 89.81 | 91.67 | 91.86 | 81.30 |
| मुंगेर | 961 | 956 | 956 | 947 | 99.48 | 99.48 | 98.54 | 69.24 |
| शेखपुरा | 520 | 476 | 476 | 476 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 74.80 |
| लखीसराय | 802 | 756 | 756 | 802 | 94.26 | 94.26 | 100.00 | 80.13 |
| जमुई | 1520 | 1513 | 1504 | 1504 | 99.54 | 98.95 | 98.95 | 85.43 |
| खगड़िया | 1412 | 1409 | 1399 | 1412 | 99.79 | 99.08 | 100.00 | 84.71 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 2311 | 2236 | 2236 | 2228 | 96.75 | 96.75 | 96.41 | 73.34 |
| बांका | 1820 | 1814 | 1782 | 1783 | 99.67 | 97.91 | 97.97 | 87.63 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1622 | 1472 | 1479 | 1471 | 90.75 | 91.18 | 90.69 | 77.39 |
| सुपौल | 1928 | 1920 | 1912 | 1928 | 99.59 | 99.17 | 100.00 | 86.49 |
| मधेपुरा | 1711 | 1638 | 1655 | 1655 | 95.73 | 96.73 | 96.73 | 82.68 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2723 | 2696 | 2634 | 2653 | 99.01 | 96.73 | 97.43 | 81.27 |
| किशनगंज | 1368 | 1334 | 1280 | 1280 | 97.51 | 93.57 | 93.57 | 75.72 |
| अररिया | 2376 | 2362 | 2365 | 2365 | 99.41 | 99.54 | 99.54 | 84.12 |
| कटिहार | 2549 | 2547 | 2549 | 2547 | 99.92 | 100.00 | 99.92 | 82.94 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **87135** | **84447** | **83702** | **84152** | **96.92** | **96.06** | **96.58** | **80.84** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

### तालिका प 5.9 : संस्थागत प्रसवों की जिलावार संख्या

| जिले | कुल आबादी का प्रतिशत (जनगणना 2011) | संस्थागत प्रसवों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 5.6 | 50209 (4.0) | 60796 (4.4) | 74704 (5.2) | 68557 (4.7) | 77716 (4.7) |
| नालंदा | 2.8 | 33171 (2.7) | 42025 (3.0) | 45754 (3.2) | 46747 (3.2) | 46188 (2.8) |
| भोजपुर | 2.6 | 31674 (2.5) | 33088 (2.4) | 38708 (2.7) | 40846 (2.8) | 42786 (2.6) |
| बक्सर | 1.6 | 13880 (1.1) | 22392 (1.6) | 26772 (1.9) | 27227 (1.9) | 24180 (1.5) |
| रोहतास | 2.9 | 32938 (2.6) | 30134 (2.2) | 32284 (2.3) | 32567 (2.2) | 32568 (2) |
| कैमूर | 1.6 | 27316 (2.2) | 22507 (1.6) | 24000 (1.7) | 22174 (1.5) | 25609 (1.6) |
| | | | | | | |
| गया | 4.2 | 35029 (2.8) | 39423 (2.8) | 42936 (3.0) | 43840 (3.0) | 51636 (3.1) |
| जहानाबाद | 1.1 | 20777 (1.7) | 20816 (1.5) | 17092 (1.2) | 18604 (1.3) | 20557 (1.2) |
| अरवल | 0.7 | 8140 (0.7) | 12470 (0.9) | 10123 (0.7) | 9645 (0.7) | 10388 (0.6) |
| नवादा | 2.1 | 24886 (2.0) | 28876 (2.1) | 28915 (2.0) | 29319 (2.0) | 33031 (2) |
| औरंगाबाद | 2.4 | 29058 (2.3) | 30775 (2.2) | 39018 (2.7) | 36628 (2.5) | 35704 (2.2) |
| | | | | | | |
| सारण | 3.8 | 39940 (3.2) | 54257 (3.9) | 51666 (3.6) | 53740 (3.7) | 52046 (3.2) |
| सीवान | 3.2 | 36966 (3) | 41917 (3) | 43509 (3) | 41348 (2.8) | 45015 (2.7) |
| गोपालगंज | 2.5 | 35135 (2.8) | 35563 (2.6) | 39807 (2.8) | 37756 (2.6) | 40303 (2.4) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.8 | 53014 (4.3) | 58858 (4.3) | 62077 (4.3) | 66070 (4.5) | 73388 (4.5) |
| पूर्व चंपारण | 4.9 | 83664 (6.7) | 79239 (5.7) | 57629 (4) | 54881 (3.7) | 67336 (4.1) |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 43552 (3.5) | 53583 (3.9) | 51933 (3.6) | 52071 (3.5) | 55821 (3.4) |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 20530 (1.6) | 29016 (2.1) | 22580 (1.6) | 31046 (2.1) | 48544 (2.9) |
| शिवहर | 0.6 | 3220 (0.3) | 8692 (0.6) | 7052 (0.5) | 7513 (0.5) | 9984 (0.6) |
| वैशाली | 3.4 | 43726 (3.5) | 51010 (3.7) | 58105 (4.1) | 61597 (4.2) | 62862 (3.8) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 3.8 | 38921 (3.1) | 41904 (3) | 33541 (2.3) | 44175 (3) | 50747 (3.1) |
| मधुबनी | 4.3 | 40254 (3.2) | 48550 (3.5) | 47066 (3.3) | 50875 (3.5) | 54495 (3.3) |
| समस्तीपुर | 4.1 | 82876 (6.6) | 79018 (5.7) | 81921 (5.7) | 80857 (5.5) | 93664 (5.7) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.8 | 37260 (3.0) | 42910 (3.1) | 51178 (3.6) | 51134 (3.5) | 57357 (3.5) |
| मुंगेर | 1.3 | 18848 (1.5) | 27116 (2) | 21907 (1.5) | 19899 (1.4) | 22839 (1.4) |
| शेखपुरा | 0.6 | 13206 (1.1) | 16138 (1.2) | 12994 (0.9) | 14006 (1.0) | 13179 (0.8) |
| लखीसराय | 1 | 10134 (0.8) | 12250 (0.9) | 11021 (0.8) | 13017 (0.9) | 15996 (1) |
| जमुई | 1.7 | 22300 (1.8) | 20605 (1.5) | 21430 (1.5) | 24577 (1.7) | 29343 (1.8) |
| खगड़िया | 1.6 | 33973 (2.7) | 32121 (2.3) | 29133 (2) | 29210 (2) | 36192 (2.2) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 2.9 | 36917 (3) | 32465 (2.3) | 42941 (3) | 40748 (2.8) | 49883 (3) |
| बांका | 2 | 24235 (1.9) | 28915 (2.1) | 29423 (2.1) | 30678 (2.1) | 36294 (2.2) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 1.8 | 26813 (2.2) | 31742 (2.3) | 35971 (2.5) | 35565 (2.4) | 40902 (2.5) |
| सुपौल | 2.1 | 30607 (2.5) | 34754 (2.5) | 40564 (2.8) | 42736 (2.9) | 46227 (2.8) |
| मधेपुरा | 1.9 | 26065 (2.1) | 31650 (2.3) | 32881 (2.3) | 31937 (2.2) | 37532 (2.3) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 3.2 | 54126 (4.3) | 53257 (3.8) | 57157 (4) | 62121 (4.2) | 73135 (4.4) |
| किशनगंज | 1.6 | 22033 (1.8) | 26017 (1.9) | 27985 (2) | 23588 (1.6) | 26822 (1.6) |
| अररिया | 2.7 | 36350 (2.9) | 38881 (2.8) | 40368 (2.8) | 40099 (2.7) | 50818 (3.1) |
| कटिहार | 3 | 24751 (2) | 31061 (2.2) | 39815 (2.8) | 51728 (3.5) | 55576 (3.4) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **100** | **1246494 (100.0)** | **1384791 (100.0)** | **1431960 (100.0)** | **1469126 (100.0)** | **1646663 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**तालिका प 5.10 : जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिलावार आच्छादन**

| जिले | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 53931 | 67941 | 69543 | 138876 | 38180 |
| नालंदा | 42467 | 44323 | 46472 | 46027 | 21261 |
| भोजपुर | 32143 | 37354 | 39613 | 41733 | 18333 |
| बक्सर | 20928 | 26189 | 24185 | 26841 | 10580 |
| रोहतास | 31228 | 31524 | 56561 | 32397 | 13823 |
| कैमूर | 24955 | 23250 | 21813 | 25450 | 11218 |
| | | | | | |
| गया | 38954 | 42360 | 42149 | 99712 | 25168 |
| जहानाबाद | 22788 | 16116 | 18081 | 20391 | 8466 |
| अरवल | 12516 | 9714 | 9567 | 10167 | 4249 |
| नवादा | 29212 | 27638 | 29584 | 32006 | 14628 |
| औरंगाबाद | 30533 | 36475 | 37659 | 34998 | 15799 |
| | | | | | |
| सारण | 52826 | 50721 | 51732 | 50762 | 24574 |
| सीवान | 42759 | 42048 | 42061 | 43339 | 21078 |
| गोपालगंज | 35665 | 39237 | 38049 | 38731 | 19173 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 54525 | 70542 | 67063 | 68767 | 33819 |
| पूर्व चंपारण | 87587 | 60373 | 56195 | 62511 | 29818 |
| मुजफ्फरपुर | 54988 | 44088 | 49210 | 106770 | 27180 |
| सीतामढ़ी | 28720 | 22496 | 26950 | 43622 | 21951 |
| शिवहर | 8212 | 6705 | 7366 | 9478 | 4523 |
| वैशाली | 49182 | 55193 | 61944 | 60827 | 29927 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 43039 | 38587 | 40332 | 89499 | 22432 |
| मधुबनी | 48216 | 47690 | 47157 | 53698 | 24171 |
| समस्तीपुर | 82021 | 79087 | 81729 | 89165 | 44071 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 41803 | 49780 | 50572 | 55024 | 28109 |
| मुंगेर | 24164 | 23986 | 20427 | 21799 | 10217 |
| शेखपुरा | 16197 | 12835 | 13266 | 13010 | 6250 |
| लखीसराय | 11903 | 11092 | 11337 | 15457 | 7031 |
| जमुई | 21691 | 20804 | 23143 | 27989 | 14297 |
| खगड़िया | 34776 | 28316 | 29085 | 34173 | 16906 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 31232 | 39277 | 40830 | 92949 | 25204 |
| बांका | 28099 | 27855 | 31310 | 33833 | 17830 |
| | | | | | |
| सहरसा | 30065 | 35107 | 35469 | 39572 | 18779 |
| सुपौल | 34027 | 39698 | 40239 | 45694 | 21082 |
| मधेपुरा | 30695 | 32062 | 31792 | 36159 | 18694 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 52921 | 51964 | 56561 | 69071 | 35959 |
| किशनगंज | 25359 | 25479 | 23818 | 25293 | 11571 |
| अररिया | 37726 | 41232 | 38084 | 50097 | 23952 |
| कटिहार | 29486 | 35380 | 43146 | 54957 | 26189 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **1377539** | **1394518** | **1454094** | **1840844** | **766492** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**तालिका प 5.11 : रोगों की प्रधानता ( सूचित अवधि : 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 2014 )**

| जिले | तीव्र विसूचिका | खूनी पेचिश | वायरल हिपेटाइटिस | आंत्र ज्वर | मलेरिया |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 25736 | 10423 | 2850 | 4530 | 458 |
| नालंदा | 13940 | 10006 | 345 | 9091 | 1604 |
| भोजपुर | 17964 | 11828 | 1 | 822 | 0 |
| बक्सर | 3494 | 1101 | 0 | 1279 | 80 |
| रोहतास | 22836 | 14366 | 1994 | 19317 | 1512 |
| कैमूर | 9624 | 8167 | 69 | 21654 | 306 |
| | | | | | |
| गया | 14381 | 10690 | 34 | 5566 | 7339 |
| जहानाबाद | 25043 | 28327 | 16 | 2373 | 243 |
| अरवल | 891 | 3147 | 0 | 1475 | 1 |
| नवादा | 14597 | 7409 | 3008 | 1573 | 1639 |
| औरंगाबाद | 7633 | 2989 | 1 | 1342 | 189 |
| | | | | | |
| सारण | 6073 | 652 | 2 | 7305 | 64 |
| सीवान | 26800 | 18421 | 30 | 10207 | 963 |
| गोपालगंज | 9823 | 2451 | 246 | 1784 | 141 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 33369 | 3403 | 0 | 22 | 8 |
| पूर्व चंपारण | 13093 | 8385 | 169 | 12580 | 35 |
| मुजफ्फरपुर | 15886 | 8096 | 288 | 7443 | 416 |
| सीतामढ़ी | 23245 | 11657 | 0 | 6261 | 0 |
| शिवहर | 10283 | 5199 | 0 | 10199 | 0 |
| वैशाली | 16115 | 20120 | 6242 | 39682 | 881 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 7492 | 21492 | 206 | 3713 | 195 |
| मधुबनी | 26215 | 13410 | 394 | 9166 | 1618 |
| समस्तीपुर | 32425 | 22983 | 0 | 22923 | 237 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 36740 | 13204 | 4 | 22134 | 99 |
| मुंगेर | 6931 | 7095 | 17 | 205 | 2315 |
| शेखपुरा | 1890 | 1713 | 0 | 43 | 40 |
| लखीसराय | 4266 | 654 | 0 | 648 | 25 |
| जमुई | 8367 | 8946 | 17 | 2325 | 1928 |
| खगड़िया | 39872 | 4243 | 1 | 131 | 0 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 557 | 140 | 1 | 214 | 15 |
| बांका | 38780 | 5184 | 1 | 1301 | 102 |
| | | | | | |
| सहरसा | 16884 | 10737 | 0 | 1930 | 0 |
| सुपौल | 8700 | 4687 | 1 | 6215 | 0 |
| मधेपुरा | 2669 | 1012 | 0 | 143 | 0 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 17314 | 12652 | 21 | 7771 | 528 |
| किशनगंज | 5446 | 1391 | 45 | 945 | 123 |
| अररिया | 7531 | 5837 | 1 | 1925 | 1189 |
| कटिहार | 22952 | 8625 | 1024 | 7625 | 487 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **595857** | **330842** | **17028** | **253862** | **24780** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.11 : रोगों की प्रधानता (सूचित अवधि : 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 2014) (जारी)

| जिला | अज्ञात ज्वर (PUO) | तीव्र श्वास संक्रमण/ इनफ्लुएंजा जैसी बीमारी | न्यूमोनिया | कुत्ता काटना | राज्य का कोई अन्य खास रोग | पूर्वोक्त से भिन्न असामान्य रोग लक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 34544 | 40782 | 2103 | 35633 | 3987 | 6339 |
| नालंदा | 17460 | 21636 | 2145 | 16827 | 0 | 0 |
| भोजपुर | 2003 | 78365 | 209 | 9020 | 430 | 0 |
| बक्सर | 3223 | 51067 | 351 | 7847 | 0 | 0 |
| रोहतास | 40739 | 62609 | 3273 | 10667 | 0 | 0 |
| कैमूर | 43308 | 34613 | 1040 | 3584 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| गया | 80619 | 69826 | 3433 | 11189 | 6883 | 0 |
| जहानाबाद | 107320 | 38628 | 1467 | 8729 | 0 | 0 |
| अरवल | 3270 | 23433 | 378 | 5550 | 0 | 0 |
| नवादा | 49732 | 15614 | 2364 | 3125 | 4348 | 7562 |
| औरंगाबाद | 7676 | 11393 | 2133 | 3912 | 298 | 0 |
| | | | | | | |
| सारण | 11687 | 22776 | 915 | 29318 | 96 | 1849 |
| सीवान | 52829 | 66963 | 2232 | 11457 | 1520 | 1771 |
| गोपालगंज | 68260 | 72442 | 771 | 9945 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 6314 | 49495 | 2084 | 13289 | 2 | 0 |
| पूर्व चंपारण | 13690 | 10913 | 4453 | 7677 | 0 | 0 |
| मुजफ्फरपुर | 28517 | 23798 | 280 | 14757 | 3364 | 0 |
| सीतामढ़ी | 14791 | 40193 | 3192 | 16865 | 183 | 0 |
| शिवहर | 8675 | 9002 | 0 | 4835 | 0 | 0 |
| वैशाली | 41500 | 83820 | 2631 | 17125 | 0 | 8782 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 19402 | 54615 | 1385 | 8520 | 420 | 10518 |
| मधुबनी | 34139 | 76097 | 487 | 12449 | 984 | 0 |
| समस्तीपुर | 40340 | 64032 | 800 | 12169 | 1363 | 0 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 66407 | 89411 | 1112 | 12674 | 8 | 0 |
| मुंगेर | 12759 | 26914 | 426 | 5446 | 30 | 15 |
| शेखपुरा | 12876 | 31709 | 54 | 1784 | 0 | 307 |
| लखीसराय | 950 | 18622 | 6 | 1455 | 0 | 0 |
| जमुई | 68056 | 71645 | 663 | 2923 | 0 | 602 |
| खगड़िया | 79757 | 74855 | 711 | 2466 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 20475 | 10044 | 27 | 2856 | 66 | 3177 |
| बांका | 11421 | 47470 | 1083 | 3257 | 1824 | 3 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 68642 | 58626 | 404 | 3002 | 0 | 0 |
| सुपौल | 27509 | 5553 | 120 | 4711 | 987 | 102 |
| मधेपुरा | 12600 | 9898 | 28 | 1479 | 0 | 8538 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 23655 | 48855 | 770 | 7839 | 117 | 0 |
| किशनगंज | 669 | 8665 | 0 | 1987 | 21 | 0 |
| अररिया | 23464 | 2897 | 198 | 3781 | 809 | 516 |
| कटिहार | 17630 | 33160 | 939 | 4686 | 373 | 7454 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **1176908** | **1560436** | **44667** | **334835** | **28113** | **57535** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## तालिका प 5.12 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित जिलावार धनराशि

(लाख रु.)

| जिले | संवितरित धनराशि | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010-11 | 2011- 12 | 2012-13 | 2013-14 | | | |
| | कुल एनआरएचएम | | | NRHM-A | NRHM-B | NRHM-C | योग |
| पटना | 2538.66 | 3866.41 | 3918.44 | 2814.81 | 466.58 | 754.31 | 4035.70 |
| नालंदा | 2488.23 | 2997.72 | 3122.66 | 1977.78 | 704.90 | 280.56 | 2963.24 |
| भोजपुर | 1813.29 | 1927.37 | 2404.79 | 1863.51 | 2.90 | 191.95 | 2058.36 |
| बक्सर | 1363.65 | 1384.30 | 1611.58 | 1047.52 | 118.36 | 217.04 | 1382.92 |
| रोहतास | 1133.20 | 2417.70 | 2168.35 | 1489.06 | 220.71 | 222.90 | 1932.67 |
| कैमूर | 1473.47 | 897.22 | 1741.79 | 1569.51 | 3.15 | 131.16 | 1703.82 |
| | | | | | | | |
| गया | 2362.64 | 3274.05 | 4074.41 | 2834.39 | 1338.55 | 417.69 | 4590.63 |
| जहानाबाद | 993.48 | 1330.99 | 1670.92 | 818.46 | 382.19 | 129.31 | 1329.96 |
| अरवल | 623.88 | 751.42 | 723.23 | 629.70 | 216.28 | 74.84 | 920.82 |
| नवादा | 1618.54 | 2041.43 | 1884.60 | 1559.15 | 3.15 | 180.38 | 1742.68 |
| औरंगाबाद | 1388.76 | 2383.57 | 2453.71 | 1900.93 | 488.35 | 204.85 | 2594.13 |
| | | | | | | | |
| सारण | 1616.62 | 2812.18 | 2745.75 | 1906.08 | 781.81 | 163.72 | 2851.61 |
| सीवान | 2804.36 | 2374.99 | 2487.41 | 2077.85 | 340.02 | 303.17 | 2721.04 |
| गोपालगंज | 1957.14 | 1490.57 | 2091.29 | 1611.79 | 727.24 | 181.79 | 2520.82 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1967.91 | 2775.58 | 4548.41 | 2461.44 | 905.93 | 397.33 | 3764.70 |
| पूर्व चंपारण | 2012.87 | 2768.28 | 5185.27 | 2380.57 | 1019.30 | 518.07 | 3917.94 |
| मुजफ्फरपुर | 1846.77 | 2863.67 | 4822.50 | 2031.15 | 1093.99 | 313.72 | 3438.86 |
| सीतामढ़ी | 1311.13 | 1708.40 | 2082.75 | 1992.43 | 256.42 | 257.77 | 2506.62 |
| शिवहर | 485.64 | 458.96 | 1158.50 | 312.53 | 291.38 | 41.88 | 645.79 |
| वैशाली | 1396.05 | 2785.30 | 4096.68 | 3212.07 | 319.33 | 480.21 | 4011.61 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 1486.46 | 2122.62 | 2751.79 | 2019.61 | 772.69 | 320.80 | 3113.10 |
| मधुबनी | 3029.55 | 3068.91 | 3023.80 | 2347.00 | 843.11 | 340.03 | 3530.14 |
| समस्तीपुर | 3307.04 | 3916.07 | 4833.92 | 3464.50 | 935.93 | 314.22 | 4714.65 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2053.81 | 2911.53 | 3200.97 | 2469.46 | 472.41 | 291.47 | 3233.34 |
| मुंगेर | 1285.08 | 1202.14 | 1419.77 | 1435.30 | 378.69 | 131.44 | 1945.43 |
| शेखपुरा | 475.12 | 913.00 | 1145.46 | 745.00 | 2.15 | 67.71 | 814.86 |
| लखीसराय | 461.28 | 756.18 | 1079.11 | 698.46 | 241.75 | 105.95 | 1046.16 |
| जमुई | 877.85 | 1802.58 | 2105.52 | 1321.27 | 130.21 | 170.41 | 1621.89 |
| खगड़िया | 1923.19 | 1697.23 | 2045.49 | 1300.59 | 362.73 | 91.09 | 1754.41 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 2370.44 | 2209.49 | 3959.01 | 1966.34 | 976.74 | 384.23 | 3327.31 |
| बांका | 930.15 | 2287.43 | 2576.64 | 1470.28 | 572.40 | 278.95 | 2321.63 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 1435.29 | 1578.74 | 1908.11 | 1561.88 | 405.00 | 127.05 | 2093.93 |
| सुपौल | 1046.12 | 2060.39 | 2376.78 | 1669.77 | 3.15 | 185.36 | 1858.28 |
| मधेपुरा | 1293.28 | 1909.24 | 1574.83 | 1473.25 | 341.70 | 137.04 | 1951.99 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2978.53 | 3842.55 | 4097.55 | 2556.39 | 583.80 | 253.03 | 3393.22 |
| किशनगंज | 894.53 | 1141.45 | 1586.09 | 834.54 | 1.65 | 129.53 | 965.72 |
| अररिया | 1262.66 | 1745.15 | 2623.92 | 1692.56 | 2.65 | 277.09 | 1972.30 |
| कटिहार | 1706.01 | 2106.78 | 3618.38 | 2184.68 | 693.22 | 253.55 | 3131.45 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **62012.68** | **80581.59** | **100920.2** | **67701.61** | **17400.52** | **9321.60** | **94423.73** |

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

**तालिका प 5.13 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में चापाकलों की जिलावार स्थापना**

| जिले | लगे चापाकलों की संख्या | | | छूटे / पानी की खराब गुणवत्ता वाले वासस्थलों का आच्छादन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 1422 | 1481 | 1553 | 407 | 852 | 666 |
| नालंदा | 1473 | 1122 | 998 | 457 | 300 | 459 |
| भोजपुर | 1299 | 830 | 840 | 214 | 280 | 221 |
| बक्सर | 63 | 425 | 341 | 75 | 121 | 147 |
| रोहतास | 1641 | 1024 | 1185 | 328 | 97 | 227 |
| कैमूर | 409 | 426 | 452 | 164 | 28 | 158 |
| | | | | | | |
| गया | 1869 | 1315 | 2105 | 738 | 300 | 511 |
| जहानाबाद | 599 | 769 | 831 | 67 | 84 | 140 |
| अरवल | 738 | 132 | 259 | 47 | 50 | 81 |
| नवादा | 842 | 464 | 726 | 372 | 136 | 256 |
| औरंगाबाद | 1407 | 468 | 789 | 183 | 239 | 202 |
| | | | | | | |
| सारण | 592 | 1719 | 953 | 458 | 451 | 591 |
| सीवान | 961 | 1452 | 1643 | 355 | 628 | 379 |
| गोपालगंज | 342 | 829 | 1165 | 170 | 273 | 350 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1154 | 1616 | 710 | 156 | 88 | 295 |
| पूर्व चंपारण | 1268 | 3397 | 1646 | 536 | 851 | 694 |
| मुजफ्फरपुर | 1245 | 108 | 2297 | 347 | 104 | 153 |
| सीतामढ़ी | 1197 | 541 | 979 | 171 | 230 | 312 |
| शिवहर | 181 | 94 | 149 | 67 | 39 | 121 |
| वैशाली | 477 | 1082 | 1534 | 396 | 343 | 427 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 981 | 2134 | 1160 | 131 | 432 | 412 |
| मधुबनी | 2891 | 1885 | 1612 | 237 | 529 | 508 |
| समस्तीपुर | 983 | 1046 | 931 | 447 | 183 | 157 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 533 | 858 | 810 | 413 | 375 | 564 |
| मुंगेर | 334 | 220 | 253 | 80 | 24 | 223 |
| शेखपुरा | 235 | 523 | 189 | 75 | 30 | 146 |
| लखीसराय | 177 | 450 | 828 | 169 | 260 | 409 |
| जमुई | 742 | 639 | 444 | 416 | 568 | 334 |
| खगड़िया | 39 | 299 | 416 | 80 | 30 | 119 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 549 | 1199 | 735 | 301 | 90 | 523 |
| बांका | 355 | 780 | 472 | 325 | 323 | 418 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 0 | 639 | 713 | 112 | 375 | 311 |
| सुपौल | 307 | 736 | 741 | 298 | 769 | 700 |
| मधेपुरा | 24 | 273 | 788 | 288 | 267 | 292 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 317 | 143 | 1396 | 1101 | 595 | 320 |
| किशनगंज | 447 | 216 | 680 | 345 | 243 | 410 |
| अररिया | 193 | 387 | 567 | 534 | 341 | 377 |
| कटिहार | 0 | 205 | 399 | 183 | 32 | 174 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **28286** | **31926** | **34289** | **11243** | **10960** | **12787** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.14 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय**

| जिले | कुल आबादी का प्रतिशत | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योग (गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर) | | गरीबी रेखा के नीचे | गरीबी रेखा के ऊपर | योग |
| पटना | 5.6 | 27518 (3.3) | 26263 (3.3) | 7450 | 6066 | 13516 (8.4) |
| नालंदा | 2.8 | 19618 (2.3) | 9991 (1.3) | 448 | 254 | 702 (0.4) |
| भोजपुर | 2.6 | 29261 (3.5) | 24566 (3.1) | 1299 | 1434 | 2733 (1.7) |
| बक्सर | 1.6 | 3779 (0.4) | 12335 (1.5) | 1439 | 484 | 1923 (1.2) |
| रोहतास | 2.9 | 25707 (3.1) | 19842 (2.5) | 2488 | 1463 | 3951 (2.4) |
| कैमूर | 1.6 | 15666 (1.9) | 15794 (2.0) | 3267 | 2714 | 5981 (3.7) |
| | | | | | | |
| गया | 4.2 | 31914 (3.8) | 17949 (2.3) | 4995 | 1798 | 6793 (4.2) |
| जहानाबाद | 1.1 | 12924 (1.5) | 1859 (0.2) | 1063 | 671 | 1734 (1.1) |
| अरवल | 0.7 | 10057 (1.2) | 8142 (1.0) | 282 | 172 | 454 (0.3) |
| नवादा | 2.1 | 25374 (3.0) | 5604 (0.7) | 1059 | 270 | 1329 (0.8) |
| औरंगाबाद | 2.4 | 17549 (2.1) | 10322 (1.3) | 801 | 642 | 1443 (0.9) |
| | | | | | | |
| सारण | 3.8 | 34427 (4.1) | 19817 (2.5) | 1520 | 415 | 1935 (1.2) |
| सीवान | 3.2 | 40325 (4.8) | 36264 (4.6) | 4985 | 5843 | 10828 (6.7) |
| गोपालगंज | 2.5 | 19392 (2.3) | 25202 (3.2) | 463 | 476 | 939 (0.6) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.8 | 33897 (4.0) | 32441 (4.1) | 14396 | 6007 | 20403 (12.6) |
| पूर्व चंपारण | 4.9 | 43759 (5.2) | 44148 (5.5) | 6577 | 2532 | 9109 (5.6) |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 45798 (5.5) | 15434 (1.9) | 1145 | 148 | 1293 (0.8) |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 8925 (1.1) | 29876 (3.7) | 7940 | 2214 | 10154 (6.3) |
| शिवहर | 0.6 | 14843 (1.8) | 13050 (1.6) | 688 | 0 | 688 (0.4) |
| वैशाली | 3.4 | 25758 (3.1) | 37032 (4.6) | 4444 | 2354 | 6798 (4.2) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 3.8 | 56949 (6.8) | 47217 (5.9) | 2541 | 2386 | 4927 (3) |
| मधुबनी | 4.3 | 6960 (0.8) | 3983 (0.5) | 3 | 1729 | 1732 (1.1) |
| समस्तीपुर | 4.1 | 40026 (4.8) | 62167 (7.8) | 2397 | 4130 | 6527 (4) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.8 | 22293 (2.7) | 28653 (3.6) | 132 | 22 | 154 (0.1) |
| मुंगेर | 1.3 | 3905 (0.5) | 6163 (0.8) | 2172 | 171 | 2343 (1.4) |
| शेखपुरा | 0.6 | 5016 (0.6) | 10871 (1.4) | 282 | 218 | 500 (0.3) |
| लखीसराय | 1 | 15841 (1.9) | 11900 (1.5) | 1305 | 2224 | 3529 (2.2) |
| जमुई | 1.7 | 12443 (1.5) | 20491 (2.6) | 2245 | 1814 | 4059 (2.5) |
| खगड़िया | 1.6 | 16399 (2.0) | 14652 (1.8) | 1275 | 665 | 1940 (1.2) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 2.9 | 24685 (2.9) | 22177 (2.8) | 2566 | 2700 | 5266 (3.3) |
| बांका | 2 | 15809 (1.9) | 13780 (1.7) | 1512 | 1671 | 3183 (2) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 1.8 | 14812 (1.8) | 15806 (2) | 972 | 1247 | 2219 (1.4) |
| सुपौल | 2.1 | 22936 (2.7) | 20534 (2.6) | 1030 | 469 | 1499 (0.9) |
| मधेपुरा | 1.9 | 25793 (3.1) | 19442 (2.4) | 1204 | 939 | 2143 (1.3) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 3.2 | 27328 (3.3) | 31051 (3.9) | 6725 | 3721 | 10446 (6.5) |
| किशनगंज | 1.6 | 11735 (1.4) | 17347 (2.2) | 1121 | 387 | 1508 (0.9) |
| अररिया | 2.7 | 10777 (1.3) | 14341 (1.8) | 17 | 4 | 21 (0) |
| कटिहार | 3 | 19729 (2.3) | 30193 (3.8) | 4208 | 2736 | 6944 (4.3) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **100** | **839927(100.0)** | **796699(100.0)** | **98456** | **63190** | **161646 (100)** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.15 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां (स्वच्छता संकुल, स्कूली शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय)**

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वच्छता संकुल | स्कूली शौचालय | आंगनवाड़ी शौचालय | स्वच्छता संकुल | स्कूली शौचालय | आंगनवाड़ी शौचालय | स्वच्छता संकुल | स्कूली शौचालय | आंगनवाड़ी शौचालय |
| पटना | 0 | 265 | 190 | 4 | 584 | 53 | 9 | 632 | 30 |
| नालंदा | 0 | 582 | 84 | 1 | 466 | 48 | 0 | 555 | 60 |
| भोजपुर | 0 | 265 | 190 | 0 | 1046 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| बक्सर | 0 | 81 | 59 | 0 | 772 | 7 | 0 | 31 | 0 |
| रोहतास | 2 | 361 | 52 | 1 | 460 | 229 | 0 | 208 | 171 |
| कैमूर | 0 | 511 | 41 | 0 | 89 | 227 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 0 | 784 | 4 | 0 | 334 | 224 | 0 | 224 | 34 |
| जहानाबाद | 2 | 370 | 5 | 7 | 216 | 49 | 1 | 3 | 318 |
| अरवल | 0 | 221 | 0 | 3 | 139 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| नवादा | 2 | 334 | 59 | 1 | 64 | 68 | 1 | 18 | 16 |
| औरंगाबाद | 2 | 12 | 31 | 0 | 1120 | 121 | 0 | 274 | 93 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 3 | 990 | 0 | 0 | 220 | 117 | 0 | 200 | 0 |
| सीवान | 0 | 1328 | 83 | 3 | 318 | 165 | 0 | 0 | 105 |
| गोपालगंज | 10 | 2 | 0 | 0 | 122 | 278 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0 | 1130 | 17 | 0 | 669 | 42 | 0 | 221 | 244 |
| पूर्व चंपारण | 0 | 2306 | 64 | 0 | 716 | 173 | 0 | 133 | 4 |
| मुजफ्फरपुर | 0 | 1481 | 0 | 2 | 275 | 120 | 0 | 22 | 0 |
| सीतामढ़ी | 26 | 1766 | 2 | 154 | 760 | 115 | 0 | 70 | 0 |
| शिवहर | 5 | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वैशाली | 0 | 600 | 26 | 0 | 618 | 320 | 0 | 256 | 30 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0 | 1178 | 43 | 2 | 504 | 278 | 3 | 358 | 48 |
| मधुबनी | 5 | 7 | 173 | 0 | 1622 | 249 | 0 | 726 | 2 |
| समस्तीपुर | 26 | 1766 | 2 | 2 | 1534 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0 | 37 | 74 | 1 | 376 | 216 | 0 | 28 | 50 |
| मुंगेर | 0 | 569 | 1 | 0 | 158 | 57 | 0 | 54 | 0 |
| शेखपुरा | 0 | 569 | 1 | 0 | 61 | 95 | 0 | 35 | 13 |
| लखीसराय | 0 | 107 | 9 | 0 | 116 | 29 | 0 | 111 | 10 |
| जमुई | 0 | 1193 | 32 | 0 | 73 | 179 | 0 | 0 | 35 |
| खगड़िया | 17 | 68 | 10 | 5 | 118 | 115 | 2 | 147 | 2 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 55 | 761 | 0 | 3 | 269 | 52 | 0 | 0 | 44 |
| बांका | 1 | 1356 | 7 | 1 | 370 | 139 | 15 | 0 | 28 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1 | 358 | 0 | 6 | 132 | 113 | 0 | 20 | 0 |
| सुपौल | 0 | 309 | 0 | 13 | 100 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| मधेपुरा | 0 | 314 | 36 | 0 | 142 | 31 | 0 | 8 | 28 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0 | 10 | 0 | 0 | 1070 | 47 | 1 | 478 | 54 |
| किशनगंज | 0 | 29 | 17 | 5 | 10 | 66 | 2 | 232 | 0 |
| अररिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| कटिहार | 1 | 818 | 31 | 0 | 272 | 111 | 0 | 22 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **132** | **22575** | **1521** | **214** | **17009** | **4822** | **36** | **5076** | **1437** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 5.16 : बिहार में लिंग आधारित जिलावार साक्षरता दरें : 2001 और 2011

| जिला | 2001 | | | 2011 | | | दशकीय वृद्धि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यक्ति | पुरुष | महिला | व्यक्ति | पुरुष | महिला | व्यक्ति | पुरुष | महिला |
| पटना | 62.9 | 73.3 | 50.8 | 70.7 | 78.5 | 62.0 | 7.8 | 5.2 | 11.2 |
| नालंदा | 53.2 | 66.4 | 38.6 | 64.4 | 74.9 | 53.1 | 11.2 | 8.5 | 14.5 |
| भोजपुर | 59.0 | 74.3 | 41.8 | 70.5 | 81.7 | 58.0 | 11.5 | 7.4 | 16.2 |
| बक्सर | 56.8 | 71.9 | 39.9 | 70.1 | 80.7 | 58.6 | 13.3 | 8.8 | 18.7 |
| रोहतास | 61.3 | 75.3 | 45.7 | 73.4 | 82.9 | 63.0 | 12.1 | 7.6 | 17.3 |
| कैमूर | 55.1 | 69.7 | 38.8 | 69.3 | 79.4 | 58.4 | 14.2 | 9.7 | 19.6 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 50.4 | 63.3 | 36.7 | 63.7 | 73.3 | 53.3 | 13.3 | 10.0 | 16.6 |
| जहानाबाद | 55.3 | 70.1 | 39.4 | 66.8 | 77.7 | 55.0 | 11.5 | 7.6 | 15.6 |
| अरवल | अनु. | अनु | अनु. | 67.4 | 79.1 | 54.9 | - | - | - |
| नवादा | 46.8 | 60.6 | 32.2 | 59.8 | 70.0 | 48.9 | 13.0 | 9.4 | 16.7 |
| औरंगाबाद | 57 | 71.1 | 41.9 | 70.3 | 80.1 | 59.7 | 13.3 | 9.0 | 17.8 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 51.8 | 67.3 | 35.8 | 66.0 | 77.0 | 54.4 | 14.2 | 9.7 | 18.6 |
| सीवान | 51.6 | 67.3 | 36.9 | 69.5 | 80.2 | 58.7 | 17.9 | 12.9 | 21.8 |
| गोपालगंज | 47.5 | 63 | 32.2 | 65.5 | 76.5 | 54.8 | 18.0 | 13.5 | 22.6 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 38.9 | 51.1 | 25.2 | 55.7 | 65.6 | 44.7 | 16.8 | 14.5 | 19.5 |
| पूर्व चंपारण | 37.5 | 49.3 | 24.3 | 55.8 | 65.3 | 45.1 | 18.3 | 16.0 | 20.8 |
| मुजफ्फरपुर | 48 | 59.1 | 35.8 | 63.4 | 71.3 | 54.7 | 15.4 | 12.2 | 18.9 |
| सीतामढ़ी | 38.5 | 49.4 | 26.1 | 52.1 | 60.6 | 42.4 | 13.6 | 11.2 | 16.3 |
| शिवहर | 35.3 | 45.3 | 23.9 | 53.8 | 61.3 | 45.3 | 18.5 | 16.0 | 21.4 |
| वैशाली | 50.5 | 63.3 | 36.6 | 66.6 | 75.4 | 56.7 | 16.1 | 12.1 | 20.1 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 44.3 | 56.7 | 30.8 | 56.6 | 66.8 | 45.2 | 12.3 | 10.1 | 14.4 |
| मधुबनी | 42.0 | 56.8 | 26.3 | 58.6 | 70.1 | 46.2 | 16.6 | 13.3 | 19.9 |
| समस्तीपुर | 45.1 | 57.6 | 31.7 | 61.9 | 71.3 | 51.5 | 16.8 | 13.7 | 19.8 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 48 | 59.1 | 35.6 | 63.9 | 71.6 | 55.2 | 15.9 | 12.5 | 19.6 |
| मुंगेर | 59.5 | 69.9 | 47.4 | 70.5 | 77.7 | 62.1 | 11.0 | 7.8 | 14.7 |
| शेखपुरा | 48.6 | 61.9 | 33.9 | 63.9 | 73.6 | 53.4 | 15.3 | 11.7 | 19.5 |
| लखीसराय | 48.0 | 60.7 | 34.0 | 62.4 | 71.3 | 52.6 | 14.4 | 10.6 | 18.6 |
| जमुई | 42.4 | 57.1 | 26.3 | 59.8 | 71.2 | 47.3 | 17.4 | 14.1 | 21.0 |
| खगड़िया | 41.3 | 51.8 | 29.4 | 57.9 | 65.2 | 49.6 | 16.6 | 13.4 | 20.2 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 49.5 | 59.2 | 38.1 | 63.1 | 70.3 | 54.9 | 13.6 | 11.1 | 16.8 |
| बांका | 42.7 | 55.3 | 28.7 | 58.2 | 67.6 | 47.7 | 15.5 | 12.3 | 19.0 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 39.1 | 51.7 | 25.3 | 53.2 | 63.6 | 41.7 | 14.1 | 11.9 | 16.4 |
| सुपौल | 37.3 | 52.5 | 20.8 | 57.7 | 69.6 | 44.8 | 20.4 | 17.1 | 24.0 |
| मधेपुरा | 36.1 | 48.8 | 22.1 | 52.3 | 61.8 | 41.7 | 16.2 | 13.0 | 19.6 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 35.1 | 45.6 | 23.4 | 51.1 | 59.1 | 42.3 | 16.0 | 13.5 | 18.9 |
| किशनगंज | 31.1 | 42.7 | 18.6 | 55.5 | 62.3 | 43.9 | 24.4 | 19.6 | 25.3 |
| अररिया | 35.0 | 46.4 | 22.4 | 55.5 | 63.7 | 46.8 | 20.5 | 17.3 | 24.4 |
| कटिहार | 35.1 | 45.3 | 23.8 | 52.2 | 59.4 | 44.4 | 17.1 | 14.1 | 20.6 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **47.0** | **59.7** | **33.1** | **61.8** | **71.2** | **51.5** | **14.8** | **11.5** | **18.4** |

स्रोत : जनगणना 2001 और जनगणना 2011

## तालिका प 5.17 : बिहार में निवास आधारित जिलावार साक्षरता दरें

| जिला | 2001 की जनगणना | | | 2011 की जनगणना | | | दशकीय परिवर्तन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी |
| पटना | 62.9 | 51.4 | 78.1 | 70.7 | 62.4 | 81.0 | 7.8 | 11.0 | 2.9 |
| नालंदा | 53.2 | 50.4 | 68.5 | 64.4 | 62.4 | 74.6 | 11.2 | 12.0 | 6.1 |
| भोजपुर | 59.0 | 56.8 | 71.6 | 70.5 | 69.2 | 78.1 | 11.5 | 12.4 | 6.5 |
| बक्सर | 56.8 | 55.0 | 73.6 | 70.1 | 69.1 | 79.4 | 13.3 | 14.1 | 5.8 |
| रोहतास | 61.3 | 59.2 | 74.1 | 73.4 | 72.5 | 78.4 | 12.1 | 13.3 | 4.3 |
| कैमूर | 55.1 | 54.3 | 76.9 | 69.3 | 68.8 | 82.6 | 14.2 | 14.5 | 5.7 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 50.5 | 46.2 | 75.7 | 63.7 | 61.0 | 80.2 | 13.2 | 14.8 | 4.5 |
| जहानाबाद | 55.2 | 53.2 | 69.5 | 66.8 | 65.5 | 76.3 | 11.6 | 12.3 | 6.8 |
| अरवल | 55.3 | 55.3 | 0.0 | 67.4 | 66.8 | 75.3 | 12.1 | 11.5 | 75.3 |
| नवादा | 46.8 | 44.7 | 71.1 | 59.8 | 58.1 | 75.1 | 13.0 | 13.4 | 4.0 |
| औरंगाबाद | 57.0 | 55.5 | 73.5 | 70.3 | 69.4 | 79.1 | 13.3 | 13.9 | 5.6 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 51.8 | 50.3 | 66.1 | 66.0 | 65.0 | 75.1 | 14.2 | 14.7 | 9.0 |
| सीवान | 51.7 | 50.5 | 69.7 | 69.5 | 68.9 | 77.9 | 17.8 | 18.4 | 8.2 |
| गोपालगंज | 47.5 | 46.5 | 62.0 | 65.5 | 64.8 | 75.1 | 18.0 | 18.3 | 13.1 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 38.9 | 36.0 | 63.5 | 55.7 | 53.9 | 71.1 | 16.8 | 17.9 | 7.6 |
| पूर्व चंपारण | 37.5 | 35.4 | 67.1 | 55.8 | 54.4 | 71.6 | 18.3 | 19.0 | 4.5 |
| मुजफ्फरपुर | 48.0 | 44.7 | 77.3 | 63.4 | 61.5 | 80.2 | 15.4 | 16.8 | 2.9 |
| सीतामढ़ी | 38.5 | 36.7 | 66.2 | 52.1 | 50.8 | 72.4 | 13.6 | 14.1 | 6.2 |
| शिवहर | 35.3 | 34.9 | 43.7 | 53.8 | 53.4 | 62.0 | 18.5 | 18.5 | 18.3 |
| वैशाली | 50.5 | 49.3 | 65.6 | 66.6 | 66.0 | 74.2 | 16.1 | 16.7 | 8.6 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 44.3 | 41.5 | 74.9 | 56.6 | 54.4 | 75.7 | 12.3 | 12.9 | 0.8 |
| मधुबनी | 42.0 | 41.2 | 63.1 | 58.6 | 58.1 | 71.1 | 16.6 | 16.9 | 8.0 |
| समस्तीपुर | 45.1 | 43.9 | 75.7 | 61.9 | 61.1 | 80.7 | 16.8 | 17.2 | 5.0 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 48.0 | 46.5 | 77.7 | 63.9 | 61.8 | 72.4 | 15.9 | 15.3 | -5.3 |
| मुंगेर | 59.5 | 52.8 | 76.0 | 70.5 | 66.2 | 81.0 | 11.0 | 13.4 | 5.0 |
| शेखपुरा | 48.6 | 46.0 | 62.4 | 63.9 | 62.3 | 71.0 | 15.3 | 16.3 | 8.6 |
| लखीसराय | 48.0 | 45.6 | 61.1 | 62.4 | 60.9 | 71.3 | 14.4 | 15.3 | 10.2 |
| जमुई | 42.4 | 40.3 | 68.8 | 59.8 | 58.4 | 74.9 | 17.4 | 18.1 | 6.1 |
| खगड़िया | 41.4 | 39.5 | 69.8 | 57.9 | 56.8 | 76.7 | 16.5 | 17.3 | 6.9 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 49.5 | 44.4 | 70.7 | 63.1 | 59.8 | 75.9 | 13.6 | 15.4 | 5.2 |
| बांका | 42.7 | 42.1 | 59.9 | 58.2 | 57.6 | 72.6 | 15.5 | 15.5 | 12.7 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 39.1 | 36.1 | 70.8 | 53.2 | 51.1 | 75.6 | 14.1 | 15.0 | 4.8 |
| सुपौल | 37.3 | 35.9 | 61.4 | 57.7 | 56.9 | 72.7 | 20.4 | 21.0 | 11.3 |
| मधेपुरा | 36.1 | 34.5 | 66.9 | 52.3 | 51.2 | 73.5 | 16.2 | 16.7 | 6.6 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 35.1 | 31.4 | 70.9 | 51.1 | 48.4 | 72.7 | 16.0 | 17.0 | 1.8 |
| किशनगंज | 31.1 | 27.8 | 59.3 | 55.5 | 53.7 | 71.2 | 24.4 | 25.9 | 11.9 |
| अररिया | 35.0 | 33.2 | 61.4 | 53.5 | 52.3 | 72.1 | 18.5 | 19.1 | 10.7 |
| कटिहार | 35.1 | 31.1 | 72.3 | 52.2 | 49.6 | 77.3 | 17.1 | 18.5 | 5.0 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **47.0** | **43.9** | **71.9** | **61.8** | **59.8** | **76.9** | **14.8** | **15.9** | **5.0** |

स्रोत : जनगणना 2001 और जनगणना 2011

### तालिका प 5.18 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (लाख में)

| जिला | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग |
| पटना | 5.48 | 1.79 | 7.27 | 5.63 | 1.83 | 7.46 | 7.23 | 3.08 | 10.31 |
| नालंदा | 4.34 | 2.72 | 7.06 | 4.99 | 2.52 | 7.51 | 5.46 | 2.71 | 8.17 |
| भोजपुर | 4.64 | 1.34 | 5.98 | 4.73 | 1.37 | 6.1 | 3.37 | 1.41 | 4.78 |
| बक्सर | 3.01 | 1.18 | 4.19 | 3.01 | 1.22 | 4.23 | 3.23 | 1.33 | 4.56 |
| रोहतास | 3.09 | 1.01 | 4.1 | 3.13 | 1.03 | 4.16 | 3.17 | 1.06 | 4.23 |
| कैमूर | 2.67 | 1.03 | 3.7 | 2.72 | 1.06 | 3.78 | 2.86 | 1.11 | 3.97 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 6.59 | 2.03 | 8.62 | 7 | 2.09 | 9.09 | 5.74 | 2.04 | 7.78 |
| जहानाबाद | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 1.79 | 0.56 | 2.35 | 1.65 | 0.61 | 2.26 |
| अरवल | 1.06 | 0.35 | 1.41 | 1.07 | 0.35 | 1.42 | 1.78 | 0.72 | 2.5 |
| नवादा | 2.19 | 0.95 | 3.14 | 2.32 | 1.02 | 3.34 | 3.02 | 0.97 | 3.99 |
| औरंगाबाद | 2.77 | 1.35 | 4.12 | 4.07 | 1.29 | 5.36 | 2.93 | 1.67 | 4.6 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 5.5 | 3.8 | 9.03 | 5.81 | 2.1 | 7.91 | 5.15 | 2.19 | 7.34 |
| सीवान | 3.29 | 0.99 | 4.28 | 4.5 | 1.72 | 6.22 | 4.6 | 2.12 | 6.72 |
| गोपालगंज | 3.2 | 1.41 | 4.61 | 3.24 | 1.43 | 4.67 | 3.24 | 1.43 | 4.67 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5.91 | 2.01 | 7.92 | 5.71 | 1.23 | 6.94 | 5.48 | 1.49 | 6.97 |
| पूर्व चंपारण | 10.96 | 4.05 | 15.01 | 10.97 | 4.51 | 15.48 | 10.97 | 4.51 | 15.48 |
| मुजफ्फरपुर | 7.29 | 2.01 | 9.3 | 7.8 | 2.11 | 9.91 | 8.75 | 2.91 | 11.66 |
| सीतामढ़ी | 4.56 | 1.46 | 6.02 | 4.74 | 1.55 | 6.29 | 4.95 | 1.68 | 6.63 |
| शिवहर | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 0.94 | 0.33 | 1.27 | 0.92 | 0.26 | 1.18 |
| वैशाली | 5.02 | 1.73 | 6.75 | 5.04 | 1.74 | 6.78 | 5.03 | 1.74 | 6.77 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 5.39 | 1.41 | 6.8 | 5.4 | 1.66 | 7.06 | 5.14 | 1.84 | 6.98 |
| मधुबनी | 6.74 | 1.75 | 8.49 | 6.77 | 1.77 | 8.54 | 6.85 | 1.89 | 8.74 |
| समस्तीपुर | 5.28 | 1.17 | 6.45 | 5.35 | 1.23 | 6.58 | 5.98 | 2.54 | 8.52 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 5.01 | 0.84 | 5.85 | 4.91 | 1.71 | 6.62 | 4.64 | 1.77 | 6.41 |
| मुंगेर | 1.91 | 0.68 | 2.59 | 2.02 | 0.79 | 2.81 | 1.87 | 0.72 | 2.59 |
| शेखपुरा | 0.95 | 0.29 | 1.24 | 0.95 | 0.3 | 1.25 | 0.99 | 0.3 | 1.29 |
| लखीसराय | 1.54 | 0.42 | 1.96 | 1.6 | 0.47 | 2.07 | 1.33 | 0.5 | 1.83 |
| जमुई | 3.03 | 1.39 | 4.42 | 3.06 | 0.85 | 3.91 | 2.71 | 0.91 | 3.62 |
| खगड़िया | 1.85 | 0.4 | 2.25 | 2.39 | 0.78 | 3.17 | 2.36 | 0.89 | 3.25 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 4.14 | 1.44 | 5.58 | 4.32 | 1.48 | 5.8 | 4.2 | 1.49 | 5.69 |
| बांका | 2.93 | 0.85 | 3.78 | 3.16 | 1.02 | 4.18 | 2.89 | 1.09 | 3.98 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 3.52 | 0.61 | 4.13 | 3.55 | 0.62 | 4.17 | 3.76 | 0.65 | 4.41 |
| सुपौल | 3.85 | 0.94 | 4.79 | 3.92 | 0.96 | 4.88 | 4.25 | 1.09 | 5.34 |
| मधेपुरा | 3.85 | 0.99 | 4.84 | 3.08 | 1.62 | 4.7 | 3.09 | 1.19 | 4.28 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 5.13 | 0.91 | 6.04 | 5.4 | 1.22 | 6.62 | 4.93 | 1.64 | 6.57 |
| किशनगंज | 1.51 | 0.54 | 2.05 | 1.7 | 1.14 | 2.84 | 1.81 | 1.79 | 3.6 |
| अररिया | 4.38 | 0.76 | 5.14 | 4.49 | 0.8 | 5.29 | 2.7 | 2.68 | 5.38 |
| कटिहार | 3.93 | 0.82 | 4.75 | 5.21 | 1.07 | 6.28 | 5.49 | 2.35 | 7.84 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **149.16** | **48.62** | **197.78** | **156.49** | **50.55** | **207.04** | **154.51** | **60.36** | **214.87** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 5.19 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)

(लाख में)

| जिला | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग |
| पटना | 0.9 | 0.23 | 1.13 | 0.95 | 0.24 | 1.19 | 1.3 | 0.66 | 1.96 |
| नालंदा | 1.02 | 0.4 | 1.42 | 1.12 | 0.43 | 1.55 | 1.97 | 0.85 | 2.82 |
| भोजपुर | 0.62 | 0.29 | 0.91 | 0.63 | 0.3 | 0.93 | 0.71 | 0.22 | 0.93 |
| बक्सर | 0.39 | 0.16 | 0.55 | 0.39 | 0.17 | 0.56 | 0.41 | 0.18 | 0.59 |
| रोहतास | 0.47 | 0.11 | 0.58 | 0.49 | 0.11 | 0.6 | 0.49 | 0.12 | 0.61 |
| कैमूर | 0.51 | 0.17 | 0.68 | 0.56 | 0.18 | 0.74 | 0.59 | 0.16 | 0.75 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 2.52 | 0.56 | 3.08 | 2.63 | 0.63 | 3.26 | 1.23 | 0.39 | 1.62 |
| जहानाबाद | 0.41 | 0.08 | 0.49 | 0.46 | 0.11 | 0.57 | 0.33 | 0.13 | 0.46 |
| अरवल | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 0.1 | 0.36 | 0.26 | 0.08 | 0.34 |
| नवादा | 1.03 | 0.18 | 1.21 | 1.08 | 0.2 | 1.28 | 0.68 | 0.22 | 0.9 |
| औरंगाबाद | 0.93 | 0.18 | 1.11 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.13 | 0.37 | 1.5 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 1.23 | 0.44 | 1.67 | 1.26 | 0.45 | 1.71 | 0.62 | 0.24 | 0.86 |
| सीवान | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 0.71 | 0.22 | 0.93 | 0.67 | 0.3 | 0.97 |
| गोपालगंज | 0.43 | 0.2 | 0.63 | 0.44 | 0.2 | 0.64 | 0.44 | 0.2 | 0.64 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1.38 | 0.44 | 1.82 | 1.03 | 0.2 | 1.23 | 1.15 | 0.27 | 1.42 |
| पूर्व चंपारण | 1.26 | 0.17 | 1.43 | 1.26 | 0.17 | 1.43 | 1.17 | 0.35 | 1.52 |
| मुजफ्फरपुर | 1.33 | 0.3 | 1.63 | 1.43 | 0.32 | 1.75 | 1.57 | 0.52 | 2.09 |
| सीतामढ़ी | 0.75 | 0.14 | 0.89 | 0.76 | 0.24 | 1 | 0.54 | 0.18 | 0.72 |
| शिवहर | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.23 |
| वैशाली | 1.29 | 0.36 | 1.65 | 1.29 | 0.36 | 1.65 | 1.28 | 0.35 | 1.63 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.94 | 0.19 | 1.13 | 1.04 | 0.25 | 1.29 | 1.03 | 0.27 | 1.3 |
| मधुबनी | 1.18 | 0.22 | 1.4 | 1.19 | 0.23 | 1.42 | 1.23 | 0.23 | 1.46 |
| समस्तीपुर | 0.81 | 0.11 | 0.92 | 0.82 | 0.12 | 0.94 | 1.28 | 0.46 | 1.74 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.86 | 0.4 | 1.26 | 0.76 | 0.24 | 1 |
| मुंगेर | 0.35 | 0.1 | 0.45 | 0.37 | 0.12 | 0.49 | 0.32 | 0.1 | 0.42 |
| शेखपुरा | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.23 | 0.06 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 0.3 |
| लखीसराय | 0.3 | 0.12 | 0.42 | 0.31 | 0.06 | 0.37 | 0.27 | 0.07 | 0.34 |
| जमुई | 0.43 | 0.06 | 0.49 | 0.63 | 0.13 | 0.76 | 0.55 | 0.16 | 0.71 |
| खगड़िया | 0.28 | 0.06 | 0.34 | 0.31 | 0.14 | 0.45 | 0.34 | 0.07 | 0.41 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 0.48 | 0.14 | 0.62 | 0.54 | 0.18 | 0.72 |
| बांका | 0.38 | 0.09 | 0.47 | 0.9 | 0.12 | 1.02 | 0.4 | 0.13 | 0.53 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 0.71 | 0.06 | 0.77 | 0.72 | 0.07 | 0.79 | 0.72 | 0.07 | 0.79 |
| सुपौल | 0.68 | 0.1 | 0.78 | 0.71 | 0.11 | 0.82 | 0.71 | 0.11 | 0.82 |
| मधेपुरा | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.48 | 0.16 | 0.64 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.71 | 0.09 | 0.08 | 0.71 | 0.21 | 0.92 | 0.72 | 0.22 | 0.94 |
| किशनगंज | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.22 |
| अररिया | 0.67 | 0.12 | 0.79 | 0.72 | 0.13 | 0.85 | 0.25 | 0.19 | 0.44 |
| कटिहार | 0.53 | 0.14 | 0.67 | 0.57 | 0.15 | 0.72 | 0.98 | 0.4 | 1.38 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **27.23** | **6.42** | **33.65** | **29.36** | **7.65** | **37.01** | **27.71** | **9.04** | **36.75** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

### तालिका प 5.20 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)

(लाख में)

| जिला | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग |
| पटना | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| नालंदा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भोजपुर | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| बक्सर | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| रोहतास | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| कैमूर | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| जहानाबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अरवल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नवादा | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| औरंगाबाद | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| सीवान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0.28 |
| गोपालगंज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.30 | 0.11 | 0.41 | 0.44 | 0.10 | 0.54 | 0.50 | 0.13 | 0.63 |
| पूर्व चंपारण | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| मुजफ्फरपुर | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| सीतामढ़ी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शिवहर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| वैशाली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| मधुबनी | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| समस्तीपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| मुंगेर | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| शेखपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लखीसराय | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| जमुई | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.05 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | 0.25 |
| खगड़िया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.24 |
| बांका | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.22 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| सुपौल | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| मधेपुरा | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.30 | 0.11 | 0.41 |
| किशनगंज | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| अररिया | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.32 |
| कटिहार | 0.28 | 0.05 | 0.33 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 0.48 | 0.17 | 0.65 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **1.75** | **0.44** | **2.19** | **2.49** | **0.65** | **3.14** | **2.92** | **1.01** | **3.93** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

### तालिका प 5.21 : नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर : 2008-09 से 2012-13

| जिला | सभी | | | अनुसूचित जातियां | | | अनुसूचित जनजातियां | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योग |
| पटना | 13.00 | 17.10 | 14.14 | 13.25 | 33.46 | 17.85 | 19.62 | – | 23.46 |
| नालंदा | 16.31 | 18.43 | 16.99 | 25.03 | 30.53 | 26.55 | – | – | – |
| भोजपुर | 4.64 | 10.74 | 6.17 | 6.68 | 13.49 | 8.43 | – | – | – |
| बक्सर | 6.30 | 9.21 | 7.01 | 3.76 | 6.48 | 4.99 | – | – | – |
| रोहतास | 3.22 | 5.20 | 3.73 | 1.26 | 1.76 | 1.71 | 6.19 | -1.65 | 17.16 |
| कैमूर | 5.92 | 4.63 | 5.55 | 2.74 | -7.58 | -0.15 | 11.33 | 17.08 | 12.37 |
| | | | | | | | | | |
| गया | -0.44 | 5.88 | 1.02 | -8.01 | 4.12 | -5.81 | – | – | – |
| जहानाबाद | 0.04 | 9.86 | 2.24 | -1.13 | 16.84 | 2.64 | – | – | – |
| अरवल | 12.99 | 19.04 | 14.55 | 2.89 | 12.33 | 4.87 | – | – | – |
| नवादा | 11.95 | 6.60 | 10.50 | 8.15 | 12.27 | 9.09 | – | – | – |
| औरंगाबाद | 4.54 | 4.58 | 4.83 | 7.12 | 19.60 | 9.75 | -35.46 | -12.43 | -30.09 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | -0.56 | 5.74 | 1.08 | 0.70 | 9.37 | 2.88 | – | – | – |
| सीवान | 10.54 | 24.60 | 14.09 | 33.61 | 39.12 | 35.20 | – | – | – |
| गोपालगंज | 0.75 | 0.64 | 0.72 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | -0.73 | -8.73 | -2.56 | -4.04 | -10.87 | -5.46 | 16.68 | 6.61 | 14.34 |
| पूर्व चंपारण | 7.00 | 26.18 | 10.90 | -1.63 | 15.54 | 1.02 | 10.76 | – | 17.48 |
| मुजफ्फरपुर | 4.64 | 11.92 | 6.20 | 5.75 | 17.74 | 8.02 | -1.37 | -7.72 | 5.91 |
| सीतामढ़ी | 0.73 | 18.35 | 4.02 | -5.20 | 17.33 | -1.09 | – | – | – |
| शिवहर | -2.06 | 9.19 | 0.15 | – | – | – | – | – | – |
| वैशाली | 4.08 | 10.53 | 5.59 | 5.82 | 18.61 | 8.26 | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 8.96 | 9.60 | 8.99 | 4.58 | 20.84 | 7.15 | – | – | – |
| मधुबनी | 5.22 | 8.26 | 5.80 | 12.56 | 21.55 | 14.05 | -14.40 | – | -10.65 |
| समस्तीपुर | 3.05 | 18.38 | 6.44 | 9.86 | 24.92 | 12.99 | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1.03 | 24.18 | 5.56 | 1.65 | 36.85 | 7.45 | – | – | – |
| मुंगेर | 3.59 | 8.07 | 4.75 | 7.73 | 13.99 | 9.10 | 6.22 | 3.71 | 7.01 |
| शेखपुरा | 2.59 | 2.84 | 2.74 | 4.18 | 3.71 | 4.46 | – | – | – |
| लखीसराय | -0.10 | 10.63 | 2.27 | 1.79 | 11.50 | 2.69 | 4.28 | – | 2.71 |
| जमुई | 4.09 | 4.04 | 4.09 | 16.12 | 36.34 | 19.34 | 24.19 | 60.75 | 28.51 |
| खगड़िया | 8.01 | 27.06 | 12.04 | 5.02 | 7.18 | 5.84 | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 7.59 | 11.46 | 8.54 | 11.61 | 35.59 | 14.99 | 21.14 | 20.89 | 21.16 |
| बांका | 2.87 | 24.59 | 7.07 | 21.15 | 27.76 | 22.76 | 9.94 | 45.20 | 14.50 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 14.78 | 9.24 | 13.96 | 25.24 | -3.93 | 20.87 | 0.00 | – | 2.88 |
| सुपौल | 4.23 | 6.80 | 4.68 | 22.63 | -8.21 | 15.58 | -14.43 | – | -23.10 |
| मधेपुरा | 3.98 | 54.40 | 12.04 | 16.59 | 44.96 | 21.52 | -7.08 | -27.52 | -10.98 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.80 | 20.96 | 4.22 | 1.90 | 33.25 | 6.51 | 6.34 | 32.77 | 11.25 |
| किशनगंज | 4.30 | 54.85 | 16.18 | 6.30 | 25.08 | 8.62 | 16.32 | 44.14 | 29.17 |
| अररिया | -5.81 | 20.59 | 2.67 | -13.97 | 8.75 | -7.66 | 27.88 | 79.02 | 38.97 |
| कटिहार | 10.54 | 34.89 | 15.30 | 26.87 | 60.17 | 32.94 | 15.83 | 29.77 | 18.71 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **4.74** | **13.66** | **6.86** | **6.59** | **17.09** | **8.71** | **16.59** | **29.09** | **19.27** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.22 : बिहार में जिलावार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय**

| जिला | 2010-11 | | | | | | 2011-12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ | प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित | सिर्फ उच्च प्राथमिक | उ.प्रा./ माध्यमिक / उच्च उ. मा. वि. सहित | योग | प्राथमिक | प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ | प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित | सिर्फ उच्च प्राथमिक | उ.प्रा./ माध्यमिक / उच्च उ. मा. वि. सहित | योग |
| पटना | 2165 | 1162 | 0 | 14 | 0 | 3341 | 1537 | 909 | 8 | 11 | 3 | 2468 |
| नालंदा | 1335 | 835 | 1 | 5 | 6 | 2182 | 1785 | 1265 | 0 | 3 | 0 | 3053 |
| भोजपुर | 1279 | 728 | 8 | 21 | 5 | 2041 | 1046 | 794 | 2 | 4 | 12 | 1858 |
| बक्सर | 725 | 449 | 1 | 10 | 1 | 1186 | 1195 | 785 | 6 | 33 | 7 | 2026 |
| रोहतास | 1240 | 758 | 31 | 10 | 0 | 2039 | 1140 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1912 |
| कैमूर | 755 | 423 | 0 | 1 | 0 | 1179 | 544 | 347 | 3 | 4 | 1 | 899 |
| | | | | | | | | | | | | |
| गया | 1764 | 1256 | 0 | 3 | 0 | 3023 | 1413 | 916 | 8 | 6 | 7 | 2350 |
| जहानाबाद | 542 | 338 | 3 | 4 | 1 | 888 | 914 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1709 |
| अरवल | 338 | 184 | 1 | 2 | 0 | 525 | 1147 | 573 | 6 | 0 | 0 | 1726 |
| नवादा | 938 | 649 | 0 | 2 | 0 | 1589 | 1331 | 839 | 2 | 7 | 5 | 2184 |
| औरंगाबाद | 1053 | 847 | 1 | 12 | 2 | 1915 | 335 | 183 | 4 | 4 | 0 | 526 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सारण | 1565 | 941 | 23 | 0 | 0 | 2529 | 1524 | 970 | 3 | 19 | 0 | 2516 |
| सीवान | 1224 | 847 | 3 | 20 | 4 | 2098 | 1201 | 873 | 19 | 6 | 14 | 2113 |
| गोपालगंज | 1006 | 653 | 0 | 5 | 0 | 1664 | 1689 | 1388 | 0 | 2 | 0 | 3079 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1535 | 909 | 6 | 12 | 11 | 2473 | 975 | 682 | 0 | 4 | 0 | 1661 |
| पूर्व चंपारण | 1946 | 1150 | 0 | 0 | 1 | 3097 | 2172 | 1145 | 0 | 20 | 0 | 3337 |
| मुजफ्फरपुर | 1921 | 1131 | 0 | 1 | 0 | 3053 | 574 | 476 | 0 | 4 | 0 | 1054 |
| सीतामढ़ी | 1207 | 859 | 15 | 8 | 4 | 2093 | 231 | 187 | 1 | 1 | 1 | 421 |
| शिवहर | 220 | 188 | 1 | 1 | 1 | 411 | 246 | 230 | 0 | 2 | 0 | 478 |
| वैशाली | 1100 | 927 | 4 | 1 | 2 | 2034 | 1062 | 648 | 4 | 12 | 0 | 1726 |
| | | | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1395 | 866 | 25 | 0 | 7 | 2293 | 702 | 472 | 6 | 15 | 9 | 1204 |
| मधुबनी | 2077 | 878 | 76 | 8 | 2 | 3041 | 744 | 703 | 0 | 9 | 0 | 1456 |
| समस्तीपुर | 1502 | 957 | 11 | 15 | 2 | 2487 | 736 | 507 | 0 | 4 | 0 | 1247 |
| | | | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 907 | 635 | 1 | 0 | 0 | 1543 | 1233 | 826 | 2 | 1 | 1 | 2063 |
| मुंगेर | 619 | 424 | 0 | 2 | 0 | 1045 | 1965 | 1015 | 62 | 0 | 1 | 3043 |
| शेखपुरा | 226 | 220 | 0 | 2 | 0 | 448 | 1565 | 941 | 26 | 0 | 0 | 2532 |
| लखीसराय | 492 | 264 | 0 | 0 | 0 | 756 | 811 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
| जमुई | 972 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1081 | 672 | 0 | 5 | 0 | 1758 |
| खगड़िया | 530 | 508 | 0 | 5 | 0 | 1043 | 1105 | 697 | 1 | 0 | 2 | 1805 |
| | | | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1072 | 752 | 1 | 7 | 14 | 1846 | 846 | 698 | 1 | 0 | 0 | 1545 |
| बांका | 1123 | 778 | 3 | 3 | 0 | 1907 | 1011 | 891 | 0 | 13 | 0 | 1915 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 747 | 495 | 0 | 4 | 0 | 1246 | 1281 | 799 | 29 | 9 | 1 | 2119 |
| सुपौल | 1049 | 638 | 3 | 13 | 0 | 1703 | 1225 | 863 | 1 | 18 | 0 | 2107 |
| मधेपुरा | 792 | 611 | 0 | 9 | 1 | 1413 | 484 | 292 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1279 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 1817 | 1322 | 0 | 0 | 1 | 3140 |
| किशनगंज | 866 | 310 | 2 | 0 | 0 | 1178 | 522 | 510 | 0 | 7 | 0 | 1039 |
| अररिया | 1068 | 515 | 1 | 1 | 0 | 1585 | 1018 | 4 | 4 | 359 | 5 | 1390 |
| कटिहार | 1207 | 592 | 0 | 1 | 0 | 1800 | 638 | 547 | 0 | 1 | 0 | 1186 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **41781** | **26055** | **221** | **202** | **64** | **68323** | **40845** | **27009** | **198** | **583** | **70** | **68705** |

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (http://www.dise.in)

**तालिका प 5.23 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षकों की जिलावार संख्या**

| जिला | 2010-11 | | | | | | 2011-12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ | प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित | सिर्फ उच्च प्राथमिक | उ.प्रा.वि/ माध्यमिक / उ. मा. वि. सहित | योग | प्राथमिक | प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ | प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित | सिर्फ उच्च प्राथमिक | उ.प्रा.वि/ माध्यमिक / उ. मा. वि. सहित | योग |
| पटना | 5871 | 6853 | 0 | 75 | 0 | 12799 | 6027 | 6915 | 0 | 106 | 0 | 13048 |
| नालंदा | 3620 | 4258 | 15 | 31 | 77 | 8001 | 3914 | 4651 | 22 | 49 | 52 | 8688 |
| भोजपुर | 3941 | 4538 | 59 | 136 | 33 | 8707 | 4029 | 4935 | 15 | 235 | 17 | 9231 |
| बक्सर | 2383 | 3558 | 18 | 79 | 4 | 6042 | 2246 | 3627 | 40 | 120 | 59 | 6092 |
| रोहतास | 4127 | 5572 | 143 | 83 | 0 | 9925 | 4085 | 5242 | 166 | 52 | 8 | 9553 |
| कैमूर | 2458 | 3255 | 0 | 5 | 0 | 5718 | 1950 | 3732 | 0 | 7 | 0 | 5689 |
| | | | | | | | | | | | | |
| गया | 5620 | 7648 | 0 | 37 | 0 | 13305 | 4378 | 6906 | 0 | 18 | 0 | 11302 |
| जहानाबाद | 1604 | 2588 | 21 | 58 | 6 | 4277 | 1632 | 2834 | 19 | 59 | 6 | 4550 |
| अरवल | 1015 | 1591 | 13 | 16 | 0 | 2635 | 991 | 1515 | 42 | 36 | 0 | 2584 |
| नवादा | 2792 | 3456 | 0 | 25 | 0 | 6273 | 3039 | 3846 | 0 | 31 | 0 | 6916 |
| औरंगाबाद | 3089 | 5155 | 4 | 102 | 8 | 8358 | 2898 | 5218 | 0 | 110 | 0 | 8226 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सारण | 6143 | 7705 | 76 | 0 | 0 | 13924 | 6399 | 7621 | 105 | 0 | 0 | 14125 |
| सीवान | 4627 | 6436 | 14 | 220 | 13 | 11310 | 4874 | 7158 | 2 | 239 | 0 | 12273 |
| गोपालगंज | 3661 | 5616 | 0 | 41 | 0 | 9318 | 4295 | 6057 | 0 | 43 | 0 | 10395 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5705 | 6463 | 49 | 80 | 104 | 12401 | 6298 | 6930 | 76 | 79 | 24 | 13407 |
| पूर्व चंपारण | 8310 | 9339 | 0 | 0 | 11 | 17660 | 7444 | 10297 | 0 | 0 | 11 | 17752 |
| मुजफ्फरपुर | 6737 | 8226 | 0 | 4 | 0 | 14967 | 6349 | 9375 | 0 | 11 | 0 | 15735 |
| सीतामढ़ी | 3397 | 6382 | 121 | 73 | 73 | 10046 | 3484 | 7002 | 202 | 65 | 104 | 10857 |
| शिवहर | 644 | 1317 | 13 | 7 | 10 | 1991 | 725 | 1357 | 13 | 8 | 10 | 2113 |
| वैशाली | 4084 | 8224 | 33 | 17 | 16 | 12374 | 3956 | 8388 | 32 | 17 | 131 | 12524 |
| | | | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 5919 | 7118 | 113 | 0 | 18 | 13168 | 5402 | 6647 | 48 | 60 | 43 | 12200 |
| मधुबनी | 8054 | 7258 | 370 | 81 | 19 | 15782 | 7881 | 8539 | 282 | 0 | 15 | 16717 |
| समस्तीपुर | 5568 | 7881 | 74 | 135 | 13 | 13671 | 5594 | 7948 | 12 | 181 | 0 | 13735 |
| | | | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 3948 | 6856 | 7 | 0 | 0 | 10811 | 3768 | 7771 | 8 | 0 | 0 | 11547 |
| मुंगेर | 1866 | 2794 | 0 | 8 | 0 | 4668 | 1516 | 2604 | 0 | 10 | 0 | 4130 |
| शेखपुरा | 625 | 1253 | 0 | 13 | 0 | 1891 | 697 | 1355 | 0 | 13 | 0 | 2065 |
| लखीसराय | 1891 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 4352 | 1672 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 4134 |
| जमुई | 1917 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 5909 | 2030 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 6319 |
| खगड़िया | 1745 | 4145 | 0 | 56 | 0 | 5946 | 1708 | 3969 | 0 | 66 | 0 | 5743 |
| | | | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 3744 | 5178 | 7 | 54 | 99 | 9082 | 3943 | 5880 | 19 | 36 | 81 | 9959 |
| बांका | 2631 | 2863 | 9 | 17 | 0 | 5520 | 2705 | 3235 | 0 | 7 | 0 | 5947 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 2597 | 5154 | 0 | 34 | 0 | 7785 | 2561 | 5133 | 0 | 33 | 0 | 7727 |
| सुपौल | 3113 | 4423 | 16 | 66 | 0 | 7618 | 3144 | 4408 | 22 | 59 | 0 | 7633 |
| मधेपुरा | 2589 | 4785 | 0 | 66 | 8 | 7448 | 2207 | 5491 | 0 | 67 | 0 | 7765 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 4130 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 8954 | 3801 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 9821 |
| किशनगंज | 3408 | 2708 | 4 | 0 | 0 | 6120 | 2578 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 6330 |
| अररिया | 4443 | 3999 | 16 | 8 | 0 | 8466 | 4455 | 4609 | 67 | 0 | 0 | 9131 |
| कटिहार | 5576 | 5651 | 0 | 6 | 0 | 11233 | 5039 | 6305 | 10 | 0 | 13 | 11367 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **143592** | **191523** | **1195** | **1633** | **512** | **338455** | **139714** | **204023** | **1202** | **1817** | **574** | **347330** |

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (http://www.dise.in)

### तालिका प 5.24 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत |
| पटना | 6.32 | 2.21 | 35.00 | 5.27 | 2.92 | 55.40 | 5.27 | 3.40 | 64.46 |
| नालंदा | 3.35 | 1.95 | 58.10 | 3.43 | 2.01 | 58.80 | 3.43 | 2.28 | 66.34 |
| भोजपुर | 3.68 | 0.99 | 26.90 | 3.24 | 1.88 | 58.00 | 3.17 | 2.21 | 69.77 |
| बक्सर | 2.82 | 1.19 | 42.10 | 2.48 | 1.46 | 59.00 | 2.47 | 1.63 | 66.05 |
| रोहतास | 3.97 | 1.94 | 48.80 | 3.71 | 2.22 | 59.70 | 3.72 | 2.52 | 67.94 |
| कैमूर | 2.48 | 1.60 | 64.40 | 2.37 | 1.69 | 71.20 | 2.27 | 1.55 | 68.12 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 5.28 | 3.57 | 67.50 | 5.73 | 3.53 | 61.60 | 5.80 | 3.74 | 64.56 |
| जहानाबाद | 1.82 | 0.87 | 47.40 | 1.60 | 1.17 | 72.80 | 1.60 | 1.06 | 66.11 |
| अरवल | 1.13 | 0.82 | 72.30 | 1.01 | 0.77 | 76.90 | 0.97 | 0.65 | 67.44 |
| नवादा | 3.35 | 1.94 | 57.80 | 3.06 | 2.05 | 67.10 | 3.04 | 2.13 | 70.10 |
| औरंगाबाद | 4.00 | 0.70 | 17.50 | 3.73 | 2.32 | 62.20 | 3.73 | 2.48 | 66.33 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 6.15 | 2.97 | 48.30 | 5.41 | 2.79 | 51.70 | 5.22 | 3.56 | 68.17 |
| सीवान | 4.54 | 2.33 | 51.30 | 4.05 | 2.40 | 59.30 | 3.91 | 2.71 | 69.20 |
| गोपालगंज | 3.70 | 1.81 | 49.00 | 3.56 | 2.11 | 59.30 | 3.23 | 2.32 | 71.80 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5.57 | 3.02 | 54.20 | 5.37 | 3.10 | 57.80 | 5.37 | 4.24 | 79.07 |
| पूर्व चंपारण | 7.57 | 4.00 | 52.90 | 7.20 | 4.03 | 55.90 | 7.26 | 4.86 | 66.92 |
| मुजफ्फरपुर | 8.21 | 4.60 | 56.10 | 6.11 | 3.41 | 55.80 | 6.15 | 4.10 | 66.72 |
| सीतामढ़ी | 5.09 | 2.41 | 47.40 | 5.03 | 2.96 | 58.70 | 5.04 | 3.38 | 67.03 |
| शिवहर | 1.07 | 0.32 | 29.60 | 1.04 | 0.63 | 60.50 | 1.04 | 0.65 | 62.17 |
| वैशाली | 5.56 | 1.91 | 34.40 | 4.15 | 2.36 | 56.80 | 4.07 | 2.45 | 60.29 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 5.04 | 1.99 | 39.40 | 5.11 | 2.61 | 51.10 | 5.11 | 3.33 | 65.19 |
| मधुबनी | 6.93 | 1.40 | 20.20 | 6.27 | 2.59 | 41.40 | 6.39 | 4.01 | 62.81 |
| समस्तीपुर | 6.04 | 2.54 | 42.00 | 5.86 | 3.26 | 55.60 | 5.86 | 4.15 | 70.77 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 4.88 | 2.12 | 43.50 | 4.23 | 2.56 | 60.50 | 4.09 | 2.90 | 70.94 |
| मुंगेर | 2.14 | 1.73 | 81.00 | 1.71 | 1.09 | 63.40 | 1.70 | 1.10 | 64.94 |
| शेखपुरा | 1.02 | 0.60 | 58.20 | 0.86 | 0.56 | 65.40 | 0.86 | 0.61 | 70.98 |
| लखीसराय | 1.44 | 1.28 | 88.60 | 1.27 | 0.94 | 73.80 | 1.37 | 0.98 | 71.01 |
| जमुई | 2.87 | 1.06 | 36.80 | 2.74 | 1.49 | 54.30 | 2.48 | 1.95 | 78.40 |
| खगड़िया | 2.72 | 0.98 | 36.10 | 2.49 | 1.36 | 54.50 | 2.50 | 1.55 | 61.92 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 3.90 | 2.18 | 55.80 | 3.93 | 2.91 | 74.10 | 3.99 | 2.72 | 68.24 |
| बांका | 2.84 | 1.06 | 37.30 | 2.66 | 1.59 | 59.90 | 2.67 | 1.85 | 69.36 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 2.36 | 1.48 | 62.60 | 3.65 | 1.93 | 52.90 | 3.65 | 1.95 | 0.00 |
| सुपौल | 3.87 | 1.18 | 30.50 | 3.23 | 2.02 | 62.40 | 3.21 | 2.11 | 0.00 |
| मधेपुरा | 3.26 | 1.93 | 59.20 | 3.41 | 2.01 | 58.80 | 3.39 | 2.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 4.67 | 1.97 | 42.30 | 5.09 | 2.78 | 54.60 | 5.07 | 3.08 | 0.00 |
| किशनगंज | 2.89 | 1.39 | 48.10 | 2.89 | 1.85 | 63.90 | 2.89 | 1.80 | 0.00 |
| अररिया | 5.02 | 1.39 | 27.70 | 4.38 | 2.61 | 59.70 | 3.94 | 2.49 | 0.00 |
| कटिहार | 5.59 | 1.45 | 25.80 | 5.49 | 3.30 | 60.10 | 4.75 | 2.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **153.16** | **68.85** | **45.00** | **142.82** | **83.25** | **58.30** | **140.70** | **93.28** | **66.30** |

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 5.25 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)**

| जिला | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत | कुल नामांकन (लाख में) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में) | आच्छादन प्रतिशत |
| पटना | 2.74 | 0.8 | 29.1 | 2.12 | 1.12 | 52.6 | 2.17 | 1.42 | 65.71 |
| नालंदा | 1.2 | 0.81 | 67.7 | 1.29 | 0.65 | 50.3 | 1.32 | 0.89 | 67.63 |
| भोजपुर | 1.16 | 0.67 | 58 | 1.39 | 0.75 | 54.1 | 1.39 | 0.91 | 65.46 |
| बक्सर | 1.24 | 0.44 | 36 | 1.1 | 0.6 | 54.4 | 1.10 | 0.71 | 64.73 |
| रोहतास | 1.32 | 0.68 | 51.2 | 1.76 | 0.99 | 56.3 | 1.83 | 1.13 | 61.72 |
| कैमूर | 1.11 | 1.07 | 96.8 | 1 | 0.59 | 59.1 | 1.00 | 0.64 | 64.30 |
| गया | 1.96 | 0.93 | 47.5 | 2.22 | 1.24 | 55.9 | 2.26 | 1.29 | 56.98 |
| जहानाबाद | 0.54 | 0.36 | 65.8 | 0.64 | 0.4 | 62.8 | 0.64 | 0.44 | 69.26 |
| अरवल | 0.35 | 0.26 | 72.4 | 0.45 | 0.32 | 70.7 | 0.48 | 0.27 | 56.20 |
| नवादा | 0.95 | 0.65 | 68 | 1 | 0.54 | 53.8 | 1.05 | 0.69 | 65.52 |
| औरंगाबाद | 1.66 | 0.75 | 45 | 1.47 | 0.86 | 58.5 | 1.47 | 1.04 | 70.93 |
| सारण | 1.33 | 0.44 | 33.4 | 2.3 | 1.22 | 52.9 | 2.34 | 1.53 | 65.61 |
| सीवान | 2.21 | 1.12 | 50.4 | 1.88 | 0.95 | 50.2 | 1.86 | 1.22 | 65.51 |
| गोपालगंज | 1 | 0.53 | 53.4 | 1.45 | 0.79 | 54.8 | 1.47 | 1.00 | 68.27 |
| पश्चिम चंपारण | 1.2 | 0.74 | 61.7 | 1.64 | 1 | 60.9 | 1.64 | 1.27 | 77.62 |
| पूर्व चंपारण | 1.81 | 0.94 | 51.9 | 2.5 | 1.4 | 56.1 | 2.52 | 1.84 | 73.10 |
| मुजफ्फरपुर | 1.75 | 0.91 | 51.8 | 2.49 | 1.21 | 48.8 | 2.39 | 1.63 | 68.20 |
| सीतामढ़ी | 1.04 | 0.63 | 60.5 | 1.61 | 0.93 | 57.6 | 1.67 | 1.12 | 66.76 |
| शिवहर | 0.18 | 0.1 | 53.1 | 0.28 | 0.15 | 54.4 | 0.28 | 0.22 | 78.81 |
| वैशाली | 1.3 | 0.79 | 60.8 | 1.97 | 0.96 | 48.8 | 1.98 | 1.23 | 62.22 |
| दरभंगा | 1.32 | 0.62 | 47.3 | 1.88 | 0.97 | 51.7 | 1.88 | 1.23 | 65.16 |
| मधुबनी | 1.36 | 1.04 | 76 | 2.49 | 1.44 | 57.8 | 2.64 | 1.84 | 69.63 |
| समस्तीपुर | 1.35 | 0.44 | 32.9 | 2.31 | 1.34 | 58 | 2.35 | 1.66 | 70.59 |
| बेगूसराय | 1.41 | 0.63 | 45 | 1.67 | 0.88 | 52.6 | 1.73 | 1.17 | 67.59 |
| मुंगेर | 0.63 | 0.35 | 56.2 | 0.73 | 0.41 | 55.6 | 0.76 | 0.49 | 64.14 |
| शेखपुरा | 0.78 | 0.14 | 17.6 | 0.34 | 0.2 | 59.3 | 0.35 | 0.23 | 65.49 |
| लखीसराय | 0.51 | 0.28 | 55.3 | 0.51 | 0.25 | 48.6 | 0.54 | 0.39 | 72.99 |
| जमुई | 0.65 | 0.21 | 32.5 | 0.98 | 0.49 | 49.9 | 0.97 | 0.67 | 68.71 |
| खगड़िया | 0.7 | 0.17 | 24.6 | 0.94 | 0.53 | 56.1 | 0.94 | 0.50 | 53.15 |
| भागलपुर | 1.23 | 0.41 | 33.8 | 1.54 | 0.91 | 58.9 | 1.57 | 1.17 | 74.90 |
| बांका | 0.62 | 0.23 | 36.6 | 1.06 | 0.59 | 55.4 | 1.11 | 0.73 | 65.41 |
| सहरसा | 1.1 | 0.7 | 63.8 | 0.87 | 0.51 | 58.2 | 0.87 | 0.60 | 68.55 |
| सुपौल | 0.85 | 0.24 | 28.6 | 1.28 | 0.66 | 51.6 | 1.31 | 0.79 | 60.11 |
| मधेपुरा | 1.16 | 0.34 | 29.6 | 1.21 | 0.76 | 62.5 | 1.24 | 0.81 | 65.13 |
| पूर्णिया | 1.06 | 0.61 | 58 | 1.57 | 0.85 | 54.4 | 1.59 | 0.95 | 59.68 |
| किशनगंज | 0.79 | 0.36 | 45.3 | 0.89 | 0.47 | 52.3 | 0.89 | 0.54 | 61.25 |
| अररिया | 0.76 | 0.25 | 33.7 | 1.28 | 0.74 | 57.6 | 1.36 | 0.70 | 51.66 |
| कटिहार | 1.05 | 0.29 | 27.3 | 1.33 | 0.81 | 60.9 | 1.33 | 1.15 | 86.51 |
| **बिहार** | **43.37** | **20.94** | **48.3** | **53.45** | **29.46** | **55.1** | **54.27** | **36.11** | **66.54** |

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 5.26 : बिहार में जिलावार महाविद्यालय**

| जिला | संबद्ध महाविद्यालय | संघटक महाविद्यालय | संबद्ध महाविद्यालय | संघटक महाविद्यालय | संबद्ध महाविद्यालय | संघटक महाविद्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 - 12 | | 2012 - 13 | | 2013 - 14 | |
| पटना | 49 | 37 | 49 | 37 | 49 | 39 |
| नालंदा | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 |
| भोजपुर | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 |
| बक्सर | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| रोहतास | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 |
| कैमूर | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| | | | | | | |
| गया | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| जहानाबाद | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| अरवल | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| नवादा | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| औरंगाबाद | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| | | | | | | |
| सारण | 19 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| सीवान | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| गोपालगंज | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| पूर्व चंपारण | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| मुजफ्फरपुर | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| सीतामढ़ी | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| शिवहर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वैशाली | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 |
| मधुबनी | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| समस्तीपुर | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| मुंगेर | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| शेखपुरा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| लखीसराय | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| जमुई | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| खगड़िया | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| बांका | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| सुपौल | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| मधेपुरा | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| किशनगंज | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| अररिया | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| कटिहार | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **383** | **276** | **385** | **276** | **387** | **278** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.27 : बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर - 2001 की जनगणना**

| अनुसूचित जाति का नाम | कुल जनसंख्या | असाक्षर आबादी | साक्षर | साक्षरता दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सभी अनुसूचित जातियां | 13048608 | 10167713 | 2880895 | 22.08 |
| बांतर | 101223 | 86715 | 14508 | 14.33 |
| बाउरी | 2096 | 1239 | 857 | 40.89 |
| भोगता | 12659 | 10746 | 1913 | 15.11 |
| भुइयां | 568403 | 509920 | 58483 | 10.29 |
| भूमिज * | 2333 | 1719 | 614 | 26.32 |
| चमार आदि | 4090070 | 3068048 | 1022022 | 24.99 |
| चौपाल | 100111 | 82543 | 17568 | 17.55 |
| दबगर | 3590 | 2263 | 1327 | 36.96 |
| धोबी | 647491 | 421986 | 225505 | 34.83 |
| डोम आदि | 155383 | 136079 | 19304 | 12.42 |
| दुसाध आदि | 4029411 | 2997012 | 1032399 | 25.62 |
| घासी | 674 | 482 | 192 | 28.49 |
| हलालखोर | 3960 | 2556 | 1404 | 35.45 |
| हाड़ी आदि | 181748 | 126207 | 55541 | 30.56 |
| कंजर | 1620 | 1378 | 242 | 14.94 |
| कुररियार | 6567 | 5420 | 1147 | 17.47 |
| लालबेगी | 809 | 618 | 191 | 23.61 |
| मुसहर | 2112136 | 1966868 | 145268 | 6.88 |
| नट | 38615 | 32132 | 6483 | 16.79 |
| पान आदि | 3653 | 1877 | 1776 | 48.62 |
| पासी | 711389 | 487000 | 224389 | 31.54 |
| रजवार | 213795 | 176508 | 37287 | 17.44 |
| तूरी | 33638 | 28715 | 4923 | 14.64 |
| जेनरिक जातियां आदि | 27234 | 19682 | 7552 | 27.73 |

टिप्पणी : * कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 'भूमिज' को अनुसूचित जाति की सूची से हटा दिया गया है।

स्रोत : जनगणना-2001

**तालिका प 5.28 : बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर – 2001 की जनगणना**

| अनुसूचित जनजाति का नाम | कुल जनसंख्या | असाक्षर आबादी | साक्षर | साक्षरता दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सभी अनुसूचित जनजातियां | 758351 | 588456 | 169895 | 22.40 |
| असुर | 181 | 172 | 9 | 4.97 |
| बैगा | 274 | 235 | 39 | 14.23 |
| बंजारा | 2328 | 1703 | 625 | 26.85 |
| बथूड़ी | 348 | 246 | 102 | 29.31 |
| बेड़िया | 2572 | 2129 | 443 | 17.22 |
| बिंझिया | 43 | 27 | 16 | 37.21 |
| बिरहोर | 406 | 387 | 19 | 4.68 |
| बिरजिया | 17 | 10 | 7 | 41.18 |
| चेरो | 8975 | 7219 | 1756 | 19.57 |
| चिक बड़ाइक | 707 | 519 | 188 | 26.59 |
| गोंड | 51792 | 33207 | 18585 | 35.88 |
| गोड़ाइत | 940 | 670 | 270 | 28.72 |
| हो | 3418 | 2766 | 652 | 19.08 |
| करमाली | 368 | 324 | 44 | 11.96 |
| खड़िया | 1501 | 936 | 565 | 37.64 |
| खरवार | 100735 | 66411 | 34324 | 34.07 |
| खोंड | 1319 | 1143 | 176 | 13.34 |
| किसान | 12287 | 9621 | 2666 | 21.70 |
| कोरा | 10948 | 9596 | 1352 | 12.35 |
| कोरवा | 703 | 620 | 83 | 11.81 |
| लोहरा आदि | 13993 | 9423 | 4570 | 32.66 |
| महली | 4380 | 3547 | 833 | 19.02 |
| माल पहाड़िया | 4631 | 3704 | 927 | 20.02 |
| मुंडा | 17754 | 14468 | 3286 | 18.51 |
| उरांव | 120362 | 96582 | 23780 | 19.76 |
| पहाड़िया | 2429 | 2131 | 298 | 12.27 |
| संथाल | 367612 | 299254 | 68358 | 18.60 |
| सौरिया पहाड़िया | 585 | 454 | 131 | 22.39 |
| सांवर | 420 | 332 | 88 | 20.95 |
| जेनरिक जनजातियां आदि | 26323 | 20620 | 5703 | 21.67 |

स्रोत : जनगणना–2001

### तालिका प 5.29 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय अवलोकन

| जिला | आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा) | | | | छात्रावास का रखरखाव (अजा) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन (वित्तीय) (लाख रु. में) | | उपलब्धि (भौतिक) (संख्या) | | आबंटन (वित्तीय) (लाख रु. में) | | उपलब्धि (भौतिक) (संख्या) | |
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 369.19 | 413.97 | 745 | 978 | 50.26 | 77.97 | 670 | 670 |
| नालंदा | 227.36 | 222.93 | 489 | 639 | 12.34 | 10.99 | 50 | 50 |
| भोजपुर | 272.64 | 265.01 | 517 | 750 | 33.5 | 33.11 | 375 | 450 |
| बक्सर | 130.95 | 154.22 | 243 | 336 | 9.78 | 3.97 | 50 | 50 |
| रोहतास | 234.4 | 238.15 | 518 | 680 | 30.41 | 35.09 | | 189 |
| कैमूर | 204.28 | 220.86 | 421 | 484 | 12.22 | 27.4 | 175 | 237 |
| | | | | | | | | |
| गया | 888.23 | 896 | 1957 | 3302 | 12.75 | 13.62 | 543 | 543 |
| जहानाबाद | 43.01 | 80.61 | 106 | 421 | 8.03 | 9 | 106 | 102 |
| अरवल | 43.01 | 57.7 | | 152 | 0 | 0 | | |
| नवादा | 205.67 | 249.96 | 496 | 872 | 21.521 | 29.59 | | |
| औरंगाबाद | 43.01 | 45.65 | 97 | 262 | 5.96 | 8.04 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 117.53 | 126.56 | 274 | 369 | 11.06 | 11.91 | 156 | 156 |
| सीवान | 85.91 | 49.52 | 105 | 170 | 15.85 | 17.12 | 150 | 150 |
| गोपालगंज | 105.9 | 120.71 | 272 | 358 | 15.55 | 19.53 | 211 | 211 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 161.49 | 165.49 | 524 | 561 | 15.81 | 28.14 | 163 | 163 |
| पूर्व चंपारण | 114.45 | 101.21 | 290 | 311 | 25.6 | 27.87 | 100 | 100 |
| मुजफ्फरपुर | 305.45 | 308.17 | 776 | 1009 | 24.54 | 29.03 | 317 | 317 |
| सीतामढ़ी | 90.64 | 82.75 | 275 | 351 | 17.47 | 25.12 | 190 | 190 |
| शिवहर | 43.01 | 44.07 | | | 0.99 | 1.53 | | |
| वैशाली | 111.53 | 127.86 | 270 | 301 | 12.92 | 11.71 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 45.48 | 90.07 | 99 | 107 | 29.48 | 34.14 | 318 | 318 |
| मधुबनी | 335.84 | 329.38 | 833 | 871 | 18.53 | 18.02 | 50 | 50 |
| समस्तीपुर | 154.29 | 150.26 | 374 | 542 | 15.01 | 15.57 | 104 | 104 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 88.09 | 131.35 | 267 | 297 | 0.99 | 1.28 | 105 | 105 |
| मुंगेर | 109.45 | 121.85 | 276 | 298 | 11.7 | 14.09 | 100 | 100 |
| शेखपुरा | 43.01 | 52.5 | 157 | 197 | 0.99 | 1.28 | 25 | 25 |
| लखीसराय | 43.01 | 53.99 | 69 | 122 | 3.94 | 4.5 | | |
| जमुई | 43.01 | 52.88 | 76 | 216 | 0.99 | 1.28 | 50 | 50 |
| खगड़िया | 115.23 | 117.25 | 269 | 369 | 16.97 | 9.09 | | |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 143.76 | 153.83 | 369 | 414 | 19.83 | 25.85 | 211 | 211 |
| बांका | 43.01 | 48.2 | 81 | 187 | 14.59 | 12.92 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 98.85 | 106.32 | 281 | 282 | 9.09 | 13.22 | 75 | 75 |
| सुपौल | 23.01 | 44.82 | 102 | 133 | 15.33 | 4.28 | 25 | 45 |
| मधेपुरा | 43.01 | 52.5 | 70 | 58 | 6.94 | 13.05 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 157.22 | 141.95 | 289 | 376 | 21.7 | 13.92 | 407 | 407 |
| किशनगंज | 130.36 | 117.95 | 276 | 274 | 3.28 | 4.19 | 15 | 15 |
| अररिया | 111.95 | 121.86 | 273 | 285 | 10.77 | 10.05 | 55 | 55 |
| कटिहार | 137.36 | 102.36 | 261 | 394 | 18.55 | 10.76 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **5663.6** | **5960.72** | **12797** | **17728** | **555.241** | **628.23** | **5081** | **5423** |

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (जारी)

**तालिका प 5.29 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय अवलोकन (जारी)**

| जिला | वजीफे अजा एवं अजजा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन (वित्तीय) (लाख रु. में) | | | उपलब्धि (भौतिक) (संख्या) | | |
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 5038.94 | 3966.34 | 4532.66 | 204680 | 164495 | 148864 |
| नालंदा | 2386.68 | 2552.94 | 2389.27 | 164020 | 105018 | 80007 |
| भोजपुर | 1075.76 | 1103.72 | 1641.32 | 98113 | 84691 | 99951 |
| बक्सर | 1088.4 | 1379.05 | 1627.11 | 93772 | 47981 | 64098 |
| रोहतास | 2131.95 | 1763.35 | 2178.79 | 167670 | 87908 | 102915 |
| कैमूर | 1712.12 | 1731.78 | 1887.87 | 122086 | 83292 | 101664 |
| | | | | | | |
| गया | 4244 | 4493.19 | 5322.76 | 210299 | 229581 | 263042 |
| जहानाबाद | 763.94 | 776.38 | 1083.65 | 50559 | 47005 | 47356 |
| अरवल | 385.08 | 397.4 | 407.21 | 36261 | 24231 | 31073 |
| नवादा | 1538.65 | 1476.07 | 2339.27 | 160136 | 97822 | 146906 |
| औरंगाबाद | 1829.19 | 1655.26 | 3710.27 | 120352 | 106322 | 274834 |
| | | | | | | |
| सारण | 2527.8 | 2175.73 | 2467.65 | 190935 | 83333 | 149643 |
| सीवान | 1706.55 | 1560.59 | 1889.68 | 103668 | 62669 | 82920 |
| गोपालगंज | 1008.07 | 1324.72 | 1606.8 | 73801 | 70033 | 140125 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2448.51 | 3003.3 | 2258.56 | 259830 | 162035 | 190811 |
| पूर्व चंपारण | 1883.15 | 1790.09 | 1391.37 | 132933 | 100393 | 99540 |
| मुजफ्फरपुर | 2015.51 | 3131.19 | 2579.1 | 144025 | 108638 | 146146 |
| सीतामढ़ी | 869.9 | 1078.32 | 1313.85 | 80839 | 61195 | 101304 |
| शिवहर | 259.35 | 318.35 | 223.7 | 22170 | 18489 | 22308 |
| वैशाली | 1898.7 | 1885.84 | 1734.01 | 204993 | 105253 | 126819 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 1656.67 | 2008.37 | 1816.37 | 93556 | 89647 | 113632 |
| मधुबनी | 1806.3 | 1945.41 | 1714.09 | 132126 | 144181 | 138877 |
| समस्तीपुर | 1981.91 | 2230.03 | 1844.19 | 130677 | 114556 | 137162 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 947.75 | 982.53 | 1232.65 | 72879 | 64095 | 89955 |
| मुंगेर | 754.1 | 855.38 | 1023.41 | 63536 | 38912 | 43729 |
| शेखपुरा | 347.45 | 444.54 | 508.78 | 20581 | 19159 | 24901 |
| लखीसराय | 430.91 | 548.3 | 589.84 | 34232 | 30968 | 42094 |
| जमुई | 957.11 | 1266.82 | 896.71 | 71914 | 89772 | 76155 |
| खगड़िया | 673.93 | 741.57 | 608.49 | 52102 | 25441 | 39165 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 1186.25 | 1727.08 | 1781.79 | 110704 | 75255 | 86185 |
| बांका | 996.85 | 766.02 | 969.9 | 64045 | 47807 | 53245 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 844.09 | 810.3 | 664.61 | 62848 | 56712 | 62870 |
| सुपौल | 689.93 | 945.92 | 989.74 | 60724 | 56402 | 68970 |
| मधेपुरा | 1169.48 | 974.35 | 1009.12 | 78580 | 68924 | 65041 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 1401.37 | 1632.84 | 1355.04 | 58647 | 77247 | 91009 |
| किशनगंज | 353.82 | 383.32 | 388.93 | 34236 | 28644 | 25069 |
| अररिया | 665.22 | 606.88 | 617.89 | 52462 | 37237 | 54756 |
| कटिहार | 1109.78 | 1116.02 | 945.46 | 87425 | 35688 | 72874 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **54785.17** | **57549.29** | **61541.91** | **3922416** | **2951031** | **3706015** |

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 5.30 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति

| जिला | जॉबकार्ड–प्राप्त परिवारों की सं. (लाख) | | जॉबकार्ड–प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा | | रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 5.59 | 5.40 | 46.07 | 42.60 | 10.69 | 14.43 |
| नालंदा | 3.98 | 4.08 | 46.84 | 46.00 | 15.2 | 13.00 |
| भोजपुर | 3.24 | 3.43 | 48.47 | 44.94 | 25.16 | 19.96 |
| बक्सर | 2.41 | 2.36 | 20.65 | 28.54 | 16.43 | 19.61 |
| रोहतास | 3.7 | 3.78 | 49.24 | 48.95 | 21.54 | 19.94 |
| कैमूर | 2.2 | 2.10 | 46.69 | 43.97 | 16.78 | 18.52 |
| | | | | | | |
| गया | 5.38 | 5.98 | 65.09 | 66.00 | 24.74 | 21.07 |
| जहानाबाद | 1.33 | 1.22 | 43.37 | 43.80 | 26.91 | 18.84 |
| अरवल | 0.95 | 0.96 | 41.59 | 41.55 | 10.99 | 15.06 |
| नवादा | 3.2 | 3.36 | 61.09 | 29.60 | 19.73 | 23.76 |
| औरंगाबाद | 3.24 | 3.15 | 57.35 | 42.24 | 19.09 | 22.28 |
| | | | | | | |
| सारण | 4.76 | 4.76 | 48.61 | 48.61 | 13.8 | 17.01 |
| सीवान | 3.72 | 4.10 | 14.87 | 25.95 | 10.27 | 9.65 |
| गोपालगंज | 3.22 | 3.40 | 21.33 | 20.56 | 11.91 | 19.37 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 4 | 4.38 | 38.1 | 35.01 | 40.64 | 34.57 |
| पूर्व चंपारण | 5.88 | 6.23 | 18.45 | 19.50 | 18.26 | 14.83 |
| मुजफ्फरपुर | 6.4 | 6.50 | 52 | 24.11 | 24.3 | 12.82 |
| सीतामढ़ी | 4.21 | 4.30 | 36.6 | 35.95 | 11.22 | 22.48 |
| शिवहर | 0.88 | 0.87 | 25.4 | 22.31 | 40.32 | 25.10 |
| वैशाली | 5.05 | 5.24 | 50.5 | 46.63 | 10.44 | 8.58 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 4.78 | 4.67 | 38.27 | 30.42 | 9.59 | 9.91 |
| मधुबनी | 6.91 | 5.39 | 40.64 | 23.88 | 14.76 | 14.67 |
| समस्तीपुर | 5.46 | 5.33 | 51.81 | 49.46 | 10.65 | 9.79 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 3.11 | 3.11 | 22.29 | 23.92 | 14.8 | 19.40 |
| मुंगेर | 1.82 | 1.81 | 22.88 | 19.26 | 11.23 | 8.27 |
| शेखपुरा | 0.95 | 0.96 | 49.59 | 47.28 | 21.21 | 23.49 |
| लखीसराय | 1.47 | 1.45 | 32.87 | 24.25 | 21.29 | 16.21 |
| जमुई | 2.37 | 2.44 | 31.92 | 31.54 | 23.23 | 26.30 |
| खगड़िया | 2.24 | 2.02 | 35.98 | 33.07 | 11.44 | 15.28 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 3.62 | 3.62 | 23.28 | 23.31 | 17.34 | 12.75 |
| बांका | 3.01 | 3.01 | 26.27 | 26.27 | 26.43 | 20.90 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 2.98 | 3.09 | 23.71 | 23.58 | 27.21 | 22.59 |
| सुपौल | 3.14 | 2.90 | 30.31 | 25.16 | 14.75 | 17.50 |
| मधेपुरा | 3 | 3.02 | 58.63 | 27.44 | 31.69 | 20.39 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 4.32 | 4.49 | 30.22 | 23.65 | 26.11 | 20.81 |
| किशनगंज | 2.62 | 2.52 | 11.86 | 12.52 | 12.89 | 15.62 |
| अररिया | 4.34 | 4.41 | 29.48 | 29.68 | 16.83 | 12.43 |
| कटिहार | 3.98 | 2.98 | 23.00 | 15.96 | 28.71 | 35.73 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **133.49** | **133.83** | **38.52** | **33.53** | **18.5** | **17.67** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जारी)

## तालिका प 5.30 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (जारी)

| जिला | रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत | | सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस) | | कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 8.32 | 3.21 | 28.57 | 28.243 | 33.78 | 35.08 |
| नालंदा | 10.71 | 9.45 | 24.83 | 25.19 | 35.41 | 39.18 |
| भोजपुर | 2.26 | 2.19 | 21.77 | 13.77 | 24.99 | 25.75 |
| बक्सर | 8.48 | 6.63 | 17.18 | 19.83 | 5.03 | 18.45 |
| रोहतास | 3.88 | 1.78 | 25.44 | 23.86 | 13.35 | 19.03 |
| कैमूर | 8.76 | 7.70 | 14.94 | 18.25 | 17.15 | 19.54 |
| | | | | | | |
| गया | 5.73 | 7.54 | 80.15 | 73.75 | 35.00 | 39.46 |
| जहानाबाद | 5.41 | 5.50 | 11.96 | 8.03 | 33.95 | 37.98 |
| अरवल | 2.26 | 4.79 | 5.38 | 4.95 | 30.11 | 33.94 |
| नवादा | 1.15 | 1.94 | 20.36 | 22.43 | 28.70 | 41.94 |
| औरंगाबाद | 5.93 | 9.47 | 34.55 | 28.23 | 30.01 | 25.61 |
| | | | | | | |
| सारण | 6.17 | 7.87 | 30.21 | 31.82 | 18.25 | 22.17 |
| सीवान | 7.05 | 5.07 | 21.37 | 15.95 | 18.48 | 21.87 |
| गोपालगंज | 10.99 | 8.54 | 19.92 | 26.77 | 25.72 | 31.41 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 15.19 | 4.17 | 51.89 | 39.34 | 24.65 | 30.96 |
| पूर्व चंपारण | 32.27 | 6.16 | 82.00 | 40.99 | 27.30 | 32.35 |
| मुजफ्फरपुर | 4.01 | 4.67 | 45.03 | 32.44 | 31.65 | 33.69 |
| सीतामढ़ी | 0.78 | 4.91 | 14.25 | 26.54 | 33.62 | 34.09 |
| शिवहर | 8.80 | 3.84 | 15.25 | 8.66 | 40.95 | 63.34 |
| वैशाली | 7.43 | 6.75 | 25.15 | 17.05 | 17.30 | 32.32 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 3.46 | 0.84 | 31.43 | 14.69 | 39.18 | 41.29 |
| मधुबनी | 2.33 | 2.54 | 31.14 | 18.82 | 36.61 | 40.63 |
| समस्तीपुर | 0.74 | 3.82 | 16.74 | 25.36 | 31.10 | 37.83 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 7.50 | 4.30 | 21.66 | 21.88 | 49.79 | 56.90 |
| मुंगेर | 4.74 | 1.26 | 7.88 | 3.74 | 29.80 | 27.31 |
| शेखपुरा | 3.49 | 4.31 | 8.72 | 9.48 | 36.97 | 40.98 |
| लखीसराय | 4.51 | 5.12 | 12.16 | 9.04 | 37.78 | 38.20 |
| जमुई | 5.53 | 9.19 | 24.09 | 31.77 | 38.44 | 39.28 |
| खगड़िया | 1.73 | 2.16 | 8.50 | 10.22 | 39.04 | 41.85 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 7.94 | 7.27 | 27.80 | 18.78 | 27.60 | 28.23 |
| बांका | 2.68 | 5.53 | 22.64 | 21.74 | 31.43 | 35.30 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 0.75 | 1.52 | 22.08 | 22.04 | 34.14 | 47.18 |
| सुपौल | 3.38 | 4.03 | 14.77 | 17.81 | 35.74 | 36.26 |
| मधेपुरा | 2.08 | 9.38 | 20.56 | 24.13 | 32.98 | 32.99 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.35 | 1.85 | 37.33 | 27.11 | 29.71 | 35.89 |
| किशनगंज | 4.62 | 3.22 | 13.88 | 14.81 | 26.10 | 27.85 |
| अररिया | 5.17 | 2.83 | 27.93 | 16.99 | 23.37 | 27.46 |
| कटिहार | 2.06 | 2.28 | 25.91 | 31.15 | 41.99 | 39.74 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **6.36** | **4.82** | **965.41** | **845.69** | **29.93** | **34.35** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

### तालिका प 5.31 : मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति

| जिला | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उपलब्ध रकम (लाख रु.) | प्रयुक्त रकम (लाख रु.) | उपयोग का प्रतिशत | उपलब्ध रकम (लाख रु.) | प्रयुक्त रकम (लाख रु.) | उपयोग का प्रतिशत |
| पटना | 8483.48 | 7202.50 | 84.90 | 11383.77 | 10090.12 | 88.64 |
| नालंदा | 7079.36 | 6105.99 | 86.25 | 6222.95 | 5178.18 | 83.21 |
| भोजपुर | 5825.38 | 4479.08 | 76.89 | 4900.92 | 3896.17 | 79.50 |
| बक्सर | 4578.28 | 4188.07 | 91.48 | 6199.22 | 5939.90 | 95.82 |
| रोहतास | 6343.87 | 5788.42 | 91.24 | 6264.81 | 5849.76 | 93.37 |
| कैमूर | 3396.66 | 2909.07 | 85.65 | 4624.53 | 4069.94 | 88.01 |
| | | | | | | |
| गया | 16975.38 | 13884.31 | 81.79 | 12914.77 | 10424.79 | 80.72 |
| जहानाबाद | 3034.63 | 2590.51 | 85.36 | 2361.52 | 2039.59 | 86.37 |
| अरवल | 1158.17 | 996.37 | 86.03 | 873.74 | 815.62 | 93.35 |
| नवादा | 4545.27 | 4254.13 | 93.59 | 6117.59 | 5846.19 | 95.56 |
| औरंगाबाद | 7783.19 | 6892.84 | 88.56 | 7981.48 | 6813.12 | 85.36 |
| | | | | | | |
| सारण | 7503.52 | 6792.58 | 90.53 | 8250.26 | 8240.94 | 99.89 |
| सीवान | 5277.10 | 4172.42 | 79.07 | 5655.19 | 4249.63 | 75.15 |
| गोपालगंज | 4204.58 | 3264.85 | 77.65 | 5932.23 | 5321.54 | 89.71 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 10613.48 | 9324.19 | 87.85 | 10524.06 | 9226.41 | 87.67 |
| पूर्व चंपारण | 15187.15 | 13068.54 | 86.05 | 13160.41 | 12350.22 | 93.84 |
| मुजफ्फरपुर | 14405.87 | 8427.26 | 58.50 | 10227.85 | 7792.41 | 76.19 |
| सीतामढ़ी | 3899.43 | 2681.58 | 68.77 | 5342.56 | 4439.64 | 83.10 |
| शिवहर | 3667.29 | 3120.50 | 85.09 | 3015.41 | 2349.05 | 77.90 |
| वैशाली | 6773.51 | 6048.59 | 89.30 | 5534.74 | 4420.06 | 79.86 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 8797.67 | 7275.67 | 82.70 | 5436.09 | 4050.27 | 74.51 |
| मधुबनी | 7766.45 | 6724.60 | 86.59 | 6816.21 | 5090.51 | 74.68 |
| समस्तीपुर | 6809.46 | 5092.79 | 74.79 | 7757.89 | 6768.82 | 87.25 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 5777.86 | 4468.88 | 77.34 | 7034.22 | 5751.38 | 81.76 |
| मुंगेर | 1734.37 | 1317.25 | 75.95 | 1547.37 | 1174.54 | 75.91 |
| शेखपुरा | 1887.53 | 1749.01 | 92.66 | 2367.41 | 2165.16 | 91.46 |
| लखीसराय | 3512.66 | 3191.08 | 90.85 | 3351.77 | 2899.95 | 86.52 |
| जमुई | 4707.88 | 4447.80 | 94.48 | 6454.65 | 6255.58 | 96.92 |
| खगड़िया | 2163.46 | 1841.44 | 85.12 | 3005.33 | 2652.17 | 88.25 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 6524.64 | 5610.46 | 85.99 | 5490.85 | 5574.22 | 101.52 |
| बांका | 5475.93 | 5172.93 | 94.47 | 6191.14 | 5928.51 | 95.76 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 3565.13 | 3067.65 | 86.05 | 4311.93 | 3694.28 | 85.68 |
| सुपौल | 5632.62 | 3670.69 | 65.17 | 3748.92 | 3368.83 | 89.86 |
| मधेपुरा | 6115.52 | 4243.05 | 69.38 | 5785.55 | 5384.31 | 93.06 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 8484.52 | 7672.57 | 90.43 | 7910.03 | 6975.23 | 88.18 |
| किशनगंज | 3316.94 | 2848.86 | 85.89 | 4751.56 | 4239.97 | 89.23 |
| अररिया | 7546.42 | 5958.42 | 78.96 | 5666.65 | 3971.22 | 70.08 |
| कटिहार | 7213.31 | 6567.94 | 91.05 | 9306.69 | 8550.24 | 91.87 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **237767.96** | **197112.88** | **82.90** | **234422.26** | **203848.492** | **86.96** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.32 : इंदिरा आवास योजना का अवलोकन ( 2013-14 )**

| इंदिरा आवास योजना के घटक | इंदिरा आवास योजना - नई | इंदिरा आवास योजना - उत्क्रमित | इंदिरा आवास योजना ऋण सह अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| कुल लक्ष्य | 60550 | — | — | 60550 |
| आवास निर्मित | 695462 | — | — | 695462 |
| आवास निर्मित (अजा) | 292948 | — | — | 292948 |
| आवास निर्मित (अजजा) | 19640 | — | — | 19640 |
| आवास निर्मित (अन्य) | 257340 | — | — | 257340 |
| आवास निर्मित (अल्पसंख्यक) | 125534 | — | — | 125534 |
| कुल उपलब्ध धन (लाख रु.) | 542561.24 | — | — | 542561.24 |
| कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.) | 360184.51 | — | — | 360184.51 |
| उपयोग का प्रतिशत | 66.4% | — | — | 66.4% |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 5.33 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण

| जिला | जनगणना 2001के अनुसार दूकानदारों की जरूरत | दूकानदारों की सं. (सितंबर 2014) | दूकानदारों का प्रतिशत | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अजा/ अजजा | पिछड़ी जाति/ अतिपिछड़ी जाति | अल्पसंख्यक | महिला | महिला/ अन्य स्वयं सहायता समूह | हेल्पर समिति/ पीएसी/ पूर्व-सैनिक समिति | सामान्य | योग |
| पटना | 3525 | 2574 | 17 | 45 | 3 | 11 | 0 | 8 | 15 | 100 |
| नालंदा | 1459 | 1196 | 15 | 42 | 4 | 10 | 2 | 16 | 12 | 100 |
| भोजपुर | 1344 | 1427 | 13 | 38 | 4 | 8 | 0 | 11 | 26 | 100 |
| बक्सर | 929 | 791 | 19 | 29 | 3 | 5 | 2 | 16 | 27 | 100 |
| रोहतास | 1601 | 1025 | 24 | 37 | 5 | 3 | 0 | 14 | 17 | 100 |
| कैमूर | 866 | 615 | 24 | 40 | 7 | 9 | 0 | 4 | 16 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 2416 | 1889 | 31 | 33 | 5 | 6 | 1 | 10 | 14 | 100 |
| जहानाबाद | 630 | 502 | 19 | 30 | 4 | 8 | 0 | 15 | 24 | 100 |
| अरवल | 382 | 327 | 20 | 37 | 5 | 6 | 0 | 20 | 12 | 100 |
| नवादा | 1108 | 916 | 14 | 33 | 5 | 13 | 0 | 14 | 21 | 100 |
| औरंगाबाद | 1363 | 1178 | 17 | 37 | 1 | 4 | 0 | 11 | 30 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 2147 | 2336 | 11 | 29 | 3 | 15 | 0 | 12 | 30 | 100 |
| सीवान | 1691 | 1585 | 13 | 38 | 9 | 6 | 1 | 7 | 28 | 100 |
| गोपालगंज | 1381 | 1246 | 12 | 25 | 5 | 9 | 0 | 16 | 33 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1745 | 1944 | 21 | 34 | 12 | 7 | 0 | 11 | 15 | 100 |
| पूर्व चंपारण | 2610 | 2168 | 13 | 38 | 9 | 5 | 1 | 10 | 24 | 100 |
| मुजफ्फरपुर | 2886 | 2014 | 17 | 31 | 4 | 9 | 1 | 12 | 25 | 100 |
| सीतामढ़ी | 1702 | 948 | 18 | 41 | 7 | 5 | 2 | 12 | 14 | 100 |
| शिवहर | 324 | 229 | 12 | 29 | 5 | 5 | 1 | 20 | 28 | 100 |
| वैशाली | 1879 | 1456 | 16 | 38 | 2 | 7 | 1 | 15 | 21 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1963 | 1289 | 11 | 31 | 11 | 10 | 1 | 9 | 27 | 100 |
| मधुबनी | 2318 | 1574 | 19 | 36 | 8 | 5 | 2 | 12 | 18 | 100 |
| समस्तीपुर | 2266 | 1448 | 18 | 37 | 3 | 5 | 1 | 14 | 22 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1660 | 1092 | 27 | 29 | 5 | 13 | 0 | 4 | 22 | 100 |
| मुंगेर | 700 | 602 | 8 | 50 | 5 | 9 | 0 | 12 | 16 | 100 |
| शेखपुरा | 359 | 289 | 17 | 36 | 2 | 7 | 0 | 12 | 26 | 100 |
| लखीसराय | 399 | 408 | 13 | 33 | 2 | 11 | 0 | 13 | 27 | 100 |
| जमुई | 913 | 776 | 19 | 34 | 3 | 5 | 0 | 14 | 25 | 100 |
| खगड़िया | 886 | 626 | 18 | 54 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1712 | 1320 | 15 | 46 | 10 | 7 | 0 | 10 | 11 | 100 |
| बांका | 1079 | 792 | 15 | 46 | 8 | 9 | 4 | 5 | 13 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 956 | 690 | 17 | 39 | 9 | 4 | 1 | 16 | 13 | 100 |
| सुपौल | 1195 | 757 | 11 | 50 | 9 | 4 | 0 | 14 | 12 | 100 |
| मधेपुरा | 1116 | 596 | 14 | 49 | 5 | 8 | 0 | 17 | 8 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1792 | 1068 | 18 | 37 | 17 | 10 | 3 | 7 | 9 | 100 |
| किशनगंज | 927 | 634 | 15 | 18 | 39 | 16 | 0 | 9 | 3 | 100 |
| अररिया | 1409 | 1085 | 16 | 33 | 24 | 12 | 0 | 8 | 7 | 100 |
| कटिहार | 1567 | 1039 | 18 | 33 | 18 | 6 | 1 | 13 | 12 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **55205** | **42451** | **17** | **37** | **7** | **8** | **1** | **11** | **19** | **100** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.34 : बीपीएल परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव ( 2013-14 )**

(हजार क्विंटल)

| जिला | गेहूं | | | चावल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत |
| पटना | 534.49 | 500.61 | 93.66 | 677.63 | 634.39 | 93.62 |
| नालंदा | 299.73 | 289.19 | 96.48 | 379.73 | 379.69 | 99.99 |
| भोजपुर | 268.09 | 266.69 | 99.48 | 335.54 | 326.86 | 97.41 |
| बक्सर | 156.63 | 156.63 | 100.00 | 199.06 | 199.06 | 100.00 |
| रोहतास | 274.16 | 260.61 | 95.06 | 332.78 | 332.78 | 100.00 |
| कैमूर | 174.54 | 174.54 | 100.00 | 218.38 | 218.38 | 100.00 |
| | | | | | | |
| गया | 382.02 | 378.69 | 99.13 | 485.57 | 485.57 | 100.00 |
| जहानाबाद | 85.04 | 85.04 | 100.00 | 105.34 | 105.34 | 100.00 |
| अरवल | 68.32 | 68.32 | 100.00 | 84.67 | 84.67 | 100.00 |
| नवादा | 183.33 | 183.33 | 100.00 | 218.83 | 218.83 | 100.00 |
| औरंगाबाद | 234.08 | 234.08 | 100.00 | 285.90 | 285.90 | 100.00 |
| | | | | | | |
| सारण | 335.16 | 335.16 | 100.00 | 411.76 | 411.76 | 100.00 |
| सीवान | 266.00 | 264.34 | 99.37 | 331.70 | 331.70 | 100.00 |
| गोपालगंज | 224.80 | 185.99 | 82.74 | 274.83 | 273.33 | 99.45 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 420.63 | 380.17 | 90.38 | 516.19 | 472.86 | 91.61 |
| पूर्व चंपारण | 573.84 | 563.58 | 98.21 | 719.25 | 719.25 | 100.00 |
| मुजफ्फरपुर | 519.16 | 519.16 | 100.00 | 630.76 | 630.76 | 100.00 |
| सीतामढ़ी | 422.90 | 387.98 | 91.74 | 538.78 | 526.07 | 97.64 |
| शिवहर | 81.70 | 72.24 | 88.43 | 103.98 | 102.48 | 98.56 |
| वैशाली | 445.29 | 441.20 | 99.08 | 566.58 | 550.74 | 97.20 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 415.68 | 397.60 | 95.65 | 479.43 | 479.43 | 100.00 |
| मधुबनी | 444.58 | 432.45 | 97.27 | 762.07 | 610.00 | 80.05 |
| समस्तीपुर | 386.65 | 364.76 | 94.34 | 486.69 | 486.69 | 100.00 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 275.33 | 265.78 | 96.53 | 354.77 | 311.26 | 87.74 |
| मुंगेर | 139.67 | 125.91 | 90.15 | 169.21 | 169.21 | 100.00 |
| शेखपुरा | 60.73 | 54.62 | 89.95 | 76.23 | 76.23 | 100.00 |
| लखीसराय | 83.00 | 74.17 | 89.37 | 105.96 | 103.65 | 97.82 |
| जमुई | 190.72 | 182.59 | 95.74 | 230.70 | 230.70 | 100.00 |
| खगड़िया | 168.95 | 160.35 | 94.91 | 203.42 | 184.74 | 90.82 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 291.20 | 271.78 | 93.33 | 374.61 | 310.11 | 82.78 |
| बांका | 180.47 | 158.47 | 87.81 | 229.97 | 212.64 | 92.46 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 207.63 | 186.09 | 89.63 | 254.66 | 250.61 | 98.41 |
| सुपौल | 279.56 | 186.44 | 66.69 | 359.80 | 331.99 | 92.27 |
| मधेपुरा | 257.50 | 257.50 | 100.00 | 312.12 | 312.12 | 100.00 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 357.16 | 308.80 | 86.46 | 460.79 | 433.62 | 94.10 |
| किशनगंज | 226.41 | 224.55 | 99.18 | 296.43 | 296.43 | 100.00 |
| अररिया | 337.43 | 334.36 | 99.09 | 435.57 | 433.42 | 99.51 |
| कटिहार | 313.02 | 287.03 | 91.70 | 397.15 | 395.69 | 99.63 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **10565.59** | **10020.80** | **94.84** | **13406.83** | **12918.94** | **96.36** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.35 : अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव ( 2013-14 )**

(हजार क्विंटल)

| जिला | गेहूं | | | चावल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत |
| पटना | 62.64 | 62.64 | 100.00 | 93.96 | 93.96 | 100.00 |
| नालंदा | 60.18 | 60.18 | 100.00 | 90.27 | 89.83 | 99.51 |
| भोजपुर | 138.77 | 138.77 | 100.00 | 208.16 | 208.16 | 100.00 |
| बक्सर | 36.68 | 36.68 | 100.00 | 55.02 | 55.02 | 100.00 |
| रोहतास | 114.78 | 114.78 | 100.00 | 172.16 | 172.16 | 100.00 |
| कैमूर | 216.39 | 216.10 | 99.87 | 324.58 | 324.16 | 99.87 |
| | | | | | | |
| गया | 71.91 | 71.91 | 100.00 | 107.86 | 107.86 | 100.00 |
| जहानाबाद | 98.45 | 98.45 | 100.00 | 147.68 | 147.68 | 100.00 |
| अरवल | 131.85 | 129.28 | 98.05 | 197.78 | 194.23 | 98.21 |
| नवादा | 81.25 | 81.25 | 100.00 | 121.88 | 121.88 | 100.00 |
| औरंगाबाद | 101.31 | 101.31 | 100.00 | 151.97 | 151.97 | 100.00 |
| | | | | | | |
| सारण | 60.31 | 60.31 | 100.00 | 90.47 | 89.16 | 98.55 |
| सीवान | 114.57 | 106.76 | 93.18 | 171.86 | 169.14 | 98.42 |
| गोपालगंज | 155.43 | 155.43 | 100.00 | 233.15 | 233.15 | 100.00 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 54.34 | 52.68 | 96.94 | 81.51 | 74.10 | 90.91 |
| पूर्व चंपारण | 84.43 | 84.43 | 100.00 | 126.65 | 126.65 | 100.00 |
| मुजफ्फरपुर | 163.51 | 152.91 | 93.52 | 245.26 | 243.28 | 99.19 |
| सीतामढ़ी | 18.42 | 18.42 | 100.00 | 27.62 | 27.62 | 100.00 |
| शिवहर | 24.52 | 24.52 | 100.00 | 36.78 | 36.78 | 100.00 |
| वैशाली | 86.02 | 78.30 | 91.03 | 129.03 | 118.59 | 91.91 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 27.96 | 27.96 | 100.00 | 41.94 | 41.94 | 100.00 |
| मधुबनी | 142.28 | 142.28 | 100.00 | 213.42 | 213.42 | 100.00 |
| समस्तीपुर | 83.28 | 83.28 | 100.00 | 124.92 | 124.92 | 100.00 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 80.84 | 80.84 | 100.00 | 121.26 | 121.26 | 100.00 |
| मुंगेर | 237.14 | 237.14 | 100.00 | 355.71 | 354.98 | 99.79 |
| शेखपुरा | 74.73 | 74.73 | 100.00 | 112.09 | 112.09 | 100.00 |
| लखीसराय | 183.03 | 174.80 | 95.50 | 274.54 | 269.33 | 98.10 |
| जमुई | 82.90 | 82.90 | 100.00 | 124.35 | 124.35 | 100.00 |
| खगड़िया | 117.16 | 117.16 | 100.00 | 175.74 | 175.74 | 100.00 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 66.19 | 66.19 | 100.00 | 99.28 | 99.28 | 100.00 |
| बांका | 46.89 | 46.89 | 100.00 | 70.33 | 70.33 | 100.00 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 100.26 | 100.26 | 100.00 | 150.39 | 150.39 | 100.00 |
| सुपौल | 74.51 | 72.32 | 97.06 | 111.77 | 99.42 | 88.95 |
| मधेपुरा | 216.77 | 208.11 | 96.01 | 325.15 | 325.15 | 100.00 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 100.97 | 94.41 | 93.50 | 151.46 | 151.46 | 100.00 |
| किशनगंज | 21.57 | 21.57 | 100.00 | 32.36 | 32.36 | 100.00 |
| अररिया | 189.01 | 186.83 | 98.85 | 283.51 | 282.74 | 99.73 |
| कटिहार | 130.30 | 126.02 | 96.71 | 195.45 | 195.45 | 100.00 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **3851.54** | **3788.79** | **98.37** | **5777.31** | **5729.96** | **99.18** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.36 : बिहार में वनों का जिलावार आच्छादन**

| जिला | बिहार में वनों का जिलावार आच्छादन (2011) (हेक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | भौगोलिक क्षेत्रफल | अत्यंत सघन वन क्षेत्र | मध्यम सघन वनक्षेत्र | खुला वनक्षेत्र | कुल वनक्षेत्र |
| पटना | 3202 | 0 | 13 | 3 | 16 |
| नालंदा | 2367 | 0 | 5 | 23 | 28 |
| भोजपुर | 2390 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| बक्सर | 1708 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| रोहतास | 5512 | 0 | 323 | 394 | 717 |
| कैमूर | 3381 | 0 | 555 | 507 | 1062 |
| | | | | | |
| गया | 4976 | 0 | 124 | 506 | 630 |
| जहानाबाद | 1569 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| अरवल | | | | | |
| नवादा | 2494 | 231 | 187 | 323 | 741 |
| औरंगाबाद | 3305 | 0 | 54 | 97 | 151 |
| | | | | | |
| सारण | 2641 | 0 | 38 | 17 | 55 |
| सीवान | 2219 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| गोपालगंज | 2033 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5228 | 0 | 524 | 166 | 690 |
| पूर्व चंपारण | 3968 | 0 | 83 | 88 | 171 |
| मुजफ्फरपुर | 3172 | 0 | 102 | 75 | 177 |
| सीतामढ़ी | 2071 | 0 | 23 | 67 | 90 |
| शिवहर | 572 | 0 | 2 | 17 | 19 |
| वैशाली | 2036 | 0 | 74 | 12 | 86 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 2279 | 0 | 41 | 144 | 185 |
| मधुबनी | 3501 | 0 | 18 | 118 | 136 |
| समस्तीपुर | 2904 | 0 | 39 | 18 | 57 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 1918 | 0 | 20 | 23 | 43 |
| मुंगेर | 1347 | 0 | 251 | 14 | 265 |
| शेखपुरा | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लखीसराय | 1356 | 0 | 180 | 14 | 194 |
| जमुई | 3107 | 0 | 383 | 249 | 632 |
| खगड़िया | 1486 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 2567 | 0 | 29 | 13 | 42 |
| बांका | 3022 | 0 | 111 | 110 | 221 |
| | | | | | |
| सहरसा | | | | | |
| सुपौल | 2432 | 0 | 8 | 92 | 100 |
| मधेपुरा | 1788 | 0 | 6 | 20 | 26 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 3229 | 0 | 6 | 41 | 47 |
| किशनगंज | 1884 | 0 | 26 | 49 | 75 |
| अररिया | 2830 | 0 | 12 | 76 | 88 |
| कटिहार | 3057 | 0 | 18 | 44 | 62 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **94163** | **231** | **3280** | **3334** | **6845** |

स्रोत : पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : तालिका में दर्ज भौगोलिक क्षेत्रफल अध्याय 2 (कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र) में दर्ज भौगोलिक क्षेत्रफल से भिन्न हो सकता है क्योंकि स्रोतों में अंतर है।

# अध्याय 6

# बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

विकास का धीमापन और उच्च मुद्रास्फीति 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5 प्रतिशत के नीचे रही और गत वर्ष की तरह देश में वृहदार्थिक परिदृश्य की पहचान बनी रही। विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में नकारात्मक विकास दर्ज हुआ जिसका कारण अंशत: केंद्र की नीतिगत लकवाग्रस्तता और अंशत: 'पर्यावरण संबंधी सहमतियां, भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, खास कर खनन गतिविधि जैसे मुख्य क्षेत्रों में विधिक और नियामक ढांचे में अनिश्चितता' था। इसके चलते निवेशकों में विश्वास की कमी के कारण निजी निवेश काफी कम हुआ। इन सारे विकासों ने संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के मुनाफे को गंभीर रूप से प्रभावित किया और बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में 2013-14 के दौरान ह्रास आया। इस वर्ष वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त प्रतिकूल परिसिथिति और इन नकारात्मक घरेलू विकासों ने मिलकर भारत में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को और भी बढ़ा दिया। सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) के बजट अनुमान में दर्शाए गए सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत और चालू खाता के घाटा भी थोड़ा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह जाने के साथ केंद्र सरकार की वित्तव्यवस्था में मामूली सुधार ही एकमात्र सकारात्मक चीज थी। अगर भावी संभावनाओं की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जुलाई 2013 से जून 2014 तक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ''मध्यावधि में न्यूनतम 7 प्रतिशत का टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों के स्तर और उत्पादकता में सुधार लाने वाली सूक्ष्मार्थिक नीतियां वांछित होंगी ताकि वे समुचित सकरात्मक वास्तविक ब्याज दर, निम्न मुद्रास्फीति, चालू खाते का कम घाटा और निम्न राजस्व घाटे के साथ-साथ सहयोगपूर्ण वृहदार्थिक क्षेत्र के साथ मिलकर काम करें''। वर्ष 2014-15 के लिए विकास दर मात्र 5.5 प्रतिशत के आसपास अनुमानित है जो विगत दो वित्तवर्षों के दौरान 5 प्रतिशत से भी नीचे रही दर से बस थोड़ा ही अधिक है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (SCBs) का वर्चस्व रहा है जिनका बैंकिंग परिसंपत्तियों में 90 प्रतिशत हिस्सा है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में भी बाजार में 67 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा मात्र 19 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेश में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। बाजार की लगभग अनुपस्थिति में बिहार जैसे किसी राज्य में पूंजी वित्तीय क्षेत्र लगभग पूरी तरह अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा वाहित है। इसलिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिदृश्य में किसी भी प्रतिकूल विकास से बिहार के वित्तीय क्षेत्र पर दुष्प्रभाव पड़ना तय है।

वित्तीय व्यवस्था बैंक, बीमा कंपनी, प्रतिभूति कंपनी, म्यूचुअल फंड, वित्तीय कंपनी और पेंशन कोषों तथा बचतकर्ताओं के संसाधनों को निवेशकर्ताओं की ओर दिशाबद्ध करने वाले सभी संस्थानों जैसे मध्यस्थों के जरिए होने वाले वित्त के प्रवाह द्वारा वाहित होती है। वर्ष 2012 में भारत में वित्तीय संस्थाओं की कुल परिसंपत्तियों में

सहकारी बैंकों सहित व्यावसायिक बैंकों का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा था और उनके बाद 19 प्रतिशत बीमा कंपनियों का, 8 प्रतिशत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का, 6 प्रतिशत म्यूचुअल फंड का और 4 प्रतिशत भविष्य निधि और पेंशन कोष का। बिहार के वित्तीय क्षेत्र के आगे के विश्लेषण में राज्य में कार्यरत तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्यान में रखा गया है : (1) बैंक, जिसमें व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं।

## 6.1 बैंकिंग अधिसंरचना

<u>व्यावसायिक बैंक</u>

तालिका 6.1 में बिहार में 2009 से 2014 तक व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण और उनकी वृद्धि दर्शाई गई है। मार्च 2014 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 5,908 शाखाओं में से 59 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं जिनका हिस्सा 2009 में 64 प्रतिशत था। ग्रामीण शाखाओं के हिस्से में अबाध गिरावट 2012 तक जारी रही जब राज्य में हर वर्ष लगभग 300 शाखाएं खोली जा रही थीं। उसके बाद से ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा 59 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा है। वर्ष 2013-14 में अप्रत्याशित रूप से 638 नई शाखाएं खुलीं - 325 ग्रामीण क्षेत्रों में, 213 अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 100 शहरी क्षेत्रों में। वर्ष 2013-14 में बैंक प्रसार की विकास दर 12 प्रतिशत थी जो विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक है।

**तालिका 6.1 : बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण ( 2009-14 )**

| वर्ष (अंतिम मार्च) | योग | प्रतिशत वृद्धि दर | अवस्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत वितरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रामीण | अर्धशहरी | शहरी | समस्त |
| 2009 | 3809 | 2.45 | 63.8 | 19.9 | 16.3 | 100.0 |
| 2010 | 4173 | 9.56 | 61.2 | 21.3 | 17.5 | 100.0 |
| 2011 | 4549 | 9.01 | 60.4 | 21.5 | 18.1 | 100.0 |
| 2012 | 4860 | 6.84 | 59.6 | 22.0 | 18.4 | 100.0 |
| 2013 | 5270 | 8.44 | 59.6 | 21.8 | 18.6 | 100.0 |
| 2014 | 5908 | 12.11 | 58.7 | 23.0 | 18.2 | 100.0 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

वर्ष 2014 तक निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों की 189 शाखाएं शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में थी और मात्र 16 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। ये बैंक स्वभावत: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक क्रय शक्ति का लाभ लेते हैं। उसकी अवस्थिति के तौर-तरीके से वित्तीय समावेशिता का मकसद हासिल नहीं हो सकता है। तालिका 6.2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2013 के अंत में देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा मात्र 4.8 प्रतिशत

था जबकि देश की जनसंख्या में इसका हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। यह हिस्सा गत कुछ वर्षों के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा है।

**तालिका 6.2 : विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2012-13)**

| राज्य | राज्य के योगफल में हिस्सा (%) | | | राज्य का योगफल | संपूर्ण भारत में हिस्सा (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | अर्धशहरी | शहरी | | |
| आंध्र प्रदेश | 34.0 | 25.0 | 41.0 | 9165 | 8.3 |
| **बिहार** | **59.64** | **21.80** | **18.56** | **5270** | **4.8** |
| गुजरात | 32.4 | 25.2 | 42.4 | 6094 | 5.5 |
| हरियाणा | 33.1 | 24.2 | 42.6 | 3431 | 3.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 73.5 | 20.1 | 6.4 | 1265 | 1.2 |
| झारखंड | 48.5 | 24.4 | 27.1 | 2384 | 2.2 |
| कर्नाटक | 34.3 | 21.7 | 44.0 | 7827 | 7.1 |
| केरल | 6.9 | 67.3 | 25.8 | 5452 | 5.0 |
| मध्य प्रदेश | 38.5 | 27.6 | 33.9 | 5105 | 4.6 |
| महाराष्ट्र | 24.8 | 20.6 | 54.7 | 10314 | 9.4 |
| उड़ीसा | 53.5 | 25.3 | 21.2 | 3568 | 3.2 |
| पंजाब | 35.5 | 31.6 | 32.9 | 4905 | 4.5 |
| राजस्थान | 39.5 | 29.4 | 31.2 | 5389 | 4.9 |
| तमिलनाडु | 27.1 | 32.7 | 40.1 | 8281 | 7.5 |
| उत्तर प्रदेश | 45.6 | 20.6 | 33.8 | 13167 | 12.0 |
| उत्तराखंड | 46.9 | 31.0 | 22.1 | 1593 | 1.5 |
| पश्चिम बंगाल | 41.4 | 14.5 | 44.0 | 6413 | 5.8 |
| **भारत** | **39439** | **28691** | **41681** | **110073** | **100.0** |

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

<u>सहकारी बैंक</u>

राज्य और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों के आंकड़े तालिका 6.3 में दर्शाए गए हैं। तालिका से पता चलता है कि पूरे 2012 से 2013 के बीच देश में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या में 8.2 प्रतिशत और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन बिहार में वस्तुतः राज्य सहकारी बैंकों की संख्या घटी है जो उन वर्षों के दौरान 16 से 12 हो गई। लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या इस अवधि में 11.5 प्रतिशत बढ़कर 311 हो गई। सहकारी बैंकों के शाखाओं की संख्या 2013 में 323 थी।

**तालिका 6.3 : राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)**

| राज्य | राज्य सहकारी बैंक | | जिला केंद्रीय सहकारी बैंक | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| आंध्र प्रदेश | 24 | 37 | 571 | 577 | 595 | 614 |
| **बिहार** | **16** | **12** | **279** | **311** | **295** | **323** |
| गुजरात | 1 | 3 | 1191 | 1247 | 1192 | 1250 |
| हरियाणा | 13 | 14 | 594 | 621 | 607 | 635 |
| हिमाचल प्रदेश | 175 | 197 | 187 | 205 | 362 | 402 |
| झारखंड | - | - | 114 | 122 | 114 | 122 |
| कर्नाटक | 40 | 40 | 605 | 604 | 645 | 644 |
| केरल | 20 | 24 | 670 | 703 | 690 | 727 |
| मध्य प्रदेश | 20 | 25 | 835 | 856 | 855 | 881 |
| महाराष्ट्र | 53 | 53 | 3728 | 3710 | 3781 | 3763 |
| उड़ीसा | 14 | 15 | 323 | 339 | 337 | 354 |
| पंजाब | 20 | 21 | 805 | 812 | 825 | 833 |
| राजस्थान | 16 | 17 | 414 | 444 | 430 | 461 |
| तमिलनाडु | 46 | 47 | 738 | 784 | 784 | 831 |
| उत्तर प्रदेश | 29 | 29 | 1350 | 1385 | 1379 | 1414 |
| उत्तराखंड | 15 | 16 | 232 | 243 | 247 | 259 |
| पश्चिम बंगाल | 43 | 48 | 322 | 285 | 365 | 333 |
| **भारत** | **999** | **1081** | **13302** | **13655** | **14301** | **14711** |

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सरकारी बैंक संघ (NAFSCOB)

<u>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रख्यापन के जरिए अस्तित्व में आए। केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50, 15 और 35 के अनुपात में धारित इक्विटी वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण ऋण के लिए एक बहु-अभिकरण पहुंच (मल्टी एजेंसी अप्रोच) उपलब्ध कराते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े तालिका 6.4 और तालिका 6.5 में दर्शाए गए हैं। सितंबर 2013 के अंत में, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,718 शाखाएं थीं जो सितंबर 2014 तक बढ़कर 1,889 हो गईं। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में अकेले उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 54 प्रतिशत हिस्सा है (तालिका 6.4)। जहां इनकी शाखाओं की कुल संख्या में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहीं इनकी कुल जमा राशि 2,730 करोड़ रु. (17 प्रतिशत) बढ़ी है और ऋण 2,178 करोड़ रु. (27.7 प्रतिशत)(तालिका 6.5)।

ऋण और जमा राशियों में यह वृद्धि 2008-09 में हासिल सर्वोत्तम प्रदर्शन के साथ तुलनीय थी जब जमा राशि में 3,200 करोड़ रु. और ऋण राशि में 1,600 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2008-09 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशियों में वृद्धि की दर काफी घट गई थी - 2008-09 के 23 प्रतिशत से 2012-13 में 6.3 प्रतिशत। सिर्फ 2013-14 में वृद्धि दर बढ़ी थी। गौरतलब है कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशि का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ऋण के बतौर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो जाता है।

**तालिका 6.4 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2014 के अंत में)**

| | ग्रामीण | अर्धशहरी | शहरी | योग |
|---|---|---|---|---|
| मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 472 | 55 | 29 | 556 |
| बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 217 | 87 | 9 | 313 |
| उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 883 | 104 | 33 | 1020 |
| **योग** | **1572** | **246** | **71** | **1889** |

**तालिका 6.5 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा और ऋण राशि**

(करोड़ रु.)

| राज्य | 2011-12 | | 2012-13 | | प्रतिशत वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल जमा | कुल ऋण | कुल जमा | कुल ऋण | कुल जमा | कुल ऋण |
| आंध्र प्रदेश | 15258 | 16756 | 17403 | 20555 | 14.1 | 22.7 |
| **बिहार** | **15076** | **7044** | **16024** | **7867** | **6.3** | **11.7** |
| गुजरात | 5427 | 2506 | 6122 | 3195 | 12.8 | 27.5 |
| हरियाणा | 7027 | 4873 | 8485 | 5546 | 20.7 | 13.8 |
| हिमाचल प्रदेश | 1914 | 819 | 2073 | 898 | 8.3 | 9.6 |
| झारखंड | 3702 | 1295 | 3961 | 1471 | 7.0 | 13.6 |
| कर्नाटक | 15009 | 13053 | 17728 | 15143 | 18.1 | 16.0 |
| केरल | 5508 | 6127 | 6821 | 7560 | 23.8 | 23.4 |
| मध्य प्रदेश | 11172 | 5931 | 12686 | 7110 | 13.6 | 19.9 |
| महाराष्ट्र | 5569 | 3312 | 6208 | 4275 | 11.5 | 29.1 |
| उड़ीसा | 9703 | 5643 | 10073 | 6149 | 3.8 | 9.0 |
| पंजाब | 3501 | 2620 | 3878 | 3094 | 10.8 | 18.1 |
| राजस्थान | 11375 | 8230 | 12415 | 9270 | 9.1 | 12.6 |
| तमिलनाडु | 3372 | 4343 | 3941 | 5262 | 16.9 | 21.2 |
| उत्तर प्रदेश | 39227 | 20364 | 44349 | 23261 | 13.1 | 14.2 |
| उत्तराखंड | 1837 | 1011 | 2163 | 1245 | 17.7 | 23.1 |
| पश्चिम बंगाल | 10865 | 5248 | 12178 | 5978 | 12.1 | 13.9 |
| **भारत** | **183009** | **116567** | **206461** | **136690** | **12.8** | **17.3** |

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च 2013 में देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल जमा का हिस्सा 30.8 प्रतिशत था जो एक वर्ष पूर्व 31.9 प्रतिशत था। वहीं 2013 में बिहार के लिए यह अनुपात 39.2 प्रतिशत था जो एक वर्ष पूर्व 43.3 प्रतिशत था (तालिका 6.6)। वर्ष 2011-12 में बिहार के कुल बैंक जमा में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का हिस्सा 2011-12 और 2012-13, दोनो वर्षों में 24.7 प्रतिशत था। इन दोनो वर्षों में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का हिस्सा लगभग 6 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में बिहार में इन बैंकों द्वारा ग्रामीण जमा की कुल राशि 40,841 करोड़ रु. थी। उस वर्ष बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का बड़ा हिस्सा (65.5 प्रतिशत) बचत बैंक की जमा राशि का था।

**तालिका 6.6 : जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण जमा राशियां (मार्च 2013)**

| राज्य | शाखाओं की सं. | चालू खाता | | बचत जमा | | सावधि जमा | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खातों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) | खातों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) | खातों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) | खातों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) |
| आंध्र प्रदेश | 3,097 | 4.51 | 1727 | 246.20 | 14664 | 27.89 | 19098 | 278.61 | 35489 |
| **बिहार** | **2,696** | **9.57** | **2221** | **199.93** | **26758** | **21.15** | **11862** | **230.64** | **40841** |
| गुजरात | 844 | 1.61 | 908 | 60.94 | 8702 | 5.66 | 3830 | 68.22 | 13439 |
| हरियाणा | 1,970 | 2.24 | 1549 | 93.15 | 14559 | 24.37 | 23860 | 119.76 | 39968 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,132 | 4.56 | 998 | 56.41 | 10644 | 6.01 | 8713 | 66.98 | 20355 |
| झारखंड | 1,149 | 1.45 | 760 | 81.78 | 10954 | 11.02 | 8039 | 94.25 | 19753 |
| कर्नाटक | 2,671 | 3.29 | 2120 | 163.90 | 12820 | 27.28 | 19667 | 194.47 | 34608 |
| केरल | 374 | 0.53 | 267 | 23.81 | 3164 | 4.42 | 5479 | 28.77 | 8910 |
| मध्य प्रदेश | 1,956 | 2.76 | 1379 | 129.52 | 12848 | 13.67 | 9778 | 145.95 | 24004 |
| महाराष्ट्र | 2,544 | 3.64 | 2307 | 164.53 | 17814 | 18.49 | 20733 | 186.66 | 40854 |
| उड़ीसा | 1,905 | 2.71 | 1415 | 165.93 | 17484 | 28.78 | 11771 | 197.42 | 30670 |
| पंजाब | 1,718 | 10.42 | 1272 | 80.98 | 17949 | 15.32 | 22664 | 106.72 | 41885 |
| राजस्थान | 2,114 | 4.81 | 962 | 113.17 | 13323 | 15.25 | 11781 | 133.22 | 26066 |
| तमिलनाडु | 2,231 | 3.50 | 1674 | 173.52 | 14973 | 19.77 | 19754 | 196.79 | 36401 |
| उत्तर प्रदेश | 5,975 | 16.69 | 4150 | 637.82 | 65781 | 43.44 | 30539 | 697.95 | 100469 |
| पश्चिम बंगाल | 2,656 | 5.86 | 2106 | 235.77 | 28088 | 43.44 | 28834 | 285.06 | 59028 |
| **भारत** | **39,233** | **91.71** | **31702** | **2884.56** | **335692** | **377.20** | **302495** | **3353.47** | **669889** |

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारी

तालिका 6.7 में देखा जा सकता है कि मार्च 2013 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या 38,368 थी जबकि मार्च 2012 में 37,091 थी। उनमें से 48.2 प्रतिशत अधिकारी श्रेणी के थे जो पिछले वर्ष के 42.6 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। मार्च 2013 में भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों की कुल संख्या का 3.1 प्रतिशत हिस्सा ही बिहार में कार्यरत था। तालिका 6.8 में देखा जा सकता है कि 2013 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों की कुल संख्या 3,936 थी जबकि 2012 में यह 3,102 ही थी। देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कार्यरत कुल महिला कर्मियों में इनका हिस्सा मात्र 1.7 प्रतिशत था।

**तालिका 6.7 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण ( मार्च, 2013 )**

| राज्य | अधिकारी | लिपिक | अधीनस्थ कर्मचारी | योग |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 41906 (48.2) | 30861 (35.5) | 14221 (16.3) | 86988 **(100.0)** |
| **बिहार** | **16972 (44.2)** | **13985 (36.4)** | **7411 (19.3)** | **38368 (100.0)** |
| गुजरात | 6379 (48.4) | 4832 (36.6) | 1976 (15.0) | 13187 (100.0) |
| हरियाणा | 28310 (46.0) | 23407 (38.0) | 9850 (16.0) | 61567 (100.0) |
| झारखंड | 16847 (47.7) | 13606 (38.6) | 4832 (13.7) | 35285 (100.0) |
| कर्नाटक | 9301 (46.7) | 7438 (37.4) | 3160 (15.9) | 19899 (100.0) |
| केरल | 38828 (47.2) | 31519 (38.3) | 11848 (14.4) | 82195 (100.0) |
| मध्य प्रदेश | 25143 (47.5) | 20841 (39.4) | 6962 (13.1) | 52946 (100.0) |
| महाराष्ट्र | 20319 (45.9) | 16269 (36.8) | 7664 (17.3) | 44252 (100.0) |
| उड़ीसा | 92837 (52.4) | 63108 (35.6) | 21272 (12.0) | 177217 (100.0) |
| पंजाब | 14001 (36.3) | 11574 (30.0) | 13029 (33.8) | 38604 (100.0) |
| राजस्थान | 24716 (33.3) | 42243 (56.9) | 7346 (9.9) | 74305 (100.0) |
| तमिलनाडु | 21317 (52.5) | 11756 (29.0) | 7501 (18.5) | 40574 (100.0) |
| उत्तर प्रदेश | 41458 (46.9) | 34889 (39.4) | 12126 (13.7) | 88473 (100.0) |
| उत्तराखंड | 49138 (44.6) | 42167 (38.3) | 18931 (17.2) | 110236 (100.0) |
| पश्चिम बंगाल | 33575 (28.0) | 71156 (59.4) | 15054 (12.6) | 119785 (100.0) |
| **भारत** | **551712 (45.2)** | **484975 (39.7)** | **184044 (15.1)** | **1220731 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक

**तालिका 6.8 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का वितरण ( मार्च, 2013 )**

| राज्य | अधिकारी | लिपिक | अधीनस्थ कर्मचारी | योग |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 6925 (38.3) | 8427 (46.6) | 2749 (15.2) | 18101 (100.0) |
| **बिहार** | **1690 (42.9)** | **1815 (46.1)** | **431 (11.0)** | **3936** (100.0) |
| गुजरात | 724 (34.4) | 1213 (57.6) | 169 (8.0) | 2106 (100.0) |
| हरियाणा | 3427 (34.4) | 5448 (54.6) | 1100 (11.0) | 9975 (100.0) |
| हिमाचल प्रदेश | 2932 (47.4) | 2576 (41.7) | 674 (10.9) | 6182 (100.0) |
| झारखंड | 1288 (40.8) | 1632 (51.8) | 233 (7.4) | 3153 (100.0) |
| कर्नाटक | 7643 (35.2) | 12061 (55.6) | 1986 (9.2) | 21690 (100.0) |
| केरल | 7201 (38.4) | 9844 (52.5) | 1691 (9.0) | 18736 (100.0) |
| मध्य प्रदेश | 2529 (35.6) | 4033 (56.8) | 536 (7.6) | 7098 (100.0) |
| महाराष्ट्र | 21822 (46.0) | 23091 (48.7) | 2538 (5.3) | 47451 (100.0) |
| उड़ीसा | 1639 (42.5) | 1907 (49.5) | 309 (8.0) | 3855 (100.0) |
| पंजाब | 3439 (38.4) | 4170 (46.5) | 1358 (15.1) | 8967 (100.0) |
| राजस्थान | 2298 (46.2) | 1901 (38.2) | 778 (15.6) | 4977 (100.0) |
| तमिलनाडु | 8542 (35.2) | 13418 (55.2) | 2327 (9.6) | 24287 (100.0) |
| उत्तर प्रदेश | 5132 (39.9) | 6198 (48.1) | 1548 (12.0) | 12878 (100.0) |
| पश्चिम बंगाल | 4564 (44.2) | 4468 (43.3) | 1288 (12.5) | 10320 (100.0) |
| **भारत** | **95507 (41.0)** | **115233 (49.4)** | **22436 (9.6)** | **233176** (100.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक

## 6.2 जमा और ऋण

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का प्रति व्यक्ति जमा और ऋण

तालिका 6.9 में देश के प्रमुख राज्यों में 2012 और 2013 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा एवं ऋण राशियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि बिहार में 2012-13 में कुल जमा राशि (1,65,209 करोड़ रु.) में गत वर्ष के 1,41,308 करोड़ रु. की तुलना में 16.9 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। साथ ही, 2012-13 में ऋण में भी 8,500 करोड़ रु. का विस्तार हुआ है जो 20.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा पिछले वर्ष के 2.29 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2.34 प्रतिशत हो गया, वहीं इस दौरान ऋण में कुल हिस्सा 0.86 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 0.90 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, कुल देश के बैंक ऋण में बिहार के कुल बैंक ऋण का हिस्सा एक प्रतिशत भी नहीं है।

तालिका 6.9 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)

| राज्य | जमा | | | | ऋण | | | | ऋण–जमा अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रकम (करोड़ रु.) | हिस्सा (%) | रकम (करोड़ रु.) | हिस्सा (%) | रकम (करोड़ रु.) | हिस्सा (%) | रकम (करोड़ रु.) | हिस्सा (%) | |
| | **2011-12** | | **2012-13** | | **2011-12** | | **2012-13** | | **2012-13** |
| आंध्र प्रदेश | 346800 | 5.62 | 398497 | 5.65 | 381406 | 7.97 | 438107 | 7.96 | 109.94 |
| **बिहार** | **141308** | **2.29** | **165209** | **2.34** | **41151** | **0.86** | **49735** | **0.90** | **30.10** |
| गुजरात | 306113 | 4.96 | 361054 | 5.12 | 213447 | 4.46 | 260642 | 4.73 | 72.19 |
| हरियाणा | 146703 | 2.38 | 169911 | 2.41 | 115923 | 2.42 | 129274 | 2.35 | 76.08 |
| हिमाचल प्रदेश | 38432 | 0.62 | 45528 | 0.65 | 14283 | 0.30 | 15772 | 0.29 | 34.64 |
| झारखंड | 88921 | 1.44 | 105701 | 1.50 | 29899 | 0.63 | 33415 | 0.61 | 31.61 |
| कर्नाटक | 411724 | 6.67 | 464639 | 6.59 | 290806 | 6.08 | 331540 | 6.02 | 71.35 |
| केरल | 200573 | 3.25 | 234217 | 3.32 | 151526 | 3.17 | 171712 | 3.12 | 73.31 |
| मध्य प्रदेश | 168953 | 2.74 | 200820 | 2.85 | 94954 | 1.99 | 115776 | 2.10 | 57.65 |
| महाराष्ट्र | 1593694 | 25.81 | 1785043 | 25.31 | 1387777 | 29.02 | 1576489 | 28.63 | 88.32 |
| उड़ीसा | 125420 | 2.03 | 143978 | 2.04 | 58846 | 1.23 | 66325 | 1.20 | 46.07 |
| पंजाब | 174433 | 2.83 | 200680 | 2.85 | 142352 | 2.98 | 162550 | 2.95 | 81.00 |
| राजस्थान | 151983 | 2.46 | 177139 | 2.51 | 136996 | 2.86 | 163268 | 2.97 | 92.17 |
| तमिलनाडु | 401182 | 6.50 | 446577 | 6.33 | 465897 | 9.74 | 549245 | 9.97 | 122.99 |
| उत्तर प्रदेश | 434732 | 7.04 | 515015 | 7.30 | 190455 | 3.98 | 224708 | 4.08 | 43.63 |
| उत्तराखंड | 56735 | 0.92 | 66453 | 0.94 | 20206 | 0.42 | 23147 | 0.42 | 34.83 |
| पश्चिम बंगाल | 378078 | 6.12 | 438344 | 6.22 | 237330 | 4.96 | 269934 | 4.90 | 61.58 |
| **भारत** | **6174147** | **100.0** | **7051332** | **100.0** | **4782775** | **100.0** | **5506496** | **100.0** | **78.09** |

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2012–13, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.9 में यह भी देखा जा सकता है कि बिहार में 2012–13 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण–जमा अनुपात (30.10 प्रतिशत) विगत वर्षों की ही तरह देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम था। तमिलनाडु (122.99 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (109.94 प्रतिशत), राजस्थान (92.17 प्रतिशत) या महाराष्ट्र (88.32 प्रतिशत) की बात तो छोड़ ही दें, यह राष्ट्रीय औसत 78.09 प्रतिशत के पास भी नहीं फटकता है।

**चार्ट 6.1 : मार्च 2013 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जमा और ऋण (करोड़ रु.)**

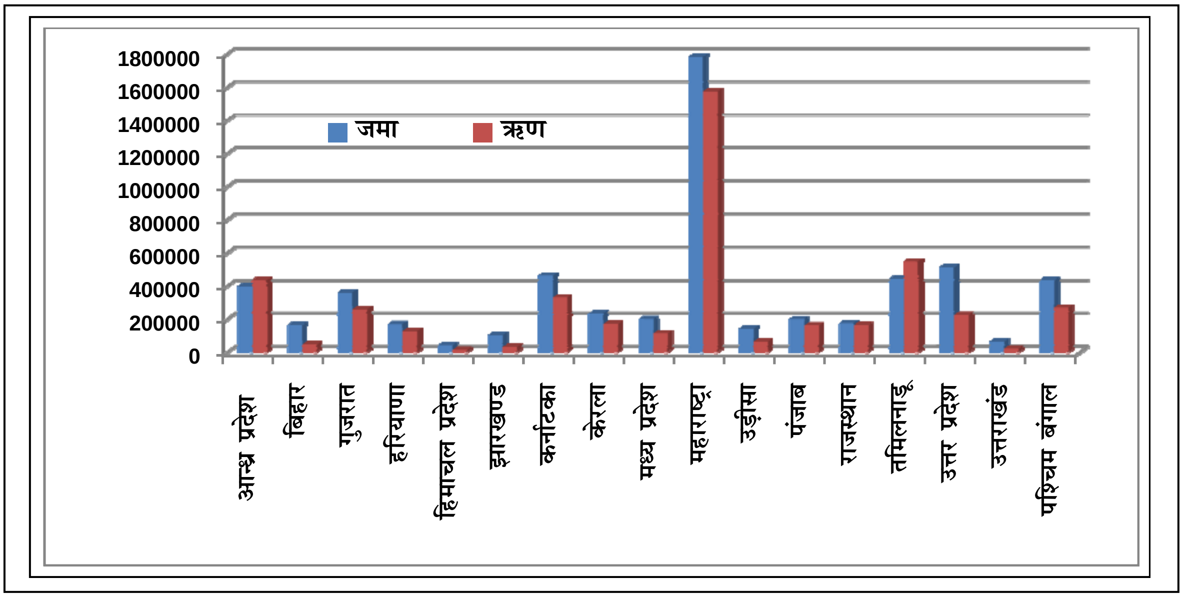


**तालिका 6.10 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च)**

| राज्य | प्रति कार्यालय जनसंख्या | | प्रति व्यक्ति जमा (रु. में) | | प्रति शाखा जमा (लाख रु. में) | | प्रति व्यक्ति ऋण (रु. में) | | प्रति शाखा ऋण (लाख रु. में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** |
| आंध्र प्रदेश | 10773 | 9909 | 40507 | 46029 | 4364 | 4561 | 44549 | 50604 | 4799 | 5014 |
| **बिहार** | **23577** | **22491** | **13310** | **15215** | **3138** | **3422** | **3876** | **4580** | **914** | **1030** |
| गुजरात | 11643 | 10784 | 49806 | 57716 | 5799 | 6224 | 34729 | 41664 | 4043 | 4493 |
| हरियाणा | 8961 | 7988 | 56806 | 64591 | 5090 | 5160 | 44888 | 49143 | 4022 | 3926 |
| हिमाचल प्रदेश | 6104 | 5683 | 55380 | 64818 | 3380 | 3683 | 20582 | 22455 | 1256 | 1276 |
| झारखंड | 15884 | 15058 | 26431 | 30788 | 4198 | 4636 | 8887 | 9733 | 1412 | 1466 |
| कर्नाटक | 9110 | 8554 | 66364 | 73794 | 6046 | 6312 | 46873 | 52655 | 4270 | 4504 |
| केरल | 7014 | 6473 | 59789 | 69487 | 4193 | 4498 | 45169 | 50943 | 3168 | 3298 |
| मध्य प्रदेश | 16075 | 15362 | 22848 | 26662 | 3673 | 4096 | 12841 | 15371 | 2064 | 2361 |
| महाराष्ट्र | 12600 | 11846 | 139715 | 154165 | 17604 | 18263 | 121663 | 136154 | 15329 | 16129 |
| उड़ीसा | 13301 | 12498 | 29503 | 33419 | 3924 | 4177 | 13842 | 15395 | 1841 | 1924 |
| पंजाब | 6794 | 6150 | 62140 | 70556 | 4222 | 4339 | 50711 | 57150 | 3445 | 3515 |
| राजस्थान | 14771 | 13745 | 21721 | 24828 | 3208 | 3412 | 19579 | 22883 | 2892 | 3145 |
| तमिलनाडु | 10096 | 9493 | 54786 | 60079 | 5531 | 5703 | 63624 | 73892 | 6424 | 7015 |
| उत्तर प्रदेश | 17575 | 16399 | 21385 | 24873 | 3758 | 4079 | 9369 | 10852 | 1647 | 1780 |
| उत्तराखंड | 7339 | 6797 | 55098 | 63407 | 4044 | 4310 | 19623 | 22086 | 1440 | 1501 |
| पश्चिम बंगाल | 15967 | 15195 | 40855 | 46756 | 6523 | 7104 | 25646 | 28792 | 4095 | 4375 |
| **भारत** | **12808** | **11951** | **50183** | **56380** | **6427** | **6738** | **38874** | **44028** | **4979** | **5262** |

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

**चार्ट 6.2 : 31 मार्च, 2013 को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का प्रति व्यक्ति जमा एवं ऋण (रु.)**

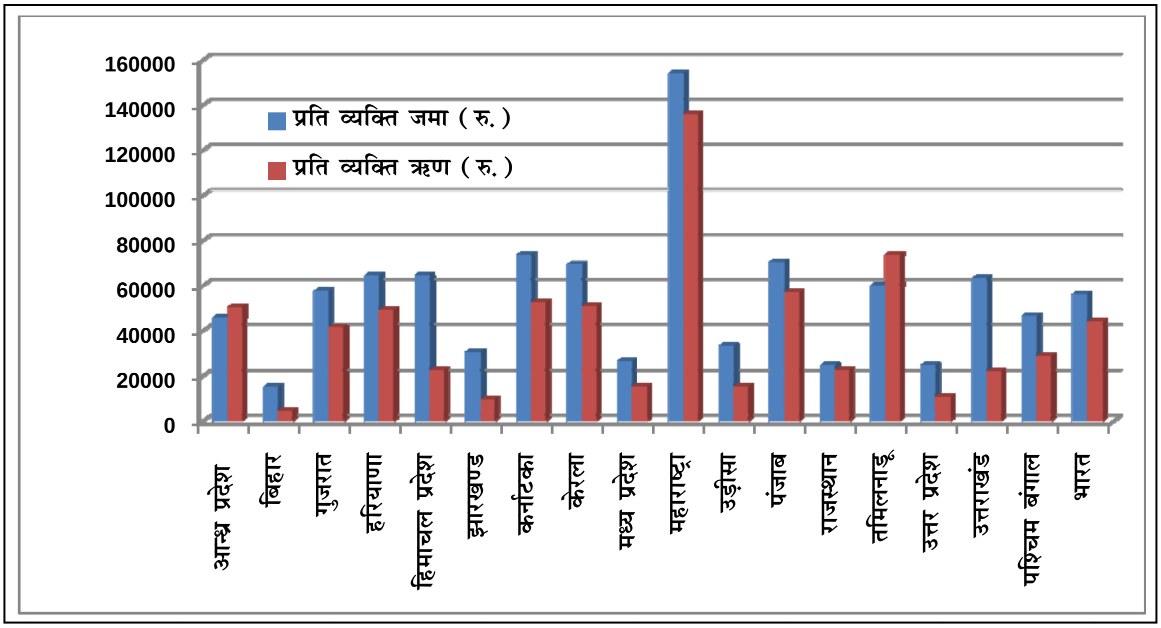


प्रमुख भारतीय राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा और ऋण को तालिका 6.10 में दर्शाया गया है। इसमें भी दिखता है कि प्रति व्यक्ति जमा और प्रति व्यक्ति ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे है। देश के अंदर प्रति बैंक कार्यालय सेवित सर्वाधिक जनसंख्या (22.5 हजार) भी बिहार में ही है जो राष्ट्रीय औसत (12.0 हजार) से काफी अधिक है। बिहार में 2013 में अनुसूचित बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा में 1,905 रु. की वृद्धि हुई है जबकि एक वर्ष पूर्व 2,078 रु. की वृद्धि हुई थी। लेकिन प्रति व्यक्ति ऋण के मामले में वृद्धि 704 रु. ही है। पुनः जहां प्रति शाखा जमा 2.84 लाख रु. बढ़ा है, वहीं प्रति शाखा ऋण 1.16 लाख रु. ही बढ़ा है। किसी अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह उसकी मांग के साथ-साथ उसकी अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है जिसका निर्धारण भौतिक अधिसंरचनाओं की उपलब्धता, स्थानीय श्रमिकों का कौशल और शिक्षा तथा स्थानीय उद्यमिताजनित उद्यमों (वेंचर) जैसे विभिन्न कारकों द्वारा होता है। ये अवदान बिहार में अधिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन बैंकों को भी शाखाविहीन क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलकर तथा अपने कुछ सख्त ऋण मानकों को शिथिल करके ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए आज अधिक सकारात्मक उपाय करने की जरूरत है।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार के ऋण-जमा अनुपात के 2001-02 से अब तक के आंकड़े तालिका 6.11 में प्रस्तुत हैं। मार्च 2014 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 1,83,458 करोड़ रु. था और कुल ऋण 85,334 करोड़ रु.। इससे ऋण-जमा अनुपात 46.51 प्रतिशत हुआ जो 2008-09 के 28.96 प्रतिशत से काफी अधिक है। सितंबर 2014 में यह थोड़ा कम - 45.74 प्रतिशत था। हालांकि ऋण-जमा अनुपात में हाल के वर्षों में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन इसकी निम्न वृद्धि दर से बिहार का बैंकिंग परिदृश्य लगातार पीड़ित है।

### तालिका 6.11 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

| वर्ष | जमा (करोड़ रु.) | ऋण (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | 30482 | 6946 | 22.79 |
| 2002-03 | 33815 | 8089 | 23.92 |
| 2003-04 | 35824 | 9604 | 26.81 |
| 2004-05 | 40295 | 12031 | 29.86 |
| 2005-06 | 46134 | 14808 | 32.10 |
| 2006-07 | 56342 | 19048 | 33.81 |
| 2007-08 | 68244 | 22077 | 32.35 |
| 2008-09 | 83048 | 24051 | 28.96 |
| 2009-10 | 98588 | 31679 | 32.13 |
| 2010-11 | 113909 | 38723 | 33.99 |
| 2011-12 | 138163 | 50704 | 36.70 |
| 2012-13 | 161036 | 65364 | 40.59 |
| 2013-14 | 183458 | 85334 | 46.51 |
| 2014-15 (सितंबर 2014 तक) | 191828 | 87739 | 45.74 |

टिप्पणी : तालिका 6.9 में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2013 में ऋण-जमा अनुपात मात्र 30.10 प्रतिशत है जबकि तालिका में प्रस्तुत राज्यस्तरीय बैंकर समिति का आंकड़ा 40.59 प्रतिशत है। अंतर मुख्यत: आरआइडीएफ योजना (खंड 6.6 में विचारित) के तहत बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि के समावेश के कारण है। आरआइडीएफ को छोड़ देने पर ऋण-जमा अनुपात 38.40 प्रतिशत होगा। फिर तालिका 6.9 में शामिल आंकड़े बिहार के व्यावसायिक बैंकों के ही हैं जबकि तालिका 6.11 के आंकड़े बिहार के सभी बैंकों के हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

### चार्ट 6.3 : 31 मार्च, 2013 को प्रमुख भारतीय राज्यों के ऋण-जमा अनुपात

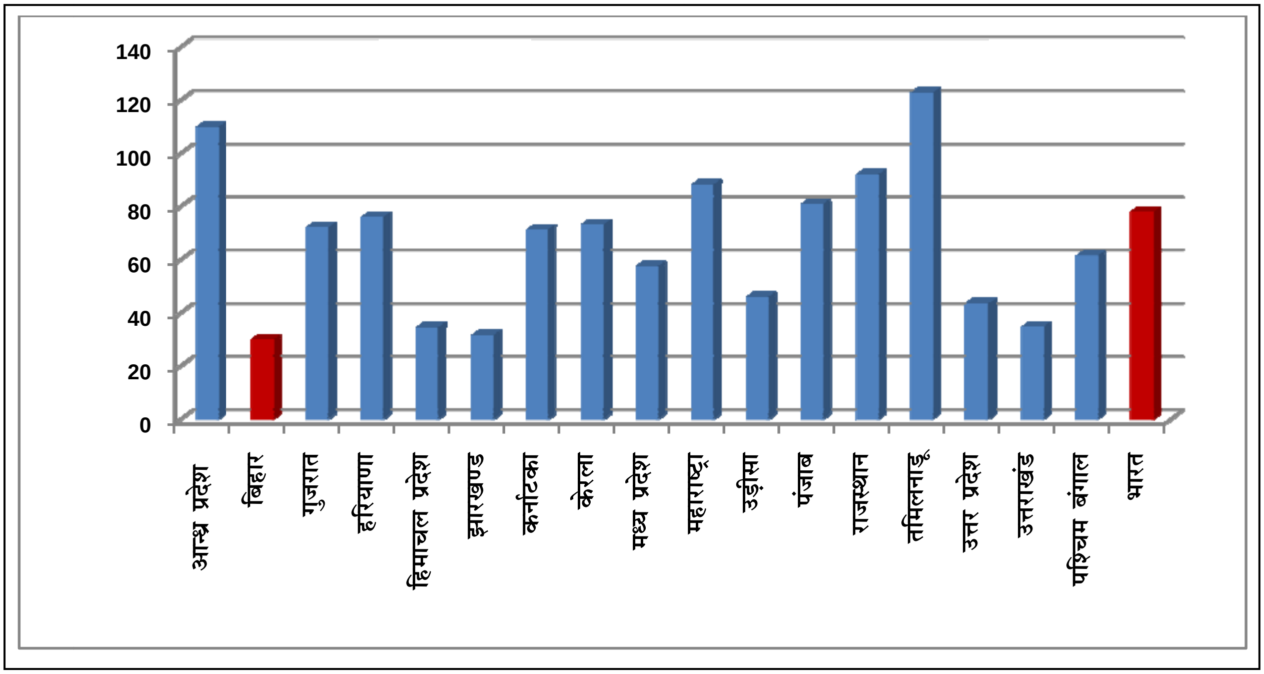

रकम के रूप में देखें तो निम्न ऋण-जमा अनुपात का अर्थ यह हुआ कि राज्य के लगभग 47 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात को लगभग 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में लगभग 57,700 करोड़ रु. का निवेश बढ़ जाता। यह रकम राज्य के 2013-14 वार्षिक योजना परिव्यय (34,000 करोड़ रु.) से भी अधिक है और यह राशि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित बल प्रदान कर सकती थी। ऋण का कम वितरण यह भी दर्शाता है कि या तो औद्योगिक गतिविधियां गतिरुद्ध हैं या उद्यमों को ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ति निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के जरिए हो रही है जो उनका मुनाफा हड़प जा रहे हैं। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिहाज से स्वाभाविक रूप में एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा, यह पहले से ही अभावग्रस्त राज्य से पूंजी के पलायन को भी सूचित करता है।

**चार्ट 6.4 : बिहार का ऋण-जमा अनुपात**

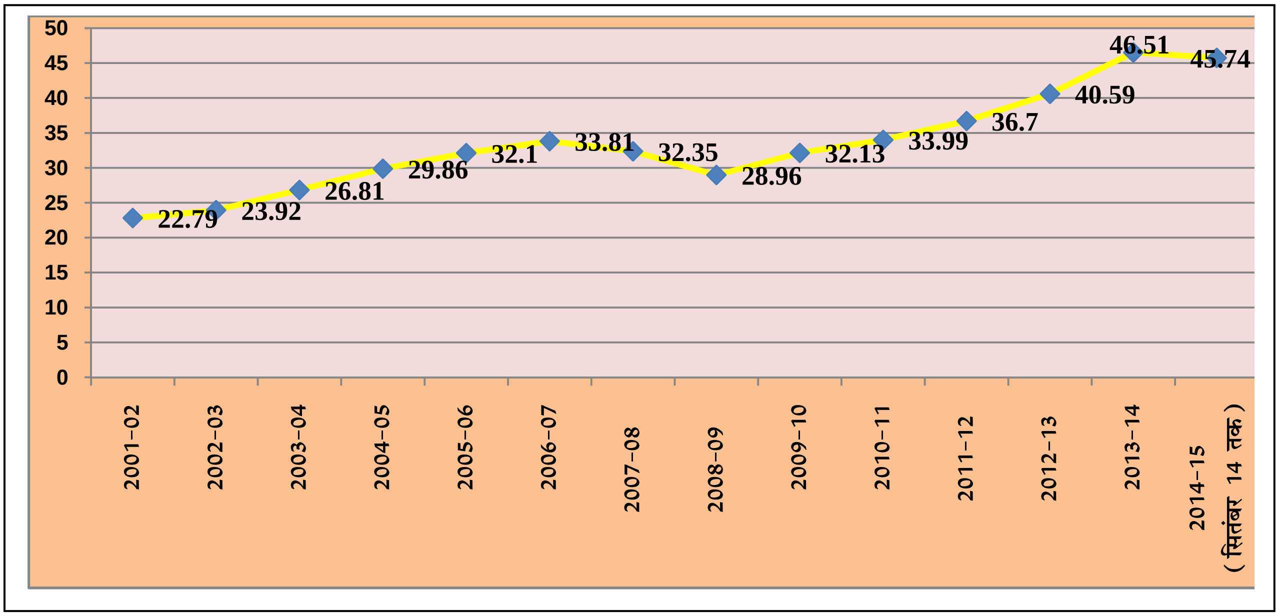


वर्ष 2013-14 में बैंक समूहों और उनकी अवस्थिति के अनुसार बिहार में ऋण-जमा अनुपात तालिका 6.12 में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात तालिका 6.13 में दर्शाया गया है। दोनो में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग किया गया है जिसमें नाबार्ड से भारतीय अधिसंरचना विकास कोष के तहत दिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2013-14 में बिहार में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (53.56 प्रतिशत) था जिसके ठीक पीछे सहकारी बैंकों का था (52.36 प्रतिशत) और उससे काफी पीछे अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का (34.17 प्रतिशत) था। कुल जमा में उनके हिस्से इस प्रकार थे - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 10.2 प्रतिशत, सहकारी बैंक 1.1 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक 88.7 प्रतिशत। कुल ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 15.1 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का हिस्सा 1.6 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का हिस्सा 83.4 प्रतिशत था। व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ऋण-जमा अनुपात में इस 2013-14 में सुधार किया है लेकिन सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात गत वर्ष के 86.19 प्रतिशत से खिसककर 2013-14 में 52.36 प्रतिशत रह गया। क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की संयुक्त ऋण और जमा राशियां अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल ऋण और जमा राशियों का अंश मात्र हैं। फलतः जब तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार नहीं होता है, राज्य में ऋण-जमा अनुपात के समग्र सुधार की गुंजाइश मुश्किल है।

**तालिका 6.12 : बिहार में बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात ( 2013-14 )**

| बैंक समूह | क्षेत्र | जमा (करोड़ रु.) | ऋण (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात | निवेश (करोड़ रु.) | निवेश सह ऋण-जमा अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यावसायिक बैंक | ग्रामीण | 34145 | 13289 | 38.92 | - | 38.92 |
| | अर्धशहरी | 42108 | 13369 | 31.75 | - | 31.75 |
| | शहरी | 86434 | 28929 | 33.47 | - | 33.47 |
| | **योग** | **162687** | **55587** | **34.17** | **6398** | **38.1** |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | ग्रामीण | 12756 | 7315 | 57.35 | - | 57.35 |
| | अर्धशहरी | 3888 | 1787 | 45.98 | - | 45.98 |
| | शहरी | 2111 | 942 | 44.64 | - | 44.64 |
| | **योग** | **18754** | **10045** | **53.56** | **214** | **54.7** |
| सहकारी बैंक | ग्रामीण | 793 | 419 | 52.79 | - | 52.79 |
| | अर्धशहरी | 485 | 242 | 49.86 | - | 49.86 |
| | शहरी | 739 | 395 | 53.54 | - | 53.54 |
| | **योग** | **2017** | **1056** | **52.36** | **44** | **54.53** |
| सभी बैंक | ग्रामीण | 47694 | 21023 | 44.08 | - | 44.08 |
| | अर्धशहरी | 46480 | 15398 | 33.13 | - | 33.13 |
| | शहरी | 89284 | 30267 | 33.90 | - | 33.9 |
| | **योग** | **183458** | **66688** | **36.35** | **6656** | **39.98** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

ऋण-जमा अनुपात की गणना पारंपरिक रूप से ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात से किसी राज्य से दूसरे राज्य को हुआ जमा राशियों का पलायन सूचित होता है। वहीं दूसरी ओर, ऋण उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात में उस जगह को ध्यान में रखा जाता है जहां ऋण का वास्तव में उपयोग हुआ। इसलिए दोनों प्रकार के अनुपातों की तुलना महत्वपूर्ण है। पूरे देश के मामले में ये दोनों अनुपात स्पष्टतः एक होंगे। लेकिन कम विकसित राज्यों के मामले में उपयोग अनुपात अधिक होगा। बिहार के मामले में भी ऐसा ही था क्योंकि 2011 और 2012 में उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात ऋण स्वीकृति आधारित ऋण-जमा अनुपात से थोड़ा अधिक था (तालिका 6.13)।

**तालिका 6.13 : 31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात**

| | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार | स्वीकृति के अनुसार |
| आंध्र प्रदेश | 109.7 | 114.9 | 111.3 | 119.8 | 109.9 |
| **बिहार** | **29.5** | **31.6** | **29.7** | **31.7** | **30.1** |
| गुजरात | 66.2 | 74.4 | 70.4 | 78.1 | 72.2 |
| हरियाणा | 71.7 | 85.6 | 79.4 | 94.5 | 76.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 41.6 | 48.6 | 38.9 | 45.0 | 34.6 |
| झारखंड | 34.4 | 35.6 | 33.9 | 34.3 | 31.6 |
| कर्नाटक | 72.7 | 76.3 | 71.4 | 74.7 | 71.4 |
| केरल | 73.1 | 73.8 | 76.4 | 75.7 | 73.3 |
| मध्य प्रदेश | 55.6 | 60.1 | 56.6 | 60.7 | 57.7 |
| महाराष्ट्र | 83.0 | 75.0 | 91.8 | 82.5 | 88.3 |
| उड़ीसा | 52.5 | 55.7 | 47.3 | 50.6 | 46.1 |
| पंजाब | 77.8 | 92.9 | 80.9 | 83.2 | 81.0 |
| राजस्थान | 90.4 | 95.8 | 90.9 | 96.1 | 92.2 |
| तमिलनाडु | 115.1 | 119.4 | 116.9 | 119.5 | 123.0 |
| उत्तर प्रदेश | 44.0 | 48.2 | 44.0 | 47.4 | 43.6 |
| उत्तराखंड | 35.4 | 39.1 | 35.6 | 39.0 | 34.8 |
| पश्चिम बंगाल | 63.7 | 65.1 | 63.8 | 65.1 | 61.6 |
| **भारत** | **75.6** | **75.6** | **79.0** | **79.0** | **78.1** |

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

<u>निवेश सह ऋण-जमा अनुपात</u>

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही सहायता नहीं करते, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्धसरकारी निकायों तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अतएव किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की पूरी संलग्नता वास्तविक रूप में अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, बल्कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात (आइसीडी रेशियो) से अभिव्यक्त होती है। तालिका 6.14 में देखा जा सकता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखा जाय, तो राज्यों के बीच ऋण-जमा अनुपात संबंधी असमानता कम होती दिखती है। अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के मामले में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात उनके ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले सामान्यत: अधिक थे। वहीं, विकसित राज्यों के मामले में यह अंतर कम था। मार्च 2012 में उपयोग के आधार पर बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 38.5 प्रतिशत था जबकि स्वीकृति के आधार पर निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 36.5 प्रतिशत था। हालांकि मार्च 2012 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात राजस्थान (110.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (128.7 प्रतिशत), गुजरात (89.3 प्रतिशत) या कर्नाटक (79.0 प्रतिशत) के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत (85.2 प्रतिशत) के मुकाबले भी काफी कम था। बिहार में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात वस्तुत: 2008 के अपने सर्वोच्च स्तर 52.8 प्रतिशत से गिरकर 2012 में 40.3 प्रतिशत पर आ गया। बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ऋण-जमा अनुपात, कृषि ऋण और अन्य संबंधित पैरामीटरों के लिहाज से उनके प्रदर्शन के आधार पर बैंकों का दर्जा तय करने की एक योजना शुरू की है।

**तालिका 6.14 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश सह ऋण-जमा अनुपात**

| | निवेश सह ऋण-जमा अनुपात | | | | निवेश सह ऋण सह आरआइडीएफ-जमा अनुपात | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 2011 | | मार्च 2012 | | मार्च 2011 | | मार्च 2012 | |
| | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार | स्वीकृति के अनुसार | उपयोग के अनुसार |
| आंध्र प्रदेश | 120.3 | 125.5 | 122.2 | 130.7 | 121.8 | 127.0 | 123.6 | 132.1 |
| **बिहार** | **36.9** | **39.0** | **36.5** | **38.5** | **38.4** | **40.5** | **38.3** | **40.3** |
| गुजरात | 76.1 | 84.3 | 81.6 | 89.3 | 77.7 | 85.9 | 83.1 | 90.8 |
| हरियाणा | 78.5 | 92.4 | 88.0 | 103.1 | 79.3 | 93.2 | 88.8 | 104.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 58.0 | 65.0 | 54.4 | 60.6 | 61.1 | 68.2 | 57.8 | 63.9 |
| झारखंड | 40.9 | 42.0 | 39.7 | 40.1 | 42.8 | 44.0 | 41.9 | 42.3 |
| कर्नाटक | 76.8 | 80.4 | 75.6 | 79.0 | 77.5 | 81.1 | 76.3 | 79.7 |
| केरल | 81.5 | 82.2 | 86.7 | 86.1 | 82.2 | 83.0 | 87.5 | 86.9 |
| मध्य प्रदेश | 63.3 | 67.8 | 64.5 | 68.6 | 65.1 | 69.6 | 66.6 | 70.7 |
| महाराष्ट्र | 85.5 | 77.5 | 94.7 | 85.3 | 85.7 | 77.6 | 94.9 | 85.6 |
| उड़ीसा | 54.9 | 58.0 | 49.1 | 52.4 | 56.8 | 60.0 | 51.3 | 54.6 |
| पंजाब | 88.5 | 103.6 | 92.6 | 94.9 | 89.7 | 104.7 | 93.8 | 96.1 |
| राजस्थान | 105.8 | 111.2 | 105.3 | 110.5 | 108.0 | 113.4 | 107.9 | 113.1 |
| तमिलनाडु | 123.5 | 127.7 | 126.1 | 128.7 | 124.5 | 128.7 | 127.1 | 129.7 |
| उत्तर प्रदेश | 50.7 | 55.0 | 51.7 | 55.1 | 51.8 | 56.1 | 53.0 | 56.4 |
| उत्तराखंड | 44.3 | 48.0 | 44.7 | 48.1 | 46.1 | 49.8 | 46.8 | 50.2 |
| पश्चिम बंगाल | 73.6 | 75.0 | 74.5 | 75.7 | 74.4 | 75.8 | 75.3 | 76.5 |
| **भारत** | **81.2** | **81.2** | **85.2** | **85.2** | **82.4** | **82.4** | **86.4** | **86.4** |

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

<u>जिलों के ऋण-जमा अनुपात</u>

तालिका 6.15 में सितंबर 2014 में बिहार के सभी 38 जिलों में सभी व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। सीवान में यह 23.10 प्रतिशत है तो खगड़िया में 60.07 प्रतिशत। हालांकि गत वर्ष की अपेक्षा अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। सितंबर 2014 में राज्य के 38 में से मात्र 3 जिलों (भोजपुर, मुंगेर और सीवान) में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था जबकि गत वर्ष ऐसे जिलों की संख्या 7 थी। वहीं 15 जिलों - अररिया, बांका, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण - में यह 40 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि कई बार कई जिलों के ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों सहित अनेक बैंकों की उच्च अनिष्पादित परिसंपत्तियों के कारण अधिक होते हैं। वे जिलों में बैंकों द्वारा बढ़े ऋण प्रवाह को अनिवार्यतः व्यक्त नहीं करते।

## तालिका 6.15 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात

| जिला | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 27.64 | 25.11 | 24.18 | 26.53 | 31.33 | 33.13 | 34.64 | 34.79 |
| नालंदा | 25.77 | 24.59 | 27.13 | 29.75 | 30.87 | 32.22 | 34.04 | 33.48 |
| भोजपुर | 24.51 | 20.74 | 24.5 | 23.90 | 25.17 | 24.53 | 22.28 | 25.79 |
| बक्सर | 30.99 | 24.17 | 31.48 | 31.56 | 32.23 | 31.65 | 28.96 | 33.45 |
| रोहतास | 40.5 | 36.24 | 36.02 | 38.37 | 40.04 | 40.20 | 42.94 | 44.51 |
| कैमूर | 43.04 | 47.13 | 48.16 | 52.16 | 49.07 | 54.59 | 52.44 | 52.31 |
| | | | | | | | | |
| गया | 28.46 | 28.67 | 31.45 | 32.07 | 31.38 | 33.37 | 33.76 | 33.22 |
| जहानाबाद | 25.28 | 23.78 | 28.84 | 29.98 | 32.36 | 33.72 | 27.60 | 32.20 |
| अरवल | 26.8 | 26.35 | 32.06 | 45.38 | 31.50 | 32.20 | 34.03 | 36.48 |
| नवादा | 26.06 | 22.91 | 31.66 | 34.44 | 39.27 | 37.76 | 38.62 | 38.31 |
| औरंगाबाद | 23.76 | 23.22 | 27.95 | 31.82 | 33.24 | 34.94 | 37.34 | 37.43 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 23.12 | 23.85 | 26.25 | 24.35 | 24.35 | 22.96 | 25.80 | 26.07 |
| सीवान | 20.68 | 18.78 | 20.08 | 21.63 | 21.10 | 21.68 | 23.26 | 23.10 |
| गोपालगंज | 30.19 | 25.68 | 25.65 | 28.66 | 28.43 | 27.71 | 26.69 | 32.22 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 48.99 | 47.31 | 47.12 | 45.69 | 49.14 | 45.46 | 45.80 | 47.99 |
| पूर्वी चंपारण | 42.34 | 36.87 | 38.94 | 44.07 | 42.25 | 43.50 | 45.51 | 47.18 |
| मुजफ्फरपुर | 34.29 | 43.33 | 45.34 | 35.69 | 33.20 | 38.88 | 39.56 | 40.88 |
| सीतामढ़ी | 35.16 | 32.23 | 32.91 | 34.00 | 34.65 | 38.88 | 38.10 | 38.99 |
| शिवहर | 29.44 | 38.29 | 42.31 | 34.09 | 36.81 | 34.90 | 40.31 | 43.36 |
| वैशाली | 32.17 | 28.45 | 30.72 | 29.90 | 29.98 | 30.74 | 32.29 | 32.90 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 26.45 | 22.99 | 26.40 | 28.54 | 26.91 | 36.85 | 43.69 | 37.09 |
| मधुबनी | 30.32 | 25.55 | 28.32 | 29.40 | 30.59 | 29.82 | 31.47 | 32.61 |
| समस्तीपुर | 36.05 | 37.09 | 39.69 | 44.36 | 42.74 | 37.41 | 39.55 | 40.93 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 40.32 | 35.59 | 37.83 | 39.63 | 38.95 | 45.24 | 49.90 | 47.48 |
| मुंगेर | 23.17 | 23.28 | 21.02 | 29.64 | 28.08 | 21.25 | 26.39 | 27.80 |
| शेखपुरा | 26.72 | 24.94 | 29.77 | 28.60 | 28.93 | 29.82 | 34.50 | 35.76 |
| लखीसराय | 24.23 | 22.83 | 24.26 | 24.95 | 25.25 | 28.09 | 34.74 | 36.83 |
| जमुई | 28.30 | 25.61 | 25.85 | 26.79 | 29.16 | 29.75 | 29.83 | 39.65 |
| खगड़िया | 32.70 | 32.37 | 36.55 | 36.05 | 39.84 | 39.03 | 47.53 | 60.07 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 35.79 | 30.98 | 30.09 | 28.97 | 24.92 | 28.76 | 46.96 | 30.59 |
| बांका | 40.55 | 33.86 | 35.83 | 35.15 | 36.45 | 38.85 | 43.41 | 41.84 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 36.31 | 29.03 | 37.52 | 34.53 | 33.53 | 34.80 | 36.36 | 38.39 |
| सुपौल | 35.66 | 28.16 | 31.99 | 36.10 | 35.83 | 39.97 | 41.47 | 46.32 |
| मधेपुरा | 42.29 | 26.43 | 28.06 | 43.39 | 31.78 | 37.10 | 39.01 | 38.80 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 51.53 | 45.09 | 49.79 | 53.12 | 50.92 | 54.24 | 57.32 | 58.02 |
| किशनगंज | 52.77 | 49.1 | 49.85 | 53.34 | 50.65 | 52.58 | 58.46 | 59.01 |
| अररिया | 50.72 | 38.03 | 38.57 | 45.84 | 48.96 | 48.52 | 46.68 | 45.90 |
| कटिहार | 55.59 | 43.98 | 45.59 | 44.92 | 44.29 | 42.37 | 44.87 | 44.31 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

## बिहार में व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.16 में बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। सितंबर 2014 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच कनारा बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 41.63 प्रतिशत था और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (41.26 प्रतिशत) तथा पंजाब नेशनल बैंक का (39.44 प्रतिशत)। कनारा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दोनो ने 2008-09 से लगातार उच्च ऋण-जमा अनुपात भी बरकरार रखा है। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात पंजाब एंड सिंध बैंक (111.77 प्रतिशत) का था और उसके बाद बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (85.47 प्रतिशत) का। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने अनुपात में सुधार किया है; मार्च 2012 में उसका ऋण-जमा अनुपात 17.81 प्रतिशत था जो सितंबर 2014 में बढ़कर 51.68 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2014 में आंध्र बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऋण-जमा अनुपात 25 प्रतिशत से कम थे।

**तालिका 6.16 : राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात**

| बैंक | 2014 में शाखाओं की सं. | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लीड बैंक** | | | | | | | | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 882 | 24.72 | 24.76 | 28.09 | 31.21 | 26.50 | 35.65 | 35.46 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 435 | 35.52 | 35.91 | 34.69 | 33.91 | 37.31 | 41.11 | 41.26 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 539 | 27.13 | 32.50 | 29.74 | 33.05 | 30.46 | 37.05 | 39.44 |
| कनारा बैंक | 194 | 30.80 | 32.28 | 33.71 | 39.40 | 39.07 | 42.78 | 41.63 |
| यूको बैंक | 223 | 32.52 | 27.59 | 36.05 | 28.88 | 36.31 | 36.63 | 36.17 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 226 | 31.42 | 31.14 | 34.27 | 33.57 | 35.08 | 35.77 | 36.01 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 129 | 26.93 | 27.51 | 26.67 | 36.78 | 22.29 | 36.02 | 36.81 |
| **अन्य बैंक** | | | | | | | | |
| बैंक ऑफ इंडिया | 317 | 30.38 | 33.53 | 35.02 | 35.02 | 37.53 | 38.52 | 38.54 |
| इलाहाबाद बैंक | 206 | 27.39 | 27.97 | 26.62 | 30.50 | 34.17 | 41.36 | 39.90 |
| आंध्र बैंक | 18 | 24.44 | 23.00 | 20.18 | 21.35 | 23.32 | 14.53 | 15.76 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 13 | 17.18 | 19.41 | 14.55 | 17.18 | 7.89 | 7.97 | 21.86 |
| कॉर्पोरेशन बैंक | 32 | 16.49 | 8.84 | 7.79 | 75.00 | 20.44 | 57.42 | 62.06 |
| देना बैंक | 36 | 18.78 | 19.34 | 11.64 | 09.49 | 41.94 | 31.13 | 30.01 |
| इंडियन बैंक | 54 | 25.15 | 23.61 | 20.26 | 32.33 | 21.57 | 60.58 | 61.58 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 58 | 11.29 | 12.15 | 13.60 | 17.81 | 36.77 | 50.23 | 51.68 |
| ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 41 | 37.67 | अनु. | 24.40 | 30.41 | 42.67 | 45.13 | 47.33 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 11 | अनु | अनु. | 10.73 | 11.10 | 10.82 | 112.00 | 111.77 |
| सिंडिकेट बैंक | 56 | 45.27 | 44.57 | 41.67 | 39.92 | 41.43 | 40.11 | 40.16 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 92 | 24.36 | 27.10 | 27.82 | 34.48 | 46.94 | 51.61 | 52.93 |
| विजया बैंक | 21 | 21.64 | 20.84 | 21.28 | 21.93 | 22.77 | 25.68 | 26.31 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 8 | 25.84 | 24.80 | 27.41 | 41.28 | 43.19 | 81.18 | 85.74 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 1 | अनु. | 81.33 | 86.30 | 63.29 | 55.32 | 58.74 | 39.93 |
| **राज्य** | **1797** | **28.96** | **30.99** | **31.37** | **34.90** | **40.59** | **40.73** | **40.74** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपातों के बारे में अलग से उल्लेख की जरूरत है (तालिका 6.17)। वर्ष 2013-14 में बिहार में 10 निजी बैंकों की 205 शाखाएं थीं जबकि 2012-13 में उनकी संख्या 167 थी। उनके ऋण-जमा अनुपात महज 1.22 प्रतिशत से 69.03 प्रतिशत के बीच हैं। इन बैंकों का संयुक्त ऋण-जमा अनुपात मार्च 2014 में 32.35 प्रतिशत था। मात्र तीन बैंकों, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक की 16 ग्रामीण शाखाओं के सिवा निजी व्यावसायिक बैंकों की सारी शाखाएं अर्धशहरी या शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद थीं।

**तालिका 6.17 : निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात ( 2013-14 )**

| बैंक | ग्रामीण | | | शहरी एवं अर्धशहरी | | | योग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शाखाओं की सं. | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | शाखाओं की सं. | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | शाखाओं की सं. | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात |
| आइसीआइसीआइ बैंक | 0 | 0 | 0 | 59 | 2064 | 414 | 59 | 2064 | 414 | 20.06 |
| फेडरल बैंक | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 | 18 | 6 | 147 | 18 | 12.24 |
| जम्मू कश्मीर बैंक | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 17 | 1 | 56 | 17 | 30.36 |
| साउथ इंडियन बैंक | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 16 | 1 | 141 | 16 | 11.35 |
| आइएनजी वैश्य बैंक | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 | 2 | 82 | 1 | 1.22 |
| ऍक्सिस बैंक | 9 | 30 | 0 | 46 | 3011 | 792 | 55 | 3041 | 792 | 26.04 |
| एचडीएफसी बैंक | 3 | 4 | 0 | 61 | 2538 | 1223 | 64 | 2542 | 1223 | 48.11 |
| इंडसइंड बैंक | 4 | 57 | 24 | 11 | 793 | 336 | 15 | 851 | 360 | 42.30 |
| कर्नाटक बैंक | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 10 | 50.00 |
| कोटक महिंद्रा | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 78 | 1 | 113 | 78 | 69.03 |
| **सभी बैंक** | **16** | **91** | **24** | **189** | **8966** | **2906** | **205** | **9057** | **2930** | **32.35** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

बिहार में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनमें से प्रत्येक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। तालिका 6.18 में इन तीनो बैंकों के ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। सितंबर 2014 में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 79.20 प्रतिशत रहा है जो सर्वाधिक है, वहीं मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 40.35 प्रतिशत रहा है जो न्यूनतम है। सितंबर 2014 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र ऋण-जमा अनुपात 53.63 प्रतिशत था जो गत वर्ष के लगभग समान ही है।

**तालिका 6.18 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात**

| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | ऋण-जमा अनुपात | | | निवेश सह ऋण-जमा अनुपात | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 14) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर 14) |
| मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 42.40 | 42.52 | 40.35 | 42.42 | 42.52 | 40.35 |
| बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 50.92 | 72.11 | 79.20 | 50.52 | 79.33 | 86.23 |
| उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 51.80 | 55.30 | 54.78 | 51.80 | 55.30 | 54.78 |
| **योग** | **48.51** | **53.56** | **53.63** | **48.51** | **54.70** | **54.72** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

## 6.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा

वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 6.19 में 2013-14 में ऋण वितरण की क्षेत्रगत विवरणी प्रस्तुत की गई है। राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों का हिस्सा 70.1 प्रतिशत था। राज्य में दिए गए कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 50.5 प्रतिशत था जो गत वर्ष के 49.4 प्रतिशत से अधिक है। देखा जा सकता है कि 2013-14 में कुल वितरित ऋण में लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 10.9 प्रतिशत था जो 2012-13 में दर्ज 6.61 प्रतिशत से काफी अधिक है। उद्योग को मिले ऋण का यह निम्न परिमाण निश्चय ही चिंता की बात हैं। इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रांगणों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बिजली और सड़कमार्ग संबंधी अधिसंरचना का विकास आवश्यक होगा। वर्ष 2013-14 में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 92.0 प्रतिशत थी जो गत वर्ष के 86.6 प्रतिशत से अधिक थी। यह भी दिखता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में उपलब्धि तय आबंटन से अधिक हुई। यह स्पष्टत: इस लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बढ़ती मांग का संकेत देती है और इस क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने की जरूरत है।

**तालिका 6.19 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2013-14)**

| क्षेत्र | वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य (करोड़ रु.) | उपलब्धि (करोड़ रु.) | उपलब्धि (प्रतिशत) | अग्रिमों में हिस्सा (%) |
|---|---|---|---|---|
| कृषि | 30286 | 28770 | 95.0 | 50.5 |
| लघु एवं मध्यम उद्योग | 4820 | 6238 | 129.4 | 10.9 |
| अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम | 5723 | 4978 | 87.0 | 8.7 |
| प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम | 40829 | 39986 | 97.9 | 70.1 |
| गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम | 21170 | 17022 | 80.4 | 29.9 |
| **योग** | **62000** | **57007** | **92.0** | **100.0** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में हुआ कुल ऋण प्रवाह तालिका 6.20 में दर्शाया गया है। बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत बिहार में कुल ऋण प्रवाह 28 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2012-13 के 44,521 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 57,007 करोड़ रु. हो गया है जो एक वर्ष पहले दर्ज 37 प्रतिशत वृद्धि से कम है। वर्ष 2010-11 में 69.1 प्रतिशत से 2013-14 के 92.0 प्रतिशत तक उपलब्धि के प्रतिशत लगातार बढ़ते गए हैं। यह भी दिखता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच उपलब्धि दरों के मामले में भारी अंतर मौजूद है जो सहकारी बैंकों के मामले में 38.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 99.0 प्रतिशत (तालिका 6.21)।

**तालिका 6.20 : वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक**

| वर्ष | लक्ष्य (करोड़ रु.) | उपलब्धि (करोड़ रु.) | उपलब्धि (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 13100 | 10763 | 82.2 |
| 2008-09 | 17492 | 13548 | 77.4 |
| 2009-10 | 21128 | 17537 | 83.0 |
| 2010-11 | 37000 | 25552 | 69.1 |
| 2011-12 | 43200 | 32416 | 75.0 |
| 2012-13 | 51400 | 44521 | 86.6 |
| 2013-14 | 62000 | 57007 | 92.0 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

**तालिका 6.21 : वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2013-14)**

| अभिकरण | लक्ष्य (करोड़ रु.) | उपलब्धि (करोड़ रु.) | उपलब्धि (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| व्यावसायिक बैंक | 47938 | 43573 | 90.9 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 13260 | 13124 | 99.0 |
| सहकारी बैंक | 802 | 310 | 38.6 |
| **योग** | **62000** | **57007** | **91.95** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

<u>बकाया कृषि अग्रिम</u>

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के बीच पांच वर्षों के दौरान बिहार में कृषिगत ऋण प्रवाह की मात्रा तालिका 6.22 में दर्शाई गई है। कृषि ऋण प्रवाह में 2009-10 से तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2013-14 में सहकारी बैंकों को छोड़ दें, तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दोनो की उपलब्धियां 95 प्रतिशत से अधिक रही हैं। निस्संदेह, कुल ऋण प्रवाह में व्यावसायिक बैंकों का ही बड़ा हिस्सा था जो 2013-14 में 61.8 प्रतिशत

था। बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग एॅग्रीकल्चरल एडवांसेज) 2013-14 के अंत में 25,380 करोड़ रु. था। इसका अर्थ हुआ कि पांच वर्षों की अवधि में कृषि हेतु कुल बकाया ऋण में 23.2 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है।

**तालिका 6.22 : कृषिगत ऋण प्रवाह**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | व्यावसायिक बैंक | | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | केंद्रीय सहकारी बैंक | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2008-09 | 4355 | 3943 (90.5) | 1822 | 1438 (78.1) | 899 | 317 (35.3) | 7076 | 5697 (80.5) |
| 2009-10 | 5425 | 4960 (91.4) | 2220 | 1851 (84.0) | 1082 | 353(32.6) | 8727 | 7163 (82.1) |
| 2010-11 | 9111 | 7058 (77.5) | 5228 | 3188 (61.0) | 1529 | 422 (27.6) | 15868 | 10667 (67.2) |
| 2011-12 | 12241 | 9689 (79.2) | 7013 | 4882 (69.6) | 1848 | 387 (20.9) | 21102 | 14958 (70.9) |
| 2012-13 | 14674 | 13203 (90.0) | 8407 | 8035 (95.6) | 2319 | 328 (14.2) | 25401 | 21566 (84.9) |
| 2013-14 | 18709 | 17786 (95.1) | 10777 | 10676 (99.1) | 800 | 307 (38.4) | 30286 | 28770 (95.0) |

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े उपलब्धियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

**तालिका 6.23 : बकाया कृषिगत अग्रिम**

| वर्ष | बकाया कृषिगत अग्रिम (करोड़ रु.) | | | | वार्षिक वृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|
| | व्यावसायिक बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी तथा भूमि विकास बैंक | योग | |
| 2008-09 | 6409 | 2206 | 308 | 8923 | 15.6 |
| 2009-10 | 8521 | 3104 | 292 | 11916 | 33.5 |
| 2010-11 | 10664 | 3270 | 48 | 13982 | 17.3 |
| 2011-12 | 12426 | 3445 | 2418 | 18290 | 30.8 |
| 2012-13 | 15422 | 4219 | 2824 | 22538 | 23.2 |
| 2013-14 | 19231 | 5101 | 1047 | 25380 | 12.6 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

### प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)

तालिका 6.24 में मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कामकाज के कुछ चुनिंदा सूचक दर्शाए गए हैं। यद्यपि बिहार में 8,463 पैक्स हैं जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में 9.2 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन जमा और ऋणग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 94 लाख रु. है जबकि 1,180 पैक्स ने 6.04 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है। सारे पैक्स का कुल जमा महज 175 करोड़ रु. था और उन पर कुल बकाया ऋण 501 करोड़ रु. हो गया था।

**तालिका 6.24 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2013)**

| राज्य | पैक्स की संख्या | जमा (करोड़ रु.) | ऋणग्रहण (करोड़ रु.) | बकाया ऋण एवं अग्रिम (करोड़ रु.) | | लाभ वाले पैक्स | | घाटा वाले पैक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कृषि | गैर-कृषि | संख्या | रकम (लाख रु.) | संख्या | रकम (लाख रु.) |
| आंध्र प्रदेश | 2807 | 1260 | 5491 | 4237 | 184 | 1222 | 5024 | 1585 | 43970 |
| **बिहार** | **8463** | **175** | **501** | **---** | **---** | **1180** | **604** | **3962** | **94** |
| गुजरात | 8810 | 1502 | 6257 | 5674 | 228 | 5672 | 9702 | 1964 | 5756 |
| हरियाणा | 656 | 580 | 6321 | 6801 | 434 | 95 | 3298 | 561 | 25059 |
| हिमाचल प्रदेश | 2135 | 2283 | 100 | 586 | 11 | 1718 | 26 | 343 | 3 |
| झारखंड | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| कर्नाटक | 4789 | 2586 | 5022 | 4190 | 616 | 2860 | 10865 | 1689 | 5027 |
| केरल | 2915 | 44686 | 12972 | 8234 | 34693 | 1163 | 95823 | 857 | 162339 |
| मध्य प्रदेश | 4457 | 817 | 10524 | 3400 | 119 | 2153 | 13124 | 2129 | 17824 |
| महाराष्ट्र | 21394 | 186 | 10125 | 10290 | 2045 | 9272 | 243 | 11734 | 510 |
| उड़ीसा | 2701 | 1182 | 14657 | 2739 | 80 | 645 | 2630 | 2028 | 35049 |
| पंजाब | 1609 | 434 | 1555 | 1183 | 36 | 925 | 19856 | 472 | 82891 |
| राजस्थान | 5671 | 1395 | 5377 | 3012 | 187 | 4049 | 8323 | 1113 | 3354 |
| तमिलनाडु | 4307 | 4725 | 9789 | 3421 | 5012 | 2377 | 18950 | 1650 | 23406 |
| उत्तर प्रदेश | 8929 | 68 | 971 | 800 | 0 | 4536 | 1774 | 1968 | 153 |
| उत्तराखंड | 758 | 545 | 556 | 386 | 111 | 586 | 4455 | 167 | 757 |
| पश्चिम बंगाल | 7402 | 1891 | 1799 | 1387 | 241 | 2344 | 2040 | 4036 | 1445 |
| **भारत** | **93488** | **67113** | **93359** | **66567** | **44087** | **42586** | **208378** | **37955** | **421414** |

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक लि. संघ (NAFSCOB)

पैक्स के कमजोर संसाधन आधार, उनका खराब प्रबंधन और उनके सदस्यों की भागीदारी का निम्न स्तर पैक्स के जरिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के मामले में प्रमुख बाधक हैं। जैसा कि नाबार्ड ने संकेत दिया है कि पैक्स की क्षमता अपने सदस्यों की ऋण संबंधी जरूरतें अंशत: पूरी करने तक ही सीमित है। उनके कामकाज और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और गतिविधियों के विविधीकरण में मददगार बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाय।

राजकीय सहकारी बैंक

तालिका 6.25 में देश के प्रमुख राज्यों के राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में इन बैंकों द्वारा ऋण वसूली के प्रतिशत में अच्छा-खासा सुधार हुआ है जो 2008 के 36 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 67.3 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2013 में गिरकर 54.8 प्रतिशत रह गया। लेकिन दोनो ही वर्षों में यह राष्ट्रीय औसत (94.6 प्रतिशत) से पीछे था। बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2013 में 13.0 प्रतिशत था। यह राष्ट्रीय औसत - मात्र 6.2 प्रतिशत - से काफी अधिक था।

**तालिका 6.25 : राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम**

| राज्य | लाभ/ हानि (करोड़ रु.) | | अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में | | वसूली (प्रतिशत) अंतिम जून तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 |
| आंध्र प्रदेश | 123 | 74 | 0.98 | 1.94 | 96.8 | 97.3 |
| **बिहार** | **46** | **41** | **10.25** | **13.03** | **67.3** | **54.8** |
| छत्तीसगढ़ | 10 | 24 | 4.72 | 4.5 | 92.7 | 90.9 |
| गुजरात | 19 | 66 | 2.13 | 1.62 | 99.1 | 98.5 |
| हरियाणा | 19 | 30 | 0.05 | 0.05 | 99.9 | 100.0 |
| झारखंड | 0 | 0 | - | 37.46 | अनु. | अनु. |
| कर्नाटक | 29 | 58 | 3.66 | 3.3 | 97.7 | 97.6 |
| केरल | -101 | 53 | 12.72 | 8.41 | 85.1 | 84.4 |
| मध्य प्रदेश | 68 | 39 | 1.48 | 1.71 | 97.4 | 97.7 |
| महाराष्ट्र | 175 | 391 | 1.1 | 18.94 | 83.8 | 89.1 |
| उड़ीसा | 11 | 40 | 5.85 | 4.61 | 97.1 | 97.1 |
| पंजाब | 27 | 19 | 0.87 | 0.75 | 98.5 | 98.7 |
| राजस्थान | 20 | 24 | 0.83 | 0.88 | 98.2 | 97.0 |
| तमिलनाडु | 52 | 43 | 3.29 | 4.62 | 98.3 | 99.8 |
| उत्तर प्रदेश | 30 | 32 | 6.23 | 5.09 | 95.3 | 96.0 |
| पश्चिम बंगाल | -31 | 10 | 12.17 | 9.57 | 87.5 | 93.1 |
| **भारत** | **620** | **1064** | **6.98** | **6.16** | **95.6** | **94.6** |

स्रोत : स्टेटमेंट 7A, स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट, 2013-14, नाबार्ड

राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम

तालिका 6.26 में देश के प्रमुख राज्यों में राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। यहां भी बिहार में 2011-12 में वसूली का प्रतिशत अत्यंत कम, मात्र 2.0 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 32.3 प्रतिशत था। बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों की मात्रा 2012 में कुल बकाया ऋणों का 99.4 प्रतिशत थी जो 2011 में दर्ज 82.8 प्रतिशत से काफी अधिक है। यह दोनो ही वर्षों में राष्ट्रीय औसत क्रमशः 33.2 प्रतिशत और 36.0 प्रतिशत से काफी अधिक है। बिहार में इन बैंकों का कुल घाटा 2010-11 में 50 करोड़ रु. था जो वर्ष 2011-12 में 2 करोड़ रु. के हल्के लाभ में बदल गया।

**तालिका 6.26 : राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम**

| राज्य | शाखाएं | लाभ/ हानि (करोड़ रु.) | | अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में | | वसूली (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| **बिहार** | **131** | **-50** | **2** | **82.8** | **99.4** | **2.0** | **2.0** |
| छत्तीसगढ़ | 0 | -7 | -9 | 59.0 | 66.3 | 31.3 | 22.0 |
| गुजरात | 181 | 37 | 37 | 43.1 | 40.4 | 47.0 | 43.6 |
| हरियाणा | 0 | 16 | -7 | 32.3 | 29.5 | 51.0 | 55.7 |
| झारखंड | 23 | 3 | 0 | 28.5 | 27.0 | 41.0 | 39.0 |
| कर्नाटक | 23 | 3 | 0 | 28.5 | 27.0 | 41.0 | 39.0 |
| केरल | 14 | 19 | 19 | 3.3 | 3.3 | 96.0 | 94.4 |
| मध्य प्रदेश | 7 | -129 | -140 | 66.2 | 77.9 | 21.0 | 8.4 |
| महाराष्ट्र | - | -164 | -113 | 96.1 | 94.3 | 4.0 | 1.2 |
| उड़ीसा | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 0.4 |
| पंजाब | 0 | 21 | 29 | 2.9 | 3.8 | 78.0 | 81.4 |
| राजस्थान | 7 | 19 | 3 | 29.4 | 38.3 | 52.4 | 48.8 |
| तमिलनाडु | 18 | 2 | 2 | 15.8 | 15.8 | 14.0 | 5.6 |
| उत्तर प्रदेश | 323 | -65 | 82 | 51.0 | 66.0 | 50.0 | 17.3 |
| पश्चिम बंगाल | 2 | 1 | 0 | 16.5 | 18.8 | 60.1 | 60.1 |
| **भारत** | **823** | **-307** | **-102** | **33.2** | **36.0** | **40.2** | **32.3** |

स्रोत : स्टेटमेंट 7A, स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट, 2013-14, नाबार्ड

<u>किसान क्रेडिट कार्ड</u>

वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले तथा किफायती ढंग से फसल ऋण उपलब्ध कराना रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शामिल प्रत्येक लाभार्थी को एक क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किया जाता है जिसमें ऋणग्रहण सीमा तथा वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष के लिए उनकी पूरी उत्पादन संबंधी ऋण की जरूरतों तथा फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन ऋणों की उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है।

बिहार में बैंकों द्वारा 2003-04 से 2013-14 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तालिका 6.27 में दर्शाई गई है। व्यावसायिक बैंकों के मामले में उपलब्धि संबंधी आंकड़े 2006-07 तक लगातार 80 प्रतिशत से अधिक थे जिसके बाद उनमें स्पष्ट गिरावट आई और 2010-11 में उपलब्धि दर गिरकर मात्र 56.9 प्रतिशत रह गई। बाद में उसमें सुधार हुआ और 2013-14 में यह बढ़कर 80.9 प्रतिशत के सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पूरी अवधि में अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार किया है और 2012-13 तथा 2013-14, दोनो वर्षों में उनकी उपलब्धि लक्ष्य 100 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि केंद्रीय सहकारी बैंक 2008-09 तक लक्ष्य में काफी कमी कर दिए जाने के बावजूद अपने लक्ष्यों से पिछड़े रहे। सौभाग्यवश, 2009-10 में अपने लक्ष्य की 175.7 प्रतिशत और 2010-11 में 128.3 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करके इन बैंकों ने अपनी पिछली कमियों की अंशतः भरपाई कर ली थी। उसके बाद उनके लक्ष्यों में काफी वृद्धि कर दी गई और उनकी उपलब्धि पुनः गिरकर 2011-12 में 55.1 प्रतिशत तथा 2012-13 में 38.8 रह गई। विगत दो वर्षों के दौरान लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने के बावजूद वर्ष 2013-14 में उनका लक्ष्य बढ़ा दिया गया और उनकी समग्र उपलब्धि लक्ष्य के मात्र 16.2 प्रतिशत तक गिर गई। वर्ष 2013-14 में सभी बैंकों की समग्र उपलब्धि 71.6 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पूर्व के 82.7 प्रतिशत से कम है। किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े तालिका प 6.2 (परिशिष्ट) में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 6.27 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या**

| वर्ष | व्यावसायिक बैंक | | | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशत |
| 2004-05 | 174850 | 140793 | 80.5 | 150500 | 76891 | 51.1 |
| 2005-06 | 143866 | 131618 | 91.5 | 129719 | 66332 | 51.1 |
| 2006-07 | 250000 | 203935 | 81.6 | 190000 | 140071 | 73.7 |
| 2007-08 | 300000 | 222478 | 74.2 | 228000 | 168529 | 73.9 |
| 2008-09 | 861429 | 505008 | 58.6 | 478571 | 310257 | 64.8 |
| 2009-10 | 861429 | 660997 | 76.7 | 478571 | 397420 | 83.0 |
| 2010-11 | 1148574 | 653484 | 56.9 | 638093 | 475636 | 74.5 |
| 2011-12 | 1352013 | 969763 | 71.7 | 778467 | 674095 | 86.6 |
| 2012-13 | 1460172 | 1126753 | 77.2 | 840746 | 950259 | 113.0 |
| 2013-14 | 1478593 | 1195696 | 80.9 | 1071020 | 1162691 | 108.6 |
| | केंद्रीय सहकारी बैंक | | | योग | | |
| 2004-05 | 470350 | 245907 | 52.3 | 795700 | 463591 | 58.3 |
| 2005-06 | 293166 | 120653 | 41.2 | 566751 | 318603 | 56.2 |
| 2006-07 | 160000 | 55374 | 34.6 | 600000 | 399380 | 66.6 |
| 2007-08 | 160000 | 75533 | 47.2 | 688000 | 466540 | 67.8 |
| 2008-09 | 160000 | 81725 | 51.1 | 1500000 | 896990 | 59.8 |
| 2009-10 | 160000 | 281122 | 175.7 | 1500000 | 1339539 | 89.3 |
| 2010-11 | 213333 | 273710 | 128.3 | 2000000 | 1402830 | 70.1 |
| 2011-12 | 369520 | 203579 | 55.1 | 2500000 | 1847437 | 73.9 |
| 2012-13 | 399082 | 154774 | 38.8 | 2700000 | 2231786 | 82.7 |
| 2013-14 | 963999 | 156376 | 16.2 | 3513612 | 2514763 | 71.6 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

<u>राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश</u>

तालिका 6.28 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2011 और 2012 के मार्च तक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार प्रायोजित कंपनियों के शेयर/ डिबेंचर/ बांड में निवेश दर्शाया गया है। देश में हुए कुल निवेश में बिहार का हिस्सा 2010-11 में 2.9 प्रतिशत था जो 2011-12 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गया।

**तालिका 6.28 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण**

| राज्य | कुल निवेश (करोड़ रु.) | | देश के कुल योग में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा | |
|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| आंध्र प्रदेश | 31023 | 37724 | 10.19 | 9.99 |
| **बिहार** | **8830** | **9424** | **2.90** | **2.50** |
| गुजरात | 25804 | 33865 | 8.48 | 8.97 |
| हरियाणा | 8785 | 12582 | 2.89 | 3.33 |
| हिमाचल प्रदेश | 5307 | 5905 | 1.74 | 1.56 |
| झारखंड | 4884 | 5144 | 1.60 | 1.36 |
| कर्नाटक | 14234 | 17404 | 4.68 | 4.61 |
| केरल | 14354 | 20735 | 4.72 | 5.49 |
| मध्य प्रदेश | 10593 | 13188 | 3.48 | 3.49 |
| महाराष्ट्र | 35903 | 43655 | 11.80 | 11.56 |
| उड़ीसा | 2407 | 2326 | 0.79 | 0.62 |
| पंजाब | 16342 | 20153 | 5.37 | 5.34 |
| राजस्थान | 19674 | 21700 | 6.46 | 5.75 |
| तमिलनाडु | 28606 | 36745 | 9.40 | 9.73 |
| उत्तर प्रदेश | 25017 | 33105 | 8.22 | 8.77 |
| उत्तराखंड | 4322 | 5104 | 1.42 | 1.35 |
| पश्चिम बंगाल | 31264 | 39881 | 10.27 | 10.56 |
| **भारत** | **304318** | **377677** | **100.00** | **100.00** |

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2012-13, भारतीय रिजर्व बैंक

## 6.4 वित्तीय संस्थाएं

<u>राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)</u>

नाबार्ड कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं के पुनर्वित्तपोषण के जरिए ऋण प्रवाह के सुगमीकरण के लिए अधिदेशित है। यह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कामकाज का समन्वय भी करता है और उन्हें प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋणप्रदान में कमी को पूरा करने के लिहाज से निर्मित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है। नाबार्ड राज्य सरकारों को सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह-शृंखला तथा ग्रामीण अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है।

नाबार्ड द्वारा मार्च 2014 तक किया गया क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण तालिका 6.29 में दर्शाया गया है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण लगातार बढ़ता रहा है और 2012-13 के अंत तक यह 2500 करोड़ रु. था। वर्ष 2013-14 में,

फसल ऋण के पुनर्वित्तपोषण और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण के पुनर्वित्तपोषण में काफी वृद्धि हुई और कुल वित्तीय सहयोग का स्तर 65 प्रतिशत बढ़ गया। लगभग एक-तिहाई वित्तीय सहयोग ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण के माध्यम से दिया जाता है जिस पर अगले खंड में चर्चा की गई है।

**तालिका 6.29 : नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | फसल ऋण पुनर्वित्तपोषण | निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण | आरआइडीएफ ऋण | कुल वित्तीय सहायता |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 109.3 | 105.6 | 495.2 | 710.1 |
| 2009-10 | 226.9 | 56.8 | 541.9 | 825.6 |
| 2010-11 | 409.7 | 285.9 | 640.0 | 1335.6 |
| 2011-12 | 700.0 | 376.5 | 638.0 | 1714.5 |
| 2012-13 | 1077.0 | 521.4 | 902.0 | 2500.4 |
| 2013-14 | 2338.0 | 370.6 | 1422.8 | 4131.4 |

स्रोत : नाबार्ड

**चार्ट 6.5 : नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण (करोड़ रु.)**

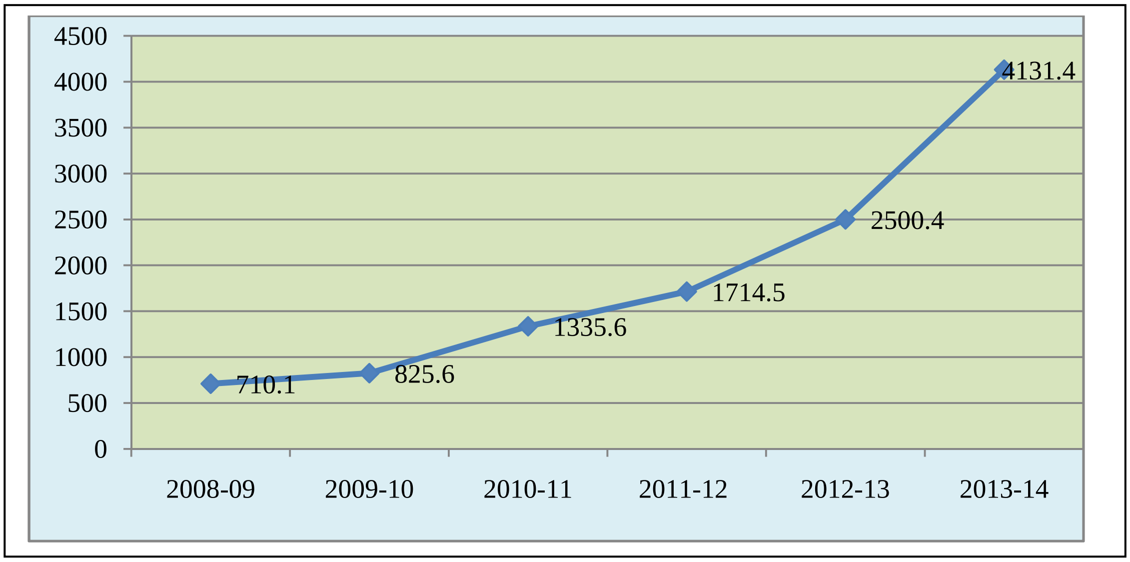


निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण (इनवेस्टमेंट क्रेडिट रिफाइनांसिंग) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। तालिका 6.30 में विगत पांच वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक गतिविधि के लिए पुनर्वित्तपोषण की मात्रा दर्शाई गई है। तालिका से पता चलता है कि 2013-14 में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां कृषि यंत्रीकरण, स्वयं सहायता समूह, दुग्धशाला और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र थीं। 370.64 करोड़ रु. के कुल पुनर्वित्तपोषण निवेश में कृषि यंत्रीकरण का 18.1 प्रतिशत, स्वयं सहायता समूह का 17.1 प्रतिशत, दुग्धशाला का 8.4 प्रतिशत और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का 5.7 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि वर्ष 2013-14 में पुनर्वित्तपोषण का स्तर 2012-13 की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत कम था।

**तालिका 6.30 : नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण के विवरण**

(करोड़ रु.)

| क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लघु सिंचाई | 0.00 | 1.08 | 39.38 | 32.72 | 46.57 | 17.89 |
| कृषि यंत्रीकरण | 26.65 | 47.41 | 81.92 | 97.76 | 250.84 | 67.27 |
| स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना | 1.55 | 0.00 | 3.05 | - | - | - |
| दुग्धशाला | 0.33 | 2.89 | 92.56 | 70.62 | - | 31.11 |
| अजा/ अजजा कार्ययोजना | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.36 | - | - |
| स्वयं सहायता समूह | 19.31 | 0.00 | 40.57 | 43.66 | - | 63.38 |
| प्रधानमंत्री रोजगार योजना | 5.57 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | - | - |
| ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र | 11.68 | 0.00 | 22.84 | 97.80 | 53.56 | 21.26 |
| अन्य | 40.50 | 5.42 | 5.07 | 33.62 | 170.46 | 169.73 |
| **योग** | **105.59** | **56.80** | **285.99** | **376.54** | **521.43** | **370.64** |

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

## 6.5 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)

केंद्र सरकार द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों को जारी परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिहाज से निम्न लागत वाली धनराशि सहायता उपलब्ध कराकर जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी। कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक इस कोष में उस हद तक योगदान करते हैं जिस हद तक वे कृषि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु अनुबद्ध (स्टीपुलेटेड) ऋण देने के मामले में पीछे रह जाते हैं। अभी ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत 31 गतिवधियां शामिल हैं जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - (i) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, (ii) सामाजिक क्षेत्र और (iii) ग्रामीण पथ संपर्क।

(i) <u>कृषि एवं संबंधित क्षेत्र</u> : इसमें कृषि, सिंचाई, मृदा संरक्षण, बाढ़ से बचाव, जलछाजन, जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों की जलजमाव से मुक्ति, पशुपालन, वृक्षारोपण, बागवानी, बीज,, वन विकास, मत्स्याखेट बंदरगाह/ जेटी, नदी मत्स्याखेट, बाजार प्रांगण, गोदाम, विपणन अधिसंरचना, शीतगृह, श्रेणीकरण/ प्रमाणन तंत्र, जांच प्रयोगशालाएं, जलविद्युत परियोजनाएं (10 मेगावाट तक), ग्रामीण ज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी हेतु अधिसंरचनाएं, समुद्रतटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के औद्योगिक प्रांगणों/ केंद्रों की स्थापना शामिल हैं। सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95 प्रतिशत तक राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) <u>सामाजिक क्षेत्र</u> : इन गतिविधियों में पेयजल परियोजनाएं, लोक स्वास्थ्य संस्थाएं, वर्तमान विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण (खास कर लड़कियों के लिए), ग्रामीण क्षेत्रों में सभुगतान उपयोग वाले शौचालयों का निर्माण तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण शामिल हैं। उक्त क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी अंचल और पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना व्यय की 90 प्रतिशत तथा अन्य सभी राज्यों में परियोजना व्यय की 85 प्रतिशत राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) ग्रामीण पथ संपर्क : इन परियोजनाओं में ग्रामीण पथ और पुल शामिल हैं और इस क्षेत्र के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों में परियोजना व्यय की 90 प्रतिशत तथा अन्य सभी राज्यों में परियोजना व्यय की 80 प्रतिशत राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

आरआइडीएफ का गठन निम्नलिखित लाभ प्रदान करने के लिए किया गया था : (1) राज्य सरकारों द्वारा पहले से किए गए निष्फल निवेश को सफल बनाना, (2) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना, (3) ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, (4) राज्य की आर्थिक संपदा में योगदान करना, (5) गांवों और विपणन केंद्रों के बीच पथसंपर्क में सुधार करना तथा (6) शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा 31 मार्च 2014 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के पूरे देश के लिए 1,84,107 करोड़ रु. के कुल व्यय अनुमान वाले 19 ट्रेंच स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से मात्र 1,28,343 करोड़ रु. (69.7 प्रतिशत) रकम ही वितरित की गई है। हालांकि बिहार के लिए वितरित 5,290 करोड़ रु. की रकम कुल स्वीकृति (8,790 करोड़ रु.) का मात्र 60.2 प्रतिशत है। चूंकि बिहार कुल वितरित धनराशि के 70.0 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका इसलिए ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के जरिए की जाने वाली संसाधन की वास्तविक सहायता बिहार में और भी सीमित थी।

**तालिका 6.31 : मार्च 2014 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण**

| | स्वीकृति (करोड़ रु.) | संवितरण (करोड़ रु.) | संवितरण का प्रतिशत | उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 16862 | 12190 | 72.3 | 82.0 |
| **बिहार** | **8790** | **5290** | **60.2** | **70.0** |
| छत्तीसगढ़ | 3960 | 2380 | 60.1 | 91.0 |
| गुजरात | 14166 | 11399 | 80.5 | 90.0 |
| हरियाणा | 4299 | 3028 | 70.5 | 85.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 4426 | 3062 | 69.2 | 80.0 |
| झारखंड | 5645 | 3874 | 68.6 | 83.0 |
| कर्नाटक | 8702 | 6347 | 72.9 | 88.0 |
| केरल | 6335 | 3653 | 57.7 | 72.0 |
| मध्य प्रदेश | 14146 | 8854 | 62.6 | 138.0 |
| महाराष्ट्र | 10665 | 7687 | 72.1 | 82.0 |
| उड़ीसा | 9676 | 6090 | 62.9 | 85.0 |
| पंजाब | 6449 | 4525 | 70.2 | 80.0 |
| राजस्थान | 13255 | 8927 | 67.3 | 79.0 |
| तमिलनाडु | 12647 | 9864 | 78.0 | 93.0 |
| उत्तर प्रदेश | 15966 | 11686 | 73.2 | 91.0 |
| पश्चिम बंगाल | 10631 | 7115 | 66.9 | 82.0 |
| **भारत** | **184107** | **128343** | **69.7** | **87.0** |

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, 2014, नाबार्ड

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 19 ट्रेंचों में बिहार हेतु किया गया कुल संवितरण तालिका 6.32 में दर्शाया गया है। कई ट्रेंच में स्वीकृति और संवितरण के बीच भारी अंतर रहा है। मार्च 2013 तक कुल संवितरण स्वीकृति का 57.4 प्रतिशत था जो मार्च 2014 में थोड़ा बढ़कर 61.0 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के संवितरण में स्वीकृति के मुकाबले ऐसा अंतर बिहार के लिए चिंता का विषय है।

**तालिका 6.32 : बिहार में मार्च 2014 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण**

(करोड़ रु.)

| ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ट्रेंच | स्वीकृति | संवितरण | संवितरण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| आरआइडीएफ 1-10 | 508 | 351 | 69.1 |
| आरआइडीएफ 11 | 459 | 418 | 91.1 |
| आरआइडीएफ-12 | 305 | 231 | 75.7 |
| आरआइडीएफ-13 | 578 | 512 | 88.6 |
| आरआइडीएफ-14 | 752 | 720 | 95.7 |
| आरआइडीएफ-15 | 674 | 637 | 94.5 |
| आरआइडीएफ-16 | 1089 | 656 | 60.2 |
| आरआइडीएफ-17 | 1048 | 598 | 57.1 |
| आरआइडीएफ-18 | 1490 | 533 | 35.8 |
| आरआइडीएफ-19 | 1764 | 634 | 35.9 |
| **योग मार्च 2013 तक** | **6907** | **3965** | **57.4** |
| **योग मार्च 2014 तक** | **8671** | **5290** | **61.0** |

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

ट्रेंच 19 के तहत वर्ष 2013-14 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की प्रगति तालिका 6.33 में दर्शाई गई है। इस वर्ष राज्य में चलने वाली आरआइडीएफ की 442 परियोजनाओं से 66,477 मी. लंबाई में पुलों और 5,408 किमी सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त 7.28 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी थी। इन सारी अधिसंरचनाओं का कुल मूल्य 2034 करोड़ रु. था। इन परियोजनाओं से 3.35 लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी पैदा हुईं। हालांकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ तुलना करने पर रोजगार की संभावना के लिहाज से बिहार की उपलब्धियां बहुत सामान्य लगती हैं।

**तालिका 6.33 : ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष-19 के तहत मार्च 2014 तक अनुमानित लाभ**

| राज्य | परियोजनाओं की सं. | संभावना | | | उत्पादन मूल्य (करोड़ रु.) | आवर्ती रोजगार (सं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सिंचाई (हजार हे.) | सड़क (किमी) | पुल (मी.) | | |
| आंध्र प्रदेश | 2267 | 2409 | 33543 | 59770 | 4301 | 20.69 |
| **बिहार** | **442** | **728** | **5408** | **66477** | **2034** | 3.35 |
| छत्तीसगढ़ | 3517 | 367 | 10031 | 31603 | 965 | 0.73 |
| गुजरात | 3 | 1861 | 20124 | 4346 | 1331 | 14.51 |
| हरियाणा | 81 | 958 | 3117 | 4903 | 1835 | 1.69 |
| हिमाचल प्रदेश | 142 | 118 | 9343 | 21761 | 719 | 7.83 |
| झारखंड | 269 | 310 | 9751 | 92861 | 226 | 0.98 |
| कर्नाटक | 1526 | 486 | 39785 | 48451 | 1157 | 1.57 |
| केरल | 987 | 308 | 4830 | 31463 | 664 | 1.03 |
| मध्य प्रदेश | 200 | 1658 | 16252 | 41257 | 5590 | 11.82 |
| महाराष्ट्र | 655 | 714 | 28397 | 71696 | 1508 | 2.72 |
| उड़ीसा | 8279 | 1567 | 7368 | 96357 | 3099 | 8.23 |
| पंजाब | 1126 | 1363 | 9052 | 8543 | 6239 | 2.80 |
| राजस्थान | 5174 | 462 | 63041 | 14224 | 799 | 3.10 |
| तमिलनाडु | 2829 | 584 | 41377 | 78122 | 926 | 5.05 |
| उत्तर प्रदेश | 134 | 5528 | 28125 | 64506 | 7339 | 11.07 |
| पश्चिम बंगाल | 502 | 1411 | 16152 | 21427 | 2059 | 9.10 |
| **संपूर्ण भारत** | **28819** | **21840** | **375932** | **884174** | **41977** | 110.25 |

स्रोत : नाबार्ड, वार्षिक प्रतिवेदन, 2014, तालिका 4.8

## 6.6 बिहार में सूक्ष्मवित्त

पारंपरिक सरकारी गरीबी निवारण योजनाएं सेवाप्रदान सबंधी समस्याओं से ग्रस्त होती हैं और गरीबी पर गंभीर असर डालने में प्रायः असफल रहती हैं, खास कर गरीब परिवारों के लिए ऋण सहायता की अनुपलब्धता से उत्पन्न गरीबी पर। बिहार के लिए यह खास तौर पर सही है। इस परिदृश्य में, समाज के असुरक्षित और कमजोर तबकों को समय पर पर्याप्त ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की किफायती खर्च पर उपलब्धता के मामले में सूक्ष्मवित्त (माइक्रो-फाइनांस) गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में, स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के बतौर उभरे हैं।

मार्च 2014 तक देश में 74.3 लाख स्वयं सहायता समूह मौजूद थे जिनमें से 62.5 लाख से अधिक पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह थे। बैंकिंग व्यवस्था के साथ वे औपचारिक रूप से जुड़े थे और उनकी बचत की राशि लगभग 9,900 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष 8,200 करोड़ रु. ही थी। बैंकों द्वारा वर्ष 2013-14 में 24,000 करोड़ रु. से भी अधिक का ऋण वितरित किया गया और उनकी कुल बकाया ऋणराशि 42,928 करोड़ रु. से अधिक

थी। दूसरे शब्दों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम अभी तक पहुंच और बैंक सुविधा से रहित ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडल बन गया है।

धीमी शुरुआत करने वाला बिहार अब स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करने और उनका बैंक के साथ संपर्क सुनिश्चित करने, दोनों मामलों में अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंच रहा है। बिहार में 2013-14 तक स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन तालिका 6.34 में दर्शाया गया है। मार्च 2014 तक बिहार में 32.4 लाख ग्रामीण परिवार बैंक संपर्कित स्वयं सहायता समूहों द्वारा आच्छादित थे। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 6,127 रु. की औसत बचत राशि राष्ट्रीय बचत औसत 13,321 रु. से काफी कम थी। 70 हजार रु. का औसत ऋण भी 1.75 लाख रु. के राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। वर्ष 2013-14 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित कुल ऋण राशि 284 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष वितरित 222 करोड़ रु. से अधिक थी। वर्ष 2013-14 के अंत तक उन पर बकाया कुल ऋण राशि 898.14 करोड़ रु. थी। यह भी एक वर्ष पूर्व के संबंधित आंकड़े (932.30 करोड़ रु.) से काफी कम है। उनकी अनुत्पादक परिसंपत्तियां मार्च 2013 के 64.27 करोड़ रु. से बढ़कर 70.58 करोड़ रु. हो गईं। वर्ष 2014 में अनुत्पादक परिसंपत्तियां कुल बकाया ऋणराशि का 7.86 प्रतिशत थी। नाबार्ड ने हर जिले में एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन को आधार बनाकर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और उनका वित्तपोषण करने के लिहाज से राज्य में 16 जिलों की पहचान की है।

**तालिका 6.34 : बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन ( मार्च 2014 )**

| | |
|---|---|
| आच्छादित ग्रामीण परिवार (स्वयं सहायता समूह : बचत संपर्कित) (लाख) | 32.4 |
| बैंक में बचत खाता वाले स्वयं सहायता समूहों की सं. (लाख) | 2.69 |
| बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत (रु.) | 6127.0 |
| भारत में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत (रु.) | 13321.0 |
| बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या | 190171 |
| बकाया बैंक ऋण राशि (लाख रु.) | 89814.2 |
| 2013-14 में बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या | 40036 |
| 2013-14 में बैंक ऋण की रकम (लाख रु.) | 28400.0 |
| बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बैंक ऋण (लाख रु.) | 0.70 |
| भारत में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बैंक ऋण (लाख रु.) | 1.75 |
| सकल अनिष्पादित परिसंपत्ति (लाख रु.) | 7057.6 |
| बिहार में कुल बकाया ऋण में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत | 7.86 |
| बिहार में महिला स्वयं सहायता समूह वाले जिलों की संख्या | 16 |

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

तालिका 6.35 में 2013-14 तक बैंक ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या के लिहाज से कुछ चुनिंदा राज्यों में हुआ स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क दर्शाया गया है। बिहार में 2013-14 के अंत तक 2.69 लाख स्वयं सहायता समूह थे जो देश के कुल स्वयं सहायता समूहों का लगभग 3.6 प्रतिशत ठहरते हैं। इन समूहों द्वारा कुल बचत 164.67 करोड़ रु. थी और इन्हें 2013-14 में 284.00 करोड़ रु. का कुल बैंक ऋण प्राप्त हुआ था। बिहार में इन समूहों पर कुल 898.14 करोड़ रु. का ऋण बकाया था। स्वयं सहायता समूहों के ऋण-संपर्क में हुई साल दर साल प्रगति तालिका 6.36 में दर्शाई गई है। बैंकों ने 2013-14 में राज्य के 41,714 स्वयं सहायता समूहों को

ऋण-संपर्क उपलब्ध कराया है। इस मामले में प्रदर्शन 2012-13 से सुधरा है जब 30,297 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ संबद्ध किया गया था।

**तालिका 6.35 : भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2014)**

| | ऋण संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या | बैंकों में स्वयं सहायता समूहों की बचत (करोड़ रु.) | वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1418676 | 3499.62 | 13324.82 |
| **बिहार** | **268721** | **164.67** | **284.00** |
| छत्तीसगढ़ | 111884 | 182.84 | 111.71 |
| गुजरात | 196510 | 168.72 | 129.38 |
| हरियाणा | 43029 | 45.39 | 30.61 |
| झारखंड | 86386 | 89.33 | 34.62 |
| कर्नाटक | 709171 | 1087.57 | 2964.02 |
| केरल | 601325 | 569.42 | 1072.55 |
| मध्य प्रदेश | 157481 | 130.10 | 142.05 |
| महाराष्ट्र | 692274 | 748.06 | 718.13 |
| उड़ीसा | 517391 | 457.34 | 504.86 |
| पंजाब | 23041 | 22.84 | 15.09 |
| राजस्थान | 257262 | 179.07 | 194.60 |
| तमिलनाडु | 942469 | 1051.45 | 3192.81 |
| उत्तर प्रदेश | 379270 | 438.59 | 344.88 |
| पश्चिम बंगाल | 591464 | 814.07 | 685.16 |
| **संपूर्ण भारत** | **7429500** | **9897.42** | **24017.36** |

स्रोत : स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2013-14, नाबार्ड

**तालिका 6.36 : बिहार में सूक्ष्म-वित्तपोषण का विकास**

| वर्ष | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष में नए ऋण-संपर्कित समूहों की संख्या | 26417 | 49738 | 25696 | 30241 | 26055 | 22714 | 30297 | 41714 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.37 में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2013-14 में होने वाला सूक्ष्म-वित्तपोषण दर्शाया गया है। उस वर्ष तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मिलकर 20,045 स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया जो लक्ष्य का 67.8 प्रतिशत है। कुल ऋण राशि 177.06 करोड़ रु. थी जो बिहार में समूहों को दी गई कुल ऋण राशि (284 करोड़ रु.) का लगभग 62 प्रतिशत है।

**तालिका 6.37 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2013-14 में सूक्ष्मवित्तपोषण**

| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | बैंक संपर्कित स्वयं सहायता समूह | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | स्वीकृति | ऋण राशि (करोड़ रु.) | उपलब्धि का प्रतिशत |
| बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 4605 | 5324 | 37.30 | 115.6 |
| मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 8175 | 6240 | 40.26 | 76.3 |
| उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 16800 | 8481 | 99.50 | 50.5 |
| **योग** | **29580** | **20045** | **177.06** | **67.8** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने में मौजूद कुछ प्रमुख अवरोध प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की अनुपस्थिति और हितधारियों के बीच स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण प्रदान के लाभ के बारे में जागरूकता की कमी हैं। आशा है कि नाबार्ड और अन्य क्रियान्वयक बैंकों द्वारा संवेदनीकरण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ली गई पहलकदमियों की परिणति राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की दिशा में अनुकूल वातावरण निर्माण में होगी। हालांकि नाबार्ड ने गौर किया है कि अभी तक स्वयं सहायता समूहों की खास विशेषताओं और उनकी उपलब्धियों के बावजूद, कुछ मुद्दे कार्यक्रम को अभी भी प्रभावित कर रहे हैं, जैसे अनेक क्षेत्रों में अपर्याप्त पहुंच, स्वयं सहायता समूहों का खाता खोलने में विलंब, ऋण वितरण में विलंब, बैंकों द्वारा बचत राशि की सहवर्ती जमानत राशि (कॉलेटरल) के बतौर जब्ती, पहले ऋण की तत्काल अदायगी के बावजूद अगले ऋण की अस्वीकृति, अनेक समूहों की सदस्यता, बैंकों के साथ सीमित तौर पर सामना और अनुश्रवण।

पूर्व में बिहार में राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने भी अन्य राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की सफलता में योगदान करने वाले कुछ खास कारकों की पहचान की थी जो मोटे तौर पर बिहार में अनुपस्थित हैं। ये कारक हैं - ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति और उनकी शिक्षा, पेशेवराना ढंग से संचालित सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की उपलब्धता, सुगम नियामक ढांचे, सरकारी सहायता, तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिए सरकारी सहायता को दिशाबद्ध करना। राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन का फैलाव सुनिश्चित करने के लिए उक्त कारकों को बढ़ावा देना जरूरी है। इनमें से कुछ अवरोधों को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा एसएचजी-2 के आरंभ ने स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋणसंपर्क कार्यक्रम को नए सिरे से आवेग प्रदान किया था। सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक इस नवीनीकृत आवेग के हिस्से हैं। एसएचजी-2 का फोकस होगा : स्वैच्छिक बचत, ऋणप्रदान के पसंदीदा माध्यम के बतौर नगद ऋण (कैश क्रेडिट), भुगतान क्षमता के अनुरूप स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा एकाधिक बार उधार लेने की गुंजाइश और जीविका सृजन हेतु अधिक ऋण की जरूरतें पूरी करने के रास्ते। साथ ही, योजना गैर-वित्तीय मध्यस्थ के बतौर स्वयं सहायता समूह महासंघों, जोखिम शमन व्यवस्था के अंग के बतौर स्वयं सहायता समूहों का अंकेक्षण और दर्जा निर्धातरण तथा अनुश्रवण तंत्रों के सुदृढ़ीकरण को भी प्रोत्साहित करेगी।

### 6.7 बिहार में निगमोचित वातावरण

तालिका 6.38 में 2012-13 में देश के विभिन्न राज्यों में निर्बंधित लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या दर्शाई गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2012-13 में बिहार में 1,566 लिमिटेड कंपनियां निर्बंधित हुईं (देश की कुल कंपनियों का 1.7 प्रतिशत)। इनमें से 1,497 (95.6 प्रतिशत) कंपनियां निजी क्षेत्र की थीं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी 209 करोड़ रु. थी। मात्र 69 (4.4 प्रतिशत) कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की थीं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी 3,863 करोड़ रु. थी। 31 मार्च 2012 तक बिहार में निर्बंधित कंपनियों की कुल संख्या 12,981 थी। गत वर्ष निर्बंधित कंपनियों को शामिल करने पर मार्च 2013 के अंत तक बिहार में कंपनियों की कुल संख्या 14,547 हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों सहित इनमें से अनेक कंपनियां या तो बंद या अकार्यशील होंगी या कुछ अन्य ने अभी काम ही नहीं शुरू किया होगा।

**तालिका 6.38 : 2012-13 में नई निबंधित लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या**

| राज्य | कंपनियों की संख्या | | | अधिकृत पूंजी (करोड़ रु.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक | निजी | योग | सार्वजनिक | निजी | योग |
| आंध्र प्रदेश | 126 | 6460 | 6586 | 237 | 1668 | 1905 |
| **बिहार** | **69** | **1497** | **1566** | **3863** | **209** | **4072** |
| गुजरात | 117 | 4337 | 4454 | 277 | 1511 | 1788 |
| हरियाणा | 45 | 2944 | 2989 | 387 | 1170 | 1557 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 265 | 271 | 32 | 17 | 49 |
| झारखंड | 114 | 652 | 766 | 49 | 152 | 201 |
| कर्नाटक | 39 | 4909 | 4948 | 85 | 1415 | 1500 |
| केरल | 49 | 2677 | 2726 | 160 | 849 | 1008 |
| मध्य प्रदेश | 111 | 2126 | 2237 | 100 | 270 | 371 |
| महाराष्ट्र | 341 | 15616 | 15957 | 18395 | 4326 | 22721 |
| उड़ीसा | 117 | 1398 | 1515 | 47 | 226 | 272 |
| पंजाब | 104 | 1061 | 1165 | 37 | 237 | 275 |
| राजस्थान | 62 | 3432 | 3494 | 283 | 283 | 566 |
| तमिलनाडु | 186 | 6023 | 6209 | 323 | 1914 | 2237 |
| उत्तर प्रदेश | 230 | 5933 | 6163 | 406 | 1174 | 1580 |
| उत्तराखंड | 13 | 385 | 398 | 103 | 46 | 149 |
| पश्चिम बंगाल | 1177 | 11181 | 12358 | 571 | 1309 | 1881 |
| **भारत** | **3385** | **88998** | **92383** | **26119** | **31418** | **57537** |

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट : 2013-14, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

### 6.8 वित्तीय समावेश

बिहार में बैंकों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से वित्तीय समावेश हेतु रोडमैप तैयार किया गया था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलास्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित किया गया था। इसका लक्ष्य मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में शाखाओं के जरिए या व्यावसायिक संवाददाताओं (बीसी) सहित सूचना-सेवा एवं संचार (आइसीटी) आधारित किसी प्रकार के

मॉडल के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना था। इसके अनरूप, 9,213 गांवों की पहचान की गई थी और बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिहाज से बैंकों के बीच उनका बंटवारा कर दिया गया था। बैंकों ने 2,124 गावों को 2010–11 में आच्छादित किया था और चिन्हित 9,213 गांवों में से 36 को छोड़कर सभी को 2011–12 में आच्छादित कर लिया था । शेष 36 गांवों को भी 2012–13 में आच्छादित कर लिया गया।

बाद में 2012–13 में योजना के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया था और वित्तीय समावेश की गुंजाइश वाले 1,600 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों का आच्छादन करने का प्रस्ताव किया गया था। बिहार के 38,475 गांवों से ऐसे 27,426 गांवों की पहचान की गई थी और मार्च 2015 तक 20,005 गांवों को आच्छादित कर लिया जाना था। इस दिशा में राज्य सरकार की एक और प्रमुख पहलकदमी हर परिवार का कम से कम एक खाता अवश्य खोलने के संबंध में निर्णय लेना था। सितंबर 2014 में वित्तीय समावेश की दिशा में प्रगति का विवरण तालिका 6.39 में प्रस्तुत है। आंकड़ों से पता चलता है कि 27,326 लक्षित गांवों में से मात्र 19,329 का आच्छादन किया जा सका था और 7,997 गांव (29.3 प्रतिशत) आच्छादित नहीं हुए थे।

**तालिका 6.39 : सितंबर, 2014 में वित्तीय समावेश का रोडमैप**

| क्र. सं. | बैंक का नाम | बैंक को आबंटित 1,600–2,000 आबादी वाले गांवों की कुल सं. | मार्च 2015 तक आच्छादित किए जाने वाले गांवों की सं. | बाद में आच्छादित किए जाने वाले गांवों की सं. | सितंबर 2014 तक आच्छादित गांवों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. राष्ट्रीयकृत बैंक** | | | | | |
| 1 | इलाहाबाद बैंक | 937 | 686 | 251 | 627 |
| 2 | आंध्र बैंक | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 582 | 343 | 239 | 417 |
| 4 | बैंक ऑफ इंडिया | 1123 | 511 | 612 | 221 |
| 5 | कनारा बैंक | 621 | 593 | 28 | 110 |
| 6 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2207 | 1230 | 977 | 518 |
| 7 | देना बैंक | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | इंडियन बैंक | 121 | 78 | 43 | 64 |
| 9 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 10 | ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 47 | 46 | 1 | 17 |
| 11 | पंजाब नेशनल बैंक | 3855 | 3285 | 570 | 2527 |
| 12 | भारतीय स्टेट बैंक | 3719 | 3143 | 576 | 2638 |
| 13 | सिंडिकेट बैंक | 73 | 39 | 34 | 8 |
| 14 | यूको बैंक | 1467 | 1238 | 229 | 64 |
| 15 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 346 | 237 | 109 | 346 |
| 16 | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 428 | 305 | 123 | 22 |
| **उप-योग** | | 15576 | 11780 | 3796 | 7582 |
| **ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** | | | | | |
| 1 | बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 1792 | 1040 | 752 | 1792 |
| 2 | मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 4547 | 3313 | 1234 | 4547 |
| 3 | उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 5408 | 3871 | 1537 | 5408 |
| **उप-योग** | | 11747 | 8224 | 3523 | 11747 |
| **ग. निजी बैंक** | | | | | |
| 10 | जम्मू एंड कश्मीर बैंक | 3 | 1 | 2 | 0 |
| **उप-योग** | | 3 | 1 | 2 | 0 |
| **कुल योग** | | 27326 | 20005 | 7321 | 19329 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

# परिशिष्ट

## तालिका प 6.1 : 31.3.2014 तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन
## क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(करोड़ रु.)

| जिला | कृषि | | | लघु एवं मध्यम उद्यम | | | अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | | | योग (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % |
| पटना | 931 | 2007 | 215.54 | 682 | 1388 | 203.53 | 1328 | 1332 | 100.29 | 2942 | 4728 | 160.72 |
| नालंदा | 814 | 702 | 86.25 | 115 | 146 | 126.44 | 85 | 114 | 134.72 | 1014 | 962 | 94.86 |
| भोजपुर | 1289 | 1128 | 87.47 | 109 | 113 | 104.10 | 127 | 101 | 79.50 | 1526 | 1342 | 87.99 |
| बक्सर | 1208 | 1028 | 85.06 | 127 | 114 | 89.49 | 111 | 91 | 81.90 | 1446 | 1232 | 85.21 |
| रोहतास | 1318 | 1237 | 93.81 | 306 | 296 | 96.68 | 129 | 110 | 85.34 | 1753 | 1643 | 93.68 |
| कैमूर | 991 | 845 | 85.22 | 97 | 91 | 94.09 | 60 | 58 | 96.83 | 1148 | 993 | 86.57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| गया | 1262 | 1064 | 84.28 | 379 | 336 | 88.74 | 50 | 129 | 258.21 | 1691 | 1529 | 90.42 |
| जहानाबाद | 359 | 264 | 73.67 | 42 | 46 | 109.13 | 61 | 50 | 82.12 | 463 | 361 | 78.04 |
| अरवल | 241 | 192 | 79.59 | 24 | 21 | 86.64 | 24 | 21 | 87.28 | 289 | 234 | 80.82 |
| नवादा | 441 | 361 | 81.83 | 52 | 64 | 121.75 | 88 | 56 | 63.12 | 581 | 480 | 82.60 |
| औरंगाबाद | 990 | 868 | 87.66 | 56 | 79 | 141.95 | 159 | 159 | 99.97 | 1205 | 1106 | 91.80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सारण | 1176 | 1015 | 86.27 | 131 | 167 | 126.88 | 169 | 155 | 91.56 | 1476 | 1336 | 90.49 |
| सीवान | 850 | 746 | 87.75 | 80 | 104 | 129.93 | 171 | 143 | 83.74 | 1101 | 993 | 90.19 |
| गोपालगंज | 1060 | 967 | 91.20 | 54 | 96 | 177.30 | 128 | 107 | 83.51 | 1242 | 1170 | 94.17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1288 | 1301 | 101.03 | 329 | 380 | 115.42 | 100 | 92 | 92.30 | 1717 | 1773 | 103.28 |
| पूर्वी चंपारण | 1115 | 1164 | 104.39 | 128 | 221 | 173.29 | 220 | 105 | 47.57 | 1462 | 1490 | 101.86 |
| मुजफ्फरपुर | 1209 | 1358 | 112.27 | 211 | 301 | 142.81 | 225 | 253 | 112.47 | 1645 | 1912 | 116.21 |
| सीतामढ़ी | 731 | 624 | 85.39 | 55 | 98 | 177.68 | 71 | 56 | 78.37 | 857 | 778 | 90.73 |
| शिवहर | 127 | 118 | 92.86 | 7 | 11 | 158.34 | 10 | 11 | 109.97 | 145 | 141 | 97.33 |
| वैशाली | 789 | 765 | 97.00 | 83 | 174 | 208.94 | 227 | 110 | 48.59 | 1099 | 1049 | 95.47 |
| | | | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 552 | 539 | 97.65 | 90 | 184 | 204.53 | 131 | 136 | 103.85 | 773 | 859 | 111.15 |
| मधुबनी | 877 | 760 | 86.70 | 157 | 132 | 84.24 | 122 | 92 | 75.27 | 1155 | 984 | 85.16 |
| समस्तीपुर | 1599 | 1198 | 74.92 | 340 | 243 | 71.41 | 176 | 129 | 73.17 | 2115 | 1569 | 74.21 |
| | | | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1184 | 1207 | 101.90 | 170 | 317 | 186.46 | 346 | 182 | 52.52 | 1700 | 1705 | 100.31 |
| मुंगेर | 292 | 278 | 95.37 | 74 | 82 | 110.46 | 159 | 111 | 69.60 | 525 | 471 | 89.68 |
| शेखपुरा | 189 | 161 | 84.85 | 13 | 14 | 112.02 | 23 | 22 | 92.54 | 226 | 197 | 87.20 |
| लखीसराय | 317 | 317 | 100.11 | 43 | 43 | 99.12 | 55 | 35 | 64.08 | 415 | 395 | 95.23 |
| जमुई | 303 | 378 | 124.80 | 63 | 64 | 100.97 | 85 | 62 | 73.27 | 451 | 504 | 111.77 |
| खगड़िया | 645 | 585 | 90.66 | 60 | 60 | 100.75 | 55 | 55 | 100.15 | 760 | 700 | 92.15 |
| | | | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 804 | 651 | 81.00 | 181 | 236 | 130.31 | 190 | 189 | 99.35 | 1175 | 1076 | 91.58 |
| बांका | 474 | 473 | 99.96 | 117 | 96 | 81.86 | 124 | 95 | 76.79 | 715 | 665 | 92.97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 503 | 451 | 89.64 | 33 | 70 | 211.55 | 77 | 42 | 54.07 | 613 | 563 | 91.77 |
| सुपौल | 450 | 455 | 101.00 | 30 | 39 | 130.29 | 90 | 36 | 40.46 | 570 | 530 | 92.99 |
| मधेपुरा | 522 | 490 | 93.70 | 21 | 23 | 106.61 | 67 | 51 | 76.21 | 611 | 563 | 92.23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1003 | 952 | 94.93 | 111 | 138 | 124.51 | 160 | 193 | 120.64 | 1274 | 1283 | 100.73 |
| किशनगंज | 738 | 613 | 83.06 | 102 | 80 | 78.30 | 87 | 84 | 96.02 | 927 | 776 | 83.75 |
| अररिया | 755 | 696 | 92.19 | 96 | 94 | 98.23 | 80 | 71 | 88.34 | 931 | 861 | 92.48 |
| कटिहार | 888 | 814 | 91.62 | 50 | 76 | 151.37 | 152 | 141 | 92.71 | 1091 | 1031 | 94.53 |
| **बिहार** | **30286** | **28770** | **95.00** | **4820** | **6238** | **129.40** | **5723** | **4978** | **86.98** | **40829** | **39986** | **97.93** |

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

## ख. 31.03.2014 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(लाख रु.)

| जिला | गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | | | कुल योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % |
| पटना | 6234 | 5618 | 90.13 | 9176 | 10346 | 112.76 |
| नालंदा | 435 | 341 | 78.39 | 1449 | 1303 | 89.92 |
| भोजपुर | 459 | 328 | 71.52 | 1984 | 1670 | 84.18 |
| बक्सर | 246 | 191 | 77.63 | 1693 | 1424 | 84.11 |
| रोहतास | 407 | 263 | 64.66 | 2161 | 1906 | 88.21 |
| कैमूर | 239 | 191 | 80.24 | 1386 | 1185 | 85.48 |
| | | | | | | |
| गया | 710 | 507 | 71.35 | 2401 | 2036 | 84.78 |
| जहानाबाद | 147 | 127 | 86.23 | 610 | 488 | 80.02 |
| अरवल | 96 | 84 | 87.25 | 386 | 318 | 82.43 |
| नवादा | 253 | 224 | 88.67 | 834 | 704 | 84.44 |
| औरंगाबाद | 371 | 307 | 82.82 | 1576 | 1413 | 89.69 |
| | | | | | | |
| सारण | 601 | 463 | 77.10 | 2077 | 1799 | 86.62 |
| सीवान | 627 | 393 | 62.62 | 1728 | 1386 | 80.19 |
| गोपालगंज | 387 | 287 | 74.06 | 1630 | 1457 | 89.39 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 575 | 312 | 54.20 | 2292 | 2085 | 90.97 |
| पूर्वी चंपारण | 682 | 518 | 75.91 | 2145 | 2008 | 93.60 |
| मुजफ्फरपुर | 964 | 685 | 71.06 | 2609 | 2597 | 99.53 |
| सीतामढ़ी | 472 | 325 | 68.70 | 1330 | 1102 | 82.91 |
| शिवहर | 62 | 47 | 76.48 | 207 | 188 | 91.09 |
| वैशाली | 476 | 364 | 76.44 | 1575 | 1413 | 89.72 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 686 | 1077 | 157.03 | 1459 | 1937 | 132.72 |
| मधुबनी | 604 | 441 | 72.92 | 1760 | 1425 | 80.96 |
| समस्तीपुर | 640 | 411 | 64.24 | 2755 | 1980 | 71.89 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 501 | 404 | 80.52 | 2202 | 2109 | 95.81 |
| मुंगेर | 439 | 285 | 64.87 | 964 | 756 | 78.38 |
| शेखपुरा | 73 | 60 | 81.92 | 299 | 257 | 85.91 |
| लखीसराय | 143 | 102 | 71.22 | 558 | 497 | 89.09 |
| जमुई | 209 | 169 | 81.09 | 660 | 674 | 102.06 |
| खगड़िया | 207 | 212 | 102.56 | 967 | 912 | 94.37 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 532 | 323 | 60.74 | 1707 | 1399 | 81.97 |
| बांका | 237 | 151 | 63.73 | 952 | 816 | 85.69 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 282 | 199 | 70.49 | 895 | 761 | 85.06 |
| सुपौल | 326 | 257 | 78.88 | 896 | 787 | 87.86 |
| मधेपुरा | 304 | 230 | 75.59 | 915 | 794 | 86.70 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 375 | 312 | 83.27 | 1649 | 1595 | 96.76 |
| किशनगंज | 190 | 162 | 85.65 | 1117 | 939 | 84.07 |
| अररिया | 303 | 209 | 68.93 | 1234 | 1070 | 86.69 |
| कटिहार | 677 | 443 | 65.46 | 1768 | 1474 | 83.40 |
| **बिहार** | **21170** | **17022** | **80.40** | **62000** | **57007** | **91.95** |

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

**तालिका प 6.2 : जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)**

| जिला | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 18048 | 26233 | 60143 | 50522 | 54949 | 54317 | 72920 |
| नालंदा | 16175 | 22281 | 34946 | 42065 | 46476 | 63100 | 52078 |
| भोजपुर | 15918 | 27575 | 50759 | 59020 | 84537 | 86527 | 96033 |
| बक्सर | 6775 | 10916 | 38447 | 32040 | 40533 | 79492 | 64988 |
| रोहतास | 19590 | 33141 | 56523 | 57664 | 76546 | 95856 | 78681 |
| कैमूर | 12094 | 24102 | 31488 | 29355 | 44165 | 63615 | 57317 |
| | | | | | | | |
| गया | 16371 | 52571 | 40101 | 41012 | 60645 | 85438 | 95487 |
| जहानाबाद | 5348 | 12261 | 16095 | 25154 | 26430 | 18910 | 16732 |
| अरवल | 2932 | 4443 | 6691 | 8363 | 12753 | 13458 | 11095 |
| नवादा | 11217 | 25992 | 24837 | 28980 | 23731 | 36426 | 44285 |
| औरंगाबाद | 8638 | 28077 | 42494 | 42353 | 54786 | 67639 | 31695 |
| | | | | | | | |
| सारण | 14127 | 24233 | 32706 | 34841 | 39064 | 66255 | 72475 |
| सीवान | 14545 | 27750 | 38536 | 34165 | 36959 | 72170 | 55790 |
| गोपालगंज | 13396 | 29824 | 42890 | 53928 | 60448 | 82846 | 97366 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 32431 | 47446 | 70194 | 75740 | 97812 | 86741 | 104247 |
| पूर्वी चंपारण | 26210 | 45138 | 74330 | 82860 | 104239 | 129858 | 147007 |
| मुजफ्फरपुर | 20050 | 36197 | 61028 | 58142 | 71134 | 91760 | 96007 |
| सीतामढ़ी | 24403 | 19944 | 34675 | 30368 | 43467 | 62523 | 66492 |
| शिवहर | 2617 | 6646 | 6315 | 12123 | 7682 | 11305 | 27414 |
| वैशाली | 17144 | 30629 | 38763 | 45605 | 66709 | 82387 | 88732 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 8011 | 20738 | 43993 | 26360 | 41682 | 56134 | 52021 |
| मधुबनी | 15598 | 35420 | 38578 | 55261 | 72368 | 101067 | 95600 |
| समस्तीपुर | 22783 | 38363 | 79075 | 80395 | 95785 | 94512 | 155580 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 14712 | 20694 | 57130 | 72811 | 89799 | 111447 | 152526 |
| मुंगेर | 5608 | 10756 | 16559 | 16701 | 28053 | 19329 | 36372 |
| शेखपुरा | 3532 | 7882 | 6036 | 5216 | 12738 | 13617 | 12604 |
| लखीसराय | 4587 | 10054 | 11401 | 15848 | 18074 | 16615 | 35836 |
| जमुई | 7382 | 13458 | 15779 | 22590 | 28020 | 30842 | 50855 |
| खगड़िया | 9296 | 12375 | 30313 | 39919 | 57270 | 45848 | 69174 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 11477 | 22734 | 44740 | 37938 | 48747 | 45360 | 66863 |
| बांका | 4282 | 9463 | 21232 | 22829 | 36202 | 34782 | 36685 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 7250 | 13835 | 21763 | 18904 | 25224 | 32859 | 41012 |
| सुपौल | 6296 | 57130 | 22830 | 16790 | 27256 | 40505 | 45482 |
| मधेपुरा | 6056 | 11620 | 12307 | 14707 | 24802 | 29932 | 36537 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 13477 | 27434 | 51210 | 30384 | 55209 | 64566 | 64262 |
| किशनगंज | 7393 | 13680 | 14645 | 20790 | 36764 | 44189 | 51111 |
| अररिया | 8558 | 16384 | 20225 | 29469 | 47758 | 54054 | 82371 |
| कटिहार | 12213 | 19833 | 29760 | 31618 | 48620 | 45505 | 53031 |
| **बिहार** | **466540** | **897252** | **1339537** | **1402830** | **1847436** | **2231786** | **2514763** |

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

# अध्याय 7

# राजकीय वित्तव्यवस्था

हालांकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपनी वृहदार्थिक परिस्थितियों में अस्थिरता पैदा करने और आर्थिक विकास दर में धीमापन लाने वाले 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से अपेक्षाकृत तेजी से उबर गई थी लेकिन ढांचागत अवरोधों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर काबू पाना अभी भी बाकी है। लगातार बरकरार मुद्रास्फीति और चालू लेखे में उच्च स्तर पर घाटा से युक्त इन अवरोधों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी लाना जारी रखा है जिसकी विकास दर लगातार दो वर्षों, 2012-13 और 2013-14 में 5 प्रतिशत से भी नीचे रही। जैसा कि भारत सरकार के 2013-14 के आर्थिक सर्वेक्षण में गौर किया गया है कि आर्थिक विकास दर 2004-05 से लेकर 2011-12 के औसतन 8.3 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 और 2013-14 में महज 4.6 प्रतिशत के औसत पर आ गई। मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के सख्त किए जाने ने भी निवेशों में धीमापन लाया और उसने भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाने में योगदान किया। सकल घरेलू उत्पाद की निम्न वृद्धि दर और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन ने सार्वजनिक व्यवस्था पर राजस्व संग्रहण की निम्न वृद्धि दर के जरिए प्रभावित किया जिससे केंद्र सरकार की राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। गत वर्ष के धुंधले आर्थिक परिदृश्य ने बिहार सहित अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। घरेलू अर्थव्यवस्था में निम्न विकास दर से राज्य को होने वाली राजस्व प्राप्तियां ही नहीं प्रभावित हुई, इसकी परिणति केंद्र सरकार से आशा से कम अंतरणों में भी हुई।

बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास प्रयास समुचित विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए वित्तव्यवस्था प्रबंधन पर निर्भर होता है। ऐसा प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन की सरकार की क्षमता सुदृढ़ करके भविष्य के प्रति आशा उत्पन्न करता है। आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का सख्ती से आबंटन और सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण किसी भी सरकार के अनिवार्य कार्य हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व सहित राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। अतिवांछित अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ाया जाता रहा है। बिहार की आर्थिक विकास की दर भी राष्ट्रीय विकास दर को पार कर गई है और उस स्तर पर विगत कई वर्षों से बरकरार है। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में प्रचुर वृद्धि के चलते आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो अधिकांश सामाजिक-आर्थिक सूचकों से अभिव्यक्त होता है। गरीबी के परिदृश्य में भी सुधार हो रहा है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में।

राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम फरवरी 2006 में पारित किया था जिसमें उसने (क) 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष कायम करने, (ख) 2008-09 तक राजस्व घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे लाने, (ग) लागत और समता को उचित सम्मान देते हुए गैर-कर राजस्व में वृद्धि करने, तथा (घ) पूंजीगत व्यय को

प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने और आर्थिक विकास, गरीबी में कमी तथा मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया था। इन संकल्पों का मोटे तौर पर अनुपालन किया गया है। हालांकि अधिनियम में विहित राजकोषीय घाटा के संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की उच्चतम सीमा ने अधिक उधार लेने और पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश करने की गुंजाइश सीमित कर दी है। हालांकि उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तवर्ष में मुद्रास्फीति जनित दबावों में कुछ कमी आती दिखी है और जल्द ही अर्थव्यवस्था कम ब्याज दर वाले दौर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन ऐसे दौर में 3 प्रतिशत की एफआरबीएम सीमा राज्य सरकार को पूंजी निवेश के लिए अधिक उधार लेने से रोकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रति आशान्वित है।

राज्य सरकार अपने संसाधन अपने कर और गैर-कर राजस्वों, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में अपने हिस्से, योजना एवं गैर-योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों, बाजार से लिए गए ऋण और अन्य उधारियों से प्राप्त करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के लेखे में रखे जाने वाले भविष्य निधि के संग्रहणों तथा अन्य जमा राशियों के बरअक्स की गई उधारियां शामिल होती हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो विकास के मकसद से योजना व्यय के लिए होता है या गैर-योजना व्यय के लिए। गैर-योजना शीर्ष में प्रशासन, ब्याज भुगतान और बकाया ऋणों की अदायगी, स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों और निगमों को दिया जाने वाला अनुदान एवं ऋण तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया जाने वाला अग्रिम देना शामिल होता है। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के समापन से इस ढांचे में परिवर्तन आ सकता है, खास कर योजना विषयक धनराशि के संबंध में।

संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी (रिपेमेंट ऑफ लोन) के रूप में प्राप्त सारी रकम को उसकी संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में रखा जाता है। बजट पारित करने की प्रक्रिया के जरिए विधानमंडल के अनुमोदन के बगैर इस निधि से कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित दो अन्य कोष भी होते हैं। पहली है आकस्मिक निधि (कंटिंजेंसी फंड) जो नियत कॉर्पस वाली और अर्थदाय (इम्प्रेस्ट) की प्रकृति की होती है। विधानमंडल द्वारा उसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत असंभावित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। विधानमंडल द्वारा उसका बाद में प्रमाणीकरण (ऑथराइजेशन) किया जाता है तथा संचित निधि से उसे पूरा (रिकूप) किया जाता है। इस समय (2013-14 में) इस निधि का कॉर्पस 350 करोड़ रु. है। राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त अन्य सारी राशियों को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट) में रखा जाता है। लोक लेखा से निकासी के लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। उसका शेष भी अलग रखने के बजाय राज्य सरकार के नगद शेष (कैश बैलेंस) के साथ मिला दिया जाता है। संचित निधि में उधार लेने के बाद राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा लोक लेखा के शेष से पूरा किया जाता है और लोक लेखा में मौजूद नगद शेष में कमी लाकर भी। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के बैंकर के बतौर काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के तहत राज्य सरकार को अपना कम से कम 1.73 करोड़ रु. नगद शेष उसके पास बनाए रखना होगा। अगर

शेष इस सीमा से नीचे आता है, तो कमी को अर्थोपाय अग्रिम (सामान्य अथवा विशेष) लेकर या फिर समय-समय पर ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा करना पड़ता है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना न्यूनतम नगद शेष हमेशा बनाए रखा। न्यूनतम सीमा से अधिक शेष को स्वचालित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के कोषागार चालानों में निवेशित कर दिया जाता है।

### 7.1 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन

बाद के खंडों में राज्य सरकार के वित्तीय और राजकोषीय प्रदर्शन का विश्लेषण दो चीजों के जरिए किया गया है - सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करके (तालिका 7.1), और उसके बाद बिहार तथा अन्य प्रमुख राज्यों से संबंधित 8 प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (परफॉमेंस इंडिकेटर्स) की तुलना करके (तालिका 7.2)। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लिए प्राप्तियों और व्ययों के वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया गया है जिन्हें राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच) द्वारा तैयार राज्य सरकार के वित्तीय लेखों से लिया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार के बजट अनुमान (बी.ई.) का उपयोग किया गया है। हालांकि अन्य राज्यों के लिए 2012-13 तक ही वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2013-14 के लिए पुनरीक्षित अनुमान (आरई) और 2014-15 के लिए बजट अनुमान (बीई) का उपयोग किया गया है। राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था का विश्लेषण निम्नलिखित के लिहाज से भी किया गया है : (1) राजकोषीय प्रबंधन (फिस्कल परफॉर्मेंस); (2) घाटा प्रबंधन (डेफिसिट मैनेजमेंट); (3) ऋण प्रबंधन; (4) संसाधन प्रबंधन; (5) व्यय प्रबंधन; (6) राज्य का बजट और (7) राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन।

बिहार का राजस्व अधिशेष 2009-10 में 2,943 करोड़ रु. के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था लेकिन 2010-11 उबरने का वर्ष था जब राज्य का राजस्व अधिशेष 6,316 करोड़ रु. के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि 2011-12 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार का धीमापन शुरू होने का वर्ष था और उस वर्ष राजस्व अधिशेष पुनः गिरकर 4,820 करोड़ रु. रह गया जिसके कारण सकल राजकोषीय घाटा तेजी से लगभग 2,000 करोड़ रु. बढ़ गया। उसके बाद से राजस्व अधिशेष की स्थिति में लगातर वृद्धि हुई और 2013-14 में यह 1,300 करोड़ रु. से भी अधिक बढ़कर 6,442 करोड़ रु. हो गया। हालांकि पूंजीगत निवेशों में प्रचुर वृद्धि (4,416 करोड़ रु.) के कारण राजकाषीय घाटा लगभग 1,800 करोड़ रु. बढ़कर 8,351 करोड़ रु. पर पहुंच गया। पहले भी इंगित किया गया है कि इसके बावजूद सकल राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा विहित सीमा के पर्याप्त नीचे है। अधिक पूंजीगत निवेशों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए 2014-15 के बजट अनुमान में इसका अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 21,151 करोड़ रु. हो जाना और 3 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच जाना अनुमानित था।

वर्ष 2010-11 में मौजूद 349 करोड़ रु. के मामूली प्राथमिक अधिशेष की स्थिति भी 2011-12 में पलट गई और वह 1,611 करोड़ रु. के प्राथमिक घाटे में बदल गया जो 2013-14 में और भी बढ़कर 2,892 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसके और भी तेजी से बढ़कर लगभग 4,786 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 में राजस्व प्राप्तियों में जहां गत वर्ष से 9,352 करोड़ रु. की वृद्धि

हुई और वे 68,919 करोड़ रु. हो गईं, वहीं राजस्व व्यय 8,011 करोड़ रु. बढ़कर 62,477 करोड़ रु. हो गया जिसका 58 प्रतिशत विकास व्यय में वृद्धि (4,638 करोड़ रु.) के कारण है।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में दिखी 16 प्रतिशत की वृद्धि 2011-12 और 2012-13, दोनो वर्षों में हुई वृद्धि के लगभग बराबर है लेकिन 2011-12 के दौरान हुई 25 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है। वर्ष 2013-14 में हुई वृद्धि मुख्यत: कर प्राप्तियों में 6,637 करोड़ रु. (14 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी जो गत वर्ष कर प्राप्तियों में हुई 19 प्रतिशत वृद्धि से कम है। राज्य सरकार के कुल राजस्व में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कर प्राप्तियों का है। वर्ष के दौरान गैर-कर प्राप्तियों में 413 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जो गत वर्ष दर्ज 245 करोड़ रु. वृद्धि से काफी अधिक है जिसका कारण मुख्यत: पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभों में अंशदानों और वसूलियों में वृद्धि है। वर्ष 2012-13 में हुई 315 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि की तुलना में 2013-14 में केंद्र सरकार का अनुदान 2,376 करोड़ रु. बढ़ा और कुल अनुदान 12,584 करोड़ रु. तक पहुंच गया। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष से केंद्र सरकार द्वारा राजकीय कियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण की समाप्ति के परिणामस्वरूप, 2014-15 के बजट अनुमान में इसके काफी बढ़कर 31,420 करोड़ रु. तक पहुंच जाना अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में जहां राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 16 प्रतिशत थी, वहीं राजस्व व्यय 15 प्रतिशत बढ़ा। इसकी परिणति राजस्व अधिशेष की वृद्धि में हुई। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष में लगभग 10,200 करोड़ रु. की अच्छी-खासी वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष के मात्र 8 प्रतिशत की तुलना में 46 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार उसे 51 प्रतिशत बढ़कर 21,151 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। विगत छ: वर्षों (2009-15) के दौरान राजकीय वित्तव्यवस्था के रुझान और सारांश तालिका 7.1 में दर्शाए गए हैं।

राजस्व लेखा

सर्वप्रथम 2004-05 में अपने राजस्व लेखे में 1,076 करोड़ रु. के अधिशेष से आरंभ करने के बाद से बिहार लगातार राजस्व अधिशेष दर्शाता रहा है। वर्ष 2011-12 में गिरकर 4,820 करोड़ रु. रह जाने के पूर्व 2010-11 में अधिशेष बढ़कर 6,316 करोड़ रु. हो गया था जो हमेशा का सर्वोच्च स्तर था। वर्ष 2013-14 में यह 6,442 करोड़ रु. पहुंच गया। पहले भी उल्लेख किया गया है कि राज्य की राजस्व प्राप्ति में 9,355 करोड़ रु. की वृद्धि मुख्यत: कर राजस्व में 6,637 करोड़ रु. वृद्धि के कारण थी। कर राजस्व के व्यापक शीर्ष में 44 प्रतिशत की वृद्धि केंद्रीय करों में अपना हिस्सा बढ़ने के कारण हुई और 56 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व में वृद्धि के कारण। गत वर्ष यह योगदान क्रमश: 52 प्रतिशत और 48 प्रतिशत था। इस प्रकार 2013-14 में राज्य के समग्र राजस्व की वृद्धि में उसके अपने राजस्व का योगदान गत वर्ष से बढ़ गया। इस प्रकार, मौजूद रुझान जारी रहा जो आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में राज्य की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था का स्वागत योग्य पक्ष है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के अपने राजस्व में, जिसमें कर और गैर-कर, दोनो शामिल हैं, 24 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई, हालांकि एक यह वर्ष पूर्व के 29 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय में 2012-13 की अपेक्षा 8,011 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 3,288 करोड़ रु. (41 प्रतिशत) है और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 1,350

करोड़ रु. (17 प्रतिशत) था। इन दोनों सेवाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले कम वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष के 915 करोड़ रु. की जगह 3,373 करोड़ रु. (42 प्रतिशत) बढ़ा जिसमें अकेले पेंशन भुगतान का अतिरिक्त व्यय 1,118 करोड़ रु. था - गत वर्ष के 555 करोड़ रु. से लगभग दूना। राज्य सरकार की पेंशन देनदारी विगत वर्षों में तेजी से बढ़ती गई है और लगभग 35 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 4319 करोड़ रु. से 2013-14 में 9,482 करोड़ रु. पहुंच गई है। वर्ष 2014-15 में कुल पेंशन भुगतान का 11,600 करोड़ रु. बढ़ जाना अनुमानित है। विगत तीन वर्षों में लगभग समान स्तर पर रहने के बाद ब्याज भुगतान में 2013-14 के दौरान 1,031 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को होने वाले वेतन भुगतान में भी राजस्व व्यय बढ़ा है : 2012-13 के 1,364 करोड़ की तुलना में 2013-14 में 481 करोड़ रु.। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा वेतन भुगतान 13,339 करोड़ रु. तक पहुंच गया। राज्य सरकार के वेतन और पेंशन व्यय पर इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में काफी उच्च स्तर पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय लक्षित है जिसका वित्तपोषण काफी अधिक राजस्व संग्रहण के साथ-साथ पर्याप्त अधिक केंद्रीय अनुदानों से होना अनुमानित है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का संयुक्त रूप से लगभग 1,16,886 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है जो वर्ष 2013-14 के वास्तविक व्यय (80,405 करोड़ रुपए) से 45 प्रतिशत की वृद्धि है।

<u>विकासमूलक राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय</u>

वर्ष 2013-14 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक व्यय गत वित्तवर्ष से 4,638 करोड़ रु. बढ़ा। वर्ष 2009-10 और 2013-14 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 20,274 करोड़ रु. से लगभग दूना होकर 40,455 करोड़ रु. पहुंच गया। वहीं, गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय भी इस अवधि में थोड़ी धीमी गति से बढ़ा और 12,202 करोड़ रु. से बढ़कर 22,018 करोड़ रु. तक पहुंचा जिसका बड़ा हिस्सा पेंशन और ब्याज भुगतान के कारण था। वर्ष 2013-14 के कुल पूंजीगत परिव्यय 14,001 करोड़ रु. में से 10,811 करोड़ रु. का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया जिसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा (4,090 करोड़ रु.) सड़कों एवं पुलों की अधिसंरचना के निर्माण पर खर्च हुआ। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 1,858 करोड़ रु. था। इसमें से 25 प्रतिशत हिस्सा (460 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं के निर्माण और उनमें सुधार पर, 33 प्रतिशत (618 करोड़ रु.) जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर और 38 प्रतिशत (704 करोड़ रु.) शैक्षिक अधिसंरचना के निर्माण पर खर्च हुआ। वर्ष 2012-13 की तुलना में जहां लोक स्वास्थ्य पर व्यय काफी कम (563 करोड़ रु) था वहीं, अन्य दो क्षेत्रों पर काफी अधिक - जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर 259 करोड़ रु. और शिक्षा पर 364 करोड़ रु.।

राजस्व लेखे के अधिशेष ने बिहार की विकास गाथा में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्व अधिशेष मुख्यत: राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने और राजस्व व्यय को रोक रखने के कारण हासिल हुआ। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 18.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जबकि राजस्व व्यय थोड़ा कम - 17.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इसके कारण हर साल प्रचुर राजस्व अधिशेष बना

रहा। राजस्व अधिशेष में टिकाऊ परिघटना के कारण राज्य सरकार अपने पूंजीगत परिव्यय को 2011-12 तक लगातार बढ़ा पाने में सक्षम हुई। हालांकि राजस्व अधिशेष में कमी के कारण 2012-13 में पूंजीगत परिव्यय भी 344 करोड़ रु. घट गया था। लेकिन वर्ष 2013-14 में पूंजीगत परिव्यय पुनः 4,416 करोड़ रु. बढ़ गयाा। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार का कुल विकासमूलक व्यय 53,124 करोड़ रु. था जो उसके कुल व्यय का लगभग 65.5 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों में विकास व्यय की उच्च वृद्धि दर बरकरार रखने का लक्ष्य रखा है जो 2014-15 के बजट अनुमान में भी प्रतिबिंबित होता है जिसमें इसका 55 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर 82,460 करोड़ रु. पहुंच जाना अनुमानित है। हालांकि गैर-विकासमूलक सामान्य सेवाओं पर व्यय भी 2013-14 में 3,373 करोड़ रु. बढ़कर 22,018 करोड़ रु. हो गया जो गत वर्ष से 18 प्रतिशत वृद्धि है। गत वर्ष गैर-विकासमूलक व्यय मात्र 915 करोड़ रु. बढ़ा था। गैर-विकासमूलक व्यय में वृद्धि पेंशन भुगतान में 1,118 करोड़ रु., ब्याज भुगतान में 1,031 करोड़ रु. और पुलिस पर 617 करोड़ रु. वृद्धि के कारण है।

बिहार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया 2006-07 में शुरू हुई थी जब पहली बार पूंजीगत परिव्यय उसके पिछले वर्ष के महज 2,084 करोड़ रु. से बढ़कर 5,211 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2006-07 से राज्य सरकार ने हर बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जो बहुगुणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास में रूपांतरित हो गया। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की 15.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले 22.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जिसके कारण राज्य देश के सबसे तेज विकास दर वाले राज्यों में शुमार हो गया। यह विकास दर राज्य में दसवीं योजना अवधि के दौरान हुए विकास दर (12.0 प्रतिशत) से भी अधिक है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक, पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय 17.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से और कुल विकास व्यय (राजस्व और पूंजीगत) 18.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 2013-14 में पूंजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत था जबकि 2012-13 में यह 3.2 प्रतिशत था। यह 2013-14 में राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय का 17 प्रतिशत है जबकि उससे पिछले वर्ष 14 प्रतिशत था। राज्य सरकार इस बात से अवगत है कि पूंजीगत व्यय की गति और भी बढ़ाना निहायत जरूरी है। इसीलिए 2014-15 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि अनुमानित थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत के बराबर है।

<u>योजना और गैर-योजना व्यय</u>

योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच अंतराल 2007-08 से घटने लगा था जो ग्यारहवीं योजना अवधि का पहला साल था। उस वर्ष गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.9 गुना था जो 2005-06 में 3.6 गुना था। वर्ष 2013-14 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.4 गुना था जितना 2012-13 में भी था। वर्ष 2013-14 में कुल योजना व्यय 33,677 करोड़ रु. और कुल गैर-योजना व्यय 46,728 करोड़ रु. था। सार्वजनिक व्यय के कुशल प्रबंधन के मुद्दे पर बनी रंगराजन समिति ने सितंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें अनुशंसा की थी कि योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच इस आधार पर अंतर करना बंद किया जाना चाहिए कि बजट न तो 'सरकारी व्यय के विकास और गैर-विकास आयामों' का संतोषजनक वर्गीकरण उपलब्ध कराता है

और न ही 'उपयुक्त बजटीय खाका' प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की गई लेकिन केंद्र की नवनिर्वाचित सरकार ने योजना आयोग को भंग करने और उसकी जगह भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के साथ एक अन्य संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। राज्य सरकारों की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था पर या योजना और गैर-योजना व्यय के बीच बंटवारे पर इस परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। योजना प्रक्रिया या योजना निर्माण तंत्र का भविष्य भी अभी तक अस्पष्ट बना हुआ है।

संसाधन एकत्रीकरण

राज्य सरकार का कर राजस्व काफी बढ़ा है और 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 26,292 करोड़ रु. से 2013-14 में 54,790 करोड़ रु. हो गया है। इस अवधि में राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 25 प्रतिशत की काफी अधिक वार्षिक दर से बढ़कर 8,090 करोड़ रु. से बढ़कर 19,961 करोड़ रु. हो गया। हाल के वर्षों में राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में तेज वृद्धि हुई है और गत तीन वर्षों के दौरान यह क्रमशः 28 प्रतिशत, 29 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 2013-14 में राज्य के कुल कर राजस्व में गत वर्ष से 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में 23 प्रतिशत की। वर्ष 2009-10 से लेकर 2013-14 तक पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से राज्य सरकार को होने वाला अंतरण 17.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि केंद्रीय अनुदानों में मात्र 13.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज हुई।

कर राजस्व में वृद्धि के विपरीत, राज्य में गैर-कर राजस्व विकास के उच्च धरातल पर पहुंच गया लगता है और 2009-10 के 1,670 करोड़ रु. से गिरता जा रहा है। उस वर्ष यह 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण राहत के कारण बढ़ा था जो 2010-11 से उपलब्ध नहीं हुई। वर्ष 2012-13 में गैर-कर राजस्व मात्र 1,135 करोड़ रु. था जो 2013-14 में बढ़कर 1,545 करोड़ रु. हो गया। हालांकि 2014-15 के बजट अनुमान में गैर-कर राजस्व में प्रचुर वृद्धि अनुमानित है - 2013-14 में हासिल स्तर से लगभग दूना होकर 3,082 करोड़ रु.। इन अतिरिक्त राजस्वों को राज्य में गैर-कर राजस्व के दो पारंपरिक स्रोतों ब्याज प्राप्तियां (202 करोड़ रु.) और अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों से होने वाली प्राप्तियां (750 करोड़ रु.) के अतिरिक्त पेंशन हेतु अंशदानों एवं वसूलियों आदि से (2012-13 के 400 करोड़ रु. की तुलना में 2013-14 में 1,500 करोड़ रु.) आना अनुमानित है। झारखंड से प्राप्त होने वाली पेंशन देनदारियों (2012-13 में 150 करोड़ रु. और 2013-14 में 398 करोड़ रु.) के परिणामस्वरूप पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभों के लिए अंशदान और वसूलियों में वस्तुतः 2012-13 से महत्वपूर्ण योगदान शुरू हुआ जब यह 150 करोड़ रु. हो गया जबकि उसके पिछले साल यह मात्र 1.43 करोड़ रु. था।

बिहार का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम रहा है, हालांकि 2009-10 से 2013-14 के बीच पांच वर्षों की अवधि में यह 5 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया है। लेकिन अभी भी राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में वृद्धि की काफी अदोहित संभावना मौजूद है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में कुल राजस्व 33,000 करोड़ रु. (48 प्रतिशत) बढ़कर 1,01,940 करोड़ रु. होना अनुमानित है। इस कुल राजस्व में राज्य सरकार की अपनी कर राजस्व प्राप्तियां 25,663 करोड़ रु.

अनुमानित हैं जो 2013-14 में हासिल स्तर से 29 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2014-15 में प्राप्त की जाने वाली रकम में राज्य के अपने राजस्व का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा होगा जो 2013-14 में दर्ज 29 प्रतिशत से कम है।

बकाया सार्वजनिक ऋण

राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण में दो घटक शामिल होते हैं - राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से लिया गया ऋण। यह दूसरा घटक बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप घटता गया है। राज्य लोक लेखा के कुछ मदों के लिए न्यासी के बतौर भी काम करता है। ये राज्य सरकार की अन्य देनदारियों में शामिल होते हैं जिन पर बाद में चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार पर बकाया ऋण 2009-10 में 43,442 करोड़ रु. था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 26.7 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2013-14 में बकाया ऋण बढ़कर 64,262 करोड़ रु. पहुंच गया लेकिन ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात काफी गिरकर 18.7 प्रतिशत रह गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी नीचे है। राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात भी 2009-10 में 10.4 प्रतिशत था जो 2013-14 में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गया। यह भी बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की उच्च सीमा से काफी नीचे है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि ऋण समस्या राज्य सरकार के बिल्कुल नियंत्रण में है। ऋण सेवा भुगतान 2009-10 से 2013-14 के बीच 5,668 करोड़ रु. से बढ़कर 9,022 करोड़ रु. हो गया। इन दो वर्षों में ब्याज भुगतान क्रमश: 3,685 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 65 प्रतिशत) और 5,459 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 61 प्रतिशत) था। वहीं, इस अवधि में मूलधन की अदायगी 1,983 करोड़ रु. से बढ़कर 3,120 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में सार्वजनिक ऋण की बकाया देनदारियों का बढ़कर 75,426 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.7 प्रतिशत) और ऋण सेवा भुगतान 9,144 करोड़ रु. पहुंचना अनुमानित है।

ऋण संरचना में 2002-03 से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। यह सबसे पहले तो केंद्र सरकार के अधिक ब्याज वाले ऋणों को बाजार के कम ब्याज वाले ऋणों से बदल देने के कारण और उसके बाद बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के ऋणों के समेकन और 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 20 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु पुनर्व्यवस्थित करने के कारण हुआ। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी अगर राज्य सरकारें ऋण लेना चाहती हैं, तो उन्हें बाजार से आवश्यकतानुसार ऋण लेना चाहिए और केंद्र सरकार की मदद अनुदानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। फलत: उसके बाद से केंद्र सरकार के ऋणों का अनुपात काफी घट गया। केंद्रीय ऋण 2009-10 से 2013-14 के बीच 764 करोड़ रु. से घटकर 550 करोड़ रु. रह गया और कुल लोक ऋण प्राप्तियों में इसका हिस्सा 12.5 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गया। केंद्रीय ऋण अब राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ही लिए जाते हैं।

ऋण देनदारियों के साथ बर्ताव के मामले में 2012-13 से नया दृष्टिकोण अपनाया गया। यह पूर्व में अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न था जिसमें लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य लेखों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्य सरकार की कुल ऋण देनदारियों में शामिल किया जाता था। हालांकि सरकारी लेखाकरण मानक बोर्ड (जीएएसएबी) द्वारा प्रस्तावित नए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आइजीएएस) 10 के कारण संचित निधि में ऋण की प्राप्तियों और लोक लेखा के कारण राज्य सरकार के पास स्वत: आने वाली देनदारियों में अंतर किया गया है। हालांकि मानक को औपचारिक रूप से अपनाया नहीं गया है और यह अंतर्विरोध से भी मुक्त नहीं है, लेकिन इसने राज्य सरकार की बकाया देनदारियों को पुनर्परिभाषित कर दिया है। पहले राज्य सरकार के समस्त ऋणों में आंतरिक ऋण, केंद्र सरकार के ऋण और लघु बचतों एवं भविष्य निधि लेखे के ऋण शामिल होते थे। जहां पहले दो ऋण राज्य सरकार की संचित निधि के बरअक्स होने वाली उधारियों के अंग हैं, वहीं लघु बचतों और भविष्य निधि के लेखों का संधारण राज्य सरकार के लोक लेखा में किया जाता है।

भारत में लघु बचत योजनाएं हमेशा पारिवारिक बचतों का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। लघु बचत माध्यमों को तीन शीर्षों के अंतर्गत बांटा जा सकता है - (1) डाक बचतें जिनमें बचत खाते, आवर्ती जमा, विभिन्न परिपक्वता अवधियों वाले सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल हैं, (2) बचत प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र-7 और किसान विकास पत्र), तथा (3) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (सार्वजनिक भविष्य निधि और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना)।

वर्ष 1999 में लघु बचत समिति की रिपोर्ट के अनुपालनस्वरूप, भारतीय लोक लेखा में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई है जो अप्रील 1999 से प्रभावी है। सारी लघु बचतों के संग्रहण इसी कोष में जमा किए जाते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा सारी निकासी इस कोष के अंदर हुए संचय से की जाती है। कोष से निकासी के बाद शेष रही लघु बचत योजनाओं की रकम ही इस कोष की धनराशि का स्रोत होती है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष लघु द्वारा बचतों के शुद्ध संग्रहणों का केंद्र सरकार द्वारा तय बंटवारे के फार्मूला के अनुरूप राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों (एसएसजीएस) में निवेश किया जाता है। वर्तमान फार्मूला के अनुसार, राज्यों के लिए संचित शेषों का 80 प्रतिशत भाग उधार लेना (और इसलिए केंद्र सरकार को ब्याज भुगतान करना) अनिवार्य है। यह हिस्सा 100 प्रतिशत तक भी जा सकता है। वर्ष 2002-03 से शुद्ध संग्रहणों का निवेश राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में ही किया जा रहा है इसलिए राज्य सरकारें पूरी प्राप्ति को उधार लेने के लिए बाध्य हैं। इनकी दरें बाजार दर से अधिक हैं और इनका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये उधारियां आंतरिक ऋण का अंग होती हैं जो राज्य सरकार के समग्र लोक ऋण का एक भाग होता है। इनका उपयोग राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए किया जाता है। बची हुई रकम का निवेश राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के समान अवधि वाली केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों (एससीजीएस) में कर दिया जाता है। ये प्रतिभूतियां 25 वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है जिसमें मूलधन पर पांच वर्षों तक निकासी की मनाही (अधिस्थगन अवधि) होती है। विशेष प्रतिभूतियों पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा तय दर से ब्याज देय होता है। विशेष प्रतिभूतियों की दर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। 1

अप्रील, 2003 से इसकी ब्याज दर 9.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष की आय में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और अन्य प्रतिभूतियों में निवेशों से होने वाली ब्याज प्राप्तियां शामिल होती हैं। जहां केंद्र और राज्य के हिस्से में निवेशों की ब्याज दर समय-समय पर तय की जाने वाली ब्याज दरों के अनुरूप होती है, वहीं प्रतिदेय या छुड़ाई गई (रिडीम्ड) रकमों के पुनर्निवेश की ब्याज दर बीसवर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार दर के समान होती है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष के व्यय में लघु बचतों और लोक भविष्य निधि योजनाओं के ग्राहकों को किया जाने वाला ब्याज भुगतान और योजना संचालन हेतु प्रबंधन व्यय शामिल होता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से राज्य सरकार को दिए जान वाले बकाया ऋण 2013-14 के अंत तक 19,756 करोड़ रु. थे जबकि 2012-13 तक 19,125 करोड़ रु.। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियों के जरिए 1,386 करोड़ रु. प्राप्त किए थे जबकि 2012-13 में यह रकम 1,006 करोड़ रु. थी।

नए लेखाकरण मानक के अनुसार, अब लोक ऋण में संचित निधि से होने वाली उधारियां ही शामिल होती हैं जबकि तीन प्रमुख लोक लेखा शेष अब राज्य सरकार की 'अन्य देनदारियों' (अदर लायबलिटीज) के अंतर्गत हैं क्योंकि वे सभी राज्य सरकार के नगद शेष में मिले रहते हैं। 'अन्य देनदारियों' में भविष्य निधि एवं अन्य लेखे, आरक्षित निधि (रिजर्व फंड) तथा जमा एवं अग्रिम शामिल होते हैं। राज्य सरकार के लेखे में अब लोक ऋणों के इस नए वर्गीकरण को दर्शाना शुरू कर दिया गया है और इसके बाद से आर्थिक सर्वेक्षणों में भी इसी वर्गीकरण का अनुसरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक लेखे सरकारी वित्तीय प्रणाली में ढेर सारी विरूपताएं पैदा करते हैं और उनसे ढांचागत स्तर पर निपटने की जरूरत है।

एफआरबीएम अधिनियम के लागू होने का पहला वर्ष होने के साथ-साथ 2006-07 बिहार में राजकोषीय अनुशासन का आरंभ भी परिलक्षित हुआ था जो राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर रोक रखने में दिखता है। बिहार के सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को 2006-07 में एक वर्ष पूर्व के 4.43 प्रतिशत से घटाकर 2.92 प्रतिशत पर ले लाया गया था। वर्ष 2009-10 को छोड़ दें, जब यह 2008 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप उससे थोड़ा बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया था, तो उसके बाद से वह 3 प्रतिशत की सीमा में ही रहा। वर्ष 2013-14 में यह अनुपात 2.4 प्रतिशत था और 2014-15 के बजट अनुमान में इसे बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मात्र 3.0 प्रतिशत के बराबर होना अनुमानित है। धनराशि के रूप में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा 2009-10 के 5,272 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 8,351 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसे बढ़कर 11,368 करोड़ रु. होना अनुमानित है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि 2010-11 से देश में व्याप्त प्रतिकूल वृहदार्थिक परिस्थितियों के चलते राज्यों की प्राप्तियों और देनदारियों के प्रभावित होने के कारण वित्तीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को धक्के का सामना करना पड़ रहा है लेकिन राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था का प्रबंधन अभी भी विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है और पांच वर्ष पहले से अधिक स्वस्थ स्थिति में है।

## तालिका 7.1 : बिहार सरकार की प्राप्तियां और व्यय

(करोड़ रु.)

| क्रम सं. | मद | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 ब.अ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा** | **35527** | **44532** | **51320** | **59567** | **68919** | **101940** |
| क | कर राजस्व | 26292 | 33848 | 40547 | 48153 | 54790 | 67438 |
| ख | गैर-कर राजस्व | 1670 | 986 | 890 | 1135 | 1545 | 3082 |
| ग | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 7564 | 9699 | 9883 | 10278 | 12584 | 31420 |
| **2** | **कुल व्यय - राजस्व लेखा** | **32584** | **38216** | **46500** | **54466** | **62477** | **91765** |
| क | सामान्य सेवाएं, जिसमें | 12202 | 15287 | 17730 | 18645 | 22018 | 28155 |
| | ब्याज भुगतान | 3685 | 4319 | 4304 | 4428 | 5459 | 6581 |
| ख | सामाजिक सेवाएं | 13186 | 15089 | 18729 | 23107 | 26395 | 43618 |
| ग | आर्थिक सेवाएं | 7088 | 7836 | 10038 | 12710 | 14060 | 19988 |
| घ | सहायता अनुदान | 107 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **3** | **राजस्व घाटा** | **-2943** | **-6316** | **-4820** | **-5101** | **-6442** | **-10175** |
| **4** | **पूंजीगत प्राप्तियां** | **6148** | **6044** | **6650** | **9579** | **9922** | **14743** |
| क | लोक ऋण आदि | 6134 | 6032 | 6628 | 9554 | 9907 | 14727 |
| ख | ऋण एवं अग्रिम वसूली | 13 | 12 | 23 | 25 | 15 | 16 |
| **5** | **पूंजीगत व्यय, जिसमें** | **10211** | **12489** | **13681** | **14740** | **17928** | **25120** |
| क | पूंजीगत परिव्यय | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| ख | ऋण एवं अग्रिम | 897 | 1103 | 1906 | 2086 | 807 | 406 |
| ग | लोक ऋण | 1983 | 2190 | 2922 | 3070 | 3120 | 3563 |
| **6** | **कुल व्यय** | **42795** | **50705** | **60180** | **69206** | **80405** | **116886** |
| क | योजना व्यय | 16194 | 20911 | 23008 | 28380 | 33677 | 57655 |
| ख | गैर-योजना व्यय | 26601 | 29794 | 37174 | 40826 | 46728 | 59231 |
| **7** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **5272** | **3970** | **5915** | **6545** | **8351** | **11368** |
| **8** | **प्राथमिक घाटा** | **1587** | **-349** | **1611** | **2117** | **2892** | **4787** |
| 9 | **कुल ऋणग्रहण** | **6134** | **6032** | **6628** | **9554** | **9907** | **14727** |
| क | आंतरिक ऋणग्रहण | 5370 | 5251 | 5801 | 9046 | 9357 | 12878 |
| ख | केंद्र सरकार से ऋण | 764 | 782 | 827 | 508 | 550 | 1849 |
| **10** | **लोक ऋण अदायगी** | **1983** | **2190** | **2922** | **3070** | **3120** | **3563** |
| **11** | **बकाया लोक ऋण** | **43442** | **47285** | **50990** | **57474** | **64262** | **75426** |
| **12** | **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | **162923** | **203555** | **243269** | **296153** | **343054** | **383709** |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में** | | | | | | | |
| **1** | **कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा** | **21.8** | **21.9** | **21.1** | **20.1** | **20.1** | **26.6** |
| क | कर राजस्व | **16.1** | **16.6** | **16.7** | **16.3** | **16.0** | **17.6** |
| ख | गैर-कर राजस्व | **1.0** | **0.5** | **0.4** | **0.4** | **0.5** | **0.8** |
| ग | सहायता अनुदान एवं अंशदान | **4.6** | **4.8** | **4.1** | **3.5** | **3.7** | **8.2** |
| **2** | **कुल व्यय - राजस्व लेखा** | **20.0** | **18.8** | **19.1** | **18.4** | **18.2** | **23.9** |
| क | सामान्य सेवाएं, जिसमें | **7.5** | **7.5** | **7.3** | **6.3** | **6.4** | **7.3** |
| | ब्याज भुगतान | **2.3** | **2.1** | **1.8** | **1.5** | **1.6** | **1.7** |
| ख | सामाजिक सेवाएं | **8.1** | **7.4** | **7.7** | **7.8** | **7.7** | **11.4** |
| ग | आर्थिक सेवाएं | **4.4** | **3.8** | **4.1** | **4.3** | **4.1** | **5.2** |
| घ | सहायता अनुदान | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **3** | **राजस्व घाटा** | **-1.8** | **-3.1** | **-2.0** | **-1.7** | **-1.9** | **-2.7** |
| **4** | **पूंजीगत प्राप्तियां** | **3.8** | **3.0** | **2.7** | **3.2** | **2.9** | **3.8** |
| क | लोक ऋण आदि | **3.8** | **3.0** | **2.7** | **3.2** | **2.9** | **3.8** |
| ख | ऋण एवं अग्रिम वसूली | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **5** | **पूंजीगत व्यय, जिसमें** | **6.3** | **6.1** | **5.6** | **5.0** | **5.4** | **6.5** |
| क | पूंजीगत परिव्यय | **4.5** | **4.5** | **3.6** | **3.2** | **4.1** | **5.5** |
| ख | ऋण एवं अग्रिम | **0.6** | **0.5** | **0.8** | **0.7** | **0.2** | **0.1** |
| ग | लोक ऋण | **1.2** | **1.1** | **1.2** | **1.0** | **0.9** | **0.9** |
| **6** | **कुल व्यय** | **26.3** | **24.9** | **24.7** | **23.4** | **23.4** | **30.5** |
| क | योजना व्यय | **9.9** | **10.3** | **9.5** | **9.6** | **9.8** | **15.0** |
| ख | गैर-योजना व्यय | **16.3** | **14.6** | **15.3** | **13.8** | **13.6** | **15.4** |
| **7** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **3.2** | **2.0** | **2.4** | **2.2** | **2.4** | **3.0** |
| **8** | **प्राथमिक घाटा** | **1.0** | **-0.2** | **0.7** | **0.7** | **0.8** | **1.2** |
| 9 | **कुल ऋणग्रहण** | **3.8** | **3.0** | **2.7** | **3.2** | **2.9** | **3.8** |
| क | आंतरिक ऋणग्रहण | **3.3** | **2.6** | **2.4** | **3.1** | **2.7** | **3.4** |
| ख | केंद्र सरकार से ऋण | **0.5** | **0.4** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **0.5** |
| **10** | **लोक ऋण अदायगी** | **1.2** | **1.1** | **1.2** | **1.0** | **0.9** | **0.9** |
| **11** | **बकाया लोक ऋण** | **26.7** | **23.2** | **21.0** | **19.4** | **18.7** | **19.7** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.1**

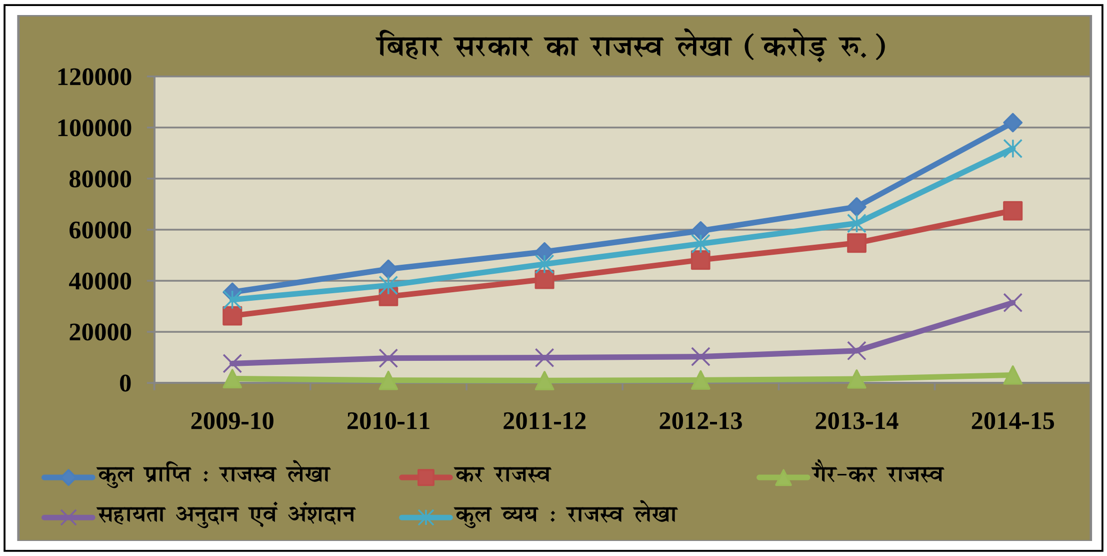


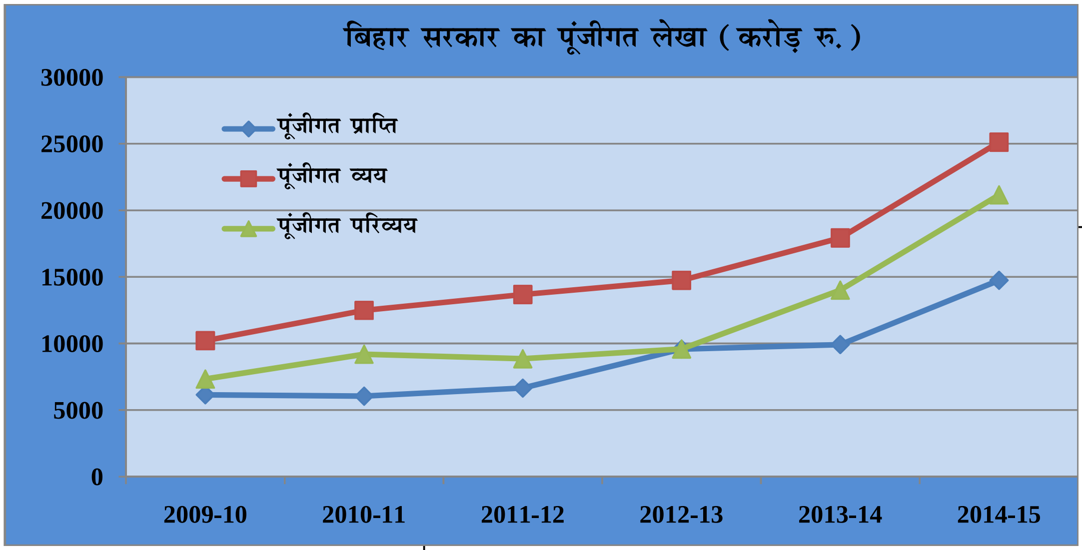


### 7.2 राजकोषीय प्रदर्शन

राजस्व घाटा राजस्व लेखे में और पूंजीगत अभिव्यक्त करता है। पारंपरिक घाटा राज्य बीजगणितीय जोड़ होता है। हालांकि इससे अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल संसाधन अंतराल (रिसोर्स गैप) वास्तविक रूप में नहीं व्यक्त होता है क्योंकि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत उधार की रकम भी शामिल रहती है। समग्र संसाधन अंतराल सकल राजकोषीय घाटे से व्यक्त होता है जिसकी भरपाई किसी न किसी प्रकार के उधार से करनी होती है। विगत तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण हेतु वर्तमान विश्लेषण में निम्नलिखित 8 सूचकों का उपयोग किया गया है :

(1) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात

(2) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात

(3) समूहित संवितरण (एॅग्रीगेट डिसबर्समेंट) के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात

(4) राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास राजस्व व्यय का अनुपात

(5) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात

(6) राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात

(7) समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का अनुपात

(8) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात

(1) <u>सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात</u> : इस अनुपात से पता चलता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी गौर किया गया है कि राज्य के राजस्व लेखे में गत कुछ वर्षों के दौरान प्रचुर अधिशेष थे, जिसके चलते राज्य सरकार पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाने सक्षम हो पाई। राजस्व अधिशेष 2012-13 के 5,101 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 6,442 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2013-14 में यह सकल राजकोषीय घाटे के 77 प्रतिशत के बराबर था जो 2012-13 के 78 प्रतिशत से कम है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कारण देश के अधिकांश बड़े राज्य आज राजस्व अधिशेष वाले राज्य हैं। गत तीन वर्षों के दौरान देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार के अलावा 10 अन्य राज्यों - झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ - के राजस्व लेखों में लगातार यथेष्ट अधिशेष था। अपने राजस्व लेखों में लगातार राजस्व अधिशेष बरकरार रखने में असफल रहे राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरल और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

(2) <u>सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात</u> : अपने राजस्व लेखों में सुधार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप बिहार में पूंजीगत परिव्यय का परिमाण गत तीन वर्षों में काफी अधिक रहा है। वर्ष 2012-13 में पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे का 1.5 गुना था और 2013-14 में 1.7 गुना। वर्ष 2014-15 में इस अनुपात का और भी बढ़कर 1.9 हो जाना अनुमानित है। बड़े राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और छत्तीसगढ़ ही पूंजी परिव्यय का ऐसा उच्च स्तर दर्ज करा सके।

(3) <u>समूहित संवितरण के साथ गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय का अनुपात</u> : मुख्यत: प्रशासनिक अथवा सामान्य सेवाओं के लिए होने वाले गैर-विकासमूलक व्यय का कुल व्यय में कम ही हिस्सा हो तो बेहतर है। बिहार में कुल व्यय में गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय का हिस्सा 2013-14 में 27.4

प्रतिशत था जो 2012-13 के 26.9 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। यह गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय को सीमित रखने में सफल रहे अधिकांश राज्यों के साथ तुलनीय है जिनके आंकड़े भी ऐसे ही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात 30 प्रतिशत से ऊपर है। वर्ष 2013-14 में केवल छत्तीसगढ़ ही अपने गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय का स्तर कुल व्यय के 20 प्रतिशत से नीचे बनाए रख सका।

(4) <u>राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय का अनुपात</u> : यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकास प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। बिहार में गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय द्वारा 2012-13 में कुल राजस्व प्राप्ति के 31.3 प्रतिशत भाग का उपयोग कर लिया जाता था। वर्ष 2013-14 में यह अनुपात उससे थोड़ा बढ़कर 32.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में अच्छा-खासा घटकर इसका 27.6 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। जहां 2013-14 में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में यह अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक था, वहीं केरल में काफी अधिक - 67 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था।

(5) <u>राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात</u> : अधिक ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश राज्यों की वित्तव्यवस्था के लिए ब्याज भुगतान स्थायी बोझ बने रहते हैं। हालांकि बिहार में 2004-05 से राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान पर खर्च होने वाला हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है। वर्ष 2012-13 में यह 8.6 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 में यह थोड़ा बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया था लेकिन वर्तमान वित्तवर्ष में इसके घटकर 7.6 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। वर्ष 2013-14 में झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में यह अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। उस वर्ष अनुपात सबसे अधिक 20.9 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में था।

(6) <u>राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात</u> : कुल व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज से उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार की अपनी कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां मिलकर उसके कुल राजस्व व्यय का मुश्किल से 24 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा कर पाती थीं। उसके बाद से इस अनुपात में सुधार हुआ है और 2013-14 में यह लगभग 31.9 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन वित्तीय आत्मनिर्भरता का वांछित स्तर हासिल कर पाना अभी दूर की बात है। अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति इस मामले में काफी अच्छी है। सात राज्य अपना 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व व्यय अपने राजस्व से पूरा करते हैं। जहां गुजरात ने भाग अपने संसाधनों से अपनी राजस्व

व्यय संबंधी जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत पूरा किया, वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक ने 60 प्रतिशत से अधिक भाग। अपने संसाधनों से अपनी राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों का एक-तिहाई (33 प्रतिशत) भाग भी पूरा नहीं कर सकने वाले राज्यों में बिहार के अतिरिक्त उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल हैं।

(7) <u>समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात</u> : यह अनुपात बाहरी संसाधनों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को सामने लाता है। बिहार के मामले में ऐसी निर्भरता हमेशा से काफी अधिक रही है। बिहार के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हमेशा ही केंद्रीय अंतरणों से पूरा हुआ है। हालांकि वर्ष 2007-08 के सर्वोच्च 72 प्रतिशत से गिरकर यह 2013-14 में यह 60 प्रतिशत रह गया था। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसका 64 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। किसी भी अन्य बड़े राज्य की केंद्र सरकार के अंतरणों पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं है। अन्य बड़े राज्यों में केवल झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वित्तपोषण केंद्रीय अंतरणों से होता है। अगर सिर्फ केंद्रीय अनुदानों पर विचार किया जाय, क्योंकि केंद्रीय करों में हिस्सा प्राप्त करना किसी भी स्थिति में राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, तो बिहार के समूहित संवितरणों में इसका हिस्सा 2012-13 और 2013-14, दोनो में लगभग 15 प्रतिशत था। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की निर्भरता का यह अधिक उपयुक्त सूचक है।

(8) <u>केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात</u> : वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले सकल अंतरणों का काफी बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता था। हालांकि बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और बेहतर ऋण प्रबंधन के कारण इस अनुपात को 2003-04 के 100 प्रतिशत से भी अधिक से घटाकर 2007-08 में मात्र 27 प्रतिशत के आसपास ले लाया गया। उसके बाद यह और भी घटा है - 2012-13 में 18.2 प्रतिशत और 2013-14 में 18.8 प्रतिशत और 2014-15 के बजट अनुमान में 14.1 प्रतिशत। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन देश के अनेक बड़े राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के मामले में 2013-14 में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक थी क्योंकि यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक था जो इंगित करता है कि संपूर्ण केंद्रीय अंतरण भी इन राज्यों की मौजूदा ऋण सेवा देनदारियों का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए इन राज्यों में ऋण सेवा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ी। इससे इन राज्यों के पास विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

**तालिका 7.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक**

| राज्य | क. राजस्व घाटा: सकल राजकोषीय घाटा (%) | | | ख. पूंजीगत परिव्यय: सकल राजकोषीय घाटा (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **-77.9** | **-77.2** | **-89.5** | **146.4** | **167.7** | **186.1** |
| झारखंड | -46.3 | -86.1 | -92.0 | 142.5 | 185.9 | 191.2 |
| पश्चिम बंगाल | 72.2 | 55.1 | 0.0 | 23.7 | 42.2 | 98.9 |
| उड़ीसा | 157606.2 | -36.3 | -11.4 | -155472.1 | 132.2 | 110.0 |
| उत्तर प्रदेश | -27.0 | -22.2 | -103.3 | 124.3 | 118.9 | 199.5 |
| मध्य प्रदेश | -78.9 | -59.1 | -33.4 | 122.4 | 107.0 | 105.3 |
| राजस्थान | -40.4 | 13.7 | -3.7 | 125.1 | 83.9 | 101.8 |
| महाराष्ट्र | -30.6 | 11.4 | 17.6 | 126.6 | 85.1 | 82.6 |
| गुजरात | -33.8 | -57.9 | -43.7 | 133.7 | 158.9 | 144.7 |
| पंजाब | 79.3 | 64.2 | 41.0 | 20.5 | 51.7 | 58.5 |
| हरियाणा | 42.8 | 48.7 | 43.9 | 55.5 | 46.9 | 50.3 |
| कर्नाटक | -13.0 | -0.4 | -1.4 | 106.5 | 98.7 | 99.5 |
| आंध्र प्रदेश | -6.4 | -4.2 | 50.3 | 86.5 | 86.9 | 58.6 |
| केरल | 62.3 | 47.2 | 49.4 | 30.7 | 44.8 | 46.0 |
| तमिलनाडु | -10.7 | -1.1 | -1.1 | 88.2 | 91.3 | 92.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 18.9 | 28.4 | 58.3 | 66.5 | 58.3 | 35.6 |
| छत्तीसगढ़ | -98.0 | -15.3 | -42.8 | 184.9 | 117.5 | 144.9 |

| राज्य | ग. गैर-विकास व्यय : समूहित संवितरण (%) | | | घ. गैर-विकास व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **26.9** | **27.4** | **24.1** | **31.3** | **32.0** | **27.6** |
| झारखंड | 28.8 | 25.8 | 23.3 | 35.0 | 30.0 | 26.7 |
| पश्चिम बंगाल | 32.3 | 28.9 | 28.5 | 52.5 | 49.7 | 42.2 |
| उड़ीसा | 27.6 | 29.3 | 28.3 | 29.7 | 34.2 | 34.2 |
| उत्तर प्रदेश | 37.9 | 36.1 | 31.1 | 45.3 | 43.2 | 37.7 |
| मध्य प्रदेश | 26.1 | 26.0 | 23.1 | 30.9 | 31.1 | 28.1 |
| राजस्थान | 25.5 | 24.1 | 20.5 | 31.0 | 31.2 | 25.4 |
| महाराष्ट्र | 29.9 | 29.1 | 30.3 | 34.4 | 36.3 | 38.0 |
| गुजरात | 23.9 | 23.4 | 27.1 | 31.3 | 29.7 | 33.7 |
| पंजाब | 33.7 | 31.6 | 30.8 | 59.6 | 52.4 | 50.6 |
| हरियाणा | 23.7 | 23.4 | 23.0 | 35.7 | 36.1 | 35.3 |
| कर्नाटक | 25.1 | 26.1 | 26.3 | 31.0 | 32.2 | 32.6 |
| आंध्र प्रदेश | 25.7 | 25.1 | 27.3 | 32.0 | 31.7 | 33.1 |
| केरल | 43.2 | 41.2 | 38.8 | 64.1 | 67.3 | 67.8 |
| तमिलनाडु | 33.6 | 32.7 | 33.6 | 41.3 | 40.7 | 42.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 31.9 | 33.2 | 34.1 | 42.5 | 43.7 | 48.8 |
| छत्तीसगढ़ | 21.6 | 19.8 | 17.0 | 25.4 | 23.9 | 19.6 |

| राज्य | च. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%) | | | छ. राज्य का राजस्व : राजस्व व्यय (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **8.6** | **9.4** | **7.6** | **29.8** | **31.9** | **28.0** |
| झारखंड | 10.2 | 8.3 | 6.9 | 35.0 | 34.2 | 29.9 |
| पश्चिम बंगाल | 21.5 | 20.9 | 20.6 | 40.0 | 42.0 | 42.9 |
| उड़ीसा | 8.6 | 10.1 | 8.5 | 39.3 | 33.1 | 31.6 |
| उत्तर प्रदेश | 17.9 | 15.2 | 13.5 | 41.3 | 41.5 | 41.0 |
| मध्य प्रदेश | 8.9 | 8.6 | 7.0 | 48.6 | 46.1 | 39.4 |
| राजस्थान | 13.1 | 11.5 | 9.9 | 48.1 | 43.2 | 38.6 |
| महाराष्ट्र | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 74.6 | 68.4 | 67.6 |
| गुजरात | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 77.3 | 79.7 | 71.9 |
| पंजाब | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 57.2 | 58.5 | 57.9 |
| हरियाणा | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 61.9 | 56.3 | 57.6 |
| कर्नाटक | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 70.5 | 65.3 | 63.1 |
| आंध्र प्रदेश | 12.0 | 12.1 | 10.4 | 58.3 | 57.2 | 38.1 |
| केरल | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 56.2 | 58.1 | 59.0 |
| तमिलनाडु | 11.3 | 10.9 | 11.9 | 73.4 | 71.5 | 72.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 28.6 | 27.5 | 27.0 |
| छत्तीसगढ़ | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 49.0 | 43.7 | 39.9 |

| राज्य | ज. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%) | | | झ. ऋण सेवा : सकल अंतरण (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **61.7** | **59.7** | **64.2** | **18.2** | **18.8** | **14.1** |
| झारखंड | 44.2 | 47.8 | 53.6 | 34.4 | 23.8 | 17.6 |
| पश्चिम बंगाल | 31.6 | 29.8 | 38.6 | 116.8 | 133.5 | 94.5 |
| उड़ीसा | 45.0 | 47.7 | 49.3 | 30.5 | 26.8 | 22.0 |
| उत्तर प्रदेश | 43.1 | 45.0 | 47.5 | 45.4 | 36.1 | 35.3 |
| मध्य प्रदेश | 41.2 | 41.6 | 47.9 | 26.6 | 25.9 | 26.7 |
| राजस्थान | 30.1 | 30.3 | 39.9 | 53.3 | 43.8 | 29.4 |
| महाराष्ट्र | 18.4 | 19.3 | 19.0 | 90.4 | 90.2 | 93.0 |
| गुजरात | 16.2 | 16.7 | 21.7 | 117.4 | 108.8 | 79.7 |
| पंजाब | 12.4 | 15.6 | 19.1 | 311.0 | 234.2 | 189.6 |
| हरियाणा | 10.8 | 16.0 | 16.1 | 206.4 | 166.6 | 181.3 |
| कर्नाटक | 22.6 | 25.9 | 27.8 | 48.4 | 38.6 | 44.1 |
| आंध्र प्रदेश | 22.5 | 26.4 | 41.7 | 68.7 | 56.1 | 34.2 |
| केरल | 16.8 | 19.3 | 18.4 | 96.1 | 105.2 | 138.5 |
| तमिलनाडु | 18.4 | 18.8 | 18.2 | 71.5 | 68.8 | 77.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 46.8 | 47.7 | 41.6 | 46.1 | 42.3 | 43.3 |
| छत्तीसगढ़ | 33.7 | 34.6 | 43.0 | 20.4 | 15.4 | 13.1 |

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

## चार्ट 7.2

बिहार के राजकोषीय पैरामीटर के चार्ट

(इन चार्टों में सभी अनुपात प्रतिशत में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़े 2014-15 के बजट अनुमानों के हैं। अन्य सारे वर्षों के आंकड़े लेखों से लिए गए हैं।)

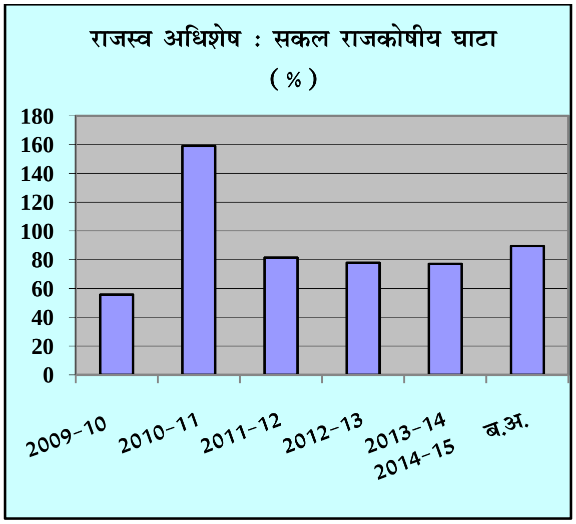


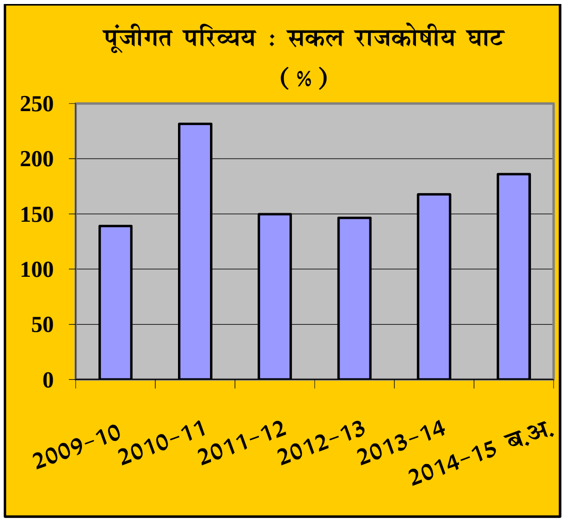


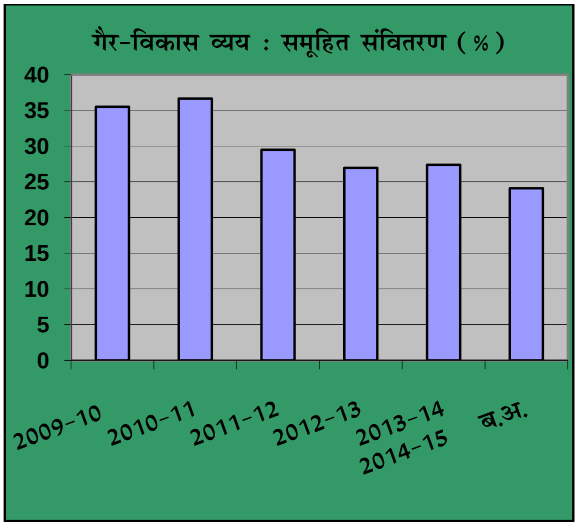


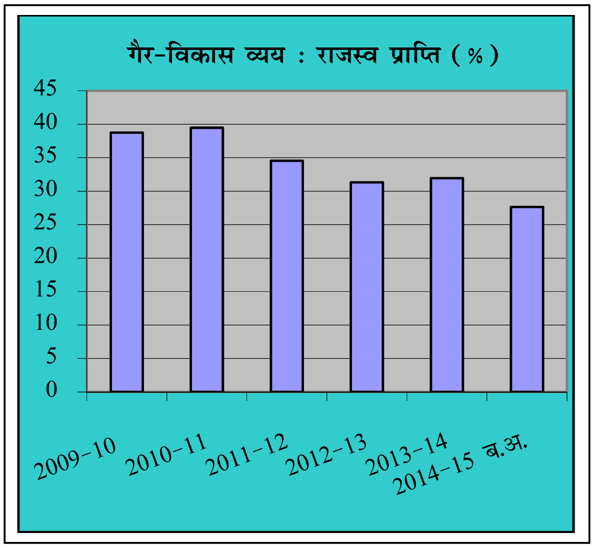


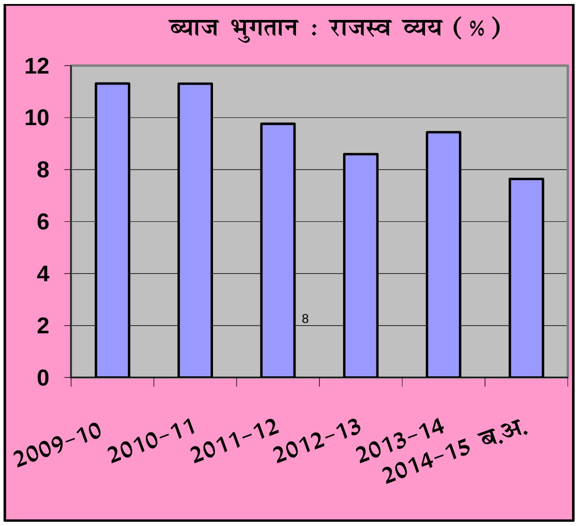


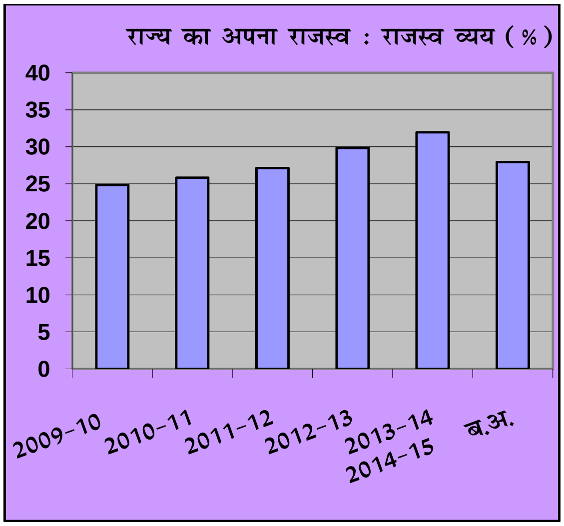

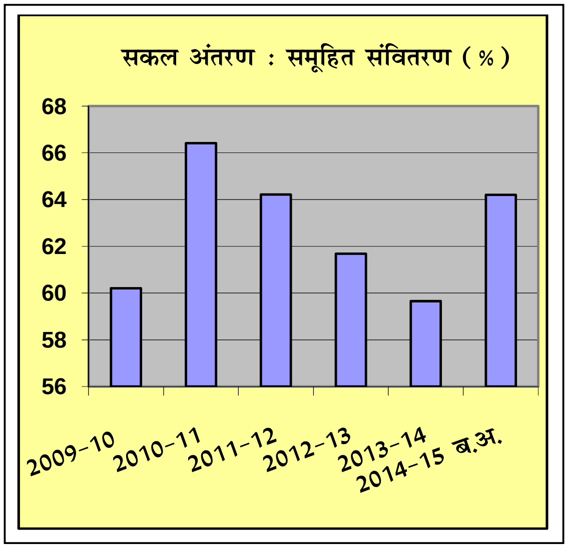


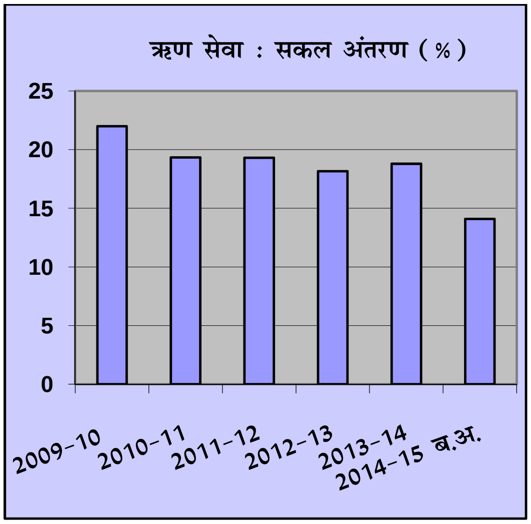


<u>राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता</u>

पूर्ववर्ती विश्लेषण का विस्तार उन कारकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो राज्य को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाते हैं और उसकी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। तब यह जानना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं, अर्थात वे ऋण भार में प्रचुर वृद्धि किए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करते हैं या नहीं। दूसरे, वित्तपोषण के साधनों के लचीलापन की जांच करना भी प्रासंगिक होगा कि वे राजस्व बढ़ाकर पूरे किए जाते हैं या ऋण लेकर। साथ ही, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि गतिविधियों का बढ़ा हुआ स्तर राज्य के लिए अधिक जोखिम तो नहीं पैदा करता है और उसे वित्तपोषण के स्रोतों के समक्ष असुरक्षित तो नहीं बना देता है। राज्य सरकारें अपनी गतिविधियों का स्तर मुख्यत: पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बढ़ाती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में बदल जाती हैं। इस लिहाज से मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि गैर-योजना व्यय गतिविधियों के मौजूदा स्तर के रखरखाव को अभिव्यक्त करता है जबकि योजना व्यय में गतिविधियों के स्तर का विस्तार निहित होता है। राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता को मापने वाले कुछ कारक तालिका 7.3 में प्रस्तुत किए गए हैं और उन पर नीचे चर्चा की गई है।

(i) <u>वर्तमान राजस्व शेष</u> (बीसीआर) : इसकी गणना राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों, केंद्रीय करों में हिस्से तथा गैर-योजना अनुदानों के योगफल में से गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। वर्तमान राजस्व शेष का सकारात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व में योजना व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष धनराशि मौजूद है। बिहार में वर्तमान राजस्व प्रचुर सकारात्मक रहा है जिसमें विगत 6 वर्षों से लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 2010-11 के 9,442 करोड़ रु. से बढ़कर यह 2013-14 में 16,245 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसके और भी बढ़कर 17,408 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

(ii) <u>ब्याज अनुपात</u> : इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्तियों के अंतर से भाग देकर की जाती है। इसका ऊंचा अनुपात ताजा अपनी राजस्व प्राप्तियों से नए ऋण सेवा तथा अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की कमजोर क्षमता की ओर संकेत

करता है। बिहार के लिए यह अनुपात लगातार गिरता रहा है। वर्ष 2010-11 में 11.8 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार इसे गिरकर 9.07 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है।

(iii) <u>पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां</u> : यह अनुपात बताता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जा रहा है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक रूप में टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में बिहार का अनुपात 220 प्रतिशत के स्वस्थ आंकड़े पर था और 2007-08 में यह अनुपात और भी अधिक - 373 प्रतिशत। उसके बाद 2010-11 में इसके 152 प्रतिशत तक पहुंचने के पहले दो वर्षों तक इसमें गिरावट आई। वर्ष 2013-14 के अंत में यह अनुपात 141 प्रतिशत था और वर्तमान वित्तवर्ष में इसका बढ़कर 144 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। इस प्रकार राज्य सरकार की संपूर्ण पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पूंजीगत परिव्यय हेतु हो रहा है और परिव्यय के एक हिस्से का वित्तपोषण राजस्व लेखे के अधिशेष से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 2005-06 के पूर्व यह अनुपात 20 प्रतिशत से भी नीचे रहा करता था जिसका मुख्य कारण उच्च ऋण सेवा भुगतान होता था।

(iv) <u>राज्य की अपनी कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद</u> : यह राज्य के कर प्रयासों और उसकी कर क्षमता के बीच अंतराल का एक महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात से निम्न कर अनुपालन (टैक्स कंप्लाएंस) का भी पता चलता है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपनी कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 2008-09 तक 4 प्रतिशत के आसपास गतिरुद्ध रहा था। उसके बाद यह बढ़कर 2011-12 में लगभग 5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 में अनुपात और सुधरकर 5.8 प्रतिशत हो गया। चूंकि यह अनुपात अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है इसलिए राज्य की कर संभावना के दोहन की अभी काफी गुंजाइश है। वर्तमान वित्तवर्ष में इसका 6.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाना अनुमानित है।

(v) <u>बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद</u> : यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य सरकार कहीं ऋण फांस में तो नहीं जकड़ गई है जिससे अपने बूते निकल पाना उसके लिए संभव नहीं है। उच्च अनुपात से राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और लचीलापन की कमी व्यक्त होती है। यहां गौरतलब है कि 2009-10 में कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.7 प्रतिशत था जो 2013-14 में घटकर मात्र 18.7 प्रतिशत रह गया है। इस ऋण भार के सुस्थिर होने के कारण बिहार इस मामले में सुरक्षित स्थिति में है।

(vi) <u>पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण</u> : यह अनुपात बताता है कि किस हद तक पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण हेतु नहीं किया जा सका। उच्च अनुपात से पता चलता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के अधिक हिस्से का उपयोग अतिरिक्त परिसंपत्ति निर्माण की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर पूंजीगत अदायगी के लिए किया गया है। बिहार के लिए यह अनुपात 2010-11 के 54.6 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 39.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसके और भी गिरकर मात्र 27 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

(vii) <u>प्राथमिक घाटा</u> : इसे सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इससे अतीत की देनदारियों पर विचार किए बिना, जिसके लिए अभी ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों के प्रभाव की माप होती है। ऋण की दीर्घकालिक सुस्थिरता की आवश्यक शर्त यह है कि प्राथमिक लेखे में घाटा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2008-09 में बिहार में 1,246 करोड़ रु.

का प्राथमिक अधिशेष था लेकिन उसके बाद से 2010-11 को छोड़कर, जिसमें 349 करोड़ रु. का मामूली अधिशेष मौजूद था, बिहार अपने प्राथमिक लेखे में अधिशेष कायम नहीं कर सका है। वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटा 2,892 करोड़ रु. था जिसके 2014-15 में और भी बढ़कर 4,787 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। यह चिंता की बात बना हुआ है।

(viii) <u>राज्य के कर और गैर-कर राजस्वों में उत्फुल्लता</u> : राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता (बायोएंसी) में काफी उतार-चढ़ाव दिखता है - 2010-11 में 0.9 से लेकर 2013-14 में 1.4 तक। गैर-कर राजस्व के मामले में उत्फुल्लता इस अवधि में (-)1.6 प्रतिशत से लेकर 2.3 तक रही है। वर्ष 2010-11 में गैर-कर राजस्व में नकारात्मक उत्फुल्लता बाहरवें वित्त आयोग की अवधि में अर्थात 2009-10 तक उपलब्ध ऋण राहत के समाप्त होने के कारण थी। वर्ष 2011-12 में उत्फुल्लता राज्य को 2009-10 में मिली ऋण राहत में से 384 करोड़ रु. की वसूली होने के कारण पुन: नकारात्मक हो गई। गैर-कर राजस्व के मामले में ऐसे उत्फुल्लता अनुपात बहुत सार्थक नहीं होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कभी-कभार होने वाले एकमुश्त अंतरण को गैर-कर राजस्व समझा जाता है।

**तालिका 7.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक**

| सूचक | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. सुस्थिरता ( सस्टेनेबलिटी )** | | | | | |
| वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.) | 9442 | 9987 | 14128 | 16245 | 17408 |
| ब्याज अनुपात (%) | 11.80 | 9.13 | 8.67 | 9.26 | 9.07 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.4 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता | -1.6 | -0.5 | 1.3 | 2.3 | 8.4 |
| बकाया देनदारियों में वृद्धि (%) | 8.8 | 7.8 | 12.7 | 11.8 | 17.4 |
| कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (%) | 25.3 | 15.2 | 16.1 | 15.7 | 47.9 |
| राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (%) | 11.2 | 24.4 | 28.8 | 23.7 | 33.6 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (%) | 24.9 | 19.5 | 21.7 | 15.8 | 11.9 |
| **ख. लचीलापन ( फ्लेक्सिबलिटी )** | | | | | |
| ब्याज अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण (%) | 54.6 | 72.9 | 54.0 | 39.6 | 27.0 |
| कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 16.0 | 17.6 |
| पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां (%) | 152.1 | 133.1 | 100.1 | 141.1 | 143.5 |
| राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.7 |
| राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| बकाया देनदारी/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 23.23 | 20.96 | 19.41 | 18.73 | 19.66 |
| **ग. सुभेद्यता ( वल्नरेबलिटी )** | | | | | |
| राजस्व घाटा (करोड़ रु.) | -6316 | -4820 | -5101 | -6442 | -10175 |
| राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.) | 3970 | 5915 | 6545 | 8351 | 11368 |
| प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.) | -349 | 1611 | 2117 | 2892 | 4787 |
| प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%) | -8.8 | 27.2 | 32.3 | 34.6 | 42.1 |
| राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%) | -159.1 | -81.5 | -77.9 | -77.2 | -89.5 |

सारांश रूप में गौरतलब है कि जहां सारे प्रमुख सूचक गत हाल के वर्षों में राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार का संकेत देते हैं, वहीं चिंता के कुछ क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं। उदाहरणस्वरूप, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां बकाया देनदारियों की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ती रही हैं लेकिन प्राथमिक लेखा अभी भी घाटा दिख रहा है।

बेहतर ऋण प्रबंधन के जरिए राज्य सरकार ने गत वर्षों के दौरान अधिक लचीलापन हासिल किया और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं और भौतिक अधिसंरचना के स्तर में सुधार हेतु अपने संसाधनों को लगा पाने के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में रही। हालांकि सुभेद्यता के मामले में देखें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय धनराशियों पर अत्यधिक निर्भर है। इस निर्भरता में कमी की जा सकती है क्योंकि अभी भी अपना कर राजस्व बढ़ाने की अदोहित संभावना मौजूद है। इस बात को महसूस करना भी जरूरी है कि राज्य की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और आंतरिक ढांचागत कमजोरियों और नियंत्रण के बाहर वैश्विक अर्थव्यवस्था की वाह्यता से पीड़ित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के प्रबंधन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

### 7.3 घाटा प्रबंधन

तालिका 7.4 में 2012-13 से 2014-15 (बजट अनुमान) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों और राजस्व एवं पूंजी लेखों की संयुक्त स्थिति प्रस्तुत की गई है। आर्थिक सुस्ती के कारण 2010-11 के बाद से बिहार के राजस्व अधिशेष में गिरावट आ गई थी जिससे उबरते हुए उसके राजस्व लेखे में राजस्व अधिशेष 6,442 करोड़ रु. के सर्वोच्च स्तर पर 2013-14 में पहुंचा। वर्ष 2013-14 में राजस्व अधिशेष में इस संतोषजनक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वित्तवर्ष में काफी सुधार संभावित है जब राज्य सरकार से 10,174 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष सृजित किए जाने की आशा है। उच्च पूंजीगत परिव्यय के कारण सकल राजकोषीय घाटे की स्थिति 2010-11 से खराब होती जा रही थी और 2013-14 में उसमें कोई सुधार नहीं दिखा। वस्तुतः, 2013-14 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2012-13 के 6,545 करोड़ रु. से लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर 8,351 करोड़ रु. हो गया। वर्तमान वित्तवर्ष में भी पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण सकल राजकोषीय घाटा के 36 प्रतिशत बढ़कर 11,368 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। यह सामाजिक और भौतिक अधिसंरचनाओं पर निवेश बढ़ाने की राज्य सरकार की संकल्पबद्ध नीति के अनुरूप ही है। सारे राज्य आर्थिक सुस्ती की परिघटना से उत्पन्न लगभग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। अपने राजस्व लेखों में घाटा वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है जहां राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रु. से भी अधिक है। राजस्व घाटा वाले अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश हैं। अधिकांश राज्यों के बजट में पारंपरिक घाटा दिखा जो 2013-14 में उधार लेने की जरूरत दर्शाता था।

## तालिका 7.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

| राज्य | राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-) | | | पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **-5100.9** | **-6444.2** | **-10174.0** | **60.9** | **1561.6** | **203.4** |
| झारखंड | -1371.7 | -2902.0 | -3956.0 | 44.5 | -712.2 | -613.3 |
| पश्चिम बंगाल | 13815.1 | 12069.2 | 0.0 | 997.1 | 1769.1 | -7843.1 |
| उड़ीसा | -5699.4 | -2152.3 | -1120.1 | 1296.7 | 2559.5 | 2056.6 |
| उत्तर प्रदेश | -5180.4 | -5616.8 | -28993.9 | 12267.9 | 2233.7 | -713.7 |
| मध्य प्रदेश | -7458.7 | -6873.8 | -4479.4 | 4213.1 | 878.6 | 2649.5 |
| राजस्थान | -3451.2 | 2505.1 | -737.5 | 3294.3 | 8029.8 | 6121.6 |
| महाराष्ट्र | -4211.3 | 3017.2 | 5417.3 | -1332.8 | 7390.1 | 8748.2 |
| गुजरात | -5570.0 | -9418.5 | -7697.4 | 3531.2 | 2488.0 | 2066.5 |
| पंजाब | 7406.8 | 5259.1 | 4252.6 | 2295.3 | 996.5 | 1840.9 |
| हरियाणा | 4438.2 | 5612.9 | 5012.6 | 1099.7 | 1898.5 | 278.1 |
| कर्नाटक | -1883.0 | -64.6 | -281.3 | 4769.6 | 3790.2 | 1759.6 |
| आंध्र प्रदेश | -1127.9 | -1022.8 | 6063.6 | 1874.2 | -116.1 | 2318.8 |
| केरल | 9350.7 | 6209.1 | 7131.7 | 4544.7 | 1297.1 | 676.7 |
| तमिलनाडु | -1760.3 | -244.3 | -289.4 | 313.9 | 2879.1 | 2213.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 576.2 | 941.4 | 3261.5 | 1800.9 | 1517.4 | 3472.4 |
| छत्तीसगढ़ | -2606.2 | -782.0 | -2463.5 | 1637.5 | 978.3 | 549.4 |

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

## चार्ट 3

(2013-14 के आंकड़े बजट अनुमान ही दर्शाते हैं)

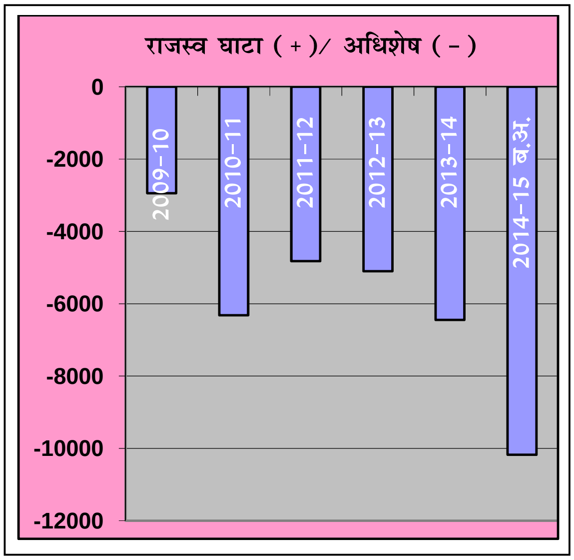


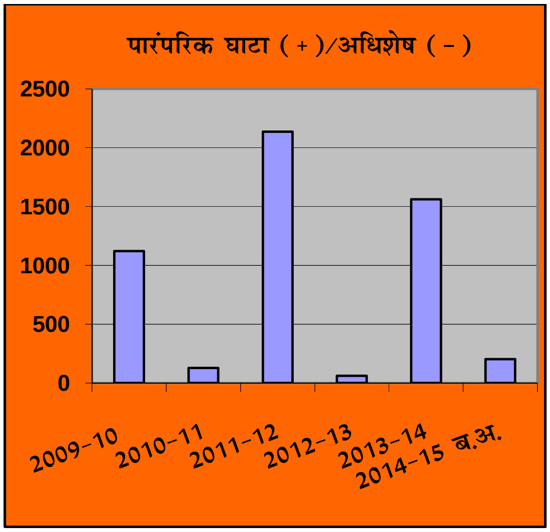

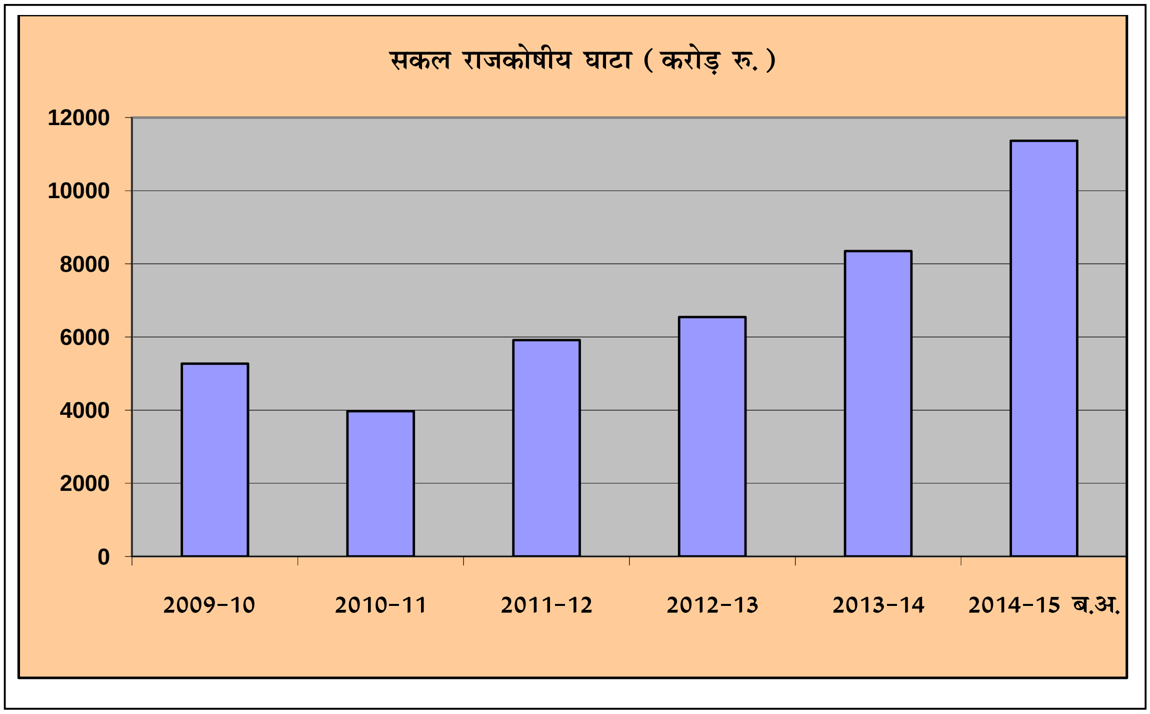


किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक संवेदनशील सूचक होता है क्योंकि यह कुल संसाधन अंतराल को व्यक्त करता है। तालिका 7.5 में देश के अधिकांश प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार का सकल राजकोषीय घाटा उच्च पूंजी निवेश के कारण गत तीन वर्षों में तेजी से बढ़ा है और 2014-15 के बजट अनुमान में इसका अब तक के सर्वोच्च स्तर 11,368 करोड़ रु. पहुंच जाना अनुमानित है। हालांकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 2012-13 और 2013-14 में यह एफआरबीएम अधिनियम, 2006 द्वारा अधिदेशित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के पर्याप्त नीचे था। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान इसके 3 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच जाने का अनुमान है। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें, तो वर्ष 2013-14 में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का राजकोषीय घाटा काफी अधिक था - 10,000 करोड़ रु. से भी अधिक। वर्ष 2013-14 में किसी राज्य में राजकोषीय अधिशेष मौजूद नहीं था।

**तालिका 7.5 : सकल राजकोषीय घाटा**

| राज्य | सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.) | | |
|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| **बिहार** | **6545** | **8351** | **11368** |
| झारखंड | 2960 | 3372 | 4300 |
| पश्चिम बंगाल | 19147 | 21893 | 15290 |
| उड़ीसा | -4 | 5923 | 9856 |
| उत्तर प्रदेश | 19179 | 25277 | 28065 |
| मध्य प्रदेश | 9454 | 11629 | 13425 |
| राजस्थान | 8543 | 18309 | 20194 |
| महाराष्ट्र | 13740 | 26563 | 30784 |
| गुजरात | 16492 | 16275 | 17612 |
| पंजाब | 9346 | 8189 | 10373 |
| हरियाणा | 10373 | 11535 | 11419 |
| कर्नाटक | 14540 | 18018 | 20116 |
| आंध्र प्रदेश | 17508 | 24487 | 12064 |
| केरल | 15017 | 13164 | 14424 |
| तमिलनाडु | 16519 | 21643 | 25714 |
| हिमाचल प्रदेश | 3055 | 3315 | 5595 |
| छत्तीसगढ़ | 2660 | 5103 | 5761 |

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 7.6 में बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है जिसमें दिखता है कि सकल राजकोषीय घाटे में पूंजीगत परिव्यय का उचित ही अधिकांश योगदान था। यह बात 2009-10 से 2013-14 तक के लिए सच है, खास कर हाल के वर्षों में तो और भी अधिक। यह तथ्य कि राजस्व अधिशेष को खाली करने के बाद पूंजीगत अधिशेष लगभग पूरे राजकोषीय घाटे के लिए जवाबदेह है, यह इंगित करता है कि बिहार में इसका उपयोग अत्यंत जरूरी भौतिक अधिसंरचनाओं के निर्माण में हो रहा है। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में निवल ऋणप्रदान का हिस्सा हमेशा ही बहुत कम रहा है। बिहार में पूंजीगत परिव्यय विगत 6 वर्षों के दौरान 23.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

**तालिका 7.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व घाटा | -2943 | -6316 | -4820 | -5101 | -6442 | -10174 |
| पूंजीगत परिव्यय | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| निवल ऋण-प्रदान | 884 | 1091 | 1884 | 2061 | 792 | 391 |
| **सकल राजकोषीय घाटा** | **5272** | **3970** | **5915** | **6545** | **8351** | **11367** |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 162923 | 203555 | 243269 | 296153 | 343054 | 383709 |
| **सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)** | **3.24** | **1.95** | **2.43** | **2.21** | **2.43** | **2.96** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 7.4

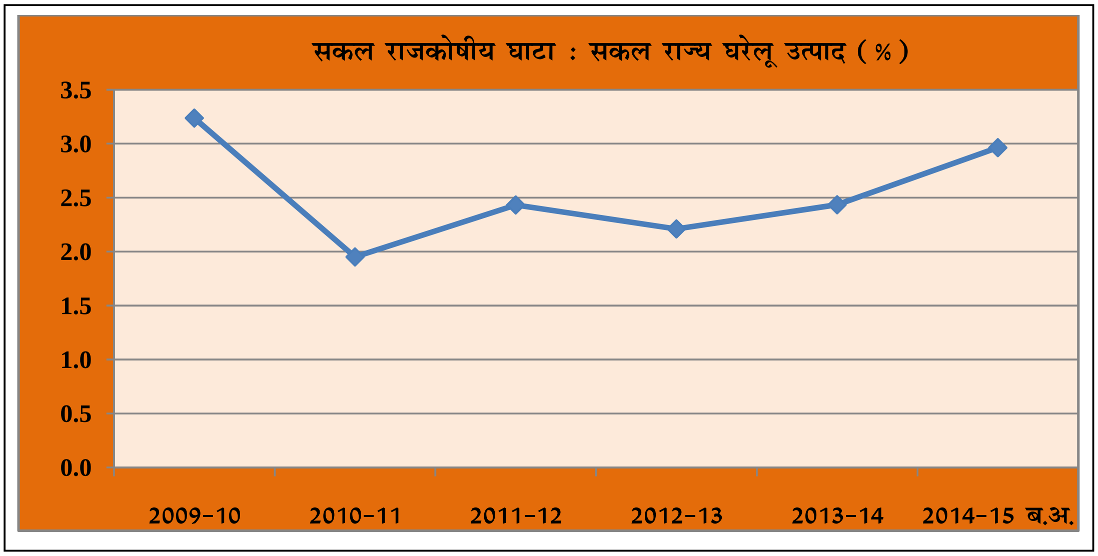


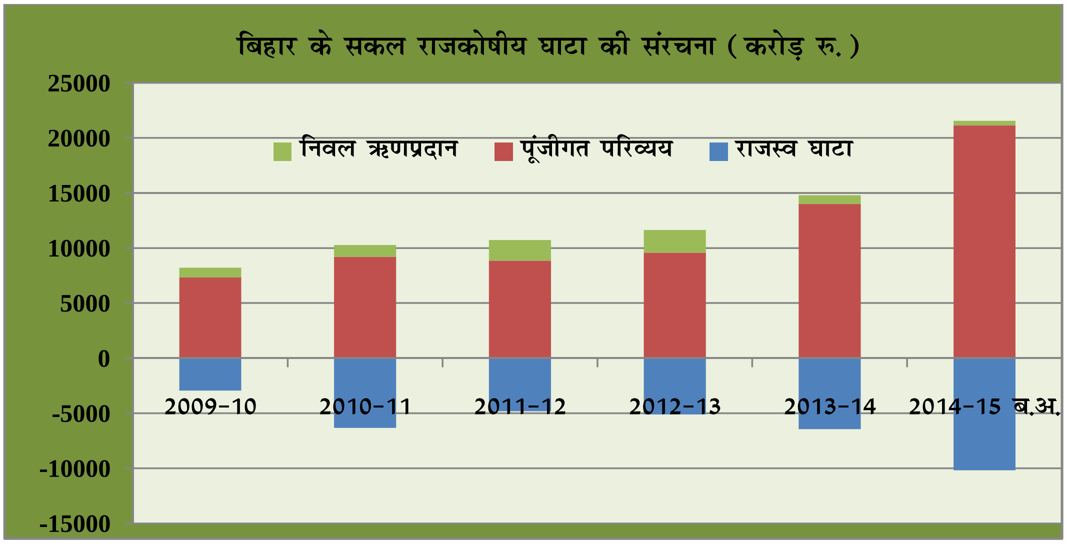


तालिका 7.7 में दर्शाया गया है कि इन सभी वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण किस तरह किया गया। निवल ऋणग्रहण में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। कुल ऋणग्रहण में केंद्रीय ऋण का बहुत छोटा हिस्सा था। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण अब लगभग पूरी तरह आंतरिक बाजार से ऋण से होता है। वर्ष 2013-14 में 81.3 प्रतिशत सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण निवल ऋणग्रहण से हुआ। लोक लेखा का निवल उद्भवन (एक्रुअल), जो अब राज्य सरकार के नगद शेष का अंग है, सकल राजकोषीय घाटे के 19.2 प्रतिशत के बराबर हो गया जिसके कारण नगद शेष में सकल राजकोषीय घाटा के 0.5 प्रतिशत के बराबर वृद्धि हुई। नगद शेष में वृद्धि यह भी दर्शाती है कि राज्य सरकार को 41 करोड़ रु. (सकल राजकोषीय घाटा का 0.5 प्रतिशत) उधार लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सही वक्त से नगद शेष की उपलब्धता से उधारी की जरूरतों की पूर्ति के लिए उच्चस्तरीय कंप्यूटरीकरण वांछित है। ऐसा हो जाने पर कोषागार, वित्त विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सूचना के आदान-प्रदान से सुनिश्चित हो जाएगा कि जब राज्य सरकार के पास कुल नगद शेष मौजूद है, तो उसे अनावश्यक ऋण लेने की जरूरत नहीं है।

तालिका 7.7 : बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निवल ऋणग्रहण | 4151 | 3842 | 3706 | 6484 | 6788 | 11164 |
| निवल लोक लेखा | -675 | 2238 | 2469 | 343 | 1606 | 395 |
| नगद शेष में निवल कमी (आरंभिक शेष - अंतिम शेष) | 1796 | -2110 | -333 | -281 | -42 | -191 |
| **सकल राजकोषीय घाटा** | **5272** | **3970** | **5915*** | **6545** | **8351** | **11368** |
| **प्रतिशत संरचना** | | | | | | |
| निवल ऋणग्रहण | 78.7 | 96.8 | 62.6 | 99.1 | 81.3 | 98.2 |
| निवल लोक लेखा | -18.4 | 56.4 | 41.7 | 5.2 | 19.2 | 3.5 |
| नगद शेष में निवल कमी | 34.1 | -53.1 | -5.6 | -4.3 | -0.5 | -1.7 |

टिप्पणी : * 74 करोड़ रु. अंतर-राज्य निपटारे के तहत प्राप्त

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 7.5

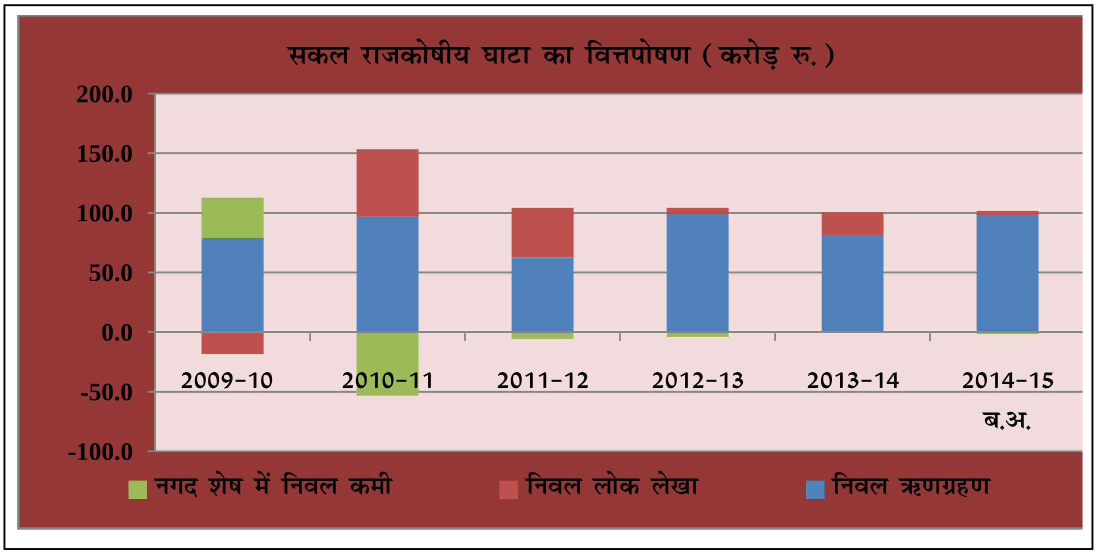


नगद प्रबंधन

31 मार्च 2014 को राज्य सरकार का नगद शेष 6,156 करोड़ रु. था जबकि 31 मार्च 2013 को 3,716 करोड़ रु.। इसमें से 4,039 करोड़ का निवेश नगद शेष निवेश लेखा में किया गया, 230 करोड़ रु. का भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहे कोषागार विपत्रों में किया गया, 178 करोड़ रु. लोक निर्माण और वन विभागों में विभागीय अधिकारियों के पास नगद के रूप में मौजूद थे, 341 करोड़ रु. विभिन्न विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम के बतौर रखे थे और 1,368 करोड़ रु. का परिशोधन निधि (सिंकिंग फंड) जैसे चिन्हित कोषों में निवेश किया गया था। साल के दौरान राज्य सरकार के निवेशों पर 233 करोड़ रु. ब्याज के बतौर प्राप्त हुए।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जमानतें

वर्ष 2013-14 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त गारंटी 1,090 करोड़ रु. (कुल राजस्व प्राप्ति का 1.6 प्रतिशत) थी। इसमें से 500 करोड़ रु. बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के ऋण के लिए,

195 करोड़ रु. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए और 127 करोड़ रु. बिहार राज्य वित्त निगम के बरअक्स दी गई थी। इसके अलावा, ऋण सहकारी समितियों और आवासीय सहयोग समितियों को मिलाकर 169 करोड़ रु. की गारंटी दी गई थी। विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ने के कारण किसी भावी संभावित देनदारी की अदायगी के लिए बाहरवें वित्त आयोग के सुझाव के अनुरूप राज्य में कोई गारंटी प्रतिदान कोष (रिडेंप्शन फंड) स्थापित नहीं किया गया है। विगत दो वर्षों में कुल बकाया जमानतें व्यवहार में लगभग समान रहीं। पूरे वर्ष में बकाया जमानतों पर 112 करोड़ रु. ब्याज हुआ।

### 7.4 ऋण प्रबंधन

तालिका 7.8 में राज्य सरकार की 2009-10 से 2013-14 तक की बकाया ऋण देनदारियों को (जमानतों को छोड़कर) दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया देनदारियों का प्रतिशत लगातार घटा और 2009-10 के 36 प्रतिशत से 2013-14 में 25 प्रतिशत रह गया।

**तालिका 7.8 : बकाया देनदारियां**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **लोक ऋण** | | | | | | |
| आंतरिक ऋण | 35494 | 39020 | 42365 | 48826 | 55624 | 65529 |
| केंद्रीय ऋण | 7948 | 8264 | 8626 | 8649 | 8638 | 9888 |
| **योग** | **43442** | **47285** | **50990** | **57474** | **64262** | **75417** |
| **अन्य देनदारियां** | | | | | | |
| लघु बचतें, भविष्य निधि आदि | 9311 | 9563 | 9561 | 9346 | 9048 | 9284 |
| आरक्षित निधियां | 1183 | 1207 | 1543 | 1819 | 2081 | 2081 |
| जमा राशियां एवं अग्रिम | 4754 | 4803 | 5717 | 7865 | 11548 | 11502 |
| **योग** | **15247** | **15573** | **16821** | **19029** | **22677** | **22867** |
| **योग (लोक ऋण + अन्य देनदारियां)** | **58690** | **62858** | **67812** | **76504** | **86939** | **98284** |
| बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 36 | 31 | 28 | 26 | 25 | 26 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 7.8 में देखा जा सकता है कि 2013-14 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 86,939 करोड़ रु. पहुंच गई जिसमें से 74 प्रतिशत देनदारी संचित निधि में होने वाली उधारियों के लिए लोक ऋण संबंधी देनदारी है। यह आंकड़ा विगत ऋणग्रहण का संचित प्रभाव है जो 2009-10 से लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। लोक ऋण संबंधी देनदारी भी 2008-09 से 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ती रही है। तालिका 7.8 यह भी दर्शाती है कि इस बकाया लोक ऋण में 87 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और शेष 13 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से मिले ऋणों का। केंद्रीय ऋणों का हिस्सा क्रमशः घटते जाने के साथ बकाया ऋणों की संरचना में विगत वर्षों के दौरान ढांचागत परिवर्तन हुआ है। ऐसा मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कारण हुआ है। आने वाले वर्षों में केंद्रीय ऋण संभवतः राज्य सरकार के ऋण पोर्टफोलियो का अंग नहीं रह जाएगा।

राज्य सरकार की कुल देनदारी में अच्छा-खासा हिस्सा लोक लेखा के ऋणों का होता है हालांकि शब्द के वास्तविक अर्थ में यह ऋण नहीं होता है। लेकिन इन संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अवश्य किया

जाता है और राज्य के नगद शेष का अंग रहे इन लेखों में संचित राशि को वापस करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। गौरतलब है कि आरक्षित निधियों और जमाराशियों एवं अग्रिमों के तहत कुछ देनदारियां ब्याजरहित होती होंगी क्योंकि राज्य सरकार के पास इनमें विश्वास वश रकम रखी जाती है। पहले ही बताया गया है कि राज्य सरकार की आंतरिक उधारियों में राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अच्छा-खासा योगदान रहता है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने आंतरिक उधारियों से 9,357 करोड़ रु. प्राप्त किए थे जिसमें से 1,387 करोड़ रु. राष्ट्रीय लघु बचत कोष से, 6,500 करोड़ रु. बाजार से और 1,471 करोड़ रु. वित्तीय संस्थाओं से उधार ली गई थी। राज्य सरकार ने 2013-14 में भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के बतौर कोई रकम नही प्राप्त की थी। राज्य योजना की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 550 करोड़ रु. उधार लिए गए थे। 31 मार्च, 2014 को राज्य सरकार की संचित निधि के तहत बकाया देनदारियों की संरचना तालिका 7.9 में दर्शाई गई है। तालिका में स्पष्ट दिखता है कि राज्य सरकार के कुल बकाया आंतरिक ऋण में 36 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय लघु बचत कोष का और 56 प्रतिशत हिस्सा बाजार के ऋण का था। लगभग पूरा बकाया केंद्रीय ऋण राज्य योजना की योजनाओं के लिए लिए गए हैं।

**तालिका 7.9 : संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना**

| उधारियों की प्रकृति | बकाया रकम | | 2013 से 2014 में प्रतिशत वृद्धि | 31.03.14 को बकाया ऋण की प्रतिशत संरचना |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2013 (करोड़ रु.) | 31.03.2014 (करोड़ रु.) | | |
| **क. आंतरिक ऋण, जिसमें** | **48,826** | **55,624** | **13.9** | **86.6** |
| बाजार के ऋण | 25,938 | 31,285 | 20.6 | 48.7 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| बांड | 642 | 434 | -32.4 | 0.7 |
| वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 3,113 | 414 | -86.7 | 0.6 |
| राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 19,125 | 19,756 | 3.3 | 30.7 |
| अन्य | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| **ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम, जिसमें** | **8,649** | **8,638** | **-0.1** | **13.4** |
| गैर-योजना ऋण | 62 | 59 | -4.8 | 0.1 |
| राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 8,540 | 8,531 | -0.1 | 13.3 |
| केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 1 | 1 | 32.9 | 0.0 |
| केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण | 0 | 1 | -243.2 | 0.0 |
| अन्य ऋण | 47 | 47 | 0.0 | 0.1 |
| **योग (क+ख)** | **57,474** | **64,262** | **11.8** | **100.0** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 7.10 में ऋण की अदायगी से संबंधित राज्य सरकार के दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली मूलधन की कुल अदायगी 4,490 करोड़ थी, वहीं ब्याज भुगतान उससे अधिक था - 5,459 करोड़ रु.। अतीत के भारी ऋणग्रहण के कारण विगत 5 वर्षों में ब्याज का बोझ 1,774 करोड़ रु. बढ़ा है। ऋण सेवा का कुल वार्षिक बोझ 2009-10 में 6,639 करोड़ रु. था जो 10.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013-14 में 9,949 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसे लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर 11,553 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

### तालिका 7.10 : लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंतरिक ऋण की अदायगी | 1169 | 1725 | 2457 | 2585 | 2559 | 2973 |
| केंद्रीय ऋणों की अदायगी | 814 | 466 | 465 | 485 | 561 | 590 |
| अन्य देनदारियों की अदायगी | 970 | 586 | 1034 | 1512 | 1370 | 1409 |
| कुल अदायगी | 2953 | 2776 | 3956 | 4582 | 4490 | 4972 |
| कुल ब्याज भुगतान | 3685 | 4319 | 4304 | 4428 | 5459 | 6581 |
| **कुल ऋण सेवा बोझ** | **6639** | **7095** | **8260** | **9010** | **9949** | **11553** |

टिप्पणी : देनदारियों में बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान राशियां भी शामिल हैं।

### चार्ट 7.6

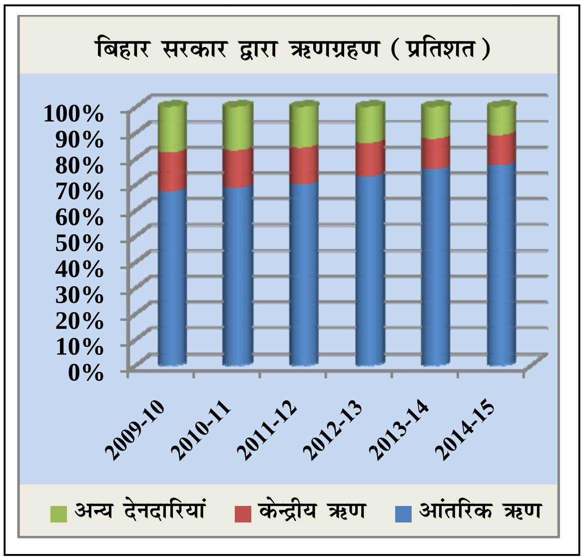


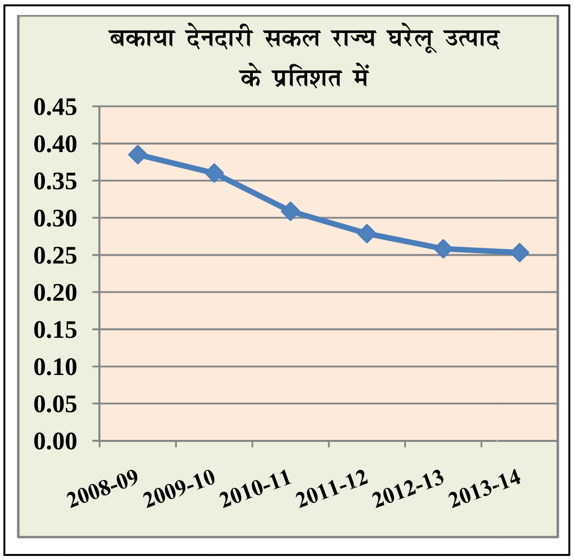


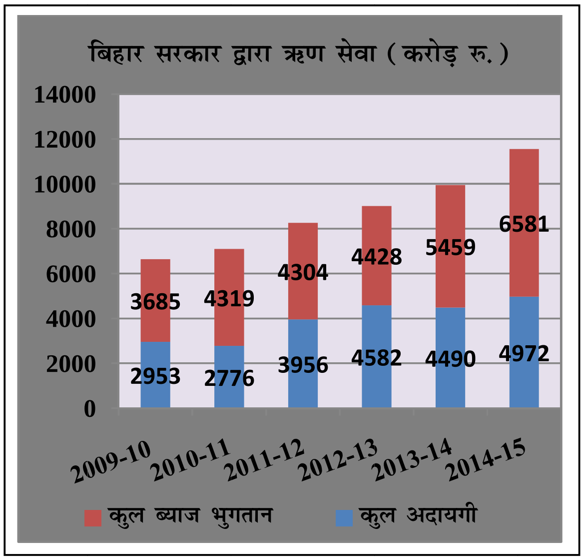

अगर लोक ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाय, तो यह आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। तालिका 7.11 में देखा जा सकता है कि 2011-12 तक राज्य सरकार द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि अधिकांशतः उनका उपयोग विद्यमान ऋण देनदारियों की अदायगी के लिए किया गया था। हालांकि अगले दो वर्षों में कुल उधारियों से राज्य के खजाने में शुद्ध उद्भवन (एॅक्रूअल) हुआ था। वर्ष 2013-14 में लिया गया कुल उधार 9,907 करोड़ रु. था जिसमें 3,120 करोड़ रु. का उपयोग विद्यमान लोाक ऋण का मूलधन चुकाने के लिए और 5,459 करोड़ रु. का उपयोग ब्याज भुगतान के लिए किया गया। अगर राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली और अतीत के बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की छोटी राशि को भी ध्यान में रखें, तो उसकी परिणति राज्य सरकार के लिए संसाधन के बतौर 1,613 करोड़ रु. के शुद्ध आगमन के रूप में हुई। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में स्थिति और भी सुधरने का अनुमान है और राज्य सरकार को लगभग 4,801 करोड़ रु. का उपयोग अपनी विकास संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए करने की स्थिति में होना चाहिए जो शुद्ध ऋणग्रहण का 32.6 प्रतिशत है। हालांकि समग्र परिस्थिति अब सुधर गई है, लेकिन इससे राज्य सरकार के लिए राजकोषीय फेरबदल (फिस्कल मैनूवरिंग) की अभी भी सीमित गुंजाइश ही है।

**तालिका 7.11 : प्राप्त निवल लोक ऋण**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण | 764 | 782 | 827 | 508 | 550 | 1849 |
| प्राप्त आंतरिक ऋण | 5370 | 5251 | 5801 | 9046 | 9357 | 12878 |
| **प्राप्त कुल ऋण** | **6134** | **6032** | **6628** | **9554** | **9907** | **14727** |
| ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली | 13 | 12 | 23 | 25 | 15 | 16 |
| ब्याज भुगतान | 3685 | 4319 | 4304 | 4428 | 5459 | 6581 |
| प्राप्त ब्याज | 353 | 238 | 574 | 167 | 269 | 202 |
| चुकाया गया ऋण | 1983 | 2190 | 2922 | 3070 | 3120 | 3563 |
| **प्राप्त निवल ऋण** | **832** | **-227** | **-2** | **2248** | **1613** | **4801** |
| **प्राप्त निवल ऋण कुल ऋणग्रहण के प्रतिशत के बतौर** | **13.6** | **-3.8** | **0.0** | **23.5** | **16.3** | **32.6** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.5 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात

तालिका 7.12 में 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार विभिन्न राज्यों के अपने कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। देखा जा सकता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात मात्र 6.7 प्रतिशत (2013-14 के लिए 5.8 प्रतिशत) था जो सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे कम था। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का यह अनुपात 7 से 10 प्रतिशत के बीच था। शेष राज्यों का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। सर्वाधिक 13.5 प्रतिशत अनुपात कर्नाटक का था और उसके बाद 12.3 प्रतिशत तमिलनाडु का तथा 12.2 प्रतिशत केरल का। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व (केंद्रीय अंतरणों और अनुदानों सहित) के अनुपात की बात करें, तो सर्वाधिक 29.8 प्रतिशत अनुपात छत्तीसगढ़ का है और उसके बाद उत्तर प्रदेश (28.9 प्रतिशत), झारखंड (28.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (27.8 प्रतिशत) का। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का अनुपात 26.6 प्रतिशत पहुंचेगा। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने राजस्व का अनुपात मात्र 6.7 प्रतिशत है जो

इंगित करता है कि कर संग्रहण की काफी संभावना अप्रयुक्त पड़ी है। इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात में भी स्वत: सुधार होगा जो अभी मात्र 20 प्रतिशत है।

**चार्ट 7.7**

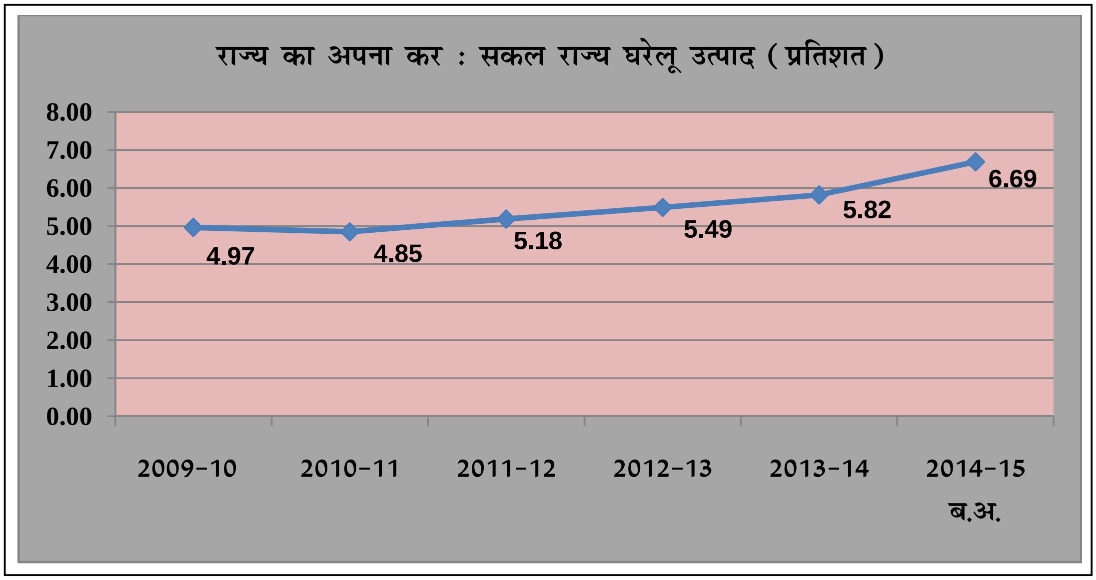


**तालिका 7.12 : राज्यों का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2013-14 बजट अनुमान)**

| राज्य | राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.) | राज्य का अपना कर (करोड़ रु.) | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति | राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद | कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **बिहार** | **101939** | **25663** | **383709** | **25.2** | **6.7** | **26.6** |
| झारखंड | 43444 | 11813 | 151655 | 27.2 | 7.8 | 28.6 |
| पश्चिम बंगाल | 105978 | 45414 | 443191 | 42.9 | 10.2 | 23.9 |
| उड़ीसा | 62917 | 19513 | 255459 | 31.0 | 7.6 | 24.6 |
| उत्तर प्रदेश | 226419 | 81000 | 782285 | 35.8 | 10.4 | 28.9 |
| मध्य प्रदेश | 103493 | 38990 | 372171 | 37.7 | 10.5 | 27.8 |
| राजस्थान | 106125 | 40655 | 459215 | 38.3 | 8.9 | 23.1 |
| महाराष्ट्र | 169908 | 118589 | 1323768 | 69.8 | 9.0 | 12.8 |
| गुजरात | 95440 | 63068 | 670016 | 66.1 | 9.4 | 14.2 |
| पंजाब | 44894 | 28480 | 285165 | 63.4 | 10.0 | 15.7 |
| हरियाणा | 47690 | 30375 | 339451 | 63.7 | 8.9 | 14.0 |
| कर्नाटक | 111039 | 69870 | 519109 | 62.9 | 13.5 | 21.4 |
| आंध्र प्रदेश | 92078 | 37398 | 754409 | 40.6 | 5.0 | 12.2 |
| केरल | 64842 | 42467 | 349338 | 65.5 | 12.2 | 18.6 |
| तमिलनाडु | 127390 | 91835 | 744859 | 72.1 | 12.3 | 17.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 16522 | 5338 | 73710 | 32.3 | 7.2 | 22.4 |
| छत्तीसगढ़ | 48654 | 18441 | 163461 | 37.9 | 11.3 | 29.8 |

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

## 7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का सारांश तालिका 7.13 में दर्शाया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक राजस्व प्राप्तियां 18.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ीं जबकि राजस्व व्यय 17.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत निम्न दर से बढ़ा। अत: इन पांचों वर्षों में राजस्व अधिशेष मौजूद रहा। कर और गैर-कर, दोनों मिलाकर राज्य सरकार का अपना राजस्व 2009-10 में अपने राजस्व व्यय का मात्र 27.5 प्रतिशत भाग ही जुटा पाता था लेकिन 2013-14 में इसने 31.2 प्रतिशत भाग को पूरा किया है। राज्य का कुल राजस्व पांच वर्षों में लगभग दूना हो गया - 2009-10 के 35,527 करोड़ रु. से 2013-14 में 68,919 करोड़ रु.। साथ ही, इस अवधि में राज्य का अपना राजस्व, जिसमें कर और गैर-कर, दोनों प्रकार के राजस्व शामिल हैं, और भी तेज दर से (21.8 प्रतिशत) बढ़ा है। यह 2009-10 के 9,760 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 21,506 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय, दोनो में तेज वृद्धि का अनुमान है जिससे राजस्व अधिशेष का स्तर भी बढ़ेगा।

**तालिका 7.13 : बिहार का राजस्व लेखा**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां | 35527 | 44532 | 51320 | 59567 | 68919 | 101940 |
| राजस्व व्यय | 32584 | 38216 | 46499 | 54466 | 62477 | 91765 |
| राजस्व अधिशेष | 2943 | 6316 | 4820 | 5101 | 6442 | 10174 |
| राज्य का अपना कर + गैर-कर राजस्व | 9760 | 10855 | 13502 | 17388 | 21506 | 28745 |
| राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर | 27.5 | 24.4 | 26.3 | 29.2 | 31.2 | 28.2 |
| राज्य का केंद्रीय करों का हिस्सा कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर | 51.2 | 53.8 | 54.4 | 53.6 | 50.5 | 41.0 |
| केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर | 21.3 | 21.8 | 19.3 | 17.3 | 18.3 | 30.8 |
| राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 30.0 | 28.4 | 29.0 | 31.9 | 34.4 | 31.3 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.8**

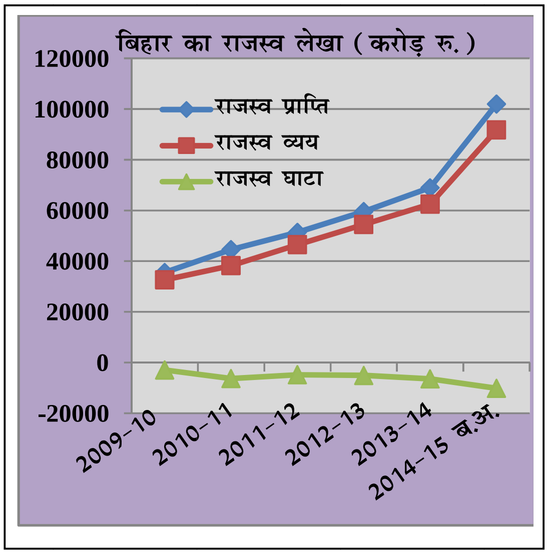


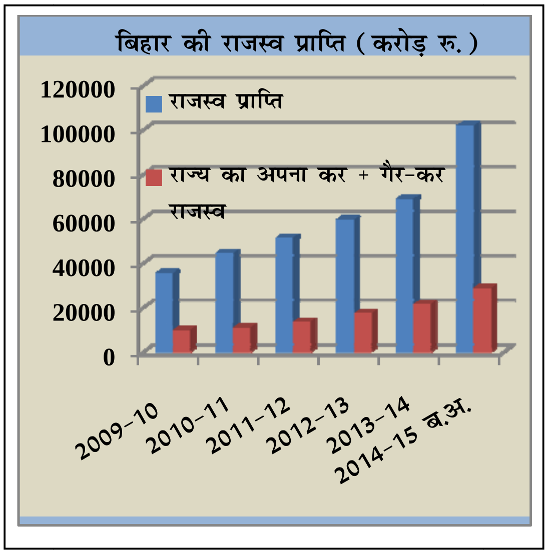

तालिका 7.13 में राज्य सरकार के कुल कर एवं गैर-कर राजस्वों के साथ इसके अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों की तुलना करते हुए राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था के कुछ और मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा पहले 20 प्रतिशत के आसपास बना रहता था लेकिन 2009-10 से वह बढ़ने लगा और 2013-14 में 31.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इन वर्षों के दौरान इसने कुल राजस्व व्यय के 35 प्रतिशत से कम हिस्से का वित्तपोषण किया है इसलिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है। वर्ष 2013-14 तक बिहार के कुल राजस्व में 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा अकेले विभाज्य करों के केंद्रीय पूल में इसके हिस्से का है। हालांकि वर्ष 2014-15 में इसका कम होकर 41 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में केंद्रीय अनुदानों का, जिसमें योजना और गैर-योजना दोनो प्रकार के अनुदान शामिल हैं, 18 प्रतिशत योगदान है। वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण का प्रचलन समाप्त कर दिया गया है और ऐसे अंतरण अब राज्य बजट के जरिए होंगे। फलत:, 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में अनुदानों का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा होगा।

तालिका 7.14 में राज्य सरकार के कुल व्यय का इसके विकास और गैर-विकास व्ययों के साथ-साथ योजना और गैर-योजना व्ययों में बंटवारा दर्शाया गया है। योजना व्यय अधिकांशत: विकासमूलक होता है जबकि गैर-योजना व्यय विकासमूलक या गैर-विकासमूलक, दोनो हो सकता है। तार्किक आधार पर व्ययों के योजना और गैर-योजना व्ययों में वर्गीकरण के किसी स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में दोनों में अंतर संदिग्ध बना रहता है। इसके अलावा, योजना आयोग की समाप्ति के साथ बहुत संभव है कि योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के लिहाज से व्यय का वर्गीकरण भविष्य में समाप्त हो जाय। फलत:, व्यय का योजना और गैर-योजना शीर्षों के लिहाज से विश्लेषण का कोई बहुत महत्व नहीं है। बिहार में के कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत, दोनो लेखों में विकास व्यय का हिस्सा काफी बढ़ा और वर्ष 2005-06 के 50 प्रतिशत से भी से 2009-10 में 64.5 प्रतिशत हो गया और उसके बाद से यह लगभग अपरिवर्तित है। वर्ष 2013-14 में यह 67.7 प्रतिशत था। रकम के रूप में देखें तो 2009-10 से 2013-14 के बीच पांच वर्षों में यह लगभग दूना हो गया है जो तेज वृद्धि को इंगित करता है।

**तालिका 7.14 : बिहार सरकार का व्यय पैटर्न**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैर-विकास व्यय | 15188 | 18583 | 22562 | 23804 | 25949 | 32129 |
| विकास व्यय | 27606 | 32122 | 37619 | 45402 | 54456 | 84757 |
| कुल व्यय | 42795 | 50705 | 60180 | 69206 | 80405 | 116886 |
| विकास व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर | 64.5 | 63.4 | 62.5 | 65.6 | 67.7 | 72.5 |
| योजना व्यय | 16194 | 20911 | 23008 | 28380 | 33698 | 57655 |
| गैर-योजना व्यय | 26601 | 29794 | 37172 | 40826 | 46707 | 59231 |
| **योजना व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर** | **37.8** | **41.2** | **38.2** | **41.0** | **41.9** | **49.3** |
| ब्याज भुगतान | 3685 | 4319 | 4304 | 4428 | 5459 | 6581 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## चार्ट 7.9

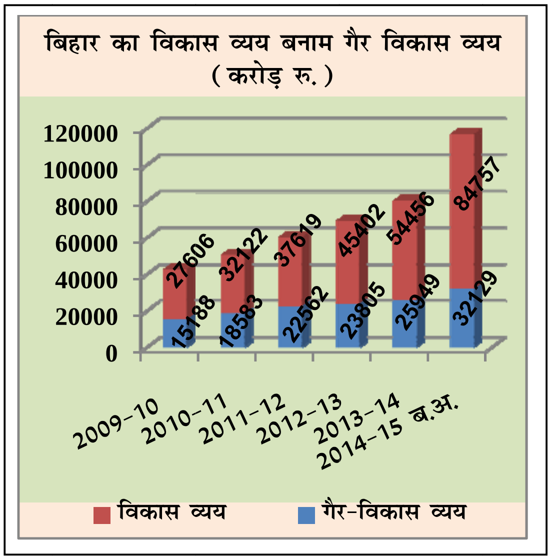


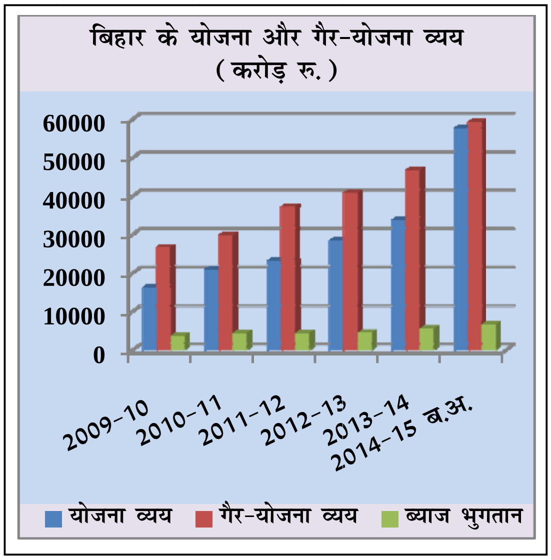


अगर ब्याज भुगतान के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो तालिका 7.15 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांशत: घाटे में चलने वाले अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज बहुत कम वसूल होने के कारण सकल और निवल ब्याज भुगतानों के बीच बहुत मामूली अंतर रहता है। इनमें से अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों की संचित हानियां उनके इक्विटी आधार से कई गुना बढ़ गई हैं। पहले भी जोर देकर कहा गया है, जिसे तालिका 7.16 में हम देख सकते हैं कि पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है और राजस्व लेखे से प्रचुर अधिशेष पाकर और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रबलित करते हुए यह 2009-10 के 7,332 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 14,001 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में इसका बढ़कर 21,151 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

### तालिका 7.15 : ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्याज भुगतान | 3685 | 4319 | 4304 | 4428 | 5459 | 6581 |
| निवल ब्याज भुगतान | 3332 | 4081 | 3730 | 4261 | 5190 | 6379 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

### तालिका 7.16 : व्यय के अन्य मापदंड

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल कर राजस्व | 26293 | 33848 | 40547 | 48153 | 54790 | 67438 |
| अपना कर राजस्व | 8090 | 9870 | 12612 | 16253 | 19961 | 25663 |
| कुल गैर-कर राजस्व | 1670 | 985 | 890 | 1135 | 1545 | 3082 |
| अपना कर + गैर-कर राजस्व | 9760 | 10855 | 13502 | 17388 | 21508 | 28745 |
| अपना गैर-कर राजस्व | 1670 | 986 | 890 | 1135 | 1548 | 3082 |
| पूंजीगत परिव्यय | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % के बतौर | 17.13 | 18.14 | 14.71 | 13.85 | 17.25 | 18.10 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.10 : केंद्र से संसाधनों का अंतरण (करोड़ रु.)**

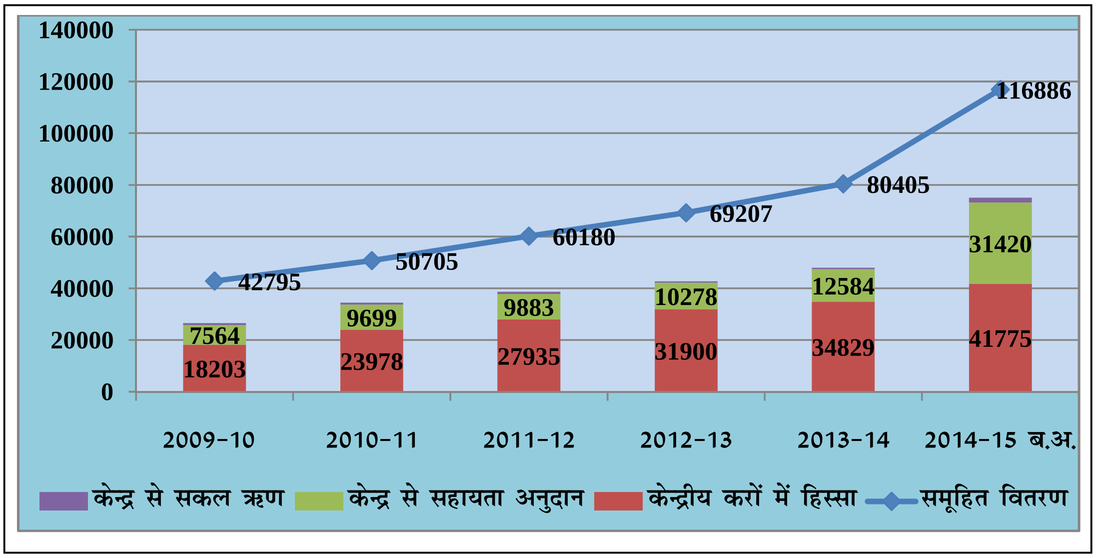


राज्य सरकार केंद्रीय संसाधनों पर किस हद तक निर्भर है, इसे तालिका 7.17 में देखा जा सकता है जिसमें 2009-10 से 2014-15 के बीच बिहार को होने वाले संसाधनों के सकल अंतरण के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान तथा केंद्रीय ऋण शामिल होते हैं। राज्य सरकार को होने वाला संसाधनों का सकल अंतरण 2013-14 में इसके कुल व्यय के लगभग 60 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2009-10 में इससे राज्य सरकार की व्यय संबंधी 62 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति हुई थी। वर्ष 2014-15 में भी इसका हिस्सा 64 प्रतिशत होना अनुमानित है। पहले भी गौर किया गया है कि इस अवधि में राज्य सरकार के कुल संवितरणों में इसके अपने संसाधनों का योगदान 23 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया। शेष की पूर्ति केंद्रीय अंतरणों और उधार से की जाती है। वर्ष 2013-14 में कुल संवितरणों का लगभग 43 प्रतिशत भाग केंद्रीय करों में इसके हिस्से का था और 16 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का; केंद्र सरकार से मिले ऋणों का हिस्सा शून्य था।

**तालिका 7.17 : केंद्र सरकार से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण**

(करोड़ रु.)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संवितरणों का पूर्णयोग | 42795 | 50705 | 60180 | 69207 | 80405 | 116886 |
| केंद्रीय करों में हिस्सा | 18203 | 23978 | 27935 | 31900 | 34829 | 41775 |
| केंद्र से सहायता अनुदान | 7564 | 9699 | 9883 | 10278 | 12584 | 31420 |
| केंद्र से सकल ऋण | 764 | 782 | 827 | 508 | 550 | 1849 |
| संसाधनों का सकल अंतरण | 26531 | 34458 | 38645 | 42686 | 47963 | 75044 |
| केंद्र से निवल ऋण | -49 | 316 | 361 | 23 | -11 | 1259 |
| संसाधनों का निवल अंतरण | 25717 | 33993 | 38179 | 42202 | 47402 | 74454 |
| अपना कर + गैर-कर राजस्व | 9760 | 10855 | 13502 | 17388 | 21508 | 28745 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.7 संसाधन प्रबंधन

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व, दोनों स्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, गैर-कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर-कर राजस्व के साथ-साथ योजना और गैर-योजना प्रयोजनों के लिए मिलने वाले केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में संपत्ति तथा पूंजीगत अंतरणों पर कर, वस्तु एवं सेवा कर और कृषि आय कर शामिल होते हैं। इनमें से दूसरा घटक राज्य सरकार के अपने राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। राज्य सरकार के गैर-कर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां, उनसे प्राप्त लाभांश एवं मुनाफे, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। गैर-कर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यत: आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर के हिस्से शामिल होते हैं जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पांच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। केंद्र सरकार के अनुदान योजना और गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए होते हैं। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा विषयक राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका 7.18 में 2009-10 से 2014-15 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन सभी वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का तकरीबन 70 प्रतिशत भाग करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदानों के जरिए केंद्र सरकार से आया। इनका हिस्सा 2009-10 में राज्य सरकार के कुल राजस्व का 73 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 में केंद्रीय अंतरण राज्य सरकार के कुल राजस्व का 69 प्रतिशत था - 51 प्रतिशत केंद्रीय करों में राज्यांश का और 18 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का। कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 31 प्रतिशत था - 29 प्रतिशत कर राजस्व का और 2 प्रतिशत गैर-कर राजस्व का।

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2009-10 के 8,090 करोड़ रु. से बढ़कर 2014-15 में 25,663 करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि में गैर-कर राजस्व 1,670 करोड़ रु. से बढ़कर 3,082 करोड़ रु.। हालांकि स्मरणीय है कि गैर-कर राजस्व में वृद्धि केंद्र सरकार से हुए कुछ विशेष अंतरणों के कारण हुई है। उदाहरणस्वरूप, गैर-कर राजस्व 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत 2008-09 में 385 करोड़ रु. और 2009-10 में 770 करोड़ रु. के ऋण राहत के कारण काफी बढ़ा था। उस आयोग की कार्यावधि की समाप्ति

पर ऋण राहत की समाप्ति के बाद 2010-11 में गैर-कर प्राप्ति में 684 करोड़ रु. की अचानक गिरावट आई थी। वर्ष 2009-10 में में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ रु. की वापसी के कारण 2011-12 में गैर-कर राजस्व में और भी कमी आई। वर्ष 2012-13 में झारखंड सरकार से 'पेंशन आदि से अंशदान एवं वसूलियों' से संबंधित प्राप्तियों के बतौर गैर-कर राजस्व 151 करोड़ रु. बढ़ा। यह अंतरण बिहार के विभाजन के पूर्व की अवधि से संबंधित पेंशन की प्रतिपूर्ति के कारण थी। वर्ष 2013-14 में भी इसके कारण गैर-कर राजस्व 400 करोड़ रु. बढ़ा।

केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और करों में राज्य के हिस्से के साथ राज्य सरकार का कुल राजस्व 18 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 35,527 करोड़ रु. से 2013-14 में 68,919 करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी कुल राजस्व प्राप्ति इस अवधि में लगभग 22 प्रतिशत की और भी उच्च वार्षिक दर से बढ़ी और कर राजस्व 25 प्रतिशत की उससे भी अधिक वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में केंद्र सरकार के अनुदान 14 प्रतिशत की दर से ही बढ़े। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष से केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले अनुदानों का सीधा अंतरण समाप्त होने से सभी अनुदानों को अब राज्य बजट के जरिए दिया जाना है। इससे राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदानों का परिमाण काफी बढ़ेगा। फलतः, केंद्रीय अनुदानों में 2013-14 के स्तर से लगभग ढाईगुनी वृद्धि होगी। वर्ष 2013-14 में ऐसे अनुदानों का परिमाण 12,584 करोड़ रु. था जो 2014-15 के बजट अनुमान में 41,775 करोड़ रु. होना प्रत्याशित है। राज्य सरकार के राजस्वों के अन्य सभी घटकों के विकास की तुलना में अपने राजस्वों की वृद्धि दर उसके राजस्व के अन्य घटकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2009-10 के 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 31.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि केंद्रीय अनुदानों में अचानक वृद्धि के कारण यह हिस्सा 2014-15 में गिरकर 28.2 प्रतिशत रह जाएगा।

**तालिका 7.18 : राजस्व प्राप्ति**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. राज्य का अपना राजस्व** | **9760** | **10855** | **13502** | **17388** | **21506** | **28745** |
| क) कर राजस्व | 8090 | 9870 | 12612 | 16253 | 19961 | 25663 |
| ख) गैर-कर राजस्व | 1670 | 986 | 890 | 1135 | 1545 | 3082 |
| **II. केंद्र से प्राप्तियां** | **25767** | **33677** | **37818** | **42178** | **47413** | **73195** |
| क) विभाज्य करों का हिस्सा | 18203 | 23978 | 27935 | 31900 | 34829 | 41775 |
| ख) सहायता अनुदान | 7564 | 9699 | 9883 | 10278 | 12584 | 31420 |
| **III. कुल राजस्व प्राप्तियां** | **35527** | **44532** | **51320** | **59567** | **68919** | **101940** |
| कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत | 27.5 | 24.4 | 26.3 | 29.2 | 31.2 | 28.2 |

सोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक इन करों से प्राप्तियों का विवरण तालिका 7.19 में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.19 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 3839 | 4557 | 7476 | 8671 | 8453 | 12820 |
| माल एवं यात्री कर | 1613 | 2006 | 828 | 1932 | 4349 | 4118 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 1082 | 1523 | 1981 | 2430 | 3168 | 3700 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 998 | 1099 | 1480 | 2173 | 2712 | 3600 |
| वाहन कर | 345 | 455 | 569 | 673 | 837 | 1000 |
| भूमि राजस्व | 124 | 139 | 167 | 205 | 202 | 250 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 67 | 65 | 55 | 103 | 141 | 83 |
| अन्य वस्तु एवं सेवा कर/ शुल्क | 22 | 25 | 26 | 29 | 50 | 49 |
| कृषि आय कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **योग** | **8090** | **9870** | **12583** | **16216** | **19914** | **25621** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.11**

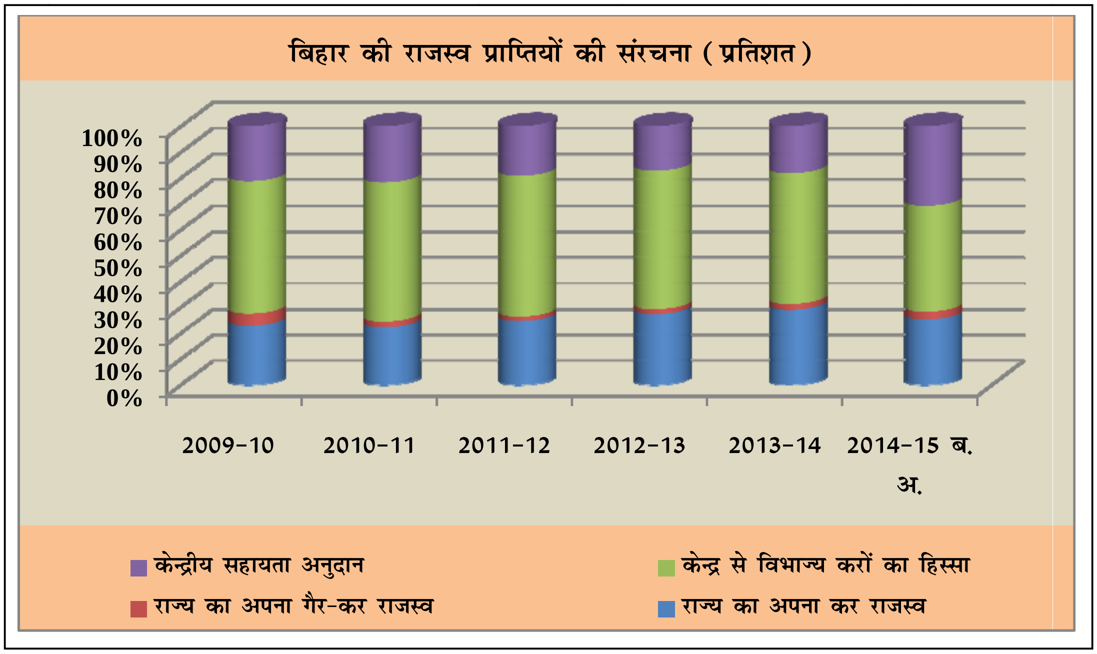

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर - वैट), स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पांचों करों का संयुक्त हिस्सा लगभग पूरा का पूरा है। वर्ष 2013-14 में कुल कर प्राप्तियों में इनमें से अकेले बिक्री कर (8,453 करोड़ रु.) का 42 प्रतिशत हिस्सा था। उसके बाद माल एवं यात्री कर (22 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत) तथा वाहन कर (4 प्रतिशत) का स्थान था। ये कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षों के दौरान कर राजस्व की संरचना में कोई महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव नहीं आया है। अपवाद 2011-12 था जब विभिन्न मदों में दरों में वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि के कारण बिक्री कर (वैट) में अचानक वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, माल एवं यात्री कर के हिस्से में तेज गिरावट भी आई थी। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 7.20 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 7.21 में।

**चार्ट 7.12**

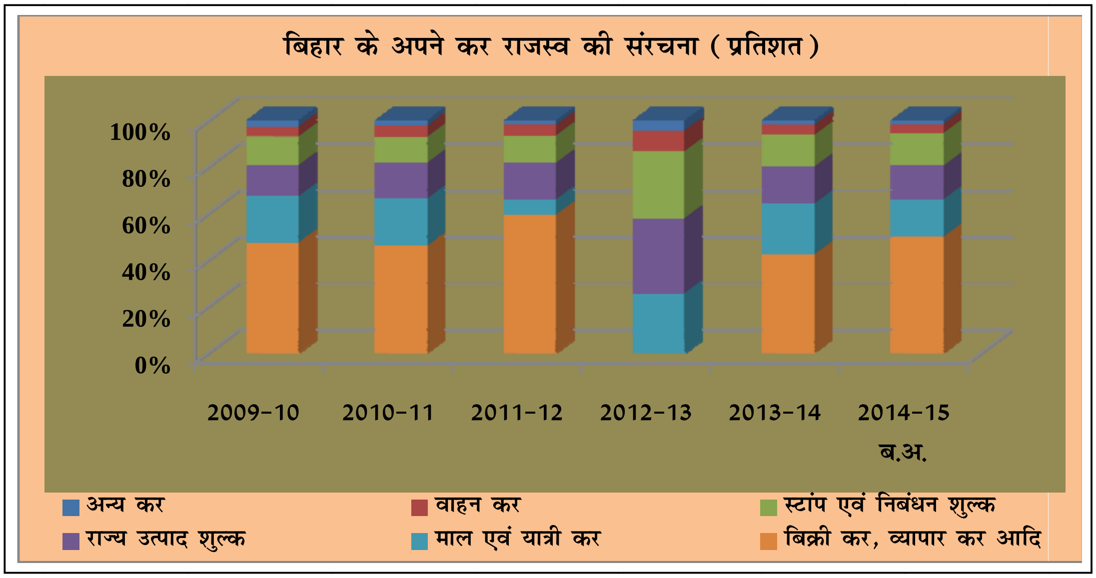


**तालिका 7.20 : कर राजस्व की संरचना**

| राजस्व के स्रोत | प्रतिशत हिस्सा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 47.5 | 46.2 | 59.4 | 53.5 | 42.4 | 50.0 |
| माल एवं यात्री कर | 19.9 | 20.3 | 6.6 | 11.9 | 21.8 | 16.1 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 15.0 | 15.9 | 14.4 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 12.3 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 14.1 |
| वाहन कर | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| भूमि राजस्व | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| अन्य कर | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| **योग** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

चार्ट 7.13

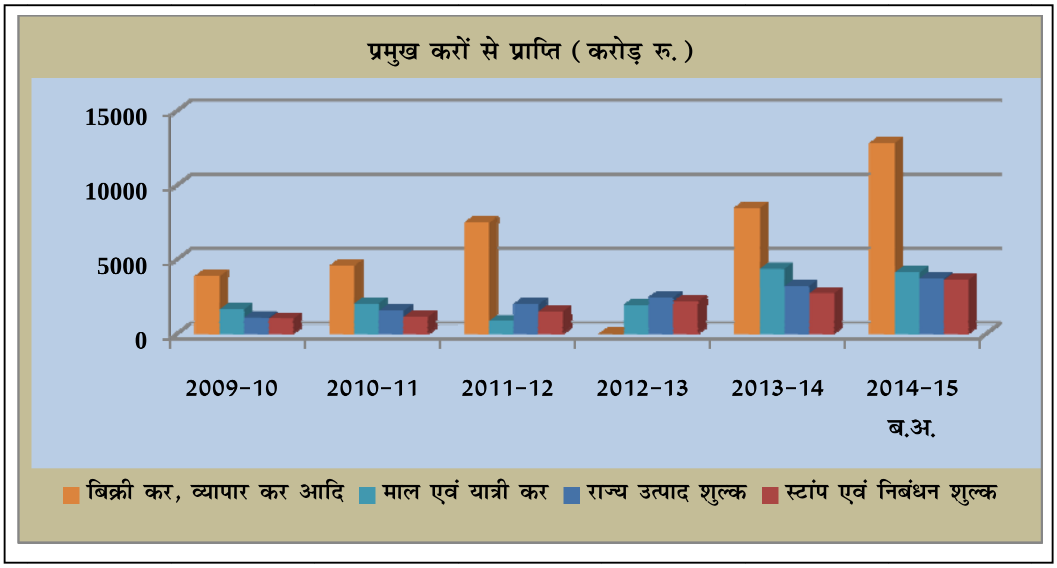


वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच सर्वाधिक 31.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर स्टांप एवं निबंधन शुल्कों दर्ज की गई है और उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (27.7 प्रतिशत), बिक्री कर (25.8 प्रतिशत) तथा माल एवं यात्री कर द्वारा (25.2 प्रतिशत)। वर्ष 2013-14 में बिक्री कर की 2.5 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुई थी लेकिन वर्तमान वित्तवर्ष (2014-15) में नकारात्मक विकास दर की भरपाई करते हुए इसमें लगभग 52 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2009-10 से लेकर 2013-14 तक के पांच वर्षों के दौरान अधिकांश करों के विकास पैटर्न में कोई निरंतरता नहीं रही है। उदाहरणस्वरूप, 2011-12 में लगभग 59 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि के बाद गत दो वर्षों के दौरान माल एवं यात्री कर में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2013-14 में इससें 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई और संग्रहण 4,349 करोड़ रु. के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस कर में पथ कर, यात्री कर और माल कर से संग्रह, खपत, उपयोग या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर लगने वाला प्रवेश कर और अंतर्राज्य संचरण शुल्क (चुंगी) शामिल होता है। बिहार में इस कर से होने वाला पूरा संग्रहण खपत हेतु स्थानीय क्षेत्रों में आने वाले मालों के प्रवेश से होता है।

**तालिका 7.21 : कर राजस्व की वृद्धि दरें**

| राजस्व के स्रोत | विगत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि | | | | | | वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2009-15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) | |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 27.3 | 18.7 | 64.1 | 16.0 | -2.5 | 51.7 | 25.8 |
| माल एवं यात्री कर | 26.1 | 24.4 | -58.7 | 133.3 | 125.1 | -5.3 | 25.2 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 59.3 | 40.8 | 30.0 | 22.7 | 30.4 | 16.8 | 27.7 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 39.3 | 10.1 | 34.7 | 46.8 | 24.8 | 32.7 | 31.2 |
| वाहन कर | 15.9 | 32.0 | 25.0 | 18.3 | 24.4 | 19.4 | 23.2 |
| भूमि राजस्व | 21.8 | 12.2 | 20.5 | 22.7 | -1.8 | 23.9 | 14.8 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | -1.5 | -2.1 | -16.1 | 87.5 | 37.8 | -41.5 | 12.2 |
| वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | 58.0 | 12.4 | 3.6 | 13.6 | 73.9 | -3.6 | 19.6 |
| अन्य | 16.0 | 7.7 | 8.2 | 36.0 | 17.0 | -2.8 | 15.0 |
| **योग** | **31.1** | **22.0** | **27.5** | **28.9** | **22.8** | **28.7** | **26.1** |

तालिका 7.22 में देखा जा सकता है कि 2013-14 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का 20 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों का शेष 80 प्रतिशत हिस्सा था। यह वितरण विगत वर्षों में भी ऐसा ही विषम था। यह बतलाता है कि राज्य सरकार की राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को इसके कर ढांचे में अभिव्यक्त होना अभी भी बाकी है। यह केंद्रीय कर प्राप्तियों की संरचना में देखे गए रुझान के भी विपरीत लगता है जो सुधारों का आरंभ होने के बाद काफी हद तक प्रत्यक्ष करों की ओर मुड़ गया है। लेकिन सभी राज्यों के ढांचे विषम लगते हैं क्योंकि आय कर अथवा निगम कर जैसे अधिक प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था केंद्र सरकार के ही हाथों में है।

**तालिका 7.22 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा**

| स्रोत | प्रतिशत हिस्सा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
| राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%) | 81 | 82 | 82 | 80 | 80 | 81 |
| राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%) | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 |
| योग | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

तालिका 7.23 में राज्य सरकार के प्रमुख गैर-कर राजस्व दर्शाए गए हैं, तालिका 7.24 में उनकी संरचना को दर्शाया गया है और तालिका 7.25 में उनकी वृद्धि दरों को। राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत 'अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग' से प्राप्ति के बतौर वर्गीकृत खानों एवं खनिजों से रॉयल्टी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्ति है। राज्य में उपलब्ध गौण खनिज ईंट की मिट्टी, पत्थर, चूना पत्थर, बालू आदि हैं। इस चीज के मामले में गैर-कर राजस्वों की प्राप्ति हमेशा बजट अनुमानों से अधिक रही है और 2009-10 से 2014-15 तक इसकी वृद्धि 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से होती रही है। इसकी तुलना में गैर-कर राजस्व के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व, ब्याज प्राप्ति की वृद्धि के मामले में इस अवधि में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। ये उतार-चढ़ाव ब्याज प्राप्ति की प्रकृति के कारण होते हैं। वर्ष 2007-08 तक राज्य के कुल गैर-कर राजस्व में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा 60 प्रतिशत से भी अधिक था लेकिन केंद्र सरकार से अच्छा-खासा पूर्ववर्णित ऋण राहत पाने के कारण, जिसे 'विविध सामान्य सेवाएं' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया, इन दोनों का संयुक्त हिस्सा गिरकर 2009-10 में 40 प्रतिशत रह गया था। लेकिन 2010-11 में ऋण राहत समाप्त होने के बाद यह हिस्सा पुन: बढ़कर 65 प्रतिशत पर पहुंच गया था। वर्ष 2009-10 में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ रु. की वसूली के कारण 2011-12 में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा असाधारण रूप से ऊपर चला गया था। वर्ष 2013-14 में गैर-कर राजस्व के इन दोनो स्रोतों से होने वाली कुल प्राप्ति पिछले वर्ष से 24 प्रतिशत बढ़कर 838 करोड़ रु. पहुंच गई। पहले भी संकेत किया गया है कि विविध सामान्य सेवाओं में, जिसमें 'पेंशन

आदि संबंधी अंशदान एवं वसूली' शामिल है, 2012-13 से प्रचुर वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में भी 'पेंशन आदि संबंधी अंशदान एवं वसूली' के तहत झारखंड सरकार से प्राप्य 1,500 करोड़ रु. शामिल किए गए हैं। यह रकम राज्य के पुनर्गठन-पूर्व की अवधि से ही कार्यरत लोगों के पेंशन से संबंधित है जिसका उल्लेख पहले के बजट में भी किया गया था लेकिन 2012-13 तक कोई राशि मिली नहीं थी।

जहां तक गैर-कर राजस्व में दूसरे बड़े योगदाता ब्याज प्राप्ति की बात है, तो उसका हिस्सा 2009-10 के 21 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2010-11 में 24 प्रतिशत हो गया था। लेकिन 2011-12 में जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया ऋणराशि के बरअक्स बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए ऋणों पर ब्याज के बतौर 268 करोड़ रु. के प्रति-संमंजन (कंट्रा-एडजस्टमेंट) के कारण इस शीर्ष के तहत काफी अधिक संग्रहण हुआ था। राज्य सरकार के नगद शेष निवेश लेखे में अधिशेष रहे नगद शेषों के निवेश पर कम ब्याज प्राप्त होने के कारण ब्याज प्राप्ति में 2012-13 में तेज गिरावट आई थी। हालांकि 2013-14 में इस लेखे में प्राप्ति 2012-13 के 128 करोड़ रु. से 233 करोड़ रु. हो गई जिसके कारण 2013-14 में कुल ब्याज प्राप्ति में भी 102 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच राज्य सरकार का गैर-कर राजस्व 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है लेकिन सार-दर-साल काफी भिन्नता रही है।

**तालिका 7.23 : बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 320 | 406 | 443 | 511 | 569 | 750 |
| ब्याज प्राप्ति | 353 | 238 | 574 | 167 | 269 | 202 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 770 | 0 | -384 | 22 | 0 | 1 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 9 | 20 | 11 | 10 | 10 | 252 |
| पुलिस | 12 | 12 | 9 | 25 | 27 | 70 |
| वृहत सिंचाई | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 17 | 34 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| सड़क और पुल | 30 | 40 | 60 | 33 | 41 | 64 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 14 | 15 | 24 | 41 | 30 | 43 |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 29 | 22 | 30 | 21 | 28 | 22 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| अन्य | 112 | 192 | 111 | 294 | 557 | 1643 |
| **योग** | **1670** | **986** | **890** | **1135** | **1545** | **3082** |

सोत : राज्य सरकार के बजट

### तालिका 7.24 : गैर-कर राजस्वों की संरचना

(प्रतिशत)

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 19.2 | 41.2 | 49.8 | 45.0 | 36.8 | 24.3 |
| ब्याज प्राप्तियां | 21.1 | 24.1 | 64.5 | 14.7 | 17.4 | 6.6 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 46.1 | 0.0 | -43.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 8.2 |
| अन्य गैर-कर राजस्व | 13.0 | 32.6 | 27.6 | 37.4 | 45.1 | 60.9 |
| **योग** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

### चार्ट 7.14

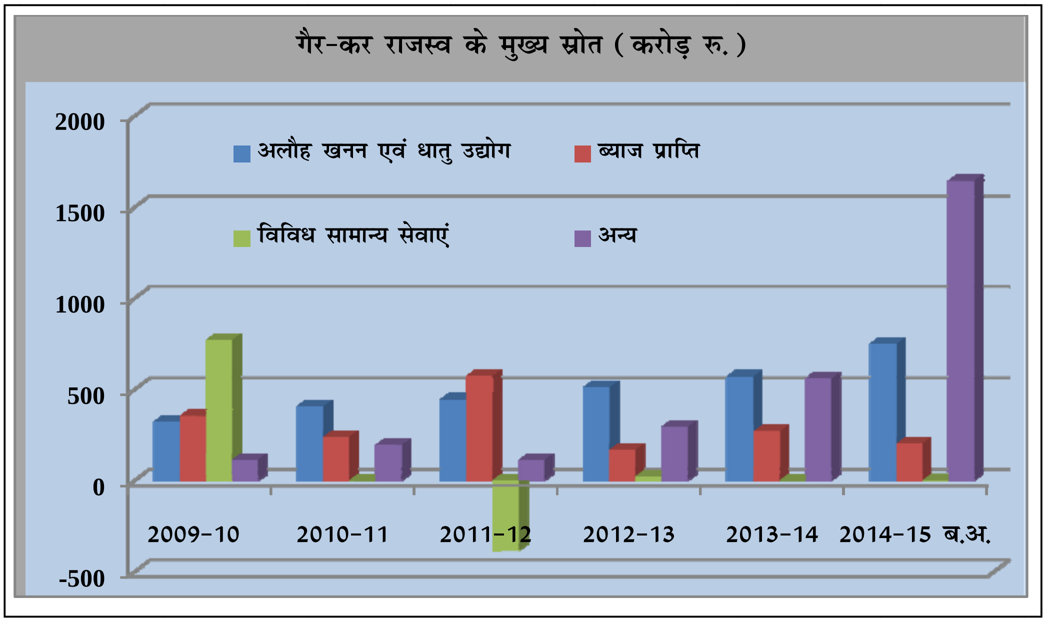


### तालिका 7.25 : गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें

| | वार्षिक वृद्धि दरें | | | | | | वार्षिक चक्रवृद्धि दरें (2009-15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) | |
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 30.6 | 26.8 | 9.2 | 15.3 | 11.4 | 31.8 | 16.7 |
| ब्याज प्राप्तियां | 16.0 | -32.6 | 141.1 | -70.9 | 61.2 | -25.0 | -9.9 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 99.6 | -100.0 | -112976 | -105.7 | -98.7 | 225.0 | - |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 16.4 | 112.1 | -42.5 | -12.9 | 1.7 | 2371.5 | 50.3 |
| अन्य गैर-कर राजस्व | -5.3 | 71.1 | -42.3 | 164.7 | 90.0 | 194.1 | 65.3 |
| **योग** | **44.8** | **-41.0** | **-9.7** | **27.6** | **36.3** | **99.1** | **14.2** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2013–14 के बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान की उस वर्ष हुए वास्तविक संग्रहण (तालिका 7.26) के साथ तुलना करने पर दिखता है कि गैर–कर राजस्व के मामले बजट अनुमान से लगभग 1,868 करोड़ रु. (54.7 प्रतिशत) की भारी कमी थी। वहीं, कर राजस्व में मात्र 1,003 करोड़ रु. (5 प्रतिशत) की कमी थी। गैर–कर राजस्व में कमी लगभग पूरी तरह से झारखंड से बकाए की वसूली नहीं हो पाने के कारण थी। बजट अनुमान में इस लेखे में 2,002 करोड़ रु. का अनुमान किया गया था लेकिन वास्तविक प्राप्ति मात्र 400 करोड़ रु. हुई थी। कर राजस्व में मुख्य कमी बिक्री एवं व्यापार करों (3,871 करोड़ रु.) के मामले में हुई जिसकी भरपाई मोटे पर माल एवं यात्री कर (3,156 करोड़ रु.) से हो गई। राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में भी 512 करोड़ रु. की कमी थी। इस प्रकार, समग्र वसूली कर राजस्व के मामले में लक्ष्य के आसपास थी लेकिन गैर–कर राजस्व के मामले में बहुत कम थी।

**तालिका 7.26 : कर और गैर–कर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2013–14)**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्ति | अंतर (वास्तविक – ब.अ.) | प्रतिशत अंतर अधिकता (+), कमी (–) |
|---|---|---|---|---|
| **अपना कर राजस्व** | | | | |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 12324 | 8453 | 3871 | 31.4 |
| माल एवं यात्री कर | 1193 | 4349 | -3156 | -264.6 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 3680 | 3168 | 512 | 13.9 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 2628 | 2712 | -84 | -3.2 |
| वाहन कर | 800 | 837 | -37 | -4.7 |
| भूमि राजस्व | 205 | 202 | 3 | 1.6 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 66 | 141 | -75 | -113.6 |
| अन्य वस्तु एवं सेवा कर तथा शुल्क | 34 | 50 | -16 | -47.6 |
| अन्य आय एवं व्यय कर | 33 | 48 | -15 | -44.2 |
| **योग** | **20963** | **19960** | **1003** | **-4.8** |
| **अपना गैर–कर राजस्व** | | | | |
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 641 | 569 | 72 | 11.2 |
| ब्याज प्राप्तियां | 338 | 269 | 69 | 20.4 |
| विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियां | 1 | 0 | 1 | 67.5 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1 | -1 | 2 | 254.3 |
| अन्य | 2145 | 710 | 1434 | 66.9 |
| **योग** | **3416** | **1545** | **1868** | **54.7** |

सोत : राज्य सरकार के बजट

प्रमुख करों का संग्रहण व्यय तालिका 7.27 में दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि यह व्यय वाहन कर के मामले में अपेक्षाकृत अधिक रहा है। दूसरे, अधिसंरचना के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण वाहन कर को छोड़ सभी प्रमुख करों के मामले में कुल संग्रहण के प्रतिशत के बतौर

संग्रहण व्यय हाल के वर्षों में घटता गया है। कर संग्रह मशीनरी को दुरुस्त करने, कराधान ढांचे का और भी युक्तिकरण करने तथा उपभोक्ता के लिए आसान स्वचालन (ऑटोमेशन) से संग्रहण व्यय में और भी कमी आएगी।

**तालिका 7.27 : कर संग्रहण व्यय**

| वर्ष | संग्रहण (करोड़ रु.) | संग्रहण व्यय (करोड़ रु.) | व्यय संग्रहण के % में | संग्रहण (करोड़ रु.) | संग्रहण व्यय (करोड़ रु.) | व्यय संग्रहण के % में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिक्री कर, व्यापार कर आदि | | | राज्य उत्पाद शुल्क | | |
| 2009-10 | 3839 | 48 | 1.3 | 1082 | 44 | 4.1 |
| 2010-11 | 4557 | 56 | 1.2 | 1523 | 38 | 2.5 |
| 2011-12 | 7476 | 65 | 0.9 | 1981 | 41 | 2.1 |
| 2012-13 | 8671 | 78 | 0.9 | 2430 | 43 | 1.8 |
| 2013-14 | 8453 | 70 | 0.8 | 3168 | 45 | 1.4 |
| 2014-15 (ब.अ.) | 12820 | 114 | 0.9 | 3700 | 72 | 2.0 |
| | स्टांप एवं निबंधन शुल्क | | | वाहन कर | | |
| 2009-10 | 998 | 46 | 4.6 | 345 | 10 | 3.0 |
| 2010-11 | 1099 | 47 | 4.2 | 456 | 17 | 3.7 |
| 2011-12 | 1480 | 43 | 2.9 | 569 | 22 | 3.9 |
| 2012-13 | 2173 | 45 | 2.1 | 673 | 25 | 3.8 |
| 2013-14 | 2712 | 55.0 | 2.0 | 837 | 30 | 3.6 |
| 2014-15 (ब.अ.) | 3600 | 72.2 | 2.0 | 1000 | 44 | 4.4 |

सोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 7.28 में राज्य सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता की एक माप है। बिहार के अपने कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2009-10 में 5 प्रतिशत था जो धीरे-धीरे बढ़कर 2014-15 के बजट अनुमान में उसका 6.7 प्रतिशत पहुंच गया है। अन्य राज्यों की तुलना में यह अभी भी कम है। हाल के वर्षों में इस अनुपात में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बतौर कुल कर और गैर-कर राजस्व मात्र 6.0 प्रतिशत था जो 2014-15 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत होना अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में केंद्रीय अंतरणों एवं अनुदानों सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 20.1 प्रतिशत था जो 2014-15 में बढ़कर 26.6 प्रतिशत होना अनुमानित है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का अनुपात देश में लगभग सबसे कम है जबकि केंद्रीय अनुदानों तथा राज्य सरकार को होने वाले अन्य अंतरणों की बड़ी मात्रा के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व का अनुपात काफी ऊंचा है।

**तालिका 7.28 : कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में**

| सूचक | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.7 |
| अपना गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर | 21.8 | 21.9 | 21.1 | 20.1 | 20.1 | 26.6 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल राजस्व की उत्फुल्लता (अनुपात) | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 4.0 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उत्फुल्लता (अनुपात) | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.4 |

सोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 7.29 में राज्य सरकार के प्रमुख कर और गैर-कर राजस्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उत्फुल्लता अनुपात (बायोएंसी रेशियो) प्रस्तुत किया गया है। तालिका में हम देख सकते हैं कि 2014-15 में राज्य सरकार के अन्य कर राजस्वों की अपेक्षा बिक्री कर और स्टांप एवं निबंधन शुल्कों के अधिक उत्फुल्ल होने की आशा है। हाल के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अच्छी-खासी वृद्धि दर को देखते हुए, इन करों द्वारा और अधिक राजस्व एकत्रित करने की काफी संभावना मौजूद है। वर्ष 2013-14 में बिक्री कर उतना उत्फुल्ल नहीं था जबकि 2011-12 में उसकी उत्फुल्लता 3.3 थी। वर्ष 2012-13 और 2013-14, दोनो वर्षों में माल एवं यात्री करों में काफी ऊंची उत्फुल्लता दिखी लेकिन 2014-15 के बजट अनुमान में इसमें थोड़ी ऋणात्मक उत्फुल्लता दिख रही है। गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ब्याज प्राप्ति में 2014-15 में ऋणात्मक उत्फुल्लता दिखी जबकि अलौह धातु आदि से प्राप्ति में इस वर्ष काफी धनात्मक उत्फुल्लता दिखी।

**तालिका 7.29 : महत्वपूर्ण कर और गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 1.9 | 0.7 | 3.3 | 0.7 | -0.2 | 4.4 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.8 |
| माल एवं यात्री कर | 1.8 | 1.0 | -3.0 | 6.1 | 7.9 | -0.4 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.4 |
| वाहन कर | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
| भूमि राजस्व | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 2.0 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 4.0 | 2.4 | -3.5 |
| **कुल कर राजस्व** | **0.7** | **1.2** | **1.0** | **0.9** | **0.9** | **1.9** |
| अलौह खनिज | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2.7 |
| ब्याज प्राप्तियां | 1.1 | -1.3 | 7.2 | -3.3 | 3.9 | -2.1 |
| **कुल गैर-कर राजस्व** | **3.1** | **-1.6** | **-0.5** | **1.3** | **2.3** | **8.4** |

सोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 7.30 में केंद्र सरकार के अनुदानों से मिलने वाले राजस्व का रुझान दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा कुल 12,584 करोड़ रु. अनुदान प्राप्त हुआ जो 2009-10 में 7,564 करोड़ रु. था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के 5 वर्षों में कुल अनुदान 1.7 गुना बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में कुल अनुदानों का लगभग आधा (49.6 प्रतिशत) हिस्सा राज्य योजनागत योजनाओं के लिए प्राप्त हुआ था और उसके बाद 23 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए तथा 26 प्रतिशत गैर-योजना अनुदानों के लिए। ये हिस्से हाल के वर्षों में लगभग एक समान रहे हैं। बजट अनुमान के अनुसार, वर्ष 2014-15 में कुल अनुदान में गत वर्ष से ढाईगुनी से भी अधिक वृद्धि होगी। वर्ष 2014-15 में कुल अनुदानों में भारी वृद्धि का कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष अंतरण की समाप्ति है जिसके कारण सारे योजना अनुदान अब राज्य सरकार के बजट के जरिए वितरित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंतरणों के समापन का प्रभाव 2014-15 में राज्य के योजना अनुदानों में 22,658 करोड़ रु. वृद्धि के रूप में पड़ेगा। हालांकि 2014-15 में गैर-योजना अनुदान घटकर 2,315 करोड़ रु. ही रह जाएंगे।

**तालिका 7.30 : केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान**

(करोड़ रु.)

| स्रोत | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य योजना की योजनाओं के लिए अनुदान | 3721 | 5457 | 5065 | 5052 | 6238 | 28896 |
| केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए अनुदान | 138 | 176 | 96 | 36 | 137 | 209 |
| केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान | 1449 | 2141 | 2159 | 2778 | 2921 | 0 |
| गैर-योजना अनुदान | 2256 | 1925 | 2563 | 2413 | 3288 | 2315 |
| **कुल अनुदान** | **7564** | **9699** | **9883** | **10278** | **12584** | **31420** |

सोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.8 कर विषयक विभागों का प्रदर्शन

<u>वाणिज्य कर विभाग</u>

वाणिज्य कर विभाग 8 अधिनियमों के तहत राजस्व संग्रह करता है : 1. बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट), 2. बिहार स्थानीय क्षेत्र उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री जन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ईटी), 3. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी), 4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ईडी), 5. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ईएनटी), 6. होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 (एचएलटी), 7. बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवीटी) तथा बिहार पेशा, व्यापार, कॉलिंग एवं रोजगार कर अधिनियम, 2011 (पीटी)।

तालिका 7.31 में 2009-10 से 2013-14 तक और वर्तमान वर्ष (2014-15) के लिए सितंबर तक संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। बिक्री कर की जगह लेने वाला वैट मुख्य योगदाता है और 2013-14 में बिहार सरकार के कुल वाणिज्य कर संग्रहण में इसका लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा था जो गत वर्ष 68 प्रतिशत था। मूल्यवर्धित कर के अलावा, प्रवेश कर (स्थानीय क्षेत्र उपभोग-जन्य वस्तु प्रवेश कर) वाणिज्य कर विभाग का एकमात्र अन्य प्रमुख स्रोत है जिसका 2013-14 में हुए कुल कर संग्रहण में 32.6 प्रतिशत योगदान था। विभाग के कुल

कर संग्रहण में इन दो करों का संयुक्त योगदान 97.5 प्रतिशत है। विभिन्न कर-परिक्षेत्रों के लिए इनमें से प्रत्येक कर के संग्रहणों का रुझान 2012-13 और 2013-14 के लिए तालिका प 7.1 (परिशिष्ट) में और 2014-15 (सितंबर तक) के लिए तालिका प 7.2 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है। तालिका 7.32 में राज्य सरकार के राजस्व में वाणिज्यिक करों के हिस्से का वर्षवार रुझान दर्शाया गया है। अनुपात 2009-10 में 15.6 प्रतिशत था लेकिन उसके बाद से बढ़ते हुए 2013-14 में 19.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि राज्य सरकार के अपने कुल करों में उनका हिस्सा 2009-10 के 68.4 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 65.9 प्रतिशत रह गया।

**तालिका 7.31 : विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण ( 2009-10 से 2014-15 )**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | बीएसटी/ वैट | सीएसटी | ईएनटी | ईडी | एडीवी | एचएलटी | ईटी | पीटी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 3805 | 38 | 14 | 64 | 0 | 4 | 1608 | 0 | **5533** |
| 2010-11 | 4532 | 59 | 16 | 65 | 1 | 5 | 2008 | 0 | **6685** |
| 2011-12 | 5668 | 75 | 25 | 55 | 0 | 7 | 2591 | 36 | **8458** |
| 2012-13 | 7391 | 74 | 28 | 102 | 1 | 8 | 3268 | 40 | **10911** |
| 2013-14 | 8546 | 83 | 39 | 141 | 1 | 10 | 4283 | 53 | **13156** |
| 2014-15 (सितंबर 14 तक) | 3564 | 26 | 18 | 51 | 0 | 4 | 1659 | 16 | **5338** |

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 7.32 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.) | 35527 | 44532 | 51320 | 59567 | 68919 |
| राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.) | 8090 | 9870 | 12612 | 16253 | 19961 |
| वाणिज्यिक करों से राजस्व (करोड़ रु.) | 5533 | 6685 | 8458 | 10911 | 13156 |
| कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%) | 15.6 | 15.0 | 16.5 | 18.3 | 19.1 |
| राज्य के अपने करों में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%) | 68.4 | 67.7 | 67.1 | 67.1 | 65.9 |

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

बिक्री कर का सामग्री-वार संग्रहण तालिका 7.33 में प्रस्तुत है। इसमें देखा जा सकता है कि अकेले पेट्रॉलियम उत्पादों का ब्रिकी कर में हमेशा सर्वाधिक योगदान रहा है जिसका बिक्री कर के कुल संग्रहण में 2013-14 में 3,152 करोड़ रु. योगदान था जो बिक्री कर से कुल संग्रहण का लगभग 24 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 में 26 प्रतिशत की उच्च वृद्धि के बाद इसमें 2012-13 में 15 प्रतिशत और 2013-14 में 8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज हुई थी। दूसरे बड़े योगदाता सेमेंट (929 करोड़ रु.) से इसका तिगुने से भी अधिक योगदान है। अन्य महत्वपूर्ण योगदाता हैं : कोयला, कच्चा तेल, एफएमसीजी, विदेशी शराब, देशी शराब, लोहा एवं इस्पात, औषधियां और औषधि-द्रव्य, टेलिफोन, निर्माणजन्य संविदाएं, बिजली के सामान, मोटरवाहन तथा दोपहिए-तिपहिए। इनके मामले में 2013-14 में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है हालांकि विगत कुछ वर्षों के दौरान वितरण के पैटर्न में कोई ढांचागत बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2013-14 में प्रमुख वृद्धि पेट्रॉलियम उत्पाद (240 करोड़ रु.), बिजली के सामान (205 करोड़ रु.), सिमेंट (129 करोड़ रु.), कोयला (96 करोड़ रु.) और एफएमसीजी (78 करोड़ रु.) के मामले में दर्ज की गई है।

## तालिका 7.33 : बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | सामग्री का नाम | संग्रहण (करोड़ रु.) | | | | | वृद्धि दर (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 1 | विज्ञापन कर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 84.0 | -20.0 |
| 2 | एसबेस्टस | 14 | 16 | 20 | 28 | 27 | 7.7 | 16.2 | 25.1 | 36.0 | -4.0 |
| 3 | वाहनों के कलपुर्जे | 26 | 29 | 46 | 57 | 72 | 62.5 | 10.7 | 60.9 | 22.7 | 26.4 |
| 4 | बैटरी | 41 | 50 | 57 | 73 | 102 | 13.9 | 21.2 | 15.4 | 26.5 | 40.3 |
| 5 | पेय पदार्थ | 22 | 32 | 41 | 72 | 72 | 46.7 | 47.4 | 27.1 | 75.4 | -0.7 |
| 6 | भुजिया | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 95.7 | 207.3 | 64.2 |
| 7 | साइकल | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 42.9 | 44.8 | 23.7 | 28.5 | 17.9 |
| 8 | बिस्कुट | 69 | 58 | 82 | 112 | 140 | 21.1 | -15.8 | 41.2 | 35.9 | 25.7 |
| 9 | ईंट | 10 | 11 | 17 | 29 | 34 | 25.0 | 8.7 | 56.5 | 72.9 | 14.5 |
| 10 | सेमेंट | 420 | 477 | 556 | 800 | 929 | 64.7 | 13.6 | 16.6 | 43.8 | 16.1 |
| 11 | कोयला | 111 | 141 | 195 | 282 | 378 | 26.1 | 27.2 | 38.1 | 44.8 | 33.8 |
| 12 | कंप्यूटर | 19 | 25 | 44 | 64 | 60 | 35.7 | 31.4 | 75.6 | 46.4 | -7.1 |
| 13 | टिकाऊ उपभोग सामगियां | 50 | 77 | 94 | 124 | 145 | 38.9 | 53.1 | 22.9 | 31.3 | 17.1 |
| 14 | देशी शराब | 99 | 125 | 143 | 158 | 203 | 62.3 | 26.5 | 14.3 | 10.2 | 28.8 |
| 15 | क्रॉकरी, कटलरी, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 29.5 | 7.8 | 46.9 | 38.5 |
| 16 | कच्चा तेल | 166 | 213 | 249 | 315 | 817 | -11.2 | 28.3 | 16.8 | 26.7 | 159.4 |
| 17 | डीजल | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | - | 21.1 | -68.9 | -69.8 |
| 18 | औषधियां एवं औषधि-द्रव्य | 178 | 208 | 295 | 357 | 408 | 17.1 | 17.0 | 41.7 | 21.1 | 14.1 |
| 19 | मेवे | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 261.0 | 94.2 |
| 20 | खाद्य तेल | 16 | 22 | 35 | 66 | 95 | 23.1 | 37.2 | 60.9 | 86.9 | 43.6 |
| 21 | बिजली के सामान | 154 | 166 | 205 | 341 | 546 | 36.3 | 7.9 | 23.1 | 66.4 | 60.5 |
| 22 | विद्युत शुल्क | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -83.3 | -13.1 | -18.9 | -66.6 | 85.8 |
| 23 | इलक्ट्रॉनिक सामान | 43 | 35 | 50 | 80 | 100 | 48.3 | -18.9 | 44.5 | 59.6 | 24.7 |
| 24 | इंजन और मोटर | 8 | 14 | 19 | 24 | 25 | 33.3 | 81.2 | 32.0 | 27.7 | 2.7 |
| 25 | मनोरंजन कर | 13 | 11 | 17 | 16 | 18 | 44.4 | -12.9 | 46.0 | -5.0 | 14.1 |
| 26 | ईथेनॉल | 1 | 17 | 5 | 9 | 7 | - | - | -69.5 | 71.6 | -15.4 |
| 27 | फास्ट फूड और पका भोजन | 28 | 63 | 90 | 120 | 139 | 21.7 | 126.0 | 41.8 | 33.9 | 15.3 |
| 28 | उर्वरक और कीटनाशक | 82 | 90 | 144 | 198 | 171 | 1.2 | 10.2 | 59.4 | 37.2 | -13.4 |
| 29 | पटाखे | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 117.2 | 149.0 |
| 30 | एफएमसीजी | 210 | 237 | 324 | 414 | 492 | 16.0 | 12.7 | 36.8 | 27.9 | 18.9 |
| 31 | खाद्यान्न | 61 | 78 | 90 | 93 | 174 | 38.6 | 28.1 | 15.6 | 3.5 | 85.9 |
| 32 | जूता-चप्पल | 10 | 13 | 18 | 27 | 37 | 42.9 | 31.3 | 35.1 | 54.3 | 33.7 |
| 33 | चारपहिया वाहन तथा वाहनों की चेसिस | 248 | 304 | 423 | 515 | 491 | 57.0 | 22.5 | 39.1 | 21.8 | -4.7 |
| 34 | फर्नीचर | 13 | 15 | 21 | 32 | 41 | 18.2 | 16.4 | 38.0 | 51.5 | 28.9 |
| 35 | घी और वनस्पति घी | 31 | 47 | 74 | 100 | 99 | 14.8 | 52.3 | 57.3 | 34.2 | -0.5 |
| 36 | कांच | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 0.0 | 53.4 | 42.2 | 30.5 | 19.8 |
| 37 | बंदूक-राइफल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13.6 | 12.6 | 13.7 |
| 38 | हार्डवेयर | 8 | 10 | 15 | 20 | 29 | 33.3 | 28.2 | 44.0 | 32.1 | 48.3 |
| 39 | हवाई चप्पल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 47.6 | 67.2 |
| 40 | चमड़ा और खाल | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -100.0 | - | -22.7 | 77.5 | 25.9 |
| 41 | होजियरी तथा रेडीमेड वस्त्र | 27 | 35 | 41 | 59 | 73 | 42.1 | 28.1 | 19.4 | 41.7 | 25.0 |
| 42 | भारत निर्मित विदेशी शराब | 254 | 340 | 416 | 585 | 747 | 55.8 | 33.9 | 22.1 | 40.8 | 27.7 |
| 43 | लोहा-इस्पात | 93 | 126 | 144 | 237 | 281 | 32.9 | 35.6 | 13.9 | 65.2 | 18.3 |
| 44 | आभूषण | 3 | 5 | 10 | 15 | 13 | 0.0 | 55.1 | 105.9 | 52.4 | -14.3 |
| 45 | किरासन तेल | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | -35.3 | -23.5 | 10.3 | 7.0 |
| 46 | किराना सामान | 13 | 14 | 19 | 31 | 50 | 18.2 | 10.6 | 35.5 | 60.2 | 59.7 |
| 47 | एलपीजी | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.0 | 23.5 | 97.5 | -0.2 | 20.3 |
| 48 | स्नेहक (लूब्रिकेंट) | 32 | 35 | 42 | 47 | 55 | 45.5 | 10.8 | 19.1 | 10.6 | 16.7 |

| क्र. सं. | सामग्री का नाम | संग्रहण (करोड़ रु.) | | | | | वृद्धि दर (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 49 | विलासिता सामग्री और होटल | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 33.3 | 35.6 | 24.4 | 11.4 | 16.7 |
| 50 | संगमरमर और ग्रेनाइट | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | 33.3 | 57.5 | 43.8 | 103.2 | 45.8 |
| 51 | दियासलाई | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -27.6 | -7.9 | 151.6 |
| 52 | मोल्डेड लगेज | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 50.0 | 45.3 | 41.3 | 15.0 | 22.3 |
| 53 | अनुपलब्ध | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 54 | टैगरहित | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 183.3 | 1888.0 |
| 55 | किसी सामान के टैग से रहित | 10 | 0 | 1 | 8 | 20 | -79.6 | -97.1 | 137.1 | 1133.7 | 139.1 |
| 56 | अन्य 12.5% की दर से | 16 | 18 | 27 | 29 | 35 | 14.3 | 9.8 | 54.0 | 6.0 | 21.4 |
| 57 | अन्य 13.5% की दर से | | | | 16 | 44 | | | | | |
| 58 | अन्य 4% की दर से | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 50.0 | 88.9 | 39.3 | -9.2 | 1.0 |
| 59 | अन्य 5% की दर से | | | | 8 | 35 | | | | | |
| 60 | अन्य (कररहित) | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | -33.3 | 50.6 | 45.6 | 53.9 | 24.0 |
| 61 | पेंट | 24 | 34 | 46 | 61 | 83 | 20.0 | 41.0 | 37.0 | 30.8 | 36.6 |
| 62 | पान मसाला | 22 | 24 | 29 | 57 | 91 | 57.1 | 8.0 | 23.0 | 94.3 | 59.9 |
| 63 | कागज | 16 | 18 | 19 | 23 | 38 | 33.3 | 9.5 | 11.1 | 20.3 | 61.9 |
| 64 | पेट्रॉलियम उत्पाद | 1657 | 2008 | 2528 | 2912 | 3152 | 14.1 | 21.2 | 25.9 | 15.2 | 8.3 |
| 65 | पेट्रॉल | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 296.1 | 101.2 |
| 66 | प्लास्टिक के सामान | 11 | 16 | 22 | 35 | 49 | 37.5 | 48.6 | 33.0 | 60.1 | 42.1 |
| 67 | प्लाई बोर्ड | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 100.0 | -3.2 | 78.8 | 57.3 | 103.4 |
| 68 | प्लाईवुड | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0.0 | 20.2 | 45.6 | 55.5 | 12.7 |
| 69 | प्रसंस्कृत सब्जियां एवं आहार | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | -1.1 | 66.5 | 160.2 | 42.6 |
| 70 | पेशा कर | | 0 | 22 | 37 | 51 | - | - | - | 70.0 | 37.8 |
| 71 | बालू | | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | 605.4 | 31.6 |
| 72 | सैनिटरी फिटिंग और टाइल | 17 | 20 | 24 | 34 | 46 | 88.9 | 18.1 | 19.4 | 40.1 | 35.7 |
| 73 | सिलाई मशीन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 42.2 | 70.6 |
| 74 | चश्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 15.5 | 61.5 |
| 75 | खेल के सामान | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | -31.8 | 32.3 | 23.1 |
| 76 | स्टेपल धागा | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 21.8 | 38.6 | 24.3 | 26.0 |
| 77 | लेखन सामग्री | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.0 | 2.8 | 39.2 | 34.8 | 31.6 |
| 78 | स्टोन चिप्स और बलास्ट | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 100.0 | -1.3 | 135.5 | -27.6 | 42.2 |
| 79 | चाय-कॉफी | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 25.0 | 6.6 | 33.2 | 12.2 | 47.9 |
| 80 | टेलिफोन | 150 | 111 | 105 | 100 | 113 | -3.2 | -25.7 | -5.4 | -4.9 | 12.8 |
| 81 | इमारती लकड़ी | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 150.0 | 58.7 |
| 82 | तंबाकू | 57 | 78 | 88 | 151 | 158 | 26.7 | 36.9 | 12.6 | 72.3 | 4.7 |
| 83 | औजार (टूल) | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | - | -4.2 | 26.8 | 58.0 | 22.9 |
| 84 | ट्रैक्टर | 53 | 55 | 79 | 106 | 126 | 71.0 | 3.6 | 43.4 | 34.9 | 18.5 |
| 85 | ट्रांसपोर्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1728.8 | -26.7 |
| 86 | दोपहिया- तिपहिया | 140 | 173 | 218 | 272 | 336 | 35.9 | 23.7 | 25.6 | 25.1 | 23.4 |
| 87 | टायर-ट्यूब | 57 | 64 | 84 | 114 | 114 | 18.8 | 13.1 | 30.0 | 35.8 | 0.1 |
| 88 | अनिबंधित विक्रेता - अन्य | 175 | 188 | 235 | 392 | 344 | -8.9 | 7.7 | 24.5 | 67.1 | -12.1 |
| 89 | अनिबंधित विक्रेता -निर्माण संवेदक | 323 | 392 | 413 | 490 | 659 | 80.4 | 21.3 | 5.4 | 18.5 | 34.7 |
| 90 | बर्तन | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 100.0 | 13.0 | 18.1 | 37.6 | 89.4 |
| 91 | घड़ियां | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 25.0 | 37.0 | 30.4 | 21.4 | 15.6 |
| 92 | निर्माण संविदा तथा टीडीएस | 150 | 200 | 324 | 369 | 334 | 15.4 | 33.5 | 62.0 | 13.8 | -9.5 |
| **योग** | | **5534** | **6645** | **8446** | **10907** | **13156** | **23.9** | **20.1** | **27.1** | **29.1** | **20.6** |

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : वित्तीय लेखों में इस शीर्ष के तहत लिखित राशि 2009-10 के लिए 3,839 करोड़ रु., 2010-11 के लिए 4,557 करोड़ रु., 2011-12 के लिए 7,476 करोड़ रु., 2012-13 के लिए 8,671 करोड़ रु. और 2013-14 के लिए 8,453 करोड़ रु. थी। हालांकि अंतर काफी है, लेकिन उनका अभी तक समाधान-संशोधन नहीं किया गया है।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

निबंधन विभाग और उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग उत्पाद शुल्क के साथ-साथ स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के संग्रहण के लिए भी जवाबदेह है। अब राजस्व संग्रहण के मामले में वाणिज्य कर विभाग के बाद इसी का स्थान है। तालिका 7.34 में राज्य उत्पाद शुल्क से गत 5 वर्षो में होने वाला संग्रहण दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 में पूरे राज्य उत्पाद शुल्क संग्रहण में देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब का 97 प्रतिशत से अधिक योगदान था।

**तालिका 7.34 : राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| देशी शराब | 488.9 | 624.5 | 776.7 | 1294.2 | 1615.0 |
| देशी खमीरीकृत शराब | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| माल्ट निर्मित शराब | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 0.0 |
| शराब | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| विदेशी शराब और स्पिरिट | 989.6 | 1293.7 | 1579.1 | 1792.5 | 2004.1 |
| व्यावसायिक विकृत स्पिरिट और औषधिकृत शराब | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| अल्कोहल, अफीम आदि से युक्त प्रसाधन एवं अन्य सामग्रियां | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| अफीम, भांग और अन्य नशीले पदार्थ | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 0.0 |
| जुर्माना और जब्ती | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 19.5 | 18.6 |
| अन्य प्राप्तियां | 22.3 | 32.4 | 46.8 | 64.1 | 61.0 |
| घटाएं - वापस की गई रकम | -4.7 | -1.0 | -0.2 | -15.5 | 0.0 |
| **योग** | **1523.4** | **1981.0** | **2429.8** | **3173.2** | **3700.0** |

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.35 में 2009-10 से 2014-15 (सितंबर तक) स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व दर्शाया गया है। आंकड़ों के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टांप शुल्क के संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। यह 29 प्रतिशत की उच्च वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 807 करोड़ रु. से 2013-14 में 2,257 करोड़ रु. हो गया। निबंधन शुल्क से प्राप्ति भी तेजी से बढ़ी है और 33 प्रतिशत की उच्च वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2009-10 के 227 करोड़ रु. से 2013-14 में 711 करोड़ रु. हो गई। सितंबर 2014 तक गत वर्ष के मुकाबले इन दोनों करों का 53 प्रतिशत से अधिक भाग संग्रहित किया जा चुका था।

**तालिका 7.35 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (सितंबर' 14 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांपों से | 457 | 334 | 356 | 369 | 320 | 170 |
| बैंक चालान द्वारा जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क से | 309 | 571 | 809 | 1340 | 1856 | 996 |
| एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप | - | 15 | 17 | 13 | 28 | 3 |
| स्पेशल एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा | 13 | 2 | 8 | 24 | 16 | 8 |
| राजस्व स्टांप | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप | 24 | 32 | 32 | 12 | 36 | 11 |
| **उप योग** | **807** | **956** | **1224** | **1761** | **2257** | **1191** |
| अभिलेख निबंधन शुल्क | 195 | 265 | 356 | 522 | 668 | 366 |
| भूस्वामी निबंधन शुल्क | 15 | 18 | 21 | 27 | 32 | 18 |
| भूस्वामी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज हेतु प्राप्त शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| प्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| **उप योग** | **227** | **290** | **384** | **558** | **711** | **390** |
| **योग** | **1034** | **1246** | **1608** | **2319** | **2968** | **1580** |

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.36 में 2014-15 के लिए सितंबर 2014 तक स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से हुआ जिलावार राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है। आशानुरूप, पटना जिला इस स्रोत में सर्वाधिक (कुल राजस्व का लगभग 19 प्रतिशत) योगदान करता है - अपने तत्काल बाद वाले जिले मुजफ्फरपुर से तीनगुना से भी अधिक। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के विवरण तालिका प 7.3 (परिशिष्ट) में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 7.36 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2014-15 ( सितंबर 2014 तक )**

(करोड़ रु.)

| जिला | अभिलेखों की सं. | निबंधन शुल्क | स्टांप शुल्क | कुल प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति लक्ष्य के % में | प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 32913 | 61.1 | 209.8 | 270.9 | 390.0 | 69.5 | 82305 |
| नालंदा | 13421 | 8.3 | 27.0 | 35.3 | 48.5 | 72.7 | 26272 |
| भोजपुर | 13718 | 9.2 | 28.5 | 37.7 | 45.5 | 82.8 | 27475 |
| बक्सर | 7253 | 5.6 | 16.2 | 21.7 | 28.0 | 77.7 | 29974 |
| रोहतास | 13943 | 9.9 | 28.9 | 38.7 | 43.5 | 89.0 | 27777 |
| कैमूर | 7480 | 4.3 | 12.7 | 17.1 | 19.0 | 89.8 | 22794 |
| गया | 18141 | 13.9 | 44.0 | 57.9 | 80.0 | 72.4 | 31922 |
| जहानाबाद | 4836 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 16.5 | 84.8 | 28950 |
| अरवल | 2971 | 1.9 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 114.7 | 25143 |
| नवादा | 8854 | 4.8 | 14.0 | 18.7 | 22.5 | 83.2 | 21166 |
| औरंगाबाद | 13015 | 8.1 | 24.5 | 32.6 | 37.5 | 86.9 | 25040 |
| सारण | 17765 | 10.2 | 28.7 | 38.9 | 46.0 | 84.5 | 21886 |
| सीवान | 18012 | 10.3 | 29.4 | 39.7 | 47.5 | 83.6 | 22063 |
| गोपालगंज | 15153 | 9.3 | 27.4 | 36.8 | 41.5 | 88.6 | 24266 |
| पश्चिम चंपारण | 22457 | 9.6 | 27.0 | 36.6 | 45.0 | 81.3 | 16289 |
| पूर्व चंपारण | 33020 | 17.3 | 48.7 | 66.0 | 79.0 | 83.6 | 19988 |
| मुजफ्फरपुर | 26657 | 21.6 | 59.8 | 81.4 | 115.0 | 70.8 | 30551 |
| सीतामढ़ी | 19920 | 11.2 | 31.0 | 42.2 | 52.5 | 80.3 | 21165 |
| शिवहर | 3829 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 70.9 | 15722 |
| वैशाली | 16837 | 12.1 | 34.3 | 46.4 | 59.0 | 78.7 | 27552 |
| दरभंगा | 18050 | 11.6 | 33.7 | 45.3 | 57.5 | 78.8 | 25091 |
| मधुबनी | 23261 | 10.6 | 29.2 | 39.9 | 50.0 | 79.8 | 17140 |
| समस्तीपुर | 23972 | 11.1 | 36.8 | 47.8 | 48.0 | 99.6 | 19944 |
| बेगूसराय | 13415 | 10.5 | 31.2 | 41.7 | 53.0 | 78.6 | 31062 |
| मुंगेर | 3897 | 3.4 | 10.5 | 13.9 | 16.0 | 87.1 | 35720 |
| शेखपुरा | 3846 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 7.0 | 88.6 | 16095 |
| लखीसराय | 4613 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 12.5 | 81.2 | 22025 |
| जमुई | 7054 | 2.9 | 8.5 | 11.3 | 15.0 | 75.6 | 16076 |
| खगड़िया | 6885 | 3.9 | 10.8 | 14.7 | 17.0 | 86.2 | 21293 |
| भागलपुर | 12571 | 11.3 | 34.6 | 45.9 | 58.5 | 78.4 | 36513 |
| बांका | 7806 | 4.3 | 12.7 | 17.0 | 20.0 | 85.0 | 21778 |
| सहरसा | 9690 | 5.7 | 17.5 | 23.2 | 28.0 | 83.0 | 23973 |
| सुपौल | 11264 | 4.8 | 13.4 | 18.2 | 17.2 | 105.6 | 16149 |
| मधेपुरा | 9647 | 5.0 | 14.1 | 19.0 | 23.0 | 82.9 | 19737 |
| पूर्णिया | 17623 | 10.4 | 31.3 | 41.7 | 51.0 | 81.7 | 23651 |
| किशनगंज | 13220 | 4.6 | 13.6 | 18.2 | 21.0 | 86.4 | 13729 |
| अररिया | 16843 | 7.0 | 20.1 | 27.1 | 31.0 | 87.2 | 16066 |
| कटिहार | 20490 | 9.0 | 26.7 | 35.8 | 42.0 | 85.2 | 17462 |
| **योग** | **534342** | **353.0** | **1070.0** | **1423.0** | **1799.3** | **79.1** | **26631** |

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

## 7.9 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के व्ययों को तीन मुख्य कामकाजी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं। इन सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अलावा व्यय के अन्य क्षेत्र पूंजीगत लेखे में ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों और राज्य सरकार की अधीनस्थ स्वायत्त संस्थाओं को अनुदान हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यमों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण देती है। गौरतलब है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी पूंजीगत लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 7.37 में 2009-10 से 2014-15 तक राज्य सरकार का विभिन्न शीर्षों के तहत होने वाला व्यय प्रस्तुत किया गया है। तालिका 7.38 और 7.39 में इस अवधि में राज्य सरकार की व्यय संरचना प्रस्तुत की गई है। और तालिका 7.40 में विभिन्न व्यय मदों की वार्षिक वृद्धि दरें वर्णित हैं। इन चारो तालिकाओं से हमें राज्य सरकार के व्यय पैटर्न के बारे में पर्याप्त समझ हासिल हो जाती है।

**तालिका 7.37 : संचित निधि से व्यय**

(करोड़ रु.)

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 12202 | 15287 | 17730 | 18645 | 22018 | 28155 |
| सामाजिक सेवाएं | 13186 | 15089 | 18729 | 23107 | 26395 | 43618 |
| आर्थिक सेवाएं | 7088 | 7836 | 10038 | 12710 | 14060 | 19988 |
| सहायता अनुदान | 107 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| पूंजीगत परिव्यय | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| लोक ऋणों की अदायगी | 1983 | 2190 | 2922 | 3070 | 3120 | 3563 |
| राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | 897 | 1103 | 1906 | 2086 | 807 | 406 |
| **योग - संचित निधि** | **42796** | **50705** | **60180** | **69207** | **80405** | **116886** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2005-06 और 2009-10 के बीच राज्य के कुल व्यय में कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 9 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया था। उसके बाद से 2014-15 तक वह उसी स्तर के आसपास रहा है (तालिका 7.38)। राज्य की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास थी। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय गैर-विकासमूलक प्रकृति का होता है और इसका हिस्सा हाल के वर्षों में लगातार घटता गया है। वर्ष 2005-06 में राज्य के कुल व्यय में इसका 39 प्रतिशत हिस्सा था लेकिन इस हिस्से को 2013-14 में 27.4 प्रतिशत पर ले लाया गया था। वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का 33 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं का 18 प्रतिशत और पूंजीगत परिव्यय का

17 प्रतिशत हिस्सा था। कुल व्यय में लोक ऋण की अदायगी का हिस्सा 4 प्रतिशत था जबकि शेष 1 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की पूरी अवधि में पूंजीगत परिव्यय में स्थिर वृद्धि लगभग 7,000 करोड़ रु. की वृद्धि में बदल गई। 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए यह 2008-09 के 7,332 करोड़ रु. से 2013-14 में 14,001 करोड़ रु. तक पहुंच गई। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि ने राज्य की गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था को देश के सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे तेज विकास वाले राज्यों में ला खड़ा किया है।

**तालिका 7.38 : सरकारी व्यय की संरचना**

(प्रतिशत)

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 28.5 | 30.1 | 29.5 | 26.9 | 27.4 | 24.1 |
| सामाजिक सेवाएं | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 33.4 | 32.8 | 37.3 |
| आर्थिक सेवाएं | 16.6 | 15.5 | 16.7 | 18.4 | 17.5 | 17.1 |
| पूंजीगत परिव्यय | 17.1 | 18.1 | 14.7 | 13.8 | 17.4 | 18.1 |
| लोक ऋणों की अदायगी | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.0 |
| राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
| **योग** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.15**

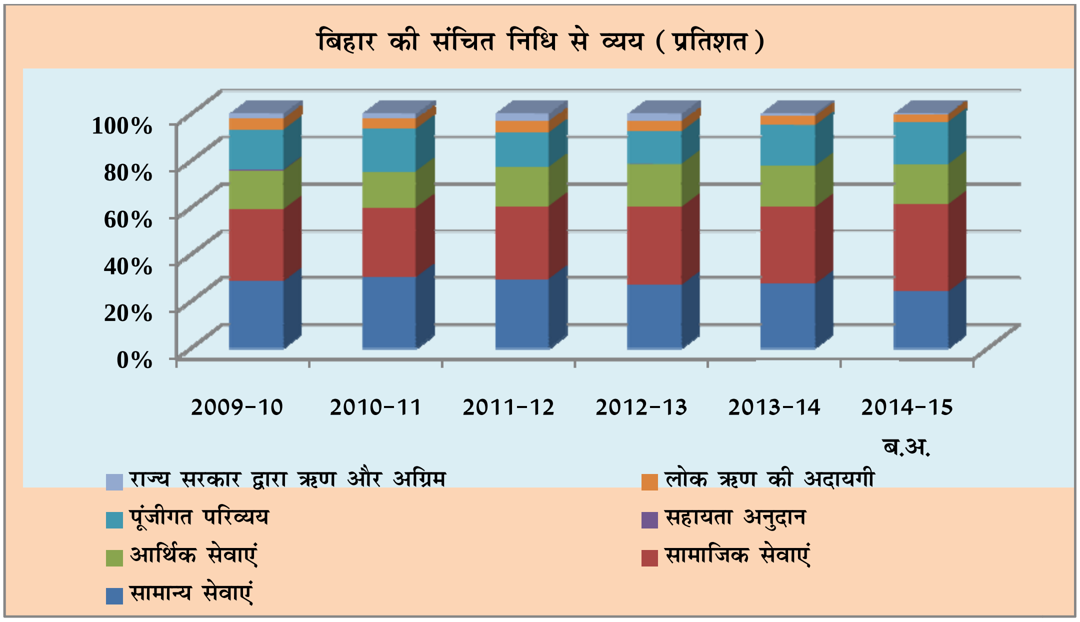

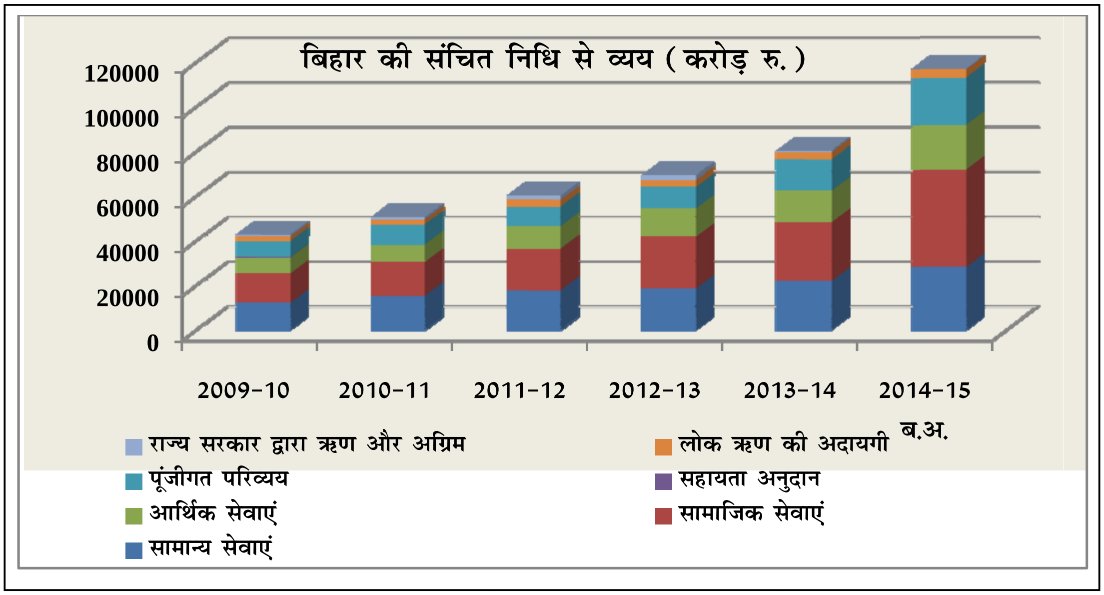
बिहार की संचित निधि से व्यय ( करोड़ रु. )
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
ब.अ.
राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम
लोक ऋण की अदायगी
पूंजीगत परिव्यय
सहायता अनुदान
आर्थिक सेवाएं
सामाजिक सेवाएं
सामान्य सेवाएं

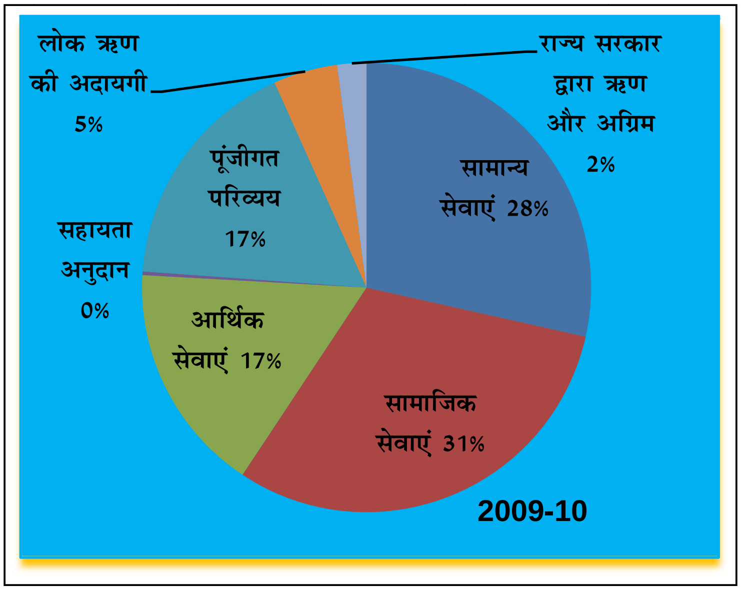
लोक ऋण की अदायगी 5%
राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम 2%
पूंजीगत परिव्यय 17%
सामान्य सेवाएं 28%
सहायता अनुदान 0%
आर्थिक सेवाएं 17%
सामाजिक सेवाएं 31%
2009-10

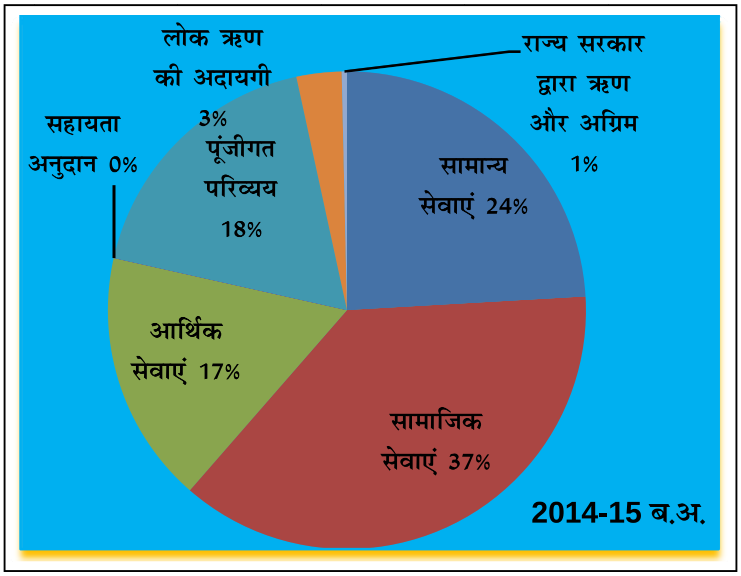
लोक ऋण की अदायगी 3%
राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम 1%
सहायता अनुदान 0%
पूंजीगत परिव्यय 18%
सामान्य सेवाएं 24%
आर्थिक सेवाएं 17%
सामाजिक सेवाएं 37%
2014-15 ब.अ.

तालिका 7.39 में दिखता है कि अब व्यय में बड़ा हिस्सा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का है जो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। वर्ष 2013-14 में कुल व्यय में 78 प्रतिशत हिस्सा राजस्व लेखे का था और 22 प्रतिशत पूंजीगत लेखे का। वर्ष 2013-14 में कुल व्यय का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का और 32 प्रतिशत गैर-विकासमूलक प्रकृति का था। विगत पांच वर्षों के दौरान उनके सापेक्ष अनुपातों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

**तालिका 7.39 : कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत)**

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व लेखा** | **76.1** | **75.4** | **77.3** | **78.7** | **77.7** | **78.5** |
| **गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय** | **28.5** | **30.1** | **29.5** | **26.9** | **27.4** | **24.1** |
| **विकासमूलक राजस्व व्यय** | **47.4** | **45.2** | **47.8** | **51.8** | **50.3** | **54.4** |
| सामाजिक सेवाएं | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 33.4 | 32.8 | 37.3 |
| आर्थिक सेवाएं | 16.6 | 15.5 | 16.7 | 18.4 | 17.5 | 17.1 |
| **पूंजीगत लेखा** | **23.9** | **24.6** | **22.7** | **21.3** | **22.3** | **21.5** |
| **गैर-विकासमूलक पूंजीगत व्यय** | **6.7** | **6.5** | **8.0** | **7.5** | **4.9** | **3.4** |
| लोक ऋण की अदायगी | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.0 |
| राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
| **विकासमूलक पूंजीगत व्यय** | **17.1** | **18.1** | **14.7** | **13.8** | **17.4** | **18.1** |
| पूंजीगत परिव्यय | 17.1 | 18.1 | 14.7 | 13.8 | 17.4 | 18.1 |
| **कुल गैर-विकासमूलक व्यय** | **35.5** | **36.6** | **37.5** | **34.4** | **32.3** | **27.5** |
| कुल विकासमूलक व्यय | **64.5** | **63.4** | **62.5** | **65.6** | **67.7** | **72.5** |
| **कुल व्यय** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

पहले भी देखा गया है कि हाल के वर्षों में राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रखकर राज्य सरकार अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सक्षम रही है। अपने वित्तीय प्रशासन में काफी अनुशासन लाते हुए यह बारहवें वित्त आयोग की कार्यावधि (2005-10) में केंद्र सरकार से अच्छा-खासा ऋण राहत पाने में सफल रही। अब कुल व्यय में ऋण सेवा का हिस्सा 4 प्रतिशत के आसपास रहता है। ऋण भार को प्रबंधनीय सीमा में रखने के कारण राज्य सरकार अधिसंरचना के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के सक्षम हो गई जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। तालिका 7.40 में यह भी दिखता है कि पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि दर 2009-10 से 2014-15 के बीच 14 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है। सामाजिक सेवा पर व्यय उससे भी अधिक 18 प्रतिशत और आर्थिक सेवा पर 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय 17 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

**तालिका 7.40 : व्यय की वृद्धि दरें**

| व्यय शीर्ष | वार्षिक वृद्धि दरें | | | | | | वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2009-15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) | |
| सामान्य सेवाएं | 15.9 | 25.3 | 16.0 | 5.2 | 18.1 | 27.9 | 15.7 |
| सामाजिक सेवाएं | 7.6 | 14.4 | 24.1 | 23.4 | 14.2 | 65.2 | 17.8 |
| आर्थिक सेवाएं | 23.8 | 10.6 | 28.1 | 26.6 | 10.6 | 42.2 | 20.4 |
| सहायता अनुदान | 2613.6 | -97.0 | -2.4 | 17.1 | 3.7 | 7.1 | -25.4 |
| पूंजीगत लेखा, जिसमें | 17.8 | 22.3 | 9.5 | 7.7 | 21.6 | 40.1 | - |
| पूंजीगत परिव्यय | 13.9 | 25.4 | -3.7 | 8.3 | 46.1 | 51.1 | 14.2 |
| लोक ऋणों की अदायगी | 17.9 | 10.4 | 33.4 | 5.0 | 1.6 | 14.2 | 14.3 |
| राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | 62.7 | 23.0 | 72.9 | 9.4 | -61.3 | -49.7 | 15.3 |
| **योग - संचित निधि** | **15.1** | **18.5** | **18.7** | **15.0** | **16.2** | **45.4** | **16.9** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

सामान्य सेवाओं में भी कुछ शीर्ष ऐसे हैं जिनके व्यय को बहुत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मद अधिकांशतः भारित व्यय (चार्ज्ड एक्सपेंडिचर) वाले हैं, जैसे पेंशन तथा ब्याज भुगतान, न्यायिक सेवा, कारा, पुलिस आदि से संबंधित व्यय जिन्हें बहुत जोखिम उठाकर ही राज्य सरकार कम कर सकती है। इन सभी मदों का खर्च लगातार बढ़ता रहा है। हालांकि राज्य सरकार के कुल व्यय में प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा घटता गया है लेकिन रकम के रूप में देखें तो यह व्यय 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ता गया है। यह वृद्धि ब्याज भुगतान और पेंशन व्यय में तेज वृद्धि के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायपालिका, विधानमंडल, राज्य सरकार के कर संबंधी विभागों तथा लोक निर्माण पर बढ़े व्यय के कारण हुई है। वर्ष 2013-14 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2013-14 में गत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत परिव्यय लगभग 17 प्रतिशत बढ़ गया, वहीं सामाजिक सेवाओं पर व्यय 33 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 18 प्रतिशत बढ़ गया। इन वृद्धियों की आवश्यकता भौतिक तथा सामाजिक अधिसंरचना के निर्माण और उन्नयन की मांग के कारण ही नहीं, विभिन्न विभागों की कुशलता बढ़ाने के लिए उनके आधुनिकीकरण के कारण भी पड़ी।

## 7.10 राजस्व व्यय

तालिका 7.41 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का विवरण दर्ज है। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 75-80 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रहा है। इसमें बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय के गैर-योजना घटक का रहता है। वर्ष 2009-10 में कुल राजस्व व्यय में गैर-योजना घटकों का हिस्सा 74 प्रतिशत था जो 2013-14 में घटकर 62 प्रतिशत रह गया। गत पांच वर्षों में कुल व्यय में योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के हिस्से में भी क्रमिक बदलाव आया है और गैर-योजना व्यय का हिस्सा 2009-10 के 62 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 52 प्रतिशत रह गया। योजना व्यय की वृद्धि दर गैर-योजना व्यय की वृद्धि दर से 2013-14 को छोड़कर, जब गैर-योजना घटक 15 प्रतिशत बढ़ा था और योजना व्यय 13 प्रतिशत, शेष सभी वर्षों में अधिक रही है। हालांकि योजना आयोग के समापन के साथ योजना और गैर-योजना व्यय के बारे में होने वाली इस चर्चा की आगामी वर्षों में कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी।

वर्ष 2013-14 में कुल सरकारी व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 23 प्रतिशत के बराबर था और राजस्व व्यय 18 प्रतिशत के बराबर। उत्फुल्लता अनुपातों से दिखता है कि 2009-10 से 2013-14 के बीच 2011-12 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में राजस्व व्यय की विकास दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर से कम रही है। हालांकि 2014-15 के बजट अनुमान में राजस्व व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अधिक तेज दर से बढ़ना अनुमानित है क्योंकि सामाजिक सेवाओं में काफी अधिक व्यय अनुमानित है।

**तालिका 7.41 : राजस्व व्यय का विवरण**

(करोड़ रु.)

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय (आरई) | 32584 | 38216 | 46499 | 54466 | 62477 | 91765 |
| पूंजीगत व्यय (सीई) | 10212 | 12489 | 13681 | 14740 | 17928 | 25121 |
| **कुल व्यय (टीई)** | 42795 | 50705 | 60180 | 69207 | 80405 | 116886 |
| **गैर-योजना व्यय** | **26601** | **29794** | **37172** | **40825** | **46728** | **59231** |
| राजस्व लेखा (एनपीआरई) | 24145 | 27316 | 34013 | 37574 | 43381 | 55427 |
| पूंजीगत लेखा | 2456 | 2478 | 3161 | 3252 | 3347 | 3805 |
| **योजना व्यय** | **16194** | **20911** | **23008** | **28381** | **33677** | **57655** |
| राजस्व लेखा (पीआरई) | 8439 | 10900 | 12487 | 16892 | 19096 | 36339 |
| पूंजीगत लेखा | 7755 | 10011 | 10521 | 11489 | 14581 | 21316 |
| एनपीआरई की वृद्धि दर (%) | 13.72 | 13.14 | 24.51 | 10.47 | 15.46 | 27.77 |
| पीआरई की वृद्धि दर (%) | 15.92 | 29.16 | 14.57 | 35.28 | 13.05 | 90.29 |
| आरई/ टीई (%) | 76.14 | 75.37 | 77.27 | 78.70 | 77.70 | 78.51 |
| एनपीआरई/ टीई (%) | 56.42 | 53.87 | 56.52 | 54.29 | 53.95 | 47.42 |
| **टीई/ जीएसडीपी (%)** | **26.27** | **24.91** | **24.74** | **23.37** | **23.44** | **30.46** |
| **एनपीआरई/ जीएसडीपी (%)** | **20.00** | **18.77** | **19.11** | **18.39** | **18.21** | **23.92** |
| राजस्व प्राप्तियां (आरआर)/ टीई (%) | 83.02 | 87.83 | 85.28 | 86.07 | 85.72 | 87.21 |
| एनपीआरई/ आरआर (%) | 67.96 | 61.34 | 66.28 | 63.08 | 62.94 | 54.37 |
| जीएसडीपी के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता | 0.98 | 0.69 | 1.11 | 0.79 | 0.93 | 3.96 |
| आरआर के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता | 1.85 | 0.68 | 1.42 | 1.07 | 0.94 | 0.98 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.11 वेतन और पेंशन पर व्यय

वेतन और पेंशन सभी सरकारों के लिए व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। वेतन और पेंशन व्यय के रुझान तालिका 7.42 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय में वेतन और पेंशन के संयुक्त व्यय का 37.6 प्रतिशत हिस्सा था जो पांच वर्ष पूर्व के 42.9 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व व्यय में अकेले सरकारी कर्मचारियों के वेतन व्यय का 22.5 प्रतिशत हिस्सा है जो 2009-10 के 27 प्रतिशत से कम हो गया है। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी घटकर 18.7 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 में यह अनुपात वेतन आयोग संबंधी बकायों के कारण ऊंचा था। इसी प्रकार, 2013-14 में पेंशन का राजस्व व्यय में 15 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच इन लेखों पर व्यय में लगभग 9,500 करोड़ रु. की भारी वृद्धि हुई है - वेतन के लिए 4,300 करोड़ रु. की और पेंशन के लिए 5,200 करोड़ रु. की। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में वेतन एवं पेंशन व्यय में लगभग 7,200 करोड़ रु.

की वृद्धि अनुमानित है। लेकिन वेतन व्यय अभी भी बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व व्यय के 35 प्रतिशत की मानक सीमा के अंदर हैं। वेतन भुगतान 2009-10 से 2013-14 के बीच 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और पेंशन भुगतान 22 प्रतिशत की दर से। इस अवधि में दोनो खातों पर कुल व्यय इस अवधि में 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा।

**तालिका 7.42 : वेतन और पेंशन व्यय**

(करोड़ रु.)

| शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वेतन व्यय** | **9658** | **10549** | **12185** | **13567** | **14036** | **19059** |
| गैर-योजना शीर्ष | 9001 | 9953 | 11504 | 12871 | 13315 | 18205 |
| योजना शीर्ष | 657 | 596 | 681 | 693 | 721 | 854 |
| वेतन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 5.0 |
| वेतन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 27.2 | 23.7 | 23.8 | 22.8 | 20.4 | 18.7 |
| वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 29.6 | 27.6 | 26.2 | 24.9 | 22.5 | 20.8 |
| **पेंशन व्यय** | **4319** | **6144** | **7808** | **8364** | **9482** | **11666** |
| वृद्धि दर | 24.1 | 42.3 | 27.1 | 7.1 | 13.4 | 23.0 |
| पेंशन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| पेंशन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 14.0 | 13.8 | 11.4 |
| पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 13.3 | 16.1 | 16.8 | 15.4 | 15.2 | 12.7 |
| **वेतन और पेंशन पर कुल व्यय** | **13977** | **16694** | **19993** | **21931** | **23518** | **30725** |
| कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 8.0 |
| कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 39.3 | 37.5 | 39.0 | 36.8 | 34.1 | 30.1 |
| कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 42.9 | 43.7 | 43.0 | 40.2 | 37.6 | 33.5 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.16**

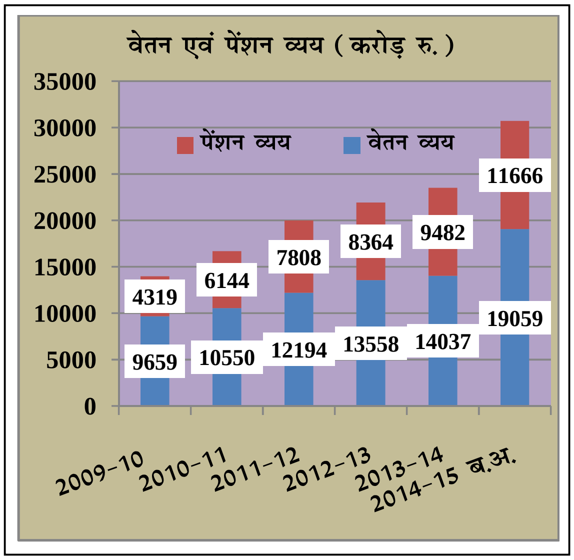


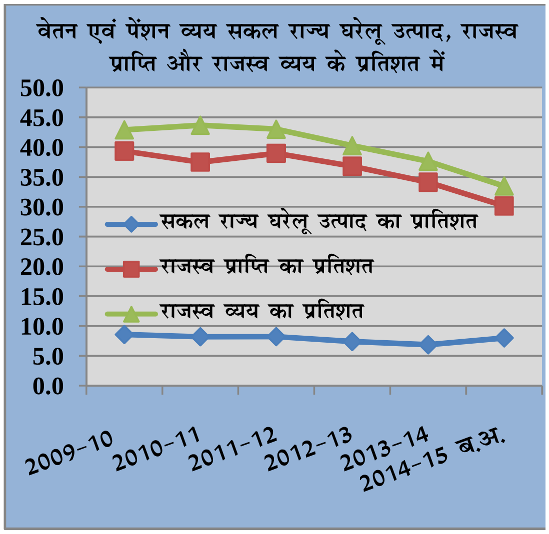

## 7.12 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात, सामान्य सेवाओं के गैर-विकास व्यय की तुलना में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासगत व्यय की मात्रा, तथा गैर-योजना व्यय के मुकाबले योजना व्यय के अनुपात से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड निम्नलिखित हैं : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) राजस्व व्यय का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर हो रहे खर्च का अनुपात, (4) इन सेवाओं में किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात तथा (5) गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात। ये अनुपात जितने ऊंचे होंगे, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 7.43 में 2009-10 से 2013-14 तक के 5 वर्षों के दौरान इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

इन सारे मापदंडों के आधार पर निर्णय करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इस अवधि में विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 66 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया, वहीं कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। योजना व्यय के साथ गैर-योजना व्यय का अनुपात भी व्यवस्थित रूप से बढ़कर महज 61 प्रतिशत से 72 प्रतिशत पर पहुंच गया। ये सारे अनुपात बताते हैं कि बिहार में सार्वजनिक वित्तव्यवस्था प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। इन सुधारों के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि दर हासिल हुई है और राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**तालिका 7.43 : व्यय की गुणवत्ता के मापदंड**

| व्यय शीर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 32584 | 38216 | 46499 | 54466 | 62477 | 91765 |
| सामाजिक/ आर्थिक सेवाओं पर व्यय (करोड़ रु.) | 20274 | 22926 | 28767 | 35817 | 40455 | 63606 |
| (i) वेतन घटक (करोड़ रु.) | 6920 | 7027 | 8171 | 9033 | 7023 | 9579 |
| वेतन घटक का प्रतिशत (%) | 34.1 | 30.7 | 28.4 | 25.2 | 17.4 | 15.1 |
| (ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.) | 13354 | 15899 | 20596 | 26784 | 33432 | 54027 |
| गैर-वेतन घटक का प्रतिशत (%) | 65.9 | 69.3 | 71.6 | 74.8 | 82.6 | 84.9 |
| पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%) | 17.1 | 18.1 | 14.7 | 13.8 | 17.4 | 18.1 |
| राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%) | 76.1 | 75.4 | 77.3 | 78.7 | 77.7 | 78.5 |
| राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 20.0 | 18.8 | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 23.9 |
| पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 |
| योजना व्यय/ गैर-योजना व्यय (%) | 60.9 | 70.2 | 61.9 | 69.5 | 72.1 | 97.3 |
| योजना व्यय/ कुल व्यय (%) | 37.8 | 41.2 | 38.2 | 41.0 | 41.9 | 49.3 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.13 क्षेत्रगत व्यय

<u>सामाजिक सेवाओं पर व्यय</u>

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि की बेहतर उपलब्धता आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह वांछित संपर्क सामाजिक सेवाओं पर पर्याप्त व्यय करके ही स्थापित किया जा सकता है। तालिका 7.44 में 2009–10 से 2014–15 तक की अवधि में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 7.44 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 7750 | 8244 | 10214 | 14445 | 15047 | 25026 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 7416 | 8101 | 10157 | 14080 | 14344 | 23989 |
| (क) वेतन घटक (%) | 48.0 | 45.0 | 43.5 | 44.5 | 33.7 | 28.5 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 52.0 | 55.0 | 56.5 | 55.5 | 66.3 | 71.5 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 334 | 144 | 56 | 364 | 704 | 1037 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 4.7 | 4.1 |
| **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 1517 | 1667 | 2125 | 2398 | 2574 | 4803 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 1388 | 1502 | 1804 | 1836 | 2113 | 4085 |
| (क) वेतन घटक (%) | 66.0 | 73.0 | 72.9 | 79.6 | 74.8 | 48.8 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 34.0 | 27.0 | 27.1 | 20.4 | 25.2 | 51.2 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 129 | 165 | 321 | 563 | 460 | 719 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 8.5 | 9.9 | 15.1 | 23.5 | 17.9 | 15.0 |
| **जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 1903 | 2327 | 2045 | 2587 | 3605 | 7947 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 1438 | 1698 | 1713 | 2304 | 2967 | 6499 |
| (क) वेतन घटक (%) | 11.0 | 10.0 | 11.6 | 8.9 | 7.9 | 4.8 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 89.0 | 90.0 | 88.4 | 91.1 | 92.1 | 95.2 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 465 | 630 | 332 | 282 | 638 | 1448 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 24.4 | 27.1 | 16.2 | 10.9 | 17.7 | 18.2 |
| **योग (सामाजिक सेवाएं)** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 14309 | 16161 | 19536 | 24438 | 28253 | 47137 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 13186 | 15089 | 18729 | 23107 | 26395 | 43618 |
| (क) वेतन घटक (%) | 38.0 | 34.0 | 33.6 | 30.7 | 26.6 | 22.0 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 62.0 | 66.0 | 66.4 | 69.3 | 73.4 | 78.0 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 1123 | 1072 | 807 | 1331 | 1858 | 3520 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 7.8 | 6.6 | 4.1 | 5.4 | 6.6 | 7.5 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

सामाजिक क्षेत्र के विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आबंटन से काफी हद तक अभिव्यक्त होती है जो 2009-10 के 14,309 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 28,253 करोड़ रु. हो गया। यह वृद्धि 2014-15 में और भी अधिक होने की आशा है जब सामाजिक सेवाओं पर व्यय में लगभग 19,000 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। हालांकि सामाजिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय में इस अवधि में कमी आई जो 2009-10 के 7.8 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 6.6 प्रतिशत रह गया।

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक, अर्थात वस्तुतः पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च की जाने वाली रकम 2013-14 में 73 प्रतिशत थी जो 2012-13 में 69 प्रतिशत थी। रकम के लिहाज से देखें तो गत पांच वर्षों के दौरान इसमें 11,200 करोड़ रु. की भारी-भरकम वृद्धि हुई। अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि शिक्षा (5,657 करोड़ रु.) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास (1,453 करोड़ रु.) के मामले में हुई। राजस्व व्यय का वेतन घटक जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास के मामले में वस्तुतः बहुत कम (2013-14 में 8 प्रतिशत) रहा है लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा (2013-14 में 75 प्रतिशत) रहा है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच सामाजिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय लगभग 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 13,186 करोड़ रु. से 26,395 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2014-15 में इसके 47,137 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। सामाजिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय 2009-10 के 1,123 करोड़ रु. से बढ़कर 2013-14 में 1,858 करोड़ रु. हो गया जिसका मुख्य कारण शिक्षा (370 करोड़ रु.), जलापूर्ति एवं स्वच्छता (173 करोड़ रु.) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (331 करोड़ रु.) पर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 7.45 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादक क्षमता के निर्माण के लिए किया जाता है। राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनो के लिहाज से वर्ष 2013-14 में कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व और पूंजीगत, दोनों लेखों के संयुक्त व्यय में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2013-14 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 44 प्रतिशत भाग पूंजीगत खाते में किया गया। आर्थिक सेवाओं के मामले में पूंजीगत परिव्यय 2009-10 के 5,935 करोड़ रु. से काफी बढ़कर 2014-15 में 10,811 करोड़ रु. हो गया। विगत कुछ वर्षों के दौरान इसमें व्यवस्थित रूप से वृद्धि हुई और 2013-14 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत परिव्यय (14,001 करोड़ रु.) में इसका लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा था। आर्थिक सेवाओं पर कुल परिव्यय में सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन का था (4,090 करोड़ रु.) और उसके बाद ऊर्जा एवं विद्युत का (1,997 करोड़ रु.) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी विविध परियोजनाओं का (1,799 करोड़ रु.)। इस पूरी अवधि में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक सामाजिक सेवाओं की तरह ही ऊंचा बना रहा और 2013-14 में 90 प्रतिशत था। वेतन घटक सिर्फ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में ऊंचा था; 2013-14 में कुल व्यय का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा इसी मद में था।

**तालिका 7.45 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 1505 | 2035 | 2032 | 3262 | 3670 | 4836 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 1504 | 2018 | 1914 | 3170 | 3193 | 4012 |
| (क) वेतन घटक (%) | 26.0 | 20.0 | 23.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 74.0 | 80.0 | 76.2 | 85.2 | 85.3 | 85.3 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 1 | 17 | 117 | 92 | 477 | 824 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 0.1 | 0.8 | 5.8 | 2.8 | 13.0 | 17.0 |
| **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 2246 | 2678 | 3275 | 2854 | 2838 | 3387 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 897 | 1311 | 1311 | 914 | 1039 | 1459 |
| (क) वेतन घटक (%) | 69.0 | 53.0 | 47.2 | 65.9 | 56.3 | 50.0 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 31.0 | 47.0 | 52.8 | 34.1 | 43.7 | 50.0 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 1349 | 1367 | 1964 | 1940 | 1799 | 1928 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 68.0 | 63.4 | 56.9 |
| **ऊर्जा एवं विद्युत** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 1244 | 2223 | 2270 | 3374 | 5133 | 5961 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 868 | 1216 | 2168 | 3200 | 3236 | 3071 |
| (क) वेतन घटक (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 376 | 1007 | 102 | 174 | 1897 | 2890 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 30.2 | 45.3 | 4.5 | 5.1 | 37.0 | 48.5 |
| **परिवहन** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 3748 | 4706 | 4852 | 4138 | 5471 | 5780 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 690 | 634 | 789 | 826 | 1381 | 1758 |
| (क) वेतन घटक (%) | 23.0 | 26.0 | 23.3 | 24.6 | 15.4 | 16.7 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 77.0 | 74.0 | 76.7 | 75.4 | 84.6 | 83.3 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 3058 | 4072 | 4064 | 3313 | 4090 | 4022 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 81.6 | 86.5 | 83.7 | 80.1 | 74.8 | 69.6 |
| **उद्योग एवं खनिज** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 534 | 335 | 429 | 583 | 1115 | 999 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 265 | 326 | 363 | 534 | 580 | 976 |
| (क) वेतन घटक (%) | 17.0 | 34.0 | 11.2 | 15.6 | 11.0 | 10.1 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 83.0 | 66.0 | 88.8 | 84.4 | 89.0 | 89.9 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 269 | 9 | 66 | 49 | 535 | 23 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 50.3 | 2.6 | 15.4 | 8.4 | 48.0 | 2.3 |
| **योग (आर्थिक सेवाएं)** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 13023 | 15564 | 17475 | 20246 | 24871 | 35323 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 7088 | 7836 | 10038 | 12710 | 14060 | 19988 |
| (क) वेतन घटक (%) | 25.0 | 20.0 | 18.7 | 15.2 | 10.4 | 9.4 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 75.0 | 80.0 | 81.3 | 84.8 | 89.6 | 90.6 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 5935 | 7728 | 7437 | 7536 | 10811 | 15334 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 45.6 | 49.7 | 42.6 | 37.2 | 43.5 | 43.4 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

## 7.14 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 7.46 में 2009-10 से 2014-15 तक सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। इस अवधि में सामाजिक सेवाओं के मामले में प्रति व्यक्ति व्यय की वृद्धि काफी अधिक थी जो 1,332 रु. से बढ़कर 3,919 रु. हो गया। आर्थिक सेवाओं में वृद्धि भी काफी थी - 716 रु. से बढ़कर 1,796 रु.। प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय 2009-10 के 741 रु. से बढ़कर 2014-15 में 1,900 रु. हो गया।

**तालिका 7.46 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय**

| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुमानित जनसंख्या (करोड़) | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
| **कुल व्यय (करोड़ रु.)** | | | | | | |
| शिक्षा, खेल आदि | 7416 | 8101 | 10157 | 14080 | 14344 | 23989 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 1388 | 1502 | 1804 | 1836 | 2113 | 4085 |
| जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 1438 | 1698 | 1713 | 2304 | 2967 | 6499 |
| सामाजिक सेवाएं | 13186 | 15089 | 18729 | 23107 | 26395 | 43618 |
| आर्थिक सेवाएं | 7088 | 7836 | 10038 | 12710 | 14060 | 19988 |
| पूंजीगत परिव्यय | 7332 | 9196 | 8852 | 9585 | 14001 | 21151 |
| सामान्य सेवाएं | 12202 | 15287 | 17730 | 18645 | 22018 | 28155 |
| **प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)** | | | | | | |
| शिक्षा, खेल आदि | 749 | 794 | 977 | 1324 | 1318 | 2155 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 140 | 147 | 173 | 173 | 194 | 367 |
| जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 145 | 166 | 165 | 217 | 273 | 584 |
| सामाजिक सेवाएं | 1332 | 1479 | 1801 | 2172 | 2426 | 3919 |
| आर्थिक सेवाएं | 716 | 768 | 965 | 1195 | 1292 | 1796 |
| पूंजीगत परिव्यय | 741 | 902 | 851 | 901 | 1287 | 1900 |
| सामान्य सेवाएं | 1233 | 1499 | 1705 | 1753 | 2023 | 2529 |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

**चार्ट 7.17**

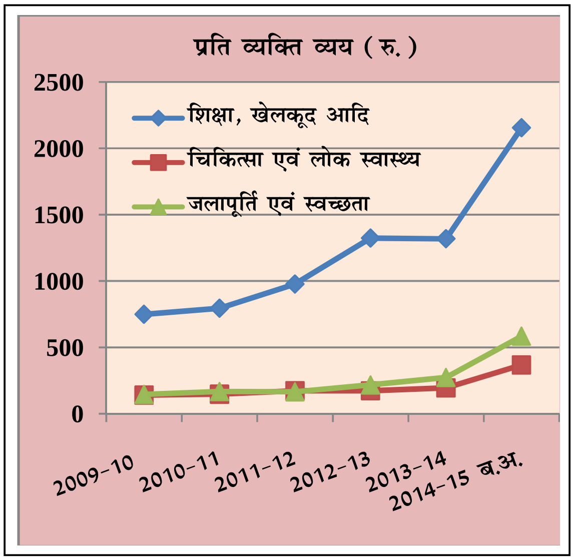


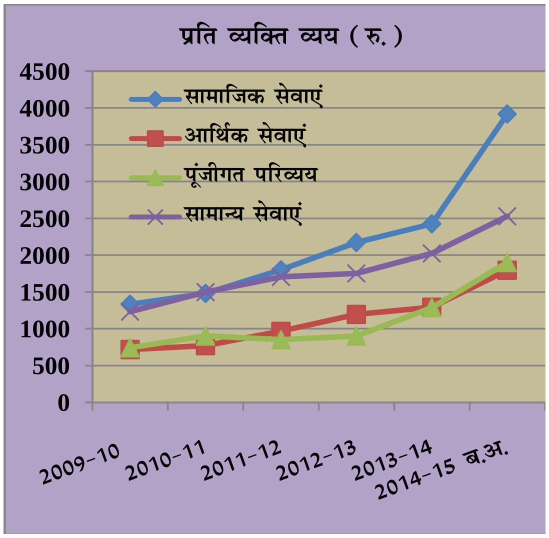

## 7.15 राज्य के बजटों की तुलना : 2013-14 और 2014-15

इस खंड में 2014-15 के बजट की 2013-14 की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ तुलना की जाएगी। वर्ष 2013-14 के बजट में राज्य की संचित निधि में 1,562 करोड़ रु. का घाटा दिखा। वर्ष 2014-15 के बजट में भी संचित निधि में 203 करोड़ रु. का मामूली घाटा रह जाता है।

तालिका 7.47 में देखा जा सकता है कि 2014-15 में गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में लगभग 33,018 करोड़ रु. और राजस्व व्यय में लगभग 29,288 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है। इसमें 10,174 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष अनुमानित है जो गत वर्ष के राजस्व अधिशेष - 6,442 करोड़ रु. - से काफी अधिक है।

**तालिका 7.47 : बजट 2013-14 और 2014-15 का सारांश**

(करोड़ रु.)

| | 2013-14 (वास्तविक) | 2014-15 (ब.अ.) | | 2013-14 (वास्तविक) | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व लेखा** | | | **पूंजीगत लेखा** | | |
| **प्राप्ति** | | | **प्राप्ति** | | |
| कर राजस्व | 54790 | 67438 | लोक ऋण | 9907 | 14727 |
| गैर-कर राजस्व | 1545 | 3082 | ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली | 15 | 16 |
| अनुदान और अंशदान | 12584 | 31420 | | | |
| **कुल राजस्व प्राप्तियां** | **68919** | **101939** | **कुल पूंजीगत प्राप्तियां** | 9922 | 14743 |
| **व्यय** | | | **व्यय** | | |
| सामान्य सेवाएं | 22018 | 28155 | पूंजीगत परिव्यय | 14001 | 21151 |
| सामाजिक सेवाएं | 26395 | 43618 | लोक ऋण | 3120 | 3563 |
| आर्थिक सेवाएं | 14060 | 19988 | ऋण तथा अग्रिम | 807 | 406 |
| अनुदान एवं अंशदान | 4 | 4 | | | |
| **कुल राजस्व व्यय** | **62477** | **91765** | **कुल पूंजीगत व्यय** | **17928** | **25121** |
| **घाटा : राजस्व लेखा** | **-6442** | **-10174** | **घाटा : पूंजीगत लेखा** | **8006** | **10377** |
| **संचित निधि की प्राप्तियां** | **78844** | **116683** | **संचित निधि से व्यय** | **80405** | **116886** |
| **निवल संचित निधि (प्राप्ति - व्यय)** | **-1562** | **-203** | | | |
| **आकस्मिक निधि** | | | | | |
| आय | | | व्यय | | |
| **आकस्मिक निधि का योग** | | | **आकस्मिक निधि का योग** | | |
| **लोक लेखा** | | | **लोक लेखा** | | |
| **प्राप्तियां** | | | **संवितरण** | | |
| लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 1072 | 1645 | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 1370 | 1409 |
| आरक्षित कोष | 823 | 739 | आरक्षित कोष | 561 | 739 |
| जमा और अग्रिम | 18609 | 10155 | जमा और अग्रिम | 14941 | 9996 |
| सस्पेंस तथा विविध | 122952 | 0 | सस्पेंस तथा विविध | 124960 | 0 |
| प्रेषण (रेमिटेंस) | 12374 | 0 | प्रेषण | 12393 | 0 |
| **कुल प्राप्तियां : लोक लेखा** | **155831** | **12539** | **कुल संवितरण : लोक लेखा** | **154225** | **12144** |
| **शुद्ध परिणाम : लोक लेखा (प्राप्ति - व्यय)** | **1606** | **395** | | | |
| **शुद्ध परिणाम : सभी लेखे (प्राप्ति - व्यय)** | **41** | **193** | | | |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में पूंजीगत लेखे के तहत व्यय में 2013-14 की अपेक्षा 7,193 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है। बाजार से ऋण और राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण सहित लोक ऋण के साथ-साथ योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार के अनुदानों से पूंजीगत प्राप्तियों में 4,821 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। इससे पूंजीगत लेखे में 10,377 करोड़ रु. का घाटा रह जाता है। वर्ष 2014-15 में ऋण अदायगी में गत वर्ष की अपेक्षा मात्र 4,820 करोड़ की वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा ऋणप्रदान में 401 करोड़ रु. की कमी अनुमानित है। फलतः पूंजीगत लेखे में 10,377 करोड़ रु. का घाटा राजस्व शेष के 10,174 करोड़ रु. का उपयोग कर लेने के बाद भी बजट में 203 करोड़ रु. का घाटा छोड़ जाएगा। वर्ष 2014-15 में लोक लेखा में 395 करोड़ रु. का शुद्ध अधिशेष रहना अनुमानित है और सभी लेखों का शुद्ध परिणाम 193 करोड़ रु. का अधिशेष है। वर्ष 2013-14 के लेखे में मात्र 41 करोड़ रु. का शुद्ध अधिशेष मौजूद था।

राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय का ढांचा तालिका 7.48 में प्रस्तुत है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि अनुदानों और कर राजस्वों के हिस्से में कुछ छोटे-मोटे अंतरों के अलावा सहायता अनुदानों और कर राजस्व की प्राप्ति की संरचना में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2014-15 में कर राजस्व संचित निधि में कुल प्राप्ति का 58 प्रतिशत है जो गत वर्ष 69 प्रतिशत था। जहां 2014-15 में गैर-कर राजस्व के हिस्से में 1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, वहीं लोक ऋण के हिस्से में 1 प्रतिशत कमी अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार के अनुदानों का हिस्सा 2013-14 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है।

व्यय का ढांचा भी दोनों वर्षों में लगभग एक जैसा ही रहा। जहां 2014-15 के बजट अनुमान में सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े से 3 प्रतिशत घट गया, वहीं कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 4 प्रतिशत बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के हिस्से में गत वर्ष 18 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की कमी आई जबकि पूंजीगत परिव्यय बढ़कर 17 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण के हिस्से में 1 प्रतिशत की कमी आई और ऋण एवं अग्रिम गत वर्ष के बराबर रहा। बजट में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि का पूर्ववर्ती रुझान जारी रहा।

**तालिका 7.48 : संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय**

| प्राप्ति | 2013-14 (वास्तविक) | 2014-15 (ब.अ.) | व्यय | 2013-14 (वास्तविक) | 2014-15 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व लेखा** | | | **राजस्व लेखा** | | |
| कर राजस्व | 54790 | 67438 | सामान्य सेवाएं | 22018 | 28155 |
| गैर-कर राजस्व | 1545 | 3082 | सामाजिक सेवाएं | 26395 | 43618 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 12584 | 31420 | आर्थिक सेवाएं | 14060 | 19988 |
| | | | सहायता अनुदान | 4 | 4 |
| **पूंजी लेखा** | | | **पूंजी लेखा** | | |
| लोक ऋण | 9907 | 14727 | लोक ऋण की अदायगी | 3120 | 3563 |
| ऋणों और अग्रिमों की वसूली | 15 | 16 | ऋण एवं अग्रिम | 807 | 406 |
| अंतर-राज्य भुगतान | 0 | 0 | पूंजीगत परिव्यय | 14001 | 21151 |
| **योग** | **78844** | **116683** | **योग** | **80405** | **116886** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 7-18

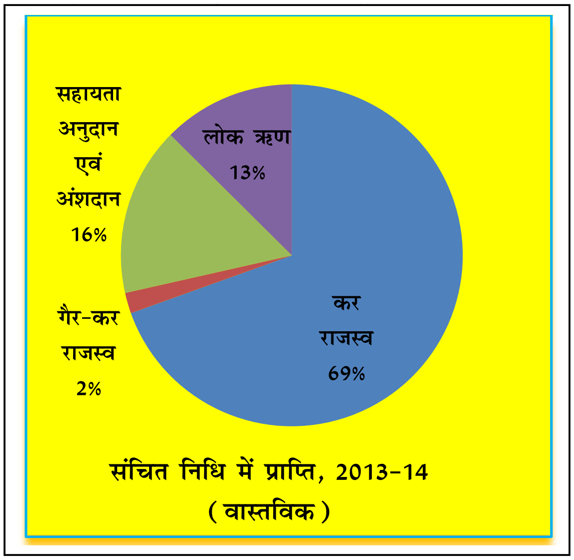


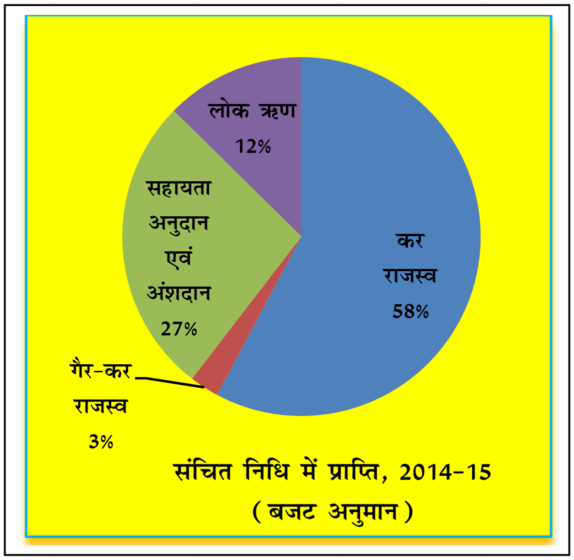


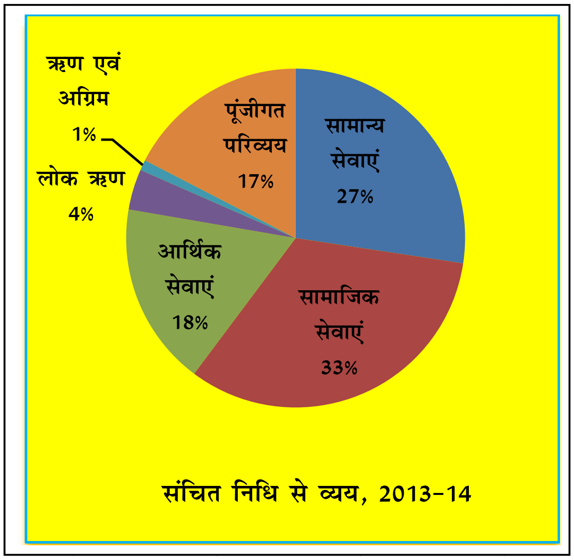


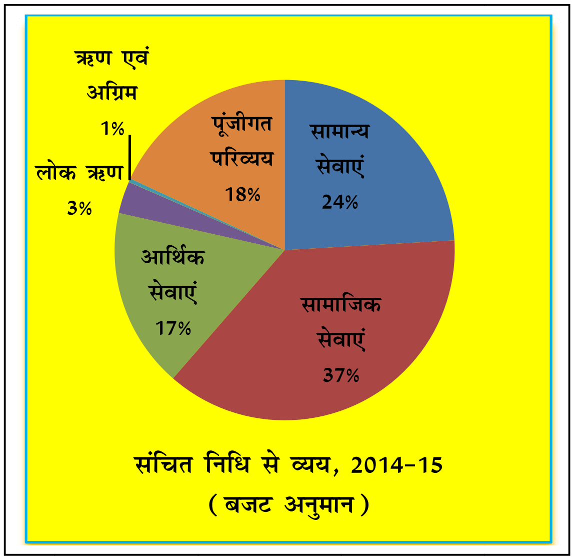


## 7.16 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि

अगस्त 2014 में रोक लगाए जाने के पहले योजना आयोग राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता सामान्य केंद्रीय सहायता (एनसीए) के तहत दिया करता था जिसमें अनुदान और ऋण, दोनो घटक शामिल होते थे। योजनाओं की अनुशंसा योजना आयोग द्वारा की जाती थी और उन योजनाओं के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप राज्य के साथ परामर्श करके योजना आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता था। धनराशि 12 मासिक किश्तों में विमुक्त की जाती थी। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) दी जाती थी। राज्यों को योजना विषयक धनराशियां केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भी दी जाती थीं जिनका वित्तपोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था जिसमें बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का होता था। राज्यों द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों

(डीआरडीए) या राज्य के अन्य विशेष अभिकरणों के जरिए किया जाता था जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राज्य बजट में प्रदर्शित किए बिना केंद्र सरकार द्वारा धनराशि का सीधा अंतरण किया जाता था। अनेक राज्य सरकारों को महसूस होता था कि ऐसे प्रत्यक्ष अंतरण संघीय वित्तीय संबंधों में विरूपण के स्रोत हैं। योजना आयोग के समापन के साथ इन योजनाओं का भविष्य अभी तक अस्पष्ट है लेकिन इन योजनाओं पर चर्चा जरूरी है क्योंकि ये 2013-14 में चलती रही हैं।

विगत वर्षों में राज्य के हितों को ध्यान में रखे बिना स्वैच्छिक आधार पर चुनी हुई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भरमार थी। स्पष्टत: सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए चलने वाली ऐसी योजनाओं की संख्या 2012-13 में 147 थी। उनमें कमी आने के बावजूद 2013-14 में उनकी संख्या 137 रह गई थी (तालिका 7.49)। चूंकि राज्यों से उनके व्यय में अंशदान करने की उम्मीद की जाती थी इसलिए वे उनके ऊपर बोझ भी डालती थीं, खास कर गरीब राज्यों पर।

**तालिका 7.49 : केंद्र प्रायोजित योजनाएं**

| वर्ष | योजना के अंतर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सं. | केंद्रीय धनराशि का कुल आबंटन (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 2007-08 | 99 | 81,620 |
| 2008-09 | 133 | 1,01,824 |
| 2009-10 | 138 | 1,37,137 |
| 2010-11 | 139 | 1,57,051 |
| 2011-12 | 147 | 1,80,389 |
| 2012-13 | 147 | अनु. |
| 2013-14 | 137 | अनु. |

टिप्पणी : केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आंकड़े केंद्रीय बजट में अलग से दर्शाए नहीं गए हैं। वर्ष 2007-12 के आंकड़ों का स्रोत, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन पर बी. के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट, योजना आयोग (2011) है।

बी. के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति अप्रील 2011 में गठित की गई थी जिसने सितंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति से सत्य ही चिन्हित किया था कि इन योजनाओं का अनुश्रवण असंभव है क्योंकि राज्य सरकार का अपने बजटों के बाहर जाकर अंतरित होने वाली धनराशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये धनराशियां वित्त विभाग द्वारा प्रयुक्त आंतरिक नियंत्रणों, महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन) द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण संबंधी नियंत्रणों, और विधानमंडल तथा लोक लेखा समिति द्वारा प्रयुक्त विधायी नियंत्रणों को को दरकिनार करती थीं। समिति ने अनुशंसा की थी कि बाहरवीं योजना के दौरान सारे अंतरण राज्य सरकार के बजटों के मार्फत ही होने चाहिए, न कि सीधा क्रियान्वयन अभिकरणों को। समिति ने उनकी संख्या में भारी कमी और उनके पुनर्गठन की भी अनुशंसा की थी। उसने विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं से संबंधित धनराशि वितरण में अधिक पारदर्शिता और युक्तिकरण तथा उनके भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में अधिक लचीलापन लाने पर बल दिया था। इन परिवर्तनों से योजनाएं राज्यों की जरूरतों और क्षमताओं के लिहाज से अधिक प्रासंगिक बन सकती थी।

इन अनुशंसाओं के आधार पर जून 2013 में केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में पुनर्गठित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। स्थानीय संदर्भों में उपयुक्तता के लिहाज से खास राज्यों में योजनाओं के लिए इस मकसद से अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा अनुशंसित खास दिशानिर्देश हो सकते हैं। इसके बाद से सारी धनराशियों को राज्य बजट के जरिए दिया जाना है न कि सीधा क्रियान्वयन अभिकरणों को जैसा कि अभी तक किया जाता रहा है। संसाधनों के लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के कुल बजट में से 10 प्रतिशत राशि को फ्लेक्सी-फंड के बतौर रखना है जबकि समिति द्वारा इसके लिए 20 प्रतिशत की अनुशंसा की गई थी। सामान्य श्रेणी के राज्य योजनाओं की कुल धनराशि में न्यूनतम 25 प्रतिशत योगदान करेंगे जबकि विशेष श्रेणी के राज्य न्यूनतम 10 प्रतिशत योगदान करेंगे। बारहवीं योजना के शेष वर्षों (अर्थात 2014-17) के लिए इन परिवर्तनों को 2014 से लागू होना था।

वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में योजना व्यय के बतौर आबंटित कुल धनराशि 5,55,322 करोड़ रु. थी। इसमें से 1,36,254 करोड़ रु. का आबंटन राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के बतौर और शेष 4,19,068 करोड़ रु. का आबंटन केंद्रीय योजनागत योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के बतौर किया गया था। बाद वाली रकम में से 1,56,150 करोड़ रु. का आबंटन निम्नलिखित 8 फ्लैगशिप केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया था - (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (33,000 करोड़ रु.), (2) सर्व शिक्षा अभियान (27,258 करोड़ रु.), (3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (21,700 करोड़ रु.), (4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (18,800 करोड़ रु.), (5) समेकित बाल विकास योजना (15,912 करोड़ रु.), (6) इंदिरा आवास योजना (15,184 करोड़ रु.), (7) मध्याह्न भोजन योजना (13,216 करोड़ रु.) और (8) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (11,000 करोड़ रु.)। इसके अलावा, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के बतौर 14,000 करोड़ रु. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन के लिए आबंटित किए गए थे। इस प्रकार, केंद्रीय योजनागत योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय योजनागत अनुदानों के बड़े हिस्से का व्यय कुछ ही योजनाओं के लिए किया गया जबकि देश में केंद्रीय योजनागत योजना अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस) द्वारा सूचीबद्ध 41 योजनाओं, 137 केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत 5 योजनाएं चल रही हैं।

तालिका 7.50 में 2011-12 से 2013-14 तक कुछ राज्यस्तरीय स्वायत्त निकायों को केंद्र सरकार से अंतरित धनराशि के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संबंधित आंकड़े तीन प्रमुख समितियों और एक केंद्र प्रायोजित योजना से संबंधित हैं :

(क) बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए;

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए;

(ग) जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाइ), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाइ), इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स), नगरवत ग्रामीण क्षेत्र सुविधा प्रावधान (पीयूआरए), समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आइडब्ल्यूडीपी), समेकित जलछाजन विकास कार्यक्रम (आइडब्ल्यूएमपी) तथा प्राधिकार के अपने प्रशासन के लिए;

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाइ) : इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निबंधित संस्थाओं के जरिए किया जाता है।

**तालिका 7.50 : राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण**

(करोड़ रु.)

| योजना | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) | 1851 | 2755 | 2610 |
| एनपीईजीईएल | 0 | 16 | 0 |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) | 0 | 57 | 0 |
| आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) | 0 | 204 | 0 |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 0 | 138 | 0 |
| महिला सामाख्या | 6 | 7 | 7 |
| जन शिक्षण संस्थान | 6 | 5 | 7 |
| राष्ट्रीय औषधिद्रव्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान | 0 | 0 | 0 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना | 0 | 0 | 0 |
| राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना | 12 | 0 | 5 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम | 0 | 0 | 1 |
| कला-संस्कृति प्रवर्तन एवं प्रसार | 1 | 1 | 2 |
| हस्तशिल्प | 0 | 0 | 0 |
| स्मारक एवं अन्य | 3 | 0 | 2 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 6 | 758 | 779 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा | 119 | 0 | 0 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : समेकित जलछाजन विकास कार्यक्रम | 5 | 17 | 17 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : हरियाली | 0 | 0 | 0 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | 68 | 138 | 31 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (प्रशासन) | 30 | 15 | 21 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 3196 | 960 | 726 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : मनरेगा | 1301 | 1228 | 1581 |
| जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार : इंदिरा आवास योजना | 2171 | 1685 | 2957 |
| समेकित दुग्धशाला विकास कार्यक्रम (IDDP) | 0 | 21 | 0 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 75 | 66 | 15 |
| राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन | 0 | 9 | 0 |
| निर्यात अधिसंरचना विकास हेतु राज्य को सहायता (आहार विकास केंद्र) | 0 | 4 | 0 |
| रेशम उत्पादन विकास हेतु उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम | 0 | 3 | 0 |
| ऑफ ग्रिड डीआरपीएस (ब्रेडा) | 6 | 6 | 4 |
| सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 101 | 224 | 327 |
| **राज्य बजट को दरकिनार करता भारत सरकार का कुल धन** | **8958** | **8314** | **9465** |
| **राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर** | **17.5** | **14.0** | **13.7** |
| **कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर** | **14.9** | **12.0** | **11.7** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 7.50 में देखा जा सकता है कि राज्य के बजट को दरकिनार करते हुए 2013-14 में स्वायत्त संस्थाओं को 9,465 करोड़ रु. सीधे भेज दिए गए जबकि 2012-13 में यह रकम 8,314 करोड़ रु. थी। यह 2013-14 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति के लगभग 14 प्रतिशत और कुल व्यय के लगभग 12 प्रतिशत के बराबर है। इसके अलावा, यह राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष प्राप्त कुल केंद्रीय अनुदान के 75 प्रतिशत से अधिक

है। पहले भी संकेत दिया गया है कि ऐसे अंतरणों का राजकोषीय संघवाद की भावना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वित्तीय प्रबंधन के केंद्रीकरण के जरिए ऐसे अंतरण जिला और स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के अकुशल उपयोग का कारण बनते हैं। निस्संदेह, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन का कम उपयोग बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। आशा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन से इन विसंगतियों पर अब रोक लग जाएगी।

## 7.17 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी निवेश

बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 68 सरकारी कंपनियां और 3 वैधानिक निगम (स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन) मौजूद हैं। हालांकि इन 68 सरकारी कंपनियों में से सिर्फ 28 कार्यशील हैं। मार्च 2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कुल निवेश तालिका 7.51 में दर्शाया गया है। वर्ष 2013 में कुल निवेश में से 7,593 करोड़ रु. (3,562 करोड़ रु. इक्विटी में और 4,216 करोड़ रु. दीर्घावधि सावधि ऋण के बतौर) का निवेश सार्वजनिक कंपनियों और वैधानिक निगमों में किया गया था। मात्र 729 करोड़ रु. (181 करोड़ इक्विटी और 548 करोड़ रु. दीर्घावधि ऋण के बतौर) का निवेश अकार्यशील कंपनियों में किया गया था।

**तालिका 7.51 : सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश**

| 31 मार्च को | कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं. | अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं. | वैधानिक निगम | कुल सार्वजनिक कंपनियां/ निगम | कुल इक्विटी (करोड़ रु.) | कुल ऋण (करोड़ रु.) | कुल निवेश (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | 34 | 4 | 54 | 531 | 8149 | 8680 |
| 2009 | 19 | 40 | 4 | 63 | 526 | 8615 | 9141 |
| 2010 | 21 | 40 | 4 | 65 | 585 | 9037 | 9622 |
| 2011 | 21 | 40 | 4 | 65 | 625 | 10240 | 10865 |
| 2012 | 22 | 40 | 4 | 66 | 633 | 11741 | 12374 |
| 2013 | 28 | 40 | 3 | 71 | 3743 | 4579 | 8322 |

स्रोत : प्रधान महालेखाकार (बिहार) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (व्यावसायिक)

मार्च 2013 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का क्षेत्रवार ब्योरा तालिका 7.52 में प्रस्तुत है। अधिकांश कार्यशील कंपनियां बिजली, अधिसंरचना और वित्तीय क्षेत्र की हैं। 40 अकार्यशील कंपनियों में से 7 परिसमापन की प्रक्रिया में थीं क्योंकि वे कोई उपयोगी प्रयोजन पूरा नहीं कर रही थीं। निस्संदेह, ये सातो कंपनियां विगत 13 वर्षों से परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। 28 कार्यशील कंपनियों और 3 वैधानिक निगमों का कुल टर्नओवर 2012-13 में 4,858 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत) था जबकि 2011-12 में उनका टर्नओवर 7,811 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत) था। वर्ष 2012-13 में उन्हें कुल 1,109 करोड़ रु. का घाटा हुआ जो 2011-12 में 2,619 करोड़ रु. था। मार्च 2013 तक उनमें 16,234 कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक उपक्रमों का संचित ऋण 2012-13 में 4,579 करोड़ रु. हो गया था। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 2007-08 से 2012-13 तक छः वर्षों की अवधि में हुआ घाटा चार्ट 7.19 में दर्शाया गया है। हाल ही में बिजली संबंधी पांच कंपनियों में विभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आंकड़ों

को इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उस वर्ष के उनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चार्ट में 2012-13 में घाटे में तेज गिरावट क्यों दिखती है।

**चार्ट 7.19**

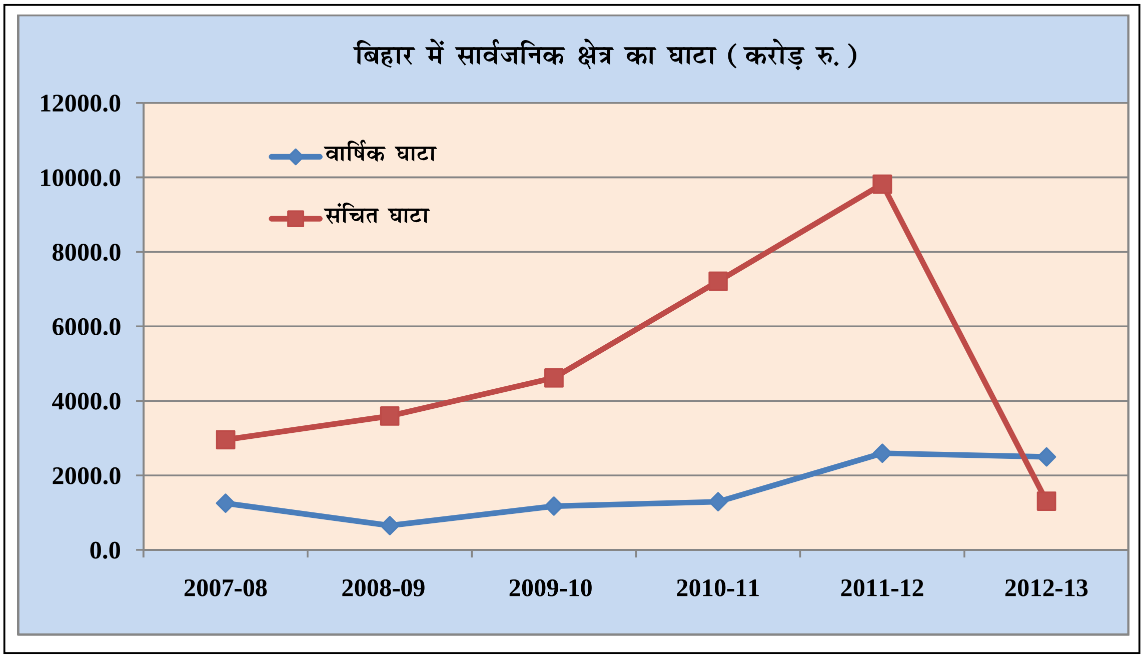


**तालिका 7.52 : क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम, 2012-13**

| क्षेत्र | वैधानिक निगमों की सं. | कार्यशील कंपनियों की सं. | अकार्यशील कंपनियों की सं. |
|---|---|---|---|
| कृषि | 0 | 3 | 12 |
| बिजली | 0 | 7 | 0 |
| अधिसंरचना | 0 | 6 | 1 |
| विनिर्माण | 0 | 3 | 12 |
| सेवा | 2 | 3 | 1 |
| वित्तपोषण | 1 | 4 | 4 |
| अन्य | 0 | 2 | 10 |
| **योग** | **3** | **28** | **40** |

स्रोत : प्रधान महालेखाकार (बिहार) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (व्यावसायिक)

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी पूंजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी, गारंटी, ऋण मुक्ति आदि के स्वरूप में किए गए निवेश और बजट के जरिए दी गई सहायता की वृद्धि चार्ट 7.20 में दर्शाई गई है। चार्ट में 2012-13 के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

## चार्ट 7.20

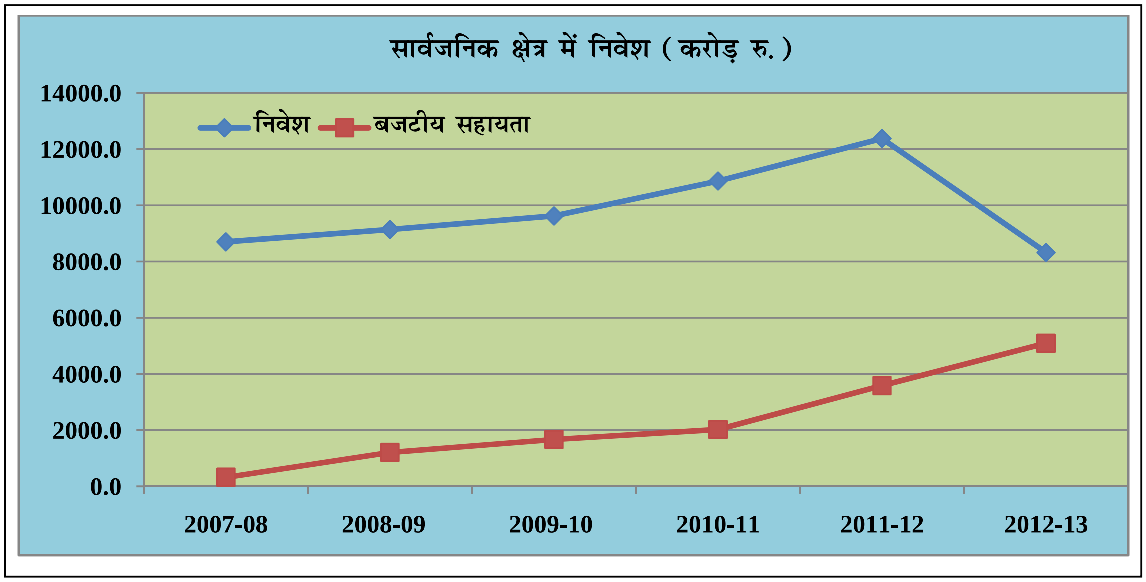


चार्ट 7.21 में बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ क्षेत्रगत निवेश दर्शाया गया है। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से विद्युत क्षेत्र में निवेश पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। वर्ष 2012-13 के अंत में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में किए गए कुल निवेश का लगभग 67 प्रतिशत भाग उन्हीं में निवेशित था जो 2006-07 में 81 प्रतिशत था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन की जरूरतों के चलते हुए समंजनों के कारण इस क्षेत्र में निवेश 2007-08 से 2012-13 के बीच 7,047 करोड़ से घटकर 5,565 करोड़ रह गया। निवेश के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिनमें वित्त और विनिर्माण शामिल हैं, इस अवधि में निवेश में कोई अधिक अंतर नहीं हुआ। वर्ष 2012-13 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए कुल निवेश का मात्र 7 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्र में था और मात्र 5 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में।

## चार्ट 7.21 : सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रगत निवेश (करोड़ रु.)

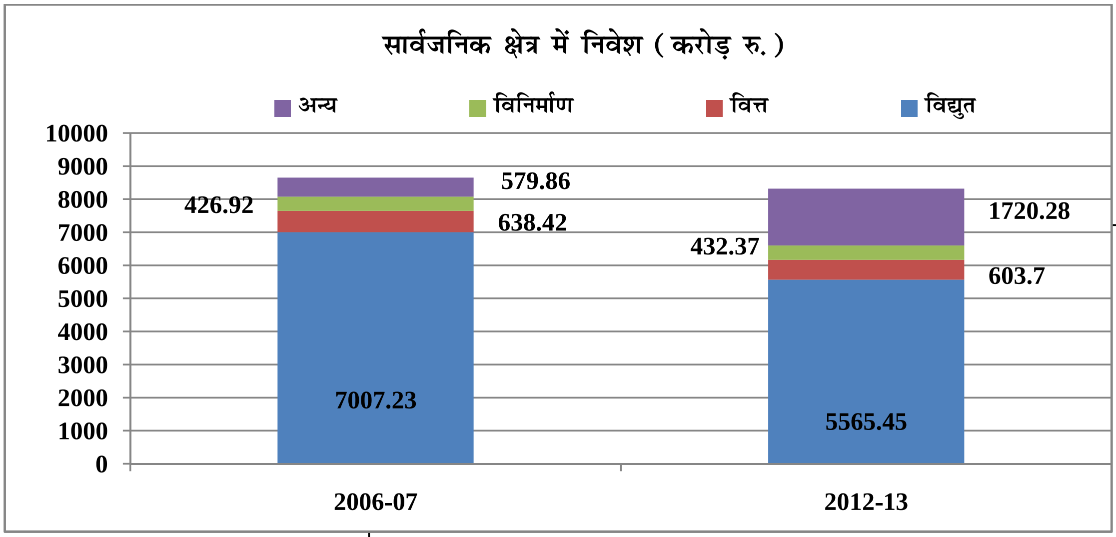

तालिका 7.53 में मार्च 2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी कंपनियों की चुकता पूंजी, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों और दिए गए ऋणों के साथ-साथ उनके नवीनतम लेखों के कार्यकारी परिणामों का ब्योरा भी दिया गया है। जिन वर्षों में इन इकाइयों ने अपना अंतिम लेखा तैयार किया है, उसका वर्ष भी तालिका में दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि अधिकांश कंपनियों ने अपने अद्यतन लेखे नहीं तैयार किए हैं और वर्षों से चूक कर रहे हैं। यह किसी उत्तरदायित्व ढांचे, प्रबंधन और नियंत्रण की अनुपस्थिति का संकेत है। चूंकि लेखे अद्यतन नहीं हैं इसलिए निवेशों पर प्रतिफलों की गणना नहीं की जा सकती है। इन अधिकांश कंपनियों के बोर्ड की नियमित बैठकें भी नहीं होती हैं। राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 71 कंपनियों में से 10 (सभी कार्यशील कंपनियों) द्वारा तैयार किए गए लेखे ही 5 वर्ष से पुराने नहीं थे और 3 अन्य कंपनियों के लेखे 5 से 10 वर्ष पूर्व तैयार किए गए थे। इसके अलावा, 33 कंपनियों (2 कार्यशील कंपनियों सहित) ने 20 साल से भी अधिक से अपने लेखे तैयार नहीं किए हैं और 12 कंपनियों ने तो अपने आरंभ के बाद से लेखा तैयार ही नहीं किया है। इस स्थिति में सुधार की जरूरत है।

**तालिका 7.53 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का नवीनतम लेखानुसार सारांश (31 मार्च, 2013 को)**

(करोड़ रु.)

| | सार्वजनिक उपक्रम का नाम | अंतिम लेखाकरण का वर्ष | अद्यतन लेखानुसार चुकता पूंजी | कुल बकाया ऋण (सरकारी + अन्य) | कुल जनशक्ति | शुद्ध लाभ/ हानि (-) | संचित लाभ/ हानि (-) | अद्यतन लेखानुसार लगी पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. कार्यशील कंपनियां** | | | | | | | | |
| **कृषि** | | | | | | | | |
| 1 | बिहार राज्य बीज निगम लि. | 1999-2000 | 3.71 | 27.93 | 89 | (-) 4.99 | (-) 58.45 | --- |
| 2 | बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि. | 1992-93 | 1.75 | 2.63 | 30 | (-) 0.22 | (-) 1.92 | --- |
| 3 | स्काडा कृषि व्यापार कंपनी लि. | 2010-11 | 0.05 | 0 | अनु. | 0 | (-) 1.81 | 0.36 |
| **वित्त** | | | | | | | | |
| 4 | बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लि. | 2004-05 | 15.00 | 53.48 | 41 | (-)3.99 | (-) 149.67 | --- |
| 5 | बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम | 1997-98 | 3.62 | 16.32 | 17 | (-)0.29 | 0.53 | 10.10 |
| 6 | बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि. | 2008-09 | 4.75 | 42.87 | 26 | (-)1.95 | (-) 6.99 | 0.75 |
| 7 | बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि. | 1991-92 | 0.95 | 0.15 | 06 | 0.02 | (-) 0.12 | 2.27 |
| **अधिसंरचना** | | | | | | | | |
| 8 | बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम लि. | 2003-04 2004-05 | 0.10 | 0.43 | 363 | (-)0.13 | (-)8.37 | --- |
| 9 | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. | 2010-11 | 3.50 | 0 | 374 | 37.89 | 110.44 | 22.29 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. | 2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12 | 0.06 | 0 | 78 | 0.38 | (-) 2.16 | --- |
| 11 | बिहार शैक्षिक अधिसंरचना विकास निगम लि. | 2011-12 | 20.00 | 0 | 101 | 24.15 | 34.57 | 44.10 |
| 12 | बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. | 2011-12<br>2012-13 | 5.00 | 0 | 54 | 37.36 | 182.71 | 18.05 |
| 13 | बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम लि. (ब्यूडको) | 2011-12 | 0.05 | 0 | 49 | 2.70 | 2.98 | 33.83 |
| **विनिर्माण** | | | | | | | | |
| 14 | बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि. | 2009-10 | 5.66 | 6.00 | 76 | 7.31 | 1.76 | 23.31 |
| 15 | बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि. | 2000-01 | 9.97 | 0 | अनु. | 9.29 | 7.04 | 44.92 |
| 16 | बिहार राज्य पेय निगम लि. | 2010-11 | 5.00 | 0 | 186 | 12.42 | 14.90 | 57.93 |
| **विद्युत** | | | | | | | | |
| 17 | बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. | 1999-2000 | 99.04 | 374.02 | 129 | (-)5.59 | (-)44.79 | 0.38 |
| 18 | बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लि. | अंतिम लेखे तैयार नहीं | - | - | | - | - | - |
| 19 | बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. | अंतिम लेखे तैयार नहीं | - | 406.00 | | - | - | - |
| 20 | बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. | अंतिम लेखे तैयार नहीं | - | 277.00 | | - | - | - |
| 21 | उत्तर बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. | अंतिम लेखे तैयार नहीं | - | 687.80 | 10278 | - | - | - |
| 22 | दक्षिण बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. | अंतिम लेखे तैयार नहीं | - | 620.06 | | - | - | - |
| 23 | बिहार ग्रिड कंपनी लि. | 2012-13 | 0.05 | - | 01 | 0.00[8] | - | - |
| **सेवा** | | | | | | | | |
| 24 | बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि. | 2004-05<br>2005-06<br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09 | 5.00 | - | 231 | 1.21 | 4.83 | 10.40 |
| 25 | बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. | 1989-90 | 4.46 | 739.93 | 584 | (-)11.18 | (-)46.04 | - |
| 26 | बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लि. | 2010-11 | 0.05 | - | 17 | 0.73 | - | 9.77 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विविध** | | | | | | | | |
| 27 | बिहार राज्य वन विकास निगम लि. | 2000-01 | 2.29 | - | अनु. | 0.28 | 0.32 | 23.93 |
| 28 | बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लि. | 1998-99 | 0.48 | - | 130 | (-) 0.32 | (-) 6.29 | --- |
| | **योग – कार्यशील कंपनियां** | | **210.49** | **3254.62** | **12860** | **105.08** | **(-) 33.47** | **---** |
| **ख. वैधानिक निगम** | | | | | | | | |
| 1 | बिहार राज्य वित्त निगम | 2011-12 | 77.84 | 228.47 | 249 | 0.05 | (-) 382.14 | 59.69 |
| 2 | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि. | 2003-04 | 101.27 | 547.79 | 1275 | (-) 105.89 | (-) 786.06 | - |
| 3 | बिहार राज्य भंडारण निगम | 2009-10 | 77.84 | - | 215 | 1.95 | 4.87 | 13.77 |
| | **योग – वैधानिक निगम** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ग. अकार्यशील सरकारी कंपनियां** | | | | | | | | |
| **कृषि एवं सहवर्ती** | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य जल विकास निगम लि. (BSWDCL) | 1978-79 | 5.00 | 49.68 | अनु. | 2.17 | 11.20 | 9.06 |
| 2. | बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लि. (BSDCL) | 1996-97 | 6.72 | - | - | (-) 0.00[10] | (-) 10.58 | -- |
| 3. | बिहार पर्वतीय क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि. (BHALICL) | 1982-83 | 5.60 | 8.55 | अनु. | (-) 0.26 | (-) 0.86 | -- |
| 4. | बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि. (BSAIDCL) | 1990-91 | 7.57 | 12.60 | 136 | (-) 2.22 | (-) 34.73 | -- |
| 5. | बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि. (BSFVDCL) | 1994-95 | 2.10 | 1.12 | 9 | (-) 0.92 | (-) 7.82 | -- |
| 6. | बिहार इनसेक्टिसाइड लि. (BIL) | 1986-87 | 0.57 | 1.54 | 53 | (-) 1.03 | (-) 1.03 | -- |
| 7. | स्काडा कृषि व्यापार खगौल लि. (SABLK) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| 8. | स्काडा कृषि व्यापार लि., डेहरी (SABLD) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| 9. | स्काडा कृषि व्यापार लि., आरा (SABLA) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| 10. | स्काडा कृषि व्यापार लि., औरंगाबाद (SABLA) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| 11. | स्काडा कृषि व्यापार लि., मोहनिया (SABLM) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| 12. | स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी लि., खगौल (SAFCLK) | | अनु | अनु | अनु | | | |
| **वित्त** | | | | | | | | |
| 13. | बिहार राज्य पंचायती राज्य वित्त निगम लि. (BPRFCL) | 1984-85 | 1.44 | - | 54 | (-)0.01 | (-)0.03 | 3.92 |
| 14. | बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि. (BSHHCL) | 1983-84 | 6.28 | 1.16 | अनु. | (-)0.10 | (-)0.44 | 0.14 |
| 15. | बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि. (BSSICL) | 1990-91 | 7.18 | 12.23 | 49 | (-)1.42 | (-)16.56 | -- |
| 16. | बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (BSIDCL) | 1987-88 | 14.04 | 66.67 | 517 | (-)3.51 | (-)26.42 | 6.23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अधिसंरचना** | | | | | | | | |
| 17. | बिहार राज्य निर्माण निगम लि. (BSCCL) | 1990-91 | 7.00 | 1.95 | 641 | (-)1.13 | (-)1.17 | - |
| **विनिर्माण** | | | | | | | | |
| 18. | बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लि. (BS&CL) | 1986-87 | 0.66 | 0.89 | अनु. | (-)0.32 | (-)0.32 | -- |
| 19. | मगध मिनरल्स लि. (MML) | -- | - | 0.47 | 05 | -- | -- | -- |
| 20. | कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लि. (KMC&EL) | 1994-95 | 2.17 | 6.63 | अनु. | (-) 2.39 | (-)8.16 | -- |
| 21. | बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लि. (BVSL) | 1987-88 | 1.21 | 4.51 | अनु | (-) 0.15 | (-)0.22 | -- |
| 22. | बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि. (BMSL) | 1989-90 | 1.26 | - | अनु | (-) 0.10 | (-)0.49 | -- |
| 23. | बेल्ट्रॉन इनफॉर्मेटिक्स लि. (BIL) | -- | - | - | अनु | -- | -- | -- |
| 24. | बिहार राज्य चीनी निगम लि. (BSSCL) | 1984-85 | 9.97 | 322.95 | अनु | (-) 9.20 | (-)72.31 | -- |
| 25. | बिहार राज्य सेमेंट निगम लि. (BSCCL) | -- | - | 0.03 | अनु. | -- | -- | -- |
| 26. | बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि. (BSP&CDCL) | 1985-86 | 3.62 | 4.25 | 52 | (-)0.17 | (-) 0.74 | -- |
| 27. | बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि. (BMPL) | 1983-84 | 0.67 | 0.02 | अनु | (-)0.03 | (-)0.06 | -- |
| 28. | बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (BD&CL) | 1985-86 | 0.94 | 1.28 | अनु | (-)0.03 | (-)0.16 | -- |
| 29. | बिहार राज्य वस्त्र निगम लि. (BSTCL) | 1987-88 | 4.98 | 2.27 | 51 | (-)0.09 | (-)0.32 | -- |
| **सेवा** | | | | | | | | |
| 30. | बिहार राज्य निर्यात निगम लि. (BSECL) | 1991-92 | 2.00 | 1.22 | 23 | (-)0.10 | (-)0.01 | 2.67 |
| **विविध** | | | | | | | | |
| 31. | बिहार पेपर मिल्स लि. (BPML) | 1985-86 | 1.56 | 10.72 | अनु. | (-)0.06 | (-)0.31 | -- |
| 32. | बिहार ग्लेज्ड टाइल्स एंड सिरामिक्स लि. (BSGT&CL) | 1985-86 | 0.16 | 3.66 | 32 | (-)0.08 | (-)0.51 | -- |
| 33. | विश्वामित्र पेपर इंडस्ट्रीज लि. (VPIL) | 1984-85 | 0.40 | 0.81 | अनु. | (-)0.01 | (-)0.01 | -- |
| 34. | झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज | 1985-86 | 0.42 | 0.46 | 13 | (-)0.01 | (-)0.02 | -- |
| 35. | बिहार स्टेट टैनिन एक्स्ट्रैक्ट लि. (BSTEL) | 1988-89 | 1.03 | 2.14 | अनु | (-)0.32 | (-)0.67 | -- |
| 36. | बिहार स्टेट फिनिश्ड लेदर कॉरपोरेशन लि. (BSFLCL) | 1983-84 | 1.47 | 9.18 | अनु | (-)1.49 | (-)2.13 | -- |
| 37. | सिंथेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि. (SREL) | 1983-84 | 0.09 | 1.05 | - | (-)0.02 | (-)0.01 | -- |
| 38. | भवानी एक्टिव कार्बन लि. (BACL) | 1985-86 | 0.02 | - | अनु | (-)0.01 | (-)0.01 | -- |
| 39. | बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि. (BSLIDCL) | 1982-83 | 5.14 | 14.13 | अनु | (-)0.37 | (-)2.92 | -- |
| 40. | बिहार स्कूटर्स लि. (BSL) | -- | - | 6.09 | अनु. | -- | -- | -- |
| | **योग – अकार्यशील कंपनियां** | | | | | | | |
| | **कुल योग – क + ख + ग** | | | 4579.14 | 16234 | | | |

स्रोत : प्रधान महालेखाकार (बिहार) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (व्यावसायिक)

# परिशिष्ट

## तालिका प 7.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2012-13 और 2013-14

(लाख रु.)

| अंचल/ प्रभाग | मूल्यवर्धित कर | | केंद्रीय बिक्री कर | | मनोरंजन कर | | उत्पाद शुल्क | | विज्ञापन कर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना विशेष | 372241 | 406365 | 4315 | 2733 | 0 | 0 | 10111 | 13965 | 0 | 0 |
| पाटलिपुत्र | 116755 | 122840 | 898 | 1927 | 1222 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **केंद्रीय प्रभाग** | **488995** | **529204** | **5213** | **4660** | **1222** | **1999** | **10111** | **13965** | **0** | **0** |
| पटना पश्चिम | 11870 | 14739 | 56 | 33 | 582 | 804 | 0 | 1 | 38 | 28 |
| पटना केंद्रीय | 9833 | 12306 | 120 | 153 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| पटना उत्तर | 12157 | 14979 | 70 | 61 | 96 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गांधी मैदान | 4617 | 5857 | 115 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| पटना दक्षिण | 12232 | 14230 | 60 | 76 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| कदमकुआं | 5832 | 6460 | 59 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पटना सिटी पूर्व | 7934 | 13172 | 34 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पटना सिटी पश्चिम | 10635 | 14250 | 120 | 209 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दानापुर | 20982 | 26204 | 48 | 99 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बाढ़ | 13288 | 16621 | 162 | 195 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| शाहाबाद | 3045 | 4401 | 21 | 33 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बक्सर | 1681 | 2227 | 4 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहारशरीफ | 4157 | 4964 | 2 | 14 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **पटना प्रभाग** | **118264** | **150410** | **871** | **1163** | **796** | **1001** | **0** | **1** | **70** | **58** |
| सासाराम | 7239 | 9185 | 60 | 113 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भभुआ | 2561 | 6228 | 15 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गया | 9176 | 11834 | 221 | 301 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जहानाबाद | 1537 | 2209 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नवादा | 2450 | 2953 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| औरंगाबाद | 3632 | 4751 | 7 | 31 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **गया प्रभाग** | **26595** | **37161** | **304** | **515** | **115** | **110** | **6** | **9** | **0** | **0** |
| सारण | 3682 | 4301 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सीवान | 3126 | 4163 | 23 | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोपालगंज | 3038 | 4642 | 15 | 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मुजफ्फरपुर पश्चिम | 8941 | 10095 | 95 | 244 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| मुजफ्फरपुर पूर्व | 6162 | 6670 | 66 | 130 | 34 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| हाजीपुर | 11252 | 15700 | 153 | 316 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सीतामढ़ी | 5560 | 7901 | 14 | 16 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मोतिहारी | 3974 | 5957 | 6 | 21 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रक्सौल | 777 | 956 | 19 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बेतिया | 4721 | 5645 | 14 | 26 | 39 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| बगहा | 1999 | 1627 | 15 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **तिरहुत प्रभाग** | **53232** | **67657** | **422** | **816** | **308** | **313** | **9** | **9** | **0** | **0** |
| दरभंगा | 5690 | 8019 | 11 | 18 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समस्तीपुर | 4104 | 5836 | 163 | 303 | 30 | 29 | 9 | 12 | 2 | 2 |
| मधुबनी | 2670 | 3526 | 4 | 5 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| झंझारपुर | 766 | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बेगूसराय | 3243 | 4824 | 41 | 87 | 27 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| तेघड़ा | 330 | 506 | 52 | 43 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **दरभंगा प्रभाग** | **16803** | **23662** | **271** | **455** | **152** | **255** | **9** | **13** | **2** | **2** |
| सहरसा | 4265 | 5307 | 2 | 2 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मधेपुरा | 1726 | 2417 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पूर्णिया | 5654 | 7630 | 105 | 226 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कटिहार | 4748 | 6282 | 40 | 45 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| फार्बिसगंज | 2281 | 2891 | 24 | 47 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| किशनगंज | 1932 | 2731 | 52 | 287 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| खगड़िया | 1419 | 2191 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **पूर्णिया प्रभाग** | **22026** | **29448** | **224** | **619** | **166** | **182** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| भागलपुर | 7687 | 9714 | 65 | 61 | 61 | 62 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| लखीसराय | 1292 | 1862 | 8 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मुंगेर | 2293 | 3017 | 19 | 12 | 8 | 2 | 33 | 71 | 0 | 0 |
| जमुई | 1878 | 2508 | 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **भागलपुर प्रभाग** | **13150** | **17101** | **93** | **112** | **76** | **73** | **46** | **83** | **0** | **0** |
| **राज्य** | **739066** | **854643** | **7397** | **8341** | **2834** | **3932** | **10181** | **14081** | **72** | **60** |

(जारी)

## तालिका प 7.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2012-13 और 2013-14 (जारी)

(लाख रु.)

| अंचल/ प्रभाग | विलासिता कर | | प्रवेश कर | | पेशा कर | | योग | | लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना विशेष | 0 | 0 | 118711 | 140210 | 197 | 95 | 505575 | 563367 | 503388 | 632147 |
| पाटलिपुत्र | 0 | 0 | 54755 | 56450 | 94 | 106 | 173724 | 183322 | 175366 | 217216 |
| **केंद्रीय प्रभाग** | **0** | **0** | **173467** | **196660** | **291** | **201** | **679298** | **746689** | **678754** | **849363** |
| पटना पश्चिम | 282 | 288 | 2877 | 2769 | 292 | 361 | 15998 | 19023 | 17049 | 20003 |
| पटना केंद्रीय | 51 | 46 | 5080 | 5567 | 334 | 264 | 15440 | 18350 | 16095 | 19305 |
| पटना उत्तर | 81 | 87 | 3292 | 3893 | 143 | 764 | 15838 | 19871 | 15656 | 19803 |
| गांधी मैदान | 108 | 157 | 1560 | 2618 | 65 | 95 | 6476 | 8876 | 6450 | 8097 |
| पटना दक्षिण | 6 | 4 | 5282 | 7981 | 46 | 49 | 17631 | 22347 | 19813 | 22045 |
| कदमकुआं | 13 | 14 | 936 | 1859 | 13 | 16 | 6854 | 8418 | 7419 | 8569 |
| पटना सिटी पूर्व | 0 | 0 | 5310 | 6458 | 5 | 7 | 13286 | 19717 | 12345 | 16612 |
| पटना सिटी पश्चिम | 8 | 7 | 2788 | 4452 | 20 | 27 | 13577 | 18947 | 13575 | 16977 |
| दानापुर | 1 | 1 | 3875 | 5520 | 102 | 126 | 25026 | 31971 | 26772 | 31291 |
| बाढ़ | 0 | 1 | 18135 | 12568 | 21 | 28 | 31619 | 29425 | 37809 | 39535 |
| शाहाबाद | 6 | 12 | 788 | 1399 | 94 | 106 | 3973 | 5969 | 3500 | 4967 |
| बक्सर | 1 | 1 | 177 | 228 | 48 | 60 | 1924 | 2540 | 2128 | 2406 |
| बिहारशरीफ | 37 | 42 | 693 | 983 | 96 | 120 | 5025 | 6158 | 5145 | 6283 |
| **पटना प्रभाग** | **593** | **659** | **50792** | **56295** | **1281** | **2025** | **172666** | **211613** | **183756** | **215894** |
| सासाराम | 2 | 2 | 1368 | 2083 | 70 | 99 | 8757 | 11498 | 9650 | 10949 |
| भभुआ | 2 | 3 | 392 | 704 | 34 | 46 | 3008 | 7055 | 1822 | 3760 |
| गया | 157 | 220 | 2962 | 3977 | 142 | 149 | 12723 | 16542 | 12283 | 15908 |
| जहानाबाद | 0 | 0 | 51 | 128 | 56 | 70 | 1645 | 2410 | 1697 | 2057 |
| नवादा | 0 | 0 | 173 | 562 | 45 | 58 | 2688 | 3597 | 3847 | 3361 |
| औरंगाबाद | 0 | 1 | 11608 | 13714 | 63 | 80 | 15325 | 18589 | 9190 | 19162 |
| **गया प्रभाग** | **162** | **226** | **16554** | **21169** | **410** | **502** | **44146** | **59691** | **38489** | **55198** |
| सारण | 4 | 5 | 745 | 951 | 139 | 177 | 4595 | 5459 | 5728 | 5745 |
| सीवान | 2 | 3 | 824 | 1498 | 61 | 74 | 4050 | 5768 | 4271 | 5064 |
| गोपालगंज | 1 | 1 | 746 | 901 | 43 | 64 | 3856 | 5633 | 3942 | 4821 |
| मुजफ्फरपुर पश्चिम | 11 | 17 | 7699 | 8687 | 159 | 230 | 16932 | 19294 | 18841 | 21171 |
| मुजफ्फरपुर पूर्व | 9 | 9 | 1194 | 2329 | 90 | 111 | 7556 | 9290 | 6487 | 9447 |
| हाजीपुर | 1 | 4 | 2696 | 3928 | 102 | 121 | 14255 | 20126 | 13788 | 17824 |
| सीतामढ़ी | 1 | 1 | 531 | 833 | 73 | 92 | 6228 | 8896 | 4612 | 7787 |
| मोतिहारी | 1 | 3 | 1463 | 1744 | 63 | 75 | 5547 | 7840 | 6152 | 6935 |
| रक्सौल | 0 | 0 | 115 | 173 | 14 | 10 | 935 | 1172 | 923 | 1169 |
| बेतिया | 2 | 4 | 776 | 1035 | 56 | 66 | 5614 | 6813 | 5493 | 7019 |
| बगहा | 0 | 0 | 67 | 133 | 17 | 23 | 2107 | 1806 | 2164 | 2635 |
| **तिरहुत प्रभाग** | **32** | **47** | **16854** | **22212** | **817** | **1042** | **71674** | **92097** | **72401** | **89618** |
| दरभंगा | 5 | 6 | 1014 | 1806 | 109 | 140 | 6888 | 10045 | 6886 | 8613 |
| समस्तीपुर | 1 | 3 | 1454 | 1789 | 127 | 171 | 5889 | 8144 | 6230 | 7363 |
| मधुबनी | 2 | 3 | 461 | 661 | 58 | 76 | 3221 | 4297 | 3624 | 4027 |
| झंझारपुर | 0 | 0 | 16 | 36 | 24 | 34 | 809 | 1022 | 841 | 1011 |
| बेगूसराय | 1 | 3 | 37705 | 89258 | 103 | 118 | 41121 | 94427 | 38389 | 51415 |
| तेघड़ा | 2 | 2 | 320 | 451 | 4 | 5 | 715 | 1013 | 777 | 894 |
| **दरभंगा प्रभाग** | **11** | **16** | **40970** | **94001** | **425** | **544** | **58642** | **118948** | **56747** | **73324** |
| सहरसा | 3 | 4 | 468 | 459 | 85 | 101 | 4849 | 5905 | 5026 | 6062 |
| मधेपुरा | 0 | 1 | 230 | 279 | 38 | 49 | 2004 | 2757 | 1669 | 2505 |
| पूर्णिया | 7 | 7 | 3664 | 5226 | 63 | 84 | 9550 | 13239 | 9589 | 11941 |
| कटिहार | 10 | 12 | 1332 | 1641 | 83 | 103 | 6259 | 8128 | 7722 | 7826 |
| फार्बिसगंज | 1 | 1 | 340 | 592 | 35 | 51 | 2692 | 3594 | 3126 | 3366 |
| किशनगंज | 0 | 1 | 1190 | 1392 | 26 | 37 | 3207 | 4458 | 3256 | 4010 |
| खगड़िया | 1 | 1 | 280 | 373 | 48 | 59 | 1759 | 2642 | 1744 | 2199 |
| **पूर्णिया प्रभाग** | **22** | **26** | **7504** | **9963** | **378** | **484** | **30320** | **40723** | **32132** | **37910** |
| भागलपुर | 15 | 24 | 17993 | 25622 | 161 | 252 | 25995 | 35748 | 28892 | 32503 |
| लखीसराय | 0 | 0 | 214 | 387 | 41 | 53 | 1561 | 2319 | 1619 | 1951 |
| मुंगेर | 2 | 2 | 2281 | 1733 | 122 | 157 | 4757 | 4994 | 5130 | 5948 |
| जमुई | 1 | 1 | 158 | 242 | 31 | 35 | 2073 | 2817 | 2087 | 2591 |
| **भागलपुर प्रभाग** | **18** | **27** | **20647** | **27984** | **356** | **497** | **34385** | **45878** | **37728** | **42994** |
| **राज्य** | **836** | **1002** | **326787** | **428284** | **3957** | **5295** | **1091132** | **1315638** | **1100007** | **1364300** |

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

## तालिका प 7.2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2014-15 ( सितंबर 2014 तक )

(लाख रु.)

| अंचल का नाम | मूल्यवर्धित कर | केंद्रीय बिक्री कर | मनोरंजन कर | उत्पाद शुल्क | विज्ञापन कर | विलासिता कर | प्रवेश कर | पेशा कर | योग | लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना विशेष | 168827 | 988 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 64830 | 8 | 239753 | 268129 |
| पाटलिपुत्र | 50756 | 216 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 23142 | 19 | 75349 | 81473 |
| **केंद्रीय प्रभाग** | **219583** | **1204** | **1216** | **5100** | **0** | **0** | **87972** | **27** | **315103** | **349602** |
| पटना पश्चिम | 6107 | 17 | 70 | 0 | 9 | 98 | 1035 | 129 | 7465 | 9875 |
| पटना केंद्रीय | 5028 | 65 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1620 | 26 | 6773 | 9616 |
| गांधी मैदान | 2810 | 68 | 0 | 0 | 4 | 45 | 993 | 4 | 3924 | 4000 |
| पटना दक्षिण | 6499 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2802 | 2 | 9346 | 10743 |
| दानापुर | 10284 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1988 | 40 | 12363 | 14851 |
| शाहाबाद | 2106 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 473 | 6 | 2607 | 2825 |
| बक्सर | 1029 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134 | 17 | 1192 | 1240 |
| **पटना पश्चिम प्रभाग** | **33863** | **237** | **101** | **0** | **17** | **181** | **9046** | **225** | **43670** | **53150** |
| पटना उत्तर | 6248 | 29 | 49 | 0 | 0 | 32 | 1384 | 77 | 7818 | 10861 |
| कदमकुआं | 3058 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 887 | 3 | 3972 | 4085 |
| पटना सिटी पूर्व | 5637 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 6 | 8514 | 8558 |
| पटना सिटी पश्चिम | 5706 | 105 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1607 | 16 | 7442 | 9860 |
| बाढ़ | 6385 | 49 | 6 | 0 | 0 | 2 | 577 | 3 | 7021 | 12803 |
| बिहारशरीफ | 2024 | 6 | 17 | 0 | 0 | 10 | 505 | 70 | 2631 | 3214 |
| **पटना पूर्व प्रभाग** | **29057** | **256** | **79** | **0** | **0** | **51** | **7782** | **174** | **37398** | **49380** |
| सासाराम | 4062 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 830 | 63 | 4997 | 6175 |
| भभुआ | 2857 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 368 | 31 | 3326 | 3725 |
| गया | 4905 | 70 | 30 | 0 | 0 | 64 | 1712 | 72 | 6852 | 8760 |
| जहानाबाद | 1010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 1074 | 1116 |
| नवादा | 1235 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320 | 36 | 1600 | 1509 |
| औरंगाबाद | 2031 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5085 | 47 | 7196 | 5456 |
| **गया प्रभाग** | **16099** | **195** | **53** | **0** | **0** | **71** | **8348** | **278** | **25044** | **26741** |
| सारण | 1790 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 402 | 34 | 2241 | 2673 |
| सीवान | 2352 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 622 | 10 | 3003 | 3184 |
| गोपालगंज | 1958 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2 | 2503 | 2533 |
| मुजफ्फरपुर पश्चिम | 4794 | 82 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3518 | 41 | 8455 | 10620 |
| मुजफ्फरपुर पूर्व | 2746 | 43 | 21 | 0 | 0 | 3 | 991 | 20 | 3825 | 4722 |
| हाजीपुर | 6405 | 91 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 60 | 8147 | 10286 |
| सीतामढ़ी | 2188 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 317 | 38 | 2573 | 4371 |
| मोतिहारी | 2623 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 776 | 2 | 3430 | 3626 |
| रक्सौल | 413 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 485 | 566 |
| बेतिया | 2468 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 390 | 9 | 2893 | 3532 |
| बगहा | 464 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 498 | 1111 |
| **तिरहुत प्रभाग** | **28201** | **268** | **151** | **4** | **0** | **20** | **9176** | **231** | **38051** | **47223** |
| दरभंगा | 3569 | 39 | 22 | 0 | 0 | 2 | 927 | 54 | 4613 | 5026 |
| समस्तीपुर | 3095 | 160 | 11 | 5 | 0 | 2 | 687 | 43 | 4004 | 4060 |
| मधुबनी | 1697 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 353 | 37 | 2104 | 2050 |
| झंझारपुर | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 432 | 511 |
| बेगूसराय | 1923 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 29482 | 62 | 31510 | 22991 |
| तेघड़ा | 267 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3 | 498 | 491 |
| **दरभंगा प्रभाग** | **10958** | **243** | **62** | **6** | **0** | **7** | **31669** | **214** | **43160** | **35129** |
| सहरसा | 2278 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 132 | 75 | 2506 | 2788 |
| मधेपुरा | 1108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237 | 30 | 1381 | 1150 |
| पूर्णिया | 3176 | 84 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2073 | 56 | 5420 | 6785 |
| कटिहार | 2405 | 8 | 17 | 0 | 0 | 5 | 634 | 5 | 3075 | 3999 |
| फार्बिसगंज | 1391 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 294 | 39 | 1745 | 1830 |
| किशनगंज | 1087 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 690 | 28 | 1847 | 2340 |
| खगड़िया | 1078 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 53 | 1306 | 1352 |
| **पूर्णिया प्रभाग** | **12523** | **157** | **80** | **0** | **0** | **12** | **4222** | **286** | **17279** | **20245** |
| भागलपुर | 3532 | 21 | 23 | 6 | 0 | 12 | 6650 | 91 | 10336 | 14817 |
| लखीसराय | 618 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 39 | 860 | 851 |
| मुंगेर | 1061 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 753 | 60 | 1902 | 2605 |
| जमुई | 878 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 22 | 1045 | 1254 |
| **भागलपुर प्रभाग** | **6089** | **40** | **27** | **30** | **0** | **13** | **7732** | **212** | **14144** | **19527** |
| **राज्य** | **356373** | **2601** | **1768** | **5140** | **17** | **355** | **165948** | **1646** | **533849** | **600996** |

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

### तालिका प 7.3 : दस्तावेजों की संख्या, स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्वों के जिलावार विवरण

(करोड़ रु.)

| जिला | दस्तावेजों की संख्या | | निबंधन शुल्क | | स्टांप शुल्क | | कुल प्राप्ति | | लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 |
| पटना | 82116 | 71860 | 117.6 | 135.3 | 415.3 | 470.2 | 532.9 | 605.5 | 449.0 | 700.0 |
| नालंदा | 34128 | 30533 | 13.8 | 18.8 | 41.8 | 58.6 | 55.6 | 77.4 | 58.4 | 80.0 |
| भोजपुर | 26821 | 26121 | 13.0 | 17.5 | 40.3 | 56.2 | 53.3 | 73.7 | 53.2 | 72.0 |
| बक्सर | 14205 | 14534 | 8.2 | 11.3 | 23.4 | 33.7 | 31.6 | 44.9 | 37.2 | 48.0 |
| रोहतास | 27180 | 25356 | 13.2 | 17.5 | 40.5 | 51.9 | 53.7 | 69.4 | 55.2 | 75.0 |
| कैमूर | 15731 | 14952 | 6.2 | 8.1 | 17.8 | 23.3 | 24.0 | 31.4 | 29.6 | 35.0 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 40465 | 38915 | 22.3 | 28.8 | 68.1 | 91.8 | 90.4 | 120.6 | 107.0 | 140.0 |
| जहानाबाद | 10837 | 9885 | 4.6 | 6.0 | 14.5 | 19.9 | 19.1 | 25.9 | 22.1 | 26.0 |
| अरवल | 5976 | 5488 | 2.1 | 3.0 | 6.0 | 8.6 | 8.1 | 11.6 | 8.2 | 11.0 |
| नवादा | 19103 | 18310 | 6.3 | 9.3 | 18.0 | 26.5 | 24.4 | 35.8 | 30.2 | 38.0 |
| औरंगाबाद | 23919 | 23955 | 11.3 | 14.9 | 33.8 | 44.6 | 45.1 | 59.5 | 47.2 | 64.0 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 36879 | 36339 | 14.2 | 19.0 | 40.8 | 54.2 | 55.0 | 73.2 | 56.8 | 78.0 |
| सीवान | 36516 | 35287 | 15.2 | 18.9 | 43.6 | 53.9 | 58.8 | 72.9 | 65.3 | 87.0 |
| गोपालगंज | 30577 | 29051 | 12.0 | 16.8 | 33.8 | 48.9 | 45.8 | 65.7 | 54.3 | 70.0 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 48668 | 44313 | 14.1 | 18.3 | 40.5 | 52.5 | 54.7 | 70.8 | 61.9 | 80.0 |
| पूर्वी चंपारण | 71969 | 67862 | 25.1 | 33.5 | 72.2 | 94.8 | 97.3 | 128.4 | 94.0 | 134.0 |
| मुजफ्फरपुर | 58461 | 57337 | 33.4 | 47.0 | 97.1 | 133.9 | 130.4 | 181.0 | 130.0 | 182.0 |
| सीतामढ़ी | 43834 | 41681 | 17.0 | 22.2 | 47.2 | 61.9 | 64.2 | 84.1 | 60.9 | 87.0 |
| शिवहर | 8048 | 8200 | 2.7 | 3.4 | 7.8 | 10.2 | 10.5 | 13.6 | 9.7 | 15.0 |
| वैशाली | 34482 | 33937 | 17.8 | 23.8 | 51.5 | 70.0 | 69.3 | 93.7 | 74.3 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 38391 | 37020 | 18.2 | 22.7 | 51.8 | 65.1 | 70.0 | 87.8 | 71.6 | 99.0 |
| मधुबनी | 47815 | 46837 | 15.9 | 21.7 | 44.3 | 60.3 | 60.2 | 82.0 | 65.1 | 87.0 |
| समस्तीपुर | 47820 | 47470 | 15.7 | 20.4 | 49.2 | 56.1 | 65.0 | 76.5 | 70.7 | 95.0 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 28971 | 26523 | 16.5 | 21.6 | 49.9 | 66.4 | 66.4 | 88.0 | 65.9 | 92.0 |
| मुंगेर | 8976 | 7883 | 5.1 | 6.7 | 15.6 | 20.9 | 20.6 | 27.6 | 24.4 | 30.0 |
| शेखपुरा | 8796 | 8297 | 2.4 | 3.0 | 7.6 | 9.7 | 9.9 | 12.7 | 13.9 | 16.0 |
| लखीसराय | 10988 | 10062 | 4.3 | 5.3 | 12.8 | 15.8 | 17.2 | 21.2 | 18.0 | 27.0 |
| जमुई | 15421 | 15408 | 5.0 | 6.3 | 14.8 | 18.9 | 19.8 | 25.2 | 25.3 | 26.0 |
| खगड़िया | 15966 | 13723 | 6.7 | 7.6 | 18.1 | 21.4 | 24.8 | 29.0 | 30.6 | 33.0 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 30816 | 27220 | 19.6 | 23.3 | 60.8 | 72.0 | 80.4 | 95.3 | 81.1 | 113.0 |
| बांका | 15857 | 16817 | 6.6 | 8.9 | 18.8 | 25.1 | 25.4 | 34.0 | 31.6 | 40.0 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 22311 | 21541 | 8.9 | 10.9 | 27.5 | 32.6 | 36.4 | 43.5 | 34.4 | 50.0 |
| सुपौल | 27840 | 25402 | 7.5 | 9.3 | 20.8 | 26.1 | 28.4 | 35.4 | 31.8 | 72.0 |
| मधेपुरा | 24641 | 21561 | 7.7 | 10.0 | 21.4 | 28.2 | 29.0 | 38.3 | 32.9 | 43.0 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 44640 | 38285 | 16.2 | 20.6 | 47.9 | 62.6 | 64.1 | 83.2 | 63.6 | 85.0 |
| किशनगंज | 26054 | 25382 | 7.3 | 8.8 | 21.9 | 26.0 | 29.2 | 34.8 | 32.6 | 40.0 |
| अररिया | 34971 | 33057 | 10.9 | 13.2 | 30.8 | 37.4 | 41.6 | 50.6 | 39.4 | 56.0 |
| कटिहार | 45659 | 42120 | 14.2 | 16.9 | 40.3 | 48.3 | 54.5 | 65.2 | 51.1 | 74.0 |
| | | | | | | | | | | |
| **योग** | **1165848.0** | **1098524.0** | **558.6** | **710.5** | **1708.2** | **2158.6** | **2266.8** | **2869.1** | **2288.2** | **3200.0** |

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 7.4 : पंचायती राज विभाग और स्थानीय नगर निकायों को धनराशि का जिलावार आबंटन**

(लाख रु.)

| जिला | जिला परिषद | | | पंचायत समिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| पटना | 766.6 | 717.0 | 1220.2 | 1526.0 | 1455.6 | 2330.6 |
| नालंदा | 629.2 | 684.6 | 929.9 | 1261.1 | 1401.8 | 1784.1 |
| भोजपुर | 509.5 | 637.6 | 905.7 | 1040.7 | 1280.6 | 1706.5 |
| बक्सर | 384.4 | 494.8 | 681.5 | 792.6 | 970.9 | 1241.4 |
| रोहतास | 638.2 | 558.8 | 975.8 | 1240.4 | 1114.2 | 1828.3 |
| कैमूर | 353.3 | 338.1 | 703.6 | 726.1 | 683.4 | 1313.7 |
| | | | | | | |
| गया | 747.7 | 991.2 | 1324.7 | 1507.1 | 1994.3 | 2516.4 |
| जहानाबाद | 312.4 | 341.4 | 522.1 | 577.5 | 649.3 | 915.6 |
| अरवल | 148.7 | 286.5 | 429.0 | 276.1 | 553.6 | 752.1 |
| नवादा | 502.9 | 594.9 | 824.9 | 940.9 | 1160.1 | 1507.6 |
| औरंगाबाद | 532.7 | 491.2 | 905.2 | 960.6 | 967.2 | 1682.0 |
| | | | | | | |
| सारण | 785.6 | 759.5 | 1255.6 | 1509.7 | 1509.3 | 2362.2 |
| सीवान | 840.6 | 677.3 | 1170.6 | 1489.5 | 1309.2 | 2162.0 |
| गोपालगंज | 725.8 | 537.6 | 938.3 | 1338.6 | 1054.5 | 1742.4 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 828.2 | 895.5 | 1252.4 | 1694.9 | 1849.4 | 2435.9 |
| पूर्वी चंपारण | 1056.5 | 1149.1 | 1561.9 | 2175.2 | 2412.2 | 3098.4 |
| मुजफ्फरपुर | 865.3 | 886.9 | 1454.0 | 1855.5 | 1846.6 | 2851.0 |
| सीतामढ़ी | 647.3 | 856.0 | 1150.7 | 1362.1 | 1783.5 | 2257.2 |
| शिवहर | 160.2 | 238.9 | 412.4 | 275.4 | 467.1 | 728.3 |
| वैशाली | 843.4 | 815.8 | 1150.7 | 1694.8 | 1708.1 | 2261.6 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 853.5 | 780.6 | 1259.5 | 1719.0 | 1563.1 | 2396.8 |
| मधुबनी | 880.2 | 1137.6 | 1478.5 | 1896.2 | 2432.7 | 2999.0 |
| समस्तीपुर | 841.5 | 1051.4 | 1411.3 | 1649.4 | 2111.8 | 2688.2 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 617.6 | 655.9 | 912.7 | 1256.2 | 1326.4 | 1742.7 |
| मुंगेर | 304.5 | 228.3 | 494.0 | 592.9 | 452.4 | 891.7 |
| शेखपुरा | 258.1 | 214.3 | 375.7 | 496.2 | 405.3 | 641.0 |
| लखीसराय | 230.7 | 193.2 | 472.3 | 452.8 | 357.3 | 820.1 |
| जमुई | 410.5 | 428.8 | 713.7 | 850.0 | 862.1 | 1332.1 |
| खगड़िया | 349.3 | 326.6 | 679.9 | 671.7 | 651.9 | 1258.1 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 543.4 | 524.5 | 921.0 | 1102.9 | 1059.4 | 1736.0 |
| बांका | 404.1 | 416.6 | 813.2 | 823.8 | 814.2 | 1494.9 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 416.6 | 504.7 | 728.2 | 816.6 | 1007.6 | 1351.5 |
| सुपौल | 419.0 | 440.1 | 843.0 | 934.3 | 925.6 | 1629.5 |
| मधेपुरा | 419.7 | 542.6 | 776.8 | 881.5 | 1119.1 | 1481.7 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 728.7 | 600.5 | 1062.5 | 1422.8 | 1239.1 | 2046.7 |
| किशनगंज | 381.1 | 445.8 | 664.8 | 827.6 | 940.0 | 1289.8 |
| अररिया | 472.5 | 707.1 | 985.6 | 1018.1 | 1457.6 | 1910.5 |
| कटिहार | 691.1 | 755.1 | 1026.8 | 1398.6 | 1525.0 | 1945.0 |
| | | | | | | |
| **योग** | **21500.2** | **22905.9** | **35388.6** | **43055.3** | **46421.8** | **67132.3** |

(जारी)

**तालिका प 7.4 : पंचायती राज विभाग और स्थानीय नगर निकायों को धनराशि का जिलावार आबंटन (जारी)**

(लाख रु.)

| जिला | ग्राम पंचायत | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| पटना | 6698.5 | 8213.2 | 11221.5 | 8991.1 | 10385.8 | 14772.3 |
| नालंदा | 5439.8 | 7473.5 | 9053.3 | 7330.0 | 9559.9 | 11767.3 |
| भोजपुर | 4549.5 | 6306.7 | 8586.9 | 6099.7 | 8224.9 | 11199.1 |
| बक्सर | 3306.2 | 5288.2 | 6593.3 | 4483.2 | 6753.9 | 8516.2 |
| रोहतास | 5301.4 | 5747.7 | 9116.3 | 7180.1 | 7420.7 | 11920.4 |
| कैमूर | 3180.8 | 4471.2 | 6881.6 | 4260.3 | 5492.7 | 8898.9 |
| | | | | | | |
| गया | 6295.2 | 9771.1 | 11295.6 | 8550.0 | 12756.5 | 15136.7 |
| जहानाबाद | 2454.3 | 3988.9 | 5355.2 | 3344.2 | 4979.6 | 6793.0 |
| अरवल | 1293.9 | 3495.4 | 4687.3 | 1718.8 | 4335.6 | 5868.5 |
| नवादा | 4102.5 | 6252.1 | 7709.0 | 5546.3 | 8007.2 | 10041.5 |
| औरंगाबाद | 4049.9 | 5520.0 | 8163.3 | 5543.1 | 6978.3 | 10750.5 |
| | | | | | | |
| सारण | 6407.6 | 7879.3 | 10946.5 | 8702.9 | 10148.1 | 14564.4 |
| सीवान | 6425.9 | 6739.4 | 10450.5 | 8756.0 | 8725.9 | 13783.1 |
| गोपालगंज | 5626.9 | 6211.1 | 8805.7 | 7691.3 | 7803.1 | 11486.4 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 6927.1 | 9229.9 | 10926.8 | 9450.2 | 11974.8 | 14615.0 |
| पूर्वी चंपारण | 8584.8 | 11206.7 | 13053.9 | 11816.4 | 14767.9 | 17714.2 |
| मुजफ्फरपुर | 7620.3 | 8605.4 | 12473.3 | 10341.1 | 11338.8 | 16778.3 |
| सीतामढ़ी | 5321.0 | 8357.9 | 9809.3 | 7330.4 | 10997.4 | 13217.1 |
| शिवहर | 1136.6 | 2943.5 | 4373.4 | 1572.2 | 3649.6 | 5514.1 |
| वैशाली | 6746.2 | 8412.6 | 10119.3 | 9284.4 | 10936.5 | 13531.6 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 6966.7 | 7378.0 | 10979.1 | 9539.2 | 9721.7 | 14635.4 |
| मधुबनी | 7636.8 | 11420.8 | 12894.1 | 10413.1 | 14991.1 | 17371.6 |
| समस्तीपुर | 7342.1 | 10704.0 | 12410.8 | 9833.0 | 13867.2 | 16510.3 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 5341.4 | 7070.7 | 8593.1 | 7215.2 | 9053.0 | 11248.5 |
| मुंगेर | 2524.0 | 3236.4 | 5329.8 | 3421.5 | 3917.1 | 6715.5 |
| शेखपुरा | 2029.4 | 2874.0 | 4290.5 | 2783.6 | 3493.5 | 5307.2 |
| लखीसराय | 1975.3 | 2878.1 | 4972.9 | 2658.8 | 3428.6 | 6265.2 |
| जमुई | 3579.2 | 5050.7 | 6921.5 | 4839.7 | 6341.5 | 8967.3 |
| खगड़िया | 2705.0 | 3985.8 | 6275.5 | 3726.0 | 4964.4 | 8213.5 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 4895.4 | 6151.4 | 8857.7 | 6541.7 | 7735.3 | 11514.7 |
| बांका | 3717.9 | 4841.5 | 7722.2 | 4945.7 | 6072.3 | 10030.3 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 3340.2 | 5393.6 | 6785.6 | 4573.4 | 6905.9 | 8865.2 |
| सुपौल | 3693.9 | 4988.7 | 7592.9 | 5047.2 | 6354.4 | 10065.4 |
| मधेपुरा | 3631.9 | 5558.4 | 7271.2 | 4933.1 | 7220.1 | 9529.7 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 5577.1 | 5785.8 | 9162.3 | 7728.6 | 7625.4 | 12271.5 |
| किशनगंज | 3099.3 | 4809.8 | 6190.2 | 4307.9 | 6195.6 | 8144.9 |
| अररिया | 4017.3 | 7100.5 | 8513.9 | 5507.9 | 9265.3 | 11410.0 |
| कटिहार | 5582.9 | 7496.2 | 8958.2 | 7672.6 | 9776.3 | 11930.0 |
| | | | | | | |
| **योग** | **179124.1** | **242837.9** | **323343.5** | **243679.6** | **312165.6** | **425864.5** |

(जारी)

**तालिका प 7.4 : पंचायती राज विभाग और स्थानीय नगर निकायों को धनराशि का जिलावार आबंटन ( जारी )**

( लाख रु. )

| जिला | नगर निकाय | | | कुल योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) | 2012-13 (वास्तविक) | 2013-14 (पु.अ.) | 2014-15 (ब.अ.) |
| पटना | 323.5 | 0.0 | 658.4 | 9314.6 | 10385.8 | 15430.8 |
| नालंदा | 273.6 | 249.3 | 374.3 | 7603.6 | 9809.1 | 12141.6 |
| भोजपुर | 123.3 | 199.7 | 343.0 | 6222.9 | 8424.6 | 11542.1 |
| बक्सर | 109.6 | 151.8 | 190.9 | 4592.8 | 6905.7 | 8707.1 |
| रोहतास | 234.8 | 0.0 | 383.1 | 7414.8 | 7420.7 | 12303.5 |
| कैमूर | 23.3 | 0.0 | 112.2 | 4283.6 | 5492.7 | 9011.1 |
| | | | | | | |
| गया | 112.0 | 321.1 | 439.2 | 8661.9 | 13077.6 | 15575.8 |
| जहानाबाद | 149.5 | 158.0 | 231.5 | 3493.6 | 5137.6 | 7024.5 |
| अरवल | 6.0 | 98.9 | 122.9 | 1724.8 | 4434.5 | 5991.3 |
| नवादा | 82.2 | 122.3 | 177.0 | 5628.5 | 8129.5 | 10218.4 |
| औरंगाबाद | 59.3 | 0.0 | 209.3 | 5602.4 | 6978.3 | 10959.8 |
| | | | | | | |
| सारण | 131.9 | 0.0 | 322.1 | 8834.7 | 10148.1 | 14886.4 |
| सीवान | 106.2 | 0.0 | 161.3 | 8862.2 | 8725.9 | 13944.4 |
| गोपालगंज | 139.7 | 0.0 | 145.1 | 7831.0 | 7803.1 | 11631.5 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 228.9 | 197.8 | 313.2 | 9679.1 | 12172.6 | 14928.2 |
| पूर्वी चंपारण | 186.4 | 167.5 | 256.1 | 12002.8 | 14935.4 | 17970.4 |
| मुजफ्फरपुर | 143.6 | 0.0 | 303.9 | 10484.6 | 11338.8 | 17082.3 |
| सीतामढ़ी | 45.6 | 114.0 | 149.8 | 7376.0 | 11111.4 | 13366.9 |
| शिवहर | 8.0 | 40.7 | 65.5 | 1580.2 | 3690.3 | 5579.6 |
| वैशाली | 176.1 | 108.4 | 178.6 | 9460.4 | 11044.9 | 13710.1 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 207.8 | 0.0 | 284.1 | 9746.9 | 9721.7 | 14919.5 |
| मधुबनी | 36.3 | 83.8 | 107.3 | 10449.4 | 15074.9 | 17478.9 |
| समस्तीपुर | 38.0 | 72.6 | 107.2 | 9871.0 | 13939.8 | 16617.5 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 296.9 | 257.4 | 399.7 | 7512.1 | 9310.4 | 11648.3 |
| मुंगेर | 397.5 | 0.0 | 543.7 | 3819.0 | 3917.1 | 7259.2 |
| शेखपुरा | 266.6 | 151.8 | 251.7 | 3050.2 | 3645.3 | 5558.9 |
| लखीसराय | 126.1 | 0.0 | 265.5 | 2784.9 | 3428.6 | 6530.8 |
| जमुई | 97.1 | 62.4 | 164.6 | 4936.8 | 6404.0 | 9131.8 |
| खगड़िया | 35.0 | 0.0 | 119.6 | 3761.0 | 4964.4 | 8333.1 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 221.6 | 0.0 | 275.8 | 6763.3 | 7735.3 | 11790.5 |
| बांका | 22.6 | 0.0 | 80.6 | 4968.3 | 6072.3 | 10110.8 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 79.9 | 142.1 | 205.5 | 4653.3 | 7048.0 | 9070.7 |
| सुपौल | 36.9 | 0.0 | 115.7 | 5084.1 | 6354.4 | 10181.0 |
| मधेपुरा | 41.4 | 69.9 | 94.9 | 4974.4 | 7289.9 | 9624.7 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 212.1 | 0.0 | 290.1 | 7940.7 | 7625.4 | 12561.6 |
| किशनगंज | 132.0 | 142.0 | 205.2 | 4439.9 | 6337.6 | 8350.1 |
| अररिया | 16.7 | 110.4 | 151.9 | 5524.6 | 9375.7 | 11561.8 |
| कटिहार | 213.2 | 194.7 | 250.7 | 7885.8 | 9970.9 | 12180.6 |
| | | | | | | |
| **योग** | **5140.6** | **3216.6** | **9051.1** | **248820.1** | **315382.2** | **434915.5** |

स्रोत : राज्य सरकार के बजट (समाप्त)